

DUE DATE SLIP

GOVT. COLLEGE, LIBRARY

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most

| BORROWER'S No | DUE DATE | SIGNATURE |
|------------------|----------|-----------|
| | | |

DUE DATE SLIP

GOVT. COLLEGE, LIBRARY

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most

| BORROWER'S No | DUE DATE | SIGNATURE |
|------------------|----------|-----------|
| | | |

भारत की आर्थिक प्रगति

(Economic Development of India)

(वी० काम० तथा वी० ए० के विद्यार्थियों के लिए)

लेखक

दुर्गा दयाल निगम, एम० काम०,
प्राध्यापक, विश्वविभाग, वी० ए० वी० कालोज, कानपुर।

कि ता च म ह ल, इ ला हा वा द
बम्बई : दिल्ली : कलकत्ता : भोपाल : हैदराबाद : जयपुर

प्रथम संस्करण, १९६०

प्रकाशक—किताब महल, ५६ ए, जीरो रोड, इलाहाबाद ।
मुद्रक—अनुपम प्रेस, १७ जीरो रोड, इलाहाबाद ।

समर्पण

पूज्य पिता जी,

स्व० श्री गजाधर प्रसाद जी निगम
को .

पुण्य स्मृति में

दो शब्द

राजनीतिक परतन्त्रता की शहूलाओं से नुक्ति पर हमारे राष्ट्र के वृत्तधारों ने, जिन्होंने हमें पराधीनता के प्रवाहन एवं ग्रथकार से बाहर निकालने में सफलता प्राप्त की थी, अपने जर्वरित एवं शोषित राष्ट्र के आर्थिक मोक्ष की मुख्य कल्पना की साकार करने के लिए भविष्य की रचना की प्रौढ़ भित्ति का न्याय बरने का दृढ़ सम्बल से प्रयत्न आरम्भ कर दिया। नव निर्माण एवं आर्थिक विकास की अनेक योजनाओं का प्रादुर्भाव हुआ और प्राचीन भारत के उन्न गौरव को पुनः प्राप्त करने की आशाएँ सक्रिय हो उठीं। आज इन्हीं योजनाओं के फलस्वरूप भारत समृद्धिराली, उज्ज्वल एवं गोरवमय आर्थिक स्वाधीनता की स्थापना के लक्ष्य की ओर आवाह गति से प्रगति करता चला जा रहा है। अभी हमारा देश आर्थिक सजड़ से होमर गुबर रहा है। विदेशी भुदा की कठोराई को हमें अपने घरेलू साधनों द्वारा दूर करना होगा। हमें दूसरी योजना में अतिरिक्त खाद्यान उत्पादन करके ससार को दिखलाना है कि भारत-वासी सङ्कटों से घनराते नहीं, उनका सामना करना जानते हैं और वे आपदाओं की आँखियों एवं तुकानों से सफलतापूर्वक लड़ने की क्षमता रखते हैं। देश के भविष्य एवं उसक स्वामिमान का प्रश्न आज हमारे यामने उपरित्थित है। भारत की परीक्षा है। रुक्ने में मूल्य है। बढ़ते हुए कदम के आगे बढ़ने में ही आत्मसम्मान की रक्षा है और यही निर्धनता का अन्त करके समृद्धि का मार्ग है।

आज राष्ट्रीय विकास में जो महत्वपूर्ण मानवीय परातल उमर रहा है, दूसरी हुई मर्यादाओं और विवरणी हुई निष्ठाओं के बीच मानवीय मूल्यों के प्रति जो नई आस्था पनप रही है, सामाजिक लक्षियों और राजनीतिक भ्रान्तियों को नीर कर मनुष्य की आनंदिकता पर आधारित जिस नई मर्यादा का उदय हो रहा है, उसकी ओर भी ध्यान रखना आवश्यक है। “वाह्य परिस्थितियों को बदलने से ही काम नहीं चल सकता, आदमी को भीतर से भी बदलना पड़ेगा। नया समेरा आ रहा है, नई रोशनी आयेगी, नई जिन्दगी आयेगी, उसे कोई रोक नहीं सकता...निरचय ही। लेकिन उसका आधार इन्सानियत पर होगा, करुणा एवं सम्वेदना पर होगा।” ऐसे समय में विभिन्न देशों में विकास एवं योजनाओं से परिचय और उनका समुचित ज्ञान हमारे राष्ट्र के भावी कर्यधार नवयुवक विद्यार्थियों के लिए, जिन पर ही उज्ज्वल भविष्य की आशा अवलभित है, आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है। इस दृष्टिकोण से ही लेखक ने प्रस्तुत पुस्तक में विभिन्न देशों में आर्थिक विकास की योज-

नाथों की रूपरेखा एवं प्रगति के नवीनतम तथ्यों को संग्रहीत करके पाठकों के समक्ष रखने का प्रयास किया है, जिससे व अपना सहयोग एवं सुभाष देकर राष्ट्रीय विकास की मुख्य कल्पना को साकार करने में सहायक हो सकें।

प्रस्तुत पुस्तक मुख्यत बी० काम०, बी० ए० तथा एम० काम०, एम० ए० के विद्यार्थियों के हितार्थ लिखी गयी है, किन्तु इस विषय के प्रति सामान्य पाठक की सचिच्चा चनाये रखने का भी पूर्ण ध्यान रखा गया है। यहाँ तक सफलता प्राप्त हुई है, इस पर तो पाठकों का निर्णय ही सर्वाधिक डचित होगा।

लेखक के जीवन में नवीन चेतना प्रदान करने का श्रेय स्वर्गीय डा० बृजेन्द्र स्वरूप नी, एम० ए०, एल एल० डी० को है, और वह उन्हीं के आशीर्वाद का फल है कि लेखक पाठकों की सेवा का यह प्रयास कर सका है। लेखक अपने अद्येय गुरुबर श्री कालका प्रसाद भट्टाचार, एम० ए०, एल एल० बी (उपकुलपति आगरा विश्वविद्यालय) एवं प्रो० सी० पी० श्रीवास्तव, एम० ए०, बी० काम० का भी अत्यन्त आभारी है जिनके ज्ञान प्रकाश का ही परिणाम यह पुस्तक है। मानव जीवन में परिस्थितियों एवं वातावरण का अनुकूल होना उसके विकास की मूलभूत आवश्यकता है और इस दृष्टि से लेखक अपने बाधुवर श्री बीरेन्द्र स्वरूप जी, एम० ए०, एल एल० बी० का भी अनुग्रहीत है। अपने विमाग के प्रो० रामचन्द्र विवेदी, एम० ए०, एम० काम० के प्रति, जिनका लेखक क हृदय में अध्यात्मिक गुरु क रूप में स्थान है, अद्या एवं आभार बैवल श०दों द्वारा व्यक्त करना कदाचित् कठिन होगा। लेखक इस विषय क मौलिक लेखकों एवं विद्वानों का भी अत्यन्त आभारी है जिनकी कृतियों एवं लेखों से उसे सहायता एवं प्रेरणा प्राप्त हुई है। पुस्तक के प्रस्तुत करने में जो सहायता मुझे अपने विद्यार्थियों श्री मेराज अहमद सिद्दीकी बी० काम० एवं ज्योति स्वरूप सदक्षेना एम० काम० से प्राप्त हुई है, अत्यन्त प्रश়ঞ্জনीय है। श्रीमती राजकिशोरी निगम तथा उसुम कुमारी निगम ने पुस्तक क प्रूफ शुद्ध करने का कार्य अपने हाथों भले कर जो सहायता की है, उसके लाल लेखक उनका आभारी है। पुस्तक को इन्हें अल्प समय में पाठकों के समुख प्रस्तुत करने का श्रेय इसके प्रकाशक श्री एस० एम० अम्रवाल को ही है और इसके लिये लेखक उनका भी हृदय से आभारी हैं।

विषय-सूची

प्रथम खड़—“भूमिका”

| अध्याय | विषय | पृष्ठ संख्या |
|-------------------------------------|------|--------------|
| १. प्रकृति एव आर्थिक विकास | ... | ३ |
| २. सामाजिक व्यवस्था एव आर्थिक विकास | ... | १५ |
| ३. इंडिलैंड की श्रौद्धोगिक क्रान्ति | .. | ३६ |

द्वितीय खड़—“भारतीय कृषि समस्याएँ”

| | | |
|----------------------------------|-----|-----|
| ४. भारतीय कृषि का विकास | ... | ५६ |
| ५. भारत में अकाल | ... | ७१ |
| ६. सादृश्य समस्या | ... | ८८ |
| ७. सिंचाई व्यवस्था | ... | १०८ |
| ८. कृषि-भूमि उपविभाजन एव उपलब्धन | ... | १३० |
| ९. कृषि पदार्थों का विकास | .. | १५२ |
| १०. भूमि-व्यवस्था | ... | १७१ |
| ११. कृषि नियोजन | .. | १८६ |
| १२. सामुदायिक विकास योजनाएँ | ... | २०६ |
| १३. मूलधारों का स्थिरीकरण | ... | २२० |
| १४. कुटीर उद्योग घटे | ... | २२८ |

तृतीय खड़—“भारतीय श्रम-समस्याएँ”

| | | |
|------------------------------|-----|-----|
| १५. सामाजिक सुरक्षा | ... | २५५ |
| १६. श्रम-कल्याण | ... | २६६ |
| १७. श्रम सम्बन्धी अधिनियम | ... | २८० |
| १८. श्रम-सघ | ... | २८८ |
| १९. श्रौद्धोगिक सधर्प | ... | ३०३ |
| २०. भारतीय श्रम की वार्चामता | ... | ३२० |

चतुर्थ खड—“भारतीय संगठित उद्योग”

| | | |
|----------------------------|-----|-----|
| २१. सूक्ष्मी वस्त्र उद्योग | ... | ३३३ |
| २२. लौह एवं इस्पात उद्योग | ... | ३४६ |
| २३. जूट उद्योग | ... | ३५४ |
| २४. सीमेंट उद्योग | . | ३६२ |
| २५. कागज उद्योग | .. | ३७० |
| २६. चीनी उद्योग | ... | ३७८ |

पंचम खड—“विविध”

| | | |
|------------------------------|-----|-----|
| २७. भारतीय राज्यकोषीय नीति | ... | ३८६ |
| २८. भारत की नवीन आर्थिक नीति | ... | ३९७ |

प्रथम खण्ड

भूमिका

- (१) प्रकृति एवं आर्थिक विकास
- (२) सामाजिक व्यवस्था एवं आर्थिक विकास
- (३) इन्हें भौद्योगिक क्रान्ति

प्रकृति एवं आर्थिक विकास

(Nature and Economic Development)

प्रारम्भ से ही मानव प्रकृति के क्षीडास्थल में जन्म लेकर पनपता है और प्राकृतिक साधनों के सहारे ही जीवन क्षेत्र में पदार्पण वर उत्तर का निर्माण करता है। मानव स्वयं ही प्रकृति की देन है। बास्तव में 'मानव को प्रकृति का शिशु'^१ कहने में अविश्योकि न होगी। अनादि काल से मानव प्रकृति के प्रागण्य में अपने बातावरण को अनुकूल बनाने का सुतत प्रयत्न करता रहा है और प्रकृति की अपार शक्ति के कारण ही आज वह वर्तमान अवस्था को पहुँच सका है। क्या मरुभूमि के निवासी अपने आर्थिक विकास की कल्पना भी कर सकते हैं? आज मानव अपनी प्रगति की चरम धीमा पर पहुँच चर, प्रकृति-प्रदत्त साधनों का अपनी बुद्धि एवं अपनी द्वारा उपयोग करके ही निश्च को नया रूप देने में सफल हो सका है और विज्ञान के प्रचड सूर्य की रश्मियों द्वारा प्रगति के पथ को निरन्तर आलोकित करता जा रहा है।

मानव एवं प्रकृति ही दो महान स्तम्भ हैं जिन पर किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास के भवन का निर्माण रम्भष है। विश्व के प्रत्येक राष्ट्र की आर्थिक उन्नति, पैदय एवं सम्बद्धता की मृष्टभूमि में प्राकृतिक बातावरण का सदैव शक्तिशाली हाथ रहा है। इस्लैंड को आज के आर्थिक जगत में सर्वश्रेष्ठ होने का थेय उसके प्राकृतिक बातावरण—एकाकी स्थिति, शीतोष्ण जलवायु, अच्छे समुद्रतट और लोहे व कोयले की खानों^२ को ही है। इसके विपरीत मारतवासी अपनी प्रचुर प्राकृतिक देनों का पूर्ण उपयोग नहीं कर सके और परिणामस्वरूप यह केभन कि "भारत निर्धन लोगों से वसा एक धनी देश है"^३ पूर्ण रूप से सत्य मिद्द होता है। निस्सन्देह किसी भी राष्ट्र का वैमव वहाँ की पर्वत-ध्रेयियों, जलवायु, मिही, भौगोलिक स्थिति, वनस्पति

^१"Man is the child of nature"

^२"The coast line and rivers, the proximity of rich coal and iron fields, the temperate moist climate and the fertility of the soil are still the foundations of the wealth of England"—Mr. J. S. Nicholson.

^३"India is a rich country inhabited by the poor"—Vera Anstey.

एवं सिनिज पर ही निर्भर है। मानव जीवन में आर्थिक, सामाजिक व सास्कृतिक एवं राजनैतिक क्रात के बल प्राकृतिक साधनों पर ही अवलम्बित है। यह सत्य है कि आज मानव ने विज्ञान के सहारे प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लिया है, परन्तु इसमें भी सन्देह नहीं कि वह एक सीमा तक ही प्रकृति का नियन्त्रण कर सकता है और अन्त में उसे जैरा प्रो० मार्शल ने लिखा है “भूमि, पानी, वायु, प्रकाश तथा गर्मी”^१ के रूप में प्रकृति पर ही आश्रित होना पड़ता है। मानव प्रकृति के हाथों में लिलौना है। चिना प्रकृति के स्नेह के मनुष्य भैंटिक जगत का सुजन नहीं कर सकता। वास्तव में प्रकृति ने अपनी विभिन्नता तथा वैचित्र्य के द्वारा मानव जीवन को ढाला है।

भारत के आर्थिक विकास पर भी यहाँ के प्राकृतिक वातावरण का बड़ा गहरा सम्बन्ध रहा है। अतीत काल में भारत अपनी भौतिक उन्नति की चरम सीमा पर था। उस समय जब आधुनिक पाश्चात्य जगत में जगली जातियाँ निवास करती थीं भारत अपनी सम्यता एवं जला-कौशल के लिये सारे विश्व में विख्यात था और सदार के महासागरों के बहुस्थल पर केवल भारतीय सामग्रियों से लदे हुए भारतीय जलयान मढ़ाया करते थे। भारतीय गौरव की इस पृष्ठभूमि में उसकी जलवायु, उत्तर पर्वत-मालाएँ, लहलहाते हुए मैदान, खनिज पदार्थों की प्रचुरता, मिट्टी भौगोलिक स्थिति एवं लहराती हुई सरिताएँ ही रही हैं। आज पाश्चात्य देशों की अपेक्षा भारत आर्थिक दौड़ में पीछे रह गया है, इसका मूल कारण प्राकृतिक साधनों का उचित उपयोग न होना ही है। एम० एल० डार्लिंग ने टीक ही लिखा है—

‘भारत की सबसे विशेष बात यह है कि उसकी भूमि उर्ध्वर है और उसके निवासी निर्धन।’^२

भारतवर्ष चार प्राकृतिक विभागों में बांटा जा सकता है—(१) उत्तर का पहाड़ी प्रदेश, (२) गगा चिन्हु का उच्ची मैदान, (३) दक्षिण का पठारी प्रदेश, (४) समुद्रतटीय मैदान। इन चारों भागों के निवासियों के रहन सहन, आचार-विचार, उद्यम तथा उद्योग, राजनैतिक तथा सामाजिक व सास्कृतिक स्थितियों में भिन्नता पाई जाती है। यह भिन्नता प्राकृतिक वातावरण के प्रभाव का स्फट प्रतिविम्ब है। प्रत्येक राष्ट्र के प्राकृतिक वातावरण में निम्नलिखित बातों का समावेश होता है—

^१ ‘Ultimately man must depend upon the natural Gifts in land and water, in air, lig it and heat’—Prof Marshall

^२ ‘The most arresting fact about India is that her soil is rich and her people are poor’—M. L. Darling

- (१) जलवायु
- (२) मिट्टी एवं मैदान
- (३) पर्वत
- (४) नदियाँ
- (५) वन सम्पत्ति
- (६) खनिज सम्पत्ति
- (७) समुद्र-नद
- (८) गौणोलिक स्थिति

जलवायु (Climate)

किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास में जलवायु का प्रमुख स्थान रहता है। देश के निवासियों ने कार्य क्षमता, रहन-सहन का स्तर, कृषि-उत्पादन, वन-सम्पत्ति, पशु एवं उद्योग घन्थे सदैव वहाँ के जलवायु से प्रभावित होते हैं। ठड़े प्रदेशों के निवासी स्वभाव से ही परिश्रमी होते हैं। उनका शरीर हृष्ट पुष्ट होने के कारण उनसे कार्य-क्षमता भी अधिक होती है और वे कठोर परिश्रम करने में सफल होते हैं। इसके विपरीत गर्म देशों के निवासी आलसी एवं दुर्बल होते हैं जिसके कारण उनसे कार्य-क्षमता भी बहुत कम होती है। गर्म प्रदेशों के निवासियों वी आवश्यकताएँ भी ठड़े प्रदेश के निवासियों की अपेक्षा कम होती हैं। गर्म प्रदेशों में साधारण की अधिकता होती है। परिणामस्वरूप गर्म देश के रहने वालों में आर्थिक उन्नति करने वी प्रेरणा का अभाव सा रहता है। ठड़े प्रदेशों में प्रकृति की कठोरता के कारण मनुष्य को कठोर परिश्रम करने के लिए बाह्य होना पड़ता है। बाल्य म प्रकृति की कठोरता ही ठड़े प्रदेश के निवासियों के लिए आर्थिक विकास की प्रेरणा है। पाश्चात्य देशों के शात्रवधान होने के कारण ही वहाँ के निवासी परिश्रमी एवं साहसी होते हैं। यही सुरक्षा कारण है कि आज पाश्चात्य देश आर्थिक सशर्त के प्रमुख पथ-प्रदर्शक हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान एवं आपृष्ठार, विश्वाल उद्योगों का जन्म एवं अधिकों की कार्यक्षमता भी पृष्ठ भूमि में पाश्चात्य जगत की जलवायु है। प्रकृति की कठोरता ने ही इन देशों के निवासियों को निरन्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर होने के लिये प्रेरणा प्रदान किया है और आज ये आर्थिक उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर पहुँचने का अन्य प्राप्त करने में सफल हो सके हैं। इसके विपरीत अफ्रीका, आस्ट्रेलिया तथा भारत में जलवायु गर्म होने के कारण यहाँ के निवासी अल्प आयु एवं आलसी होते हैं जिसके कारण इन देशों की आर्थिक प्रगति कुण्ठित हो गई है। बीरा एन्सटे (Vera Anstey) ने भारत के निवासियों की आवश्यकताओं के बारे में लिखा है—

"A handful of rice, a cotton rag, a mud hut and dung cakes for fuel constitute the only necessities "

आवश्यकताएँ ही आविष्कार की जननी हैं और मनुष्य को विकास के लिए सदैव प्रेरणा प्रदान करती रहती हैं। आवश्यकताएँ कम होने के कारण ही भारतीय दृष्टिकोण भौतिकवाद और नहीं हा और आबूजह मौतिक जगत् में सबसे पिछड़ा हुआ है।

भारत में कृषि उद्योग का प्रमुख स्थान होने का श्रेय जितना मैदानों के विस्तार का हे उतना ही यहाँ की जलवाय को है। यदि यहाँ वर्षा न होती तो यह देश मध्यमित्र होता। इतना होते हुए भी भारतीय कृषि उद्योग पिछड़ा हुआ है। इसका कारण भी जलवाय ही है। भारत में वर्षा मानसून द्वारा होती है और मानसून वर्षा बड़ी ग्रनि शिचत रहती है। मारतीय कृषि को "वषो में खुग्राँ" कहा गया है। मानसून किसी भी समय कृषि पर तुशारापात कर सकता है। गर्म जलवायु के कारण ही भारतीय किसान आलसी होते हैं। वर्षा की अनिश्चितता के कारण किसान निराशावादी एवं भाग्यवादी उत्तरण है। परिणामस्वरूप कृषि उद्योग का पिछड़ा होना स्वामाधिक ही है। यही नहीं कभी कभी वर्षा की अधिकता के कारण बाढ़ द्वारा फसलें नष्ट हो जाती हैं।

महामारियों का प्रकोप

वर्षा के दिनों में तथा उसके बाद जलवायु में नमी होने के कारण मलेरिया पैलाने वाले मच्छर पैदा हो जाते हैं जिसके कारण मलेरिया का प्रकोप अत्यन्त मीठण रूप ले लेता है। लाखों मनुष्य बाल के गाल में चले जाते हैं और जो बच जाते हैं उनकी कार्यक्षमता बहुत घट जाती है। परिणाम स्वरूप उत्तादन में उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार अन्य महामारियों—चेचक, हैजा, इन्सुलुएन्जा इत्यादि का भी प्रत्येक वर्ष प्रकोप रहता है।

उद्योग धन्वे

उद्योग धन्वे पर भी जलवायु का अत्याधिक प्रभाव पड़ता है। बहुत से उद्योगों का स्थान तथा विकास जलवायु पर निर्भर होता है। उदाहरणस्वरूप सूती उद्योग के लिए नम जलवायु की आवश्यकता है। यही कारण है कि बम्बई तथा अहमदाबाद में इस उद्योग का कन्द्रीयकरण हो गया है। यही नहीं गर्म देश होने के कारण यहाँ हमेशा सूती बलों की माँग अधिक रही है और यह उद्योग अति प्राचीन समय से चला आ रहा है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि जलवायु ही मनुष्य के आर्थिक जीवन को दालती है। यद्यपि आज मनुष्य ने वैज्ञानिक प्रगति के कारण मानसून, शीत तथा गर्मी के उग्र एवं विनाशकारी रूप पर नियन्त्रण कर लिया है, तथापि प्रकृति आज भी अजेय है और मनुष्य की विशाल योजनाओं को इस भर में छिन्न मिन्न करने की क्षमता रखती है। भारतीय साध्य-सकट इस यात का जीता-जागता सबूत है। राष्ट्रीय सरकार के अक्षय प्रयत्नों के होते हुए भी खाद्य-सकट की समस्या आज भी भीषण रूप धारण किये हुए हैं और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का भविष्य अपकारमय बना दिया है। यह सब प्रकृति के प्रकोप, विद्युती कुपित भ्रूमणिमा मानव की विशाल रोजनाओं को क्षण भर में नष्ट करने की क्षमता रखती है, के कारण ही है।

मिट्टी एवं मैदान (Soil and Plains)

किसी भी देश की मिट्टी से वहाँ के आर्थिक विकास का बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है। कृषि, उद्योग तथा उत्पादन देश की मिट्टी पर ही निर्भर होता है। हमारे देश में मुख्यतः नार प्रकार री मिट्टी पाई जाती है—लाल मिट्टी, काली मिट्टी, दुमट मिट्टी तथा लैटराइट मिट्टी। इन मिट्टियों में विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक रसायन पाये जाते हैं। मिट्टी की भिन्नता पर ही उस मिट्टी से उत्पन्न होने वाली वस्तुओं तथा उनकी विस्तृत में भिन्नता होती है। इन मिट्टियों पर ही विभिन्न उत्पादित वस्तुओं पर ही विभिन्न प्रकार के उद्योगों का विकास निर्भर होता है। भारत में जूट उद्योग का केन्द्रीयकरण नगाल राज्य में हुआ है। इसका नुख्य कारण नगाल में जूचे जूट का उत्पादन है। वास्तव में मिट्टी ही उत्पादन का प्रथम साधन है तथा किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास की गृह्य आधार शिला है। हमारे देश में, जो प्रधानतः एक खेतिहार देश है तथा जहाँ ८५ प्रतिशत से भी अधिक व्यक्ति प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर हैं, मिट्टी का महत्व और भी अधिक है।

उद्योग, व्यापार एवं यातायात इत्यादि का विकास मैदानों पर निर्भर होता है। यही कारण है कि मैदानों के निवासी पहाड़ के निवासियों की अपेक्षा अधिक सम्बन्ध होते हैं। आर्थिक क्रियाओं की जितनी सुविधाएँ मैदानों में उपलब्ध होती हैं उननी पहाड़ों वा रेगिस्तानों में नहीं हो सकती। मैदानों में ही रेलों, ट्रक्कों, नहरों इत्यादि का निर्माण आसानी एवं सुविधा से किया जा सकता है। यही कारण है कि मैदानों में जनसंख्या का घनत्व समस्ये अधिक रहता है। अम की गतिशीलता अधिक होने के कारण मैदानों में उद्योगों का विकास होता है।

हमारे देश का उत्तरी मैदान ग्रन्याधिक उपजाऊ है। वह मैदान प्राचीन समय से ही अपनी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं सास्कृतिक विकास के लिये

प्रसिद्ध रहा है। देश के सभी प्रमुख उद्योगों के लिए कन्ना माल इन्हीं मैदान से ही प्राप्त होता है। इन्हीं मैदानों में ही भारत के प्रमुख उद्योग केन्द्रित हैं और विभिन्न प्रकार के यातायात के साधनों से भरपूर है। इन्हीं मैदानों की आर्थिक सम्भवता के फलस्वरूप यहाँ के धन एवं दैमव से आकर्षित हो कर विदेशियों ने इस देश पर घार घार आक्रमण किये जिसका प्रभाव हमारे राष्ट्र के आर्थिक विकास पर पड़ता रहा। समस्त विश्व को चकित कर देने वाले कवि, सर, विद्वान् एवं दार्शनिक इन मैदानों की ही देन हैं। वात्तव में मैदान ही किंची भी राष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक एवं सांख्यिक विकास के बेन्द्र हैं।

पर्वत (Mountains)

किंसी भी राष्ट्र की आर्थिक सम्भवता में वहाँ के पहाड़ों का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहता है। पहाड़ी देशों के रहने वाले प्राय निर्धन होते हैं। पहाड़ी नूमि होने के कारण इसी एवं आनुनिक उद्योग धन्यों का विकास समव नहीं होता। आवागमन के साधनों का विकास भी नहीं हो पाता। आवागमन के साधनों के अमाव में सम्भवता में भी पहाड़ी लोगों का पाछे रहना स्वभाविक ही है क्योंकि उनका समर्व सम्भव बगत से नहीं रह पाता। प्रत्येक राष्ट्र में मैदान के रहने वालों के लिए पर्वत एक अनूल्य निषि हैं। प्राय सभी नदियों का धोत पर्वत ही हैं। इन्हीं नदियों पर किंसी भी राष्ट्र की आर्थिक सम्भवता निर्मर है। पर्वत खनिज एवं बनों के ल्य में भी किंसी भी राष्ट्र के ग्रीष्मीयिक भित्ति की नुस्ख आधार-शिला हैं।

भारतवर्ष में तो पहाड़ों का आर्थिक विकास में और भी महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि मानसून की वर्षा हिमालय की उत्तरग पर्वतमालाओं के कारण ही होती है। यदि हिमालय पवत न होता तो कदाचित् सारा भारत ही मदनूमि होता। भारतवर्ष उत्तर में लगभग १५०० मील लम्बी तथा २०० मील चौड़ी हिमाल्यादित पर्वत मालाओं से जिरा हुआ है। मध्य भारत में विन्ध्याचल, सतपुड़ा तथा अरावली की पहाड़ियाँ पाइ जाता हैं। दक्षिणी भारत के समुद्रवर्तीय मैदान पूर्वी और पश्चिमी घाट की पर्वतमालाओं से पूरे हैं।

उत्तरी दुर्गम पर्वतमालाएँ सदैव भारत को विदेशीय शत्रुओं से रक्षा प्रदान करते रही हैं। यही कारण है कि हिमालय को भारत का प्रहरी कहा गया है। विदेशी आक्रमणों से रक्षा प्रदान करके हिमालय ने भारतीय सम्भवता एवं सत्त्वांति जी रक्षा की है। देश में याति एवं सुरक्षा प्रदान करके हिमालय ने हमारे देशवासियों को अपेना भौतिक एवं आप्यात्मिक विकास के लिए स्वर्ण अवसर प्रदान किया है। यही नहीं

यह पर्वत उच्चर से आने वाली ठढ़ी हवाओं से भी रक्षा प्रदान कर भारत के आर्थिक नियोग में सहायक सिद्ध होता है।

भारत के पहाड़ों से ही यहाँ के देशवासियों को गगा, यमुना, सिंधु तथा ब्रह्मपुर आदि नदियों की उपलब्धि हुई है। यही सीरिताएँ अनन्त भाल से देश को सुख एवं समृद्धि दितरित कर रही हैं। भारत के मेदान इन्हीं नदियों द्वारा लाई हुई मिट्टी से बने हैं। भारतीय दृष्टि तथा आर्थिक व्यवस्था इन्हीं नदियों की कृता का परिणाम है।

हिमालय के जगलों पर बहुत से उच्चोग धरे निर्भर हैं। इन्हीं जगलों से विभिन्न प्रकार की मूल्यवान लकड़ी उपलब्ध होती है। इन्हीं पहाड़ों पर बड़े बड़े चरागाह भी पाये जाते हैं जहाँ भेड़े इत्यादि जानवर पाल कर बहुत लोग अपनी जीविका चलाते हैं।

पहाड़ी जलवायु के कारण वे पहाड़ स्वास्थ्य-केन्द्र के रूप में भी मानव को बहुत अधिक लाभ पहुँचाते हैं। रमणीक प्राकृतिक दृश्यों की प्रजुतियाँ भनुव्य वो वरप्रद अपनी और आवर्तित वरती रहती हैं। गर्भियों में लू एवं सूर्ख की प्रचड़ किरणों से हुटकारा पाने के लिए इजारों की सख्ता में लोग इन्हा रमणीक स्थलों की गुरण लेते हैं और स्वास्थ्य-लाभ प्राप्त करते हैं।

इस प्रकार यह स्फूर्त है कि पर्वत ही भारत की आर्थिक व्यवस्था के मूलस्तम्भ हैं। हमारे देश की वर्षा, नदियाँ, कृषि, उद्योग एवं जलविद्युत के भावी स्रोत इन्हीं पर निर्भर हैं।

नदियाँ (RIVERS)

प्राचीन भाल से ही नदियों की धाटियाँ सम्पत्ति एवं आर्थिक सम्भवता के लिये विख्यात रही हैं। इतिहास के पृष्ठों से स्पष्ट है कि गङ्गा सिन्धु भी धाटियाँ भारत में, नील नदी सिंधु में प्रवाहित होती थीं। आदि भाल से सम्पत्ति, यस्तुति एवं आर्थिक वैभव का केन्द्र रही है। आज के ग्रीष्मोगिक जगत के लिये नदियाँ अमूल्य निधि हैं। किसी भी राष्ट्र की कृषि, आन्तरिक जलमार्ग एवं जलविद्युत का उत्पादन नदियों पर ही निर्भर है। बाल्व भी नदियाँ राष्ट्र स्तरीय शरीर की रक्तधाहिनी नाड़ियों के समान हैं जिनपर ही सम्पूर्ण राष्ट्र का जीवन निर्भर है।

भारत सदा से कृषिवायन देणे रहा है। इच्छा नूल कारण भारत की विशाल नदियाँ ही हैं। प्राचीन समय में भारत का व्यापार इन्हीं नदियों द्वारा ही होता था। आज भी भारत की सम्पूर्ण सिन्हाइ-व्यवस्था इन्हीं नदियों पर आधारित है। गङ्गा सिन्धु का मैदान इन्हीं नदियों द्वारा लाई हुई मिट्टी से बना है।

आन्तरिक जलमार्ग के रूप में सहायक होकर भारत की नदियों ने यहाँ

के व्यापार एवं वाणिज्य को सदैव प्रोत्साहन प्रदान किया है। यही कारण है कि नदियों के किनारे ही प्राय बड़े नगर एवं व्यापार केन्द्र स्थित हैं।

आज भारत बहुमुखी सिंचाई एवं जलविद्युत योजनाओं द्वारा अपनी आर्थिक मोर्चा का द्वारा खोल रहा है। ये बहुमुखी योजनाएँ भारतीय सरिताओं दी ही देन हैं। जलविद्युत के उत्पादन द्वारा भारत श्रीदोगक जगत में निरन्तर प्रगति करता चला जा रहा है। वात्सव में भारत का भावी आर्थिक विकास इन्हीं योजनाओं की सफलता पर अवलम्बित है और ये योजनाएँ सरिताओं की देन हैं। भारत की नदियाँ भारत के आर्थिक विकास की अभिभूत अग्र हैं, इसमें स देह नहीं।

वन सम्पत्ति (Forests)

वन किसी भी राष्ट्र की अमूल्य सम्पत्ति है। प्रत्येक देश के आर्थिक विकास म प्राकृतिक वनस्पति का महत्वपूर्ण योग रहता है। मूल्यत मारतवर्ष ऐसे कृषिप्रधान देश के लिये वनों का महत्व अतुलनाय है। हमारे देश में चार प्रकार के वन हैं— सदाचहार, पतझड़ के बृक्षों वाले, मानसूनी तथा देल्टाओं के वन। भारतीय वनों का कुल क्षेत्रफल ६३२ लाख एकड़ है। इन वनों से भारत को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष अनेक लाभ होते हैं। वन सम्पत्ति के पूर्ण एवं उचित उपयोग पर ही भारत की आर्थिक प्रगति की गति निभर है।

वनों का आर्थिक विकास पर प्रभाव

नदियों की बाढ़ों की भयकरता में कमी हो जाती है, क्योंकि जल का प्रवाह पेड़ों की सघनता से धीमा हो जाता है तथा जल आगे की ओर नहीं बहने पाता। नदियों की बाढ़ का पानी वनों में फैल जाता है। इस तरह नदियों से होने वाला नुकसान कम हो जाता है। जल प्रपाह की गति धीमी हो जाने के कारण मिट्टी का कटाव (Soil Erosion) भी कम होता है।

वनों से भूमि का उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। पेड़ों से गिरने वाली सभी गली पत्तियाँ अमृत म वनस्पति अश की बुद्धि करती हैं। यही मिट्टी पानी द्वारा आसास की भूमि पर पैल जाती है और सर्वत्र उपजाऊ मिट्टी का वस्तार हो जाता है।

वर्षा की अधिकता भी वनों की ही देन है, क्योंकि पेड़ों की पात्तियों से जल का वापीरण होता रहता है। इस प्रकार वायुमंडल म नमी अधिक हो जाती है और वर्षा अधिक होने की सभावना रहती है।

वनों से हमको ईंधन की लकड़ी, इमारती लकड़ी, जड़ी बूटियाँ, गाढ़, लाख एवं रबड़ इत्यादि वस्तुएँ प्राप्त होती हैं। चमड़ा रगने के पदार्थ भी कई जगती बृक्षों की छालों, पत्तियों तथा फलों से प्राप्त होते हैं। खुशबूदार तेल

भी विभिन्न जगली घासों एव लकड़ी से निराले जाते हैं। इनमें मुख्य चर्कदन का तेल, तारपीन का तेल, लेमन प्राच तेल आदि हैं।

वनों में अनेक प्रकार के जगली जींज पाए जाते हैं जिनका शिकार किया जाता है। शिकार से देवल लोगों का मनोरञ्जन ही नहीं होता, बरन् गोश्त, साल, खींग, समूर इत्यादि बहुत प्राप्त होती हैं। हाथी दाँत का उपयोग वो बहुत सी बहुत बनाने में होता है।

देश के व्यावसायिक विकास में वन सम्बन्धी उद्योगों का विशेष महत्व है। ये उद्योग भारत में लाठों व्यक्तियों की जटिला द साधन हैं। लगभग २५ लाख व्यक्ति इन घन्हों में लगे हुए हैं। अतिरिक्त हजारों व्यक्ति देखे हैं जो अपना अवकाश का समय इन घन्हों में लगाते हैं जब कि उनका प्रधान व्यवसाय खेती है। यनों पर आधारित मुख्य उद्योग ये हैं—कागज उद्योग, लाल उद्योग, दिवालीलाइ उद्योग, रेशम उद्योग, नारियल सम्बन्धी उद्योग, खेल का सामान, लकड़ी उद्योग, कत्था उद्योग, प्रामोभेन रेकर्ड, वार्निश का तेल, बैठ उद्योग, बाँस उद्योग, सुपारी तथा रबड़ उद्योग इत्यादि।

उपर्युक्त विवेचन के स्पष्ट हैं कि वन सम्बन्धी उद्योग भारत की आर्थिक व्यवस्था के प्रधान ग्रंथ हैं। वनों के प्राप्त लाभों के द्वारा राष्ट्रीय आव में वृद्धि सम्भव है। यही कारण है कि हमारी राष्ट्रीय सरकार इस महत्वपूर्ण आर्थिक साधन के विकास के लिए प्रयत्नशील है। वन सम्बन्धी अन्वेषण (Research) की व्यवस्था के लिए देहरादून में वन शोध संस्था (Forest Research Institute, Dehradun) स्थापित किया गया है। आर्चन वाल में भारत के बहुत कड़े भाग पर वनों का वित्तार था। परन्तु धीरे धीरे वन हजारों का हास होता गया और अब तो मारत के २० प्रतिशत भाग पर वनों रा मिलात है गया है। प्राकृतिक वनस्पति के ज्ञेन का उत्तरोत्तर घटते जाना ब्रेवस्कर नहीं है जबकि आर्थिक विकास में इसका महत्वपूर्ण योग रहता है। यही कारण है कि प्रथम पचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने वनों के सरक्षण को उचित स्थान प्रदान किया। विरास योजनाओं के पल-स्वरूप सन् १९५६ तक वनों का क्षेत्रफल २२ प्रतिशत तक पहुँच गया। सरकार की योजना इस प्रदिशत की ३३ तक पहुँचाने की है। इस प्रकार भारत सरकार वन-सम्पद के रक्षण, सदुपयोग तथा परिवर्द्धन की ओर प्रयत्नशील है और विविध दिशाओं में पर्याप्त ज्ञान भी ही रहा है। आगा ही नहीं बरन् पूर्ण विश्वास है कि भविष्य ने भारतीय वनों के ज्ञेन का निष्पार बोगा और वनों का सदुपयोग वरके इन पर निर्भर उद्योगों का उन्नति विकास सम्भव हो सकेगा। प्रत्येक नई वन-महोत्तम मनाया जाता है जिसके जन-चापारण या घरान वन सम्पत्ति के महत्व

की ओर आकृष्ट होता है और वनों की उन्नति की योजनाओं की ओर सजगता उत्पन्न होती। तृतीय पचवर्षीय योजना में वन विकास पर ७० करोड़ रुपया व्यवहरने की व्यवस्था की गई है, जबकि प्रथम पचवर्षीय योजना में १० करोड़ तथा द्वितीय आयोजन में २२ करोड़ थी।

खनिज सम्पत्ति (Minerals)

भूमि के गर्भ में छिपी हुई प्राकृतिक सम्पत्ति आधुनिक युग के आर्थिक वैभव एवं सम्पन्नता की मुख्य आधार रिलाहै। प्रत्येक राष्ट्र के उत्तोग धर्ष, व्यापार, यातायात और बहाँ के गहने बालों का इहन सहन का स्तर खनिज पदार्थों की प्रचुरता पर ही निर्भर है। इन्हलैंड की औद्योगिक कान्ति का मूल कारण लोहे एवं बोयले की यानें रही हैं। सोना, चाँदी, तामा इत्यादि अन्य धातुएँ भी किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास के आवश्यक अग्रह हैं। आधुनिक युग में मानव की आँखें अणु शक्ति (Atom Energy) के चमत्कारों की ओर लगी हैं। अणु शक्ति का विकास भी खनिज पदार्थों पर ही निर्भर है क्योंकि 'थोरिनम' यरनियम मूल्यवान खनिजों से ही अणु शक्ति बनता है। लोहा एवं इसात वाम्तव में बैबल औद्योगिक ढाँचे वा मूलाधार हैं वरन् आधुनिक जगत के प्रत्येक द्वेष में जीवन सचार वरता है। राष्ट्रीय सुरक्षा, औद्योगिक प्रगति, परिवहन, वैज्ञानिक कृषि-इत्यादि सभी इसी पर निर्भर हैं।

भारत भी खनिज पदार्थों की दृष्टि से पर्याप्त रूप में सम्पन्न है। अति प्राचीन समय से ही हमारे देश में लोहे एवं इसात का प्रयोग होता रहा है। वेदों में अन्य धातुओं का भी वर्णन मिलता है। परन्तु अभाववश राजनीतिक परतन्त्रता के कारण हम खनिज सम्पत्ति का उचित उपयोग नहीं कर सक। यही कारण है कि भारत के औद्योगिक विकास की गति बहुत मन्द रही। भारत की औद्योगिक आवश्यकता की पूर्ति के लिये यहाँ पर्याप्त खनिज पदार्थ उपलब्ध हैं। इनमें मुख्य रूप से ये हैं—इसात, कोपाइट, मैग्नीज, शीशा, चूना, जिप्सम, कोयला, राइनाइट, तथा ताँबा। राष्ट्रीय सरकार देश की खनिज सम्पत्ति के विकास के प्रति सुवग है और इसी पर राष्ट्र का न बैबल औद्योगिक एवं आर्थिक विकास, वरन् राजनीतिक सुरक्षा एवं देशवासियों का सुल एवं शान्ति अवलम्बित है।

समुद्रतट (Coast line)

समुद्रतट की बनावट का भी प्रभाव किसी देश के आर्थिक विकास पर ग्रत्याधिक पड़ता है। समुद्रतट जहाँ जहा पर कटे फटे हैं वहाँ पर वह जहे बन्दरगाह एवं व्यापारिक केन्द्र स्थित हैं। विदेशी व्यापार के लिये समुद्र ही मुख्यता यातायात के

साधन हैं। इन्हलैंड तथा हॉलैंड के विश्व में समुद्र समुद्रीय-शक्ति प्राप्त करने का अन्य यहाँ के समुद्रतट को ही है। समुद्रीय-शक्ति के कारण ही इन्हलैंड अपना इतना बहु राष्ट्र कायम कर सका जिसमें सूर्य ही न अस्त होता हो। आब भी इसी शक्ति के कारण इन्हलैंड को विश्व के वाणिज्य एव व्यापार में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार ही किसी भी राष्ट्र के औद्योगिक विकास का अभिज्ञ श्रंग है और उस राष्ट्र के आर्थिक विकास वी मूलभूत आवश्यकता है और वह उमुद्राय शक्ति पर ही निर्भर है। जितनी ही तट-रेखा लम्बी होगी उतने ही आधिक बन्दरगाहों का विकास सम्भव हो सकेगा।

समुद्रिक मछुलियों के पकड़ने के केन्द्रों का विकसित होना भी अच्छे समुद्रतट पर निर्भर होता है। मछुली पकड़ने का उद्योग न बेबल मछुली पकड़ने वालों की जीविका का साधन ही होता है बरन् राष्ट्र वी खाद्य समस्या को हल करने में भी सहायक दिल्ली होता है।

समुद्र से प्राप्त होने वाली विभिन्न वस्तुओं के प्रयोग करने वाले अनेक उद्योग-घरों का विनास भी समुद्रतट पर ही निर्भर है। मोती, मौगा इकट्ठा करना, नमक बनाना इत्यादि समुद्र की देन हैं।

भारत के समुद्रतट की लम्बाई २५०० मील है, परन्तु यह लगभग सपाट होने के कारण अच्छे बन्दरगाहों से विहीन है। यही कारण है कि हमारी राष्ट्रीय सरकार बन्दरगाहों का विकास में सलग्न है और इनके विकसित हो जाने पर निःसंदेह भारत पूर्वीय गोलार्द्ध में अपनी केन्द्रीय स्थिति के कारण वी एक महान समुद्रीय शक्ति प्राप्त कर सकेगा।

भौगोलिक स्थिति (Geographical Location)

किसी भी देश की भौगोलिक स्थिति अर्थात् समुद्र से दूरी, भूमध्य रेखा से दूरी यह की ऊँचाई तथा निचाई तथा पहाड़ों वी स्थिति इत्यादि का प्रभाव यहाँ के आर्थिक विकास पर पड़ता है। समुद्र की सतह से ऊँचाई पर ही भूमि की बनावट और उर्वरक्ता निर्भर है। इसी पर प्रत्येक देश की जलवायु तथा वर्षा का परिमाण निर्भर होता है।

भारतवर्ष की स्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण है जिसका प्रभाव यहाँ के वाणिज्य, सुरक्षा तथा जलवायु पर पड़ा है। हमारा देश पूर्वीय गोलार्द्ध के मध्य में स्थित है। दक्षिण में यह तीन तरफ समुद्र से घिरा है तथा उत्तर में दुर्गम पर्वत अण्णियों से। इसकी स्थिति दो अतिरिक्त प्रवान द्वीपों के मध्य है। पूर्व में बहुत धने वाले हुए नम भाग (बर्मा, चीन, मलाया, इण्डोचीन, इण्डोनेशिया, तथा बायान) और पश्चिम में बहुत कम धने वाले

हुए शुष्क मास जो कि औद्योगिक टृष्णि से भी विछुड़े हुए हैं। इतनी महत्वपूर्ण स्थिति बदाचित भविष्य में इसे एक वैमवशाली राष्ट्र बना दे सकती है। पूर्वा गोलार्द्ध में यह मार्खीय महासागर के समुख मध्य की स्थिति प्राप्त करता है। प्राचीन व नवीन विश्व के मध्य जलमार्गों का पथ प्रदर्शक यही देश है, क्योंकि इसके पश्चिम में अफ्रीका तथा योरोप, और दक्षिण में आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तथा पूर्व में थाईलैंड, चीन, जापान, और अमरीका स्थित हैं। अतर्राष्ट्रीय व्यापार के टृष्णिकोण से यदि देखा जाय तो अपने देश की स्थिति बड़ी लाभदायक है। भौगोलिक स्थिति के कारण ही भारत अब भी पुनः समृद्धशाली बनने के प्रयास म वडी सफलता प्राप्त कर रहा है। भारत का आर्थिक एवं सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास का इतिहास भारत की भौगोलिक स्थिति के बहुस्थल पर ही लिखा हुआ है।

उपसहार (Conclusion)

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रत्येक राष्ट्र का आर्थिक वैभव एवं सम्पन्नता वहाँ के प्राकृतिक वातावरण की देन है। भारत का अतीत, वर्तमान एवं भविष्य भारत की प्राकृतिक परिस्थितियों का ही प्रतिचिन्ह है। राजनैतिक दासता की शृखलाओं में जकड़े होने के कारण भारत अपनी अमूल्य एवं असीम प्राकृतिक देनों का पूर्ण उपयोग न कर सका और फलस्वरूप अन्य उच्चतिशील राष्ट्रों की अपेक्षा आर्थिक दौड़ में पीछे रह गया। आज स्वतंत्रता प्राप्त करने के उपरान्त भारत अपने नवनिर्माण के पथ पर चल पड़ा है और अतीत के उच्च गौरव को पुनः प्राप्त करने की आशाएँ सक्रिय हो उठी हैं। परन्तु भारत के आर्थिक मोक्ष का स्वप्न यहाँ के प्राकृतिक साधनों के उचित उपयोग पर ही साझा हो सकता है। भारत की आर्थिक योजनाओं की पृष्ठभूमि में यहाँ की प्राकृतिक परिस्थितियाँ ही हैं। यह प्राकृतिक परिस्थितियों का ही वरदान है कि भारत आज आधुनिक औद्योगिक युग के विशाल द्वार पर खड़ा हुआ समृद्धिशाली, उच्चतंत्र एवं गौरवमय आर्थिक स्वाधीनता की स्थापना के लक्ष्य की ओर अवाध गति से प्रगति करता चला जा रहा है। ‘हिमालय का आँगन, सागर का तट, प्रकृति का क्रीड़ा-चौप, ऋतुओं का वन विहार, वनस्पतियों का भण्डार, सुपमा और सौन्दर्य का आगार यह भारतवर्ष आज भी मोहक और आकर्षक है। आज भी यह विश्व का केन्द्र बिन्दु है और विज्ञान के कोलाहल में शान्त का अध्यात्मिक सन्देश देन के लिये उन्मुख है।’

सामाजिक व्यवस्था एवं आर्थिक विकास

(Social Environment and Economic Development)

प्रत्येक राष्ट्र के आर्थिक विकास के दो मूल स्तम्भ हैं—मानव एवं प्रकृति। इन दोनों में प्रकृति मूक एवं निष्ठित साधन है और मनुष्य जागत एवं चक्रिय। अतः मानव आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण अग्र है। रत्नगमी वसुन्धरा की उर्वतोसुखी सीमद्यू-वृद्धि के लिए मानव का अधिक परिश्रेण आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। मनुष्य के पराक्रम एवं पुरुषार्थ की महत्वाकाञ्चाङ्गी से ही वृद्धी शस्य श्यामला सुखला, सुफला हो उठी। मानव के इस अभिनव स्वरूप ने ही भगवान को गौरवान्वित और पुल-किय दिया है। किसी भी देश में प्रकृति अपना वरदान देने में कितनी ही दयालु क्यों न हो, जिना मानव की शक्ति के आधिक वैभव एवं उम्पन्नता खेल एक सुखद कलना ही रहती है। भारत वी आर्थिक विकास की गति मन्द होना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। भारत में प्राकृतिक परिस्थितियाँ अनुकूल होते हुए भी यह राष्ट्र अन्य उत्तरतील राष्ट्रों की अपेक्षा आर्थिक दृष्टि से अविकितित रह गया है। इसका मूल कारण यहाँ के निवासियों द्वारा अपनी प्राकृतिक देनों का पूर्ण उपयोग न बरना ही है। वेरा एन्स्टे (Vera Anstey) ने टीक ही लक्षा है —

“Here is a country of ancient civilization with rich and varied resources .and which is a byword throughout the world for the poverty of its people”

मानव सामाजिक प्राणी है। जिना समाज के मनुष्य अपना जीवन निर्धारित नहीं कर सकता। उसके प्रत्येक कार्य का प्रभाव समाज पर पड़ता है और समाज के कार्यों का प्रभाव उसके जीवन की गति को निर्धारित करता है। इस कथन में अतिशयोक्ति न होगी कि मानव समाज का दात है। यही कारण है कि समाज की धार्मिक भावना, रीति रिवाज तथा प्रथाएँ एवं सामाजिक संस्थाएँ मानव के आर्थिक विकास को शाश्वत काल से प्रभावित करते आये हैं। भारतवासियों की आधात्मिकता, उसार के प्रति उदादीनता एवं भौतिक सुखों के प्रति अवहेलना भी मानव का प्रतिष्ठित

भारत के आर्थिक विकास की मन्द गति पर स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ता है। वेरा एन्टेस (Vera Antsey) के शब्दों में—

"The religious tenets and practices in India have strictly limited her economic development in the past, and influence fundamentally future potentialities."

मानव का सामाजिक परिस्थितियों एवं उसके आर्थिक विकास के बीच सदैव से चढ़ा गहरा सम्बन्ध रहा है। प्रहृति एवं सामाजिक परिस्थितियों ने मनुष्य को धार्मिक दृष्टिकोण भी प्रदान किया है और यही कारण है कि विभिन्न प्राचुर्तिक प्रदेशों के निवासियों व धार्मिक दृष्टिकोण में भिन्नता पाइ जाती है। अनादि काल से ही मनुष्य के सामाजिक रुग्णान् एवं धार्मिक दृष्टिकोण के अनुरूप ही उसकी अर्थ-व्यवस्था भी ढलती रहा है। प्रत्येक देश ने समाज म समर्पित का वितरण, जनसंख्या का घनत्व, उद्योग धर्म तथा न्यवसाय, और मनुष्य की आर्थिक क्रियाएँ सदैव से सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित होते रहे हैं। किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिए देशवासियों की रुचियाँ एवं आकाङ्क्षाएँ ऐसी होना, जिससे वे आर्थिक विकास के महत्व और लाभों को समझ सकें और उनके लिए प्रयत्नशान हा, अत्यन्त आवश्यक हैं। आर्थिक विकास की गति बहुत कुछ इस बात पर निर्भर है कि समाज में विकास के प्रति किन्नी आकाङ्क्षा एवं उत्साह है। सामाजिक रुचियाँ एवं परम्पराएँ ग्राहिक विकास को गति दे सकती हैं, और उक्त रोक भी सकता है। राष्ट्रसभा (United Nations) ने एक समिति ने अपनी रिपोर्ट में टीक ही जिला है—

"उपयुक्त बातावरण की अनुपस्थिति में आर्थिक प्रगति असभव है। आधिक विकास के लिए आवश्यक है कि समाज में प्रगति की इच्छा हो और उसकी सामाजिक, आधिक, राजनीतिक एवं वैधानिक स्थायी इस इच्छा को कार्यान्वित करने में सहायता हो।"

भारत प्रहृति का उपासक है। सर्व, पृथ्वी, वायु, वृक्ष तथा अग्नि आदि भी उग्रसना इसी विशेषता की देन हैं। भारताय दृष्टिकोण का अभीतिक तत्वों की ओर होना एवं अन्वयित्वात् तथा लृद्वादिता का जन्म भारत की धार्मिक भावना का ही परिणाम है। यही कारण है कि अन्द्र विश्वास एवं लृद्वितों की शृखलाओं में जड़ा हुआ भारत अपने भौतिक ज्ञेय के निर्माण में असफल रहा है। भारतीय सामाजिक न्यवस्था के निम्नलिखित मौलिक अवृग हैं जो सामाजिक जीवन के विकास के प्रारम्भ से ही यही के आर्थिक विकास को पूर्णतया प्रभावित करते चले आ रहे हैं—

(१) धार्मिक दृष्टिकोण

(२) जाति प्रथा एवं रीति रिवाज

- (३) समुक्त-परिवार-प्रणाली
- (४) उत्तराधिकार के नियम
- (५) बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा।

धार्मिक दृष्टिकोण (Religion)

प्राचीन काल से ही हमारे देश में धर्म की प्रबानता रही है। मारतीय जन-जीवन सदैश से ही धार्मिक भावना से श्रोत् प्रीत रहा है। हमारे सामाजिक एवं आर्थिक समाज की मुख्य आधार शिला धर्म ही है। धर्म ही हमारे प्रत्येक सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक कार्य का पथ प्रदर्शक रहा है। धार्मिक भावनाओं के कारण ही हमारा सामाजिक एवं आर्थिक समाज न्याय, सत्य एवं अहिंसा इत्यादि के उत्तम गुणों पर आधारित था। सबल द्वारा निर्बल वा केवल शोषण ही नहीं होता था, बरन् उनकी रक्षा होती थी। ईर्ष्या, द्वेष, कलह आदि दुर्गणों वा हमारे धर्म में दोई स्थान न था। परिणामस्वरूप अतीत का भारत एक सुरगठित, शक्तिशाली एवं आर्थिक वैभव से परिपूर्ण था। धार्मिक सिद्धान्तों पर समर्पित हमारे देश की उत्तम व्यवस्था एवं आर्थिक समृद्धि ही 'रमराज्य' के नाम से आज भी विख्यात है और आज भी प्रत्येक देश का आदर्श है। सच्चे अर्थ में 'रामनाम्य' ही आधुनिक 'कल्याणकारी राज्य' (Welfare State) का प्रतिविम्ब है। अतीत काल में उच्च धर्म शान ने ही भारतजातियों के जीवन में प्रेमणा का सनार किया और मानव जीवन में कर्म एवं संघर्ष का पाठ पढ़ाया। प्राचीन भारत रा गीरव एवं भौतिक समृद्धि इस बात पा प्रतीक है कि धर्मवाद एवं अध्यात्मवाद आर्थिक समृद्धि का नाशक तथा चापक न होकर उसके सहायक थे। हमारे अध्यात्मवाद का उद्देश्य धर्म, कर्म और हस लोक तथा परलोक दोनों वी उन्नति करना था। इस प्रकार अध्यात्मवाद तथा भौतिकवाद में अति उत्तम सामर्ज्य स्थापित हो गया। परन्तु समय के व्यवृत्ति होने के साथ ही साथ मुख्लमान शासकों की धर्म परिवर्तन भी नीति के कलस्वरूप हमारा विशुद्ध धर्म लृदिवादिता एवं ग्रन्थविश्रास के बारण दूषित हो गया और हमारे आर्थिक तथा सामाजिक विरास में बाधक बन गया।

लृदिवादिता जी शृखलाओं में बैंधे हुए धर्म ने यहाँ के लोगों को बतलाया कि संसार स्वप्न है और सतोप ही सबसे बड़ा घन है। मानव सुख सतोप में ही निहित है। भौतिक एवं आर्थिक उन्नति चालक एवं पूरणास्पद है। यहाँ के देशवासियों को इन भावनाओं ने निकाम्मा एवं आलसी बना दिया और इस भावना का प्रादुर्भाव हुआ—
 “अजगर करे न चाकी, पछ्तो करे न काम,
 दास नलूका वह गये कि सबके टाता राम।”

परलोकवाद की भावनाओं ने हमारे देशवासियों को अकमश्य, अधिष्ठाता, निरक्षर भट्टाचार्य एव साहस्रीन बना दिया। परिणामस्वरूप प्रयत्न एव सघष की भावना से लुम-प्राय भारतवासी दग्धिता एव दुखमय जीवन को गिराकर ही परलोक एव स्वर्ग के सुपर्द स्वप्न देखने में निमग्न रहने लगा और अपने अतीत के गीरब एव आर्थिक सम्पन्नता को लो बैठा। भारत के प्रचुर प्राकृतिक साधनों का पूर्णरूप से उपयोग न होने का यही कारण रहा है।

धार्मिक भावनाओं एव अन्धविश्वास के कारण ही विदेशियों ने इस देश में अपना प्रभुत्व स्थापित करके भारतवासियों को दासता की शृखलाओं में जड़दे रखा और भारत के घन एव प्रचुर प्राकृतिक देनों का उपयोग करके अपने देश को वैभवशाली एव समरक बनाया। मुहम्मद गोरी ने इस देश पर आकमण किया और हम उसका स्वागत अनुल घन सम्पत्ति देकर करते रहे। परिणामस्वरूप भारत विदेशी सत्ता का शृखलाओं में सदैव बकड़ा रहा और इस देश का शोषण होता रहा। यहाँ सुगल और बाद में अग्रेब इस देश के सोने से अपना भवन निर्माण करते रहे और परिणामस्वरूप राजनैतिक दासता की मुक्ति पर सन् ४७ में हमको एक शोषित एव जबारत भारत प्राप्त हुआ।

धर्म ने ही भारत में अहिंसा एव भाग्यवादी प्रवृत्तियों को जन्म दिया है। इन प्रवृत्तियों के कारण ही भारतीय हृषि जो कि यहाँ का मुख्य उद्योग है, प्राकृतिक परिस्थितियाँ अनुदूल होते हुए भी अत्यन्त पिछड़ा हुआ है। भारतीय हृषक भाग्य वादी होने के नाते परिश्रम एव प्रयत्न से मुख मोड़कर भाग्य के सहारे बैठा रहता है। वह यह भूल बैठा है कि भगवान् उसकी ही मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं वर सकता है। अकाल, बाढ़ एव अन्य सकटों को भारतीय हृषक दैवी सकट मानकर उनसे सधर्ष करने का प्रयास नहीं करता और पलस्वरूप वह दुख एव स्फुट के गहन अघवार म जीवन व्यतीत करता रहता है। अहिंसा का उजारी होने के नात भारतीय हृषक आत्मनिक खादों का प्रयोग भी नहीं कर पाता। हाँयों की खाद को छूना भी पाप समझता है। यहा नहीं बूढ़ नैलों तथा अन्य पशुओं को भी वह जीवन प्रयत्न पालन करता है जाह उनसे उसको बितनी हा आयथ हान न टटानी पढ़े। इत्येक वष टि दुयो एव अन्य जगली पशुओं द्वारा कृष को बितनी ही हानि क्यों न हो इन पशुओं को मारना पाप समझता है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि भारत में, चूहों, बन्दरों, टिहुयों एव अन्य जगली पशुओं द्वारा लगभग ६० करोड़ रुपये की फसल प्रत्येक वर्ष बरबाद हो जाती है। इतना हात हुए भी भारतीय कृषक इनकी अराधना करता है।

भारतीय कृषक की ऋणप्रस्तवा भी बहुत कुछ धार्मिक भावनाओं का

विश्वास एवं उदार नवीन आर्थिक उन्नति की योजनाओं के प्रति उदासीनता आदि को प्रोत्साहन देता है जो किसी भी सभ्य समाज के लिये कलक है। श्रीमती वीरा एन्स्टेय (Mrs. Vera Anstey) ने टोक ही लिखा है :—

“धार्मिक प्रवृत्ति चाहे किसी भी पिशेष सम्बन्धाय से सम्बन्धित हो, भारतीय जीवन के प्रत्येक अंग में व्याप्त है, तथा रुद्रवादिता व अन्धविश्वास की जन्मदाता है, तथा प्रत्येक नवीनता का तर्कहीन विरोध करती है चाहे वह कितनी ही जागृत या उदार क्यों न हो। धर्म, आर्थिक उद्देश्यों का व्यहिष्कार करके उनके स्थान पर रुद्र एवं पूर्वस्थिति की प्रतिस्थापना करता है। पारचात्य देशों की तुलना में भारत में आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति के लिये धार्मिक विरोध को नष्ट करने से अधिक कठिनाइयाँ हैं क्योंकि यहाँ वर्तमान धार्मिक विश्वास तथा उनसे उत्पन्न हुआ विशेष सामाजिक सगठन इस उद्देश्य में वाधक हैं।”

जाति-प्रथा एवं रीति-रिवाज (Caste System & Customs)

यद्यपि मनुष्मूलि, वेद एवं गीता इत्यादि प्राचीन ग्रन्थों में जाति प्रथा का उल्लेख है, किन्तु इस प्रथा का वास्तव में कब और किस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ निश्चय-पूर्वक नहीं कहा जा सकता। प्राचीन काल से ही यहाँ क हिन्दुओं की वर्ण-व्यवस्था चली आ रही है। हिन्दुओं में मुख्यतः चार जातयाँ होती है—(१) ब्राह्मण, (२) क्षत्रिय, (३) वैश्य और (४) शूद्र। इस प्रकार की वर्ण-व्यवस्था का मूलाधार आर्थिक सिद्धांतों का आधार पर प्रारम्भिक श्रम विभाजन था। उपर्युक्त चारों वर्णों का कार्य द्वेष वाँट दिया गया था और उनके कर्मों के अनुरूप ही उन्हें विशेष वर्ण या जाति में रखा गया था। गीता में कहा गया है—“चातुर वरणं भय कृत्यम् गुण कर्म विभागशः” अर्थात् चार वर्ण मनुष्य के गुणों एवं कर्मों के अनुसार बनाये गये। इस प्रकार ब्राह्मणों का पठन पाठन का कार्य, क्षत्रियों को देश की सुरक्षा का कार्य, वैश्यों को व्यवसाय एवं वाणिज्य का कार्य, एवं शूद्रों को अन्य वर्णों की सेवा कार्य निर्धारित किया गया। कालान्तर में यह वर्ण-व्यवस्था अधिक जटिल बनती चली गई और आज हम देखते हैं कि इन चारों जातियों में विभिन्न उपजातियों का भी प्रादुर्भाव हो गया है। मध्यकाल में मुख्लमानों की धर्म परिवर्तन की नीति के फलस्यरूप सभ्यता एवं सकृदांत की रक्षा करने की भावना जागृत हुई और परिणाम स्वरूप जाति-पांति के बन्धन और भी मुट्ठा हो गये। समाज का अनेक ह्योटे ह्योटे वर्गों में उपखड़न होकर एक जाति के अन्तर्गत अनेक उपजातियाँ बन गईं। मनुष्य के पेशे के अनुसार उसकी जाति मानी जान लगी जैसे लोहे का काम करने वाला लोहार, लकड़ी का काम करने

वाला बढ़ाई, करदे धोने वाला धोबी, खाल बनाने वाला नाई इत्यादि । इस प्रकार जो मनुष्य जिस प्रकार का उच्चम करने लगा उसी के आधार पर उसी उपजाति का नाम-करण होने लगा । इस प्रकार सारा समाज विभिन्न उपजातियों में विभाजित हो गया । इस प्रकार आदि काल में यह जाति-भेद उतना सजीर्ण और समुचित नहीं था जितना आबकल है । प्राचीन समय में जाति प्रथा ने अपनी सास्कृतिक वैयक्तिकता बनाये रखने में बहुत सहायता प्रदान की है । इस प्रथा के कारण ही पारिवारिक रक्त की शुद्धता के विचार से पारिवारिक घनिष्ठता और एकता को बहुत बढ़ मिलता था । यही कारण है कि भारतीय समाज अपनी सम्पूर्णि प्रथा की रक्षा और अपनी पृथक सच्चा विदेशी आकृमणों द्वारा विश्वद्वल होकर भी बनाये रखने में समर्प हो सका । परन्तु आज विभिन्न वर्गों एवं उपजातियों के बन जाने के बारें समाज की नीति ही सोचली हो गई है और जाति पाँति की व्यवस्था एक अत्यन्त दुर्लह सामाजिक व्यवस्था बन गई है । आज वास्तव में जाति-पाँति की प्रथा समाज के मत्ये पर बलक का टीका है और विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक दुरीतियों की जन्मदाती है । ‘इम्पी-रियल गजेटियर आफ इंडिया’ में जाति की परिभाषा इस प्रकार दी गई है—

‘कुछ परिवारों अथवा परिवारों के मुख्य का वह समूह निसाज एक ऐसा नाम है जो किसी विशेष पेशे की ओर सकेत करता है अथवा उससे सम्बंधित है और जो किसी काल्पनिक मानवीय या देवी पूर्वज के वंशज होने का दावा करता है।’^१

इस प्रकार जाति प्रथा के आधारभूत दो तत्व हैं— (१) वशगत रक्त शुद्धि की भावना एवं (२) समाज में समठित अम विभाजन का विचार । परन्तु आज समाज के कुछ विशेष वर्गों ने समाज एवं अपनी सच्चा आळड बनाये रखने के उद्देश्य से अपने निहित स्वार्थों के कारण इस कुप्रथा को स्थायी रूप से जटिल बना दिया है । परिणामस्वरूप इस प्रथा के उन्मूलन के लिना अपने देश की आर्थिक प्रगति को गति नहीं प्रदान की जा सकती ।

जाति प्रथा के लाभ

इसमें सन्देह नहीं कि प्राचीन भारत की समृद्धि एवं गौरव में वर्ण व्यवस्था का बहुत बड़ा हाय था । प्राचीन समय में भारत की आर्थिक समझता एवं औद्योगिक विकास का भ्रेय जाति प्रथा को ही है । प्राचीन काल में जाति पाति की व्यवस्था अनुभूत एवं वैशानिक समाजवाद के सिद्धान्तों पर आधारित थी । इसके द्वारा विभिन्न

¹ ‘A collection or group of families bearing a common name and having the same traditional occupation and claiming common descent from a mythical ancestor’—Imperial Gazetteer of India

उद्योगों के उत्पादन एवं उत्पादित वस्तुओं के वितरण में अत्यन्त लाभदायक सामर्ज्जस्य स्थापित होता था । भारतीय प्रायमिक उद्योग धर्मों की समृद्धता एवं आर्थिक स्वर्ण युग की आवारणिला जाति पाँति की व्यवस्था ही थी । इस प्रथा से समाज को निम्न लिखित लाभ प्राप्त होते थे—

अम विभाजन के लाभ

जाति प्रथा अम विभाजन के लाभों को प्रदान करक राष्ट्रीय आय में बढ़ि वा मुख्य साधन है । प्रत्येक व्यक्ति दो उक्तकी जाति के अनुरूप ही काय मिलने के कारण प्रारम्भ से ही उसकी चचि उप कार्य म होने लगती है । एक विशेष निर्धास्ति कार्य करने के कारण प्रत्येक व्यक्ति की कार्यक्षमता भी ग्राघबतम रहती है ।

प्रशिक्षण की सुविधा

जाति व्यवस्था के जन्मजात होने के कारण प्रत्येक शिशु अपने पिता से बाल्यकाल से ही अपने सानदानी उपम में अति उच्च प्रशिक्षण प्राप्त करता था । वह क्रम निरन्तर चलता रहता था । स्वयं अपने स्थान पर ही श्रमकों को प्रशिक्षण की मुावधा उपलब्ध रहती थी और उसी बातावरण म नित्य प्रति रहने के कारण श्रमिक अपनी बला में दब्ह हो जाता था । इसका प्रमाण राष्ट्र के उत्पादन पर पड़ता था और साथ ही साथ श्रमिक की आर्थिक समृद्धि पर भी ।

बला एवं कौशल की रक्षा

भारतीय बला कौशल की समृद्धि एवं उसकी रक्षा का श्रेय भारतीय वर्ण व्यवस्था को ही है । जाति पाँति की प्रथा के कारण ही प्राज हम देखते हैं कि प्राचीन उद्योग धर्म विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक क्रान्तियों के होते हुए भी आज भारत में विद्यमान हैं । जाति प्रथा के कारण प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जाति के ग्रनुसार पेशे को अपनाना अनिवार्य था । इसना परिणाम यह हुआ कि पूरबजों का बला कौशल परम्परागत स्थानादरित होता चला गया । प्रो० जाथर एवं बेर (Profs Jathar & Beri) के शब्दों में—

'The caste system has preserved the wonderful mechanical skill and dexterity of the artisan class in the face of foreign competition. It helped the Hindu Society to face the shocks of political invasions.'

आपसी प्रेम भावना एवं प्रतिस्पर्द्धी का अभाव

एक विशेष जाति के लोग एक ऐसे सहकारी सघ के रूप में होते थे जिसमें प्रत्येक सब के लिए और सब प्रत्येक के हितों की रक्षा में वन, मन, धन से लगा रहता था । एक विशेष जाति का व्यक्ति अपने स्वार्थों का त्याग समाज हित में

कर देता था। एक ही प्रकार के लानपान, चेश-भूपा एवं रीति-रिवाजों और सामाजिक बन्धनों के कारण आपस में मेल-मिलाप एवं सद्भावना का होना स्वाभाविक ही था। इसके कारण पारस्परिक हानिकारक प्रतिस्पर्धा को प्रोत्याहन नहीं मिलता था। जाति एक नुटक एवं समिति सहकारिता समठन स्थापित करके कम से कम त्याग से अधिक से अधिक लाभ के उद्देश्य में उक्लता प्राप्त करने म जाति के सदस्यों की सामूहिक सहायता प्रती थी। जाति वह प्रभावशाली समठन था जिसने टुर्बलों की शोषण से रक्षा होती थी और सन्यता एवं सस्तति के उच्चवल आदर्श जो चीज़ित रखने की क्षमता प्राप्त होती थी। जातिगत श्रेणियाँ समिति अधिकारी व शिल्पियों के समूहों के रूप में विकसित हो गई। मण्डकालीन योरोप में भी इसी प्रकार की श्रेणियों (Guilds) का प्रारुद्धारा हुआ था। भारत में जाति प्रथा जो अधिकाश में पेशों पर आधारित है वास्तव में महान् सहकारिता प्रणाली है। इस प्रकार जातियाँ सहकारी मृण समितियों के रूप में, अमिक संघों, रोजगार कार्यालयों तथा पच अदालतों वा फार्म बनती रही हैं। श्री एस० लो (Mr. S Low) के शब्दों में —

“The caste organization is to the Hindu his club, his trade union, and his benefit society”

इस प्रकार अत्यन्त प्राचीन काल में जाति-गांति की प्रथासे मारकीय आर्थिक विरास में बड़ी सहायता मिली और इसी के परिणामस्वरूप अशोक, चन्द्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य एवं महाराज हर्षवर्द्धन के समय म भारताय आर्थिक विकास अपनी चरम रामा पर पहुच गया था। भारत का वह ‘स्वर्ण युग’ था।

जाति प्रथा के दोष

आधुनिक काल में समय के ग्राम्य विवरण हो जाने के कारण और नुख्यत पाश्चात्य देशों में हुए अवारहवीं शताब्दी की रक्खीन श्रीधोगिक एवं व्यावसायिक काल के पछास्वरूप भारत के सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक दाये में आनंदलूप परिवर्तन हो गये। इस परिवर्तित वातावरण में हमारी पौराणिक जाति-पाति वा व्यवस्था बदल देकार ही नहीं हो गई, बरन् इसने प्रत्येक रूप से हमारे आर्थिक विकास में रोड़े अटकाये हैं। जाति-नाति की प्राचीन प्रथा के चरूप में परिवर्तन हो जाने के कारण भी इस व्यवस्था के बेतभी गुण जिनका ऊपर विवेचन किया जा चुका है प्रायः लुप्त हो गये हैं और इह प्रथा ने सामाजिक एवं आर्थिक अभियाप का रूप ले लिया है। इस प्रथा के निम्नलिखित दोष हैं—

व्यक्तिगत के विकास का अभाव

जाति प्रथा के कारण ही मनुष्य को अपनी प्रतिभा को स्वेच्छा से किसी

आर्थिक या ग्रीष्मोगिक लेवर में विकसित होने का अवधर नहीं मिल पाता। इस व्यवस्था के अन्तर्गत व्यक्ति का व्यवसाय एवं रोजगार उसकी अपनी अभिश्वच पर्याप्ति द्वारा दीक्षा द्वारा निश्चित न होने उसके परिवार की पैतृक परम्परा द्वारा निर्धारित होता है। जाम द्वारा मनुष्य के उद्यम निर्धारित होने के कारण उसके प्राकृतिक, क्रियात्मक एवं रचनात्मक गुणों का जीवन में कुछ भी स्थान नहीं रहता। परिणाम-स्वरूप अम की कार्यदमता बहुत कम हो जाती है। भारतीय अम की अकुशलता के अन्य कारणों में से जाति पाति की व्यवस्था भी एक महत्वपूर्ण कारण है। मनुष्य जीवन पद्धति एक ऐसे उद्यम को करने के लिए दाख्य हो जाता है जिसके लिए उसे कोई रुचि नहीं होती और इस प्रकार उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास सदैव के लिए अवश्य हो जाता है। आर्थिक प्रगति की प्रतिभा का उचित उपयोग निरात आवश्यक है।

सहकारिता की भावना का नष्ट होना एवं पारस्परिक ईर्ष्या एवं द्वेष का जन्म

जाति प्रथा समाज को विभिन्न बगों में बाट कर उन व्यक्तियों में सहवारिता की भावना का नाश करती है। प्रत्येक अपने उद्यम की ही बात सोचता रहता है। यह व्यवस्था पारस्परिक ईर्ष्या, द्वेष एवं घृणा की भावनाओं को उत्पन्न करक समाज की आपसी वेपनस्य रखने वाले वर्णों में चाँड़ देती है। इस प्रकार व्यक्तियों में स्वार्थ की भावना जागृत होती है। इस व्यवस्था के कारण ही भारतीय समाज धनहीन व शारीरिक परिव्रक्ति करने वाले तथा धनवान व जौदिक व्यक्ति वर्ण वाले दो वर्गों में बट गया। भारतीय समाज में ऊँच नीच, धनी निर्धन एवं शोषण शापित वर्ग बन गये जो सदैव से भारत के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में बाधक रहे हैं। ऊँची “स्वर्ण” कहलाने वाली जातियों में छोटे और नीचे कामों के प्रति अवृच्छा और उदासीनता उत्पन्न हो गई। दूसरी ओर “नीची जातियों” के अद्भुत एवं समाज से बहिकृत वर्गों को अनेक व्यवसायों से बचित रहना पड़ा। श्री वाडिया एवं मचेंट क शब्दों में —

“असृश्यता की प्रथा के कारण हमारे समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग स्वातन्त्र्य, आत्मगीरव एवं स्वावलम्ब के पथ पर अप्रसर होने के अवसर से बचित रहता गया है।”

इस प्रकार जाति प्रथा ने प्रतिभा एवं आकांक्षा, तथा आकांक्षा एवं अवसर के ऊँच एक गहरी लाई प्रस्तुत कर दी है। एक ग्रोर तो ऊँची जातियों के पास प्रतिभा एवं बुद्धि है पर वे इसका उपयोग नहीं करना चाहते और दूसरी ओर नीची जातियाँ काम करना चाहती हैं पर उनके पास अवसर नहीं हैं। यह भेद भाव की भावना सदैव से भारत की आर्थिक प्रगति को रोकती रही है।

✓नीची जाति के लोगों का शिक्षित होना उचित नहीं समझा जाता। उनको

जैंची जातियों के साथ समानता का व्यवहार करने का अधिकार नहीं है। वे देवी-देवता श्रों के मन्दिरों, कुओं इत्यादि का उपयोग नहीं कर सकते। उनको केवल जैंची जाति के लोगों द्वी सेवा का ही अधिकार है। वे पूर्ण रूप से उन पर आश्रित हैं। ऐसी परिस्थितियों में यदि देश वी जनसख्या का एक बड़ा माग आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, तो इसमें आश्चर्य की बात ही क्या।

धन का विपण वितरण

जाति प्रथा के कारण नीची जातियों का शोषण होने लगा। उनको घनबान बनने का अवसर ही नहीं मिल रहा। दरिद्रता के कारण वे अपना आर्थिक विकास करने में सदेव असफल रहे और परिणामस्वरूप अधिक दरिद्र होते चले गये। दूसरी ओर उच्च जातियों के कुछ धक्कियों में ही धन का संग्रह होने लगा और वे और अधिक सम्भव बनते चले गये। धन के इस असमान वितरण के कारण अन्य आर्थिक समस्याओं का प्रादुर्भाव हुआ।

ध्रम की गतिशीलता का अभाव

विभिन्न जातियों के अधिक, कारीगरों तथा कलाकारों का पारस्परिक आदान-प्रदान रुक गया। प्रत्येक ने अन्य जाति के कारीगरों तथा अमिकों द्वी अपनी जाति में आने से रोका। जाति प्रथा के कारण ही अमिक अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर नहीं जाना चाहता व्यक्ति सामाजिक एवं सांस्कृतिक रीति-रिवाजों में मिलता होने के कारण दूसरे स्थानों पर वह अपने को एक अजनवी-दा पाता है। ऐसी परिस्थिति में अन्य जातियों से उनको कुछ भी सहयोग नहीं प्राप्त होता। इसका राष्ट्र के आर्थिक विरास दर भव्य रूप परिणाम पड़ा। हमारे राष्ट्र में आपुनिक वडे वेशाने के उद्योगों के पिछड़े होने का यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है।

समाजवादी अर्थ-व्यवस्था पर कुठाराघात

समाजवाद का मूलाधार “समानता” है। नीची जातियों के ठाथ उचित व्यवहार न होने के कारण उनके बालकों को उचित शिक्षा एवं अवसर नहीं मिल पाता। उचित एवं प्रगति के द्वारा चन्द्र होने के कारण नीची जाति के बड़े बड़े मेष्वाली बालकों द्वी भी अपनी निर्धनता एवं सामाजिक विवशताओं के कारण दीन-हीन जीवन व्यक्ति करने के लिए मजबूर होता पड़ता है। उचोगों में कुशल भमियों द्वी अभाव तथा सामान्य रूप से भारतीय अमिकों द्वी अकुशलता का मुख्य कारण हमारी जाति व्यवस्था ही है।

राजनीतिक परतंत्रवा

हमारे देश द्वी राजनीतिक परतंत्रता का मुख्य कारण जाति प्रथा ही रही है।

इसी परतन्त्रता के कारण ही भारत का सदैव विदेशियों द्वारा शोषण होता रहा और हम अपने प्राकृतिक साधनों का उचित एवं पूर्ण उपयोग करने में असमर्थ रहे जिसके कारण भारत ऐसे सम्पन्न राष्ट्र में भी दरिद्रता का गहन अन्धकार छाया रहा। भारतीय इतिहास विभिन्न जातियों के पारस्परिक सघर्ष एवं द्वन्द्व से भरा पड़ा है। महाभारत का युद्ध, राजपूतों के युद्ध, और इसी प्रकार के अन्य यह युद्ध सदैव भारत को जर्बर बनाते रहे। यही नहीं आपसी फूट एवं वैर के कारण यहाँ के शासकों ने विदेशियों को आमन्त्रित किया और अपनी स्वाधीनता की तिलाजलि दे दी। भारत में मुगलों का शासन इसी रह कलह का परिणाम था। इसी प्रकार अँग्रेजों को भी यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित करने में काठनाई नहीं उठानी पड़ी। वास्तव में सन् १८५७ का विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम समाज चिजय-पदा का फूहराता यदि आपसी फूट का बीज न पनपना। आपसी द्वेष एवं वेमनस्थता के कारण ही यहाँ शत्रुओं की दाल सदैव गलती रही और भारत राजनेतिक परतन्त्रता की दृढ़ताओं में जरूर दुश्मा विदेशी सत्ता के उत्तीर्ण एवं शोषण का बेन्द्र बना रहा। श्री वादिया एवं मर्चेन्ट के शब्दों में :—

“जाति में देव से आकांत सामाजिक व्यवस्था उस बीद्विक और नैतिक सम्पत्ति से विचित रह जाती है जो मानव कल्याण के लिए इतनी आवश्यक है। बहुत दिना तक विदेशी प्रभुत्व के बने रहने का बहुत कुछ उत्तरदायित्व पृथक्त्व, अनेकता और वैर को बल देने वाली इसी जाति प्रथा पर है।”

उद्योगों पर दुरा प्रभाव

जाति-प्रथा का प्रभाव हमारे देश के उद्योगों पर भी बहुत दुरा पड़ा। उन्न जाति के लोग शारीरिक परिश्रम करना तथा चमड़े इत्यादि के व्यापार एवं उद्योग को अपनी जाति एवं सम्मान के विशद समझने लगे। फलस्वरूप बुटीर उद्योग अधिकतर केवल ह्योटी जाति के व्यक्तियों तक ही सीमित रहे। इन लोगों में पूँजी का अभाव था और साथ ही साथ ये अशिक्षित भी थे। फलस्वरूप मरीन उद्योग की उन्नति पर कुटीर उद्योग उनका सामना करने में असमर्थ रहे और क्रमशः विनाश की ओर अप्रसर होते रहे। यही नहीं हमारे आत्मनिक दीघस्तर वाले उद्योगों को भी जाति प्रथा ने हानि पहुँचाई है। बड़े उद्योगों में श्रम विभाजन अनिवार्य होता है, परन्तु जाति प्रथा सज्जम अम-विभाजन के मार्ग में बाधक है। विभिन्न जातियों में दुश्मा छूत की भावना के कारण श्रमिक एक दूसरे के साथ वार्य करने में लकोन करते हैं।

कृषि पर दुरा प्रभाव

जाति प्रथा के दुष्परिणामों से भारतीय कृषि भी विचित नहीं रह पाई। ऊँची

जाति में अप को हीन समझा जाता है और इसलिए अप का कार्य जूदों एवं नीची जाति वालों द्वारा लिया जाता है। इनको भूमि पर कुछ भी अधिकार प्राप्त नहीं होता और वे उदैव ज़ँची जाति वालों पर ही निर्भर रहते हैं। भूमि पर वास्तविक अप करने वाले का अधिकार न होने के कारण भूमि पर किसी प्रकार का सुधार नहीं हुआ और फलस्वरूप राष्ट्र का उत्पादन उम होने लगा। कृषिविहीन श्रमिकों की आर्थिक दशा अत्यन्त शोचनीय हो गई। उच्च जाति वालों के हाथ ही में भूमि नेतृत्व होने के कारण, नीच जाति वाले उन पर आश्रित रहने लगे और उनका शोषण सम्बन्ध हो सका। इसके अतिरिक्त उच्च जाति वाले जातीय उच्चता के भ्रम में पड़कर खेतों में हड्डी, मछली तथा मलमूत्र की खाद का प्रयोग भी नहीं करते। परिणामस्वरूप कृषि उद्योग का पिछ़ा होना स्थाभाविक ही है।

वस्तुतः उपभोग पर प्रभाव

जातियांति की व्यवस्था का प्रभाव राष्ट्र के निवासियों के उत्तरोग पर भी पड़ा। ऊँची जाति के लोगों की व्यावश्यकताएँ नीची जाति वालों से भिन्न होती हैं। जाति के अनुसार ही खान-पान तथा वेष भूषा भी निर्धारित होती है। इससे हमारे श्रमिकों द्वा र सत्रुलित भाजन नहीं मिल पाता। मछली मारने का उद्योग तथा चमड़ा उद्योग की उन्नति मली-भाति न होने में जातियात की व्यवस्था ही मुख्य कारण है। सामाजिक कुरीतिया का जन्म

जाति-प्रथा के कारण बहुत सी सामाजिक कुरीतियों का प्रादुर्भाव हो गया है। जाति प्रथा के अनुसार शादी-विवाह एक ही जाति के अन्दर हो सकता है। परिणाम स्वरूप दहेज वा अभिशाप समाज में फैल गया है। जाति बन्धनों के कारण विधवा विवाह भी नहीं हो सकता। जाति में प्रचलित सामाजिक सत्कारों को बरना प्रत्येक व्यक्ति के लिये अनिवार्य है। मुराडन सस्तार, जनेऊ सस्तार, निवाह सस्तार इत्यादि में मनुष्यों द्वारा प्रचलित रीति-रिवाजों के अनुसार व्यय बरना अनिवार्य हो जाता है जाहे उसकी आर्थिक रिथति कैसी ही क्या न हो। इसका परिणाम दरित्रा में परिणित हो जाता है। भीमती देरा एन्सटे के शब्दों में—

“In India birth determines irrevocably the whole course of a man's social and domestic relations and he must through life eat, drink, dress, marry and give in marriage in accordance with the usages into which he was born,”

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्राचीन समय में तो जाति व्यवस्था कुछ लामदायक अवश्य थी, परन्तु इसका आधुनिक स्वरूप समाज के लिये निरचय ही

अभिशाप एवं चलक है। जाति प्रथा आज भारत के आर्थिक मोक्ष के पथ पर सबसे बड़ी बाधा है। भारतीय जन-जीवन में इनकी जड़ें बहुत दूर तक व्यापक हैं और यह आज भी असख्य व्यक्तियों का भाग्य वा निर्णय कर रही है। राष्ट्रीय प्रगति की गति को तीव्र करने के लिये इस ठोस प्राचीर वा हटाना ही पड़ेगा तभी देशवासियों का मानसिक, साकृतिक एवं आर्थिक विभास समव हो सकता है। आधुनिक जाति व्यवस्था को देतकर ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्य ने अपने ही विनाश के लिये इस प्रथा से ज म दिया है। आज यह प्रथा अत्याचार एवं असहिष्णुता की जन्मदाना है, तथा सामाजिक एवं राजनैतिक अस्गठन एवं दुर्बलता का मूल कारण है। हर्ष का विषय है कि पूर्य महात्मा गांधी क अछूतोदार आन्दोलन के फलस्वरूप एवं शिद्धांत प्रचार एवं देशवासियों में जागृति उ कारण इस प्रथा की नींव हिल उटी है और इस प्रथा क नन्धन कमश ढीले पढ़ते जा रहे हैं। अन्तर्जातीय विवाहों की सख्या घट रही है। इस प्रथा की निरर्थकता और मूर्खता सबको भली भाति बिदिर हो जुरी है और यह निश्चित धारणा बन जुरी है कि देश वी सर्वतोमुखी उन्नति के लिए इसका शीघ्र ही समाप्त हो जाना श्रेयम्भर है।

समुक्त-परिवार प्रणाली (Joint Family System)

हिन्दू समाज की एक प्रमुख प्रथा समुक्त परिवार प्रणाली भी है जिसने भारतीय जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। इस प्रणाली का प्रादुर्भाव उस समय हुआ जब मानव ने आखेड़ युग से क्रमशः कृषि युग में प्रवेश किया। यह प्रथा वास्तव म भारतीय कृषि की देन है। अति प्राचीन समय से ही कृषि कार्य छोटे छोटे परिवारों द्वारा होता चला आया है। पिता परिवार का प्रमुख व्यक्ति होता था और उसी पर सारे परिवार के पालन करने का उत्तरदायित्व होता था। कालान्तर में समुक्त परिवार एवं सामाजिक एवं आर्थिक स्थिता के रूप म प्रकट हुआ। इस प्रकार समुक्त परिवार की प्रथा सारे देश म व्याप्त हो गई और आज भोजन, धर्म एवं सम्पत्ति में समुक्त परिवार हमारे—हिन्दू तथा मुसलमान—समाज की आर्थिक इकाई हैं और हिन्दू समाज क एक प्रमुख अग। हिन्दू परिवार म सबसे बृद्ध पुष्प परिवार का प्रधान या वर्त्ता और सब सम्पत्ति का मालिक होता है। समस्त परिवार की आय पर वर्ता का ही नियन्त्रण रहता है और वह सारे कुटुम्ब जी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये उत्तरदायी रहता है। समुक्त पारवार क सभी सदस्य परिवार की सम्पत्ति, धेर, भोजन और भजन में समिलित रहते हैं। शादी व्याह एवं उत्तराधिकार वा नियम समुक्त परिवार से ही शायित होते हैं। इस प्रकार समुक्त परिवार परस्पर सम्बन्धित, एक ही धर्म, एक से ही राति-रिवाज एवं लगभग एक सी ही आर्थिक परिस्थितियों वाले मनुष्यों का समुदाय होता है।

संयुक्त परिवार प्रथा के लाभ

संयुक्त परिवार प्रथा का सुख्य उद्देश्य पारस्परिक सदस्यों का भौतिक एवं अश्यात्मिक उल्लंघन करना होता है। इस प्रथा का भारत के आर्थिक विकास पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इस प्रथा ने भारत में सम्बन्धित कावितरण, उत्तराधिकार, सहनायिता तथा कुटीर उग्रोग घन्थों के सम्बन्ध को सदैव से प्रभावित करके उनको वर्तमान रूप प्रदान किया है। यह प्रथा वहाँ के आर्थिक विकास में बहुत सहायक रही है जैसा कि निम्नलिखित विवेचन से भवष्ट होता है—

त्याग एवं सदकारिता की भावना को प्रोत्साहन

संयुक्त परिवार त्याग एवं अहशायिता वी भावना को प्रोत्साहन ग्रदान करता है। प्रत्येक सदस्य में अनुशासन वी भावना भरकर उसे एक कर्मण्य एवं उत्तम नागरिक बनाने में वह प्रथा बहुत महायक है। इस प्रणाली में प्रत्येक सदस्य तथके लिए तथा सब प्रत्येक उ लिए होने हैं। साथ साथ रहने, भोजन वरने, उठने फैटने एवं बार्च करने के कारण, एक दूसरे र प्रति प्रभवा वा उमड़ आना सचमा यक ही है। पारस्परिक स्नेह एवं प्रेम र घन्थन म उत्त आने के दारण प्रयुक व्यक्ति कुटुम्ब के अन्य सदस्यों के लिए त्याग एवं बलिदान वरने के लिए सदैव प्रस्तुत रहता है। ‘एकता म ही चल ह’ वहान इस प्रथा म पूर्ण रूप से चरितार्थ हारी है।

स्वार्थ की भावना का अन्त एवं सुरक्षा

परिवार के कर्ता र माध्यम स सभी सदस्य प्रेम एवं त्याग वी भावना से ग्रेहित होकर एक सूत्र म बँध होत है। इस प्रथा के कारण स्वार्थ की मावना का दमन होता है और प्रत्येक सब के लिए और सब प्रत्येक ने लिए राय वरत है, क्याक प्रत्येक के कल्याण में सामूहिक कल्याण और सामूहन कल्याण में प्रत्येक ने कल्याण निहित होता है। अत प्रत्येक सदस्य को स्वाय भावना छाड़कर सामूहिक कल्याण की नात उदैव योजनी पड़ती है।

प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसका परिवार उसकी सुरक्षा के लिए दाल का काम वरता है। मानव जीवन म दो आवश्यकाएँ—बचपन और उदासा—ऐसी हैं जिनमें मनुष्य को दूसरों पर आधित रहना पड़ता है। इन दोनों ही आवश्यकों पर पारवार ही उसका चरणे बड़ा सहायक और गुमचितक होता है। व्यतक आवश्य में भी बामारी बेकारी एवं अन्य किसी काठन परिस्थिति म पारवार ही आश्रय प्रदान करता है। सुदृढ़ संयुक्त प्रणाली के होते ए मानव को सामाजिक सुरक्षा सम्बंधी किसी अन्य व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि बेकारी, बीमारी एवं अन्य प्रकार के समय संयुक्त परिवार के प्रत्येक सदस्य को आश्रय परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा प्राप्त

होता है। रोगी, अपाहिज एवं असहायों को सयुक्त परिवार सहानुभूति तथा आश्रय प्रदान करता है। “युधा पत्नी, एकाकिनी विधवा, निस्सहाय और अनाथ सन्तान, वृद्ध पितामह सभी को सयुक्त परिवार में स्थान मिलता है”, इस प्रकार कुटुम्ब के प्रत्येक सदस्य को सुरक्षा एवं निश्चितता दनी रहती है जिसके कारण उनकी कार्य शुक्र नहीं होती है और सम्पत्ति के उत्पादन में प्रोत्साहन मिलता है।

साम्यवाद की स्थापना

सयुक्त परिवार एक आदर्श प्रजातन्त्रीय शासन की छोटी इकाई होती है। यह साम्यवाद के सिद्धान्तों पर आधारित है। इसके द्वारा सम्पत्ति का वितरण न्याय-पूर्ण होता है और घन के विषम वितरण से उत्पन्न आर्थिक एवं सामाजिक कठिनाइयाँ नहीं उत्पन्न होतीं।

थ्रम विभाजन

सयुक्त परिवार का प्रत्येक सदस्य अपनी इच्छा और अभिव्यक्ति के अनुसार काम कर सकता है और इस प्रकार थ्रम विभाजन सम्भव हो जाता है। जो सदस्य जिस प्रकार का कार्य अधिक कुशलता से कर सकता है उसे वही कार्य करना पड़ता है। प्रत्येक सदस्य का कार्य उसकी क्षमता के अनुसार अलग-अलग बट जाता है और इस प्रकार अधिकृतम उत्पादन एवं सम्पत्ति वी वृद्धि सामूहिक रूप से सरलता से प्राप्त हो जाती है।

पारिवारिक व्यय में कमी

सयुक्त परिवार प्रणाली में व्यय भी न्यूनतम होता है। सामूहिक रूप से आवश्यकताओं की तुम्हि सहज और कम व्यय में ही सम्भव हो जाती है। बहुत-सी ऐसी वस्तुएँ होती हैं जो कि सामूहिक रूप से सभी के द्वारा प्रयोग में लाई जाती हैं। सभी सदस्यों के सयुक्त रहने के कारण सभी का खाना सयुक्त रूप से बनता है। बर्तन, मेज-कुर्सियाँ, इत्यादि समिलित रहते हैं। इस प्रकार दोहरा एक्चा बच जाता है और थोड़ी सी आमदनी में अच्छे रहन-सहन के स्तर की कायम रखना आसान हो जाता है।

भूमि का उपखण्डन न होना

सयुक्त परिवार प्रथा ने वृषि में भूमि का उपखण्डन एवं उपविभाजन रोक कर उत्पादन वृद्धि में बहुत सहायता प्रदान की है। इस प्रथा के कारण ही बहुत कुछ सीमा तक भूमि बढ़े पैमाने पर कृषि के योग्य बनी रही। उत्तराधिकार के नियम अनन्त काल से उपास्थित होते हुए भी भारत की कृषि भूमि के उपखण्डन की समस्या यहाँ

कभी उपस्थित नहीं हुई। इसका कारण केवल सयुक्त परिवार प्रणाली ही है। सयुक्त परिवार में दैनिकार्थ होना एक बुरी चात समझी जाती है। परिवार के कर्त्ता के माध्यम से सभी सदस्य प्रेम एवं त्याग की मानवता से प्रेरित होकर एक सूत्र में बैधे रहते हैं। जब से सयुक्त परिवार क्षिति भिज्ज होने लगे भूमि के उपरांडिन की उमस्या उत्तरोत्तर विकराल रूप धारण करने लगी है।

उपर्युक्त लाभों के अतिरिक्त सयुक्त परिवार प्रणा का एक यह भी लाभ है कि इसके अन्तर्गत पूजा के सचर होने की भी अधिक सम्भावनाएँ रहती हैं। परिवारिक व्यवहार के कम होने के कारण एवं अपने विद्यार्थन समव होने के फलस्वरूप अधिक आय के कारण पूँजी का सचय हाना स्वामानिक ही है। इसके अतिरिक्त सयुक्त परिवार व्याक के जीवन म आदर, औदाय, अनुशासन एवं त्याग भी भावनाओं को सुदृढ़ कर के समाज का नौरक उत्थान करने म सहायक होता है।

सयुक्त परिवार प्रणाली के दोष

उपर्युक्त लाभों के होते हुए भी यह प्रथा दोषों से रहित नहीं है। इसके मुख्य दोष निम्नलिखित हैं—

अकर्मस्यता आलस्य की नननी है

इस प्रणाली का सदय बदा दोष यह है कि यह अकर्मस्यता, आलस्य एवं निकर्ममेवन का प्रवृत्ति तो प्रोत्साहन देती है। प्राय देला जाता है कि प्रत्येक परिवार में कुछ ऐसे सदस्य होते हैं जो आमना कर्त्ता य पालन नहीं करते। उनको परिवार में भोजन, वस्त्र इत्याद आवश्यक वस्त्रों प्राप्त होती जाती है और वे 'अज्ञात श्रे न चाचरी, पढ़ी करे न काम' का मूल मत्र प्रहण कर क दूभरों क परिध्रम से कमाने हुए धन पर गुनछरौं उड़ाते रहते हैं। ये 'पृक्ति समाज या पारागर की समृद्धि एवं सम्पत्ति के उत्पादन म कुछ भा सहयोग नहीं देते। ऐसे पृक्ति समाज एवं परिवार दाना क ही लिये अभयाप है। इसके कारण पारवार का रहन सहन का भर निम्न हो जाता है। कभा-कभा तो ऐसा दिया गया है कि शृद विता की कमाइ पर तद्यन बटे पलते रहत है। ऐसा भी देखा जाता है कि पारगर क कुछ सदस्य परिवार का आख पर शृण ल लेत है और इस प्रकार उसका उद्दिन के स्थान पर उसका हास करने पर ही तुले रहत है।

व्यक्तित्व का विकास रुक जाना

परिवार का प्रत्यक्त सदस्य एक-दूसरे पर आधित रहता है और उसकी भरण पोषण की समस्या का समाना नहीं करना पड़ता। परिणामस्वरूप उसमें साहस एवं

आत्मनिर्भरता की भावना सदैव के लिए मर जाती है। वे अपने पैरों पर खड़े होने में सदैव असमर्थ रहते हैं। भारतीय श्रमिकों की कार्यक्षमता कम होने का यह भी एक मुख्य कारण है।

आर्थिक प्रगति की प्रेरणा का अभाव

प्रत्येक व्यक्ति नी आय संयुक्त परिवार के कर्त्ता के पास जाती है। जो सदस्य धन उपार्जन करता है उससे खर्च करने का अधिकार नहीं होता। परिणामस्वरूप कोई भी सदस्य अपनी आय के बढ़ाने की चेष्टा नहीं करता। व्यक्तिगत स्वार्थ ही मनुष्य की आर्थिक प्रगति का पथ पर निरन्तर बढ़ते रहने की प्रेरणा प्रदान करता रहता है। संयुक्त परिवार में इस प्रेरणा का अभाव स्वामाविक ही है। यह कैसे समझ हो सकता है कि एक व्यक्ति अपनी गाड़ी पसीने की कमाई लाऊं परिवार को देता रहे और उस धन का व्यय करने का अधिकार उससे उतना ही हो जितना उससे आलसी एवं चेकार भाई को। इसका परिणाम यह होता है कि वह धीरे धीरे अपने काम से उड़ा-सीन एवं विमुख होने लगता है। इससे राष्ट्र का आर्थिक विकास शिथिल हो जाता है और कुटुम्ब की आर्थिक स्थिति शोचनीय बन जाती है। भारतीय श्रमिकों की कार्य कुशलता कम होने का कारण उनके व्याकृत्व का पूर्णतया विकसित न होना है।

श्रमिकों में गतिशीलता का अभाव

संयुक्त परिवार प्रणाली ने कारण व्यक्तियों में परिवार के प्रति मोह उत्पन्न हो जाता है। इसके अतिरिक्त एक दूसरे पर आन्तरिक होने के कारण स्वावलम्बिता की भावना नष्ट हो जाती है। फलस्वरूप परिवार के सदस्य अपने को परिवार से विलग करने से मजबूर हो जाते हैं। भारत में श्रम की गतिशीलता के अभाव का मुख्य कारण मह प्रथा ही है जिसने मनुष्यों को मोह के बन्धन में जकड़ रखा है। इस भावना का प्रादुर्भाव कि ‘घर की सूखी भली, बाहर की चुपड़ी अच्छी नहीं’ ऐसे इसी प्रथा के कारण ही हुआ है। श्रम की गतिशीलता न अभाव के कारण न तो श्रमिकों की आर्थिक स्थिति ही सुधर पाती है और न राष्ट्र का आर्थिक विकास ही दृढ़ नीति पर विकसित हो पाता है। श्रमिक परिवार के साथ रहने का इतना अधिक अभ्यस्त हो जाता है कि बाहर जाकर धन उपार्जन करने की अपेक्षा पर पर दरिद्र जीवन विताना हितकर समझता है।

पारस्परिक ईर्ष्या एवं धैर भाव

संयुक्त परिवार प्रथा में सब सम्पत्ति सम्मिलित होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति अधिक मात्र प्राप्त करने की चेष्टा नहीं लगता है। इसके अतिरिक्त यदि कोई सदस्य आलस्य के कारण परिवारिक सम्पत्ति में वृद्धि नहीं बरता तो अन्य सदस्य उसके प्रति

देव की मावना रखने लगते हैं। प्रायः देखा जाता है कि कर्ता की मत्तु के बाद उभी सदस्यों में सम्पत्ति के बंटवारे के लिए मुकदमेवाजी होने लगती है जिसमें बहुत घन घरवाद ही जाता है और पारस्परिक दैर्घ्यां एवं वैर मावना दो घल मिलता है। भाइयो-भाइयों में चौबद्धारियाँ होता है और वैमनस्थता का अकुर परम्परागत उपाता चला जाता है। इसके कारण न केवल लोगों में दरिद्रता ही पैलती है घरन् राष्ट्र का आर्थिक विकास भी रुक जाता है।

पूँजी के संचय का अभाव एवं निम्न रहन-सहन का स्तर

आर्थिक उत्तरि की प्रेरणा के न होने के कारण समुक्त परिवार का प्रत्येक सदस्य परिवार की आय बढ़ाने में सचेष्ट नहीं रहता। प्रत्येक सदस्य की सामूहिक जिम्मेदारी किसी भी दरकि की जिम्मेदारी नहीं रहती। इस प्रकार परिवार की योज्ञी सी आय में बहुत लोगों का खर्च रहता है और इसलिये घन वी वयत और पूँजी का उच्चय कठिन हो जाता है। इसके अतिरिक्त परिवारिक आय पर सामूहिक अधिकार होने के कारण प्रत्येक सदस्य अधिक से अधिक व्यय करने का प्रयत्न करता है। प्रायः देखा जाता है कि समस्त परिवार योज्नी-ही ही कृषि भूमि पर अवलम्बित रहता है। परिवार में भले ही वृद्ध होती जाय परन्तु आय त्यों की त्यों बनी रहती है। ऐसी दशा में परिवार का रहन-नहन का स्तर निम्न हो जाना। स्वामार्थी ही है। पूँजी के अभाव में बड़े पैमाने के उद्योग-घरों को भी प्रोत्साहन नहीं मिल पाता और राष्ट्र का आर्थिक विकास रुक जाता है।

उम्मुक्त दोषों के अतिरिक्त समुक्त परिवार प्रथा ने बुळ सामाजिक कुरीतियों को भी जन्म दिया है जिसका प्रभाव हपारे देश के आर्थिक विकास पर तुरा पक्षा है। उदाहरण स्वरूप इस प्रथा ने बाल-विवाह एवं विवाहाओं को आशय देकर देशवासियों के नैतिक पतन में सहायता प्रदान की है। परिवारिक कलह, मुकदमेवाजी तथा दृग एवं दैर्घ्यों की मावना को प्रोत्साहित करके इस प्रणाली ने उमाज को पूर्ण रूप से विश्रद्धुत कर दिया है।

उर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्राचीन काल में उदारता, दया, भ्रातृभाव, त्याग, स्नेह एवं सहयोग आदि उत्तम गुणों का प्रादुर्भाव एवं विकास करने का श्रेय समुक्त परिवार प्रणाली को ही है। इस प्रकार यह प्रणाली उस समय देश की आर्थिक समृद्धि की दाढ़ी थी। परन्तु आधुनिक काल में परिवर्तित पर्वरित्यात्यों में इस प्रणाली के लाभ ग्रन्थनक चिन्ह से चिह्नित अवस्था हो गये हैं। पाश्चात्य शिक्षा के प्रतार, जनसंखया की निरन्तर वृद्धि, भूमि पर अधिक भार एवं औद्योगिक विकास के कारण आज यह प्रणाली जबर हो चली है और जमशुः बीदुर्भावक त्याग, सहन-शीलता तथा उदारता का भी विनाश होता चला जा रहा है। इस सर्वीर्य व्यक्तियादी

मनोवृत्ति के कारण मनुष्य सभी नैतिक एव सामाजिक मान्यताओं को भुलाकर बेवल निजी स्वार्थ की प्रतिष्ठा करता है। इसमें सन्देह नहीं कि इस प्रथा ने भारतीय आर्थिक सुरक्षा पर एक स्वस्य प्रभाव छढ़ा है, परन्तु इसके साथ ही साथ कोई भी व्यक्ति इसके दोषों के प्रति सहानुभूति नहीं रख सकता। वास्तव में व्यक्ति के महत्व को अस्तीकार करने वाले सबुक परिवार, एव भ्रातुभाव, सहयोग तथा त्याग की भावना का नाश करने वाले व्यक्तिवाद दोनों ही समाज के सर्वाङ्गीण विकास के लिय अहित-कर हैं। इन दोनों के मध्य का स्वर्ण पथ ही भारतीय समाज के विकास के लिये उचित एव उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

उत्तराधिकार के नियम (Laws of Inheritance & Succession)

भारत में उत्तराधिकार के नियमों का भी यहाँ के आर्थिक विकास पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। उत्तराधिकार के नियम सबुक परिवार प्रणाली पर आधारित हैं। हिन्दुओं में उत्तराधिकार के दो नियम हैं—(१) दाय भाग (Dayabhaag) और (२) मिताक्षरा (Mitakshara) ।

दायभाग के अन्तर्गत परिवार का प्रधान या कर्ता परिवार की सम्पूर्ण सम्पत्ति पा स्वामी होता है। कर्ता के जीवन काल में कोई भी सदस्य सम्पाद्य का बटवारा नहीं करा सकता। पिता और पुत्र के बीच में कोई विभाजन नहीं हो सकता। पिता की मृत्यु न पश्चात् ही माइयो न बीच सम्पत्ति का बटवारा हो सकता है। कबल बगाल में ही यह प्रथा पाई जाती है।

मिताक्षरा के अन्तर्गत परिवार के सभी पुरुष सदस्य परिवार की सम्पत्ति के सामूहिक स्वामी होते हैं। परिवार का प्रधान या कर्ता बेवल प्रबन्धकर्ता के रूप में होता है। यह पद्धति बगाल को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में पाई जाती है। सभी सदस्यों का परिवार की सम्पत्ति पर सामूहिक अधिकार होने के कारण सम्पत्ति का पैटधारा परिवार के प्रधान के जीवनकाल में ही रखाया जा सकता है। इस प्रणाली में पिता एव पुत्र में विभाजन हो सकता है। किसी भी एक सदस्य की मृत्यु वे बाद बचे हुए व्यक्ति सामूहिक रूप से सबुक सम्पत्ति पर स्वामी हो जाते हैं। विभाजन हो जाने पर प्रत्येक सदस्य अपना भाग पाने का अधिकारी हो जाता है। इसमें खियों का उत्तराधिकार नहीं दीता है।

हिन्दू ब्रोड विल पास हो जाने के उपरान्त अब पिता की सम्पत्ति में लड़कों के समान ही लड़कियों का भी भाग हो गया है।

मुख्यमानों में परिवार की समाज में खियों तथा पुरुषों दोनों का ही समान अधिकार रहता है। पिता की सम्पाद्य उचक पुत्रों तथा मुश्त्रियों में समान वितरित की

जाती है। यही कारण है कि मुख्लमानों में प्रधान की मृत्यु होने के बाद सम्भात्त असुख भागों में पैट जाती है।

इस प्रथा के लाभ

उत्तराधिकार के नियमों के बहुत से लाभ हैं जो इस प्रकार हैं—

उत्तराधिकार के नियम न्याय एवं समानता पर आधारित हैं

इन नियमों के द्वारा सम्भिति का विवरण समान एवं न्याययुक्त होता है। पूर्वजों नी सम्भिति पर प्रत्येक उत्तराधिकारी समान भाग पाने का आधिकारी होता है। ऐसा उत्तराधिकारी समान होते हैं अब सभी दो सम्भिति में समान भाग मिलना चाहये अवश्य ही न्यायसमग्र है।

जापन में पर्दारणा करते समय सहारा

पारिवार के प्रत्येक उद्दृश्य को परिवार दी सम्भिति में कुछ न कुछ अवश्य प्राप्त हो जाता है। इस धनराशि से वह अपना जीवन प्रारम्भ कर सकता है। परिवार की सम्भात्त कबल संस्करण में इस सदस्य को ही प्राप्त हो जाती तो शेष सदस्यों को प्रबल्लूरी आद रखने पर विवश होना पड़ता। इस प्रकार ग्रल्लवरक्त एवं अपगु वसिना का शप जारी हो जाता। परिवार का सम्भिति में सभी को कुछ न कुछ मिल जाने का राशि इसके सहारे मनुज जावन-सदर्य में रक्षिता प्राप्त कर सकता है। बास्तव में ये नियम प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक एवं भौतिक उत्तराधिकार करने का सहारा एवं प्रेरणा प्रदान करते हैं।

धन का समान विवरण

परिवार नी सम्भिति का समान वटवारा होने के कारण सम्भिति के कुछ व्यक्तियों के ही हाथों में कृदित हो जाने की सम्भावनाएँ नहीं रहती। इस प्रकार सम्भात्त का विषम विवरण से उत्पन्न होने वाले आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं का अभ्युदय नहीं होता। ये नियम पूँजीवाद पर अकुशा का कार्य करते हैं और समाववादी अथ व्यवस्था के मूल प्रवरक हैं।

इन नियमों के अन्तर्गत सभी व्यक्तियों को सम्भिति में कुछ मिल जाने का कारण बैकापा नहीं रहती। प्रत्येक व्याक के सम्भिति में आधिकारी होने का कारण उसमें स्वाधिग्राहक, उत्तराधिकारी व दूसरे व्यक्तियों की भावनाएँ उत्तर रहती है। इसके अतिरिक्त इन नियमों द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को “एकता में ही समृद्धि एवं शक्ति है तथा फूट में ही निर्धनता एवं निवलता है” वी उत्तम शिक्षा मिलती है।

इस प्रथा के दोष

उपर्युक्त लाभों के होते हुए भी उत्तराधिकार के नियमों का प्रमाण हमारे देश का आर्थिक विकास पर अच्छा नहीं पड़ा। इस प्रथा का निम्नलिखित दोष है—

भूमि का उपयोगभाजन एवं उपयोगदन

भारत में कृषि भूमि के उपयोगभाजन एवं उपयोगदन का मूल कारण उच्चराष्ट्रिकार के नियम ही है। संयुक्त परिवार के प्रत्येक व्यक्ति का सभी सम्पत्ति पर समान अधिकार होने के कारण सभी व्यक्ति भूमि का उपयोग आपस में बर लेने हैं। परिणामस्वरूप भूमि दुकड़ी दुकड़ी में बैंटवारा आपस में बर लेने हैं। परिणामस्वरूप भूमि के इन छोटे छोटे दुकड़ों पर वैद्यनिक इषि सम्पर्ग नहीं हो पाती। यही कारण है कि आज भारताय इषि पिछ्छी हुइ है और वहाँ का उत्पादन सासार भ समस्ये कम है। भारताय दुपत्रों की नियनता एवं नियम रहन रहन के स्तर का यही मुख्य कारण है।

पूँजी के संचय का अभाग एवं घडे पेमाने के उद्योगों का प्रिक्सित नहेना

पूँजी के दुकड़ों में बैंट जाने के कारण पूँजी का संचय नहीं हो पाता जिसके कारण वह पेमाने के उद्योग धन्ये जिनम बहुत ग्राहक पूँजी की आवश्यकता पड़ती है नहीं चलाये जा सकते।

मुकदमेन या एवं सन्तान का विवाश

सम्पत्ति में उपयोग करने के लिये परिवार के विभिन्न सदस्यों में मुकदमेशाली होती है। ऐसा देखा गया है कि मुकदमेशाली में पड़ी बढ़ी सम्पत्तिया विक गई और सारा कुदम्ब बदाह हो गया। यह कथन 'दावाना करती दीवानी' पृण रूप से व्यक्तिर्थ होता है। मुकदमेशाली में समय एवं धन दोनों का ही दुरुपयोग होता है जिससे निर्धनता और बढ़ती है। यही नहीं मुकदमेशाली से आपस में इष्य, द्वेष एवं पूट का पावना भी हुआ होती है। बैंटवारे के कारण ही भाइ भाई म पौजदारता हाती है और वहक दूसरे के कहर दुश्मन हो जाते हैं। इस प्रकार इन नियमों के कारण खहारिया का पावना का विवाश हो जाता है।

नियनता एवं नियम रहन सहन का स्तर

समश्च का बैंटवारा विमिन्न ०।८८ एकड़ों में हो जाने के कारण प्रत्येक व्यक्ति को योहा योहा माग प्राप्त हो जाता है जिससे प्रत्येक व्यक्ति की ग्राहिक इर्थता डावाडोल हो जाता है। सम्पत्ति म योहा योहा माग मिन्ने के कारण इस का भा आर्थिक रियति टाक नहीं रहती। इसका परिणाम यह होता है कि प्रत्येक ०।८८ का रहन-सहन का स्तर नियम बना रहता है। नियनता के कारण वे अपने मविष्य का भी निर्माण करने म असफल रहते हैं। वास्तव में निर्धनता ही भारत के ग्राहिक विवाद म बहुत बड़ी गाथा है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि उच्चराष्ट्रिकार के नियमों ने हमारे देश की

आर्थिक प्रगति के मार्ग में बड़े बड़े रोड़े अटका दिये हैं और अनेक सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं दो जन्म दिया है।

बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा (Early Marriages and Purdah System)

बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा भी भारतीय सामाजिक संगठन के दो मुख्य अभिशाप हैं। बाल-विवाह का प्रारुद्धाव तो भारत में सबुक परिवार प्रथा के पारण हुआ और पर्दा प्रथा का जन्म भारत में मुसलमानों के शासन के कारण हुआ।

बाल विवाह के कारण छोटी अवस्था से ही मनुष्य के ऊपर यहस्थी ना भार पढ़ जाता है जिसके कारण रहन-सहन का स्तर ऊँचा नहीं हो पाता। सन्तानोत्पत्ति भी अधिक होने के कारण मनुष्य का रहन-सहन का स्तर गिर जाता है। छोटी अवस्था में विवाह हो जाने के कारण स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है जिससे मनुष्य की कार्यक्षमता बहुत कम हो जाती है। कार्यक्षमता कम हो जाने के कारण न केवल व्याकु विशेष का आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है बरत् राष्ट्र नी आर्थिक प्रगति भी मन्द हो जाती है।

पर्दा प्रथा का भी राष्ट्र के आर्थिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ा है। पर्दा प्रथा के कारण ही भारत में स्त्रियों को सशान भी चहार-दीवारी के अन्दर जीवन व्यतीत करने के लिए चाढ़ होना पड़ता है और इस प्रसार वे राष्ट्र के विनाश में अपना लहरोग देने से बंधत रह जाती हैं। यह किसी भी राष्ट्र के अम का दुष्प्रयोग है। प्राचीन समय में झाँसी की रानी, रजिया खेगाम आदि वीराणनाओं ने युद्धस्थल में पर्दापण कर देश की स्वतन्त्रता की रक्षा करने में हाथ बटाया था। आज भी पाश्चात्य द्वारा मै जिगां बहुत से राष्ट्र निर्माण कार्यों में उकिय भाग लेती हैं। यही नहीं पर्दा प्रथा के कारण जिसके कारण स्वास्थ्य भी खुराक रहता है जिसके कारण वे निर्बल सतानों को जन्म देती हैं। इन्हीं अने बाली सन्तानों पर ही किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास का भार रहता है। बास्तव में यही यिशु राष्ट्र के मविष्य के कर्णधार होते हैं। यदि ये मविष्य के निर्माता ही निर्बल हो तो वोइ राष्ट्र किस तरह अपने आर्थिक निर्माण की कल्पना कर सकता है। बास्तव में पर्दा प्रथा भारत के आर्थिक विकास के लिए महान् अभिशाप है।

उपसहार

उपरोक्त वर्णन से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि भारत के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन को यहाँ की सामाजिक व्यवस्था ने पूर्ण रूप से प्रभावित किया है। भारत का अवैतन समृद्धि, शान्ति एवं वैभव से परिपूर्ण या और इच्छा भेव हमारे देश

की सामाजिक व्यवस्था को ही था। परन्तु कालान्तर में सामाजिक प्रथाओं के रुद्धि चादिता एवं अन्ध-विश्वास में परिवर्तित हो जाने के कारण, भारत की सामाजिक व्यवस्था यहाँ के आर्थिक विकास का मुख्य अभिशाप बन गई और हमारी आर्थिक प्रगति को प्रोत्साहन देने के स्थान पर उसके मार्ग में रोड़े ग्रटकाने लगी। सामाजिक कुरीतियों की शृङ्खलाओं में जरूर होने के कारण भारत की प्रगति का पथ अवश्य हो गया और वह अपने अनीत के गौरव को खो दैठा। हर्ष का विषय है कि राजनीतिक दासता की शृङ्खलाओं से मुक्ति के उपरान्त सामाजिक रुद्धियों एवं राजनीतिक आन्तियों को चीर कर मनुष्य की आन्तरिकता पर आधारित नई मर्यादा वा उदय हो रहा है, सामाजिक रुद्धियों एवं धार्मिक अन्ध विश्वासों के बन्धन शिथिल हो रहे हैं और भारत अपने आर्थिक मोक्ष के द्वार पर सज्जा हुआ स्वर्णिम भविष्य के दर्शन कर रहा है।

इंग्लैण्ड में औद्योगिक क्रांति

(Industrial Revolution in England)

अंग्रेजी शुनान्दी के अन्त तथा उन्नीसवीं के प्रारम्भ में इंग्लैण्ड में जो औद्योगिक एवं व्यावसायिक देश में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए वे इतने मीलिक तथा अधोगामी थे कि उनको औद्योगिक क्रान्ति की सदा प्रदान की गई है। क्रान्ति की पृष्ठभूमि में प्रायः रक्षपात निहित होता है और इसलिए आर्थिक देश के इन परिवर्तनों को क्रान्ति के नाम से पुकारना अनात्मक तथा प्रतीत होता है, परन्तु राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक देशों में जो आमूल परिवर्तन इसके पूर्णस्वरूप हुए जिनसे सारे विश्व का रूप ही बदल गया, क्रान्ति की सदा प्रदान करना कदाचित् अनुचित न होगा। नोल्स (Knowles) के यहाँ में—

‘The result was new people, new classes, new policies, new problems and new empires’

बातस्व में औद्योगिक क्रान्ति के उपरान्त विश्व ने एक नए युग में प्रवेष्ट किया। वही वही निर्माणशालाओं वी सख्त्याओं में अपार तृदि होने लगी। उत्तमाशा अवरीय और अटलार्टिक महाभागर के बहस्थल पर सामग्रियों से भरे हुए जलयान में ढराने लगे। जो सामग्रियाँ जिसी समय महत्वों दशा उच्च अद्वालिकाओं तक ही सीमित थीं अब वे पर्यंकुटियों को भी मुलभ हो गईं। नित्य प्रति नये-नये आविष्कारों का जन्म होने लगा। मानव ने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लिया। विज्ञान के प्रचरण सूर्य की रश्मियों द्वारा सारा स्वार आलोकित हो उठा। मानव जीवन में नवीन चेतना एवं ज्ञानिति का प्रादुर्भाव हुआ। मानव के ऐश्वर्य एवं प्रतिभा पर स्वर्ग की अप्सराएँ लवित होने लगी। प्रोटोसिर दुवे ने ठोक ही लिखा है—

“In the early days the English farm with its natural surroundings was the most typical feature of the country, now the factory chimney belching out soot laden smoke is the most outstanding landmark of England”

गगनचुम्बी अद्वालिकाएँ, भीमकाय उद्योग, विकसित आवागमन के साथ

एवं विश्वव्यापी व्यापार तथा वाणिज्य मानव के बैमब वी परावाष्टा थी। प्रो॰ हैमन्ड (Prof Hammond) के शब्दों में—

"The vast oceans became the high-ways and by ways between the doorways of two nations."

नवीन आविष्कारों ने मानव को नव जीवन प्रदान किया। विश्व ने कागड़ बदली और मानव ने अपने को पाया उस जगत में जो बेवल बल्यना की वस्तु था। इन चमत्कारी एवं आश्चर्यजनक परिवर्तनों को यदि श्रौद्धोगिक क्रान्ति के नाम से पुकारा जाय तो इसमें अतिशयोक्ति क्या होगी।

श्रौद्धोगिक क्रान्ति के कारण

प्रायः यह आश्चर्यजनक प्रतीत होता है कि सर्व प्रथम इङ्ग्लैण्ड को ही श्रौद्धोगिक क्रान्ति के रगमच होने का श्रेय क्यों प्राप्त हुआ। फ्रास एवं हालैंड भी उस समय विश्व के उन्नतशील राष्ट्रों में थे। इन देशों में भी पर्याप्त श्रौद्धोगिक विकास हो चुका था और यहाँ की जनसंख्या भी अधिक थी। इन देशों वी सामुद्रिक शक्ति भी इङ्ग्लैण्ड से पीछे नहीं थी। इतना होते हुए भी इङ्ग्लैण्ड ही श्रौद्धोगिक क्रान्ति में पथ प्रदर्शक रहा, इसका कारण वहाँ की स्थिति, प्राकृतिक परिस्थितियाँ, राजनैतिक बातावरण एवं देशवासियों में साहस एवं स्फूर्ति का होना था। इन सभी का योरोप के अन्य राष्ट्रों में अभाव था जैसा कि निम्नलिखित विवेचन से स्पष्ट हो जाता है—

श्रौद्धोगिक विकास की पृष्ठभूमि प्रशस्त थी

सबहवीं शताब्दी में ही इङ्ग्लैण्ड ने श्रौद्धोगिक चेत्र में पर्याप्त उन्नति कर ली थी। इङ्ग्लैण्ड का ऊन उद्योग अपनी उन्नति की चरम सीमा पर था। मशीनों का प्रादुर्भाव हो चुका था और इङ्ग्लैण्ड वे घरेलू उद्योग जगत्भौमि में पूँजीवाद का अकुर पनप चुका था। ऐसी अवस्था में पुरानी मशीनों के स्थान पर नई मशीनों का प्रयोग इङ्ग्लैण्ड के लिए अत्यन्त सरल था। बड़े ऐमाने की उत्तरांश में इसका अपना गत वर्षों का अनुभय भी था। प्रो॰ हैमन्ड (Prof Hammond) के शब्दों में—

"Before great inventions began, England had a government favourable to commerce, internal free trade, a prosperous and growing textile industry, exporting its products to the continent with large commercial connections, joint stock companies and a banking system"

वास्तव में इन्हीं परिस्थितियों ने इङ्ग्लैण्ड में श्रौद्धोगिक क्रान्ति की पृष्ठभूमि

प्रचुर कर दिया और इंग्लैंड सर्व प्रथम श्रीयोगिक क्रान्ति का श्रेय प्राप्त करने में सफल हो चका। प्रॉफ नोल्स (Prof Knowles) के शब्दों में —

“She had a long start and although that meant that she had to bear the burden of the experiments and that other countries could begin where she left off, it did mean that she had evolved a race of skilled and trained workers such as no other country in the world possessed and this enabled her to improve upon or adapt machines invented elsewhere.”

पूजी, विस्तृत बाजार एवं कौरल का उपलब्ध होना

बड़े पैकाने की उत्पत्ति के लिये पर्याप्त पूँजी, विस्तृत बाजार एवं कौशल मूलाधार हैं। प्रत्येक राष्ट्र में श्रीयोगिक क्रान्ति के लिये ये सभी प्रथम आवश्यकताएँ हैं। इन सभी का इंग्लैंड में उपरित्थि होना श्रीयोगिक क्रान्ति का शीर्षणय करने के लिये पर्याप्त था।

(क) पूँजी

पूँजी ही उद्योगों का जीवन रखत है और वह इंग्लैंड भ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी। इसका कारण इंग्लैंड का ऊन उद्योग था। इस उद्योग के कारण यहाँ का व्यापार बड़ा विस्तृत हो गया था और इस देश में विदेशी से घनराशि निरन्तर चला जा रही थी। ऊन के विषय में डिफो (Defoe) के शब्द उद्भूत करना यहाँ पर कदानित् अनुनित न होता।—

“The wool is an exclusive grant from heaven to Great Britain, it is peculiar to this country and no other nation has it or anything equal to it in the world. While England has the wool, her trade is invulnerable, at least no mortal, final, destructive blow can be given to it.”

नोल्स ने तो लिखा है कि विश्व के समस्त राष्ट्र अपने बो इंग्लैंड के ऊन द्वारा ही गम्य रखते थे। इसके अतिरिक्त इंग्लैंड का सूती व्यवसाय भी उत्तम पद था। इस बढ़े-चढ़े व्यापार के कारण अठाहर्वी शताब्दी में ही इंग्लैंड में प्रचुर मात्रा में पूँजी इकट्ठी हो गई थी। टॉड (Todd) के शब्दों में—

“Great Britain exports about 9/10th of her cotton output if bulk is considered and 8/10th in value, and the

amount she retains for home consumption is worth approximately £30 million ”

इसने अंतिरिक्त इङ्गलैंड में बैंकिंग व्यवस्था मी सुधारने द्वारा रूप में विद्यमान थी। इङ्गलैंड का बैंक सार विश्व का बैंक जैसा भना जुका था। इस बैंकिंग व्यवस्था के कारण इङ्गलैंड न बबल अपने राष्ट्र की धन राशि का बरन् अन्य राष्ट्रों की पूँजी का भी उपयोग करने में समर्थ हो गया। नोल्स (Knowles) के शब्दों में—

Her banking was organized so as to make the capital easily obtainable France with her larger export and import trade might have had more capital but there was no banking system which made credit readily available

जहा अध्यज्ञों का प्रश्न है नोल्स ने लिया है—

‘ They understood capital, they understood large scale production, and they knew they would reap where they had sown ’

फेडरल ट्रेड कमीशन (Federal Trade Commission) के शब्दों में—

‘ Great Britain has provided all the financial facilities needed for its exporters and importers to do business with other men anywhere on the globe. In short, wherever British imports are bought or British exports sold there is either a local bank intimately connected with London or there is a British Bank for the accommodation of British Commerce ’

(स) विस्तृत बाजार

विशाल उद्योग विशाल माग पर ही अवलम्बित है। बड़े पैमाने की उत्पत्ति के लिये विस्तृत बाजार प्रथम आवश्यकता है। भार्यवश इङ्गलैंड के पास स्थानीय एवं राष्ट्रीय बाजार के अंतरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय बाजार भी उपलब्ध था। इंस्ट इंडिया कम्पनी द्वारा विदिश सामाज्य निरन्तर बढ़ता चला जा रहा था और साथ ही साथ इङ्गलैंड के बाजार का चेन भी विस्तृत होता जाता था। जिस समय योरोप के अन्य देश अपने एह युद्ध में सलग्न थे, इंगलैंड अपनी सामाज्य की सीमा के विस्तार में सलग्न था। इस प्रमाण इंगलैंड को विस्तृत बाजार उपलब्ध था जैसा कि नोल्स के शब्दों से स्पष्ट है—

‘ At home the new roads and the canals provided a better home market and a richer England could afford to buy more goods, abroad there was a growing trade especially with semi tropical countries where cotton goods would be specially in request ’

(ग) कौशल (Skill)

विशालकाय उद्योगों के रुखल सचालन में कुशल शमिकों का होना नितान्त आवश्यक है जिसके बिना श्रौदोगिक विकास समव नहीं हो सकता। विशेष रूप से मर्यादा के युग में अम की कुशलता उद्योगों के सचालन के लिये मूल आवश्यकता है। इस दृष्टि से भी इंग्लैंड भाग्यशाली था। इंग्लैंड के शमिकों का पास स्वेच्छ उनका गढ़ था का अनुभव था। नोल्ड के शब्दों में—

“Although English machines were exported in large numbers after 1825, foreigners could not work them to anything like the same advantage as the English. It is well known that the Lancashire cotton spinner could work more spindles than any cotton operative in the world and that English fine yarns are unsurpassed”

यही नहीं योरोप के अन्य राष्ट्रों में रहस्य एव अशाति के बारण वहाँ के बहुत से कुशल शमिक इंग्लैंड में आरं बह गये क्योंकि इंग्लैंड ही एक ऐसा राष्ट्र था जहाँ उनको रोज़ी प्राप्त हो सकती थी। परिणामस्वरूप कुशल शमिकों का इंग्लैंड में अमावन रह गया और वह श्रौदोगिक क्रान्ति में उफल होने का गौरव प्राप्त कर सका।

बड़े पैमाने के उद्योगों की आवश्यकता

इंग्लैंड के बढ़ते हुए बाजार की मांग को पूरा करने के लिये बड़े पैमाने पर उत्पादन करना आविष्यक ही गया था। अतः यह कथन ‘आपश्यकता आविष्कार की जननी है’ चरितार्थ हुआ। इंग्लैंड का बाजार बहुत विस्तृत होने के कारण सम्पूर्ण मांग को पूरा करने के लिए उद्योगों वा विकास नितान्त आवश्यक था, परन्तु इस विशाल क्षेत्र की दौराने हुए राष्ट्र में शमिकों की सख्त बहुत कम थी। परिणामस्वरूप मर्यादा का निर्माण एव आविष्कार इंग्लैंड के लिए आविष्यक हो गया। नोल्ड के शब्दों में—

“To cater for an export and import trade of £40 million, France had 26 million people, while Great Britain only had 9 million to deal with a foreign trade of £ 32 million”

ऐसी स्थिति में नवीन मर्यादा का आविष्कार होना स्वाभाविक ही था जैसे कि जेम्स ओगडेन (James Ogden) के शब्दों से स्वाट हो जाता है :—

“No exertion of the manufacturers or workmen could have answered the demands of trade without the introduction of spinning jennies”

आन्तरिक शान्ति (Internal Peace)

किसी भी राष्ट्र के आर्थिक, राजनैतिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए गहराति का होना अत्यन्त आवश्यक है। भार्यवश इंग्लैड में शान्ति की पूर्ण व्यवस्था थी। योरोप के अन्य राष्ट्र नेपोलियन युद्धों के कारण या अपनी यह अशान्ति के कारण अपने देश के उत्थान के विषय में कल्पना भी नहीं कर सकते थे। ऐसे समय में आन्तरिक शान्ति के कारण इंग्लैड ने अपने भाग्य का निर्माण करने का स्वर्ण अवसर मिल गया और वह अन्य राष्ट्रों से आगे बढ़ गया। नोर्स ने ठीक ही लिपा है—

'But for the French Revolution, France and not England might have been the pioneer country of the Industrial Revolution. The economic disturbances caused by the Revolution put France back for 40 years and by 1830 when she had recovered, Great Britain was the workshop of the world'

इस प्रकार आन्तरिक शान्ति के कारण लोग निर्भयत होकर व्यापार एवं उद्योग घन्धों के निर्माण करने म लगे हुए थे। ऐसी दशा में इंग्लैड का श्रीधोगिक विकास स्वाभाविक ही था। नोर्स के शब्दों में—

"In France moneyed people were afraid to take the risks of new ventures and preferred land as an investment. The political security of Great Britain was so good that people did not hesitate to sink their money in the fixed form necessary for large scale enterprise"

कोयले एवं लोहे का उपलब्ध होना

कोयला एवं लोहा श्रीधोगिक दाँचे के मूल स्तम्भ हैं। वास्तव म कोयला उद्योग की जननी है तथा लोहा उत्का पिता। जिना इन दोनों के न तो उद्योगों का बन्ध हो सकता है और न उनका उचित भरण्य पोषण हो। जिस प्रकार शिशु दो डाचत सरक्षण के लिये माता पिता की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार उद्योगों को भी कोयले एवं लोहे की आवश्यकता है। मशीनें, औजार, रेलें, मोटरें, बायुयान, जलपोत एवं असख्य अन्य बस्तुएँ लोहे पर ही अवलम्बित हैं और इन सभी म जीवन एवं गति प्रदान करने का श्रेय कोयले को ही है। इंग्लैड को ये दोनों ही खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। यही नहीं इंग्लैड और भी भार्यशाली या क्योंकि ये दोनों ही खनिज पास पाए जाते थे जिनके कारण यातायात की कठिनाई स्वय ही इन हो गई। नोर्स के शब्दों में—

"It is only when one sees how Britain's great industrial rival, France, was hampered by the cost of coal

all through the century that one realises the enormous bounty bestowed by nature upon this country. Cheap and good coke joined to the existence of skilled artisans enabled Great Britain to make cheap machines, cheap locomotives, steamers and engines, and she was thus able to become the world's construction shop and forge. Over and above this the geographical situation of the coal fields was most favourable i. e. the coal was not merely there, it was get at able and transportable .. Her coal and Iron also lay together near the coast which minimised the difficulty of transporting the finished goods ”

व्यक्तिगत स्वतन्त्रता (Personal Freedom)

मानव के पूर्ण विकास के लिए उसकी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता बहुमान परमावश्यक है। जिना स्वतन्त्रता के मनुष्य अपना विकास नया राष्ट्र का विकास करने में सहैत्य आधमर्य रहता है। भाग्यवत् इंगलैंड के निवासियों को पूर्ण रूप से व्यक्तिगत स्वतन्त्रता प्राप्त थी। इंगलैंड के निवासी अपने भाग्य का निर्माण करने ने लिए स्वतन्त्र थे। नोल्व के शब्दों में—

“Serfdom had disappeared in England, Scotland and Ireland by the end of the 16th century, so that by the middle of 18th century the inhabitants of Great Britain were free to move as perhaps no other people were at that time”

सरकार द्वारा व्यापार नीति (Free trade) का अनुसरण कर रही थी। व्यापार एवं उद्योग में सरकार द्वारा किसी प्रशासन की भी हस्तक्षण न था। बस्तुओं के आयात नियंत्रित पर भी कोई प्रतिबन्ध न था। ऐसी दशा में इंगलैंड के व्यापार एवं उद्योग घन्हों का पनपना त्वमाविक ही था। नोल्व के शब्दों में—

“It is only when one contrasts the utter destruction of industrial and commercial life for 10 years after the French Revolution and grasps the fact that it took France till 1830 to get back to the same pitch of commercial prosperity that she enjoyed before the Revolution that one realises how destructive to Economic progress political insecurity may become.... It is clear that the political and economic freedom in England was one of the contributing causes of her industrial expansion.”

सामुद्रिक शक्ति (Maritime Power)

प्राचीन समय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एवं राजनीतिक स्वतन्त्रता कायम

रखने के लिए सामुद्रिक शक्ति का होना अनिवार्य था। बहुओं का आयात नियंत्रित जलपोतों पर ही निभर था। इंग्लैंड की जहाजी शक्ति उस समय अन्य राष्ट्रों की अपेक्षा अतुलनीय थी। इसी जहाजी शक्ति के सारण ही इंग्लैंड अपना विश्वव्यापार सामाजिक स्वापत करने में सफल हो सका। इंग्लैंड का विश्वव्यापार व्यापार इही जलपोतों की देन था जिसके सारण ही इंग्लैंड का औद्योगिक व्यापार बड़ी दृढ़तामी गति से सम्भव हो सका। श्री नोल्स ने शब्दा म—

'Her ubiquitous tramp has given her facilities for the receipt and despatch of goods which were unrivalled by any other country before 1914. It is scarcely realised however what an important asset the English ship captain has been in pushing English trade. As he goes all over the world it is his business to get freights, and he is willing to carry for anyone who will charter him, but he wishes above all to get back to England, and will work towards that end in getting cargoes. He is one of the best agents for British trade and he is found everywhere'

संगठन की योग्यता (Ability of Organization)

बड़े पेमाने की उत्पत्ति में संगठन का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। वास्तविकता यह है कि यिन्होंने दुश्यल संगठन के विसी मी राष्ट्र ने व्यापार एवं औद्योगिक विकास उन्नति नहीं कर सकता। 'संगठन में ही बल है' यह एक कहना सत्य है। उचित संगठन ही दुश्यल उत्पादन की मूल आधारशक्ति है। उद्योग धर्मों का सचालन एवं उनका विकाश यिन्होंने संगठन के सम्भव नहीं। इंग्लैंड के औद्योगिक विकास की पृष्ठ भूमि में वहाँ के लोगों में संगठन की योग्यता का होना ही है। इंग्लैंड के नियंत्रियों ने बहुत व्यापार के कारण संगठन की योग्यता प्रसंकरने में सफल हो चुके थे। नोल्स के शब्दों में—

'To the Englishman who had catered for a century for large foreign Markets of the most diverse character, large scale production was perfectly familiar—he had trading connections all over the world with hot climates and with cold ones. He could and did sell his stuff from the Arctic to Mexico.'

इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति (Geographical Location of England)

इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति में प्रक्रिया भी बड़ा शक्तिशाली हाथ रहा है। वास्तव में बहुत कुछ इंग्लैंड के व्यापार एवं उद्योग-धर्मों का विकास उसकी भौगोलिक स्थिति के कारण सम्भव हो सका। नोल्स के शब्दों में—

"The Geographical position of Great Britain on the out skirts of Europe at the head of the Atlantic and commanding the approach to northern Europe gave her unrivalled opportunities for selling in any market."

अपनी भौगोलिक स्थिति के फारण ही इंग्लैंड पुन निर्यात व्यापार में आशा तीव्र सफलता प्राप्त कर सका। प्रो॰ टामस (Prof. Thomas) ने टीक ही लिपा है—

'England was first in the field and her natural resources have enabled her to remain first amongst nations.'

उन्हुके विवेचन सम्पाद है कि अस्तुत नाबार, एँजी की प्रचुरता, उद्योग सचालग का योग्यता, आन्तरिक शान्ति, जोहे एवं बोयले की प्रचुरता देशवासियों में साहस की भावना एवं अनुकूल प्राकातक वातावरण के कारण ही इंग्लैंड ही ऐसा राष्ट्र या द्वितीय श्रीयागिक क्रान्ति वा सर्वप्रथम सौभाग्य प्राप्त हो सकता था।

श्रीयागिक क्रान्ति के आर्थिक एवं सामाजिक प्रभाव

(Economic & Social Effects of Industrial Revolution)

श्रीयागिक क्रान्ति न कन्स्ट्रॉलर नवीन आवधारों का क्रम सालग मया जिसने इंग्लैंड के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का स्वरूप ही बदल दिया। विद्यालय उद्योग, आवागमन र साधनों एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने इंग्लैंड को आर्थिक जीव मिशन का पद प्रदशक बना दिया। आर्थिक वेभव एवं सम्प्रता में आशालील वृद्धि हुने पर्य दशवासियों के रहन-सहन के स्तर में वृद्धि होना स्वाभाविक ही था। राजनीतिक द्वेष म सभी इंग्लैंड अपना प्रभुत्व जमा कर इतने बड़े साम्राज्य के स्थापित करने में, जिसम कभी सूर्य ही न अस्त होता हो, सफल हो सका। नोल्ट के शब्दों में—

"The Industrial and commercial Revolutions had created new social classes, a new trading class, a new industrial class and a new moneyed power arose, and the old landed interest declined correspondingly in importance. These new classes constituted the new democracy of the 19th century."

आर्थिक प्रभाव

नये उद्योगों का जन्म

श्रीयागिक क्रान्ति के कारण ही इंडस्ट्रीज में नए-नए उद्योगों का जन्म हुआ। उदाहरण स्वरूप बोयला उद्योग, लौह एवं इस्पात उद्योग, रेखायनिक उद्योग, इजी रियरिंग उद्योग आद। श्रीयागिक विकास के कारण अन्य बहुत से पूरक उद्योगों का

पनपना स्वामानिक ही था। वास्तव में इंडलैंड श्रीयोगिक क्रान्ति के उपरान्त विशाल काय उद्योगों का द्वीप बन गया।

कुटीर उद्योगों का पतन

बड़े पैमाने पर उत्पत्ति प्रारम्भ हो जाने के कारण कुटीर उद्योग उनकी प्रतियोगिता में न ठहर सके और क्रमशः उनमा स्थान बड़े उद्योगों ने ले लिया। प्रो॰ हैमरण्ड (Prof. Hammond) के शब्दों में—

'The handicraft system of manufacturing industry passed through domestic system in which the germ of capitalism was sown to the present factory system'

व्यापार के स्वरूप में अन्तर

श्रीयोगिक क्रान्ति के उपरान्त व्यापार का स्वरूप ही बदल गया। प्राचीन समय में आवागमन के साथी के विभिन्न न होने के कारण व्यापार बैबल एक राष्ट्र की चहारदीवारी तक ही समित रहता था। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत सीमित बस्तुओं में सम्भव हो सकता था क्योंकि लंबे अधिक होने के कारण सभी चस्तुएँ उसको बहन नहीं बरकरती थीं। क्रान्ति के उपरान्त प्राय प्रत्येक बस्तु का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार होने लगा। भौगोलिक अम विभाजन के फलस्वरूप प्रत्येक राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर ही निभर रहने लगा। प्रो॰ हैमरण्ड (Prof. Hammond) न थीर ही लिखा है—

'Before the Revolution Luxury goods for the use of the rich were the most important in the foreign commerce After the revolution goods of daily use for popular consumption occupied the most important place'

बड़े पैमाने पर कृषि

श्रीयोगिक विकास के फलस्वरूप लोग ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर श्रीयोगिक क्षेत्रों में आने लगे जिसके कारण जनसंख्या का भार भूमि पर बहुत कम हो गया। नवीन आरिदारों के फलस्वरूप कृषि में यन्होंने वाल उद्योग सम्भव हो गया। अम की कमी हो जाने के कारण ऐसा अनिवार्य भी था। परिणामस्वरूप यह शहर में कृषि बड़े पैमाने पर होना शुरू हो गई। इससे उत्पादन में बढ़ि तुरंत और कृषकों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ।

बहुत प्तरादन एवं रहन सहन के स्तर में बढ़ि

विशालकाय उद्योगों के कारण बड़े पैमाने पर उत्पत्ति होने लगी। विभिन्न प्रकार

की वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि के साथ ही साथ वस्तुओं के मूल्य भी बहुत कम हो गये। परिणामस्वरूप प्रत्येक व्यक्ति उन वस्तुओं के उपयोग करने की ज्ञानता रखने लगा। ऐसी अवस्था में रहन-सहन के स्तर में वृद्धि स्वाभाविक ही थी। प्रो० हैमन्ड (Prof Hammond) के शब्दों में—

“Two centuries ago not one person in a thousand wore stockings, one century ago not one person in five hundred wore them, now not one person in a thousand is without them”

शहरों की उत्पत्ति तथा श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं आवास की समस्या का प्रादुर्भाव

श्रीयोगिक चेत्रों में कमशः जनसंख्या की वृद्धि होने लगी। नोल्स के शब्दों में—

“Before 1760, the south east of England had been the richest and most populous part of the country, but after the revolution the north western part became more prominent”

शहरों की उत्पत्ति के साथ ही विभिन्न सामाजिक समस्याओं का प्रादुर्भाव हुआ। जनसंख्या के आविष्यक के कारण आवास की समस्या अत्यन्त बढ़िल हो गई। गन्दी श्रितियों का प्रादुर्भाव हुआ और परिणामस्वरूप सरकार के सम्मुख यहां निवासियों के स्वास्थ्य-रक्षा का प्रश्न मुख्य रूप से उपरिथित हुआ। नोल्स के शब्दों में—

“There were no arrangements for disposing of the house refuse which always accumulates, ash pits overflowed and spread “a layer of abomination” about the courts and streets Town had always been insanitary places suffering from plague, small pox and other virulent fevers...The piling of the population on new areas made an existing evil much worse, it aggravated the filth, congestion and infection, and no machinery existed to grapple with the problem On the top of the dirt and disease came the great difficulty of the disposal of the dead The overcrowded state of the little town burial grounds added to the horrors of town life and poisoned the water supply”

उपर्युक्त समस्याओं के प्रादुर्भाव के कारण सरकार के दायित्व अत्यधिक बढ़ गये जिसके कारण नये करों की व्यवस्था एवं राजस्व में आमूल परिवर्तन करने की

आवश्यकता हुई। वास्तव में यह राज्य के लिए एक नवीन जटिल आर्थिक समस्या थी।

श्रमिकों की आर्थिक स्वतन्त्रता का अभाव

बड़े पैमाने परीक्षण में अम विभाजन का होना अनिवार्य होता है। अम विभाजन के फलस्वरूप प्रत्येक श्रमिक को केवल एक ही कार्य सदैव करना पड़ता है। इसका परिणाम यह हुआ कि वह केवल सम्पूर्ण कार्य के एक भाग का ही जानने वाला चन बैठा और अपने प्राचीन कौशल को खो बैठा। एक विशेष कार्य के सम्पादित रहने की योग्यता रखने के कारण वह अन्य स्थानों पर कार्य छोड़कर जाने में असमर्थ हो गया और इसलिये पूर्णरूप से वह अपने मालिकों पर आधित रहने लगा। अब वह केवल मशीन का दास था और अपनी आर्थिक सम्पत्ति को बढ़ाने में पूर्ण रूप से असमर्थ था।

कार्य में नीरसता

अम विभाजन के कारण एक ही कार्य निरन्तर करते रहने से श्रमिक अपने कार्य में नीरसता का अनुभव करने लगा और उसकी कार्यक्षमता गिर गई और इसके साथ ही उसकी आवभी भी। नोल्स के शब्दों में—

"A spinner is required to do but one thing through out his whole life to watch a pair of wheels and to walk three steps forward and three steps backward."

श्रमिकों का शोषण

बड़े पैमाने की उत्पत्ति में उत्तोगपति पूँजी तथा वच्चे माल का मालिक था और श्रमिक रेवल कुछ द्रव्य के बदले में उत्पादन किया का सम्पादन करता था। अब वह स्वयं अपने भाग का निर्माता नहीं था, वरन् अपनी जीविका के लिए पूर्ण रूप से अपने पूँजीपति मालिकों पर आधित था। मालिकों का उद्देश्य अधिक लाभ कमाना था। परिणामस्वरूप उन्होंने श्रमिकों की दयनीय स्थिति का लाभ उठाया और उनका प्रत्येक रूप से शोषण किया। काम के घन्टे अधिक एवं मजदूरी कम थी, परन्तु फिर भी श्रमिक आधित होने के कारण उसके विश्वद एक शब्द भी वहने में अपने को असमर्थ पाता था। ऐसी दशाओं में श्रमिकों की आर्थिक स्थिति दयनीय ही चाहना, न्यायालंकृति, ही, था।

श्री टामस के शब्दों में—

"Labourers became mere attendants on machines, propertyless, moneyless and homeless"

औद्योगिक सर्वर्प एवं शान्ति का अभाव

श्रमिकों में रोषण के कारण उनको पूँजीपतियों के विश्वद सघर्ष करने के लिए चिंता होना पड़ा। हृदयाल एवं तालेबन्दी आमतौर पर होने लगे। इन औद्योगिक सघर्षों के कारण सामाजिक शान्ति का भग होना स्वाभाविक ही था।

श्रमिक संघों का प्रादुर्भाव

निर्धन एवं शक्तिहीन श्रमिक अपने प्रतिद्वन्द्वी पूँजीपति से अनेक सर्वर्प करने एवं अपनी दशा में सुधार करने के प्रयत्न में कभी भी सफल नहीं हो सकता था। परिणामस्वरूप उनको संघों का स्थापित करना अनिवार्य हो गया वयोंकि बिना सामूहिक शक्ति के वे विजय नहीं प्राप्त कर सकते थे। नोल्स के शब्दों में—

“Massed together they could discuss their grievances and the operative became ‘class conscious’ All through the 18th century trade Unions had been developing.”

संयुक्त प्रमदलों का प्रादुर्भाव (Birth of Joint Stock Companies)

बड़े पैमाने की उत्पत्ति के लिये बहुत पूँजी की आवश्यकता पड़ती है। इतनी सब की सब पूँजी की पूर्ति केवल एक ही व्यक्ति के शक्ति के बाहर थी। परिणामस्वरूप संयुक्त प्रमदलों का जन्म हुआ जिसकी पूँजी विभिन्न अशों (Shares) में विभक्त थी और उसकी कई मनुष्य मिलकर समिति करते थे। इस प्रकार इंगलैंड में पूँजी का उपयोग समूचित रूप से सम्भव हो गया। प्रत्येक व्यक्ति बड़े बड़े संस्थानों में केवल कुछ अश खरीद बर ही उसक मालिक होने का गीरव प्राप्त कर सकता था। इन प्रमदलों के कारण इंगलैंड की औद्योगिक उन्नति को और भी प्रोत्साहन मिला।

नवीन व्यावसायिक संस्थाओं का जन्म

बड़े पैमाने की उत्पत्ति के कारण नवीन व्यावसायिक संस्थाओं जैसे बैंकिंग, चीमा, घोक व्यापार एवं फुटकर व्यापार, दलाली आदि का स्थापित होना आवश्यक ही था। बिना इसके बड़े पैमाने की उत्पत्ति सुचारू रूप से नहीं चलाई जा सकती थी। वास्तव में बहुत उत्पादन के ये सभी आवश्यक प्रसंगन हैं।

इंगलैंड का कच्चे माल दथा खाद्यान्न के लिये अन्य राष्ट्रों पर निर्भर होना

भौगोलिक श्रम विभाजन के कारण इंगलैंड के लिए वह लाभप्रद था कि वह केवल उद्योगों द्वारा करने माल से वस्तुओं का उत्पादन करके अन्य राष्ट्रों से अपनी खाद्यान्न की कमी को पूरा करे। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधाओं के कारण ऐसा सम्भव भी हो सकता था। परिणामस्वरूप इंगलैंड ने कच्चा माल तथा खाद्यान्न

अन्य देशों से आयात करना प्रारम्भ कर दिया और निर्मित माल को उसके बदले में देने लगा। अब वह पायाज़ वी पूर्ति के लिये दूसरे देशों पर निर्भर हो गया और यह कथन सिद्ध हुआ कि यदि इंग्लैण्ड का व्यापार चला जाय तो उसकी आधी जन-सख्ती चली जाय। नोल्स के शब्दों में—

“By the beginning of the 20th century Great Britain had become a great food importing nation, only one in ten of her male workers were still in agriculture, 77% of the population was massed in urban areas in 1901”

राष्ट्रीय सम्पत्ति में वृद्धि

श्रीयोगिक उत्थान एवं वृहत् व्यापार के कारण विश्व की सम्पत्ति क्रमशः इंग्लैण्ड में आने लगी। इंग्लैण्ड का वैभव एवं सम्पत्ता अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया। ऐसी दशा में वहाँ के निवासियों के रहन सहन के स्तर में वृद्धि स्वाभाविक ही थी।

श्रमिकों की कार्यक्षमता में वृद्धि एवं उनकी आर्थिक सम्पत्ता

नवीन मशीनों के प्रादुर्भाव के कारण इंग्लैण्ड के श्रमिकों की कार्यक्षमता में वृद्धि स्वाभाविक ही थी। श्रीयोगिक विकास के फलस्वरूप श्रमिकों को रोजगार मिलने की सुविधाएँ भी अधिक थीं। प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिल जाने के कारण श्रमिकों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई। नोल्स के शब्दों में—

“It is admitted by every one that our skill is unrivalled, the industry and power of our people unequalled, their ingenuity as displayed in the continual improvement of machinery and production of commodities without parallel.”

सामाजिक प्रभाव

श्रीयोगिक क्रान्ति का परिणाम समाज का दो प्रतिशेषी वर्गों में विभाजित हो जाना था—एक और धनी वर्ग और दूसरी और निर्धन एवं अभावग्रस्त। इस वर्ग विभाजन का परिणाम समाज में धन के असमान वितरण की समस्या का प्रादुर्भाव था। धनी वर्ग समाज में अपने प्रभुत्व के कारण निर्धनों का शोषण करने लगा जिससे वह और अधिक वैभवशाली एवं सम्पन्न बनता गया, परन्तु दूसरी ओर निरीह निर्धन वर्ग और अधिक निर्धन बनता चला गया। इस प्रकार धन के विषम-वितरण की समस्या का प्रादुर्भाव हुआ।

श्रमिकों की स्वतंत्रता का अभाव

श्रमिकों वी स्वतंत्रता वास्तव में श्रीयोगिक विकास के कारण सदैव के लिए

छिन गई। अब वह केवल एक मज़बूर के रूप में उद्योगपतियों पर निर्भर हो गया। पहले वह स्वतन्त्र रूप से खुले एवं सच्च चातावरण में अपना कार्य करता था अब उसको फैब्री की चहारदीवारी के अन्दर असच्च चातावरण में एक दास के रूप में कार्य करना पड़ता था। अब वह केवल आशा का पालन करने वाला सेवक ही रह गया। नौल्स के शब्दों में—

“The worker disliked the regularity and the tyranny of the factory bell.”

सामाजिक समस्याओं का प्रादुर्भाव

अधिकों की दशा के सुधार, आवास की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था आदि चमाम चामाजिक उमस्याओं का प्रादुर्भाव केवल औद्योगिक द्वे दो के विकास के परिणामस्वरूप हुआ। बच्चों तथा लियों की फैब्री में काम करने की समस्या ने भी एक जटिल रूप धारण कर लिया। जिसके कारण उसका सुधार करना भी आवश्यक हो गया।

शान्ति का अभाव

औद्योगिक सर्पर्ष के कारण उमाज में शान्ति की व्यवस्था भी एक नवीन समस्या भी जिसका प्रादुर्भाव औद्योगिक क्रान्ति के फलस्वरूप हुआ।

इंग्लैंड एक कृषि प्रधान देश न रह कर औद्योगिक राष्ट्र हो गया

औद्योगिक विकास के कारण इंग्लैंड की लगभग ७७ प्रतिशत जनता उद्योगों में लग गई। इंग्लैंड खाद्यान के लिए दूरे देशों पर निर्भर रहने लगा। नौल्स के शब्दों में—

“Before Industrial Revolution the typical picture of John Bull represents him as a prosperous farmer, not as a captain of industry.”

उपर्युक्त तुरे प्रभावों के अतिरिक्त औद्योगिक क्रान्ति के कुछ सामाजिक प्रभाव अच्छे भी थे। सर्वप्रथम औद्योगिक विकास के कारण इंग्लैंड के वेष्ट एवं समृद्धि में वृद्धि हुई जिसके कारण चारे उमाज का रहन-सहन का स्तर बढ़ गया। लोगों की आव में पर्याप्त वृद्धि समव हो सकी। अब कुटुम्ब के सभी व्यक्ति अलग-अलग घन-उर्पाज्ञन करने लगे जिससे सभी की आर्थिक समझता में वृद्धि समव हो सकी।

द्वितीय, काम करने की दशाओं में भी तुधार हुआ। क्रान्ति के पहले सभी कुटुम्ब के व्यक्ति मिलकर अपने निवास स्थान पर ही कार्य किया करते थे परिणामस्वरूप स्थान का अभाव रहता था। अब धनिक फैब्री में कार्य करता था और उसके रहने का स्थान अलग था। नौल्स के शब्दों में—

"A man was physically better off in a well ventilated factory than when he worked in a home littered with the mess of the family production He no longer ate, drank and slept with the refuse of his work "

तृतीय, सयुक्त परिवार प्रथा के छिपे मिज्ज हो जाने के कारण प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक एवं आर्थिक उत्थान हुआ। परिवार का प्रत्येक सदस्य अपने पैरों पर खड़ा होकर स्वावलभ्बी बन सका। प्रत्येक व्यक्ति के ग्रलग ग्रलग आमदनी के साधन हो गये। नोल्स ने टीक ही लिखा है—

"Although the sentimentalists were shocked at the break up of family life, yet domestic happiness is not promoted but impaired by all the members of a family muddling together and jostling each other constantly in the same room. The man was improved morally by working regular hours which were said to engender regular habits "

चतुर्थ, परिणाम यह था कि नवीन व्यवसायों के प्रादुर्भाव के कारण लोगों को अधिक काम मिलने लगा।

पाँचवाँ प्रभाव वस्तुओं की किसी के सुधार एवं उसके सस्ते होने का था। वहे दैमाने पर उत्पत्ति के कारण वस्तुओं का मूल्य कम होना स्वाभाविक ही था। इसके अतिरिक्त मरीन का बना हुआ माल हाथ दारा उन्पादित माल की अपेक्षा अच्छा भी था। इसका परिणाम यह हुआ कि उमाज म व्यक्तियों को सस्ती तथा अच्छी वस्तुएँ उपलब्ध होने लगीं और उसके रहन रहन के स्तर में विकास हुआ।

छठे, श्रमिकों की बुद्धि में विकास भी औद्योगिक मरीनों के उपयोग से सम्भव हुआ। नवीन मरीनों पर कार्य करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता थी। वे अपने काम में दब्ब हो गये।

सातवें, कार्ब करने की दशावें भी अच्छी हो गईं। जिन्हों तथा बच्चों को तो बहुत ही राहत मिल गई। नोल्स ने लिखा है—

The creatures were set to work as soon as they could crawl and their parents were the hardest of task masters family work and the family wage often meant that the members of the family were sweated by their parents or the wife by the husband "

उपसहार

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि औद्योगिक कान्ति इन्डियन फ लिये वरदान थी। इसके फलस्वरूप हो सकता है कुछ हानियाँ भी हुई हों, परन्तु सकल भाल

(Period of Transition) में कुछ अशान्ति होना स्वाभाविक ही है। वास्तविकता तो यह है कि औद्योगिक क्रान्ति ने इंग्लैंड ऐसे छोटे से द्वीप की सत्ता सारे विश्व में राजनैतिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में जमा दिया और वह एक प्रभुत्वशाली राष्ट्र बन गया। नोल्ट के शब्दों में :—

“The 16th century was the century when Spain swayed the economic destinies of Europe..... The 17th century belongs to Holland with her vast exchange business and shipping, the 18th is the century of France with her great industrial, commercial and colonial development....but the 19th century is the century of the predominance and world-wide influence of this tiny island on the outskirts of Europe”

गह औद्योगिक क्रान्ति का ही परिणाम या कि इंग्लैंड अपना राजनैतिक प्रभुत्व समस्त विश्व के लगभग १/४ माग पर जमा सका। इतना बड़ा साम्भाज्य विसर्ग में कमी सूर्य ही अल्प न होता हो कदाचित् इंग्लैंड का प्रथम एवं अन्तिम उदाहरण होगा। इंग्लैंड सारे विश्व के आर्थिक जगत का भाष्य-निर्माता बन गया। नोल्ट ने ठीक ही लिखा है —

“England became the forge of the world, the world's carrier, the world's ship-builder, the world's banker, the world's work-shop, the world's clearing house, and the world's entrepot.”

द्वितीय खण्ड

“भारतीय कृषि को समस्याएँ”

- (१) भारतीय कृषि का विकास
- (२) भारत में अकाल
- (३) खाद्य-समस्या
- (४) सिंचाई व्यवस्था
- (५) कृषि भूमि उपविभाजन एवं उपखडन
- (६) कृषि पदार्थों का विक्रय
- (७) भूमि व्यवस्था
- (८) कृषि नियोजन
- (९) सामुदायिक विकास योजनाएँ
- (१०) मूल्यों का स्थिरीकरण

भारतीय कृषि का विकास

(Evolution of Indian Agriculture)

“जब देती फलती फूलती है, तब सब धन्ये पनपते हैं, किन्तु जब भूमि को बजर छोड़ दिया जाता है तब अन्य सभी धन्ये शीघ्र नष्ट हो जाते हैं।”

सुक्रात

भारतवर्ष आदि काल से ही कृषि प्रधान देश रहा है। कृषि ही देश के आर्थिक ढाँचे की रीढ़ की हड्डी है। कृषि हमारे देश का न केवल एक उद्योग धन्या ही है और न केवल यह जीविकोपार्जन का साधन मात्र ही, बरन् यह वास्तविक रूप में राष्ट्र का प्राण है। कृषि कार्य एक प्रभुख राष्ट्र सेवा है। राष्ट्र-सम्पत्ति एव समृद्धि एक मात्र कृषि की समृद्धि एव उन्नति पर निर्भर है। आज यह निर्विचार तत्पर है कि कृषि की उन्नति पर ही हमारे राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक एव राजनीतिक शक्ति, शान्ति, सुख एव समृद्धि निर्भर है। आज भी लगभग ८० प्रतिशत भारतीय जनता कृषि उन्नयन पर ही निर्भर है। कृषि पर ही किसी देश की लाद सामग्री की नपलन्धि निर्भर है और साथ ही साथ अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल भी। यही कारण है एक औद्योगिकरण के इस बढ़ते हुए युग में भारतीय कृषि एव भारतीय कृषक का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। बहुत कृषि ही हमारे राष्ट्रीय सम्पत्ति की मुख्य आधारशिला है। इतना महत्वपूर्ण स्थान होते हुए भी विगत चार तीन वर्षों का भारतीय कृषि का इतिहास, भारतीय कृषक का दयनीय, दुखद एव दरिद्रता की रोमाचकारी एव कषण कहानी है। भारताय मानवता के इस प्रतीक ने शताल्डियों तक लगान, कर्न, नजराने का कमर तोड़ देने वाला चोक ढोया है। केविन इतने पर भी वह विचलित नहीं है। युगों युगों की निराशा और क्षेत्र ने उसको भाग्यशादी बनाकर छोड़ दिया है आर उसने समझ लिया है कि यह सब किसक का खेत है।

प्राचीन काल में (१८५७ के पूर्व) कृषि की दशा

हमारे देश की जल वायु, भूमि एव अन्य प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुसार कृषि ही हमारे देश के आर्थिक विकास की आधारशिला थी। कृषक-रिवार छोड़े

छोटे समूहों में अपने निकट की कृषि भूमि के पास निवास करने लगे और ये स्थान ही उनके ग्राम कहलाने लगे थे। कृषि इन परिवारों द्वारा छोटे पैमाने पर की जाने लगी। इस प्रकार कृषि का विकास एक छोटे पैमाने के उद्योग के रूप में हुआ जिसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक परिवार की आवश्यकताओं के लिए उसे स्वावलम्बी (self sufficient) बना देना था। इस प्रकार प्राचीन काल में ग्राम एक आर्थिक स्वावलम्बी इकाई के रूप में होता था। प्रत्येक गाँव में इस प्रकार की व्यवस्था थी कि वहाँ के निवासियों को गाव को छोड़ कर अपनी आवश्यकताओं के लिए किसी अन्य स्थान या व्यक्तियों पर निर्भर न होना पड़े। प्रत्येक गाँव का मुख्य उद्यम कृषि था। कृषि से स्वाद्य सामग्री के अतिरिक्त विपास, गन्ना, तेलहन, जूट इत्यादि वस्तुएँ भी प्राप्त होती थीं। प्रत्येक गाँव में कपड़ा बनाने वाले जुलाहे, जूतों तथा खेती के लिए चमड़े का सामान बनाने वाले चमार, चफाई करने वाले मेहतर, बच्चा पैदा कराने वाली दाई, कपड़े धोने के लिये धोबी, हजामत बनाने के लिए नाई, अन्य छोटी-छोटी वस्तुओं के बेचने वाले बनिए, उधार धन देने का कार्य करने वाले महाजन, लोहे व लकड़ी का सामान बनाने वाले लोहार बद्री, मुरक्का के लिए चौकीदार, कृषि भूमि का हिसाब बिताव रखने के लिये पटवारी, आपसी झगड़ों का निवारण करने के लिए गाँव का मुखिया होता था। इस प्रकार गाँव एक स्वावलम्बी आर्थिक एवं सामाजिक इकाई थी। गावों की स्वाधीनता के कारण यातायात के साधनों का विकास नहीं हुआ क्योंकि आवश्यकताएँ ही आविष्कार की जननी हैं। स्वावलम्बिता को पुष्ट करने के लिए आवश्यकताएँ कम से कम हो यह आवश्यक था। आवश्यकताओं की वृद्धि पर धार्मिक भावना अकुशा लगाती थी।

कृषि में काम आने वाले पशु तथा दूध देने वाले पशु पाले जाते थे। कृषि में उत्पादित वस्तुओं के द्वारा आवश्यकता की अन्य वस्तुओं के बनाने वाले छोटे छोटे उद्योग प्रत्येक परिवार में किये जाते थे। इस प्रकार प्रत्येक गाँव कृषि के सहायक एवं कृषि पर निर्भर उद्योग धनों का कन्द्र था। कृषि वर्षा पर निर्भर थी और वर्षा की अनिश्चितता के कारण प्राय कृषि में उत्पादन अत्यन्त अल्प होता था। उस समय कृषि का सकट काल अर्थात् अकाल की समस्या उपस्थित हो जाती थी। ऐसे अवसरों पर कुटीर उद्योग कृषकों की रक्षा करते थे और समृद्धि ग्राम निवासी सहकारिता के आधार पर एक दूसरे की सहायता करके सकट काल पर विजय प्राप्त कर लेते थे। आवश्यकताओं के न्यूनतम होने के कारण मुद्रा द्रव्य का प्रयोग नहीं होता था। वस्तु विनेमय मुख्यतः प्रचलित था। इस प्रकार का विनेमय प्राय समय-समय पर किसी एक स्थान पर सभी घर्कि एकत्र होकर कर लिया करते थे। इन स्थानों को हाद या बाजार कहा जाता था। तीर्थ स्थानों पर भी लोग एकनित होते थे और वहाँ पर

भी वस्तु विनिमय व्यापार किया जाता था। यातायात का मुख्य साधन बैलगाड़ी या खच्चर, घोड़े और गवे थे। रहीं पर, कॉट गांडिवाँ भी प्रचलित थीं।

सम्पूर्ण दृष्टि भूमि उस स्थान के प्रमुख व्यक्ति अर्थात् राजा, चालुकेदार या चर्मदार की होती थी। कृपकों को राजा के लिए दृष्टि से उत्पादित वस्तुओं के रूप में जो कि सम्पूर्ण वार्षिक उत्पादन वा एक निश्चित अश देता था लगान के रूप में देना पदवा था। इसके बदले राजा अपनी प्रजा की रक्षा करना तथा उनको सुविधा प्रदान करना अपना कर्तव्य समझता था।

हिन्दू समाजों के युग में भारतीय द्रामों में धन धान्य, चुप, शान्ति एवं समृद्धि भरपूर थी। जबता सुखी थी तथा उच्च प्रिचार एवं सादा जोवन के सिद्धान्त पर चमी चलते थे। इसी कारण से प्राचीन काल में हमारे देश में पड़े से बड़े विद्वान, कवि, चलाकार तथा सत महात्मा उत्पन्न हुए जिनके अतीत गौरव से हम अब भी अपना मस्तक गर्व से ऊपर उठा सकते हैं। मौर्य काल एवं चुतकाल में विदेशी दात्रियों ने दृष्टि उद्योग एवं नहाँ की आधिक, सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्थाओं का भी वर्णन किया है उससे सिद्ध होता है कि प्राचीन काल में हमारे देश की कृषि अत्यन्त समृद्धशाली एवं उन्नतिशील थी।

मध्यकालीन युग में (१८५७ से पूर्व) दृष्टि की दशा

हिन्दू राज्य काल के समाप्त होने पर हमारे देश में मुसलमानों का राज्य शासन स्थापित हुआ। इन बादशाहों ने हमारे ग्राम समाज से कोई छेड़छाड़ नहीं की अतः हमारे प्रामों के समाज की रूप रेसा लगभग वही बनी रही जो कि प्राचीन काल में थी। इन राजकों म से कुछ ने तो कृषि की उन्नति के लिए बहुत प्रयत्न किये जैसे शेरशाह के समय में भूमि की नाग जोख हुई तथा उपजाऊपन के अनुसार कपि का वर्गीकरण भी किया गया। सिंचाई के लिए कुछ तथा तालाबों एवं नहरों के निर्माण भी किये गये। अकबर, शाहजहाँ और जहाँगीर के समय में भी इसी प्रकार राज्य की ओर से कृषि की उन्नति के प्रयत्न किये गये।

ओरंगजेब के शासन काल म सुगल साम्भाल के अध्यपतन का बाल आया। केन्द्रीय शासन कुछ टीला पड़ने लगा तथा कर नगूल करने में कठिनाइयाँ आने लगी। कर एकत्रित करने के लिए राज्य की शोर से कुछ व्यक्तियों को कृपकों से कर बताने के ठेके दिये जाने लगे। इधर जनउल्लय का भार क्षिप्र पर अत्याधिक बढ़ गया। सन् १६७० ई० के बनियर इतिहासकार के वर्णन से पता चलता है कि राज्य कर्मचारियों, जागीरदारों तथा ठेरेदारों दे भट्टाचार एवं अनुशासनहीनता के कारण कृपकों पर अत्याचार तथा उनका गोप्य होने लगा और इन सब कारणों से कृषि वी दशा अत्यन्त योजनीय हो गई थी। कृपकों से जबरदस्ती वेगार ली जाती

थी। व गाथों को छोड़ कर अत्याचार से पीड़ित होकर भागी-भागे फिरते थे। कृपकों की दशा ना दयनीय वर्णन करते हुए पेलसर्ट महोदय लिखते हैं—

“इन अभागों के जीवन की यह सचिप्र कथा है। इन दासों की तुलना उन धृणित केचुआ तथा छोटी छोटी मछलिया से की जा सकती है जो चाहे जितना प्रयत्न करने पर भी सामुद्रिक बड़े बड़े दानवाकार जलजीवों से अपनी रक्षा में असमर्थ हैं और किमी भी समय उनके द्वारा भवण कर लिए जा सकते हैं। इस देश के भहलों में यहाँ की सम्पत्ति केन्द्रित है। वह सम्पत्ति जो कि वास्तव में चमचमाती हुई है इन्तु गह असहाय एवं निर्धन व्यक्तियों की पसीने की कमाई एवं सम्पत्ति है जो उनसे छीन ली गई है।”

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रधकालीन युग में कृषि की दशा अत्यन्त शोच नीय थी और मध्यस्थी, जागीरदारों, जमीदारों, ठेकेदारों तथा वाल्लुनेदारों के हूनी पब्जों में भोजी भाली, निर्धन एवं असहाय कृषक जनता तड़प तड़प कर जीवित रहने का प्रयत्न कर रही थी।

इयर एवं ओर तो मुगल साम्राज्य का अधिकार हो रहा था और उसके अन्तर्गत शासन की नीव ईस्ट इंडिया कम्पनी के रूप में पड़ रही थी। ईस्ट इंडिया कम्पनी के शासनों ने समय में भी कृपकों की वही दयनीय एवं शोचनीय दशा रही। अग्रेज भी मध्यस्थी एवं जमादारों के सहयोग से कृपकों का भरसक शोषण करते रहे। उन्होंने निर्देशापूर्वक कृपकों का शोषण करके और उनकी समस्त सम्पत्ति उनसे छीन कर अपने देश को ले जाते रहे। इस काल में अनेक रोमानकारी अकाल पढ़े जिनमें पड़ी सख्ता म ग्रामीण जनता का नाश हो गया। कुटीर उद्योगों का हास, अस्त्र दरिद्रता, निरक्षरता, असहाय शोषण एवं अत्याचार का बोल बाला हो गया। इस काल की कृषि का इतिहास अत्यन्त शोचनीय एवं दयनीय इतिहास है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मुगलकाल एवं ईस्ट इंडिया कम्पनी के शासन काल में कृषि न ढाँचे म कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। कृषि करने के जिन तरीकों को कृषक चिरकाल से अपनाते जाने आ रहे थे वही ढग अपनाये रहे। सन् १८१२ म जब ईस्ट इंडिया कम्पनी ने यहाँ के शासन की बागडोर सभाली तथा उसका उद्देश्य एवं उसकी नीति का मूल मत भारत में विदेश राज्य की जड़ों को मजबूत करना तथा राज्य सचालन के लिए कृषकों का शोषण करके अधिक से अधिक मालगुजारी प्राप्त करना था। कम्पनी का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता को आर्थिक शृङ्खलाओं में जकड़ कर विदिश शासन की नीव ढढ़ करना और साथ ही साथ इङ्लैण्ड के वैमत्र को भारतीय सम्पत्ति द्वारा और अधिक वैभवशाली बनाना था। यही नहीं भारतीय एकता

को नष्ट करना भी शासन को दृढ़ करने के लिये आवश्यक था। इन सभी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मध्यस्थों का बहुल्य आवश्यक था। अतः जर्मनी के रूप में कागजी ने अपने जी हुजरों एवं पिट्ठुओं को जन्म दिया जिन्होंने अपने भाष्यों पर ही अत्याचार करके भारतीय एकता को छिन्न-भिन्न कर दिया। इनके कारण ही भारतीय कृषकों का निरतर आर्थिक शोषण होता रहा और परिणामस्वरूप ये कृषक निराशा-वादी, हतोत्ताहित एवं किर्कर्तव्यविमूद् हो चैठे। उनको उत्पादक कार्यक्रमता नष्ट हो गई और वे क्रमशः अवनति की ओर अग्रसर होते चले गये। उन् १८५७ तक भारतीय कृषि पतन की दीमा पार कर चुकी थी और भारतीय कृषक पूर्ण रूप से जर्नित हो गया था। बास्तव में १८५७ की क्रान्ति की पृष्ठभूमि में जनता की यह असतोष की भावना ही मुख्य थी।

१८५७ के उपर्यन्त कृषि की दशा

सन् १८५७ के बाद देश का राज्य शासन हैस्ट इंडिया कम्पनी के हाथ से ब्रिटिश पालियामेन्ट के हाथ में चला गया। अंग्रेजी शासन ने भारत पर पूर्खतया शासन करने का निश्चय कर लिया था और उन्हें पूर्णतया विदित हो गया था कि भारतीय बजट की समृद्धि वहाँ की कृषि पर ही निर्भर है। अतः उरकार ने कृषि की ओर अपनी सहानुभूति दण्ड ढालना प्रारम्भ कर दिया। एक ओर तो उरकारी नीति में परिवर्तन हुआ और दूसरी ओर इस समय तक इगलैंड की औद्योगिक क्रान्ति का प्रभाव भी पूर्खतया भारत पर पड़ रहा था। वही वही मशीनों के द्वारा उत्पादन करने वाले उद्योगों की जहाँ-तहाँ स्थापना होने लगी। विदेशी माल के मुकाबले देशी कुटीर उद्योगों में उत्पादित माल बाजार में न ठहर सका। कृषि उद्योग की पिछङ्गी हुई दशा, कुटीर उद्योगों का हास, गाँवों से लोगों का नगरों में नियन्तर आना इत्यादि परिवर्तन प्रारम्भ हो गये। औद्योगिक क्रान्तिजनित परिवर्तनों के कारण हमारे देश के आर्थिक ढाँचे में भी बड़े बड़े परिवर्तन होने लगे। १८५७ की क्रान्ति ने अंग्रेजों को यह स्पष्ट रूप से आमाद दिला दिया कि जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता और विना कृषकों की असतोष की भावना को निर्मूल नष्ट किए अंग्रेजी शासन की नीति दृढ़ नहीं की जा सकती है। इसके अतिरिक्त शासन को नियमपूर्वक चलाने के लिए आवागमन के साधनों के विकसित करने की समस्या का भी प्रादुर्भाव हुआ। परिणामस्वरूप सरकार की कृषि नीति में परिवर्तन हुआ और साथ ही साथ आवागमन के साधनों में भी पर्याप्त वृद्धि होने लगी। इन परिवर्तनों के कारण भारतीय कृषि में भी परिवर्तन होना स्वभाविक ही था। इन परिवर्तनों की मुख्य मुख्य बातों का वर्णन निम्नलिखित है।

गाँवों की स्वावलम्बिता का हास

यातायात के साधनों में बुद्धि हुई। विदेशी माल के बाजार में प्रचुर मात्रा में होने के कारण लोगों की नवीन आवश्यकताएँ बढ़ीं और ग्रामीण जनता ग्रामों से नगर की ओर जाने लगी। इन सबका परिणाम यह हुआ कि गाँवों की स्वावलम्बिता और आर्थिक सगठन छिन्न भिन्न हो गया। ग्रामीण जनता वस्तुओं का क्रय-विक्रय अन्य स्थानों से करने लगी। आवागमन के साधनों के विकसित हो जाने के कारण ग्रामवासी समस्त विश्व से सम्पर्क स्थापित करने में सफल हो सके। वे वस्तुएँ जो केवल शहरवासियों के लिये ही सुलभ थीं ग्रामवासियों की दैनिक आवश्यकता की वस्तुएँ बन गईं। कृषक केवल उन वस्तुओं का उत्पादन करने लगा जो उसके लिये आर्थिक दृष्टि से लाभकारी थीं और अपनी दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं को अन्य स्थानों से क्रय करने लगा और इस प्रकार दूसरों पर आत्म निर्भर रहने लगा। वस्तुओं के क्रय विक्रय में प्रतियोगिता होनी प्रारम्भ हो गई। प्रतियोगिता के कारण वस्तुओं के मूल्य में बहुत परिवर्तन होने लगे। अब मूल्य स्थानीय नहीं रहा, बरन् समस्त संसार में प्रचलित मूल्य से प्रभावित होने लगा।

संयुक्त परिवारों का विधटीकरण

पाश्चात्य सम्पर्क में आने के कारण और पाश्चात्य नियमों के चालू हो जाने के कारण लोगों में स्वार्थ बुद्धि की प्रेरणा मिली। नए-नए अङ्ग्रेजी कानूनों के द्वारा भी इस भावना को प्रोत्साहन मिला। अत संयुक्त परिवार छिन्न-मिन्न होने लगे। निधनता एवं यातायात के साधन वी उपलब्धता के कारण ग्रामीण जनता अपने घर छोड़ छोड़कर जीविकोपार्जन करने के लिए अपने गाँवों को छोड़कर दूसरे स्थानों को जाने लगी और इस प्रकार भी संयुक्त परिवारों का सगठन बहुत कुछ शिथिल हो गया।

वस्तु विनिमय के स्थान पर द्रव्य (Money) विनिमय

वस्तु विनिमय के स्थान पर अब द्रव्य विनिमय को प्रोत्साहन मिलने लगा। लगान भी द्रव्य में ही लिया जाने लगा। वस्तुओं के बाजार अब बहुत दीर्घकाय तथा विस्तृत हो गए। अत द्रव्य विनिमय वी आवश्यकता पड़ी। वस्तु विनिमय धीरे धीरे समाप्त होने लगा तथा द्रव्य विनिमय का प्रचलन शीघ्रता से होने लगा। इसका एक महत्वपूर्ण प्रभाव यह भी हुआ कि कृषि का व्यापारीकरण हो गया अर्थात् कृषि का उद्देश्य कृषि वस्तुओं को बेच कर लाभ कमाना हो गया। आवागमन के साधनों में विकास होने के कारण बाहर से वस्तुओं का आदान प्रदान बढ़ जाना स्वाभाविक ही था। ऐसी अवस्था में वस्तु विनिमय सम्भव नहीं हो सकता था। अत द्रव्य विनिमय का होना

अनिवार्य हो गया। खेतों का लगान, श्रमिकों की मजदूरी एवं बस्तुओं का क्रम विक्रम सभी मुद्रा में होने लगा।

यातायात, सिंचाई एवं कृषिनिवासन की उन्नति

यातायात के साधन पर्याप्त मात्रा में विकसित हुए। रेलवे व मोटरकार इत्यादि का प्रयोग होने लगा। सड़कें बनाई गईं। देश का प्रत्येक स्थान एक दूसरे से सम्बन्धित हो गया। सामुद्रिक यातायात के उपलब्ध होने के कारण देश का समर्क विश्व के अन्य प्रगतिशील देशों से हो गया। सिंचाई के साधनों में भी पर्याप्त कृदि हुई तथा कृषि में वैज्ञानिक आविष्कारों तथा खोनों का प्रयोग होना प्रारम्भ हो गया। बैंकों और सहकारी समितियों वा प्रचार हुआ और कृषि उद्योग को आर्थिक सहायता सुगमता से उपलब्ध होने लगी। यातायात के साधनों एवं सिंचाई के साधनों में कृदि होने के कारण कृषि एवं कृषकों की दशा में सुधार हुआ तथा देश की मुश्तक प्राकृतिक साधनों का विकास समर्प हो सका। इस प्रकार इन सबका देश के आर्थिक विकास पर बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा।

कृषि का व्यापारीकरण होना

इंग्लैण्ड की औद्योगिक क्रान्ति के प्रभाव, रेलों एवं सड़कों के निर्माण, स्वेच्छनहर के निर्माण, सबाद के साधनों का विकास तथा अमरीकी गहरुद के फलस्वरूप भारतीय कृषि का व्यापारीकरण हुआ अथात् कृषि कार्य व्यापारिक उद्देश्य से किया जाने लगा। कृषि में उत्पादित वस्तुयें सभार के सुन्दर देशों में जाहर विकल्प लगी। भारत का विदेशी व्यापार बढ़ा और भारतवर्ष विश्व के कन्नें माल के निर्यात करने वाले देशों में एक प्रमुख देश बन गया। भारत के कन्नें माल जैसे रुई, नूट, तेलहन, रहवा, और चाव के लिए बहुत बड़ा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक क्षेत्र उपलब्ध हो गया। सन् १८५८ ते १८६४ तक इंग्लैण्ड ने लिए भारत की रुई का निर्यात ५,००,००० गाँठों से बढ़ कर १४,००,००० गाँठे हो गया था। रुई का माल भी काफी बढ़ गया था। भारत से गेहूं और चावल भी निर्यात किया जाने लगा। इस प्रकार हमारे देश ने कृषि वस्तुएँ दो दोगों में पैंड गई—(क) लाच वस्तुएँ और (ख) व्यापारिक वस्तुएँ। सिंचाई के साधनों में पर्याप्त कृदि के कारण भारतीय कृषकों की व्यापारिक फसलों के उत्पादन में बहुत सहायता मिली। इस मुविधा के कारण उत्पादन व्यय भी कम होने लगा। विश्वव्यापी बाजार में इन वस्तुओं वा माँग होने के कारण, व्यापारिक फसलों के बेचने पर अधिक लाभ भी होने लगा। इन सबका परिणाम यह हुआ कि भारतीय कृषक कमश्य व्यापारिक फसलों की ओर अधिक आकृष्ट होने लगा। अब वह बेचल अपने ग्राम का ही उत्पादक नहीं था बरन् तमस्त सभार का उत्पादक बन चुका था। डॉ बहाजीत रिह ने टीक ही लिखा है—

"A village is, however, no longer isolated, and marketing has become an integral part of the farmer's job. Commercialization of agriculture in the sense of its organization as a business is nowhere to be found except on the industrial plantations, but the ordinary cultivator has been obliged to grow more for commerce. Unlike his forefathers, an Indian cultivator today is both a farmer and a dealer."

भूमि की मालगुजारी का निश्चित किया जाना

सन् १८५७ के पश्चात् सम्पूर्ण भास्त की कृषि भूमि की नाप तथा उपजाऊ शक्ति के आधार पर उसका लगान निश्चित किया गया। विभिन्न प्रदेशों की वृष्टि भूमि स्थायी, महलवारी, जमीदारी तथा रैयतवाही लगान व्यवस्था के अन्तर्गत कर दी गई। वृष्टिकों के हितों की रक्षा के लिए वृष्टि अधिनियम बनाए गए। इन सब बायों का प्रभाव यह हुआ कि कृषि की दशा बहुत कुछ पहले की अपेक्षा सुधरी और वृष्टि उद्योग एव लाभवारी उद्योग माना जाने लगा परन्तु भूमि वितरण एव व्यवस्था क दूषित होने के कारण कृषि की उन्नति से प्राप्त लाभ कृषक को न मिलकर मध्यस्थी के हाथों में ही बेन्दित होने लगा। सन् १८५७ के उपरात जब विटिश शासन की नींव ढढ़ हो गई तब समस्या बनता दारा अधिक कर बसूल करने की उत्पन्न हुई। सरकार चिना करों के अपनी शासन व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं चला सकती थी। भारतीय बजट मानसून पर निर्भर है, केवल इसीलिये वहा जाता है कि यहाँ की अधिकारी जनता कृषि पर ही निर्भर है और राजकीय कोष का अधिक भाग इन्हीं कृषकों से करने रूप में आता है। यदि कृषि की दशा अच्छी होगी तो करभी अधिक मात्रा में बसूल किये जा सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसके अतिरिक्त भारतीय कृषि पर इक्सलैएड की कच्चे माल की प्राप्ति निर्भर थी। यही नहीं कृषकों की दिक्षिता एव असन्तोष की भावना विटिश राज्य की नींव ढढ़ करने में बाधक थे। परिणाम स्वरूप कृषकों की दशा सुधारना विदेशी सरकार वा प्रथम कर्तव्य हो गया। उनको शोषण से बचाने के लिए एव अपनी आय भ पर्याप्त बुद्धि करने के उद्देश्य से मालगुजारी का निश्चित करना आवश्यक हो गया।

कृषि भूमि का छोटे छोटे टुकड़ों में खण्डन एव उपखण्डन

श्रीदोगिक क्रान्ति के प्रभाव, भूमि के मूल्य में वृद्धि, पाश्चात्य देशों से प्राप्त व्यक्तिगत स्वार्थ की मावना की वृद्धि, जनसंख्या की वृद्धि, कुटीर उद्योगों के हास तथा ऋणप्रस्तता इत्यादि कारणों से हमारे देश की कृषि भूमि तेजी के साथ छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होने लगी तथा एक व्यक्ति के अधिकार में रहने वाले टुकड़े

एक-दूसरे से पर्याप्त दूरी पर स्थित हो गए। भूमि उपलब्धन तथा उनके छित्रों होने की समस्या आगे कृषि की प्रमुख समस्याओं के बर्णन में विस्तृत रूप से की गई है।

कृषि-मजदूरों के बर्ग का प्रकट होना

श्रीद्योगिक-क्रान्ति के प्रभाव के फलस्वरूप गावों की स्वावलम्बिता नष्ट हो गई। देश के मरीन उद्योगों ने कुटीर उद्योगों को नष्ट कर दिया। अतः फलस्वरूप गावों में एक भूमि-हीन कृषि-मजदूर वर्ग उत्पन्न हो गया। ये लोग या तो नगरों में जाकर मरीन उद्योगों में कार्य करने लगे या जमीदारों तथा बड़े-बड़े किसानों के यहाँ मजदूरी पर कार्य करने लगे। खेतिहर मजदूरों के बर्ग की दशा अत्यन्त शोचनीय हो गई। कृषि-मजदूरों का जनी कृषकों द्वारा बुरी तरह शोषण किया जाने लगा। आज भी हमारे देश में कृषि-मजदूरों की समस्या एक जटिल समस्या जनी हुई है।

भूमि का वास्तविक खेतिहरों के हाथों से निकल कर महाबनों आदि के हाथ में आ जाना

भारतीय कृषक की अशिक्षिता के कारण पूँजीपतियों ने उनका शोषण प्रत्येक रूप से किया। जमीदारों ने अत्यधिक लगान लेकर एवं महाबनों ने अत्यधिक ब्याज पर ऋण देकर तिरीह विसानों वो दिशिता के चागर में छुڑो दिया। अशिक्षिता के कारण ही कृषक अद्वैते हुए कृषि-पदार्थों के मूल्यों से कोई भी लाभ न उठा सके। कृषि में किसी प्रकार के स्थायी सुधार न होने के कारण कृषि उपज में भी निरन्तर हास होता गया। परिणामस्वरूप खेतों को रेहन रखने ही कृषक ऋण लेने लगा। ऋण का अदा करना ऐसी हुन्ह परिस्थितियों में उनकी दमता के बाहर था और साहूकार के ब्याज के कारण तो और भी कठिन हो गया। इस प्रकार उनकी भूमि क्रमशः साहूकारों के पास जाने लगी जो स्वयं खेती नहीं करते थे और वास्तविक कृषक बेवल भूमिहीन कृषि अभिक ही रह गया। इसका प्रभाव कृषि उत्पादन के हास में और भी अधिक पड़ना स्वामाविक ही था। कृषि उद्योग के निरन्तर अवनति की ओर अग्रसर होने का गही मुख्य कारण रहा है स्योंकि स्थायी अधिकार न होने के कारण वास्तविक कृषकों ने भूमि पर स्थायी सुधार करने की तरफ ध्यान नहीं दिया जिसके कारण भूमि वी उर्वरा शक्ति में निरन्तर हास होता चला गया।

अकाल की प्रकृति में अन्तर

आवागमन के साधनों में विकास होने के कारण अकाल की प्रकृति ही बिल्कुल बदल गई। प्राचीन समय में रेलों तथा सड़कों के अभाव में एक स्थान से दूसरे स्थान पर लावानन मेजबान अत्यन्त कठिन कार्य था। वही कारण रहा कि प्राचीन समय में

जब दक्षिण भारत में अकाल पड़ता या तब उचरी मारत में खाद्यान्न का आधिक्य रहता या, परन्तु ऐसा होते हुए भी एक चेप से दूसरे चेप में गलता न भेज रखने की कठिनाई के कारण लाखों व्यक्ति नूत्र संग्रहालय हाँसर नाल के गाल में चले जाते थे। परन्तु अब आवागमन के साधनों में पर्याप्त विकास हो जाने के कारण खाद्यान्न न नेबल एवं राष्ट्र के विभिन्न स्थानों से वरन् विश्व के किसी जौने से भी उपलब्ध किया जा सकता है बश्यत कि उसका मूल्य मुगलान करने की ज़मता हो। अतः अब अकाल खाद्य चामड़ी के अभाव का प्रतीक न होकर, देशवाहियों की कल्प शक्ति के अभाव का प्रतीक बन गया।

कुटीर उद्योग वन्दों की अपनति एवं असतुलित आर्थिक विकास

आवागमन र साधना न अगर बृद्ध एवं प्रियित्य शासकों की स्वतंत्र व्यापारिक नीति के फलस्वरूप मार्तीर कुटीर उद्योगों को इक्कलैंड के विशालकाय उद्योगों से प्रतियोगिता में अपना अतित्व खाना पड़ा। इन बड़े-बड़े उद्योगों की प्रतियोगिता में भारत के छोटे उद्योग आधिक समर तक न टिक सके और भारत अपने अर्तीर के रुला-कौशल के गोरव को दो देटा। नी आर० सी० दस के शब्दों में—

“इक्कलैंड में मर्शीन से चलने थाले बरवे के आधिकार ने भारतीय उद्योगों के पतन को सम्पूर्ण कर डिया।”

इन उद्योगों के विनाश के नाम से भारत पूर्णवर्ता कृषिध्वान देश रह गया और यहाँ का आर्थिक विकास असतुलित हो गया। इसके अतिरिक्त इन उद्योगों की विस्थापित जनसंख्या ने लिए जूँगे के अतिरिक्त कोई और साधन न था। परिणाम स्वरूप जनसंख्या का भार भूमि पर और अधिक घट गया। कृषकों की आर्थिक दशा और विनाश लगी। उनके पास अपने आर्थिक विकास का नोई अन्य साधन न रह गया। भारत प्रनुभ्य रूप से इन्हें माल का नियांत करने वाला देश बन गया और यहाँ रे ग्रीनोगिक विकास का मार्ग अवश्य हो गया।

सरकारी इपि नीति

सन् १८५७ वर्ष ट्रेट इंडिया कंननी के शासनकाल में किसी भी प्रकार की ध्यायी कृपि नीति नहा अपनाई गई। १८५७ के उदयन्व भारत का शारन इक्कलैंड की सरकार के द्वारा होने लगा। तभी से जनवा की आर्थिक समस्याएँ सरकार का ध्यान आकर्षित कर सकी। सरकारी नीति के बारण इस काल में कृपि की पर्याप्त उन्नति हुई। बटि इस कृपि के पुनर्निर्माण का काल कहा जाय तो ग्रंथिश्योक्ति न होगी। इस काल न हमारे देश में नड़े बड़े भवन्कर दुर्भिक्ष नी पड़े जिनमें कृपि की उन्नति की आवश्यकता जी अनिश्चयता से सरकार पूर्णवर्ता परिविवर हो गई। दुर्भिक्ष

कमीशनें नियुक्त की गईं जिनका विस्तृत वर्णन आगामी अध्याय में 'भारत में अकाल की समस्या' के अन्तर्गत किया गया है। इन कमीशनों ने कृषि की उन्नति के पर्याप्त सुझाव दिए परन्तु भारत सरकार ने कृषि में सुधार बरने का कोई ठोख कदम नहीं उठाया और करीब-करीब १० वर्ष के लिए सम्मेलन बुलाने एवं वस्तु-स्थिति की जांच करने में व्यतीत हो गए। १८८८ के लगभग भारत सरकार ने कृषि-विभाग की स्थापना की। १८०४ में कृषि को यैँजी प्राप्त बरने तथा कृषकों की आर्थिक दशा के सुधारने के लिए इसे सर्वप्रथम सहकारिता श्रद्धिनियम बनाया गया जिसका संशोधन सन् १८१८ में निया गया और सहकारिता आनंदोलन का चेत्र विस्तृत कर दिया गया। सन् १८०५ में इम्पीरियल तथा प्रान्तीय कृषि विभागों की स्थापना हुई। १८०६ में भारतीय-कृषि सेवा का संगठन किया गया। इसके अतिरिक्त कृषि उन्नति के विषय में विचार-विमर्श के लिए फँड सम्मेलन इत्यादि बुलाए गए। कृषि-अनुसंधान तथा खोज करने के भी प्रयत्न किये गये तथा कृषि शिक्षा की भी व्यवस्था पीढ़ी गई। इस प्रकार सन् १८८७ के उपरान्त श्रीबद्धी शतांदी के प्रभाव दशकों तक के समय में कृषि उद्योग में सुधार हुए और सरकार द्वारा प्रयत्न भी किए गए, परन्तु कृषि विकास एवं इसके नवीनीकरण करने की राष्ट्र व्यापी ठोस योजना नहीं बनाई जा सकी। प्रान्तीय सरकारों ने कृषि अनुसंधान तथा सुधार के अन्तिक्षण कुछ छुट्टुटुट प्रयत्न अवश्य किये बिन्दु रायल कमीशन के भतानुसार—

“यह समस्या जिसका उद्दे सामना करना पड़ रहा था, उसका रूप इतना गमीर था कि कुछ भी करना उनके लिये बठिन हो रहा था। न तो उनके पास दब कर्मचारी ही थे और न अपनी सिफारिशा को मनवाने के लिये उनके पास कोई संगठन ही था।”

इसका परिणाम यह हुआ कि याधारण कृषकों की आर्थिक दशा में सुधार नहीं हुआ तथा अधिक उत्पादन एवं उपर्युक्त लागों का बेन्द्रीयकरण मुख्यतः मध्यस्थ वर्गों के हाथ में हुआ। इसके अतिरिक्त श्रीबद्धी शतांदी के प्रभाव के फलस्वरूप उत्पन्न अनेक कृषि समस्याएँ उत्पन्न हो गईं जिन्होंने कृषि सुधार कार्य को अत्यन्त जटिल बना दिया। परिणामस्वरूप मारतीय कृषि आज भी अपने उन्हीं रास्तों पर चली आ रही है जिन पर वह शतांदियों से चल रही थी। कृषकों वा वही सकीर्ष हृष्टिकोण, उनकी गरीबी, उनका संगठन, उनके उत्पत्ति के तरीके तथा उनकी प्रति एकड़ उपज सभी में कुछ विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। इतना अवश्य हुआ कि भारतीय कृषक जहाँ पहले साद्य पदार्थों का ही उत्पादन करता था वहाँ अब व्यापारिक फसलों की माँग के कारण इनका भी उत्पादन करने लगा जिससे उसकी आय में कुछ हिस्से अवश्य हुई। परन्तु भारतीय कृषि एवं कृषकों का मूल दौरा बैसा ही बना रहा। अमेजी

शासन में तो देश की अर्थ-व्यवस्था असनुलित होती चली गई क्योंकि विदेशी सरकार की शोषण नीति के कलमरूप हमारे देश की औद्योगीकरण की गति बहुत ही मन्द रही और खेतों पर ही अधिकाधिक लोग निर्भर रहने लगे। परिणामस्वरूप कृषि अविकसित और हीन होती गई, पैदावार गिरती चली गई और अलापकर आरजियों पर बहुत अधिक मानव श्रम नष्ट होने लगा। भूमि खेती न करने वाले मालिकों के हाथ में जा पहुँची जो केवल लगान घस्त करने में ही दिलचस्पी रखते थे और इस प्रकार भूमिहीन खेतिहारों की सख्त बेतरह बढ़ती चली गई। अृणु-प्रस्ताता और भी अधिक बढ़ने लगी। भारत का मुख्य उद्योग कृषि भी एक पिछड़ा उद्योग रह गया, अन्य उद्योगों की प्रगति का तो प्रश्न ही नहीं। यही कारण है कि वीरा एन्सटे (Mr. Vera Anstey) ने लिखा है—

"The crumbling of the authority of caste, the loosened bonds of religion, the adoption of the western 'Economic outlook' and acceptance of western methods and ideals have as yet affected only a tiny percentage of the people. The masses undoubtedly still live in the material surroundings and retain the social outlook of mediaevalism."

परन्तु विदेशी सत्ता की शूद्धलाओं के दूट जाने के उपरात भारत अपने निर्माण के पथ पर शीघ्रता से चल पड़ा है। भारतीय कृषकों के जीवन में नवीन चेतना एवं जागृति का प्रादुर्भाव हो चुका है। आवागमन के साधनों में विकास, बहुमुखी सिवाई योजनाओं, भूमि व्यवस्था में सुधार, सामुदायिक योजनाओं एवं कृषि में देशानीकरण के कारण आज भारतीय ग्राम्य जीवन नवीन आशा की किरण से जगमगा उठा है। अब भारतीय कृषक अपनी भूमि का स्वयं मालिक एवं अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। उसकी आर्थिक शूद्धलाएँ क्रमशः शिथिल होती जा रही हैं और वह स्वतंत्रता की स्वर्णिम आभा से प्रदीप्त उल्लास एवं उत्साह के मध्य अपने नव-निर्माण के पथ पर अग्रसर हो रहा है। साथ ही साथ भारत का औद्योगिक विकास भी निरन्तर प्रगति की ओर जा रहा है। इस प्रकार सनुलित अर्थ-व्यवस्था का शिलान्यास हो चुका है और कृषि अर्थ-व्यवस्था में सक्रमण-काल का अन्त रुप से हटिगोचर होने लगा है। निःसन्देह वह समय दूर नहीं जब भारतीय कृषि पुनः अपने अंतीत के गौरव को प्राप्त कर सकेगी और भारतीय जनजीवन नवीन आभा से पुनः प्रदीप्त हो उठेगा।

भारत में अकाल (Famines in India)

ऐतिहासिक सिंहावलोकन

भारतीय आर्थिक विकास का इतिहास प्रलक्षकारी एवं वीभत्तु अकालों का इतिहास है। वास्तव में इन अकालों में अपार नरसंहार एवं मानव की दयनीय स्थिति का वर्णन करने में लेखनी काँफने लगती है, हृदय रोमाच से भर उठता है और मानव विवेकशूल हो जाता है। हमारे राष्ट्र का प्रमुख उद्योग कृषि, जिस पर सम्पूर्ण देश का जन जीवन निर्भर है, मानसून की वर्षा का लुच्रां है। सिंचाइ के साधनों के अविकसित होने के कारण, भारतीय कृषि का भाग्य सदैव वर्षा पर निर्भर रहा है और मानसून की अनिश्चितता के कारण अनावृष्टि एवं अविकृष्टि दोनों का ही यिकार होता रहा। परिणामस्तरून प्रकृति का विनाश्यकारी ताढ़व नृत्य अकाल के रूप में भारत के बज्जूस्थन पर सदैव होता रहा और भारतीय अर्थ-व्यवस्था अस्त व्यस्त होती रही। इतिहास इस गात का साक्षी है कि भारत में स्नामानिक रूप से ज़क्काल प्रवि पाँच वर्ष बाद एवं बड़े अकाल प्रति दस वर्ष उपरान्त हाइटिगोचर होते रहे। इन अकालों में खाद्यान्न क अभाव क साथ ही साथ चारे की कमी हो जाने के कारण पशुओं का उपार भी लाखों दो यख्ता में प्रारम्भ हो जाता था। अकाल के प्रादुर्भाव होने पर छूत को बोधारियों का प्रकोप भी नहा उम्र रूप धारण कर लाखों मनुष्यों को काल के गाल में ले जाता था। आवागमन के साधनों के अविकसित होने एवं सिंचाइ के साधन उत्तरव न होने के कारण भारतीय कृषक इन अकालों से अपनी तुरन्ता करने में असमर्थ था और परिणाम स्तरनग्नकालों को देवी प्रकोप समझ कर उनके समक्ष आत्मघमर्णण करने एवं माघ पर निर्भर रहने के लिए विवश हो गया। अत्यन्त प्राचीन काल का इतिहास अपूर्ण है, अत अकालों का सत्य वर्णन उत्तरव नहीं है। जो कुछ भी इस विषय पर वर्णन प्राप्त होता है वह परम्परागत दस्त-कथाओं पर आवारित है। इतिहास के अनुसार उत्तरव अकाल का वर्णन ६५० ई० में मिलता है जिसने सम्पूर्ण देश को आकान्त कर डाला था। इसके उपरान्त सन् ६४१, १०२२, १०३३, ११४८ एवं ११५६ ई० में भी अकालों का वर्णन मिलता है। सन्

१३४४ में मुहम्मद तुगलक के शासन काल में उत्तरी भारत में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था जिसमें राज्य परिवार को ही खाद्यान्न उपलब्ध न हो सकने के कारण दिल्ली छोड़कर दक्षन में देवगिरी स्थान पर जाना पड़ा था।

सन् १६३० में गुजरात का भीषण दुर्भिक्ष पड़ा। इसका विस्तृत विवरण इतिहास में मिलता है। एक डच व्यापारी वान ट्रिवस्ट (Van Twist) ने इसका वर्णन निम्न शब्दों में किया है—

“The corpses at the corner of the streets lie twenty together, no bodyburying them Thirty thousand had perished in the town alone

औरगेव के शासन काल में अकाल का वर्णन करते हुए अमीन रिजवनी (Amin Razwiny) ने लिखा है—

‘Life was offered for a loaf but none would buy, rank was sold for a cake, but none cared for it. For a long time dog’s flesh was sold for goat’s flesh..Men began to devour one another and the flesh of a son was preferred to his love.’

इसी प्रकार एक अन्य अकाल का वर्णन करते हुए एडवर्ड थामस (Edward Thoma^c) ने लिखा है—

“The roads were beginning to be lined with living skeletons, pondering processions drifting aimlessly, anywhere, they did not know where. Tormented by hunger every one thought only of his belly and forgot in his misery love for his wife, affection for his children and tender regard for his parents”

इस प्रकार के वीभत्स अकाल सन् १६०० तक पड़ते रहे जिनका रोमाचकारी दृश्य शब्दों द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। इन अकालों का संक्षिप्त वर्णन निम्न लिखित संक्षेपिका से सरलतापूर्वक हृदयगम किया जा सकता है—

| वर्ष | स्थान | टिप्पणी |
|---------|------------------------------------|------------------------------------|
| १७६८-७० | बगाल | १ करोड़ व्यक्तियों की मृत्यु |
| १७८४ | बगाल तथा उत्तरी भारत एवं मद्रास | |
| १७८०-८२ | दक्षिणी भारत | अत्यन्त भीषण था। |
| १८१३ | बम्बई | |
| १८२३ और | मद्रास | |
| १८३७ | उत्तरी भारत एवं देशव्यापारी | अत्यन्त भीषण, करोड़ों व्यक्ति मरे। |

श्री० आर० सी० दत्त ने १८३७ के इस अकाल का उल्लेख बरते हुए लिखा है—

“मृत्यु सख्या असख्य एव आगामित थी। कानपुर में एक विशेष सैनिक टुकड़ी सड़कों तथा नदी का गश्त लाशों को हटाने के लिए लगाती थी। सुदूर गाँवों में तो लहसों नीं सख्या में लोग मर गये जिनके विषय में न तो कोई जान पाया और न कोई उनका प्रबन्ध कर सका। सड़कों पर लाशें दिना जली और चिना दफनाई हुई तब तक पढ़ी रहती थीं जब तक कि आकर उन्हें जगली जानकर नहीं खा जाते थे।”

| | | |
|---------|-------------|----------------------------------|
| १८३६ | उत्तरी भारत | ८ लाख व्यक्ति मरे। |
| १८६० | उत्तरी भारत | १३० लाख व्यक्ति मरे। |
| १८६५-६७ | उडीसा | लगभग ४२२ लाख व्यक्ति पीड़ित हुए। |
| १८७७ | मद्रास | |

सन् १८७७ के इस अकाल का वर्णन इच्छिद (Ibid) के शब्दों में—

‘Large villages were depopulated. Vast tracts of country were left uncultivated and five millions of people—The population of a fair sized country—perished in this Madras famine in one single year’”

| | | |
|-----------|---|--|
| १८७८ | उत्तरी भारत | मृत्यु विद्वार प्रान्त में अधिक विनाश हुआ। |
| १८८६-८७ | मध्यमद्रास वशा मध्यप्रान्त | १० लाख व्यक्ति मरे। |
| १८८८-१८९० | बम्बई, मध्यप्रान्त, हैदराबाद, और मध्यभारत | लगभग ६ करोड़ व्यक्ति प्रभावित हुए। |

रमश दत्त के शब्दों में—“मध्य प्रान्त तो विलकुल ही नष्ट हो गया। जिसे के लिये उड़ा गये। हरे भरे खेत जगल हो गये। कपि एवं जनसख्या दोनों ही कम हो गये।”

सन् १८९० के उपरान्त अकाल

सन् १८९० के उपरान्त ब्रिटिश सरकार द्वारा आवागमन के साधनों में विकास एवं सिंचार्य के साधनों में वृद्धि के कारण अकाल की प्रकृति में परिवर्तन हो गया। अब अकाल के अर्थ लादानी की कमी नहीं वरन् जनता की क्रय शक्ति में कमी होना था। आवागमन के साधनों में वृद्धि के कारण सारा विश्व एक लक्षी में पियो दिया गया और अन्य देशों से लादानी की कमी की पूर्ति सम्भव हो गई। इसके अतिरिक्त सरकारी अकाल नीति के कार्यान्वित होने के कालस्वरूप

अकालों की भीषणता में भी कभी आ गई। अन्न की पूर्ति एक स्थान से दूसरे स्थान को होने लगी। विदेशों से भी अन्न के आयात की सुविधा हो गई। सरकार की आमदनी कृषि पर ही निर्भर होने के कारण सरकार की नीति में भी परिवर्तन हुआ और कृषि सुधार की ओर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। इन सब का परिणाम यह हुआ कि सन् १९०० से १९४२ तक लुटपुट अकाल पड़े तो अवश्य परन्तु वे प्राचीन समय के अकालों की तरह विनाशकारी नहीं रहे और विशेष जन हानि भी नहीं होने पाई। इस प्रकार विनाशकारी अकाल लोगों की सृति से निकल गये और केवल अतीत की कल्पना में परिवर्तित हो गए। परन्तु सन् १९४३ में बगाल का भीषण दुर्भिक्ष पुन अपनी पूर्ण शक्ति के साथ प्रकट हुआ और हमारी आशाओं को मिट्टी में मिला दिया। सरकार की अकाल नीति पूर्ण रूप से असफल हो गई और देशवासियों को पुन दुर्भिक्ष के आतक और भीषणता वा नम नृत्य खुली आँखों से देखना पड़ा। लगभग ३० लाख व्यक्ति काल वे गाल में चले गए। अकाल के साथ ही साथ सक्रामक रोगों वी भी आढ़ आइ और स्थिति और भी अधिक भयकर हो उठी। श्री जे० घे० मित्तल, अधरकृ बङ्गाल नेशनल चैम्बर आफ कामीस, कश्मीर में—

ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे बड़ा और दूसरा नगर कलकत्ता आज भूये और नगे लोगों का शिकारगाह बन रहा है। कलकत्ते से भी अधिक दृग्नीय दशा आस पास के गाँवों की थी जहाँ गरीबी के कारण लोग अपने प्रियजना की अन्तिम क्रिया भी नहीं कर सकते थे, इसलिए लाशों को नदी या नालों में केक दिया जाता था। बङ्गाल की नई सुन्दर नदियाँ और नाले अपने अन्तस्तल में भूखे और नगों को लिए चल रहे थे। गीदडों के लिए भोजन था, इसलिए कई सुन्दर चेहरे नोचे जाने के कारण पहचाने भी नहीं जाते थे।

भारत की जनता के लिए यह एक भीषण आघात था। इस लोमहर्षण घटना ने देशवासियों की आँखें खोल दीं और राष्ट्रव्यापी खाद्य-स्थिति को सुधारने के लिए प्रयत्न करने को बाध्य कर दिया।

बगाल दुर्भिक्ष के कारण

(क) बगाल वे निवासियों का खाद्यान्न मुरद्यत चावल था, परन्तु समस्त चावल के उत्पादन द्वारा केवल ८१% जनता का भरण पोषण हो सकता था अत लगभग पूर्ण आवश्यकता का १७% चावल बहा से आयात किया जाता था। सन् १९४२ ई० में बहा जागानियों के अधिकार में चला गया और वहाँ से चावल का आयात बन्द हो गया। फलत खाद्यान्न की कमी हो गई।

(ल) मिदनापुर जिले में चावल की फसल के कटने के समय भीषण आंधी और दूकान आ गया जिससे १५ लाख टन चावल नष्ट हो गया।

(ग) दामोदर नदी में भीषण बाढ़ आई और दूसरे प्रान्तों से अन्न आने में यातायात की कठिनाई पड़ी। इसके अतिरिक्त द्वितीय महायुद्ध के कारण भारतीय यातायात के साधन युद्ध के कार्यों में व्यस्त रखे गए और यातायात के साधनों को अमराव हो गया। अतः बगाल के अकाल-पीड़ितों के लिए सावाल नहीं पहुँचाया जा सका।

(घ) जापानियों के हमले के भय के कारण बड़ाल में सरकार द्वारा अन्न खरीदने तथा एकत्र किए जाने की नीति के फलस्वरूप खाद्यान्न की कमी हो गई।

(ङ) चोरवाजारी तथा घूसखोरी का बोलबाला था। मुस्लिम लीग ग्रान्तीय सरकार में अध्योग्य एवं स्वार्थी व्यक्ति थुके हुए ये जिससे सरकारी नियन्त्रण अत्यन्त निर्बल एवं असन्तोषजनक था।

(न) जापानियों के हमले तथा युद्ध सम्बन्धी अफवाहों के कारण जनता पर मनोनिषानिक कुप्रमाण पड़ा और उनका साहस नष्ट हो गया।

इस अकाल का मुख्य कारण सरकार की धारक नीति थी और इस कथन में अतिशयोक्ति न होगी कि यह अकाल मानव द्वारा शायोजित अकाल था। खाद्यान्न मारत में उपलब्ध था, परन्तु सरकार की अनुचित वितरण नीति के बारण बड़ाल के निवासियों को उपलब्ध न हो सका। यही नहीं बड़ाल तो अकाल से पीड़ित था और हमारी विदेशी सरकार खाद्यान्न का निर्यात विदेशी को कर रही थी। सरकार को द्वितीय महायुद्ध में विजयपताका फहराने के लिए यह आवश्यक ही था, भारतवासियों की दयनीय स्थिति से उनको सम्बन्ध ही इया। ऐसी दशा में बड़ाल का सामाजिक, आर्थिक एवं पारिवारिक जीवन छिप भिज हो जाना स्वाभाविक ही था।

सन् १९५० ई० में बिहार में अकाल पड़ा तथा सन् १९५१ में गुजरात, पंजाब, राजस्थान, अब्दमेर तथा भध्यपदेश में वर्षा के अमाव के कारण अकाल के लक्षण दर्दियोन्वर हुए। सन् १९५५ से तर्तमान वर्ष १९५६ में भी अति-कृष्णि के कारण उत्तरप्रदेश के पूर्वी चैत्र अग्रालग्रस्त हैं।

इस प्रकार यदि समय समय पर पड़े हुए अकालों की गति विधि का निरीक्षण किया जाय तो पता चलता है कि प्रत्येक शताब्दी के मध्य और अन्त में बहुत बड़े प्रत्येक विनाशकारी अकाल पड़ते रहे हैं। कम से कम भीषण अकाल प्रत्येक १० वर्ष और उनमें स्थोटे अकाल प्रत्येक ५०वें वर्ष पड़ते हैं। यों तो प्रावः एक साल स्थोक कर प्रत्येक तीव्रते वर्ष वा तो अनावृष्टि होती और या अति-कृष्टि और इस प्रकार सम्पूर्ण देश में से कुछ चैत्र फसलों के न होने या नाश हो जाने के कारण खाद्यान्न के

अभाव से पीड़ित होते रहते हैं। यही भारतीय इतिहास में अकालों की दुख दर्द भरी कहानी है।

अकाल के कारण

(१) प्राकृतिक (Physical)

(२) आर्थिक (Economic)

(क) वर्षा का अभाव

(क) दरिद्रवा एवं क्रय शक्ति का अभाव

(ख) अतिवृष्टि या बाढ़

(ख) सूखग्रस्तता

(ग) टिकियों का आकमण एवं कृषि रोग

(ग) कुटीर उत्पादन खेड़ों का अभाव

(घ) आंधी तूफान तथा श्रीले

(घ) अनुचित वितरण

(ङ) उत्पादन की कमी एवं

(ङ) ग्रोवरिंग वितरण का अभाव

जनसख्या का आधिक्य

(च) युद्ध

(छ) आवागमन के साधनों का अविक्षित होना

श्री रमेश दत्त के शब्दों में—

“भारत में दुभिज्ञ प्रत्यक्ष रूप से वार्षिक वर्षों के अभाव में पड़ते हैं किन्तु इन अकालों की दुरुहता तथा इससे उत्पन्न मृत्यु सख्या का अधिकाश म कारण यहाँ के लोगों की दरिद्रता है। यदि साधारणत लोगों की आर्थिक अपस्था अच्छी होती, तो वह पड़ोसी प्रान्तों से अनाज खरीद कर स्थानीय फसलों की व्यतिपूर्ति कर सकते थे और ऐसी अपस्था में मृत्युएँ नहीं होती। किन्तु जब लोग नितान्त साधनहीन होते तो वे आस पास के भागों से अनाज नहीं खरीद सकते। अत जब कभी स्थानीय फसलें असफल रहती हैं, लोग सेकड़ा हजारा और लाखों की सख्या में नष्ट हो जाते हैं।”

अकालों ने कारण मूल्यत दा है—प्राकृतिक एवं आर्थिक। प्राकृतिक कारणों के अन्तर्गत वे सभी गतें आती हैं जिनसे प्रकृति के प्रकोप के कारण फसलें नष्ट हो जाती हैं और साधान का अभाव हो जाता है। परन्तु आवागमन के साधनों के विकास ही जाने वाले कारण साधान तीव्री की वर्षी की पूर्ति अथवा स्थानों से जो जा सकती है, अत आर्थिक परिस्थितियों वाले कारण एवं प्राकृतिक प्रकोप के कारण साधान के अभाव की पूर्ति की जा सकती है और अकाल की रोका जा सकता है। इसलिए आर्थिक कारण भी आवृत्ति द्वारा मनुष्यों की आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

प्राकृतिक कारण

प्राकृतिक कारणों के अन्तर्गत निम्नलिखित बातें आती हैं —

वर्षा का अभाव

भारत मानसूनी वधा का प्रदेश है और ये मानसूनी सदैन अनिश्चित रहते हैं। सिंचाई के साधनों में निकास न होने के कारण भारतीय कृषि पूर्णरूप से वर्षा के हाथों में पिलौना है। वर्षा का अभाव में लाखों बीघे लहलहाती हुई खेती सूर्य की प्रचड़ किरणों द्वारा जलकर भस्त्र हो जाती है। प्राय अकाल का मुख्य कारण वर्षा का अभाव रहा है। उन् १६०१ के दुर्भिज्ञ आयोग के अनुसार —

“सभी प्रान्तों में वास्तव में कियात्मक सिंचाई के साधनों का अभाव ही नहीं है, किन्तु थोड़े रूप में भी कार्य नहीं हुआ है, अत पानी का समह, वाध वाधना और नहरें निकालना आदि कार्यों का क्षेत्र विशाल है।”

अतिवृष्टि या बाढ़

अतिवृष्टि अथवा बाढ़ भी अकालों का दूसरा मुख्य कारण है। बाढ़ के कारण भी लाखों बीघे खेती नष्ट हो जाती है। भारत में सन् १६५० से १६५४ तक बाढ़ द्वारा विहार, उत्तर प्रदेश, आसाम तथा वशिनी बगाल में लगभग १३५० करोड़ एकड़े की फसलों की हानि का अनुमान लगाया गया है। बाढ़ के कारण पकी हुई फसलें नष्ट हो जाती हैं और अकाल की स्थिति उत्तरान हो जाती है।

टिहियों का आकमण एवं कृषि रोग

टिहियों का आकमण एवं कृषि रोगों के कारण भी फसलें नष्ट हो जाती हैं। टिहियों द्वारा दो गाँव के गाँव उजड़ जाते हैं। कृषि रोगों के कारण भी फसलों को अत्यधिक नुकसान पहुँचता है। इन फसलों की व्यापारी के कारण खाद्यान्न का अभाव हो जाता है।

आंधी, तूफान तथा ओले

आंधी, तूफान तथा ओलों द्वारा भी प्राय फसलें नष्ट हो जाती हैं। पाला पहने पर तो प्रत्येक वर्ष फसलों को बहुत ही अधिक नुकसान पहुँचता है। ऐसी स्थिति में खाद्यान्न का अभाव होना स्वाभाविक ही है।

उत्पादन की कमी एवं जनसख्त्य का अधिक्य

भारत में निरन्तर जनसंख्या की वृद्धि भी खाद्यान्न की कमी का एक मुख्य कारण है। जनसंख्या की वृद्धि के साथ ही साथ राष्ट्र का उत्पादन प्रति एकड़ संसार में सबसे कम है। इसका मुख्य कारण कृषि उद्योग का पिछ़ा होना है। भारतीय कृषकों

का दण्डिता, आधुनिक सेती के तरीकों का अभाव, आधुनिक खादों के प्रयोग का अभाव, कृषि में वैज्ञानिकरण की नहीं, सेतों का उपचिभाजित एवं उपखड़ित होना। एवं भूमि व्यवस्था का अनुचित होना आदि मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से भारतीय कृषि में विस्तीर्ण का सुधार समव नहीं हो सका जिसके फलस्वरूप आज भी कृषि उद्योग अन्य उद्योगों की अपेक्षा गिरावट हुआ है और, कृषि उत्पादन बहुत कम है। ऐसी अवस्था में खाद्यान्न की कमी होना स्वाभाविक ही है।

युद्ध

प्राचीन समय में युद्ध तथा लूट से भी अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। एक शासक द्वारा दूसरे शासक पर आक्रमण करने पर कृषि नष्ट कर दी जाती थी। वास्तव में आज भी युद्ध के विनाशकारी बादल जो सारे विश्व पर मढ़ा रहे हैं बहुत कुछ खाद्यान्न की कमी के कारण हैं। प्रत्येक राष्ट्र अपनी सुरक्षा के लिए लाखों रुपये व बल युद्ध के सामान बनाने में व्यय करता है। भारत में भी वह व्यय कम नहीं, बल्कि विभाजन के फलस्वरूप यह बढ़ ही गया है। यदि यह धन राष्ट्र के विकास पर व्यय किया जाय तो इसमें सन्देह नहीं खाद्यान्न की कमी को बहुत बढ़े अशों में पूरा किया जा सकता है।

आवागमन के साधनों का अविकसित होना

भारत में आवागमन के साधनों का विकसित न होना भी अकालों का एक मुख्य कारण रहा है। इन साधनों के उपलब्ध न होने के कारण भारत में अन्य स्थानों पर खाद्यान्न उपलब्ध होत हुए भी लोगों को अकाल का सामना करना पड़ा।

आर्थिक कारण

दण्डिता एवं कृषि शक्ति का अभाव

प्राचीन युग में तो खाद्यान्न का अभाव ही अकाल का मुख्य कारण रहता था क्योंकि आवागमन के साधनों का विकास न होने के कारण अन्य स्थानों से खाद्यान्न की पूर्ति उभयन नहीं थी। पर तु आज परिस्थितियाँ मिल हैं। खाद्यान्न की कमी की पूर्ति अन्य स्थानों तथा विदेशों से अब आयात वरक की जा सकती है। ऐसी दशा में भारतीय जनसमूह ने दण्डिता एवं उनमें कृषि याकि का अभाव ही अकाल का मुख्य कारण कहा जा सकता है। भारतीय दण्डिता सर्व विदित है। वास्तव में आज भारत विश्व में दण्डिता का प्रतीक बन गया है। सन् १८८८ के दुर्भिक्ष आयोग का कथन है

“हम सोचते हैं कि भारत का अतिरिक्त उत्पादन विदेशों को भेज दिया

जाता है किर भी इतना बच रहता है कि यहाँ के लिए पर्याप्त है। अतः यह सप्तरूप से कहा जा सकता है कि भारत में अन्न का अकाल नहीं बरन धन का अकाल है।"

इस प्रकार भारत की निर्धनता एवं कुदु सत्य है क्योंकि यहाँ की विशाल जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर है और यह उद्योग अपनी पतन की चरम दीमा पर पहुँच चुका है।

अर्थात् अस्ताता

ऐसा कहा जाता है कि मारतीय कृषक भूमि में ही जन्म लेता है, भूमि में ही पलता है और भूमि का बोझ लेकर मरता है। मारतीय दरिद्रता ही इयका मुख्य धारण है। महाजन एवं चाहुकारों के चुगल में एक बार फैछ जाने पर मारतीय कृषक अपने भी मुक्ति दिलाने में असमर्थ पाता है। भूमिग्रस्त होने के कारण उसकी आर्थिक स्थिति सदैव ढाँचाढोल बनी रहती है। अकालों के अतिरिक्त भी सम्पदता की स्थिति में प्राय कृषकों की क्रय शक्ति खत्म रहती है जिसके परिणामस्वरूप सदैव खाद्यान्न की कमी बनी रहती है। अकालों में वह और भी अधिक भीषण रूप धारण पर लेती है। सन् १९०१ के दुर्भिति आयोग के शब्दों में—

"अच्छे वर्षों में विसान के पास जीमन निर्वाहि योग्य सामग्री होती है, लेकिन खराव वर्षों में वह दूसरा की दिया पर ही निर्भर रहता है।

कुटीर उद्योग धधा का अभाव

प्राचीन समय में कुटीर उद्योग धधे भारतीय कृषकों के सकटकाल के अभिन्न एवं विश्वासनीय मित्र थे। कुटीर उद्योगों के कारण कृषक अपनी आय में इद्दि करने में सफल होता था और कृषि बर्बाद हो जाने पर इन उद्योगों के सहारे अपनी जीविका चला सकता था। इन उद्योगों के विनाश ने मारतीय कृषकों की आर्थिक स्थिति और भी दयनीय बना दिया। इन उद्योगों के अभाव में भूमि पर जनसंख्या का भार और भी अधिक बढ़ गया और परिणामस्वरूप खाद्यान्न की कमी दृष्टिगोचर होने लगी।

अनुचित वितरण

खाद्यान्न का अनुचित वितरण भी खाद्यान्न की कमी का एक मुख्य कारण है। भारतवर्ष में कृषक अपनी निर्धनता के कारण खाद्यान्न का सम्बह करने में असमर्थ रहता है। परिणामस्वरूप खाद्यान्न का मढार यह पूँछी पति व्यापारियों का निवास स्थान होता है। ये व्यापारी अधिक सुनाफा लठाने के दृष्टिकोण से कृषकों की निर्षनवा एवं विवशता का अनुचित लाभ उठाते हैं। बढ़ते हुए मूल्यों के कारण साधारण जनता अब खरीदने में अपने भी असमर्थ पाती है और परिणामस्वरूप अब का अभाव दृष्टिगोचर होने लगता है।

ओद्योगिक विकास का अभाव

मारत में बड़े पैमाने के उत्तोरों का विकास नहीं हुआ है और वह ओद्योगिक दृष्टि से अत्यन्त पिछड़ा हुआ है। ओद्योगिक विकास न होने के कारण भूमि पर जनसंख्या का भार अत्यधिक हो गया है। ओद्योगिक विकास न होने के कारण यहाँ के लोगों की कठ शक्ति भी बहुत कम है। अन्य राष्ट्रों से भी खाद्यान्न आयाव करने में हमारा देश नज़ल इसीलिये असमर्थ रहा है कि विदेशी मुगतान वी समस्या का समाधान नहीं हो सका। भारत में वेरोजगारी एवं निर्धनता का एक मान कारण यहाँ का ओद्योगिक विकास न होना है। निर्धनता का नारण ही लोगों की क्रय-शक्ति कम हो गई है और खाद्यान्न उपलब्ध होने पर भी वे उसको नहीं खरीद सकते। यदि लोगों को नियमित उद्यम मिलता रहे जिससे वे पेशा उत्पन्न न करें अनाज खरीद सकें तो आजकल दुर्भिक्ष ही न पड़े।

अकाल निवारण के उपाय

अकालों से पूर्ण रक्षा के लिए दो बातों की आवश्यकता है। प्रथम तो ऐसे उपाय काम में लाये जायें जिनसे अकाल का प्रादुर्भाव ही न हो और दूसरे वे उपाय जिनके द्वारा यदि अकाल पड़ गी जाय तो उसका प्रकोप एवं भीयता उपरूप धारण न कर सक और इस प्रकार अकाल से होने वाली जन हानि एवं धन हानि को रोका जा सके। इस प्रकार अकाल निवारण के उपायों के दो भागों में विभक्त किया जा सकता है—

(१) प्रतिप्रधक उपाय (Preventive Measures)

(२) रक्षात्मक उपाय (Protective Measures)

प्रतिप्रधक उपाय

बास्तव में जो नारण दुर्भिक्ष के हैं यदि उन पर विजय प्राप्त कर ली जाय अथवा उनको समाप्त कर दिया जाय तो अकाल का निवारण स्वाभाविक ही है। इसके लिए कूवि का सर्वाङ्गीण विकास नितान्त आवश्यक है। तिचाई की पर्याप्त व्यवस्था, भूमि सुधार एवं व्यवस्था, कृषि में वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग, बाढ़ से सुरक्षा एवं फसलों का राया एवं डिहियो तथा अन्य जगली पशुओं द्वारा रक्षा कृषि की उन्नति में अत्यन्त सहायक सिद्ध होगे। यातायात के साधनों में पर्याप्त विकास भी इतना ही आवश्यक है।

देशवासियों की रुप शक्ति में वृद्धि करने के लिए उनकी जबन्य दर्दिता को मिटाना भी अत्यन्त आवश्यक है। इस दिशा में कुटीर उत्तोर धधों का विकास, कृषकों को शृण्य से कुटकारा, खाद्यान्न के उचित वितरण की व्यवस्था एवं राष्ट्र का

श्रीद्योगिक विकास बहुत सकलता प्रदान कर सकते हैं। वास्तव में जनता की क्रयशक्ति में वृद्धि ही आज के सुग में साधान के अभाव से दूर करने का प्रयत्न एवं आधारभूत उपाय है।

रक्षात्मक उपाय

अकाल के रोकने के भरसक प्रयत्नों को कार्यान्वित बरने के उपरान्त भी साधान की कमी की समस्या उत्पन्न होने की सम्भावना नष्ट नहीं होती। अतः साथ-सहर से सुरक्षा के लिए रक्षात्मक उपायों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अन्तर्गत अन्न के व्यापार का नियंत्रण, पशु-नक्षा, कृषकों को श्रीपथियों की सुविधाएँ, लगान की लूट, चकाची झूणों की व्यवस्था, जन-सेवा कार्यों का उचालन जैसे नहरें, तालाब आदि खुदवाना, किसानों को उत्तम बीज, साद एवं श्रीजार इत्यादि का प्रयोग करना एवं गरीब व असहाय व्यक्तियों के लिए गरीब गहों की व्यवस्था आदि शामिल हैं। इन उपायों द्वारा अकाल की भीषणता को रोका जा सकता है और लोगों को राहत प्रदान की जा सकती है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अकाल के भूत को सदैव के लिए भगाने के लिए ग्राम तुड़ार की वृहद् योजना ही मूल मत्र है। अकाल निवारण के लिए कोई एक उपाय नहीं है। उपर्युक्त दोनों ही प्रकार के विभिन्न प्रतिवधक एवं रक्षात्मक उपायों द्वारा ही अकाल से सुरक्षा मिल सकती है। दा० राधा कमल मुक्ती के शब्दों में—

“भारतीय अकाल समस्या का प्रश्न उन गम्भीर भयानक परिस्थितियों से सम्बन्धित है, जिसके अन्तर्गत घर्षा का अभाव, साधनों की कमी, अपव्यय, भूमि व्यवस्था और हुर्वल आर्थिक संगठन आते हैं, इसलिए कोई भी एक कारण अकाल के लिए जिम्मेदार नहीं है। ये सब व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप में भारतीय भूमि पर किसान के लिए अकाल का निमंत्रण देते हैं।”

सरकार द्वारा प्रयत्न

(अकाल-निवारण-नीति का विकास)

प्राचीन समय में हिन्दू शासक अकाल निवारण के लिए नहरें एवं तालाब बनवाते थे, राज्य कोप से घन एवं अम्ब का वितरण करते थे और लगान में लूट, चकाची झूण आदि की भी व्यवस्था करते थे। अकाल के समय शासकों द्वारा सदा, वर्त (free food) बांटने की भी प्रथा थी। मुहम्मद तुगलक ने अराल निवारण के देश दिल्ली के लोगों में ६ महीने लगातार अन्न बैंटवाया था और कुएँ खोदने

के लिए उदारता से स्वयं दिए। इसी प्रकार सन् १९३० में शाहजहाँ ने अकाल के समय हर शुक्रवार को ५००० रुपया दखिलों में निवरित करने की नियमस्था की थी। ७० लाख रुपये का लगान माझ कर दिया गया था और अन्न का उदारतापूर्वक वितरण होता था। लोगों को काम देने के लिए पौज में भरती प्रारम्भ कर दी गई थी। और गङ्गेर के समय में भी इसी प्रकार के सहायता कार्य हुए थे। सन् १९३६ में सुलतान महमूद के समय, फरिश्ता के अनुसार १०,००० बैल चबल इसीलिए पाल रखे गए थे जिनके मालवा तथा गुजरात से सौदेय बहमना म अन्न लात रहे। हिन्दू तथा मुस्लिम काल में नहरें खुदवाना, बाबली नम्राना, कुएँ खुदवाना एवं हृदय रोपण कराना शासकों द्वारा धार्मिक एवं पवित्र कार्य समझे जाते रहे। अकाल में सहायता के निए राज्य का एक अन्न संग्रहालय भी हुआ करता था। परन्तु आचारण के साधनों के उपलब्ध न होने के पास अकाल नियारण के सभी उपर्युक्त उपाय अवैधिकित एवं अवृत्त थे।

१८ वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य का अधिपतन पूर्ण हो जुआ था। इस्ट इण्डिया कम्पनी का प्रभाव सम्पूर्ण देश पर व्याप्त हो गया था। इस शताब्दी में पहुँचे अकालों के प्रति इस्ट इण्डिया कंपनी पूर्णत उदासीन रही। वही नहीं उसके कमचारियों ने अकालीडिलों से निर्दयतापूर्वक लगान भी बदल दिया। बदतों हुई अकाल की भीषणता को देख कर इस्ट इण्डिया कम्पनी ने अकाल नियारण के लिए रेपल इवना ही रियारि अकाल चुन से खाद्यान्न न निर्यात पर रोक लगाइ और खाद्यान्न सप्रदाय करना अप्रैय घोषित कर दिया। १७५३-५० के बाद के अकालों में कम्पनी ने लगान में कुछ क्षुट भी दी। इस्ट इण्डिया कम्पनी न तो वहाँ स्थानीय दशान्त्रों से परिचित थी और न उसना उद्देश्य यहाँ का आर्थिक विकास परना ही था। यह तो यहाँ पर व्यापार के द्वारा लोर्गा का शोपण करने तथा अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए ही स्थापित का गई था।

१९ वीं शताब्दी के प्रारम्भ में कम्पनी की अकाल नियारण नाति में कुछ उदारता आई। कुछ निर्माण कार्य भी निए गए। १८५४ में कृपकी वो ताजी भा चाटी गई। निवन तथा भूत से पांचित व्यक्तियों की आर्थिक सहायता भी की गई। परन्तु १९ वीं शताब्दी न पूर्णार्द्द तक अकाल नियारण की दिशा में न तो कोई निश्चिन्त नाति ही नियारित की गई और न कोई नुस्खाटत प्रयास ही न किया गया।

सन् १८८७ के बदर के बाद कम्पनी के राज्य शासन का अन्त हो गया और इंडिया एड के चारशाह के हाथ में यहाँ का राज्य शासन आ गया। अँग्रेजी सरकार ने यह यहाँ के आर्थिक विकास की ओर भी ध्यान दिया तथा अकाल नियारण की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए। परन्तु अकाल नियारण नीति का

सुखगठित एवं व्यवस्थित रूप सन् १८६० ई० तक नहीं बन सका। भारतव में सन् १८६० ई० का अकाल प्रथम अकाल था जिसने सरकार का भ्यान सुखगठित अकाल निवारण नीति की ओर आकृष्ट किया। इसी अकाल में आधुनिक दुर्भिक्ष नियम (Modern Famine Codes) के बीच निहित थे। इसी वर्ष आधुनिक अकाल नियमों का भी निर्माण हुआ। नई नीति की मुख्य वार्ते निम्नलिखित थी—

(१) जनसख्या का तीन बगों में विभाजन, (क) शारीरिक थप करने योग्य व्यक्ति, (ख) निर्धन एवं वम थप कर सकने वाले व्यक्ति, (ग) थप करने के लिए अयोग्य व्यक्ति।

(ii) नेत्रिक स्तर उच्च करके आत्म निर्भरता की भावना व्याप्त करना।

(iii) प्राप्त सहायता

उपर्युक्त नीति के अनुसार सन् १८६५ के उड़ीसा अकाल में कार्य किया गया परन्तु यह नीति सफल न हो सकी। भारत सरकार ने १८६५-६७ के उड़ीसा के अकाल के समय ३५ मिलियन इकाह्यों की सहायता की और १४ ५ मिलियन रुपया व्यय किया गया। इसमें सरकार को सफलता न मिली क्योंकि एक तो कर्मचारी अनुभवहीन थे और दूसरे सहायता कार्य देर से प्रारम्भ किया गया, और यह पूर्व निषेचित तथा सुखगठित नहीं था। परिणामस्वरूप सन् १८६७ में सर जार्ड कैम्ब्रेल की अध्यक्षता में अकाल जान आयोग की नियुक्ति करनी पड़ी।

सर जार्ड कैम्ब्रेल अकाल समिति (१८६७)

सन् १८६७ में भारत सरकार ने एक अकाल कमीशन नियुक्त किया। इसके चेयरमैन सर जान कैम्ब्रेल थे। इस कमीशन की सिफारिशों के अनुसार अकाल निवारण का कार्य जिलाधीश वी छौपा गया तथा विस्तृत रूप से तकाली वितरित की गई। सरकार को यह भली माँति रखा हो गया कि अकाल एक आस्तिक सुकृट न होनेर सर्वज्ञालिक सुकृट है जिसकी सुरक्षा ने लिए पहले से ही पर्याप्त प्रबन्ध होना चाहए। सन् १८६८ ई० में सरकार ने एक अकाल वीमा परद लोल दिया तथा १५५ करोड़ ८० लाख रुपये का विनियोग करके स्थायी निधि के लिए एक द्रष्टव्य का निर्माण किया। इस निधि में प्रान्तीय सरकार भी कुछ वार्षिक राशि जमा करती थी। इस परद से अकाल निवारण करने में बड़ी सहायता मिली।

सर जान कैम्ब्रेल अकाल कमीशन (१८६७)

सन् १८६८ ई० में एक दूसरी अकाल समिति बनाई गई जिसके नेयरमैन सर

स्ट्रेचे महोदय थे। इस कमीशन ने अकाल निवारण के लिए निम्नलिखित सिद्धान्तों के अपनाने वी सिफारिश की—

(क) स्वस्थ व्यक्तियों को पर्याप्त मजबूरी पर कार्य देने की व्यवस्था वी जाय।

(ख) असमर्थ एव पर्गु व्यक्तियों को मुक्त भोजन एव बल दिए जायें।

(ग) जिन द्वारों में साधारण का अभाव न हो वहाँ पर साध पूर्ति का कार्य निजी व्यापार के हाथ में छोड़ दिया जाय।

(घ) किसानों को शृण सहायता वी जाय तथा लगान में छूट दी जाय।

इन्हीं सिफारिशों के आधार पर प्रान्तीय अकाल बानूनों का निर्माण किया गया। ये उपरोक्त सिद्धान्त फैमीन कोड्स (Famine Codes) कहलाते हैं तथा १८८० के उपरान्त सभी अकालों में इन्हीं नियमों के अनुसार अकाल निवारण का कार्य संगठित किया जाता रहा, परन्तु परिस्थितियों तथा अनुभव के आधार पर इनमें वथारमय पर सशोधन भी किए गए। इन कानूनों का उद्देश्य साधारण समय में सहायता कार्यों का नियमन तो था ही, परन्तु अकाल वी सूचना प्राप्त होते ही अधिकारियों के उचित कदम उठाने पर जोर देना था। अब अकाल सहायता कार्य वी जिम्नेदारी प्रान्तीय सरकारों पर थी। इन नियमों के अन्तर्गत स्थानीय सरकारों—बिला बोर्ड, पन्नायत आदि—को अकाल का सबैत मिलते ही, उसका सामना करना उनका चर्तव्य हो जाता है। इस आयोग ने निम्नलिखित बातों पर अधिक जोर दिया जिनको सरकार ने स्वीकार कर प्रान्तीय अकाल नियमों म स्थान प्रदान किया।

(१) अकाल वी प्रारम्भिक स्थिति मे स्वायी एव अस्थायी कुछों के खोदने तथा सिंचाइ के साधनों वी उन्नति के लिए अधिक राशि दी जाय।

(२) दरिद्राथमों वी स्थापना वी जाय।

(३) कृष्णों को लगान वी छूट एव आर्थिक सहायता प्रदान वी जाय।

(४) सहायता केन्द्र समुचित नियन्त्रण मे चालू किए जायें।

(५) अकाल से सम्बन्धित आँखें इकट्ठे किए जायें और जाँच कार्य चालू किया जाय।

(६) गैर सरकारी रूप मे जनता को पुण्य-कार्यों के लिए बढ़ावा दिया जाय।

(७) नहरों तथा रेलों के समुचित विकास वी व्यवस्था वी जाय।

सर जेम्स लायल अकाल समिति (१८८८)

सन् १८८८ ई० मे सर जेम्स लायल वी अध्यक्षता मे दूसीय अकाल समिति बनाई गई। इस कमीशन ने निम्नान्वित सिफारिशों की—

(क) दलित वगों की विशेष सहायता वी जाय।

(ख) अकाल फड़ो पर उचित नियन्त्रण रखा जाय।

(ग) मुफ्त सहायता बढ़ाव जाव तथा सहायता कार्य विवेन्द्रित किया जाय।

कमीशुन का मत था कि अकाल नियमों के आधार पर चलने में कम व्यय में अधिक कुशलतापूर्वक कार्य हो सका। सामयिक एवं उदारता से अकाल में सहायता देने के कारण जनता की अकाल निवारक शक्ति एवं साधन बढ़ गये।

मैकडानेल अकाल कमीशुन (१९०१)

सन् १९०१ ई० म सरकार ने मैकडानेल महोदय की अध्यक्षता में नदुर्य असाल समिति की स्थापना की। इस कमीशुन की सिफारिशों में पहिले क अकाल नियमों (Famine- Codes) पर जोर देने के अतिरिक्त निम्नलिखित नई चारों का समावेश था —

(क) 'साहस बढ़ाने वा सिद्धान्त' अकाल निवारण वायों की सफलता क लिए आवश्यक है। इसक अनुनार यह आवश्यक है कि सरकारी नीति इस प्रकार की हो कि अकाल से लड़ने क लिए लागों का साइर बढ़। व घबड़ा कर इधर उधर न भागे तथा बहादुरी से अकाल की विज्ञाइयों का समना करने के लिए तत्पर हो जायें।

(ख) तकाबी ऊस अकाल क लक्षण प्रकट होते ही उदारता पूर्वक दिए जायें।

(ग) गैर सरकारी उदार एवं दानियों की सहायता वो प्रोत्साहन दिया जाय तथा सरकार उनकी सहायता सघन्यवाद खींचार करे।

(घ) प्रत्येक जिले में अकाल सहायता समितियों की स्थापना की जाय। अकाल क लक्षणों पर कड़ी दृष्टि रखें जायें।

(ङ) पशुओं की रक्षा का भी व्यान रक्षा जाव तथा उत्क चारे का प्रबाध कर्या जाय।

(च) निकिर्वा सुविधा प्रदान की जाव तथा महामारी निरोधक कार्य निए जायें।

(छ) नहरों पा नना तथा अन्य निर्माण कार्यों के बने क लिय बहुत बोर दिया गया क्याकि यिना इसक अकालों वा स्थायी रूप से निवारण नहीं हो सकता।

(ज) निर्माण कार्यों दो बगों में बॉट दिया गया—(क) रक्षात्मक (Protective works) (ख) उत्पादक (Productive works)। रक्षात्मक कार्य लघु कालीन हो तथा अकाल पीड़ितों की सीधी सहायता क उद्देश्य से विए जायें और उत्पादक कार्य दीर्घकालीन हो तथा अकालों दो स्थायी रूप से रोकने क उद्देश्य से विए जायें।

उपरोक्त अकाल-निवारण-नियमों (Famine Codes) के अनुसार कार्य करने से सरकार की अकाल निवारण नीति को बड़ी सफलता मिली। फलस्वरूप २०वीं शताब्दी में सन् १८४३ के बगाल के अकाल के पहले कोई भी अकाल इतना भीषण नहीं होने पाया जिसके द्वारा जन धन का विनाश हुआ हो। सन् १८४३ के बगाल के अकाल में सरकार की अकाल निवारण नीति असफल रही। परिणामस्वरूप जांच करने के लिए सन् १८४५ में बुड्डेड अकाल आयोग की स्थापना की गई।

बुड्डेड अकाल कमीशन—(१८४५)

बगाल के अकाल के विषय में जांच करने वथा भविष्य में इस प्रकार के अकालों को रोकने के लिए सुझाव देने के लिए भारा सरकार ने सन् १८४५ में बुड्डेड अकाल कमीशन वी नियुक्त की। इस कमीशन ने निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए—

(क) 'अधिक अन्न उपजाओ योजना' चालू की जाय जिससे कि अन्न की उत्पादन मात्रा में वृद्धि हो।

(ख) खाद्यानन बाहर से आयात किए जावे और खाद्यानन का वितरण उचित ढंग से किया जावे।

(ग) पान नीति (Food Policy) को सुसमित्र करने के लिए अखिल भारतीय सान्त परिषद (All India food council) की स्थापना वी जावे। साथ ही चौथी यात्रा परिषदें (Regional food councils) भी बनाई जावे।

(घ) सरकार यात्रा खरीदने का एकाधिकार (Monopoly) अपने हाथ में लेले।

(ङ) पादान्मों का मूल्य पर्याप्त ऊँचा रखता जावे।

(च) जन-सख्ता की वृद्धि को रोका जाय।

(छ) मोजन म पोषक तत्वों (Nutritive elements) को बढ़ाया जाय।

(ज) जनता और सरकार एन-दूसर पर विश्वास रखते और पूर्ण उहयोग की भावना से तथा हिम्मत से अकाल-शत्रु को नाश करने का प्रयत्न करें।

हमारी राष्ट्रीय सरकार ने इस कमीशन के उपरोक्त सुझावों को मान लिया तथा इन्हीं सुझावों के आधार पर अपनी सावान नीति का निर्माण किया। इस प्रवार वर्तमान अकाल निवारण नीति के दो पहलू हैं—(१) अकाल दीड़ियों को उत्तालीन सहायता (२) असाल की पुनरावृत्ति रोकने के लिये दीर्घकालीन प्रयत्न जिनके अन्त गत यातायात, सिंचाई, खाद, बीज आदि का वितरण आते हैं।

हमारी राष्ट्रीय सरकार द्वारा विभिन्न सिचाई की बहुमुखी योजनाएँ कार्यान्वित की जा चुकी हैं तथा बहुत-सी योजनाएँ द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना के अन्तर्गत चल रही हैं जिनके कारण सिचाई के साधनों में पर्याप्त वृद्धि हो चुकी है, बाढ़ नियन्त्रण में उपलब्ध प्राप्त हुई है और वियुत शक्ति का उपयोग ग्रामीण छोड़ों में सम्भव हो चका है। जमीदारी प्रथा का अन्त हो चुका है और कृषक अपने भाग्य का स्वयं निर्माता बन गया है। कृषि करने के तरीकों में भी सुधार किया गया है और उच्च धीज तथा उर्वरक के वितरण करने की सरकार द्वारा समुचित व्यवस्था कर दी गई है। कुटीर उद्योग घरों वो पुनः जीवन प्रदान किया जा चुका है। आवागमन के साधनों ने पर्याप्त वृद्धि की जा रही है। श्रीदोगिक विकास की गति तीव्र हो चुकी है। इस प्रकार राष्ट्र का सर्वाङ्गीण विकास निरन्तर होता चला जा रहा है। साच्चे समस्या को सदेव के लिए हल करने के उद्देश्य से प्रथम पञ्चवर्षीय योजना में हमारी सरकार ने कृषि को सर्वोन्नत महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। स्पष्ट है कि हमारी राष्ट्रीय उद्योग इन समस्याओं के प्रति जागरूक है और उत्तर प्रयत्न चरती जा रही है। कृषि देश में रन्नति के लिये सिचाई की बहुमुखी योजनाएँ, भूमि सुधार एवं कृषि में वैज्ञानिकण्य आदि क्रमशः कार्यान्वित किये जा रहे हैं। आशा ही नहीं वरन् पूर्ण विश्वास है कि इन योजनाओं के प्रत्यक्षरूप भारत में अकाल नामक दैवी प्रकौप फेवल अतीत का खन्न ही रह जायेगा।



खाद्य समस्या

(Food Problem)

“Bitter bread ! Never before had the lesson of self-reliance and self sufficiency been brought home to the Indian people so pointedly. It would not do to parade the capitals of the world with a begging bowl in hand.”

Romesh Thapar—“India in Transition”

“So long as even a dog in my country is without food, my whole religion will be to feed it”—Swami Vivekanand

यह आश्चर्यजनक प्रतीत होता है कि अतीत का भारत जो सारे विश्व का खाद्यान्न-भड़ाक कहा जाता था, आज स्वयं अपनी खाद्यान्न की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये अन्य राष्ट्रों के समुल हाथ फैलाये दया भी भीत माँगने के लिये विवश है। हृषि भारत का प्रमुख उद्योग है। यहाँ की लगभग ७५ प्रतिशत जनता इस उद्योग में लगी हुई है और भारतीय कृषकों के पास अपना विगत ४०० वर्षों का अनुभव भी है। इन्हाँ सब कुछ होते हुए भी भारत द्वितीय महायुद्ध से खाद्य सकट का क्रीड़ास्थल बना दुआ है। प्रथम पञ्चवर्षीय योजना में इस दिशा में एक नवीन आशा की वरण का प्रारुद्धाव अवश्य हुआ परन्तु पुनः इस स्वर्णिम आशा पर बुशारपात हो गया और क्रमशः खाद्य सकट विषम से विषमतर होता चला गया। वर्तमान समय में तो खाद्य सकट ने अपना विकाल रूप घारण करके न बेवल भारतीय शाति एवं सुरक्षा को चुनौती दे रहा है, वरन् राष्ट्र के स्वर्णिम भवित्व को भी अन्धकारसमय बना दिया है। द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना के भी पेर ढगमगाने लगे हैं। वास्तव में आज खाद्य सकट की समस्या खाद्यान्न की ही समस्या नहीं, वरन् भारत के भावध्य के निमांण की समस्या है। यह समस्या आश्चर्यी न रहकर कमजूँ, स्थायी रूप घारण करती जा रही है जिसके कारण शासनालूक दल तथा विरोधी दल सभी इस सकट की विषमता से चिन्तित ही नहीं बग्र हो उठे हैं। इस समस्या को अच्छी बर्दी या खराब बर्दी, अथवा सुखा या

बाढ़ के नाम पर नहीं छोड़ा जा सकता। जनता की मावनाओं के साथ अधिक समय तक खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। याज खाद्याल्ज के अभाव के कारण सर्वत्र असतोप की मावना व्याप है और 'असतोप ही क्रांति की जनती है'

खाद्य समस्या का उद्भव

खाद्य समस्या या युद्धप्राप्त चालव में द्वितीय महायुद्ध बाल में बगाल के भीषण दुर्भिक्ष से हुआ। युद्ध के कारण बहा से चालव का आयात बढ़ हो गया था। यातायात के साधनों की कमी के कारण अन्य देशों से खाद्यानों के आयात बरने में बड़ी कठिनाइ थी। बढ़ती हुई जनसंख्या की सावान्न की माग बढ़ने के साथ ही लाय युद्ध क कारण सरकार की सावान्न की माग मी पर्याप्त बढ़ गई। सेयोगवश हमारे देश में इसी समय कई आकर्षिक प्राकृतिक दुष्टनाएँ जैसे बाढ़ इत्यादि भी प्रकट हुईं। चीरवा शतान्दी में बगाल दुर्भिक्ष क समान कोई भीपण समस्या मानव के समुख उपरिथित हो सकती है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इस दुर्भिक्ष में खाद्य सकट के काले बादलों की घनबीर घटाई का आच्छादन ही वास्तव में भारत पर आने वाले खाद्य सकट की पूर्व सूचना थी। हमारी विदेशी सरकार ने इस दिशा में कुछ भी ध्यान नहीं दिया और यह स्वाभाविक ही था कि किंतु उनका भारतीय जनता की सम्पन्नता एवं समस्याओं से सम्बन्ध ही क्या था।

उन १९४७ म भारत विदेशी दायरा की शृखलाओं से सुक हुआ, परन्तु विभाजन के फलस्वरूप स्वतंत्रता का आनन्द एवं उल्तास विपाद म परिणत हो गया। अभी भारत बगाल के भीपण दुर्भिक्ष के प्रभावों से अपने को पूर्ण रूप से मुक्त भी न कर पाया था कि विभाजन के लिए भूमि दूसरा कठोर आधान लगा और हमारी साध्य समस्या और भी अधिक दुरुह बन गयी। विभाजन के कारण भारतीय कृषि क्षेत्र का सबसे उत्तम भाग पजाव निरक्षा भारत वा गूँ का भटार कहा जाता था पाकिस्तान के चेत्र में चला गया। यही नहीं विभाजन के उपरान्त लालों की सरका म पाकिस्तान से शरणार्थी भी भारत म आ गये और खाद्य सकट अधिक गम्भीर हो उठा। पूर्वी पाकिस्तान के कारण ही जट एवं प्रदेश भारत के हाथ से निकल गये, पर तु नूट उद्योग भारत में ही रहा। परिणामस्वरूप नूट उद्योग का बीवित रखने के लिये नूट की फसलें उत्पन्न करना आवश्यक हो गया। खाद्य उत्पादन के चेत्र म और भी कमी हो गया और भारतीय खाद्य समस्या ने एक मुख्य राष्ट्रीय समस्या वा रूप धारण कर लिया। परन्तु इन कठिन परिस्थितियों म भी भारतवासी विचालत नहीं हुए। हमारे राष्ट्र के क्षणधार एवं निर्माताओं ने हृद चक्कर से नव-निर्माण एवं आर्थिक विकास का ग्रनेक योजनाएँ बनायी और भारतवासी उनको वार्यान्वित बरने के प्रयत्न म शुरू गये। फलस्वरूप प्रथम पञ्चवर्षीय योजना म खाद्य समस्या का समाधान सफल रूप से

दृष्टिगोचर होने लगा और भारतवासियों की साक्षात् में आत्मनिर्भरता की आवश्यकता सक्रिय हो उठी। परन्तु दुर्भाग्यवश प्रकृति ने भारत के मानव का जाय नहीं दिया और आज भी भारत अब भी भगीरथ प्रवलों के नारन्दू मी खाद्य समस्या के गहन अन्धकार में मटक रहा है।

यहाँमान खाद्य समस्या के रूप में उसके कारण

हमारी खाद्य समस्या के दो मुख्य रूप हैं—

(१) खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों का अभाव।

(२) खाद्यान्न की मात्रा में कमी।

खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों का अभाव एवं उसके कारण

हमारे देश में लोगों ने अत्यन्तुलित तथा आवश्यक पोषक तत्वों से रहित भोजन प्राप्त होता है। चरबाज़ मैंगा, श्री एराइड वथा डाकटर राष्ट्रामल नुवर्डी ऐडे प्रधान अर्थराज्ञिवत्तांत्रियों ने खाद्य समस्या के इस रूप पर धोकेन बी है और उन सभी ने एक मत से निर्णय दिया है कि हमारे खाद्य पदार्थों में साधारणतया उन पोषक तत्वों का अभाव रहता है जो कि एक स्वस्थ व्यक्ति के लिये आवश्यक है।

“Colonies intake in some 30% of families is below requirement and that even when the diet is quantitatively adequate it is most invariably ill balanced containing a preponderance of cereals and insufficient ‘protective food’ of higher nutritive value. Intake of milk, pulses, meat, fish, vegetables and fruit is generally insufficient”

(Nutritive Advisory Committee)

कारण

(अ) भूमि की उत्तराहु शुक्रिय की कमी एवं कारण यहू इत्यादि उच्चम पोषक पदलों के स्थान पर निम्नकोटि की फसलों का पोषण जाना।

(ब) बागवाना वया पशु-वर्षीय पालन उद्योगों का अभाव।

(ग) बनता की निरक्षरता के कारण पोषक तत्वों की आनन्दकला समझी जान रा अभाव।

(घ) अद्वितीय भावना के कारण गोश्व, घोटा वया मदुली के प्रयोग का विरक्ति करना।

(इ) निधनका के कारण पोषक तत्वों को छोड़ने की चमत्कार या अभाव दूना।

खाद्यान्तर की मात्रा की कमी के कारण

वर्तमान खाद्य समस्या का कारण विशेष रूप से खाद्यान्तर की कमी है। इसके कारणों को सुख्ख्यत तीन मार्गों में बँटा जा सकता है—

- (१) राजनैतिक कारण
- (२) सैन्यानिक कारण
- (३) आबाहारिक कारण

राजनैतिक कारण (Political Causes)

राजनैतिक गुटबन्दी

काग्रस वी पर्वमान आन्तरिक गुटबन्दी बहुत कुछ छीमा तक वर्तमान खाद्य सकट के लिए उत्तरदाती है। गुटबन्दी के पारण साच ज का वितरण विभिन्न राज्यों में अचित रूप से नहा हो पाता नियम कारण पारण सकृद की समस्या उपज हो जाती है। उत्तर प्रदेश में खाद्य सकृद बहुत कुछ इसी का परिणाम है। थीक० सथानम् क शब्दों में—

“सप्रह, वितरण, मूल्यो का निर्धारण, सत्ते गल्ले की दूकानों को खोलने तथा उन दूर्जाना को गल्ला प्रदान करने आदि पा एक मात्र दायित्व केन्द्रीय सरकार का है।”

श्री नय प्रकाश नारायण ने अपी कुछ उम्मग पूर्ण अपनी विदेश यात्रा से लौटने के उत्तरान्त अपने सार्वनिक मापण में यह घोषणा की है कि सचिदीय गणतन की वर्तमान व्यवस्या भारत के अनुकूल नहीं है। उ होने वहा कि विभिन्न राजनैतिक दलों के बीच स्वाधों का सघन इस तीमाने के द्यात चल रहा है इन नियम भविष्य में ही उठाना यादी की स्थापना की सम्भालना उपर्युक्त हो गइ है। उनको यह आलोचना निराधार नहीं है। इसम कोई स देह नहीं है कि भारत में राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा इस समय दलीय हितों को प्रधिक महत्व प्राप्त हो रहा है। लग्नल में भारतीय कन्युनिस्ट पार्टी के महानी श्री ग्रेब्य धोप के ग्रनुसार करल में ७,००० सस्ते यहाने की दूरान हैं जब त्रि उत्तर प्रदेश म लगभग ३८००। नैकि सत्ते गल्ले की दूराने खोलने का दायित्व केन्द्रीय सरकार का है, अत इस पक्षपात्रुओं नीति से ऐसा आभास मिलता है कि या तो केन्द्र सरकार कन्युनिस्टों के प्रत्यार से मवभीत है अथवा उसका कन्युनिस्टों से प्रेम है। इन विधान सभाओं सदस्य के अनुसार—

‘मने की जात यह है कि दिल्ली से चलने वाली गल्ले की गाड़ियाँ विहार और वगाल चली जाती हैं, किंतु उत्तर प्रदेश नहीं आ पाती।’

उपर्युक्त उदाहरण बतल इसलिये महत्वपूर्ण नहीं कि उत्तर प्रदेश की खाद्य

समस्या ही साध सकट हो, वरन् यह इस बात को स्पष्ट करते हैं कि साध सकट को जन्म देने में राजनीति का फहाँ तक हाथ है। ऐसी नीति जिसी भी राज्य के साथ बरती जा सकती है।

संवैधानिक (Constitutional)

श्री अबित प्रसाद जैन के अनुचार—

“संविधान स्वाध उत्पादन के सम्बन्ध में मूलभूत दायित्व प्रदेश सरकार पर ढालता है।”

श्री जैन का यह व्यञ्जन टीक है क्योंकि संविधान में कृपि प्रदेश का विषय है, परन्तु साध समस्या प्र अन्तर्गत फल उत्पादन ही निहत नहीं है, इसमें वितरण भी समिलित है। जहाँ तक वितरण का प्रश्न है यह के द्वारा सूची में है। अत एक जटिल समस्या उत्पन्न हो जाती है कि साध समस्या के सम्बन्ध में दायत्व राज्य सरकार का है अथवा कन्द्रीय सरकार का। प० नेहरू के अनुसार चेन्नई सरकार का नेतृत्व दायित्व भले ही हो, संवैधानिक दायित्व क्तइ नहीं है। राज्य सरकारों का वितरण में उच्च भी हाथ न होने के कारण, प्रदेश सरकारें फल अधीनस्थ एजन्सियाँ रह जाती हैं। यही कारण है कि प्रादेशिक सरकारों का उत्साह साधोत्पादन प्र सम्बन्ध में नहुत मन्द पड़ जाता है और उनक अधिकार कार्य फेल प्रदर्शनी का बस्तु ही रहते हैं। यह अनावश्यक एवं अवावहारिक संवैधानिक कन्द्रीयकरण का ही परिणाम है।

व्यावहारिक (Practical)

व्यावहारिक कारणों के अन्तर्गत वर्तमान साध सकट के मुख्य कारण निम्न लिखित हैं—

द्वितीय पचवर्षीय योजना में कृपि को गौण स्थान देना

हमारी सरकार ने प्रथम पचवर्षीय योजना में कृपि एवं साधोत्पादन को प्रमुख स्थान देकर उचित दिशा में फल उठाया था। इस योजना वाल में इस दिशा में बहुत उच्च सफलता मिली, परन्तु हम आत्म निर्भर न हो पाये। सन् १९४६ से लेकर अब तक १२ वर्षों में सरकार ने लगभग ३०० लाख टन गल्ले का विदेशी से आयात किया है। यह इस बात का दोतक है कि देश म अन्न का उत्पादन आवश्यकता का अनुकूल पर्याप्त मात्रा में नहीं किया जा सका है। ऐसी अवस्था में द्वितीय पचवर्षीय योजना भ कृपि एवं साधोत्पादन को प्रमुख स्थान न प्रदान करना एक महान भूल थी। बिसका ही परिणाम वर्तमान साध सकट है जेसा कि भूतपवी द्वीय मन्त्री श्री मोहन लाल संसेना के शब्दों से स्पष्ट है—

“यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि योजना निर्माताओं तथा प्रशासकों ने गत योजना के समान इस योजना के अतर्गत कृषि तथा खाद्योत्पादन को अधिक महत्व नहीं दिया है और पूर्व चेतावनियों की उपेक्षा कर सतरे को मोत लिया है।”

योजना में धारे की अर्थ-व्यवस्था

विश्व बैंक के बिन दो विशेषणों को भारत द्वि विज्ञान योजनाओं का अध्ययन करके अपने सुभाव प्रस्तुत करने का भार दौड़ गया था उन्हें अपनी रिपोर्ट में यह मत प्रदर्शित किया है कि भारत अपने विकास अभियान के तारतम्य में एक ऐसे स्तर पर आ गया है कि आगे बढ़ने की अपेक्षा कुछ टहर कर प्राप्त सफलताओं का दिली करण अधिक बाह्यनीय बात होगी। इन्हे मत को व्यक्तिगत मतव्य के रूप में डिपेंसिव नहीं किया जा सकता क्योंकि यह उभी जानते हैं कि देश के अन्दर भी बहुत ऐ अर्थशालियों की ओर से यह मत प्रदर्शित किया गया है नि योजना आवश्यकता से अधिक महत्वात्मक हो गई है अर्थात् उसके लद्दों तथा कार्यक्रमों को निर्धारित करते समय साधनों की अपर्याप्तता को हासिल नहीं किया गया है। यथार्थता यह है कि शासन ने अनाम शनाम बढ़ी और धारे की योजना चानकर सुदूर त्रिंशि की जम्म दिरा है और यही खाद्य सस्त का स्थायी कारण बनता जा रहा है। ५० नेहल ने स्वतं त्रीकार। यहाँ है कि खाद्यान्न उत्पादन के आधारभूत महत्व को शासन ने अभी उपकरण है, किन्तु फिर भी भविष्य न खाद्यान्नों के उत्पादन की बढ़ि बरने अथवा वर्तमान अभाव चन्द्र बठिनाइयों को दूर करने के लिए जोई उप्रिय एवं प्रभावी पर्याप्त उदाया गया है। शासन बराबर धारे की अर्थ-व्यवस्था का रुहारा लेता चला जा रहा है।

योजना में धन की वर्वादी एवं असाक्षिता

योजना में धन का अपारप होने के कारण भी खाद्यान्न उत्पादन में उतनी सुफलता नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिये। खाद्यान्न में कुछ बृद्धि अवश्य हुई परन्तु उसको प्राकृतिक परिस्थितियाँ अतुकूल होने का परिणाम कहा जाना चाहिये। उदा हरणस्वरूप १६५२-५३ में खाद्यान्न का उत्पादन ५४३ लाख टन हुआ जब कि १६५३-५४ में ६८७ लाख टन हुआ। एक बर्ष में ही लगभग १०० लाख टन की बृद्धि योजना का परिणाम नहीं, बरन् किसी प्राकृतिक कारण का परिणाम ही माना जा सकता है। यदि योजनावाद बृद्धि हुई होती रहे अगले बर्षों में इसी क्रम से बृद्धि होना चाहिये थी, परन्तु निम्न आवडे ऐसा प्रकट नहीं करते—

१६५४-५५

१६५५-५६

६६६ ६ लाख टन

६७७६ " "

१९५६ ५७

१९७५ लाख टन

१९५७ ५८

६२० दे „ „

ये आँकड़े सम्बृद्ध सवेत करते हैं कि उत्पादन की मात्रा साथे साथे प्रावृत्तिक कारणों से सम्बद्ध रही है। इनसे यह भी समझ होता है कि शासन द्वारा वृद्धि केर म किये गये व्यव का यथोचित परिणाम नहीं प्राप्त हो सका है। आज स्थिति यह है कि लद्दों की पूर्ति हो या न हो, किन्तु व्यव का बोटा पूर्य बर लेने का उत्पावलापन क्षाया हुआ है। केन्द्र योग प्रदान करता है और प्रदेश सरकारें धन राचं करती हैं।

बहुत सी योजनाएँ ऐसी थीं जिनको चलाया गया परन्तु वे असफल रहीं। बहुत से बाँध बनाये गये परन्तु वर्षा भूतु में वह गये। ऐसा कहा जाता है कि वापी रुपया रक्षितारियों के प्रष्टाचार के प्रणय बीच म ही चला जाता है और योजना पर निर्धारित रखप से बहुत कम रक्षम लग पाती है जिसक कारण योजना का असफल होना स्वाभा विक ही है। रिचाई की छोटी छोटी चो योजनाएँ चलती हैं उनमें भी किस प्रकार धन का अपव्यय होता है, निम्न आँकड़ों से स्पष्ट होता है—

| प्रदेश | निश्चित निया गया धन | वर्ष हुआ धन (करोड़ रुपये में) | लीचित लेधन (लाल एवं भौमि में) | प्राप्तिक सीचित भूमि (लाल एवं भौमि में) |
|------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|
| भिहार | (करोड़ रुपये में) | ४ ७८ | ४ ७८ | १७ ४ |
| मध्यप्रदेश | ७ ८८ | ४ ७ | ७ ७५ | १ ८ |
| मद्रास | ३ ३ | २ २ | ५ ०५ | ६५ |

द्वितीय पञ्चवर्ष योजना के अनुग्रह वाले तैयार करने के लिए खेतों का योजना करने का निश्चय किया गया, रितु अधिकाश प्रदश सरकारें इस प्रकार के भूजुरड प्राप्त करने म ही असफल रहीं। भूमि क दाम ग्रधिर होने के बारण प्रदेश सरकारों ने ये न रन-परारेण दियावटी बीज उत्पादक खेतों का साज सबाधा बेनता इचलिये कि धन व्यव बररे कुछ न कुछ तो पढ़ा ही किया जाना चाहिये।

बनता में व्यव शक्ति की कमी

खाद्यान की कमी के बारण उसके मूल्यों में वृद्धि स्वाभाविक ही थी, परन्तु बनता की क्षय शक्ति कम होने के बारण स्पष्ट ग्रीर भी अधिक लीम हो गया। पूँजा प्रधान योजना ने जिसको मारी करों से पूरा किया जा रहा है, बनता की क्षय शक्ति

को घटा दिवा है। बिदेशी मुद्रा सकट के कारण लगाये गये आवास नियन्त्रणों दे परिणामस्वरूप उद्योग-बन्धों पर भी दुरुप्रभाव पहा बिसरू बारण बेकारी और बढ़ गई। बानपुर में ही सती मिल उद्योग में सकट उत्थित होने के कारण हजारों मजदूर बेकार हो गये। बेकारी के कारण जनवा की श्रद्धा शक्ति में और भी कमी हो गई और खाद्य सर्व का रूप गम्भीर हो गया।

जनसत्त्वा में बद्धि

भारतवर्ष में जनसत्त्वा में निरन्तर बृद्धि भी वर्तमान खाद्य सकट का एक मुख्य कारण है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि हमारे देश में ५० लाख प्रतिवर्ष के हिसाब से जनसत्त्वा में बृद्ध हो रही है। यह बहा जावा है कि नवबात शिशु उवल मुँह लेकर ही नहीं बरन् दो हाथ भी सेफर आता है और यदि हाथों को बाम मिलता रहे तो मुँह भरने की कोई समस्या उत्थित नहीं हो सकती। परन्तु यह कथन निराधार-धा प्रताप होता है क्योंकि प्रारम्भ स ही शिशु इस देश नहीं होना कि वह किसी प्रकार का उत्पादक कार्य कर सक। अब जनसत्त्वा की बृद्ध की समस्या को टाना नहीं जा सकता। बालव में ऐसे समय में बड़ पूर्व से वर्तमान हाथों को ही बाम देने की समस्या उत्थित हो, जनसत्त्वा में निरन्तर बृद्धि खाद्य सकट की पूर्व सूचना ही कही जा सकती है।

क्षणि उपज का कम होना

एक ओर तो जनसत्त्वा में निरन्तर बृद्ध होती जा रही है और दूसरी ओर प्रति एकड़ उत्पादन में कोइ भी बृद्धि उमड़ नहीं हो सकी। ऐसी दशा में खाद्य सकट का उत्थित होना त्वाभाविक हा है। इसमें रुदेह नहीं। क स्वदत्तता क उपरान्त भूमि व्यवस्था म सुधार, सिचाइ क साधनों म विकास एवं ग्राम नुधार की अन्य योजनाएँ राया न्यत की जा चुकी हैं, परन्तु क्षणि उपज में बृद्ध अधिक नहीं हो पाई। इसना कारण बेवल यही है नि सभा कार्य सरन्यारी स्तर पर किय गये हैं और जनता क सहयोग का प्रभाव रहा है। जिय यांग भूमि की नावा में भले ही बृद्ध रुई हो वित्त प्रति एकड़ उत्पादन में बृद्धि नही हा रहा। भारतीय हाथों क खेती करने क दण आव भी पुराने ही हैं। वैज्ञानिक साझों का उत्पोय अब भी दे नही जानते। बास्तव में सरकारी कागजारियों द्वाय इपन्नों का दैनिक दण पर सेवी करने क सामों को ज्ञाना ही काढ़ नहीं, उनको प्राप्त साधन भी उत्तल-प्रकार नहीं हैं। बर तक कृषकों की वर्तमान परिस्थितियों में परिवर्तन न हो, आधुनिक दण बालव में उत्पन्न हो सकते हैं जा नहीं, इस पर भी स्वान देना आवश्यक है। बेवल कागज पर योजनाएँ बनाने से ही उपज म बृद्धि सम्भव नहीं हो सकती। प्रचार दो अवस्थ्य बहुत

अधिक किया जाता है, परन्तु ठेस कार्य बहुत दम। भारतीय कृषक आज भी उसी स्थिति में है जिसमें वह दस वर्ष पूर्व था।

नये कानूनों के भय से खेतिहार अपने खेतों को खाली छोड़े रहते हैं किन्तु किसी को बटाइं पर नहीं देते जिसके बारण ऐसा अनुमान लगाया गया है कि लगभग ५० लाख एकड़ भूमि बेकार पड़ी रहती है।

प्राकृतिक प्रकोप

वास्तव में वर्तमान खाद्य सकट का मूल बारण प्रकृति का भारत के भाग्य का खात न दना है। पिछले दो वर्षों से भीषण बाढ़ों के बारण लालों बीचे लालहाती हुई खेती नष्ट हो गई। मानसून के देर में प्रारम्भ होने के बारण धान की फसल को भी काफी आपात पहुँचा। परिणामस्वरूप यह कहावत “Man proposes and God disposes” चरितार्थ हुई और सरकार द्वारा सचालित योजनाएँ सफल न हो सकी। यदि सरकार द्वारा सचालित योजनाओं को प्रकृति का सहयोग एवं आशीर्वाद प्राप्त हो जाता तो इसमें यन्हेह नहीं कि वर्तमान खाद्य समस्या का इतना विकराल रूप न होने पाता और कदाचित् स्वर्गीय श्री रसी अहमद विद्यवैद के अप्रैल १९५४ के निम्नलिखित शब्द वथार्थ सिद्ध होते—

“यदि आज की भाँति हमारी खाद्य परिस्थिति सरोपग्रद रहती है तो अगले वर्षों में, हम केवल आत्मनिर्भर ही नहीं ही जायेंगे, घरनकुछ नियंत बनने की ज़मता भी ग्राप कर लेंगे।”

व्यापारियों की दूषित मनोवृत्ति

व्यापारियों की दूषित मनोवृत्ति भी वर्तमान खाद्य सकट के लिए बहुत कुछ उचरदायी है। व्यापारियों का सुख्य उद्देश्य अधिक लाभ प्राप्त करना है, अतः उन्होंने वर्तमान परिस्थितियों का लाभ उठाने के लिए खाद्यान्न का बहुत अधिक मात्रा में संग्रह कर लिया और अधिक मूल्य पर बेचना प्रारम्भ कर दिया। परिणामस्वरूप खाद्य सकट और भी गम्भीर हो गया है। अब तो बड़े एवं मध्यम श्रेणी के किसानों में भी स्टाक जमा करने की प्रवृत्ति का प्रादुर्भाव हो गया है। इसी प्रवृत्ति के बारण खाद्य न के मूल्य निरन्तर बढ़ते चले जाते हैं। यदि खाद्यान्न का उचित वितरण किया जाय तो खाद्य सकट की समस्या नष्ट हुँच हल हो सकती है।

खाद्य समस्या के हल करने के सुझाव

(क) वर्तमान सकट बाल के निवारण के लिए अस्थायी समय के लिए बाह्य देशों से खाद्य पदार्थों का आपात करना चाहिए।

(क) कृषि प्रणाली में परिवर्तन, न्यायपूर्ण भूमि व्यवस्था, सिचाई के साधनों का विकास, वैशानिक साधनों का प्रयोग तथा उत्तम साद और बीज के वितरण इत्यादि के द्वारा प्रति एकड़ उपज में वृद्धि करनी चाहिए।

(ग) फन, शाक, दूध, धी, मल्हुली, मास और अशड़ो के उत्पादन में वृद्धि करनी चाहिए।

(घ) उचित वितरण के लिए यातायात के साधनों में वृद्धि तथा विषयन की सुविधाओं में वृद्धि होनी चाहिए। यात्य पदार्थों के मूल्यों के स्पायी-करण के उपाय अति ग्रावश्यक हैं।

(इ) निर्धनता एवं क्रय-शक्ति के अभाव को दूर करने के लिए देश में औद्योगिकरण, कृषि में सुधार, कुटीर उद्योगों की उन्नति, जनतत्वस्था वृद्धि पर नियन्त्रण तथा शोपण का उन्मूलन करना आवश्यक है।

(न) खाद्य समस्या को विसी दल का विषय न बनाया जाकर पूर्ण राष्ट्रीय विषय बनाया जाना चाहिए। यासन को अन्य दलों का सहयोग प्राप्त करना इसके लिए अत्यन्त आवश्यक है।

(छ) नवर भूमि की ओर कृपकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से यह घोषणा की जानी चाहिये कि भूमि वो उपजाऊ बनाने वाले से निश्चित समय तक लगान नहीं लिया जायगा।

(ज) कानूनों की पेचीदगी समात की जानी चाहिये जिससे खेतिहर छोड़ी गई भूमि को मबद्दूरों से जुकाम सकें प्रथम बढाई पर दे सकें।

सरकार द्वारा प्रयत्न

(Government Measures)

द्वितीय मशायुद्ध काल में हमारी दाय समस्या ने अत्यन्त सङ्कटकाल उपस्थित पर दिया और हमारे सम्मुख चेबल दो ही रास्ते रह गये, बरो या मरो। अत हमारी यरथार ने अप्रैल १९४२ में अन्न के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए एक पाद्य उत्पादन सम्मेलन बुलाने का आयोजन किया। इस सम्मेलन की सिफारिशों के फल सरलप सन् १९४३ में 'अधिक अन्न उपजाओ योजना' (Grow more food campaign) चालू की गई।

अधिक अन्न उपजाओ योजना

उत्पादन में वृद्धि के लिए इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित उपाय अपनाये गये।—

(क) नई भूमि वो उपजाऊ बनाकर और पर्ती भूमि पर खेती करके खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करना।

(ख) वर्तमान सिंचाई के साधनों की मरम्मत करना, उनमें वृद्धि करना और नये कुओं व तालाबों का निर्माण करना।

(ग) रसायनिक खादों का विस्तृत प्रयोग करना।

(घ) उत्तम बीजों के उत्पादन में वृद्धि व उनके वितरण की अच्छी व्यवस्था करना।

योजना के अन्तर्गत कार्य

केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को आर्थिक सहायता एवं ऋण देमर योजना को सफल बनाने का प्रयत्न किया। राज्यों में नई बबर भूमि उपजाऊ बनाई गई, कुएँ खुदवाये गये, तालाब बने, हरी पाद, रसायनिक खाद इत्यादि का वितरण हुआ तथा विदेशों से कुपि औजार एवं मशीनरी मेंगाई गई। इन सब प्रयासों के होते हुए भी खाद्य स्थिति न सुधर सरी। इस योजना के फलस्वरूप खाद्यान्नों के अन्तर्गत १० मिलियन एकड़ भूमि का विस्तार हुआ और अन्त में दाई मिलियन टन की वृद्धि हुई। खाद्य समस्या की गम्भीरता को देखते हुए यह परिणाम सायर में कुछ बैंदों के समान थे।

योजना की असफलता के कारण

इस योजना के सफल न होने के निम्नलिखित कारण थे—

(क) यह एक बागबी योजना ही रह गई, रचनात्मक ठोस कार्य कम दिया गया।

(ख) जो कुछ भी प्रत्यक्ष निये गये वे सरकारी स्तर पर किये गये और वास्तविक विस्तार तक सुधारों का फल न पहुँच सका।

(ग) योजना का स्वरूप अस्थायी था। नियोजन का अभाव था। अत खाद्य सकट की जड़ों को उताड़ कैंकने में यह योजना नितान्त असफल रही।

(घ) घन वा व्यय तो बहुत हुआ परन्तु उसका सदृप्योग न हो सका। निरीक्षण के अभाव में तथा सरकारी वर्मचारियों में भ्रादाचार फैले होने के कारण खेतों पर कुएँ बनाने के स्थान पर लोगों व घरों में कुएँ बने, उसमें बीज बोये जाने के स्थान पर खाये गये और इसी प्रकार अन्य गडबड़ियाँ हुईं।

(ट) सुद के उपरान्त निर्माण सामग्री का भी अभाव रहा और इस प्रकार आवश्यक निर्माण न हो सका।

अधिक अन्न उपजाऊ योजना का मुनस्सेगठन

प्रथम योजना की असफलता के कारण हमारी सरकार ने सन् १९४७ ई० में द्वितीय खाद्यान्न नाति समिति (Food Grains Policy Committee)

नियुक्त की। इस समिति ने सम्पूर्ण स्थिति का अध्ययन किया और निम्नलिखित सुझाव दिये—

(क) सिंचाई की बहुमुग्नी योजनाएँ बनाइ जावें और उनके द्वारा सिंचाई के लिए म १६ मिलियन एकड़ मिली की बृद्धि का जाय।

(ख) खाद्य सरकट के निवारण के लिए कृषि नियोजन अत्यन्त आवश्यक है अत एक केन्द्रीय बोर्ड कृषि नियोजन के लिए स्थापित किया जाय।

(ग) नई मूल्मि को तोड़ने और प्रजर मूल्मि को उपजाऊ बनाने म भरणन प्रयत्न किया जाय।

(घ) एक केन्द्रीय मूल्मि उपजाऊ बनाने वाला संगठन (Central Land Reclamation Organization) बनाया जाय।

(इ) खाद्य सरकट ने निवारण के लिए एक पचवाहाय योजना बनाई जावे जिसका उद्देश्य प्रति वर्ष दस मिलियन टन अधिक आनं उत्पन्न करना हो।

पुन संगठित अधिक अन्न उपजाऊ योजना के अन्तर्गत कार्य

इस योजना के अन्तर्गत लाखों कुएँ खाले गये, बहुत से तालाबों का निर्माण हुआ, लाखों एकड़ मूल्मि तोड़ दर उपजाऊ बनाई गई और हजारों टन उत्तम वीज तथा रात्मनिक खादा का वितरण किया गया। मुख्यत उत्तर प्रदेश और पंजाब के राज्यों म सराहनीय कार्य हुआ। श्री क० एम० मुशी के शब्दों में—

"It is important to note, however, that the loss would have been even greater if the different Grow More Food Schemes had not been in operation and the additional production due to them had not taken place"

भारत सरकार की नई खाद्य नीति की घोषणा

२४ अगस्त १९५८ को भारत सरकार ने अपनी खाद्य नीति की घोषणा की जिसकी निम्न मुख्य बातें थीं—

(क) देश को अधिक उत्पादन, आत्मनिर्भर और यात्र की कमी वाले ज़ों में विभाजित किया जाय। इन ज़ों में खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान करने का एकाधिकार सरकार को हो।

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत मूल्य पर अधिक अन्न वाले ज़ों से राज्य सरकारों के नियन्त्रण में आनं भी खरीद भी जाय।

(ग) जिना लाइसेंस क बोई भी व्यापारी आनं का क्रम विक्रम तथा संग्रह न कर सक।

(घ) साधानों ने राशनिंग क्षेत्रों में विस्तार किया जाये।

इस नीति की अपेक्षाकृत भी साध्य सकट दूर न हो सका। सन् १९४८ ई० में एक साध्य उत्पादन कमिशनर की नियुक्ति थी गई और उसकी सहायता के लिए एक साध्य उत्पादन पोर्ट स्थापित किया गया। अगस्त सन् १९४० ई० में दिल्ली में राष्ट्रीय साध्य मन्त्रियों द्वारा एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में निम्न लिखित नुस्खाव दिये गए—

(क) साध्य नीति के विषय में राष्ट्रीय सरकारी तथा केन्द्रीय सरकार व मध्य पूर्ण सहयोग होना चाहिये।

(ख) साध्य उत्पादन, उसकी संरीद तथा वितरण युद्धस्तर पर होना चाहिये।

(ग) अन्न सप्रह करने वाले सथा चौर भाजारी करने वालों के साथ बड़ी कार्रवाई की जानी चाहिये।

(घ) निमित्त राष्ट्रीय ग्रन्ती के मूल्य में स्थिरता लाने द्वारा प्रयत्न करना चाहिये।

इतना सब होत हुए भी मार्च १९५२ तक देश अन्न के विषय में शास्त्र निर्भर न हो सका। सन् १९५२ ई० में भारत सरकार ने एक अधिक अन उपजाओं जौन समिति (Grow More Food Enquiry Committee) की स्थापना की। इस समिति की सिफारिश रेप्रेन्टेटिव अन उत्पादन योजना सम्पूर्ण ग्राम मुवार योजना का एक अंग बना दी गयी।

देश में अन्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए १९५७ में भी 'अधिक अन उपजाओं' कायक्रम के अन्तर्गत योजनाएँ चलती रही। इसके लिये १९५७ पूर्व वित्तीय वर्ष में २५ करोड़ ६७ लाख रु० की राशि रखी गई। इससे राष्ट्रीय सरकारों का वित्तीय सहायता दी जायगा। अधिकाहर सहायता, अथात् २२ करोड़ ६५ लाख ७० रुपये के रूप में दिया जायगा। इसमें १० करोड़ ६७ लाख रु० की वह राशि भा शामिल है जो राष्ट्रीय सरकारी वो कम समय के रुपये के रूप में पाए, उर्वरक और गढ़िगा बीज संरीद कर बौंटेके लिए दी जायगी। शायद ३ करोड़ २ लाख ८० रुपयों की सहायता न रूप में दिये जायगे। इस प्रवार के छोटे सिचाइ कायां और भूमि मुश्वार ग्रादि का स्थायी सुधार योजनाग्राम को पूरा करने के लिए शूरू के रूप में प्रविधिक सहायता देने की नीति इस वर्ष भी जारी रखी गयी। १९५७ पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए जो धनराशि स्वीकृत हुई थी उसमें से ३० लाखरी १९५८ तक, भारत सरकार राष्ट्रीय सरकार को ३ करोड़ ४४ लाख रु० तो अनुदान के और २३ करोड़ ४२ लाख रु० शूरू के रूप में देना स्वीकार कर चुकी थी।

अन्न की उत्तर बढ़ाने के लिए नादोब्रन वाले उर्वरकों का उपयोग करने पर विशेष प्रचार इस वर्ष भी किया जाता रहा और इस वर्ष द लाल टन अमोनियम चल्केट की उपयोग हुई। बहुत-सी राज्य सरकारों ने गौव में ही अधिक स्वाद तैयार करवाई और हरी साद का प्रयोग बढ़ाने का उपाय किया। यह भी निश्चय किया गया कि १९५७-५८ से “अधिक अन्न उपजाओ” कोष में से दहावता चक्रवर्ती करने के लिए भी दी जाय। आशा है कि राज्यों ने १९५७-५८ के बीच “अधिक अन्न उपजाओ” कार्यक्रम बनाये हैं, उनसे २१ लाख द० हजार टन अतिरिक्त ग्रन्थ उत्पन्न हो सकेगा। इन कार्यक्रमों के अतर्गत, अनेक राज्यों में २८, १३७ कुएँ और ३२० लाल नये बनवाये जा सकेंगे और पुराने मरम्मत करके टीक किये जा सकेंगे। इन कुच्छी और लालावों के पूरा हो जाने पर इनसे लगभग १७२ हजार एकड़ भूमि में रिचाई हो सकेगी। नदियों, नालों और कुच्छों में १३ हजार हेक्टेयर अधिक रहठ तगड़ा दिये जाने की आशा है। उनसे १३८ हजार एकड़ में रिचाई हो सकेगी। इनके अतिरिक्त भी, राज्य सरकारों का विचार अनेक बाँध, नाले और रेजर्व हेक्टेयर बनवाने का है। उनके पूरे हो जाने पर उनसे १४ लाख द० हजार एकड़ भूमि में रिचाई होने लगने की आशा है। आशा है कि १९५७-५८ में, “अधिक अन्न उपजाओ” कार्यक्रम के अनुसार रिचाई की जो छोटी-छोटी अनेक योजनाएँ चलायी जायेंगी उनसे और नल-कृप लगाने वे विशेष कार्यक्रम से लगभग २२ लाख एकड़ भूमि में रिचाई होने जानेगी।

प्रथम एवं द्वितीय पचवर्षीय योजना में स्वायान्त्र उत्पादन

प्रथम पचवर्षीय योजना को विविध विभाग योजना द्वारा जाय तो अति शरोकिक न होगी। इस योजना में स्वाय-पदार्थों के उत्पादन की इुद्धि को प्राथमिकता प्रदान की गयी। ७६ लाल टन अधिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया तथा जामुदानिक निकास योजनाएँ, रिचाई योजनाएँ, एवं जापानी पद्धति से धान भी लेती करने की योजनाएँ कार्य रूप में परिणित की गयीं। योजना के तृतीय वर्ष में लक्ष्य से कहा अधिक उत्पादन में बहिर्भूत हुआ। यहाँ स्वायान्त्र, पर. कल्योल, दृष्टि, गहरे, तथा नहाशन, आवात बन्द कर दिया गया। स्वायान्तों के उत्पादन बहिर्भूत हो जाने के कारण ऐसा प्रतीत होने लगा कि स्वाय उत्पादन का उद्देश के लिए अन्त हो गया जैसा कि तत्कालीन स्वाय मंत्री का वक्तव्य यह:—

“हम सर केन्द्र अम्भ में स्वायान्त्री ही नहीं वाल्क भविष्य के लिए कुछ संचित करने वोन्ह भी अपने को बना सके हैं।

इस प्रकार योजना की सफलता की आँकड़ा गया और इसी सफलता की आशा से द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना बनाते समय केवल आवश्यकतानुसार ही अतिरिक्त अन्न की आशा के लिये उच्चे की रकम निर्धारित की गयी। इस योजना के अन्तर्गत सन् १९६१ तक २५ मिलियन टन अतिरिक्त अन्न उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है।

द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना में जिस आशा से अन्न उत्पादन के लक्ष्य रखे गये थे, परिस्थिति उसके विपरीत दृष्टिगोचर हुई। योजना के प्रथम वर्ष में ही स्थिति चंताजनक रही। एक और लोगों के पास बढ़ी हुई क्रय शक्ति और फलस्वरूप उनकी अन्न के लिए अधिक मांग और दूसरी और अन्न उत्पादन आशा के प्रतिकूल रहा। विशेषकर उत्तरी भारत के पूर्वांचलों में—बिहार, पश्चिमी बंगाल, पूर्वांचल प्रदेश और उत्तरी पश्च प्रदेश आदि में बाढ़, सूखा आदि के कारण फसलें सराह हो गयीं। योजना के द्वितीय वर्ष में अन्न का अभाव और भी बढ़ गया, खाय ही अन्य के मूल्य काफी चढ़ गये। बीमतों में होने वाली इस वृद्धि के कारण जनता और सरकार दोनों को ही परेशानी में पड़ जाना पड़ा। अत शरकार को सोन्नना पड़ा कि उसका कैसे सामना किया जाय। फलस्वरूप सरकार ने खाद्य अभाव और मूल्य जाँच के लिए श्री अशोक मेहता की अध्यक्षता में जून सन् १९५७ में साधारण जाँच समिति (The Food Grains Enquiry Committee) की नियुक्ति की। समिति ने अपनी रिपोर्ट नवम्बर सन् १९५७ में सरकार के समक्ष रख दी।

खाद्यान्न जाँच समिति (१९५७) का प्रतिवेदन

इस समिति ने देश में खाद्यान्न का उत्पादन, वितरण और दाम की मूल समस्या पर समग्र दृष्टि से विचार किया है। पूर्वी भारत में जो सूखा था उस पर समिति विचार नहीं कर सकी, परन्तु उसने कहा है कि इन ज़ेनों के बारे में उसने जो राधारण सुझाव दिए हैं उनके पूरे होने पर भविष्य में इस प्रकार की आवश्यियों से काफी हद तक बचाव हो सकेगा।

समिति का मुख्य निष्कर्ष यह है कि आर्थिक विकास की किया गया दामों का चढ़ना स्वाभाविक है। उत्पादन, आमदनी, दाम, मांग, दाम आदि का नहने वा असर एक दूसरे पर होता है और इस कारण दामों का चढ़ाव उतार होता रहता है। पर राधारण रूप चढ़ाव का हा होता है। हाँ एक दम से बहुत अधिक दाम बढ़ने से लोगों को बड़ होता है। इसलिए उसे बचाना चाहिए।

समिति ने पूर्ण नियन्त्रण और पूर्ण विनियन्त्रण दोनों को ही अस्वीकृत करते हुए सुझाव दिया है कि नियन्त्रण का स्वरूप प्रतिवन्धन न होकर प्रतिकर के रूप में अथवा नियामन होना चाहिए। खाद्य मंत्री श्री अजीत प्रसाद जैन द्वारा सचद म

प्रायान्त्र बैंच रिपोर्ट में आगामी कुछ वर्षों तक २० से ३० लाख टन खायानों के वार्षिक नियांत्रित वायरल आवश्यकता पर बत दिया गया है।

समिति की सिफारिशें

मूल्य स्थिरीकरण मडल (Price Stabilization Board) की स्थापना

समिति ने सुझाव दिया है कि अनाज के मूल्यों में स्थिरता लाने के लिए टोक रुदम उठाना अत्यन्त आवश्यक है। समिति ने इसके लिए उच्च अधिकार प्राप्त 'मूल्य स्थिरता मडल' स्थापित करने वा सुझाव दिया है जो सामान्य रूप से भाव स्थिरीकरण के सम्बन्ध में आपनी नीति निर्धारण करने के साथ साथ उसे समय समय पर लागू करने के लिए कार्य-क्रम निश्चित करेगा। समिति का यह भी सुझाव है कि एक 'केन्द्रीय प्राय चलाहकार परिषद्' की भी स्थापना वीजाय जिसका कार्य बेन्द्रीय खाय मन्त्रालय और मूल्य स्थिरीकरण संगठन की मदद करना होगा। सरकार को खायानों के मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों वा पता लगाना रहे, इसके लिए एक अलग 'मूल्य सूचना विभाग' स्थापित किया जाना चाहिए।

यह संगठन अनाज की खरीद-बिक्री का काम करेगा। जब किसी क्षेत्र में दाम गिरने लगेंगे तो यह संगठन उचित मूल्य पर खरीद शुरू करेगा और इसी प्रगति भावों की सेजी होने पर बिक्री करेगा। इस प्रकार यह अनाज के व्यापार पर कानून रखेगा। सब महिलों में इसकी शास्त्राएँ रहेंगी।

अन्न का नियन्त्रण

समिति का कहना है कि अन्न का वितरण सस्ते अनाज की दूकानों वा नए ढग की राशन की दूकानों या उद्धकारी संस्थाओं द्वारा होना चाहिए। जहाँ तक सरकार का अभ्यन्तर है, सस्ते अनाज की दूकानों पर अनाज इस आधार पर बिकना चाहिए कि न नफा हो और न घाटा पहे।

अन्न का आयात

समिति ने इस बात पर जोर दिया है कि ग्रंथालय कुछ वर्षों में अन्न का काफी मात्रा में आयात किए, खिना, अन्न वा भट्टार खाया करना या अमावश्यक लोगों की जरूरते पूरी करना समय नहीं होगा। इसलिए विदेशों से अन्न का आयात करना आवश्यक है। समिति का अनुमान है कि यह आयात २० से ३० लाख टन के बीच करना होगा। यह नहुत जरूरी है कि हम चावल के आयात के लिए चर्मा से कोई दोषकालीन समझौता बरें। अमेरिका से काफी मात्रा में गेहूं और थोहा-सा चावल मैंगाना भी हमारे लिए लाभकारी रहेगा।

अन्न भडार

खाद्यान्न संगठन के सभेसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक कार्य वह होना चाहिये कि वह २० लाख टन ग्रन्त का भटार रखे। १९५५ का अनुमत वह है कि बास्तविक सकट क समय १५ लाख टन अन्न का भटार भी काढ़ी नहीं होता। यह सुरक्षित भटार महत्वपूर्ण स्थानों पर जमा रहना चाहिये।

गल्ला वसूली

समिति का मत है कि किनहाल गढ़ और मोटे अनाज की अनिवार्य वसूली चली नहीं है। इन्हें मटी से खरीद लेना चाही होगा। लेकिन चावल की कुछ हद तक अनिवार्य वसूली जरूरी होगी जिससे सरकारी भटार म ६-७ लाख टन चावल रखा जा सके। इसका सभेसे उत्तर उत्तर वह है कि उद्दीप्ता, पजाम, आब्र और दृतीयगढ़ आदि कुछ जेश्वा की वरावन्दी कर दी जाय और इनमें खाद्यान्न मूल्य संगठन को ही चेत से बाहर भेजने के लिए खरीद रा एक मात्र अधिकार दिया जाए।

व्यापारियों को लाइसेन्स

उर्दुक प्रणाली को बास्तव म सफल बनाने के लिए यह जरूरी होगा कि खाद्यान्न क व्यापार पर नियन्त्रण किया जाए। इस इष्टि से अनान्द के सभी व्यापारियों एवं नुस्तर डाकादकों को जो १०० मन ते अधिक अनाज का बाजार करते हैं, लाइसेन्स दिये जाय। लाइसेन्स की एक शर्त यह होती चाहिये कि व्यापारी अपने भटार, विक्री एवं खरीद क बार में नियत अधिकाराया को पाक्षिक हसान दें। व्यापारियों क स्टार्ट जमा करने से भी कीबों की खींच चढ़ी है। सन् १९५५ खूब न तो बड़े व्यापारी हा माल जमा कर रहे, पर १९५६ खूब में बड़े और मध्यम भेणी के विसान भी यही करने लगे।

बाजार में अनान्द का आमद

अगले कुछ वर्षों में शहरी में अनाज की उत्तरत और भी बढ़ेगी, लेकिन यह निश्चित नहीं कि गाँवों से उन्न ती अधिक अन शहरों म बराबर आता रहेगा। बाजार में वितान अपनी अधिक से अधिक उपज बेचे, इसके लिये सहकारी समितियों की ओर से विक्री क अनुसार कई मिलने की व्यवस्था होनी चाहिये। इन्दानों को प्रोत्साहन देने के लिये ग्रामार का इल भा स्थिर होना बहुत आवश्यक है। इसलिये बानारों क उतार चढ़ाव और भागों पर असर डालने वाला सब भागों की पूरी पूरी जानकारी एवं करने के लिए यत्न होना चाहिये।

उत्पन्न वृद्धि

आग क उदान क विषय म समिति ने कहा है कि नूसरी बोन्ना में १ न्याय

रे लाल ठन अर्थात् लद्दन का दो-तिहाई अनाज ही अधिक उत्पन्न हो सकेगा। लद्दन से कम हव उत्पादन के लिए भी बहुत अधिक प्रयत्न करने की जरूरत होगी। समिति ने अन्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए अनेक सुझाव दिये हैं। ये सुझाव तिचाई की छोटी-बड़ी योजनाओं, उत्तम जीजों की पैदावार बढ़ाने एवं उनके उचित वितरण करने, देशी खाद के उपयोग बढ़ाने और रसायनिक खाद की उत्पत्ति बढ़ाने, भूमि व्यवण को रोकने और वन विभास करने तथा पशु-धन का उनित प्रयोग करने से सम्बधित हैं। समिति ने कहा है कि सब बड़ी-बड़ी सिचाई योजनाओं के खर्च की बड़ी सावधानी से बाँच की जानी चाहिए और यदि कहीं कुछ धन चर सके तो उसे बचाकर छोटी तिचाई की योजनाओं में लगाना चाहिए क्योंकि प्रथम पचवर्षीय योजना में इनका लाभ जल्दी सामने आया था।

परिवार नियोजन

खाद्य समस्या के प्रमाणी समाधान के लिए समिति ने केवल सुट्टड और प्रत्येक सभव प्रयाप वर ही बल नहीं दिया है, बरन् उत्पादन बढ़ाकर तेजी से बढ़ती हुई आवादी वी रोकथाम के लिए परिवार नियोजन का राष्ट्रव्यापी अभियान भी छेड़ देने वा आहान किया है। इस काम में समाज सेवकों, स्थियों, डाक्टरों, वैज्ञानिकों, अर्थ शास्त्रियों, राजनीतिक नेताओं और प्रशासकों इत्यादि वी शक्ति और सुदृढ़ का उपयोग करना चाहिए। यदि इस दिशा में देशव्यापी आनंदोलन न किया गया तो देश वी खाद्य समस्या मवानक रूप धारण कर सकती है।

उपर्युक्त सिक्कारिशी के अतिरिक्त समिति वा विवार है कि सरकार को शुनें: यहाँ: गल्ले के पूरे थोक व्यापार को अपने हाथ में ले लेना चाहिये। अन्त में समिति ने यह कहा है कि देश वी सद्य छप्रस्था इतनी गम्भीर है कि दलशत सरकारीति और मतभेदों से ऊपर उठकर इसको हल करने के लिए राष्ट्रव्यापी प्रयत्न होने चाहिए। यासन वी और से सहानुभूति और उचित नीति का आश्वासन दाने पर हमारे किसान पैदावार बढ़ात थड़ा सकते हैं। खाद्य नीति वी उफलवा देशवासियों के रहवास और समझदारी पर निर्भर है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मेहता समिति ने अन्न समस्या का एक नये ढंग से व्यव्यवन किया है जो हरके पूर्व कभी नहीं किया गया। इसमें सन्देह नहीं कि इस समिति के अनेक सुझावों को धरकार द्वारा वार्यान्वित करने से वर्तमान खाद्य समस्या के तुलभाने में काफ़ी सहायता मिलेगी। सस्ते गल्ले वी दूकानों पर सरकार ३ करोड़ रुपया भासिक व्यव कर रही है। नवम्बर १९५८ से सरकार ने गल्ले के राजनीय व्यापार सञ्चालनी नीति घोषित कर दी है। गल्ले के थोक व्यापारियों द्वारा दी गई हड्डताल की घमासी के प्रत्युत्तर में हमारे माननीय प्रधान मंत्री ने अभी ७

दिसम्बर १९५८ के एक जन सभा के मापदण्ड में सफल रह दिया कि सरकार उनकी धनरिपों के सामने नभी नहीं झुकनी और वोचित नीति में किसी प्रशार का पसितन नहा हो सकता। २० नेहरू ने यह भी कहा कि सरकार का उद्देश्य योक्यापारियों का रोजगार ल्यानना नहीं, बरन् उनसी बेचा मुनाफाज्वोरी को रीकना है। वे उचित लाभ के व्यधिकारी हर समय उने रह सकते हैं। यदि देश का व्यापारी वर्ग अपने उचर दामन्त्रों के प्रति जागरूक होता और अपने व्यक्तिगत स्थायों के लिए राष्ट्रीय हितों का अतिक्रमण न करता तो सरकारी हस्तक्षेप की ज़ोड़ आवश्यकता न थी। परन्तु वर्तमान परिस्थितियों के अनुगत सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम निश्चित रूप से अनिवार्य है, भले ही यह सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से अनुचित हो।

उपस्थार

साथ सकट को दूर करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयत्न कम सराहनीय नहीं हैं। सिवाइ की बहुमुखी योजनाएँ लगभग पूर्ण हो रही हैं, परिवार नियोजन की प्रगति हो रही है तथा कृषक की स्थिति भी धीरे धीरे सुधर रही है। सरकार साथ सकट के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक है, परन्तु परिस्थितियों के बारण इस समस्या का पूरण रूप से निराकरण नहीं कर पाई है। जहा तक हमारी पञ्चवर्षीय योजना का अधिक महत्वाकाञ्चिणी होने का प्रश्न है इसमें काई सन्दह नहा कि विशुद्ध आर्थिक दृष्टिकोण से ऐसा ही प्रतीत होता है और लक्ष्य की तुलना में साधन अपर्याप्त प्रतीत होते हैं, किन्तु अगर आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से देखा जाय तो अपने वर्तमान स्वरूप में योजना महत्वाकाञ्चिणी नहीं बल्कि अप्याप्त प्रतीत होगी। मानव जीवन में महत्वाकाञ्ची आशा और अभिलाषाओं का होना प्रगति के लिए नितान्त आवश्यक है। अत वर्तमान, साथ सकट के लिए योजना की दीवी नहीं उद्दराया जा सकता। बास्तव में चिरोधी दलों की प्रदर्शन, नारों एवं सत्याग्रह की नीति ने इस समस्या को और भी जटिल बना दिया है। समस्या अधिक उत्तादन की है जिसको नारों एवं प्रदर्शनों से हल नहीं चिया जा सकता। इस समय संगठित प्रशासन की आवश्यकता है जैसा कि थी वी० वी० गिरि ने अपने सार्वजनिक भाषण में यक्त किया था—

'The demon of unemployment and starvation which had to be fought on a war footing could only be accomplished through a spirit of openness and a complete sense of unity of all sections of the population sinking all political differences'

अभी हमारा देश आर्थिक सकट से होकर गुजर रहा है। देश के भविष्य एवं उसका स्वाभिमान का प्रश्न आज हमारे सामने उपस्थित है। हमें आज संगठित

होनर अतिरिक्त पाद्यान्न उत्पादन करक सप्ताह को दिलाना है कि भारतवासी खकटों से बचते नहीं, उनका यामना करना जानते हैं। भारत की साय समस्या का उमाधान अधिक उत्पादन पर ही निर्भर है। भारत की परीक्षा है। इनमें मृत्यु है। बढ़ते हुए वदम क ग्रागे बढ़ने पर ही या म सम्मान की रक्षा है और यही समृद्धि का मार्ग है। तुलाई १८५८ क अतिम सताह में हमारे प्रधान मंत्री ने उत्तर भारत के गेहू उत्पादक क्षेत्र म रखी फसल क सम्बन्ध म उत्पादन आन्दोलन चलाने के लिए शिक्षकों, विद्यार्थियों तथा स्वयंसेवनों का नौ उच्चतरीय सम्मलन बुलाया था वह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि सरकार हमारी ग्रन्थ व्यवस्था के लिए एक दृढ़ आधार प्राप्त कर लिए हुए सक्त है। उपनग्नाने के लिए राज्य सरकारों को नहुत से ठोस जुकाम जैसे लिचाइ भुलक की दर सशाधित करक पानी का अधिक उपयोग, अधिक छाटी लिचाइ क साधन, आदि दिए जा चुके हैं। रन्दीय पाद्य एव दृष्टि मत्तालय ने यह महसूर दिया है कि ये दुखड़े हुखड़े उपाय काफ़ी नहीं हैं। अत उसने यामामी रखी फसल पर ग्रनाज भी उपज रहाने के उद्देश्य से एक वैज्ञानिक और तेज आदोलन की योनना तैयार की है। इस प्रकार जनता तथा सरकार के मगारेय प्रयत्नों के फलस्वरूप अब हमार धन धान्य से परिपूर्ण होने की आशाएँ पुन रकिन हो रही हैं और इस दिशा म स्वाड रूप से स्वर्णिम भविष्य दृष्टिगोचर होने लगा है।

सिंचाई व्यवस्था (Irrigation)

भारतीय वर्षीय 'धर्या में जुँगा है'। भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर है और मानसून सदैर अनिश्चित रहता है। वास्तव में भारतीय दृष्टक का भाष्य मानसून पर ही निर्भर है। नोल्स के शब्दों में—

"If mansoons fail, there is a complete lockout in Agriculture"

वर्षीय सूनुम भारतीय कृषक ग्रामाशंस की ओर नीगमरी बादल की डुरड़ी की ओर आशापूर्ण दृष्टि से डुरड़ी लगाये देते रहते हैं सराकि उसी पर उनके समन्वय पर सुखी भवित्व नी बल्कि अवलभित है और वही उनका मामण है। यदि वही वर्षीय न हुई तो उनकी सुन्दर भवित्व की बल्किना पर तुपारापान हो जाता है और सर पर विगतिनों के बादल मढ़राने लगते हैं। इसके अतिरिक्त वर्षीय के अनियमित होने के कारण स्थानीय विषमताएँ भी बढ़ते हैं। राज्यान्तराना में १०° और ग्रामांश की पटा छड़ा म ३०° से भी अधिक वर्षीय होती है। अनिश्चित एवं अनियमित वर्षीय न नारण ही लाया जीने भूमि पानी के अभाव म परती पड़ी रहती है और लायी जाने लालहलहाली हुई खेड़ कृषि कूर्सी नी प्रचलित किरणों से चलाकर भूमि हो जाती है। यही नारण है कि सिंचाई के कृषिम साधनों की भारत में अत्यन्त आवश्यकता है। सत्य तो यह है कि पानी ही भारतीय कृषि का जीवन रखत है। सर चार्ल्स ट्रेवेलियन के शब्दों में—

"Irrigation is everything in India. Water is more valuable in India than land, because when water is applied to land it increases its productivity atleast six fold and generally a great deal more."

अरज्ञ लाग्रामन की कमी की समस्या भारत की प्रमुख लम्फरा है। वास्तव में इस समस्या के उन्नित समाधान के लिना राजनीतिक द्युरन्त्रता का कोई भी यर्थ नहीं है। नहरों द्वारा केवल अंचित द्वेर म ही बृद्धि नहीं होगी बरन् बाद एवं दुर्भिक्ष की

समस्याओं का भी अन्त हो जायगा। सत्य तो यह है कि अकाल का सामना करने के लिए, खाद्यान्न की कमी को दूर करने के लिए एवं कृषकों के जीवन को सुखमय बनाने के लिए सिंचाई ही एक मात्र साधन है। देश के विभाजन के पश्चात् जब काफी नहरें पजाव में पाकिस्तान के त्तेज में छली गई हैं, तब तो सिंचाई के साधनों के विकास का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। अब तक हम लगभग केवल १० प्रतिशत नदियों के पानी का ही उपयोग कर पाये हैं और बारी पानी व्यर्थ सुमुद्र के अन्दर चला जाता है। पटचन, करास, गन्ना इत्यादि फसलों को प्रोत्साहन देने के लिए तो कृत्रिम सिंचाई के साधनों की ओर भी आवश्यकता है। विद्युत् शक्ति का भी सचार विभिन्न सिंचाई की योजनाओं के साथ पूर्ण किया जा सकता है। कुटीर उद्योग धन्धों ने विकास पर भी इस प्रकार सिंचाई की योजनावें महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इस प्रकार देश की आर्थिक सम्बन्धता एवं शौद्योगिक विनाश भी सिंचाई के साधनों पर ही निर्भर हैं। उच्चे ने कृत्रिम सिंचाई के साधनों का महत्व एक और तो याद एवं ग्राम्यान्न ऐसा स्तर रखने के लिए है और दूसरी ओर अधिक उत्पादन एवं कृषकों के जीवन में सुख एवं समृद्धि प्रदाने के लिए है। इन्हीं समस्याओं के समाधान होने पर ही भारत आर्थिक मोद्द के स्वप्न को साकार कर सकता है।

भारतीय आर्थिक विकास की मुख्य आधारशिला कृषि ही है जिस पर चारे राष्ट्र की आर्थिक सम्बन्धता निर्भर है। आज भारत जब ग्रामने नन निर्माण के पथ पर आगता से अश्रुत हो रहा है, सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था नितान्त आवश्यक है। सिंचाई की व्यवस्था स ही कृषकों के जीवन में नई आया की विरण का प्रकाश पैनाया जा सकता है। रूपरु ही भारत की रीढ़ है।

सिंचाई के विभिन्न साधन

(कुएँ Wells)

सिंचाई के विभिन्न साधनों में कुओं द्वारा सिंचाई सबसे प्राचीन एवं महत्व पूर्ण है। कुछ विद्यानों का मत है कि तुर्ने रेपल कुछ पिछानों को ही जीवन दान देते हैं और सिंचित त्तेज सीमित रहता है। परन्तु मारत ऐसे देश में जहाँ कुछ छोटे पैमाने पर होती हैं, जेत दूर दूर जलरे हुए हैं और सिंचाई के अन्य साधनों का पर्याप्त व्यवस्था ना आया है, कुओं ना महत्व अत्यधिक है। दुर्भिक्ष जांच आयोग (Famine Inquiry Commission—1945) ने लिखा है—

“कुएँ सिंचाई के सर्वोत्तम महत्व के साधन हैं और अगर सिंचित त्तेज में अधिकतम वृद्धि करनी है, तो व्यक्तिगत कृषि की सख्ती में पर्याप्त वृद्धि करना अनिवार्य है।”

कुओं का प्रचलन अधिकतर उत्तरी भारत में विशेषतया उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं बिहार में है। बम्बई में भी कुओं द्वारा काफी सिचाई होती है। भारतवर्ष में कुल घोये हुए जेप का लगभग ८५ प्रतिशत भाग कुओं द्वारा सिचा जाता है। भारत में लगभग २६ लाख कुएँ हैं।

कुएँ द्वारा सिचाई के लाभ

कुओं द्वारा सिचाई के बहुत से लाभ हैं। सर्वप्रथम नहरों के अपेक्षा कुओं ने निर्माण में बहुत कम पूँजी से आवश्यकता होती है। इसने अतिरिक्त नहरों में पानी नदियों व द्वारा आता है। गर्भी न दिनों में जब पानी को अत्यन्त आवश्यकता होती है तब नदियों में आमतौर पर पाना सूख जाता है अथवा वह हो जाता है। ऐसी दशा में नहरों का कोइँ भी उपयोग नहीं रह जाता। कुओं द्वारा सिचाई किसी भी समय की जा सकती है। कुएँ कृपणों को आम निर्भर बना दते हैं।

नहरों से सभी किलान अपना सेव पहले छीचना चाहते हैं जिसके बारण आपसी मारपीट की नीबत आ जाती है और मुकदमबाजी में काफी रुक्या सराव हो जाता है। कुओं पर व्यक्ति विशेष का अधिकार रहता है और इसलिये किसी प्रकार के क़फ़ड़े की सम्भावना नहीं रहती है।

नहरों के पानी का मूल्य कृपणों को तुमाना पढ़ता है। वह बहुत अधिक होता है। कुओं द्वारा सिचाई में इस प्रकार का कोइँ सी लच नहीं होता और किसानों को बचत होती है।

ऐसी अनुमान लगाया गया है कि नहरों के पानी की अपेक्षा कुओं के पानी से उत्पादन में बढ़ि होती है। अतः कुएँ किसानों की सहायिता एवं उनके आर्थिक दृष्टि से अत्यात लाभप्रद हैं।

भारत में प्रगति

सन् १९४४ से १९४७ तक 'अधिक अन्न उपनायो योजना' के अन्तर्गत लगभग ७२,५०० कुओं का निर्माण किया गया और हजारों पुराने कुओं की मरम्मत की गई। सन् १९४७ और १९४८ के बीच लगभग ५६०० नए कुएँ खुदवाये गये। प्रथम नववर्षीय योजना में कुओं द्वारा लगभग १६ लाख एकड़ भूमि पर सिचाई का विस्तार हुआ। परंतु रिचित जेपफल में कोइँ यात्रा हृदि नहीं हुई। सन् १९४० से ३० में कुल रिचित भूमि ११ लाख मिलियन एकड़ थी। सन् १९४७ इस में यह १४ लाख कर १२ लाख मिलियन एकड़ हो गई। सन् १९५० में यह १५ मिलियन एकड़ हुई। कुओं व निर्माण में असारोपजनक प्रगति के कई बारण हैं। सर्वप्रथम तो कृपणों की आर्थिक विभिन्नाई है। कज़ भी उनको बहुत अधिक सूख पर ग्रस्त होता है। भूमि

वा उपचिमाजन एवं उपतरडन दूधरा मुख्य कारण है। एक निरान फ खेत एक जगह पर ही न होकर दूर दूर भैले हुए हैं और इसलिये वह प्रत्येक खेत पर अलग अलग कुर्झे नहीं बनवा सकता। इसके अतिरिक्त कुओं का निर्माण उन्हीं स्थानों पर लाभप्रद हो सकता है जहाँ पर पानी बहुत कम गहराई में उपलब्ध हो सके।

नल कूप (Tube Wells)

नल कूप का प्राचुर्यमात्र भारत की कुओं द्वारा सिंचाइ प्रशाली में एक नवीन अन्याय का प्रीगणेश है। यह सिंचाइ का एक उच्चत साधन है प्रौढ़ देश भर में इसके विकास के लिए प्रचुर ज्ञेन है। तेल के इजिन अथवा विजली की शक्ति से मोटर (मशीन) चलाकर ही इतनी गहराई से पानी निकाला जाता है। इस कार्य में अधिकतर विजली का प्रयोग किया जाता है। भारतवर्ष में इस तरह के कुर्झे आधिकार उत्तर प्रदेश में हैं।

उत्तर प्रदेश में सबसे पहले सन् १९२० ई० म नल कूपों का निर्माण प्रारम्भ हुआ। शुरू में मुरादाबाद, पिजनीर, मेरठ, बुलन्दशहर आदि ज़िलों में ६५ नल कूप बनाये गये। सन् १९३४ से १९४३ तक विभिन्न ज़िलों में १६५६ नल-कूप तैयार हुए। सन् १९४३ छठ की योजना के अन्तर्गत गोरखपुर, बस्ती तथा देवरिया ज़िलों में १०० नल-कूप बनाये गये। इसने बाद 'सुहावल शक्तिशळ' तथा 'शारदा विद्युत कम' से प्राप्त विनिली द्वारा ४४० नल कूप अन्य ज़िलों में बनाये गये। अब कुल ४००० नल कूपों द्वारा ५ रीव १० लाख एकड़ भूमि पर सिंचाइ होती है।

सन् १९५० तक भारत भर में कुल २५ हजार नल-कूप थे। इसने बाद ६५६ नल-कूप 'अधिक अन्न उपचायो' अभ्योलन के अन्तर्गत बनाये गये जिनमें ४४० उत्तर प्रदेश में, ३०८ विहार म और २५५ पञ्चाम में हैं। इसके बाद समुक्तराज्य अमेरिका के टेक्निकल सहयोग प्रोग्राम (American Technical Cooperation Assistance Programme) के अनुसार २००० नल कूपों का निर्माण हुआ। इनमें ६६५ उत्तर प्रदेश, ३४० विहार में, ४५५ पञ्चाम में और ३०० पाटियाला में बने। इनके निर्माण में ७ करोड़ रुपया भारत सरकार ने और ७२६ करोड़ रुपये संयुक्त राज्य अमेरिका ने व्यय किये। इसके उपरान्त ७०० नल कूप और बनाये गये। इस प्रकार प्रथम पचवर्षीय योजना काल में ५६०० नल कूप तैयार हुए। अब भारत में करीब ८००० नल-कूप हैं।

नल कूपों के निर्माण के सम्बन्ध में भूर्गमूलकताओं के दल विभिन्न राज्यों में पड़वाल कर चुके हैं। इसी सम्बन्ध में एक समिति का भी निर्माण किया गया है जिसमें भारत सरकार रखाये एवं कृषि विभाग के विशेषज्ञ, पोलानिकल सर्वे का

अधिकारी एवं विभिन्न राज्यों के लीक इजीनियर शामिल हैं। इस समिति ने भोपाल, विध्यप्रदेश तथा मध्यभारत के राज्यों का दौरा कर लिया है। इसके बाद अब सौराष्ट्र, कर्णतक तथा बंगलुरु का दौरा करते हुए यह समिति दक्षिणी भारत में नलन्धों के निर्माण किये जाने की सम्भावनाओं का अध्ययन करेगी।

तलाब (Tanks)

पहाड़ी छोड़ों में जहाँ कुओं एवं नहरों द्वारा सिंचाई की व्यवस्था नहीं की जा सकती है, वास्तव में तालाब ही कृत्रिम सिंचाई के लिये एकमात्र सहारा है। तालाब द्वारा सिंचाई भी भारत में प्राचीन ताल द्वे प्रचलित हैं और तालाओं का स्थान भी सिंचाई के साथनों में महत्वपूर्ण है। येडे तो तालाओं द्वारा सिंचाई कुछ न कुछ प्रत्येक राज्य में होती है, परन्तु विशेष रूप से तालाओं का महत्व दक्षिणी एवं मध्यभारत में है। मद्रास, बंगलुरु, हैदराबाद, मैसूरु इत्यादि में इनका विशेष प्रचलन है। शतान्दियों से इन भागों में तालाओं द्वारा सिंचाई का प्रचार है। शुष्क ऋतु में इन जल मढ़ारों से छोटे-छोटे नाले निकाल कर सिंचाई की जाती है। मद्रास में करीब २४ हजार तालाब हैं जिनसे करीब १६ लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई होती है। द्वितीय पचवर्षीय योजना काल में तालाओं द्वारा साफ़ करने के कार्य पर ५० लाख रुपया खर्च किया जा रहा है ताकि ये अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकें।

छोटी सिंचाई की योजनाओं की प्रगति

कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये छोटी सिंचाई योजनाओं का महत्व भी कम नहीं है। इन योजनाओं के सम्बन्ध में सबसे बड़ी बात यह है कि इन पर खर्च कम होता है, विदेशी मुद्रा की आवश्यकता नहीं पड़ती एवं फल जल्दी मिल जाता है। छोटी सिंचाई की योजनाओं के लिये बहुत वित्तिक सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती। लोग स्वयं ही ऊनें पूरा कर सकते हैं। इसका एक लाभ यह भी होता है कि अपने आप योजना द्वारा पूरा करने में गाँव के लोगों में आत्मविश्वास पैदा होता है।

नल दूप भी छोटी सिंचाई की योजनाओं के ग्रन्तर्गत आते हैं।

पहली पचवर्षीय योजना में प्रगति

पहली पचवर्षीय योजना में जो छोटी सिंचाई की योजनाएँ पूरी हुई हैं उनसे केवल ६५ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की जा सकती है। इस भूमि का व्योरा इस प्रकार है—

निहार

बंगलुरु

१७ लाख ७४ हजार एकड़ भूमि

३ „ ४४ „ "

| मध्यप्रदेश | × लाख | ६५ हजार एकड़ भूमि |
|-----------------------|-------|-------------------|
| महाराष्ट्र | ५ | ८ " " |
| उडीसा | १ | ३५ " " |
| पंजाब | ८ | २७ " " |
| उत्तर प्रदेश | १४ | ८२ " " |
| पश्चिमी बंगाल | १२ | १४ " " |
| मैसूरु | २ | ८१ " " |
| हैदराबाद | १ | ४५ " " |
| आन्ध्र | १ | ७४ " " |
| आराम | ८ | ६७ " " |
| पटियाला | १ | ३८ " " |
| राजस्थान और सौराष्ट्र | २ | ६१ " " |

पथम योजना में केन्द्रीय सरकार ने छोटी सिंचाई योजनाओं के लिए ४६ करोड़ ५२ लाख रुपये मुश्य के रूप में और ८ करोड़ २५ लाख रुपये सहायता के रूप में दिया है। इसके अतिरिक्त सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय उद्योग विस्तार खण्डों में १६ करोड़ रुपये नल कूप बैठाने तथा ७ करोड़ ३४ लाख रुपया अन्य छोटी सिंचाई की योजनाओं पर खर्च किया गया।

द्वितीय पचवर्षीय योजना के लक्ष्य

दूसरी योजना में छोटी सिंचाई वी योजनाओं से ६० लाख एकड़ भूमि की सिंचाई का लक्ष्य है। इसमें से आधी भूमि सामुदायिक विकास चैंपो में होगी। इन योजनाओं के लिये २ अरब २० करोड़ रुपये रखे गये हैं।

राज्यों से जो विवरण प्राप्त हुआ है उससे पता चलता है कि दूसरी आयोजना के पहले दो वर्षों में इन योजनाओं पर काफ़ी खर्च हुआ है। इन दो वर्षों में ३८ लाख ६० हजार एकड़ भूमि की छोटी सिंचाई योजनाओं द्वारा सिंचाई की सुविधा प्राप्त हुई है। इसमें विकास खण्डों में छोटी सिंचाई योजनाओं से जो लाभ हुआ है वह भी सम्पूर्ण है।

केवल सामुदायिक विकास चैंपो में छोटी सिंचाई योजनाओं तथा भूमि सुधार के कामों पर इन दो वर्षों में ११ करोड़ रुपया खर्च हुआ है, जबकि पहली पचवर्षीय योजना के पूरे बाल में ८ करोड़ रुपया खर्च हुआ था।

सन् १९५७ अप्रैल में इन योजनाओं के लिए विभिन्न राज्यों को निम्न प्रकार से रुपया दिया गया था—

| आनन्द प्रदेश | ८३ लाख | ७१ हजार |
|---------------|------------|---------|
| बिहार | ६३ „ | १० „ |
| बन्द्रें | २ लाख ५५ „ | ८८ „ |
| करल | ५३ „ | |
| मध्य प्रदेश | २ „ ४५ „ | ६ „ |
| उड़ीसा | १ „ २ „ | ४७ „ |
| पश्चिम | १ „ ५३ „ | १५ „ |
| उच्चर प्रदेश | २ „ ७५ „ | २३ „ |
| पश्चिमी बंगाल | ८८ „ | |

चन् १६५८-५९ ने इन योजनाओं के लिए मिमिन्न सालों को निम्न राशिराई दी गई—

| बिहार | १ लाख | १३ लाख | १५ हजार | चयं |
|---------------|-------|--------|---------|-----|
| बन्द्रें | १ „ | ७८ „ | × | × |
| करल | ३ „ | २६ „ | ५६ „ | „ |
| मध्यप्रदेश | × × | ५४ „ | × × | „ |
| मद्रास | १ „ | ७५ „ | × × | „ |
| पश्चिम | १ „ | २० „ | × × | „ |
| राजस्थान | × × | ७८ „ | × × | „ |
| उच्चर प्रदेश | २ „ | ७३ „ | ६० „ | „ |
| पश्चिमी बंगाल | × | ८० „ | ५० „ | „ |

यद्यपि इन वर्षों में बहुत सी सिचाई योजनाएँ पूरी हुई हैं। फिर भी इस प्रगति का सरोपरनक नहा कहा जा सकता क्योंकि छोटी सिचाई योजनाओं का जो लक्ष्य रखा गया था उसमें से कवल ४० प्रतिशत लक्ष्य का ही पूर्ण हो सकी।

द्वाटा सिचाई की योजनाओं को कार्यान्वित करने में बहुत-सी कठिनाई आमने आयी है, जिसमें नुल्ह रठिनाई, भूमि अधिग्रहण में देरी, शिल्पिक लोगों की कमी और जल इच्छन तथा अन्य सामान की कमी की है।

सामुदायिक विकास की नें-ट्रीय समिति ने इस बात पर आर दिगा है कि जो सिचाई सुविधाएँ प्राप्त हैं उनका पूरा-पूरा लाभ उठाया जाना चाहिये। इस बात को ध्यान में रखने हुये अब नई योजनाओं की गुरु बख्ले रे बबाय इस बात पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये कि गांवों में जो छोटी सिचाई योजनाएँ पूरी हो चुकी हैं उनकी उचित देखमाल होती रहे।

उपर्युक्त योजनाओं की गृष्ठभूमि में अभावग्रस्त कृषकों का स्वर्णिम भविष्य प्रतिविभित हो रहा है। इन योजनाओं के कारण आमी तक लास्तों एकड़ बजर भूमि लहलहाते हुये खेतों में परिणाव हो गई है। नि.संदेश हमारी इन सिंचाई की योजनाओं से एक समृद्ध शाली एवं समर्पन भारत का स्पष्ट दिग्दर्शन हो रहा है।

नहरें (Canals)

भारत में सिंचाई के कृतिम सधानों में नहरों का विशेष महत्व है। भारत में नहरों की लम्बाई लगभग ६०,००० मील है। भारत की समस्त सिंचित भूमि का ४० प्रतिशत भाग नहरों द्वारा सिंचा जाता है। नहरों का विस्तार उच्चर प्रदेश तथा पंजाब में अधिक है। परन्तु अब तो सिंचाई की वहुमुखी योजनाओं के कारण नहरों का विस्तार अन्य राज्यों में भी तेजी से हो रहा है। रायिल कृषि आयोग के शब्दों में—

“भारत में नहरों का महत्व अन्य साधनों के सम्मिलित महत्व से भी अधिक है।”

नहरों में सिंचाई की योजना द्वारा केवल कृषि को नुक्तिमान सिंचाई का साधन हो नहीं उपलब्ध होता बल्कि कृषकों एवं राष्ट्र को अन्य लाभ भी साथ ही साथ प्राप्त होते हैं—विद्युत शक्ति, चाढ़ नियन्त्रण एवं आन्तरिक जलप्राप्ति का विकास अन्य लाभ है। विद्युत शक्ति द्वारा श्रीयोगिक विकास में वास्तविक योग्यता प्राप्त होती है। आन्तरिक जल मार्ग के विकास से आवागमन के साधनों में वृद्धि होती है। यही कारण है कि नहरों द्वारा सिंचाई का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है।

नहरों के विकास की ऐतिहासिक समीक्षा

वेसे तो नहरों का निर्माण मुगल बादशाहों के समय में प्रारम्भ हो गया था, परन्तु ये प्राचीन नहरें बहुत कम लम्बी थीं और अनित्यवाही या चाढ़ की नहरें थीं और गर्भी में प्रायः सूखी पड़ी रही थीं और धार्तव में इनकी उपयोगिता नहीं के बराबर थी। अठारहवीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के छिन्न-भिन्न होने पर इन नहरों की मरम्मत न हो सकी और ये नहरें नष्ट भ्रष्ट हो गईं। नास्तव में नहरें अनेकों की देन हैं। प्रारम्भ में ईस्ट इंडिया कम्पनी ने मुगलशालीन नहरों के साफ एवं मरम्मत कराने का कार्य किया और इसी राताबंदी के अन्त तक वह नहरें विलकुल ठीक हो गईं। इन पुरानी नहरों के बीचोंदार हो जाने से इज्जीनियरों को वडा प्रोत्साहन मिला और इसके बाद विभिन्न प्रान्तों में मुख्यतः दुर्भिक्ष के कुप्रभावों को उम करने के लिए नहरों के बनाने के प्रयत्न किये जाने लगे। इस प्रकार १८४२

म प्रसिद्ध उत्तरी गगा नहर बनाने का कार्य प्रारम्भ हुआ। यह नहर आज सबसे की सबसे बड़ी नहरों में से एक है जिससे करीब १५ लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई होती है। इसी प्रकार अन्य नहरों का निर्माण भी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किया गया। इन नहरों की सफलता ने व्यक्तिगत कम्पनियों को भी नहरों के निर्माण करने का प्रोत्साहन प्रदान किया, परन्तु ये कम्पनियाँ सफल नहीं हो सकीं। व्यक्तिगत साहस ने इस असफलता पर सरकार को नहरों के निर्माण के लिए व्यव जुटाने के लिए नई नीति अपनानी पड़ी। नहरों का वर्गीकरण तीन भागों में किया गया—

(१) उत्पादक नहरें (Productive Canals)—ये नहरें वे थीं जो अपने निर्माण होने के बाद दस वर्ष के भीतर जितनी पूँजी उनमें लगी है उसके व्यावर के वराचर आमदनी प्रदान कर सकते हैं। ऐसी नहरों के लिए सरकार ने कर्ज लेकर निर्माण करने की व्यवस्था दी। परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश, पंजाब, चम्बई तथा सीमाप्रान्त में बड़ी बड़ी नहरों का निर्माण हुआ।

(२) रक्खात्मक नहरें (Protective Canals)—इन नहरों से प्रत्यक्ष रूप से सरकार को कोई आय नहीं होती थी किन्तु ये कार्य दुर्भिक्ष रोकने में सहायता प्रदान करते थे। इनके निर्माण के लिये दुर्भिक्ष कोष से अर्थ-प्रबन्ध की व्यवस्था की गई।

(३) छोटी छोटी नहरें (Minor Works)—ये नहरें वह थीं जो उत्पादक या रक्खात्मक श्रेणी में नहीं आती थीं। इन कार्यों की जिम्मेदारी प्रान्तीय सरकारों पर रखी गई।

उपर्युक्त प्रयत्नों के फलस्वरूप नहरों का खूब विकास हुआ और सिंचित क्षेत्र में भी काफी बढ़ि हुई। लाखों एकड़ बजार भूमि लहलहाते हुए खेतों में परिणित हो गई। परन्तु भारत का ज्ञेनकल देखते हुये यह विकास कुछ भी नहीं था। वास्तव में दासता के कारण जनता में जागृति का अभाव एवं ब्रिटिश सरकार की शिथिल तथा स्वार्थमयी नीति ही इस धीमी प्रगति के मुख्य कारण थे। इसके अतिरिक्त पूँजी एवं टेकनिकल योग्यता का अभाव भी एक बाधा रहे। श्रीमती वेरा ऐन्सटे के शब्दों में—

“पूँजी और इंजीनियरिंग की योग्यता का अभाव, भूमि अधिकार की अनिश्चितता और उसके परिणामस्वरूप स्थायी सुधारों में पूँजी लगाने के प्रति विरक्ति, बार बार आकर्षणों और आन्तरिक राजनीतिक भगाड़ों से देश की अराजकता के फलस्वरूप देश में किसी प्रकार के सिंचाई के साधनों का प्रिस्तार न हो सका।”

"Lack of capital and engineering skill, insecurity of tenure and ever recurring invasions and internal political dissension, seriously checked the extension of irrigation."

—Vera Anstey

बास्तव में सन् १६४७ में राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात् ही जब भारत निदेशी दासता की शृङ्खलाओं से मुक्त हुआ, नहरों का पर्याप्त विकास सम्भव हो सका है। सिंचाई के विकास की आवश्यकता इस कारण और भी बढ़ गई कि देश के विमाजन के कारण पजाह तथा सिंध में स्थित बहुत सी मारत की गौरवपूर्ण नहरें पाकिस्तान में चली गई और साथ ही साथ देश के सीचित छेत्र का एक प्रतिशत भाग भी चला गया। दूसरी ओर देश में भवकर रूप से याद सकट उत्पन्न हो गया। इसके अनिरिक्त भारत की लगभग ८० प्रतिशत जनता गांवों में नियात करती है और कृषि पर निर्भर है। अब राष्ट्रीय सरकार का सर्वप्रथम यह वर्तव्य हो गया कि देश की अधिकाश जनता आर्थिक उम्पन्हता प्राप्त करे। यह सिंचाई के साधनों में पूर्ण विकास के बिना सम्भव नहीं हो सकता था। राष्ट्रीय सरकार वो राष्ट्र का हित चाहती है। परिणामस्वरूप स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात् सिंचाई की बहुत योजनाएँ बनाई गईं। इन योजनाओं में कुछ तो एकमुखी और कुछ गहुमुखी हैं।

विभिन्न राज्यों में प्रगति

उत्तर प्रदेश—उत्तर प्रदेश सरकार ने वह योजनाएँ बनाई हैं जिनका विवरण नीचे दिया जाता है—

नौगढ़ बांध की नहरें—गाढ़ीपुर जिले में कर्मनाशा नदी पर नौगढ़ स्थान क पास बांध बन चुका है। इसके द्वारा ८०,००० एकड़ भूमि पर सिंचाई होती है। इधर निर्माण पर १३ करोड़ रुपया व्यय हुआ।

नाताटीला बांध की नहरें—झाँसी में बेतवा नदी पर यह बांध बनाया जा रहा है। इसके निर्माण का पहला सोपान पूर्ण हो चुका है और दो नहरें भी निकाली जा चुकी हैं जिनसे २६ एकड़ भूमि पर सिंचाई होती है। दूसरे सोपान के पूर्ण होने पर उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश राज्यों में ४ लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई हो सकेगी। इससे कुल लागत का अनुमान ८ करोड़ रुपया लगाया गया है।

ललितपुर बांध—यह बांध झाँसी में शाहजाद नदी पर बनाया जा रहा है। इससे ६०० एकड़ भूमि पर सिंचाई की जायगी।

नागना बांध—यह बांध नागया (जिला झाँसी) स्थान पर कर्मनाशा नदी

पर बनाया जा रहा है। इससे मिर्जापुर के आसपास ६०,००० एकड़ भूमि पर सिंचाई की जायगी और चावल पैदा किया जायगा।

बेलन बाँध की नहरें—यह बाँध बेलन नदी पर बनाया गया है इससे नहरें निकाल कर मध्यप्रदेश के रीवा जिले तथा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में लगभग १ लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई होती है।

सपरार बाँध की नहरे—यह बाध जिला झाँसी में बनाया गया है जिससे ४०,००० एकड़ भूमि की विचाई होती है। मऊरानीपुर से याडे चार मील दक्षिण की ओर करोदा गाव के समीप एक जलाशय बनारे नहरें निकाली गई हैं जिससे लगभग १ लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई होती है।

रगावन बाध की नहरें—यह बाँध केन की सहायक नदी पर बनाया जा रहा है। इस बाँध से ६०,००० एकड़ भूमि की सिंचाई होगी।

अर्जुन बाँध की नहरे—यह बाँध अर्जुन नदी पर जिला हमीरपुर में चरखारी नगर से समीप बनाया गया है। यह १६००० हजार कुट लम्बा और ७५ कुट ऊँचा है। इससे नहरें निकाल कर २,६७,००० एकड़ भूमि की सिंचाई हमीरपुर जिले में की जाती है। इस पर १ करोड़ रुपया व्यय हुआ।

बेलन नहर योजना—बेलन की सहायक नदी भास्तर पर एक जलाशय निर्मित किया गया है। इस प्रोजेक्ट का नाम बेलन नहर योजना है। इस योजना का एक भाग यिरसी बाँध है। यह पूर्णरूपेण मिट्ठी का बना है जो ढाई मील लम्बा और ७२ फीट ऊँचा है। इसमें ७ करोड़ ७० लाख घनकुट पानी एकत्र होता है और लगभग १,०२,००० एकड़ भूमि की सिंचाई होती है। यह चन् १६५५ म यह कार्य पूर्ण कर लिया गया और अब यहाँ का मनोरम बाँध तथा सिर्सी प्रपात पर्यटकों के लिये आमर्षण के केन्द्र बन गये हैं।

बेलन नहर योजना के अन्तर्गत सभी कार्य यूरो हो चुके हैं और उनकी सहायता से सिंचाई हो रही है।

बेनगां नहर कम—इसी जिले में उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा पर बेन गगा म एक बाध बनाकर नहरें निकाली गई हैं। इस कम की नहरों की लम्बाई ६० मील है। इससे जिला बस्ती की २५,००० एकड़ भूमि पर सिंचाई होती है।

द्वितीय पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ होने वाली योजनाएं

नायर बाँध योजना—यह बाँध गगा की उहायक नदी नायर पर गढ़वाल जिले म मरोड़ा स्थान पर बनाया जा रहा है, जहाँ से नहरे निकाल कर २,३७,००० एकड़ भूमि पर सिंचाई की व्यवस्था की जावेगी।

रामगणा बाँध—रामगणा नदी पर बालागढ़ (जिला गढ़वाल) स्थान पर बाँध बनाकर नहरें निकाली जायेगी, जिससे ६,४८,००० एकड़ मूलि की सिंचाई होगी। यह योजना द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना की समाप्ति (१९६१) तक पूरी होगी।

कोठरी बाँध—इस बाँध की नहरों से गढ़वाल तथा निजनौर जिले के भावर देश में सिंचाई की जावेगी।

पजाव की नहरें

विभाजन से पूर्व सोपान प्रान्त में ही नहरों पा सबसे अधिक विस्तार था। यहार की सबसे लम्बी नहरें इसी प्रान्त में थी। अब भी पवार प्रदेश में काफी नहरें हैं। द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना की अपार्थि में १३ करोड़ रुपया व्यय करके सिंचाई की तुविधाओं में और विस्तार करने का इरादा है।

नागल बाँध की नहरें—भासरा नाँगल योजना के अधीन नाँगल बाँध का निर्माण कार्य लुलाई सन् १९५५ में हो गया। इस बाँध से नहरें निकाल कर करनाल, पटियाला, नाभा, अम्बाला इत्यादि जिलों में सिंचाई की जा रही है।

गुडगांव प्रोजेक्ट की नहर—देहली के समीप ओपला के ऊपर वी ओर चमुना से एक नहर निकाली जा रही है, जिसमें ११०५ क्यूसेक खल आ सकेगा। इस पर २ ३ करोड़ रुपया व्यय होने का अनुमान है और इससे ८ लाख एकड़ से अधिक क्षेत्र पर सिंचाई होगी।

बिहार राज्य की नहरें

सोन बाँध की नहरें—सोन नदी पर देहरी नामक स्थान पर बाँध बनाया गया है जिससे दो बड़ी नहरें निकाली गई हैं।

कनाडा बाँध की नहरें—बिहार मयूराच्छा (मोर) नदी पर मैसनजोर स्थान पर २१३० फुट लम्बा व १५३ फुट ऊँचा बाँध बनाया गया है। इसे कनाडा बाँध कहते हैं क्योंकि इसके निर्माण में कनाडा से अर्ध सहायता प्राप्त हुई है और कनाडा के विदेश मंत्री ने इसका उद्घाटन किया था। इस बाँध पर बने जलाशय से नहर निकाल कर १३,८७० एकड़ चाल चौथ पर सिंचाई होती है।

गडक बाँध योजना—गङ्गा की तहायक गदी गण्डक पर बिंबरी घाट स्थान पर एक बाँध बनाया जायगा। इससे दो नहरें निकाली जायेगी, जिससे खारन, नामारन, मुजफ्फरपुर व दरभंगा जिलों की २३ लाख एकड़ मूलि सीची जायगी। इस योजना के निर्माण में लगभग २५ करोड़ रुपया व्यय हुआ और निर्माण कार्य सन् १९५८ ई० तक लगभग पूरा हो गया।

पश्चिमी बंगाल की नहरें

तिलपारा बाँध की नहरें—तिलपारा मध्याक्षी नदी का एक अंग है। यह बाँध मैलनजोर के कनाडा बाँध से २२ मील नीचे मध्याक्षी नदी पर बंगाल के बीरभूमि जिले में सूरी स्थान के निकट बनाया गया है। यह १०१३ फुट लम्बा है। इससे दो नहरें निकाली गई हैं जिनसे पश्चिमी बंगाल के बीर भूमि, मुशिदाघाद तथा बर्द्वान जिलों में ६ लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई की जाती है। इससे बिहार राज्य में भी २३,००० एकड़ भूमि सीची जाती है।

दामोदर योजना की नहरें—आसनसोल, हुगली व बर्द्वान जिलों के कुछ भाग पर सिंचाई की आवश्यकता होती है। अतः दामोदर नदी से नहर निकाली गई जो उपरोक्त जिलों में २ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई करती है।

द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना के अन्तर्गत योजना

कंगसावती (Kangsavati)—इस योजना के द्वारा ६३ लाख एकड़ भूमि में सिंचाई होगी।

आध्र प्रदेश की नहरें

गोदावरी डेल्टे की नहरें—गोदावरी नदी की शाखाओं पर डेल्टा प्रदेश में कई बाँध बनाये गये हैं उनसे २५०० मील लम्बी नहरें निकाली गई हैं। इन नहरों से १० लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई की जाती है।

तुङ्गभद्रा योजना की नहरें—कृष्णा की सहायक नदी तुङ्गभद्रा पर हास्पेट स्थान के निकट ८००० फुट लम्बा, १६० फुट ऊँचा एक बाँध बनाया गया है और इसकी नहरों से आध्र प्रदेश के २५ लाख एकड़ ज्येत्र पर सिंचाई करने की योजना है, जिससे लगभग १८ लाख एकड़ कपास मूरफली व ज्वार बाजरा तथा ५५ हजार एकड़ पर चावल और २५ हजार एकड़ पर गन्ना उगाया जा सकेगा। नहरों का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है।

कृष्णा वैरेज प्रोजेक्ट—कृष्णा नदी पर कृष्णा एनीकट से ६० फुट ऊपर की ओर यह बाँध बनाया गया है। जून सन् १९५६ में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। इससे नहरें निकाल कर डेल्टा तथा ऊपर के ज्येत्र पर ४६ हजार एकड़ भूमि की सिंचाई होती है और इस पर २३ करोड़ रुपया व्यय हुआ।

राम पद सागर योजना—यह एक बहु व्येदी योजना है, परन्तु सिंचाई के लिए इसका विशेष महत्व होगा। इससे विशालाण्डनम्, कृष्णा, गोदावरी और गन्तुर जिलों में लगभग २७ लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई की जायगी। यह बाँध गोदावरी नदी पर पोलावरम के पास बनाया जा रहा है।

गोदावरी घाटी योजना—गोदावरी नदी पर कबायली गोदाम तथा कुस्तपुरम स्थानों पर दो बाँध बनाये जायेंगे और इनसे नहरें निकाल वर आप्र प्रदेश में ३१ लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई की जायगी। यह एक बहु स्वेच्छा योजना है और इससे २ लाख किलोवाट जल विद्युत् भी पैदा की जायगी। इस योजना पर ६६ करोड़ रुपया व्यय होगा।

कृष्णा पिनार योजना—इस योजना में एक बांध बृश्णा नदी पर कनेल जिला के सिंदेश्वरम स्थान पर तथा दूसरा बाँध पिनार नदी पर सोमेश्वरम स्थान पर बनाया जायगा। इन बाँधों से निकाली गई ८१० मील लम्बी नहरों से ३० लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई की जायगी। इससे १ लाख २० हजार किलोवाट विद्युत् नी उत्पन्न की जायगी। इछ योजना पर ८० करोड़ रुपया व्यय किया जायगा।

द्वितीय पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत योजना

वमस धारा (Vamasadharा)—इस योजना के द्वारा ३ लाख ६ हजार एकड़ भूमि में सिंचाई होगी।

मद्रास प्रान्त की नहरें

लोअर भवानी योजना की नहरे—यह बाँध कावेरी की उहायक नदी भवाना पर बनाया गया है। इस पर १० करोड़ रुपया व्यय हुआ। यह बाँध ५२ मील लम्बा और १६० पीट ऊँचा है। यहाँ भवानी सागर भील में पानी इकट्ठा किया गया है। इसकी नहरों द्वारा २ लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई की जाती है जिससे लगभग ३३ हजार टन अनाज और १४ हजार टन कपास अधिक उत्पन्न होने लगी है। १४ लिंगम्बर रान् १९५२ से यहाँ सिंचाई आरम्भ हुई और सर्वेत हरियाल। टॉपिगोचर होती है।

पेरियार बाँध योजना की नहरे—मद्रास राज्य के तुदूर दक्षिण भाग में पेरियर नदी दक्षिणी भाग से निकल कर पश्चिमी तटाप मैदान पर बहती हुई अख सागर में गिरती है। इस नदी पर केरल सम म बाँध बनाकर इसके पानी का रोककर एक बड़ी झील बना ली गई है। इन नहरों की लम्बाई २७० मील है और इसके द्वारा लगभग १ लाख एकड़ चौक पर सिंचाई होती है।

मैट्टूर बाँध की नहरे—सन् १९३४ म बावरी नदी पर मैट्टूर स्थान पर एक बांध बनाया गया जिससे एक विशाल झील बन गई। यह बाँध सत्तार वा सबसे बड़ा बाँध समझा जाता है। इसकी नहरों से १३ लाख एकड़ भूमि पर पहले ही से सिंचाई होती थी। अब नई नहरों द्वारा कोयम्बटूर व सलैम बिले म ४५ हजार एकड़ अतिरिक्त भूमि की सिंचाई होने लगी है।

कावेरी डेल्टा की नहरें—कावेरी वी शाखा कोलेरुन नदी पर अपर एनी कट नामक बाँध लगाकर जो नहरें बनाई गई हैं उनकी शाखाओं सहित लम्बाई ४ हजार मील है। इनसे १० लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई की जाती है।

केरल राज्य की नहरें

मालमपुजा बाँध की नहरे—मलावार जिले में यह बाँध पचवर्षीय योजना के अधीन सन् १९५३ में बनकर पूरा हुआ और इस पर लगभग ४ करोड़ रुपया व्यय हुआ। इससे ५० हजार एकड़ भूमि पर सिंचाई की जाती है।

बलयार जलाशय की नहरे—इस योजना पर ८५ लाख रुपया व्यय हुआ और इसकी नहरों से ६ हजार एकड़ भूमि सीधी जाती है। इसका और विस्तार किया जा रहा है। इस कार्य के पूरा होने की आशा सन् १९५७ के अन्त तक है।

द्वितीय पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत योजना

बूथा यानकेत्तू (Bootha Thankettu)—इस योजना के द्वारा ६३ हजार एकड़ भूमि सीधी जायगी। द्वितीय पचवर्षीय योजना में १२ करोड़ एकड़ भूमि की सिंचाई का जो लक्ष्य है उसमें से नइ योजनाएँ बेवल ६ करोड़ एकड़ भूमि को सीधेगी। ६ एकड़ भूमि की सिंचाई प्रथम पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ हुई योजनाओं से पूरी होगी, जोकि अब लगभग समाप्त होने को है। नवीन सिंचाई योजनाओं का लक्ष्य ५ करोड़ एकड़ भूमि की सिंचाई करना है।

वम्बई राज्य की नहरे

ताप्ती नहर योजना—ताप्ती नदी पर बाकरापारा न निकट १६६ फुट ऊंचा तथा ४२ हजार २४० फुट लम्बा बाध बनाया गया है। इससे बम्बई और अहमदाबाद के बीच ५ लाख ६० हजार एकड़ भूमि पर सिंचाई की जाती है।

मूला योजना की नहरे—मूला नदी पर चौका नामक स्थान पर एक बाँध बनाया गया है जिससे ग्रहमदनगर जिले में १ लाख ४० हजार एकड़ भूमि पर सिंचाई का जाती है।

काकरापारा नहर बाँध की नहरे—ताप्ती नदी पर बाकरापारा स्थान पर २१७५ फुट लम्बा प्रौद्योगिक ४५१ फुट ऊंचा एक बाँध बनाया गया है। इससे नहर निकालकर ६ ५ लाख एकड़ द्वात्र पर सिंचाई की जाती है।

गगपुर बाँध योजना—यह बाँध गोदावरी नदी पर उद्गम से १२ मील नीचे और नाविक नगर से ८ मील ऊपर बनाया गया है। यह बाँध १२ हजार ५ सौ फुट लम्बा और १४५ फुट ऊंचा है। इस पर जलाशय में ५५० करोड़ घन फुट जल

प्रहींत होता है। इस बाँध पर बाईं और से एक नहर निकाली गई है जो २५ मील लम्बी है। यह २५ हजार एकड़ भूमि की सिंचाई नासिक चिस्ते में करती है।

इस योजना के द्वितीय योग्यान में बलाशय की जमता ७२० करोड़ बन फुट हो जावेगी और तब इससे और अधिक सिंचाई हो सकती है। पूरी योजना पर लगभग ४ करोड़ रुपया लंबा होगा।

द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना के अतर्गत योजनाएँ

यूकाई (ULai)—इस योजना के द्वारा ६ लाख १४ हजार एकड़ भूमि में सिंचाई होने लगेगी।

खदकवासला (Khadakwasla)—इस योजना के द्वारा २ लाख ४ हजार एकड़ भूमि सींची जानेगी।

नर्मदा (Narmada)—इस योजना के द्वारा ११ लाख ५३ हजार एकड़ भूमि सींची जावेगी।

मैसूर राज्य की नहरें

भद्रा प्रोजेक्ट की नहरें—भद्रा नदी पर एक बांध बाटी के स्थल पर पत्थर का एक बांध बनाया गया है जो उसार में किंदाचित सबसे लंबा पत्थर ना बाँध होगा। इससे नहरें निरालकर सिंचाई करने तथा बल विद्युत बनाने की योजना है। पूरी होने पर इससे २ लाख ३४ हजार एकड़ भूमि सींची जावेगी, और ४१ हजार लिंगोवाड बन विद्युत उत्पन्न होगी। इस बांध के बाईं ओर से एक नहर निकाली जा चुकी है, जो ५० मील लम्बी है। इससे २२ हजार एकड़ लंबा पर सिंचाई होने लगी है। यह योजना सन् १९६८ तक पूरी होगी। इस पर नेत्रल १६ करोड़ रुपया नर होगा जिन्हें सापेक्ष लाभ रहा अधिक होगे।

तुगा बांध की नहरें—तुगामध्रा नदी की उहारन नदा पर शेषेगा से ७ मील दूर करर की ओर १००० फुट लम्बा सिंचाई बांध बनाया गया है जिसके दोनों ओर से नहरें निकाली गई हैं। इन नहरों के उिंचाई बाय सन् १९५४ में शुरू हो गया था, किन्तु बाईं ओर बाला नहर का निर्माण जून १९५५ में पूर्य हुआ और अब वह हानोनी तथा शिमोगा तालुका में सिंचाई करती है। दाईं ओर बाली नहर जून १९५६ न पूरी हुई। इन दोनों नहरों के मेशर राज्य के २१ हजार ५ सौ एकड़ लंबा पर सिंचाई की जाती है।

प्रमुख वहुमुखी योजनाएँ (Multi purpose Projects)

भारत ने त्वाधीनता के प्रभाव की स्थिति रशिमों के प्रकाश के उपरान्त,

प्राय हर दिशा ने हमसरी राष्ट्रीय सरकार ने आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान की योजना नार्दे कार्यान्वित की है। सिचाई एवं जल विद्युत के चेत्र में तो वास्तव में कानूनिकाय परिवर्तन हुए हैं। कुछ योजनाएँ तो क्षेत्र सिचाई योजनाएँ हैं और अन्य योजनाएँ ऐसी हैं जिनमें सिचाई विस्तार, शक्ति विकास और अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के दृष्टिकोण का सामने रखा गया है। इस प्रकार की बहुमुखी योजनाओं को अधिक महत्व प्रदान किया गया है। इन योजनाओं द्वारा योजना क्षेत्र की अधिकाधिक समस्याओं के समाधान का प्रबल किया जाता है। पीने के जल की व्यवस्था, मत्स्योत्पादन के लिये तालाब, मनोरवन के पालने के स्रोत, विद्युत-शक्ति उत्पादन, वृक्षरोपण व बाढ़ नियन्त्रण एवं यान्तरिक जलमार्गों का विकास इत्यादि इन बहुमुखी योजनाओं का उद्देश्य होता है।

सारे भारत में कुल १३५ योजनाएँ प्रस्तावित हुईं जिनमें अनुमानित व्यय ५०० करोड़ रुपया था। इन सभी योजनाओं की ५ से १० वर्ष में पूर्ण होने की समा वना है। यन् १६६० तक इन योजनाओं द्वारा लगभग १ करोड़ ६५ लाख एकड़ नूमि सींचों जा सकती और इसके फलस्वरूप करीब ३० लाख टन अधिक अन्य उत्पन्न होने की आशा है। इन योजनाओं का १६ लाख किलोवाट जल विद्युत भी उत्पन्न होगी और अन्य उद्देश्यों की पूर्ति भी की जा सकती।

उपर्युक्त योजनाओं के अतिरिक्त १२२ योजनाएँ ऐसी हैं जिनके विषय में अनुसधान तो किया जा चुका है परन्तु धन के अभाव के कारण उनका निर्माण स्थगित कर दिया गया है। इन योजनाओं पर १२०० करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान लगाया गया है।

प्रथम पचवर्षीय योजना में वैद्य योजनाएँ पूर्ण हो चुकी हैं। शेष चार द्वितीय पचवर्षीय योजना में पूरा किया जायगा। दूसरी योजना में कुछ नई विकास योजनाएँ भी ले ली गई हैं।

दामोदर घाटी योजना

यह एक बहुत महत्वपूर्ण बहुमुखी योजना है। दामोदर नदी में प्रतिवर्ष भव वर बाढ़ आता करती थी। प्रतिवर्ष अपार जन धन की हानि होती थी। अत दामोदर तथा उसका सहायक नदियों पर सात बड़े बांध बनाये जा रहे हैं।

इन सात बांधों के अतिरिक्त एक और बांध के बल बिजली उत्पादन करने के लिए बनाया जायगा। इन आठों बांधों के बन जाने पर दामोदर घाटी में लगभग ३ लाख किलोवाट बिजली उत्पन्न होगी। दामोदर घाटी योजना के अंतर्गत १० लाख एकड़ नूमि की सिचाई हो सकती।

दामोदर घाटी योजना में तिलम्पा, कोनार और दुर्गपूर के बाँध बनकर तैयार हो गये हैं। इसके अलावा बोकारो का ताप-विद्युत शक्ति यह तथा मुख्य-मुख्य नहरें बन करके तैयार हो चुकी हैं। मैथान और पचेत हिस बाँध भी अब बनकर तैयार हो गये हैं। कुल व्यय का अनुमान १०० करोड़ रुपये लगाया गया है।

कोसी बाँध योजना

यह योजना चिहार प्रान्त की है। कोसी योजना के लगभग १५० मील के बाँध में लगभग १४४ मील तक कार्य समाप्त हो चुका है। कोसी योजना (प्रथम भाग) के दूररे मुख्य कार्य जैसे एक बैराज तथा सिंचाई व्यवस्था का कार्य अब भी शेष है। इससे चिहार में १४ लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई होगी और नेपाल में २६ हजार एकड़ भूमि पर। इससे २० हजार किलोवाट विजली उत्पन्न की जायगी। करीब ४४.६ करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है। इसके तैयार होने में १० वर्ष लगेंगे। अभी इसका निर्माण कार्य प्रारम्भ ही हुआ है।

चम्बल बहुमुखी योजना

इस योजना के अन्तर्गत चम्बल नदी पर ३ बाँध बनाये जायेंगे, और प्रत्येक बाँध के पास एक शक्ति-घर होगा। कोटा (Kota) के पास बैराज (Barrage) है। नदी के दोनों ओर नहरें हैं। चम्बल योजना के पूरी हो जाने पर १५५ लाख किलोवाट विजली प्राप्त होगी तथा १२ लाख एकड़ भूमि को सिंचा ला सकेगा। इस योजना के प्रथम सोपान का कार्य शुरूआत से ही रहा है उदादर-खार्य, गाँधी सागर बाँध, कोटा बैराज (Kota Barrage) और नहरें बनाने का कार्य प्रारम्भ हो चुका है। अनुमानित व्यय ४८ करोड़ रुपये है और यह कार्य १६६० तक पूर्ण हो जावगा।

हीराकुण्ड बाँध योजना

यह उड़ीसा प्रान्त की योजना है। हीराकुण्ड बाँध उड़ीसा के सबलपुर जिले में महानदी पर बनाया गया है।

इस योजना के अन्तर्गत ३ स्थानों पर ३ बढ़े-बढ़े बाँध बनाये जायेंगे। प्रथम तीरादण्ड, द्वितीय तिनरपारा, तृतीय नराज। हीराकुण्ड बाँध योजना में दो शक्ति यह स्थापित किये गये हैं। इन शक्ति यहाँ से ३ लाख २० हजार किलोवाट विजली जमरोदपुर तथा कटक तक को प्राप्त हो सकेगी। इस विजली की लाइन को मुचक्कद शक्ति यह से बोड दिया जायगा।

हीराकुण्ड बहुमुखी योजना का प्रथम सोपान अगस्त १६५३ तक पूरा हो गया। इस योजना के द्वारा लगभग १,००,००० किलोवाट विजली भी प्राप्त होने

लगी है। योजना के पूर्ण हो जाने पर ६ लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई की जा सकेगी और ३ लाख किलोवाट विजली उत्पन्न होगी। अनुमानित व्यय ७८ करोड़ रुपये है। योजना का शेष कार्य द्वितीय पञ्चवार्षीय योजना में पूरा होगा।

रिहन्द बाँध योजना

यह उत्तर प्रदेश की बहुमुखी योजना है। मिर्जापुर के विषरिया नामक ग्राम के पास रिहन्द नदी पर बाँध तैयार किया जा रहा है। रिहन्द बाँध के छिल्कुल समीप ५ यूनिट से सुसज्जित शक्ति यह स्थापित किया गया है। प्रत्येक यूनिट से ५० हजार किलोवाट विजली उत्पन्न होगी।

इस योजना के पूरा हो जाने पर ३ हजार ट्यूबवेल (Tube well) चलाये जायेंगे। गगा, जमुना और घाघरा नदियों के पानी को पम्प करके ४ हजार मील लम्बी नहरें निकाली जायेंगी। इन नहरों से ३५ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी। अनुमानित व्यय ४५ करोड़ रुपये है। यह योजना सन् १९६१ तक सम्पन्न, पूरी हो सकेगी।

तुगमद्वा नदी योजना

तुगमद्वा नदी पर ८८ बाँध बनाया गया है। इस बाँध से दो नहरें निकाली गई हैं जो कि नदी के दोनों किनारों पर ज़ोंटों वी सिंचाई करती है। यह दोनों नहरें मैसूर, आन्ध्र और हैदराबाद प्रान्तों में क्रम से ६१,५८८ एकड़, १,५६,६१३ एकड़ और ५,८०,००० एकड़ भूमि में सिंचाई करती हैं। इन शक्ति योजना से कुल ६३,००० किलोवाट विजली प्राप्त होगी।

रामपद सागर बाँध

गोदावरी नदी पर ४२८ फुट लम्बा एक बाँध पोलावरम् के पास बनाया जायगा। यह पश्चान्तर सिंचाई की योजना है यद्यपि यह भी बहुमुखी योजना है। बाँध के ऊपर ये दोनों तरफ एक एक नहर निकाली जावेगी जिनमें से एक विशाला पट्टम व दूसरी गन्तूर जिलों की भूमि पर सिंचाई करेगी। बाँध के दोनों ओर एक शक्ति यह बनाया जावेगा जिससे देश लाख किलोवाट विजली उत्पन्न होगी। इस योजना पर १३० करोड़ रुपये व्यय का अनुमान किया जाता है। इसके निर्माण में ५ वर्ष का समय लगेगा।

नायर बाँध योजना—

गगा की सहायक नदी पर जिला गढ़वाल में नरोड़ा स्थान पर हरिद्वार से ५० मील ऊपर ६५४ फुट ऊंचा तथा १५०० फुट लम्बा बाँध बनाया जायगा। यह उत्तर के सबसे ऊंचे बाँधों में से एक होगा। इस योजना में दूसरा बाँध

२२० कुट ऊँचा गगा-नायर समान पर ब्लाट घाट पर रहेगा। इस योजना से २ लाख ३७ हजार एकड़ भूमि पर सिंचाई की जा सकेगी। मरोड़ा तथा ब्लाट घाट दोनों स्थानों पर शक्ति यह बनाये जायेगे जिनसे २६४००० किलोवाट विजली उत्पन्न की जायेगी। इस पर बनी विशाल भील में मछुलियाँ उत्पन्न की जायेगी। साथ ही यह स्थान पर्वतभृदेशी में जाने वाले लोगों के लिए समयीक स्थल बन जायगा। इस योजना पर ३३ करोड़ रुपया व्यय होगा तथा इसके बनाने में ७ वर्ष लगेगे।

रामगङ्गा योजना

यह बाँध गगा की सहायक नदी रामगगा पर जिला गढ़नाल में कालागढ़ स्थान पर बनाया जायगा। यह ३१० कुट ऊँचा तथा १८२० कुट लम्बा बाँध होगा। इस योजना से गगा व रामगगा के दुआय प्रदेश मध्य लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी। इस योजना द्वारा ५००० किलोवाट विजली भी उत्पन्न की जावेगी। इस योजना पर ८५ करोड़ रुपये एवं का अनुमान लगाया गया है। इसका निर्माण मार्च शुरू किया जा चुका है।

भालुरा नांगल योजना

इस योजना में भालुरा तथा नांगल दो बाँध समिलित हैं और वे बाँध भारत की सबसे ऊँची योजना हैं। नांगल बाँध सतलज नदी पर भालुरा बाँध से ८ मील नीचे बनाया गया है। इससे ६६ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी। भालुरा स्थान पर बाध के दोनों ओर एक-एक शक्ति यह बनाया जायगा। नांगल बाँध से निकाली गई नहर पर तीन शक्ति यह बनेंगे। दोनों योजनाओं के योजित गृहों से ४ लाख किलोवाट विजली उत्पन्न की जायगी। इस योजना में १३० करोड़ रुपये व्यय का अनुमान किया गया था। इसके निर्माण का कार्य बड़ी शीघ्रता से जल रहा है। नांगल बाँध बनकर तैयार हो चुका है और ८ जुलाई सन् १९५४ को इसकी नहरों का उद्घाटन प० नेहरू द्वारा किया गया था। यहाँ गगवाल शक्ति-गृह से जलविद्युत दैवार होने लगी है। कोठला शक्ति गृह भी जल चुका है और इससे विजली प्राप्त होने लगी है।

कोयना बाँध योजना

मध्याई राज्य में रुद्रा की सहायक कोयना नदी पर होलवाक स्थान पर ८२ कुट ऊँचा तथा ३०३० कुट लम्बा बाँध बनाया जायगा। यह प्रधानत जल-विद्युत शक्ति के उत्पादन की योजना है। इससे ७२०००० किलोवाट जल विद्युत उत्पन्न की जावेगी। नहरे निराल भर ३५००० एकड़ भूमि पर सिंचाई भी की

जावेगी। इस योजना पर ६० करोड़ रुपये व्यय होंगे और यह १९६० ६१ तक बन कर तैयार होगी।

नागार्जुन सागर बहुमुखी योजना

कृष्णा नदी पर नन्दीकोडा (Nandikonda) नामक गाँव के पास, ३८७ कोटि ऊँचा बांध बनाने का कार्य तेजी से चल रहा है। दिसम्बर सन् १९५५ हूँ में प्रधान मन्त्री श्री जवाहरलाल जी ने इस बांध का शिलान्यास किया था। इस योजना के पूरा हो जाने पर ७५ हजार किलोवाट बिजली प्राप्त होगी तथा ३४०२ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी।

प्रथम एवं द्वितीय पचवर्षीय योजनाओं में सिंचाई की प्रगति

सन् १९५० ५१ में भारत में ५ १५ करोड़ एकड़ भूमि की सिंचाई की जाती थी। प्रथम पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ६३ करोड़ एकड़ भूमि बढ़ी तथा मध्यम श्रेणी की योजनाओं द्वारा अधिक सींची जाने लगी तथा १ करोड़ एकड़ भूमि छोटी योजनाओं द्वारा अधिक सींची जाने लगी। बढ़ी तथा मध्यम श्रेणी की योजनाओं के पूर्ण विकास होने पर प्रथम पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत लगभग ६५५ मिलियन एकड़ भूमि सींची जाने लगी है। प्रथम पचवर्षीय योजना में रिचाई तथा जल शक्ति योजनाओं के ऊपर ६७० करोड़ रु० व्यय किये गये, जिसमें से वेवल सिंचाई योजनाओं पर ७२० करोड़ रुपये खर्च हुए हैं (८० करोड़ रु० पचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में पहले ही खर्च हो चुक थे)।

द्वितीय पचवर्षीय योजना में १९५५ योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा वह योजनाएँ तो चालू रहेंगी ही जो प्रथम पचवर्षीय योजना में प्रारम्भ हो गई थीं। द्वितीय पचवर्षीय योजना में बढ़े तथा मध्यम श्रेणी के सिंचाई कार्यों में ३८१ करोड़ रु० व्यय करने का प्रबन्ध किया गया है जिसमें २०६ करोड़ रु० प्रथम योजना से द्वितीय योजना तक के समय तक चालू रहने वाली योजनाओं पर खर्च किया जायगा। इन १९५५ योजनाओं से यह आशा की जाती है कि १२ करोड़ एकड़ भूमि में अधिक सिंचाई होने लगेगी। इसके अलावा ८ करोड़ एकड़ भूमि में छोटी योजनाओं द्वारा अधिक सिंचाई की जायगी। इस प्रकार सन् १९६१ में भारत में २१ मिलियन एकड़ अतिरिक्त भूमि में सिंचाई होने लगेगी।

द्वितीय पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सिंचाई योजनाओं में मध्यम श्रेणी की योजनाओं को अधिक महत्व दिया गया है। १९५५ सिंचाई योजनाओं में से १० ऐसी योजनाएँ हैं जिनमें १० करोड़ रु० से ३० करोड़ तक व्यय किये जायेंगे और शेष सिंचाई योजनाओं पर ५ करोड़ रु० से कम व्यय किया जावेगा। कुल निर्धारित

रिये हुए ८० में से १७२ करोड़ ८० द्वितीय पचवर्षीय योजना में व्यय किया जायगा तथा शेष संपर्क तृतीय एवं आगे आने वाली योजनाओं पर व्यय किया जायगा।

द्वितीय पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत शक्ति उत्पादन और सिंचाई योजनाओं के पूरा होने पर इंपू करोड़ टन (जो कि प्रथम पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पैदा होगा) की अपेक्षा १ करोड़ टन अन्न की अधिक उत्पत्ति होने लगेगी। शक्ति उत्पादन में इन्हि होने से देश में बहुत प्रकार के उद्योग प्रारम्भ हो जायेंगे, विशेष करके लोहा और इस्पात उद्योग तथा भारी मशीनों के बनाने वाले कारखाने। इस प्रकार हमारा देश एक समृद्धिशाली देश हो जायगा।

उमरेक्त सिंचाई योजनाओं में अधिकांशतः बहुमुखी योजनाएँ हैं। ये सभार में अद्वितीय होने के साथ-साथ हमारे उम्पूर्ण देश को समृद्धिशाली बनाने में सहायता होंगी, क्योंकि वहाँ एक और इन योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध सिंचाई सुविधाओं के फलस्वरूप हजारों एकड़ बजर भूमि लहलहाते हुए खेतों में परिसिर हो जायगी वहाँ साथ ही साथ प्रत्येक गाँव के प्रत्येक घर में जल विद्युत् शक्ति से सचा लित छोटी छोटी मर्यानों के द्वारा कुटीर उद्योगों में उत्पादित आवश्यक वस्तुओं से न कबल हमारा देश ही भरपूर हो जायगा। यरन् हम अपने अभाव प्रत्यक्षी देशों की जनता की अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेंगे। पं० नेहरू के शब्दों में—

“ये वस्तुतः देश के नये तीर्थ यन गये हैं, जिन्हे भारतीय भ्रष्टा के साथ तथा विदेशी प्रयटक आश्चर्य के साथ देखते हैं।”

कृषि-भूमि उपविभाजन एवं उपखण्डन

(Fragmentation & Sub division of holdings)

हमारे देश के कृषकों की हीन दशा तथा कृषकों ची असहनीय दरिद्रता वा मुख्य नारण कृषि भूमि का उपविभाजन एवं उपखण्डन है। बिना इस समस्या के उचित समाधान के भास्तीय कृषि की उन्नति एवं कृषकों के आर्थिक विकास का कल्पना वश्व एवं सुखद स्वप्न क समान है। युधि सुधार की किसी भी योजना के पथ में यह एक मवचूत चलान की भाँति स्थित है। डा० गधाकमल मुरार्जी के शब्दों में—

“The inefficiency of Agriculture is more due to the small size and scattered nature than due to ignorance or want of alertness on the part* of peasants

वास्तव में उपविभाजन एवं उपखण्डन आर्थिक ज्वालामुखी हैं जिन्होंने भारतीय कृषि के विकास को भस्म कर दिया है। नोल्स (Knowles) के शब्दों में—

‘Land in India is subjected to a continuous series of economic earthquakes owing to subdivision

उत्तराधिकार के नियमों के अनुसार पैतृक सम्पत्ति ग्रनेक उत्तराधिकारियों में परावर वरावर बाँटी जाती है। इस विभाजन के बारण से त ग्रहुत छोटे छोटे रह जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक किसान के सभी खेत एक ही स्थान पर नहीं होते हैं। सभी खेत विवरे हुए रहते हैं। पटवार द्वारा पर प्रत्येक उत्तराधिकारी प्रत्येक भूमि पर ब्रलग अलग नटवारा करता है। परिणामत्वरूप भारत में खेतों का क्रमशः उपविभाजन एवं उपखण्डन होता चला जाता है। इन छोटे-छोटे खेतों पर किसी प्रकार का सुपार सम्पर्य नहीं होता है। कभी कभी तो ये खेत इन्हें छोटे होते हैं कि कृषकों को जीवित रहने योग्य भी उत्पादन उनसे नहीं प्राप्त होता है। ऐसे अनार्थिक खेतों का परिणामत्वरूप दरिद्र किसानों का जीवन ल्लर निम्नतर हो जाता है।

भारत के खेतों का आकार इतना लघु है, यह अन्य देशों की दुलना से और अधिक स्पष्ट हो जाता है।

| विभिन्न देश | औसत वृषि प्रति वर्गि (एकड़) |
|-----------------------|--------------------------------|
| चमरीबा | १४६ |
| इगलौंड | ६२ |
| देनमार्क | ४२ |
| फ्रान्स | २१ |
| भारतवर्ष—उत्तर प्रदेश | २५ |
| विहार एव उडीशा | २६ |
| आणाम | २८ |
| बङ्गाल | २३ |
| मद्रास | २ |
| पञ्चाब | ३ |
| बंगलौर | ५ |

डा. नलजीव तिह के शब्दों में—“It has been carried to ludicrous extent in some areas like Ratnagiri, for instance, where plots have been reduced to the size of 1/60 of an acre. Such pocket handkerchief strips are common in all the parts of the country”

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ऐत छोटे-छोटे और दूर दूर बिखरे होने के कारण मरीनों के प्रयोग के लिए सर्वथा अपेक्ष्य हैं। वास्तव में भारतीय कृषक इन छोटे डुकड़ों पर अपने मरियल बैलों एव छोटे ये लकड़ी के हल का भी उपयोग कीक प्रकार नहीं रख सकता। ऐसी दशा में प्रति एकड़ कृषि उत्पादन कम होना स्वाभाविक ही है। यह छोटे-छोटे खेत भारतीय कृषक की दरिद्रता के आँख पोछने में सर्वथा अपेक्ष्य है। भारतीय कृषि को उन्नत करने के लिए, किसानों की आर्थिक अवस्था तुष्टने के लिए, एव राष्ट्र का आर्थिक विकास करने के लिए इन छोटे खेतों को, जो भारत माता के शरीर पर कोड़ के दाग के समान हैं, हटाना ही पड़ेगा, अन्यथा किसी भी प्रशार का तुवाच नहीं सम्भव हो सकता है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि ऐत का आकार उचित होने पर, खेतों में बिना किसी मुश्किल के ही, कृषकों की आय कम से कम २० प्रतिशत बढ़ जाती है।

उपविभाजन एवं उपस्वरण्डन के कारण—

भारत में उपविभाजन एवं उपस्वरण्डन के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं—

(i) उत्तराधिकार के नियम—हिन्दुओं तथा नुस्लमानों के उचराधिकार के नियम अन्तर्विभाजन एवं नूमि स्वरण्डन के प्रमुख कारण हैं। डा० मुकुर्षी ने यहाँ में—

“यह रियाज़ कि कुटुम्ब के पुरुष उत्तराधिकारियों में पैतृक भर्त्यात्त वरावर चाँदी जाय, इस भूमिस्वरण्डन का एकमात्र कारण है।”

हर एक उत्तराधिकारी हर पकार की नूमि में, हर एक कुर्टे में, हर एक तालाब में, हर एक मध्यान में, चरागाह में और वहाँ तक कि छोटे-छोटे खेतों में बराबर दा हित्सा माँगता है। परिणामस्वरूप खेतों की सर्वा क्षमश। बढ़ती जाती है और वह छोटे-छोटे एवं विसरे हुए होते जाते हैं। नुस्लमानों में सभ्यति पर लियों का भी अधिकार होने के कारण और भी भगड़र वरिणाम होते हैं। भी ची० पी० जैन ने सहारनपुर ज़िले के एक नुस्लमान जमीदार के घारे में लिया है कि उसमें ७२ जीवे जनीन वा २४ खेतों के रूप में यी उसमें नूतु ने धाद उसकी पत्नी, दो लड़के, एक लड़का और एक बहू के बीच १०८ खेत बनकर बैठ गई।

(ii) खेतों करने के फ़ज़्र—प्रत्येक वर्ष कि पैतृक नूमि म हर प्रकार की नूमि पर अरने बराबर दा हित्सा चाहता है, इसका मुख्य कारण खेती करने का ढग भी है और भारतीय वृषि की मानसून पर अत्यधिक निर्भरता भी है। नूमि के बढ़वार के समय वर्षों का नी धान रखता जाता है। इरने अविक्तिक फ़सलों के आवर्चन (Rotation of Crops) का भी रिवाज़ है। नूमि की उन्नरा शुक्ल कारम रखने के लिए अप्रदा (Fallow) नूमि रखना अनिवार्य हो जाता है। परिणामस्वरूप खेतों का छोटा होना अनिवार्य हो जाता है। भारतीय उपक निर्धनता के नारण हल तथा पैलो का उपयोग हा करता है। वे नड़े-बड़े फ़ानों पर खेती करने के अनुकूल नहीं होते। परिणामस्वरूप किसान छोटे-छोटे खेतों को हा पसद रखता है। इसक अलावा हमारे वहाँ की कुछ फ़सलें मा कुछ स्थानों पर छोटे छाठ खेत हा जाने का कारण है। उदाहरण के रूप म चावल के खेतों ने पानी निकालने और धान को दु नारा लगाने की आवश्यकता होता है, इसलिए खेतों का छोटा होना आवश्यक हा जाता है।

(iii) जनसख्त्या मे वृद्धि—जनसख्त्या की वृद्धि ने उपस्वरण्डन एवं उपविभाजन का और भी अधिक उम रूप द दिया है। ये तक खाली भूमि पर्याप्त मात्रा में प्राप्त थी तब तक वा इस वृद्धि का नूमि पर कोइ प्रभाव नहीं पड़ा। परन्तु जनसख्त्या बढ़न के कारण नूमि पर भार बहुत बढ़ गया है। देश में औद्योगिक विकास न होन के कारण अधिक्तर लोग कृषि पर ही निर्भर हैं। इसी ही भारत का मुख्य घटा है।

परिणामस्वरूप जनसुख्या के आधिक्य के कारण उपविभाजन एव उपखडन और अधिक बढ़ गया। जितने अधिक व्यक्ति होते हैं उनने ही भागों में भूमि का आपसी बैटवारा होता है।

(vi) सयुक्त परिवार प्रथा का लिन-भिन्न होना—यदि केवल जनसुख्या में ही बढ़ि हुई होती तो शायद इतने अधिक अन्तविभाजन की नीति न आती। सयुक्त परिवार प्रथा में आपसी बैटवारे की कोई जरूरत नहीं रहती। पाश्चात्य देशों के प्रभाव के कारण व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना का प्रादुर्भाव हुआ। परिवार का प्रत्येक व्यक्ति अपनी उन्नति की अभिलापा रखता है और सम्पत्ति के बैटवारे का प्रयत्न करता है; यही कारण है कि आज भी जहाँ जहाँ सयुक्त परिवार जीवित हैं वहाँ के सेव पर्याप्त बढ़े हैं।

(v) व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना—पाश्चात्य यन्यता के प्रभाव पढ़ने से एव आधिक सङ्कुट के कारण व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना अत्यन्त प्रबल हो गई है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी आधिक उन्नति सबसे पहले चाहता है। अबः प्रत्येक कुटुम्ब में हर एक सदस्य अपना अलग भाग लेकर कुटुम्ब से अलग रहना चाहता है। यहाँ तक कि माता-पिता के प्यार को भी लोग तिलाजलि दे देते हैं। परिणामस्वरूप देहाती म भूमि का उपखडन होता चला जाता है।

(vi) रहन-सहन का स्तर एव सामाजिक यातायरण—रहन सहन के स्तर के निम्न होने के कारण भूमि का क्रय-विक्रय छोटे-छोटे खेड़ों के ही रूप में हो पाता है। निर्धनता के कारण कियान एक ही स्थान पर एक ही समय अधिक भूमि लारीदने में असमर्पि होते हैं। इसका परिणाम उपखडन होता है। इसके अतिरिक्त सामाजिक यातायरण का भी प्रभाव भूमि के विभाजन एव उपखडन पर पड़ा है। भारतीय समाज म विची व्यक्ति के पास भूमि का होना प्रतिष्ठा एव गौरव का प्रतीक रहना जाता है। यही कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ कृषि के लिए भूमि अवश्य रखना चाहता है जिसका परिणाम उपविभाजन एव उपखडन होता है।

(vii) पैठक भूमि के प्रति मोह एव अद्वा—भारतवासियों में पैठक सम्पत्ति के लिये मोह रहता है। यहाँ वक कि लोग गूँडों मरना पसन्द करते हैं न कि पैठक भूमि का बैचन। यही कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति पैठक भूमि में अपना लिम्पन, नाहन, हे जितके कारण भूमि का उपखडन एव उपविभाजन होता है।

(viii) ग्रामीण रीति रिवाज—भारत में यह प्रथा है कि लोग अपने सेवको जैसे धोवी, नाई, कहार इत्यादि को मजदूरी के बदले में एक या दो ग्राम भूमि दे देते हैं। ग्रामीदारों के समय में तो इस प्रथा ना बहुत ही चलन रहा। परिणामस्वरूप भूमि का उपखडन हुआ।

(१) मामीण अरणप्रस्ताता—तिर्णनता के बारण मारतीय कृषक भूषणप्रस्त हैं। वे भूषण म ही जन्म लेते हैं, भूषण म ही जीनन व्यतीत करते हैं और भूषण का बोझ सेवक ही इस समार से प्रथान करते हैं। महाजन लोग खेतों को गिरवी रखने ही कृपकों को ददया उधार देते हैं। विभिन्न विसानों के खेत भिन्न भिन्न स्थान पर होते हैं। कर्ज के भुगतान न होने पर ये खेत महाजनों के पास चले जाते हैं। परिणाम स्पृहप भूमि का उपयडन होता चला जाता है।

(२) कुटीर उद्योग धन्धा का पिनाश—वर्तमान शताब्दी के प्रारम्भ म आमीण उद्योगों का पतन हुआ और आधुनिक उद्योग धन्धे जनसंख्या की वृद्धि के अनुसार विस्थित नहा हो सके। इस कारण भी भूमि का उपविभाजन एवं उपयडन बढ़ गया। छोटे छोटे उद्योगों का पतन से और दूसरे पेशी के अभाव में फारीगरों को खेती की ओर झुकना पड़ा और फलस्मरूप खेतों का उपविभाजन होने लगा। यदि इस पतन के साथ साथ और जनसंख्या की वृद्धि के अनुसार आधुनिक उद्योग धन्धों का भी विकास होता रहता तो बढ़ती हुई जनसंख्या इन उद्योगों म लग जाती और भूमि पर जनसंख्या का भार न घटता। किन्तु ऐसा नहीं हुआ और भूमि का उपविभाजन और उपयडन बढ़ा चला गया।

उपविभाजन एवं उपयडन के लाभ

भूमि के उपविभाजन एवं उपयडन के कुछ लाभ भी हैं जो निम्न लिखित हैं—

(१) आर्थिक आत्म निर्भरता (Economic stability)—भूमि के इस प्रारंभिक विभाजन के कारण अधिकांश लोगों के पास भूमि हो जाती है और वे कृषि वरन् निसी प्रनार अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। उपविभाजन द्वारा सम्पत्ति का अधिक विस्तृत वितरण हो जाता है और इस प्रकार प्रत्येक पुरुष सदस्य को जीनन प्रारम्भ करने के लिए एक सहारा मिल जाता है। इससे बहुत से किसान बन जाते हैं जिससे देश म राजनैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक स्थिरता आती है।

(२) अधिक परिवारों का भरण पोषण एवं समाजवादी धर्थ-व्यवस्था—छोटे छोटे खेत होने पर प्रत्येक असिति को कुछ न कुछ खेत अवश्य मिल जाते हैं। छोटे खेतों पर मशीनों का उपयोग न होने के कारण अधिक असिति को भी बाज मिल जाता है। इस प्रकार उपविभाजन द्वारा अधिक परिवारों का भरण-पोषण सम्भव हो जाता है। यद्यपि यद्यपि जोतें तो कुछ व्यक्तियों के ही हिस्से में आ सकती हैं, जिससे पूँजीवाद का प्रादुर्भाव होता है। भारत जैसे देश में जहाँ बेकारी बुरी तरह फैली हुई

है, क्षेत्रे-क्षेत्रे खेत अधिक लोगों को जीविता प्रदान कर सकते हैं। विभिन्न लोगों के पास क्षेत्रे क्षेत्रे खेत होने के कारण आर्थिक समानता आती है और पूँजीवादी शोपण का अन्त हो जाता है।

(iii) कुशल उत्पादन—अधिक लोगों के पास क्षेत्रे क्षेत्रे खेत होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति खेतों की देत माल डाचत रूप से यर सकता है और गहरी जलती भी सम्भव हो जाती है। गड़ी बड़ी बोतों को विसान टीक प्रकार से नहीं कमा पाते हैं। भूमि योद्धा होने के कारण विसान अधिक से अधिक परिश्रम करता है विसान कारण उत्पादन में वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त भारतीय कृषक निर्धनता के कारण पुराने हौल बैल से ही सेवा करता है। यह तभी उपयोगी हो सकता है जब खेत क्षेत्रे हों।

(iv) फसलों की रखवाली के लिये मै कमी—खेतों के अन्तर्विमाजन हो जाने के कारण प्रत्येक व्यक्ति अपने भाग का रखवाली करता है। इस प्रकार किसी एक ही व्यक्ति को रखवाली भी आवश्यकता नहीं रहती। जगली बानवर्ण ये फसलों की रक्षा की जा सकती है।

(v) न्यायपूर्ण व्यवस्था—उत्पादन के कारण विभिन्न प्रकार की उर्बरा शक्ति वाली भूमि का वितरण हो जाता है और प्रत्येक व्यक्ति को सराव और अच्छी दोनों ही प्रकार की भूमि मिलती है। भारत जैसे देश में बहा कि वर्षा इतानी अनिश्चित है, यह गत बड़े महत्व की है। डाक्टर मुकुन्द के शब्दों में—

“जिस देश में वर्षा इतनी अनिश्चित हो जाता रहेतों का विभिन्न प्रकार की भूमियों में छिटका होना अत्यन्त लाभप्रद है।”

भारतीय कृषक बदा इस बात से डरता है कि वर्षा न होने या सिंचाई के अमावस्या में यदि खेतों को बोइ जूति पहुँचती है पौर उसक सब खेत एक ही स्थान पर हैं तो उसकी सारी कफल नष्ट हो जायगी। ऐसी स्थिति में वह यह हितकर समझता है कि कोइ खेत कहीं पर ही और कोइ कहीं दूरसे स्थान पर जिससे कम से कम उसका निर्वाह हो जाए।

(vi) जोखिम वा नितरण—खेतों के क्षेत्रे-क्षेत्रे एवं बिल्कर हुए रहने के कारण गाव के अनेक भागों में कृषक की कुछ न रुच भूमि रहती है जिससे बाढ़, ठिक्की तथा अन्य प्राकृतिक सकटों के आने से उसकी सारी फसल नष्ट हो जाने से बच जाती है नियांक एक हिस्से वी क्षतिपूर्ति दूसरे हिस्से से हो जाती है। यदि सभा भूमि एक स्थान पर हो तो सारी कफल ही नष्ट होने की सम्भावना रहती है।

(vii) फसलों का आवर्तन (Rotation of crops)—फसलों के हरे-नेरे के हित में भारतीय कृषक यह आवश्यक समझते हैं कि खेतों के ज्ञालग

अलग दुकड़े हीं ताकि उपरता व सिंचाई इत्यादि नी सम्भावनाओं को देख कर प्रत्येक दुकड़े में उपयुक्त फसल बोईं जा सके। पिमिन फ्रांकर की फसलों की सेती भारतीय जलवायु में सेती के जोखिम और उन बरने के लिये अत्यन्त आवश्यक है। भूमि का उर्वरा शक्ति कावम रखने के लिये भी आवर्तन आवश्यक होता है।

उपखण्डन एव उपविभाजन के दोष

यह सत्य है कि भारत में कृषि में मशीनों का प्रयोग लाभप्रद नहीं होगा और गहरी सेती की आवश्यकता है और इसलिए सेतों का छोटा होना चाहिए। परन्तु उपविभाजन एव उपखण्डन की भी एक सीमा होती है। यहाँ पर खेत इतने छोटे हो गये हैं कि उनमें भागूली हल पैल का भी उपयोग नहीं किया जा सकता। अत्यधिक अन्तर्विभाजन एव भूमिखण्डन न कारण ही इस समस्या का रूप अत्यन्त मरकर हो गया है। उपविभाजन तथा उपखण्डन की बुराइयाँ इतनी गम्भीर हैं कि उनके खापने इसके सभी गुण लोप हो जाते हैं जैसा कि निम्नलिखित विवेन से ताट है—

अत्यधिक अन्तर्विभाजन ना कल यह होता है कि किसान हल और पैल भी नहीं रख सकता और उस अपने फारड से ही काम बरना पड़ता है। खेतों के क्षितिक होने से अनाज का उत्पादन व्यवहार जड़ जाता है और भूमि का कुल उत्पादन गिर जाता है। सन् १९२४ म उत्तर प्रदेश की कक्षग्रन्थी की रिपोर्ट म यह अन्दाज लगाया गया था कि प्रत्येक ५०० मीटर की दूरी पर कृषि की लागत ५०३ प्रतिशत बढ़ जाती है, और खाद ले जाने में तथा फसलों को स्थानान्तरित करने में तो यह व्यवहार कमश २० से ३५ प्रतिशत तथा १५ से ३२ प्रतिशत तक बढ़ जाता है।

(क) वेजानिक कृषि का अभाव—छोटे-छोटे खेतों पर वेजानिक दग से खेती नहीं की जा सकती क्योंकि उनमें अच्छे योज, अच्छी खाद तथा आमुनिक मशीनों ना पूर्ण उपयोग नहीं हो सकता। भारत में कुछ जोर्ते तो इतनी छोटी हैं कि उपर अपने हल पैल तथा अन्य साधनों का पूर्ण उपयोग ही नहीं कर पाता है। भारत में यह आमतौर पर देखा जाता है कि वश के अधिकार भाग में किसान और पैल दोनों वेकार पढ़े रहते हैं और उनका खर्च वेकार में उठाना पड़ता है।

(ख) खेतों पर स्थायी सुधार सम्भव नहीं होता—खेतों के विपरे पर छोटे होने पर प्रत्येक खेत पर स्थायी सुधार सम्भव नहीं होता। उदाहरण के रूप में प्रत्येक खेत पर अलग-अलग कुएं नहीं बनवाये जा सकते। प्रत्येक खेत की अलग-अलग नहारदीबारी नहीं लिचाई जा सकती। इसका परिणाम यह होता है कि

अत्यन्त दीर्घ सख्ता में खेत बिना किसी पर्याप्त सिंचाई के साधन के सूखे पड़े रहते हैं। इससे पेदावार की अपार ज्ञाति होती है।

(ग) समय तथा शक्ति का ह्रास—किसानों का बहुत समय, धन तथा याकि व्यर्थ में एक खेत से दूसरे खेत पर बैल तथा अन्य औजार ले जाने में लग जाता है।

(घ) उचित निरीक्षण का अभाव—खेत बिपरे होने के कारण एक व्यक्ति प्रपने सभी जेतों का निरीक्षण करने में असमर्थ होता है। यदि सभी खेत एक बगह पर हों तो नौकरों द्वारा भी निरीक्षण सम्भव हो सकता है। परन्तु खेत बिखरे होने हर प्रत्येक खेत के लिये अलग-अलग नौकर भी नहीं रखे जा सकते। उचित निरीक्षण के अभाव में फसलें जगली जानवरों द्वारा नष्ट हो जाती हैं और निसानों को तुरस्तान उठाना पड़ता है।

(ङ) बेकारी की समस्या—प्रायः किसान यात्र में प. नहीं बेकार रहता है क्योंकि छोटी-छोटी जोतों में पूरे साल के लिये काम ही नहीं रहता। यह अर्द्ध बेनी की समस्या पूर्ण बेकारी से भी अधिक दुरुह है।

(च) भूमि की उपरता का ह्रास—जो खेत गाँव के निष्ठ द्वारा होते हैं वे अत्यधिक गहरी खेती के बारण धीरे धीरे बम उंडर होते जाते हैं और गाँव से दूर खेत अवधार पूरी तौर पर जोते ही नहीं जाते। बनसख्ता का भूमि पर भार अधिक होने के बारण अत्यधिक गहरी खेती की जाती है। यहाँ तक कि भूमि की प्राहृतिक उत्पादन शक्ति तेजी से घटी होती चली जाती है। अनार्थित जोत के कारण किसानों के पास पर्याप्त धन नहीं होता कि वे रसायनिक सार्वज्ञ का प्रयोग वर उन अगवा ननीन देशानिक साधनों का उपयोग कर सकें। इस प्रकार वे भूमि की उन्नरण शक्ति के ह्रास को पूर्ण करने में असमर्थ होते हैं।

(ii) भूमि चेत्र रुप दुरुपयोग—भूमि ने उपविभाजन के बारण खेत में नेढ़े बनवाना अनिवार्य ही जाता है। इस प्रकार जिरना अधिक उपविभाजन होता है उनीं ही अधिक नेढ़े होती हैं। यदि सभी खेत एक स्थान पर हों तो नड़ा के रूप में बहुत-सी भूमि व्यर्थ न जाए। पजाव में की गई जांचों से पता चला है कि इस प्रथा के फलस्वरूप ५ प्रतिशत भूमि की तो कभी जुलाई ही नहीं होती।

(iii) मुकदमेवाली तथा अपब्यय—खेत बखरे होने के बारण प्रत्येक रियान अपने खेत को पहले सींचना चाहता है ताकि वह अन्य खेतों को भी सींच सकें। नहरों के पानी द्वारा ही अधिकतर सिंचाई होती है। गर्मी के दिनों में नहर के पानी का अभाव रहता है। परिणामस्वरूप आपस में फौजदारी होती है और मुकदमेवाली में बेकार दम्पत्ता सर्व होता है। इसके अतिरिक्त नेड़ों के मामले में भी बहुत से झगड़े होते हैं और मुकदमेवाली होती रहती है।

(iv) सहयोग की भावना का अन्त—खेतों के उपविभाजन के कारण लोगों में, यहाँ तक कि एक ही कुटुम्ब के सदस्यों में एकता एवं सहयोग की भावना नहीं रहती। आज भारत में कोई भी ऐसा गाँव नहीं है जहाँ पर पार्टीबंदी एवं ग्रामसी मनमुटाव न हो। उपराषदन के कारण ही एक कुटुम्ब के प्रत्येक सदस्य प्रत्येक भूमि पर बैटवारा माँगते हैं और बैटवारे के लिये झगड़ा करते हैं। मिं. जी० एन० एन्टरसन के शब्दों में—

“They will go so far as to fight over the partition of honey on the branch of a tree. They have even been known to fight over the partition of the shade of a tree, not its fruits nor its branches.”

उपर्युक्त भावना का प्रादुर्भाव बैवल उपराषदन एवं उपविभाजन के कारण ही हुआ है।

(v) कृपकों की निधनता एवं भूखमस्तता—बास्तव में भारत की अनार्थिक जोतें ही भारतीय कृपक भी दरिद्रता का सुख्य कारण है। इन छोटे-छोटे एवं बिहरे हुए खेतों पर उत्पादन तो कम होता ही है, इसके साथ ही उनको पूरे वर्ष तक काम देने के लिए ये जोतें अपर्याप्त होती हैं। इसके कारण उनकी आर्थिक दशा सराह रहती है। उत्पादन कम होने के कारण विसान अपनी फसल को स्वयं बाजार से जाकर बेचने में असमर्थ पाता है। प्रायः विसान अपनी उपज को गाँव में ही बनियां या महाजन द्वारा दामों पर बेच देता है। आर्थिक दशा सराह होने के कारण महाजन से भूख लेना पड़ता है जिस पर व्याज की दर बहुत अधिक होती है। मुख्यग्रस्त होने का सुख्य कारण कृपकों की निर्धनता ही है और उनकी आर्थिक उन्नति में उपविभाजन एवं उपराषदन एक बहुत बड़ी बाधा है।

(vi) जानवरों के पालने में कठिनाई—छोटे-छोटे खेतों से पशुओं के लिये चरागाह या बाड़ बनाने में बाधा होती है। डा० मुकुर्जी का रूपन है—“अत्यधिक भूमिय डन से केवल कृषि का ही हास नहीं होता बल्कि एक बहुत बड़ी हानि यह होती है कि पर्याप्त जानवरों को नहीं पाला जा सकता।”

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारतीय कृषि भी कार्यक्रमता पर भूमि के उपविभाजन एवं उपराषदन का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। बास्तव में उपविभाजन एवं उपराषदन मारतीय कृषि में इसी भी प्रवार वे सुधार के लिए चुनौती हैं। डा० मैन के शब्दों में—

“उपविभाजन एवं उपराषदन साहस की भावना नष्ट कर देता है, अम वी ज्ञापार हानि करता है, मेड़ों के कारण बहुत सी भूमि नष्ट कर देता है, जोतों की गहरी

कमाई जितनी होनी चाहिये नहीं हो पाती, और जिन लोगों के पास आधिक पौँजी है अच्छी कृषि समति सरीद कर कृपक बनने से रोका है।”

वात्तव में यह समस्या भारतीय कृषि की एक गम्भीर समस्या है जिसके उलझाने बिना देश का आर्थिक विकास सम्भव नहीं हो सकता। जिसनों द्वारा आर्थिक सम्पन्नता एव देश का उत्पादन बढ़ाने के लिए इस समस्या का उचित समाधान आवश्यक है। मिं. जॉन रसेल (John Russell) के शब्दों में—

“The fragmentation of holdings in India is a more deep seated matter and may be incapable of remedy, yet unless some solution is found, the rate of progress must be extremely slow.”

उपविभाजन एव उपखडन को दूर करने के उपाय

ऐसों का अन्तविभाजन एव दूर दूर जिसे होना भारतीय कृषि की एक गहन एव दुर्लभ समस्या है जिसका शीघ्रतिशीघ्र हल होना आवश्यक है। कृषि में सुधार एव कृष्णों की आर्थिक उन्नति के लिए आर्थिक जोतों (Economic Holdings) का होना आवश्यक है। इस समस्या को हल करने के लिए निम्नान्वित दो प्रकार के उपाय हैं—

(१) प्रतिवन्धक (Preventive) उपाय जिसे और आर्थिक उपविभाजन एव उपखडन न हो।

(२) वर्तन्वी एव सहकारी कृषि प्रणाली जिसमें मौजूदा अनार्थिक जोतों को सत्त्व किया जा सके।

प्रतिवन्धक उपाय (Preventive Measures)

(क) बटवारे की रोक धाम—बटवारे बन्द कर देने पर संयुक्त परिवार के सदस्य कृषि भूमि का बैटवारा नहीं करा सकेंगे जिससे और आर्थिक उपविभाजन सम्भव नहीं हो सकेगा।

(ख) उत्तराधिकार के नियमों में परिवर्तन—यदि यह कानून बना दिया जाव कि पैतृक भूमि क्वल परिवार क सबसे बड़े पुरुष सदस्य को ही प्राप्त हो सकेंगे और दूसरे पुरुषों का अधिकार नहीं रहेगा तो भी उपविभाजन की समस्या हल की जा सकती है।

(ग) आर्थिक जोतों का कानून द्वारा नियंत्रण—सरकार द्वारा विभिन्न मार्गों में स्थानीय दशाओं के अध्यनन के पश्चात् आर्थिक जोतों पर नियंत्रण कर देना चाहिये। जिन व्यक्तियों को अनार्थिक जोतें हो उनको वे सुविधाएँ न देना

चाहिये जो उन लोगों ने हो जिनकी बोहों का नून आर्थिक हा। इससे आर्थिक खातों को प्रोत्साहन मिलेगा। इसक साथ ही साथ प्रत्येक व्यक्ति के लिए भूमि की अधिकादम मात्रा भी निश्चित दर देनी चाहिये।

(घ) समुक्त प्रबन्ध (Joint Management)—यदि कुछ किसान आपस में एक निश्चित भूमि पर एव साथ मिलकर जार्य करें और बाद में भूमि के चेत्रफल के अनुसार कुल उपज नीट लें तो भी उपविभाजन की समस्या हल हो सकती है। परन्तु समुक्त प्रबन्ध भारतवर्ष म जहाँ व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना दृढ़ कूट कर भरी हुई है असम्भव सा प्रतीत होता है।

(ङ) भूमि ना राष्ट्रीयकरण—भूमि का राष्ट्रीयकरण भी उपविभाजन एव उपखण्डन की समस्या को हल कर सकता है। यदि सरकार भूमि का राष्ट्रीय वरण करके उपका विवरण विभिन्न क्षेत्रों म आर्थिक जात के आवार पर कर दे तो समस्या मुलझ सकती है। परन्तु यह उपाय भी भारत में सम्भव नहीं है क्योंकि विभिन्न वर्षियों की भूमि लेने पर उनको भूमि का मूल्य देना पड़गा और राष्ट्र के पास इस समय इतने साधन नहीं हैं कि उनक मुगवान भी समस्या मुलन्काद जा सके।

चकवन्दी (Consolidation of Holdings)

बास्तव म भविष्य म और ग्रंथिन उपविभाजन एव उपखण्डन न रोकने के उपायों न अलावा, सबसे प्रमुख समस्या तो यह है कि मौन्दा छोटे छोटे एव विसरे हुए खेतों का आर्थिक जोनों में परिणित किया जाये। इसक लिए नेत्र एवमात्र उपाय भूमि का चकवन्दी है। रायल कूपी कमीशन के शब्दो मे—

“कूपको के खेतों के उपखण्डन होने से उपन बुराइयों से राहत दिलाने का जो एक मात्र उपाय दिलाई देता है वह चकवन्दी का तरीका ही है, यथापि वास्तव मे यह पद्धति एक प्रकार से एक व्यवस्थित रेत के स्थान पर कुछ अन्य विश्वदूल रेतों को बदल लेना ही है। इस पद्धति के द्वारा, एक किसान की सारी भूमि का या तो एक ही चक बना दिया जाता है अथवा विभिन्न प्रकार की मिट्ठी के कुछ चक बना दिये जाते हैं।”¹

चकवन्दी क अन्तर्गत दूर दूर विवरे हुए खेतों के दुड़ों को जिन पर एक ही परिवार दा अधिकार होता है, उन्हे इट्टा कर दिया जाता है अर्थात् एक

¹ “The only measure that appears to promise relief from the evils that arise from fragmentation of holdings is the process generally known as consolidation of holdings

—Royal Commission on Agriculture—Report (1928)

परिवार के पास कुल जितनी भूमि होती है। उतनी ही भूमि एक ही स्थान पर एक चक्र में दो दी जाती है। इस प्रकार सभी जोतें एक-एक चक्र के रूप में एक ही स्थान पर हो जाती हैं और उपचिमाजन एव उत्तरडग का समत्वा हल हो जाती है। चक्रबन्दी करने के निम्नलिखित तीन साधन हैं—

- (१) व्यक्तिगत प्रयत्न द्वारा चक्रबन्दी।
- (२) रहकारी लमिटियों द्वारा चक्रबन्दी।
- (३) कानून द्वारा चक्रबन्दी।

व्यक्तिगत प्रयत्न द्वारा चक्रबन्दी

इसमें किसान स्वेच्छागूर्वक छोटे एव यिसरे हुए खेतों ना आदान प्रदान कर लेते हैं और इस प्रकार एक स्थान पर एक व्यक्ति का चक्र तैयार हो जाता है। परन्तु व्यक्तिगत प्रयत्न द्वारा चक्रबन्दी भारत में उफल नहीं हो सकती है। इसके निम्नलिखित कारण हैं—

(क) भारतीय कृषक अशिक्षित हैं। उनकी विचारधाराएँ सर्वीर्ण हैं। उनके अन्दर यह भावना दास है कि उनके खेत प्रब्लम खेत से अब्ज्ये हैं। यह कुछ बरा सा नुस्खान भी भूमि न आदान प्रदान में नहीं बदाशत करना चाहते हैं। उनको चक्रबन्दी से कोई लाभ नहीं प्राप्त होता है।

(ख) कृषि अधिकारी की विभिन्नता व कारण भी वह योजना उफल नहीं हो सकती है। भारत में कई प्रकार न कानूनकार पाये जाते हैं जैसे शिक्षी, मौरुणी, नटाईदार, भूमिकर इत्यादि। परिणामस्वरूप भूमि का आदान प्रदान आपस में नहीं सम्भव हो सकता है।

(ग) पेटुक भूमि के प्रति ममता भी एक कारण है जिससे यह योजना काम नहीं हो सकती है। भारतीय कृषक की यह घारणा रहता है कि पेटुक सेन अन्य खेतों की अपेक्षा अच्छा है और इतालए भूमि का आदान प्रदान सम्भव नहीं होता है।

(घ) सिचाई के साधनों की अनुकूलता भी इसान से अपने खेत में देने के लिए लालायित रहती है। सिचाई व साधन अपयात होने के कारण कुछ नेता पर सिचाई व साधन होत हैं और अन्य खेतों पर नहीं। यही कारण है कि इसान ऐसे खेतों को जहाँ पर सिचाई के साधन निकट उपलब्ध हैं दूसरे खेतों से नहीं बदलना चाहते हैं। अब, यह योजना उफल नहीं होती है।

श्री कीटिंज के शब्दों में—

“व्यक्तिगत प्रयत्न से चक्रबन्दी करने वा तरीका जर्मनी, प्रास, डेनमार्क

तथा जापान आदि देशों में असफल रहा है। ऐसी स्थिति में भारत जैसे देश में जहाँ किसानों में घोर अज्ञानता है, यह आशा करना कि वह उदारता व बुद्धि-मानीपूर्वक व्यक्तिगत रूप से अपनी जड़ता छोड़ कर चकवन्दी करने के लिए तयार हो जायेंगे, केवल हठ मात्र है।”

सहकारिता द्वारा चकवन्दी

इसके अन्तर्गत जो किसान अपने खेतों की चकवन्दी करना चाहते हैं, वे एक सहकारी समिति का निर्माण करते हैं और अपने सभी खेतों को सम्मिलित कर लेते हैं। प्रत्येक किसान जो उसकी भूमि के क्षेत्रफल के अनुपात में कुल उत्पादन में उसका भाग निर्धारित रर दिया जाता है। इस प्रकार जी योजना में सदस्यों का शिक्षित होना एव उनमें परस्पर प्रेम एव स्भावना होना अत्यन्त आवश्यक है। इस प्रकार चकवन्दी में भी वही कठिनाइयाँ हैं जो व्यक्तिगत प्रयत्न द्वारा चकवन्दी में हैं। मिठा डालिङ्ग के शब्दों में—

“सहकारिता द्वारा चकवन्दी करने के लाभों को लिखना सरल है अपेक्षा-कृत उन्हे प्राप्त करने के, क्योंकि इसमें प्रत्येक को सन्तुष्ट रखना और सभी प्रतिकूली अधिकारियों को शान्त करना होता है। अज्ञानियों को बुद्धिमान बनाना तथा हठधर्मियों को समझाना पड़ता है। निर्धनों, दुर्बलों तथा भूक-न्यक्तियों का उतना ही ध्यान रखना पड़ता है जितना कि धनी, शक्तिवान तथा शोर मचाने वालों का। एक मात्र अस्त्र, जिसका प्रयोग किया जा सकता है वह है ‘जिहा’ और एसमान साधन है समझाना बुझाना।”

कानून द्वारा चकवन्दी

कानून द्वारा चकवन्दी का अभिप्राय सरकार द्वारा चकवन्दी जी योजना द्वारा अनिवार्य जना देना है। सहकारी चकवन्दी समितियों को कानून अनिवार्य किया जा सकता है और प्रत्येक कृषक को अनिवार्य रूप से इन सहकारी समितियों का सदस्य बनने व लिए कानून द्वारा मजबूर किया जा सकता है। कानून द्वारा उच्चाधिकार नियम में परवर्तन करके भी चकवन्दी जी योजना सफल बनाई जा सकती है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि भारत के लोग अपने वर्तमान बौद्धिक एव नैतिक स्तर पर कानूनी अनिवार्यता के अन्यस्त हैं। जिन कानूनी अनिवार्यता के कोई भी योजना भारत में सफल नहीं हो सकती। जनतन्त्र के सिद्धान्तों के आधार पर तो यह उचित नहीं मालूम पड़ता, परन्तु यह नभ उत्तम सत्य है जिसके बिना उपविभाजन एव उपराजन को दूर नहीं किया जा सकता। इतना अवश्य है कि अनिवार्यता का प्रयोग सोन-समझ ही कर करना चाहिए।

क्योंकि बिना प्रत्येक व्यक्ति की मर्जनों के लोड़ भी जो जना सफल नहीं हो सकती। यथएव कमीशन का मत है—

“चक्रवर्णी के पक्ष में राज्य का प्रयत्न, जहाँ कही भी इसे कानून द्वारा प्रारम्भ किया जा रहा हो, सावधानी से आरम्भ करना चाहिए। अनिवार्यता का सिद्धान्त लागू करने के पहले विशेष चैब्रिंग को नुन लेना चाहिये। राज्य को प्रचार करना चाहिए, वस्तुस्थिति का ज्ञान कर लेना चाहिए और प्रारम्भिक अवस्थाओं में व्यय भी उठाना चाहिए।”

कृषि के रायल कमीशन न यह सुझाव भी दिया है कि जब चक्रवर्णी के अन्य चालन नाकामयाव हो जायें तभी कानून का सहारा लेना उचित होगा जैसा कि निम्न-लिखित घन्डों से स्पष्ट हो जाता है—

“When all that persuasion, perseverance and skill can do has been exhausted, and a beneficial scheme of consolidation has been completed, we think that compulsion may be applied to secure for the majority advantages which an obstinate minority might otherwise withhold.”

Royal Commission on Agriculture.

सहकारी-कृषि

भूमि के उपविभाजन एव उपखंडन की समस्या का समाधान सहकारी कृषि पद्धति पर भी चहुत कुछ निर्भर है। सहकारिता विधि का आधार आपर्टी प्रेम, सहमत्यावान एव श्रद्धा है, एक मात्र अख्य है विद्यमें द्वारा कृषि एव भूमिसुधार में स्थायी क्रान्तिकारी परिवर्तन लाना जा सकता है। सहकारी कृषि पद्धति द्वारा भूमि पर व्यक्तिगत सम्पत्ति का बिना जलिदान किये बड़े पैमाने की सेवी कलामों को सम्मत जनाया जा सकता है। सहात्मा गांधी का कथन है—

“सहकारिता की असम्भवता भारत की स्वर्गिम आशा पर तुपारपात होगा।”

जहाँ तक चक्रवर्णी का प्रश्न है, यह अनार्थिक इकाइयों की श्रौपिति तो अवश्य है, पर उसका प्रभाव थोड़े समय पश्चात समाप्त हो जाता है क्योंकि एक या दो पीढ़ी के बीतने पर भूमि युनिविभाजित और फ्रिग्ग्रेट (Sub-divided and Fragmented) हो जाती है। स्थायी समाधान तो बास्तव में सहकारी सेवी में ही निहित है जिसका ग्रन्थ है गांधी की समूर्य भूमि को एक इकाई मानकर खेती करना। इस प्रकार भूमि की उपविभाजन एव उपखंडन की समस्या का समाधान स्वयं ही हो जाता है।

सहकारी सेती वे बारण आज साम्यवादी चीन भी कृषि ज़ेब में आशावीत सफलता प्राप्त कर सका है जैसा कि सरकारी कृषि मंडल जो श्री यापर के समाप्तित्व में चीन गया था, की निम्न रिपोर्ट से स्पष्ट होता है—

“कृषि और आर्थिक विकास के ज़ेब में चीन द्वारा इतने घोड़े समय में किये गए प्रयत्न सराहनोय हैं। पर उनकी कृषिक सफलताओं का मूल आधार सहकारी सेता है, जिसने प्रति एकड़ उपज में उत्साहवर्धक वृद्धि की है।”

परन्तु भारत में प्रश्न यह है कि क्या सहकारी कृषि प्रणाली भारतीय परि स्थितियों के अनुकूल है ? जहाँ तक भारतवर्ष का प्रश्न है यहाँ के दृष्टिकोणों के विचारों एवं मावनाओं में भूमि का विशेष स्थान है। भारतीय किसान का अपनी भूमि से विशेष धैर्य है और उनको अपनी थोड़ी बहुत जितनी भी भूमि है उसक स्वास्थी कहने भी गवें वा अनुभव होता है। इसलिए कोई भी सहकारी खेती जिठमें उनके स्वास्थित्व का अप्रहरण होगा कदापि सफल नहीं हो सकती। सहकारी कृषि प्रणाली में व्यक्ति अपने व्यक्तिगत को पूर्णत एक विशाल समूह में विलीन कर देने के लिये बाध्य हो जाता है और इसलिये वह अपनी स्वतंत्रता को खो देना ठीक नहीं समझता। सामूहिक संगठन में, जहाँ हर किसी की जिम्मेदारी निसी की भी निम्मेदारी नहीं रह जाती काम में फिलाई और लापरवाही की सम्भावना बनी रहती है और उत्पादन बढ़ाने में विशेष प्रोत्ताहन नहीं मिल पाता। वास्तव में यह व्यथन सत्य है कि व्यक्तिगत प्रयत्न में धूल को भी धन म परिणित कर देने की ज़मता है। भारतीय कृषक इस प्रणाली के प्रति चर्चा इसलिए भी नहीं रखता कि वह अपनी भूमि से वचित होने कर सहकारी समिति या सदस्य मात्र अर्थात् भूमिहीन मजदूर बन जायगा। यही बारण है कि भारत म सहयोग का अनुभव उत्साहवर्द्धक नहीं रहा है। रूस, फिल्स्टीन, एवं डेनमार्क आदि देशों में सहकारी सेती का उदाहरण उपस्थित करना ही बेवल भारत में सहकारी कृषि प्रणाली की उपयुक्तता पर प्रमाण नहीं ढालता। भारत की समस्या अन्य देशों की अपेक्षा मौलिक रूप से भिन्न है यही कारण है कि निटेन के मजदूर दल क प्रमुख सदस्य श्री वेविन ने, जिहोने चीन सरकार के निम्रत्यु पर वहाँ का भ्रमण किया, र अप्रैल १९५७ को दिल्ली की सावजनिक रुमा म बहा था—

“भारत को रूस और चीन जैसी गलती नहीं करनी चाहिये।”

इस सम्बन्ध में प्रा० रगा क, जो इस ज़ेब में वापी जानकार हैं, इन शब्दों को उद्धृत करना ठीक ही होगा—

“शोपणहीन कृषिकीय अर्थ व्यवस्था के विरुद्ध किसी भी प्रकार का आन्दोलन खतरनाक है। यह तो समाजवादी आदर्श या सहकारी फामनवेस्थ के विपरीत होगा। इस आन्दोलन से किसानों की वचत को कृषि उन्नति में

लगाने से निरुत्साहित किया जा रहा है। इससे कृषि में अधिक रूपया लगाने में वाधा पड़ेगी और चतुर, शिक्षित और साहसी किसान कृषि कार्य छोड़ने को विवश हो जायेगे। इससे लो होगा वह यह कि प्राम, प्रामीण लोबन तथा पारिवारिक अव्यवस्था से अव्यवस्था उत्पन्न हो जायगी।”

इस्तिए यह सत्य नहीं कि समाजवादी आदर्शों को लाने के लिए चमीन की मिलिक्यत को समाप्त किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश के माल मन्त्री के यह शब्द विचारणीय हैं—

“मनुष्य स्वभाव ही ऐसा है कि अक्सर पिता के मरने पर या अन्य किसी कारण से एक ही मां से जन्मे दो भाई एक परिवार से अलग हो जाते हैं। तथा इस स्थिति में ऐसा सोचना अव्यावहारिक होगा कि एक औसत महस्थ अचानक अपने हितों को उन अनेक अपरिचित व्यक्तियों से भिता लेगा, जिनके विषय में उसने सुना तक नहीं।”

अतः कौन-सी सहकारी कृषि प्रणाली अपनाई जाय, इसमा उत्तर किसानों की मनोवैज्ञानिक भावनाओं एव कृषि की वर्तमान स्थितियों को देखकर ही देना होगा। इस प्रकार कोई भी सहकारी खेती जिसमें उनके स्वामित्व अपहरण का अश्व होगा, रुदारि सफल नहीं हो सकती। अति प्राचीनकाल से मार्कीय किसान फसल बाटने, धान धनाने, कुएँ खोदने, यदों के प्रयोग करने आदि कार्यों में सामूहिक रूप से कार्य करने चले आ रहे हैं, अतः वे सहकारिता के इस व्यापक स्वरूप को भी शीघ्र अपना सकते हैं। इसके अतिरिक्त उनके पास गत ५० वर्षों का सहकारिता का अनुभव है जिसे सहकारिता का आधुनिक रूप कहा जाता है। केन्द्रीय और राज्य सरकारों का बजान भी इस ओर है। तात्पर्य यह है कि सहकारी खेती के सफलतापूर्वक सञ्चालन के सभी लक्षण आज आगर ग्रस्त भारत में पिछापान हैं। मार्कीय कृषक को यह दृष्टिकोण अपनाने के लिए शिक्षित रखने की आवश्यकता है एव उसे इस तथ्य से पूर्णतः अवगत बराना है कि आयोजन का वर्तमान युग वर्तमान है और चामाजिक हितों भी तुलना में व्यक्तिगत हितों को गौण स्थान देना ही पड़ेगा। पोलैण्ड के श्री गोमुक ने १० वर्षों के परिक्षणों के नाम कहा है कि किसान जो सहकारी समितियों में मेजने के लिए उसके मन और दिन-न-रात जो बदलना होगा।

इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा प्रयास (Government Measures)

सन् १९४६ में भारत सरकार ने एक शिष्ट मण्डल सहकारी खेती के व्यापक अध्ययन करने के लिए किलिलीन भेजा था और उक्ती रिपोर्ट के परचात् ही इस दिशा में कार्य प्रारम्भ हुआ। वार्षिक में १९४४ के पूर्व यद्याँ कभी इसका उल्लेख ही

नहीं हुआ। सर्वेश्वरम् चम्भई में द्रुतगति से इस योर कार्य आरभ हुआ और ३० जून १९५५ तरु २६४ सहकारी खेती समितियों की स्थापना हुई।

दिल्ली राज्य में भारतीय सहकारी सघ लिमिटेड की देव-रेय में छतरपुर में ३५ परिवारों की एक ग्राम्यार्थी बस्ती बसायी गयी है। एक बहुधन्धी कृषि सहकारी समिति के अन्तर्गत इस योजना में ४०० एकड़ भूमि पर सयुक्त कृषि का कार्यक्रम बनाया गया है। भारत सरकार ने भूमि जोगने के लिये अपने ट्रेस्टर दिये हैं।

उच्च प्रदेश में एक ग्रामेश्वारूप अधिक महत्वाकांक्षी योजना कार्यान्वित की जा चुकी है। वह गगा खादिर उपनिवेशवरण योजना है। तराई ज़ेन में ४७,००० एकड़ का एक चरू खेती के लिए नये सिरे से तैयार किया गया है। हर जोड़ १० एकड़ भूमि की है और इस प्रकार १,००० एकड़ भूमि के १०० फार्म एक सहकारी समिति की इकाई माने जाते हैं। इन समितियों के द्वारा सहकारिता के आधार पर भूमि की जुलाई, बीज, योजार और दोरों की खरीद, सहकारी तौर पर उपज की निकी, प्रबन्ध, देप रेल तथा पशुपालन आदि कार्यों का संगठन होता है।

मध्य प्रदेश की सरकार ने भी माजरा रीठ (बरोरा तहसील) में १,२०० एकड़ नव निर्मित भूमि पर भूमिहीन खेतिहार मजदूरों की एक सहकारी उपनिवेश योजना तैयार की है। योजना के अन्तर्गत १० वर्ष तक सयुक्त कृषि वी व्यवस्था की गई है, जिन्हुंने इस अवधि में सहकारी संस्था संकोई सम्बन्ध-विच्छेद नहीं कर सकता।

मद्रास, विहार, उडीसा, आसाम, मेसूर, द्रावनकोर कोचीन में भी प्रगति हुई है, पर कोई उत्थाहवर्धक काय नहीं हुआ है। भारत में प्रथम पचवर्दीय योजना में ६१५ सहकारी खेती समितियों का लक्ष्य रखा गया था जो पूर्य हो गया है। सन् १९५८ तक देश भर में २,०२० सहकारी कृषि उत्थाएँ २४४ लाख एकड़ भूमि पर वार्यशील थीं। फिर भी सहकारी खेती को हमें भारत में शेष अवस्था में ही मानना पड़ेगा, क्योंकि कुल भूमि का काठनता से एक प्रतिशत मात्र इसके अन्तर्गत होगा।

सन् १९५८ में देश भर में २५० नई समितियाँ बनाई गई जिनमा राज्यवार व्यापा इस प्रकार है—

| राज्य | सहकारी कृषि समितियाँ |
|----------------|---|
| झारखण्ड | ३८ |
| बिहार | १५ |
| घासीदौ | १५ |
| कर्नाटक | ४ |
| मध्य प्रदेश | २ |
| आनंद्रा प्रदेश | १ |
| मद्रास | ६ प्रामदान सर्वादिय सहकारी सेवी समितियाँ |
| गैसुर | १० |
| उडीया | १० |
| पश्चात् | ६५ |
| राजस्थान | २ |
| उत्तर प्रदेश | २२ |
| पंजाब | ५८ |
| जम्मू काश्मीर | १ |
| दिल्ली | १ |
| चिपुरा | १ |
| योग | ८५० |

द्वितीय योजना में सहकारी कृषि सम्बन्धी मुख्य सुझाव यह रखा गया है कि सहकारिता की नीति टृप्ट की जाय जिससे प्रगति १० वर्षों में देश की कृषि योग्य भूमि का काफ़ी मात्रा सहकारी कृषि की परिधि में आ जाय। इस योजना के कार्य क्रम को देखकर सहकारी सेवी क उत्पत्ति भविष्य की झाँकी आँखों वा रक्ती है।

चक्रबन्दी में प्रयास (Consolidation of Holdings)

सहकारी समितियों द्वारा प्रयत्न

पञ्जाब में—इस साधन को सर्वप्रथम पंजाब में सन् १९२० ई० में अपनाया गया। इसके अन्तर्गत सम्बन्धित लोगों को समझा दुम्भादर आपसी सुगठन के लिए राजी किया जाता था। ये काम चक्रबन्दी अक्सर के नीचे पटवारी एवं कानूनगो किया जाते थे। मान विभाग एवं सहकारिता विभाग इसमें सहायता देते हैं। गुरुदासपुर, बालपुर और होशियारपुर जिलों में इस कार्य में कापी सफनता मिली है। सन् १९३५ तक ११६७ सहकारी समितियों ने करीब ६ लाख एकड़ भूमि की चक्रबन्दी की। १९३८ तक करीब ८ लाख एकड़ भूमि की चक्रबन्दी हुई। सन् १९४३ तक समितियों

की सख्ता १८०७ हो गई और लगभग १४२ लाख एकड़ भूमि की चकवन्दी हो गई। विभाजन के पश्चात् १९४८ में समितियों की सख्ता १५७३ रह गई, परन्तु इनकी प्रगति में बाबा नहीं पड़ी और अब करीब १६,००० सहकारी समितियाँ कार्य चर रही हैं। परिणामस्वरूप भूमि का लगान और उत्पादन बढ़ गया है। बहुत भी बजर भूमि कृषि योग्य बन गई है। सिंचाई के लिए दुआ का निर्माण हुआ है और मेडो के कारण झगड़े कम हो गये हैं। किसानों का जीवन स्तर भी ऊँचा हो गया है।

उत्तर प्रदेश—इस राज्य में सन् १९१२ में श्री मोरलैंड ने भूमि चकवन्दी की छिकारिश की थी, परन्तु माल विभाग ने इसका विरोध किया। १९२१ में श्री मिथा ने फिर चकवन्दी की छिकारिश की, लेकिन फिर भी सरपार ने नहीं माना। सहकारी समितियों द्वारा चकवन्दी का कार्य सहारनपुर, बिजनौर और मुरादाबाद जिलों में १९२५, १९२८ और १९३३ में क्रमशः शुरू हुआ। सन् १९४८ में तुल १८८ सहकारी समितियाँ थीं जिनके द्वारा करीब ८ लाख एकड़ भूमि की चकवन्दी हुई। १९४७ में इन समितियों की सख्ता २८३ हो गई। भूमि की विभाजना, भूमि व्यवस्था की जटिलता और योग्य अधिनारियों के अभाव के कारण यह योजना सफल नहीं हो सकी और सन् १९४७ में इसको भङ्ग करना पड़ा।

मद्रास एवं मध्य प्रदेश—मद्रास में १९४७ घट म २२ सहकारी उमितियाँ थीं परन्तु यह योजना सफल न हो सकी। मध्य प्रदेश में भी यह ग्रान्डोलन प्रारम्भ हो गया है। बड़ीदा, फरल, तथा काश्मीर राज्यों में भी चकवन्दी रहकारी-समितियाँ काय कर रही हैं।

कानून द्वारा चकवन्दी

मध्य प्रदेश—सबसे पहले रानून द्वारा चकवन्दी की व्यवस्था मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई। सन् १९४८ म यहाँ पर 'मध्य प्रात विधि चकवन्दी अधिनियम' (The C P Consolidation of Holdings Act) पास किया गया। इस अधिनियम ने अन्तर्गत अगर किसी गाँव के ग्राम्य कृषक जिनके पास गाँव की तु भूमि है चकवन्दी की इच्छा प्रकट करते हैं, तो एक विशेष सरकारी अधिनारी द्वारा पचायत की सहायता से इस सम्बन्ध में एक योजना तैयार की जायगी जिसका पुष्टिकरण बन्दो बस्त किसिनर चरेगा। इसके बाद यह योजना अनिवार्य रूप से लागू कर दी जायगी। इस योजना की प्रगति सतोषजनक रही है।

पंजाब—पंजाब में १९३६ ई० में कृषि चकवन्दी अधिनियम पास किया गया था। इस अधिनियम के अन्तर्गत अगर किसी गाँव के त्रै किलान जिनके पास गाँव

की है भूमि हो और वे चक्रवन्दी के लिए तैयार हो चो यह योजना उस गाँव में अनिवार्ये लूप से लागू कर दी जायगी।

उत्तर प्रदेश—उत्तर प्रदेश में 'चक्रवन्दी अधिनियम' (U. P. Consolidation of Holdings Act) सन् १९४१ में पास किया गया। इस अधिनियम के अनुसार सरकार द्वारा चक्रवन्दी अफसर नियुक्त किये गए। इन अफसरों को उन गाँवों में चक्रवन्दी की व्यवस्था करने का अधिकार दिया गया जिनमें त्रृ कृषि भूमि के अध्यक्ष उससे अधिक के स्वामियों द्वारा प्रार्थनापत्र प्रेपिण किया जाय। इसको द्विसो में लागू किया गया था, लेन्जिन द्वारा शायन सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण इस कानून को वापस ले लिया गया। पुनः सन् १९५२ में अनिवार्ये चक्रवन्दी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक विल प्रस्तुत किया जो कि १९५३ में पास कर दिया गया। प्रारम्भ में यह अधिनियम मुद्दपत्रनगर तथा सुल्तानपुर में लागू किया गया। अब इसके अनुसार राज्य के २७ ज़िलों में चक्रवन्दी का कार्य किया जा रहा है। क्रमशः इसे सभूर्ण राज्य में लागू कर दिया जाएगा। शायन सम्बन्धी कठिनाइयों एवं आमीण जनता के अधिकार होने के कारण अपनी तक अधिक सफलता नहीं मिल सकी है।

बम्बई—बम्बई राज्य में भी सन् १९४७ में 'बम्बई कृषि उपविभाजन तथा उपखंडन नियोगक अधिनियम' (The Bombay Prevention of Fragmentation & Consolidation of Holdings Act) पास किया गया। इसके अनुसार प्रत्येक किलान के पास स्टैंडर्ड चैव कर दिया जायगा।

उपर्युक्त राज्यों के अदिरिक अन्य राज्यों में चक्रवन्दी के लिए कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं हुआ।

पचवर्षीय योजनाएँ एवं भूमि सुधार

प्रथम पचवर्षीय योजना में भूमि सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन करने के बाद आयोग ने 'सहकारी कृषि' एवं 'सहकारी ग्राम्य प्रबन्ध' की सिफारिश की है और भूमि सुधारों के लिए 'वेन्द्रीय संगठन' के निर्माण करने का उल्लेख किया है। योजना आयोग के विचार में उहकारी कृषि यमितियों की स्थापना होनी चाहिए और उनके अन्तर्गत एक दिये हुए न्यूनतम चैव से उस चैव न होना चाहिए। न्यूनतम चैव कितना हो यह परिस्थितियों पर निर्भर होगा।

उहकारी ग्राम्य प्रबन्ध (Cooperative Village Management) योजना द्वारा भूमि के उपविभाजन एवं उपखंडन की समस्या हल हो सकती है। इस योजना के अन्तर्गत किसी गाँव की सारी भूमि एक इकाई मानना पड़ेगा जिसका प्रबन्ध ग्राम पचायर के सुपुर्द होगा। सभी विधानों को उनकी भूमि के चेत्रकल के

अनुपाव से लाभ में भाग निर्धारित हो जाता है। योजना आयोग के मत में वह योजना उसी गाय म लागू करना चाहिए जहाँ पर कृषक भूमि के अधिकारी योनना के पक्ष म हों। वास्तव में यह योजना भा सहकारिता के सिद्धाव का ही एक रूप है। इस योजना को काय रूप म परिणित बरने के लिए यह आवश्यक है कि ग्राम पचा यर्ती को सरकार वी ओर से पथ प्रदशन, सहायता एवं प्रोत्साहन मिले। योजना आयोग के शब्दो म—

“इस प्रकार गाँव की सम्पूर्ण भूमि का सगठन सहकारिता के आधार पर होने से गाँव एक शक्तिशाली प्रगतिशील तथा अविकाश म राष्ट्रीय योनना का स्वयं शासित आवार बन सकेगा और वर्तमान सामाजिक तथा आर्थिक असमानतायें जो कि सम्पत्ति, जाति प्रथा एवं रुद्धियो से उत्पन्न हुई हैं, समाप्त हो सकती हैं।”

द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना में कृषि उत्पादन बढ़ाने के हेतु सहकारी खेती को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। इस विषय में आडुनिस्तम तथ्य प्राप्त हो सके, इसक लिये भारत सरकार ने एक सात सदस्यीय दल थी आर० क पाठिल की अध्यक्षता में चीन और जापान भेजा। दल की रिपोर्ट अभी हाल में ही जून १९५७ म प्रकाशित हुई है। इस दल ने निम्न शब्दो में सहकारी भविता का समर्थन किया है—

“सहकारी खेती न केवल छोटे किसानो के हितो सुरक्षित करेगी, वरन् उत्पादन बृद्धि भी करेगी।”

दल का बहुना है कि सहकारी खेती ने चीन को न खल एक आत्मनिभर देश बना दिया है, वरन् उसे प्रब एक निर्यात करने वाले देशो में भी प्रमुख स्थान रखने का गारं प्राप्त हो सका है। दल ने आगे जार वापा में १०,००० सहकारी कृषि समितियो क निर्माण की भी सिफारिश की है।

भूदान यज्ञ

आचार्य विजोन भावे द्वारा सचालित ‘भूदान आन्दोलन’ भी भूमि अपरस्था एवं भूमि सुधार समर्थी समस्याओं के दल करने के लिये उचित दिशा म प्रथम बदल है। आचार्य भावे की धारणा है कि अहिंसा एवं प्रेम से खड़े विद्वानो को समझा कर उनका हृदय परिवर्तन करन उनसे भूमि दान म लेकर भूमिहीनों को बाट दी जाय। इस आ दोलन द्वारा भी भूमि ना उपविभाजन एवं उपराइन कुछ सीमा तक रोका जा सकता है। दान में मिली हुई भूमि के छोटे छोटे टुकड़ो के युनिविरस में प्रत्येक व्यक्ति को भूमि यदि आर्थिक जोत के अनुसार दी जाय तो उपविभाजन एवं उपराइन की समस्या सुलभ सकती है।

उपसहार

उपर्युक्त विवेचन से दृष्ट है कि सरकार द्वारा किये गए प्रयत्न उचित ही हैं। इस समस्या को पूर्ण रूप से हन करने के लिए सरकार द्वारा चक्रवर्ती का प्रयत्न सराहनीय है, परन्तु केवल चक्रवर्ती ही आनापिक इसाइयों की व्यौधि नहीं है क्यों कि थोड़े समय के बाद भूमि पुन विभाजित एव संडित होने लगेगी। स्थावी चमा शन तो कास्तव म सहकारी खेती म ही निहित है। कुछ दिनों पहले एक सरकारी कृषि मण्डल श्री थापर वी अध्यक्षता में चीन गया था जिसने लिखा है—

कृषि और आविक विकास के द्वेत्र में चीन द्वारा इतने थोड़े समय में किये गये प्रयत्न सराहनीय हैं। पर उनकी कृषिक सफलताओं का मूल आधार सहकारी खेती है जिसने प्रति एकड़ उपत्त में उत्साहपूर्वक वृद्धि की है।

यह निश्चित है कि बानून द्वारा किसी सुधार को भी जनता के ऊपर नहीं थोपा जा सकता। बानून तो अबल सहायक के रूप में है। उपविभाजन एव उपलब्धन की समस्या भी बानून द्वारा हल नहीं की जा सकती। उहकारिता, जिसना आधार आपसी वेद, सद्भावना एव धदा है, एक मात्र अस्त है जिसके द्वारा कृषि एव भूमि-सुधार में स्थायी क्रान्तिकारी पारवर्तन लाया जा सकता है। सहकारी एव सम्मिलित खेती भूमि में व्यक्तिगत सम्पत्ति का बिना बलिदान किये नहीं पेमाने की खेती के लाभों नो समव बनाती है। विभिन्न राज्यों में इस दिशा में किये गये प्रयत्नों में असफलता का मुख्य कारण कृषकों की अग्निज्ञता एव रुदिवादिता रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि किसानों वो शिक्षित बना कर एव प्रचार द्वारा सहकारिता के लाभों को बताया जाय। गाँव समाज एव पचायत इस दिशा में बहुत कुछ कार्य कर सकते हैं। किसानों का हृदय परिवर्तन करके ही उनमें नवीन चेतना एवं जारीति का जन्म दिया जा सकता है। पनमर्दीय योजनाओं में सहकारी एव सम्मिलित खेती के कार्य कम के होने के कारण पूर्ण आरा है कि आज के शेशवावस्था के 'सहकारिता आनंदो लन' का भविष्य उज्ज्वल है और याप ही साय इपि नूमि की उपविभाजन एव उपलब्धन वी समस्या का समाधान।

कृषि पदार्थों का विक्रय

(Marketing of Agricultural Produce)

कृषकों की आर्थिक समस्या कुशल उत्पादन के अतिरिक्त इस बात पर भी बहुत कुछ निर्भर है कि उनको कृषि पदार्थों के विक्रय में उचित लाभ प्राप्त हो। वास्तव में भारतीय कृषक विक्रेता के रूप में बिलकुल ही अकुशल है जिसके परिणामस्वरूप उसको अपने परिश्रम का उचित पुरस्कार नहीं मिल पाता है। ऐसा अनुमान समाया गया है कि किसान को एक रुपये में बेचल ६२ आने ही प्राप्त हो पाता है और वार्षीय मध्यस्थी में बैठ जाता है। भारतीय कृषक की दरिद्रता एवं निर्धनता का मुख्य कारण उसका अनुशाल विकेता होना ही है। भारतीय कृषि ग्रामोंने टीक ही लिया है—

“जब तक सेत की उपज की विक्री की समस्या को पूर्णतया हल नहीं किया जाता, तब तक कृषि समस्या का हल अधूरा ही है।”

यह कहना बिलकुल ठीक ही होगा कि एक कुशल कृषक वही बन सकता है जो अपनी एक आंखि हल वी और रखता है और दूसरी चाजार पर। कृषि पदार्थों की विक्रय की समस्या भारत में कृषि की प्रमुख समस्या है। इस समस्या के मुलभूत जान पर कृषकों की आर्थिक समस्या एवं कृषि विकास समस्या है। कृषक घोर परिश्रम करने के बाद जो कुछ उत्पादन करता है उसके बेचने के समय तमाम मध्यस्थ अपश्वार में छिपे हुये घातक जन्तुओं की भाँति उस पर ढूढ़ पड़ते हैं और कृषक के पास बेचल जर्जर हड्डियों का टाँचा ही रह जाता है। भारतीय कृषक यशिद्वित होने के कारण जीवन के प्रत्येक दूर पर टगा जाता है। वह अपने दैनिक जीवन के उपभोग का

¹ “The prosperity of the agriculturists and the success of any country in general agricultural improvement depends to a very large degree on the facilities which the agricultural community has at its disposal for marketing.”

वस्तुतः अधिक मूल्य पर खीदता है और अपने कृषि पदार्थ सस्ते मूल्य पर बेचता है और इस प्रकार उसको दोनों ही ओर उ हानि उठानी पड़ती है। भारतीय कृषक अधिकारी एवं दरिद्रता के गहन अपराध में रहने के कारण और यातायात की पूर्ण एवं उचित नुस्खाओं के अभाव में किस प्रकार उ दुश्ल विक्रेता बन सकता है, सोन्हने वाली बात है। उचित रूप में लाभदाता कृषि पदार्थों के विक्रय पर ही भारतीय कृषक द्वा भाग निरन्तर है। इस विना कृषि विक्रान्त में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाना रुचल एक सुखद कल्पना ही रहेगी।

कृपकों के अकुशल विक्रेता होने के कारण अथवा विपणन के दोष

(१) कृपकों की
अकुशलता

In-efficiency of
Agriculturists

(२) अव्यवस्थित
विपणन प्रणाली

| | | | | |
|-------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|
| (क) अशिक्षा | (ख) शूषण प्रस्ताव एवं निर्धनता | (ग) अनार्थित बोर्ड | (घ) उचित उगठन का अभाव | (इ) दूषकों का विवरण |
|-------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|

| | | | |
|------------------------------|--|------------------------|---|
| (क) माल (ख) मध्यस्थी कोटि | (ग) (घ) खतियों के राधनों का अभाव | (इ) प्रमाणी का अभाव | (च) चाजार (छ) अस्त्रग यातायात का अभाव |
|------------------------------|--|------------------------|---|

कृषि पदार्थों के विक्रय में दूषकों से उचित लाभ न मिलने न दो सुखल कारण हैं—पथम दो भारतीय कृषक की स्वयं अकुशलता है और द्वितीय चाजार में उचित व्यवस्था का अभाव है। चाजार में व्यवस्था तो न होने से कारण दूषक उत्तर तरह चे ठगा जाता है और परियाम उत्तरा यह होता है कि उसको बहुत कम लाप्त मिल पाता है। विपणन के दोष निम्नलिखित हैं—

कृपकों की अशिक्षा—वास्तविक्ता तो यह है कि दूषकों की अशिक्षा एवं अगानका ही उनके दुश्ल व्यापार न होने का मुख्य कारण है। अशिक्षित होने के कारण वे जीवन के प्रत्येक पथ पर ठगे जाते हैं। उनको चाजार में प्रचलित नूलों का

जान नहीं रहता और न उनसे यही मालूम रहता है कि वस्तु को लाभवट मूल्य पर यहाँ बेचा जा सकता है। परिणामस्वरूप वे गाँज में ही अपनी उपज महाजनों या चनियों के हाथ बच देते हैं और चतुर बनिये वा महाजन न समझ ये भोजे भाल किसान जिनको यह नहीं मालूम हाता कि वस्तु का बाजार में वास्तविक मूल्य क्या है, भाव ताकरने में असफल रहते हैं।

मूल्यप्रस्तता—भारतीय कृषक अधिकार मूल्यप्रस्तता है। दरिद्रता एव सामाजिक रूढ़िया के दास हाने न कारण उनको मूल्य लेना पड़ता है। आमतौर पर यह मूल्य गाँज का महाजन वा चनिया देता है। यही महाजन घाद मृद्यि पदार्थों का कृप्य करता है। आमतौर पर यह देखा जाता है कि महाजन मूल्य देने पर किसानों की फसल गिरवीं रप्त लेता है या मूल्य की अदायगी में फसलें सहत मूल्य पर पहले से ही घटी रही रहता है। इस प्रकार यही किसानों वा कपी मधी का मुँद देने का चीमांग नहीं प्राप्त होता है। मूल्य होने के कारण किसान अपने महाजन को असुख भी नहीं कर सकते और अपनी फसल को सहत मूल्य पर बेचने के लिए चाह्य हो जाते हैं।

अनार्थिक जातें—भारतीय कृषक के खेत छोटे-छोटे एव बिलरे हुए हैं। वे सेनी नदुत छोटे पेमाने पर करते हैं। अपनी आवश्यकता से आधर इन किसानों न पास फसल दो चार छोड़ मन गल्ला ही भन पाता है। इतने योड़े से गल्ले के लिए किसान मटियों में मारा मारा फिरना नहीं पस द करता है। दूसरे, मटियों में इतना योड़ा माल ले जाने पर मांग में व्यव अधिक पड़ जाता है। अत कृषक यह पसन्द करता है कि फसल को गाव में हा बेच दे और अपना शम प्रथम समय बेकार में न छोड़ करे। यो० क्लाक व शब्दों में—

“The operations of the average farm are on too small a scale to warrant giving much time to marketing”

कृषक म उचित सगठन का अभाव—अशिक्षित होने के कारण किसान सहकारिता के लाभों से अनभिज्ञ हैं। प्रत्येक किसान अपनी योड़ी योड़ी फसल को अलग अलग बेचता है। दूसरी ओर सरीदार पूरी तरह सगठित होते हैं। योड़ी सी फसल बेचने पर अपने एक किसान उचित भाव-नाव नहीं कर पाता। यदि वे समझते हों तो सरीदार को विश्वास होने अधिक मूल्य देना पड़े इसके बहुत किसी दूसरे के गल्ला नहीं प्राप्त कर सकता। इसी आयोग के शब्दों में—

“His interests have in the main been left to the free play of Economic forces, and they have suffered in the process For he is an infinitely small unit as compared with distri-

butors and consumers of his produce who, in their respective field, become every year more highly organized and more strongly consolidated”

कृपनों की विवरणता—जगत्कों का अशिष्टा, दरिद्रता, झूलग्रस्तता एवं मूल्य बदलाव उनका पिंडशु पर देती हैं कि वे अपनी फसलों को बौने-पौने मूल्य पर बेच। निर्धनता के कारण कृपक उस समय तक अपनी फसल को नहीं रोक सकता जब तक कि वह उचित मूल्य प्राप्त धर सके। मूल्य का लगान एवं झूलग्रस्तता भी उनको उसी समय देना पड़ता है जब उनकी फसल तैयार हो जाती है और बटने लगती है। परिणामस्वरूप सभी विद्यान फसल बटते ही उसे बेचने के लिए बाज़ हो जाते हैं। ऐसे समय म अधिक पूर्ण होने पर बारण मूल्य बहुत गिर जाता है। प्रायः उनकी फसलें महाजनों के पास पहने से ही गिरती होती हैं। परिणामस्वरूप उनको अपने धम ना उचित पुरस्कार नहीं मिल पाता। इस प्रकार विद्यानों द्वारा अपनी फसल एक प्रति कून समय पर, प्रतिकून दर पर तथा प्रतिकूल बाजार में ही बेचना पड़ता है। इसके अतिरिक्त भारत में शादी विवाह भी उसी समय होते हैं जब फसल कट कर तैयार हो जाती है। विद्यानों को सामाजिक कार्यों के लिए नवद दूसरे की आपश्यकता पड़ती है। अतः इन विवरणताओं में फैसा हुआ दिसान बलात् अपनी उपज को सस्ते मूल्य पर बेच देता है।

माल की निम्न कोटि—अच्छे बीज एवं खाद के अभाव में ग्रनाव की किस अच्छा नहीं होती। वैदानिक कृषि न होने के कारण माल की दिस्त अच्छी नहीं रहती। फसलें उरह उरह का गीनारियों के कारण खराब हो जाती हैं। कमा कमी अधिक वर्षा के कारण, थोल पहने के कारण और बीटागुणों के कारण फसलें खराब हो जाती हैं। फसलें बटने के पश्चात् सलिहान में ही पही रहती हैं जिसकी यनह से धूल और करड़ इत्यादि मिल जाते हैं। दीमर, बुन और सीलन आदि वे भी फसल राखा हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त विद्यान कभी कभी निलावट भी कर देते हैं क्योंकि वे उपजनके हैं जिनका उचित मूल्य तभी प्राप्त हो सकेगा जब वे मिलावट करेंगे। माल की दिस्त अच्छा न होने के कारण उनको उन मूल्य मिलना स्वामायिक ही है।

मध्यस्थों की शृखला—यह दोष विषयन में सब से बड़ा दोष है जिसके कारण कृपक वो अपनी फसल वा ग्रहुत कम मूल्य मिल पाता है। कृपमें और अन्तिम उपजोक्ता के बीच बहुत बड़ी मध्यस्थों की शृखला है। ये सभी मध्यस्थ अपना अपना नुसारा ले रहे हैं। परिणामस्वरूप विद्यानों को बहुत थोका गा लाम बच पाता है और वे अपनी फसल का आधा मूल्य भी नहीं प्राप्त कर पाते हैं। बाल्लव न-

जिना परिव्रम के ही ये मध्यस्थ किसान की परीने की कमाई का बहुत बड़ा मांग हड्प कर जाते हैं। याभारणतया कृपक और उपमोक्ता के बीच में निम्नलिखित मध्यस्थ पाये जाते हैं—

उत्पादक कृपक

गाँव का चनिया

धूमता हुआ ब्यापारी

दलाल

अद्वितीया

थोक व्यापारी

फुटवर विक्रेता

उपमोक्ता

थौदोगिक आयोग के शब्दों में—

“गाँवों की फसलों की जो निकासी होती है उनकी विक्री में बहुत से अनावश्यक मध्यस्थी का समावेश रहता है, जो किसानों के अधिकांश लाभ को स्वयं हड्प जाते हैं, क्योंकि किसान निर्धनता और अशिक्षितता के कारण अपनी फसलों को भंडी में ले जाकर बेचने में असमर्थ होते हैं। यह शोचनीय अवस्था मुख्यतः विहार, बंगाल एवं उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से पाई जाती है।”

वेन्ड्रीय सरकार द्वारा नी गई जांचों से स्पष्ट होता है कि गेहूं की विक्री में एक रुपये के मूल्य में से किसान दो फेवल सबा आठ आने और बायल की विक्री में सबा नौ आने प्राप्त होता है। इसी प्रकार अन्य वस्तुओं में भी किसान को वस्तु के मूल्य का लगभग आधा भाग ही मिल पाता है।

यातायात के साधनों का अभाव—भारत में रेलों एवं लड्डों की व्यवस्था अपर्याप्त है। आज भी बहुत से ऐसे गाँव हैं जहाँ पर वर्षा झूम में दूसरे स्थानों पर आना जाना बठिंग समस्या बन जाता है। वर्षा झूम में बच्ची सड़ों पर दलदल हो जाता है और बैलगाड़ा जो केवल माल ढोने का साधन है बेकार हो जाती

है। ऐसे भी सङ्करों में मडे बडे गढे आदि होने के कारण मटियों में माल ले जाने में उम्ही असुविधा रहती है। इसाये पर पैलगाड़ी का माल बहुत अधिक बैठ जाता है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि माल ले जाने का खर्च कुल मूल्य का २० प्रतिशत होता है। परिणाम स्वरूप समय एवं कष्ट को बचाने के लिये कृपक यह अच्छा एवं सामग्री समझा है कि फरल को गाँव में ही बेच दे। रामल कृषि आयोग के शब्दों में—

“यातायात के दो प्रमुख साधनों के कारण हा बहुत से मध्यस्थों का अस्तित्व हो गया है जो किसानों को अपनी उपज का ठीक मूल्य नहीं मिलने देते।”

भारतीय कृपक द्वारा द्वारा मटियों तक प्रश्नों योड़ी-यो फरल पहुँचाने की क्षमता नहीं कर पाता है और गाँव में ही सत्ते मूल्य पर बेच देता है।

खत्तिया का अभाव—भारतीय कृपकों द्वारा अपनी फसल द्वारा बाटने के उपरान्त तुरन्त सत्ते मूल्य पर बेच देने के लिये इसलिये भी विनाश होता है क्योंकि उनके पास ऐसा बाई स्थान नहीं होता है जहाँ पर फउल सुरक्षित रूप से रखती बास कर। प्राय रिसानों के मरनाने इच्छे होते हैं जिनमें सीलन होना स्वाभाविक ही है। वहा ज़रुर तो और भी अधिक सीलन का डर रहता है। प्राय रिसान कोठियों (छोड़ी कोड़ी) में भूखा अथवा नीम की पत्तियां पर ग्रनाज इकट्ठा करते हैं। इन कोठियों में अन्धमार एवं चूहों द्वारा साम्राज्य रहता है। इन कोठियों में अनाज सालन के कारण यारान हो जाता है और चूहों द्वारा तथा बुन और दीमक द्वारा श्रलग चंगांद होता है। ऐसी दशा में भारतीय कृपक तुरन्त माल बेच देना हितवर रामझता है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि खत्तियों के अभाव में सीलन और कीड़ों द्वारा भारत में प्रति वर्ष ३ लाख टन गेहूँ गाँव म ही नष्ट हो जाता है।

प्रनालीस्तरण एवं श्रेणीकरण का अभाव

(Absence of Standardization & Gradation)

विक्रय की कृशलता का लिए यह प्रावश्यक है कि माल को विभिन्न श्रेणियों में किसी न अनुसार नाटा जाय और प्रामाणीत रिसम निपारित नी जाय। भारतीय कृपक प्रमाणीकरण एवं श्रेणीकरण से अननिय दोनों ही फसलें शामिल होती हैं, एक ही देर में बेचता है। जिन श्रेणीकरण के कारण वाले मूल्य कम मिलना स्वाभाविक ही है क्योंकि माल की किसी अन्धी नहीं हो पाती है। इसके अतिरिक्त उन रिसानों द्वारा जिनकी फसल में किसी प्रभाव की मिलायट नहीं होती है वही मूल्य मिलता है जो उराव

फसल वाले कृषकों को। प्रमाणीकरण से मूल्य निर्धारण में भी बड़ी सुविधा होती है क्योंकि प्रत्येक किस्म का अलग अलग मूल्य होता है। विदेशों में भी विभिन्न किस्म के नमूने मेज़ेकर एवं ही निर्धारित किस्म का माल भेजा जा सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारत का माल की साल न होने का कारण यही है कि यहाँ पर श्रेणीकरण का अभाव में भिलवा माल भेजा जाता है। यही कारण है कि सभी उन्नतिशील राष्ट्रों ने प्रमाणीकरण एवं श्रेणीकरण को अपनाया है।

बाजार सम्बन्धी सूचनाओं का अभाव

किसानों की अज्ञानता ही गाँव के व्यापारी द्वारा उनके ठगे जाने का मूल कारण है। किसानों को देश की विभिन्न मणिडियों के प्रचलित मूल्य नहीं मालूम रहते। जो भी चानार सम्बन्धी सूचना उनको प्राप्त होती है वह गाँव का व्यापारी जो खुद माल खरीदता है देता है। अशिक्षित होने के कारण समाचार पत्र भी उनके लिए उपयोगी नहीं होते। ऐसी दशा में जो कुछ भी गाँव का व्यापारी वह देता है वह किसानों को मान्य होता है। गाव का व्यापारी चालाक होने के कारण ऐसा व्यवहार करता है जिससे वह प्रतीत होता है कि वस्तुओं का मूल्य बहुत गिर गया है और वह खरीदने में असमर्थ है और इस प्रकार कृपक उसके जाल में फँस कर फसल को सस्ते मूल्य पर नेच देता है।

असगठित बाजार

असगठित बाजार वे बाजार कहलाते हैं जिनमें किसी प्रकार का सरकारी या अन्य नियन्त्रण नहीं रहता है। ऐसे बाजारों में व्यापारी अपनी इच्छानुसार भावनाओं एवं तौल इत्यादि की बातचीत करता है। बेइमानी करने में रोक की कोई व्यवस्था नहीं होती है। यदि कभी रिलान बाजार में माल बेचने ले भी जाता है तो वहाँ पर सुरी तरह ठगा जाता है। भारत में नियन्त्रित बाजारों का अभाव है जिसके कारण बाजारों में प्राय निम्नलिखित दोष पाय जाते हैं जिनसे किसानों को मरही में माल बेचने पर बहुत ही हानि उठानी पड़ती है जिसके कारण वह गाव में ही माल बेचना पस्त द करता है।

(क) तौल एवं वाँटों की विभिन्नता—बाजारों में तौल एवं वाँटों की बहुत अधिक विभिन्नता पाई जाती है। कृषि आयोग के अनुसार पूर्वी यानदेश के १६ जिलों में से १३ जिलों में १ मन की तौल २१२२ सेर से लगाकर ८० सेर तक की है। केन्द्रीय काशा समिति ने जाँच करके पता लगाया था कि यानदेश में गहू तौलने और चीनी तौलने के मन विभिन्न बजन के थे। इसके अतिरिक्त बाजारों में कथ के लिए अलग और विक्रय के लिए अलग बाँट रखने जाते हैं। यही नहीं बाँट

लकड़ी, पत्थर, लोहे आदि के दुमड़ों क होते हैं। २ मन ४० सेर से लेकर ५५ सेर तक पाया जाता है। कृपक इन तौलों में विभन्नता के कारण टगा जाता है।

(ए) कम तौल एवं डड़ी मारने की प्रथा—हौलने वाले लोग व्यापारियों के यहाँ रहते हैं। अत वे उहाँ का पक्ष लेते हैं और गल्ला तौलते समय डड़ी मारकर अधिक गल्ला तौलते हैं। कभी कभी वे तगानूँ क पक्ष की नीचे चुम्बक या गोद लगा देते हैं जिससे हर बार उहाँ गल्ला अधिक मिल जाता है और भोला भाला किसान इनसे अनभिज्ञ रहता है। परीदने वाले बाँट भी व्यापारियों के यहाँ अधिक बजने के रहते हैं। परिणामत्वल्प कृपक कुरी तरह टगा जाता है।

(ग) दलाल एवं अढतिया—दलाल लोग किसानों को लालच देकर फसाते हैं और ये लोग अढातरों से मिले रहते हैं। दलाल एवं अढतियों का पार स्वरिक सम्बंध होता है क्योंकि उनको बाजार में प्रत्येक दिन रहना पड़ता है। दलाल लोग फसल या मूल्य कृपश्वों से कम्हे की आँड़ में तै बरते हैं। प्राय मूल्य तो दलाल और अढतियों क बीच तै होता है जिसका ज्ञान किसान को बिनकुल ही नहीं हो पाता। दलाल सदैव अढतिया या पक्ष लेता है और इसलिए किसान भी उचित मूल्य नहीं मिल पाता। इसके अतिरिक्त दलाली ने रूप में और दूसरा भी किसान को देना पड़ता है।

(घ) घ जार के प्रचलित रीति रिवाज—बाजारों में बहुत से रीति रिवाज बना रखे गये हैं जिनसे किसानों को और भी तुक्राना उठाना पड़ता है। ये रिवाज निम्नलिखित हैं—

(1) नम्रू—नम्रू के लिए किसानों को गल्ला देना पड़ता है जो कई लोगों के दिलाने के बहाने दलाल याकी मात्रा में ले लेता है। इसका कुछ भी मूल्य किसान को नहीं मिलता है।

(ii) करदा—अनाज तुल जाने के बाद में कुल बजन में से कुछ बजन किसानों को इसलिए कम करना पड़ता है कि उनका अनाज में मिलावट है और गर्दा या कङ्कङ्क है। यह एक रिवाज है जो हमें मिलावट हो या न हो कृपक को करदा के रूप में छूट दिनी ही पड़ेगा। अनाज तुल जाने के बाद यदि कृपक इन्कार भी कर दे तो उसको माल के पुन लदवाने में भी और दूसरा बरना पड़े। इसलिए वह करदा देना ही पसन्द करते हैं और नाहर पाया उठाता है।

(iii) पिभिन्न कर—मरवी याने पर किसान को बहुत स बर भी देने पड़ते हैं जिनका रिवाज है। उच्चे पहले शहर में बुझने पर कुछ ही देनी पड़ती है। फिर बाजार में आने पर बेचने के दृथान का किसाना, पल्लोदारी, तुलाइ, दस्तूरी, प्याज इत्यादि को भी कुछ न कुछ देना पड़ता है। इसके अतिरिक्त खर्मादा के नाम पर

मन्दिर, गोशाला, अनाधालय, पाठशाला आदि के लिए भी चन्दा देना पड़ता है। भगी, मुनीम, चीरीदार, भिसारी इत्यादि के लिए भी करीती की जाती है। किसान र ब्रह्मेला और भोला भाला होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति मण्डी में कुछ न कुछ लेने पा प्रथम करता है और किसान ठगा जाता है। इस प्रकार खरीदार के लिए किसानों पर लाद दिये जाते हैं और किसानों को उन बातों ने लिए भी इन्हा देना पड़ता है जिससे वह कुछ भी लाभ नहीं उठाता है। दृष्टि आयोग ने ठीक ही लिया है—

“बाजारों में प्रचलित बहुत से खिलाफ तो सुली चोरी से कम नहीं है।”

दोपा के दूर करने के उपाय

वस्तुओं का विकल्प एक बला है। इसके इस बला में तभी प्रवीण हो सकते हैं जब उनमें उच्च शिक्षा से व्यवस्था से जाय। बास्तव में अशिक्षा ही किसानों श्री अकुशलता का मुख्य कारण है। अत शिक्षा का प्रसार अत्यन्त आवश्यक है। अन्य उपाय निम्नलिखित हैं—

(१) यातायात के साधनों में विस्तार

(२) प्रमाणीकरण एव श्रेणीकरण की सुविधाएँ

(३) उचित साख की व्यवस्था—बास्तव में नियान वे द्वारा महिलों में फसल न बेचने का कारण यह है कि कृजदार होने के कारण वह महाजन एव भनियों द्वारा दास घना रहता है। इसने अतिरिक्त धनाभाव के कारण उसको अपनी फसल पाटने के बाद तुरन्त ही कम मूल्य पर बेच देना पड़ता है। ऐसे समय में पूर्ति अधिक होने के कारण मूल्य तो कम रहता ही है, महाजन या गाँव का बनिया व्यापारी नियानों के गरजमन्द होने का और भी लाभ उठाता है। साप की उचित व्यवस्था से नियान महाजनों के चुगल से नियुक्त रहता है और फसल को कुछ समय तक रोने की ज़मता प्राप्त कर सकता है जिससे उसे अधिक मूल्य प्राप्त होने की सम्भावना रहती है।

(४) मध्यस्था का अन्त

(५) समठित बाजारों की स्थापना—इसके लिए सरकार द्वारा नियन्त्रण की आपश्यकता है। वे सभी रीति रिमाज जो बाजार में प्रचलित हैं, नियन्त्रित बाजार में रख दी जायें। कम तीनाई, ताटों में रिमिन्नना एव डडी मारने आदि की धर्ती बाजी भी रख दी जायें। इस प्रकार बाजारों में फैली हुई अन्वेशगार्दा एव अनियंत्रिता भी अन्त हो जायगा।

(६) वाँट एव तोलो का सरकार द्वारा प्रमाणीकरण एव बाजारों में लागू करन की व्यवस्था और नियन्त्रण।

(७) बाजार सम्बन्धी सूचनाओं की व्यवस्था—सरकारा द्वारा रेडियो से अपवा समाचारपत्रों द्वारा यह व्यवस्था की जा सकती है।

(८) माल की किसम में उन्नति की व्यवस्था—यह अच्छे बीज एवं बैजनक कृपि वी व्यवस्था द्वारा पूर्ण किया जा सकता है।

(९) अन्न भंडारों तथा गोदामों की व्यवस्था—भारत में सग्रह की दुर्बवस्था के कारण आब भी दिसान अपने भोजपदों में, कोठियों में, खादरों और कनातों आदि पुराने सग्रह करने के तरीकों को अपनाये हुए हैं। उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि कृपक अपनी फसल को शीम्रता से विक्रय न करके अच्छे भावों की प्रोत्ता करे। उसके लिए यह एवं भडार की व्यवस्था बाढ़नीय है। अनाज सग्रह करने के सुधरे हुए बैजनिक तरीकों द्वारा उस राष्ट्रीय हानि को रोका जा सकता है जो सग्रह के निकूट तरीकों के कारण भारत में प्रतिवर्ष लगभग ३२ लाख ५ हजार दन अनाज के रूप में होती है। वास्तव में गोदामों से अन्य साम भी होते जो निम्नलिखित हैं—

(१) फसल के सग्रहण की व्यवस्था वरके बाजार भावों के होने वाले हासि को रोका जा सकता है।

(२) उपर्युक्त माल पर अन्न प्राप्त करने में सुविधा रहती है। गोदाम रखीदे द्वारा कृपक अपनी साल का विस्तार कर सकते हैं।

(३) व्यापारी लोग गोदाम में ही कृपि पदार्थों वा क्रय कर लेते हैं जिससे यातायात व्यव व उटा-धरी व्यव में मित्र्ययता होती है।

(४) गोदामों से नेवल उपच को नष्ट हीने से ही नहीं बचाया जाता, अपितु नियंत्रित रुपिये, शुद्धकरण, चर्मीकरण, सुखाने की व्यवस्था, भरने की सुचधा, परिभरण इत्यादि की सुविधाओं भी प्राप्त हो सकती हैं जिससे विपणन अच्छे मूल्यों पर छिपा जा सकता है।

(१०) सहकारी विपणन-समितियों का विकास

श्री एफ० पलवर्ट के शब्दों में—

“सहकारिता एक प्रकार का सगठन है जिसमें लोग स्वेच्छा पूर्वक, मनुष्य के रूप से अपने समाजका के अधार पर अपर्ती अर्थिक अपराश्वकलाओं की पूर्वि के लिये सहयोग करते हैं।”

वास्तव में सहकारिता ही निर्धन, दुर्बल एवं शक्तिहीन कृपक के पास मूल अख है जिसके द्वारा वह धनी, समन एवं चतुर लागी पर निजय प्राप्त वर सकता है। ‘एकता में बल है’ इसमें दोई सन्देह नहीं। सहकारी-कृपि समितियों द्वारा कृपक अपनी फसल की विक्री में लम्बी मध्यस्थी वी शुल्क वौझर उपभोक्ता से

चीधा सम्पर्क स्थापित करने में सफल हो सकता है। इन समितियों द्वारा विषयन के बहुत से दोष दूर किये जा सकते हैं और कृषकों को अपने परिश्रम का उचित पुरुषकार मिल सकता है। महाजन के पाजे से छुटकारा पाना ऐसे सहकारिता के बल पर ही निर्भर है। सहकारी कृषि समितियों से कृषकों को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होगे—

(क) भावनाव करने की ज़मता में घृद्धि—जब सभी कृषकों की फसल अमितियों द्वारा बेची जाती है तो गाँव का व्यापारी ऐसे इन्हीं समितियों द्वारा ही अनाज खरीद सकता है। इन समितियों के हाथ में उच की सब पूर्ति होने के कारण गाँव का व्यापारी उचित मूल्य देने के लिये मजबूर हो जाता है।

(ख) साख का प्रबन्ध—इन समितियों द्वारा दैनंदिन समितियों के फसल के आधार पर शूण आवासनी से मिल जाता है और न्याज की दर भी उचित होती है। प्रत्येक किसान जो इन समितियों का सदस्य होता है, शूण ले सकता है। परिणामस्वरूप महाजनों के पाजे से छुटकारा मिल जाता है।

(ग) कम खर्चे पर मंडियों से सम्बन्ध—महाजारी समितियों के पास अधिक मात्रा में फसल होने के कारण टूँ या रेलों का उचित उपयोग फसलों को मढ़ी तक ले जाने में किया जा सकता है। प्रत्येक किसान अनग-अलग अपने माल को टूक द्वारा नहीं भेज सकता करोकि थोड़ा माल भेजने में ले जाने का सर्वा अधिक चैतता है। समितियों के पास गलता अधिक होने के कारण यह समव हो जाता है कि योक्ता व्यापारी से सीधा सम्पर्क स्थापित किया जा सके।

(घ) प्रमाणीकरण एवं श्रेणीकरण में सुविधा—समितियों के पात्र अधिक मात्रा में अनाज इस्टूडा होने के कारण प्रमाणीकरण एवं श्रेणीकरण भी सुविधाजनक हो जाता है। इस सुविधा के कारण मान का उचित मूल्य तो प्राप्त होता ही है, और साथ ही साथ करदा इत्यादि जो कटीतियाँ होती हैं वे भी समाप्त हो जाती हैं। इसके अलावा दूर की मंडियों में नमूने के अनुसार चिह्नी सभप्र होने के कारण माल को उस मढ़ी म बेचने की सहायता होती है जहाँ पर वस्तु का मूल्य सबसे अधिक हो।

उपर्युक्त लाभों के अतिरिक्त एक लाभ यह भी होगा कि सहजारी समितियों फसल को सुरक्षित रखने के लिये अच्छे गोदामों का निर्भय वर्ग सकती है जो एकाकी किसान नहीं करा पाता और इस प्रकार वस्तु की पूर्ति पर नियन्त्रण रखता जा सकता है। पूर्ति के नियंत्रण के कारण अधिक मूल्य भी प्राप्त हो जाता है।

सरकार द्वारा प्रयत्न (Government Measures)

सरकार द्वारा भी विपणन की समस्या हल करने के लिये विभिन्न उपाय किये गये हैं जिनका विवरण निम्नलिखित है—

(१) विपणन विभाग की स्थापना—भारतीय कृषि आयोग ने यह सिफारिश की थी कि कृषि विभाग में तुळु विपणन अधिकारियों (Marketing Officers) की नियुक्ति की जानी चाहिये, मिन्तु आर्थिक कठिनाइयों के नाम प्राप्तीय सरकारे इस पर अमन नहीं कर सकते। परन्तु भारत सरकार ने कृषि विपणन के महत्व को समझ कर इस सिफारिश पर अमल करने का द्रष्टव्य किया। यह सोचा गया कि ऐसे व्यापक वर्कशॉप को जो अन्य देशों में कृषि विपणन का अनुभव रखता हो तुळु समय न लिये इस कार्य पर नियुक्त किया जाये और उसके लिये तुळु सहायक अधिकारियों की भी नियुक्ति हो। परिणामस्वरूप १ जनवरी १९४५ वो दिनी में भारत सरकार ने कृषि विपणन सलाहकार इ. कार्यालय की स्थापना हुई। इस दफ्तर में अब कृषि विपणन सलाहकार, सहायक कृषि विपणन सलाहकार, तीन सीनियर विपणन सलाहकार, चार विपणन अधिकारी, एक सुरक्षाइकर और सोलह सहायक विपणन अधिकारी हैं। विभिन्न राज्यों में अलग अलग विपणन विभाग हैं। जिन राज्यों में डॉन विपणन अधिकारी नहीं होता वहाँ उसका कार्य कृषि सचालक करता है।

विपणन विभाग के निम्नलिखित कार्य हैं—

(क) विपणन संघर्षी निराकरण करके रिपोर्ट प्रकाशित करना—विपणन विभाग उत्तराधिकारी, विदर्शण, शक्ति अपराध, निष्कासन, एकीकरण, नूल्य एवं विस्तों के बारे में निरीक्षण बरता है और रिपोर्ट प्रकाशित बरता है। ऐ द्वारा विभाग ने १९३७ तर लगभग १६० स्थानीय विपणन नियंत्रण दर लिये थे। रु. १६४५ म. मटर, मेघी, गामा चा फूल, डमाठर, दाले, हड्डीयों और तुळु अन्य वस्तुओं के विपणन के नियंत्रण किये गये परन्तु उनकी रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई।

(ख) वस्तुओं का प्रमाणीकरण—इस विभाग द्वारा कार्य विभिन्न वस्तुओं के नमूने इस्टा करक उनका विश्लेषण करना है। १९३८ में शक्ति, लाय और मखबन के विश्लेषण पर अधिक बोर दिया गया था। १९३७ में वस्तु के ग्रेड, प्रकार और वित्त के प्रमाप को निश्चित करने के लिये Agricultural Produce Grading & Marketing Act बना। इस अधिनियम के अन्तर्गत कृषि विपणन सलाहकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह ऐसे व्यक्तियों

को स्वामित्व के सटीकिके उपलब्ध करने के लिये वैयाक होते हैं। इस वानून द्वारा अब फल, सब्जियाँ, चमड़ा, दूध, दही, घी, तमाकु, काझी, आटा, तिलहन, बनस्पति तेल, बड़, चावल, गेहूँ, लाख, गुड़, हर्द बहेड़ा, ऊन, इत्यादि वस्तुओं का थेणीकरण एवं प्रमाणीकरण किया जाता है। प्रत्येक थेणीकृत वस्तु पर आग मार्फ़ा मुहर लगा दी जाती है। अनुमान लगाया गया है कि प्रति वर्ष लगभग १२ करोड़ रुपयों की वस्तुओं का रसायनिक विश्लेषण एवं थेणीकरण और प्रमाणीकरण किया जाता है।

(ग) वाजार सम्बन्धी सूचनाओं को प्रसारित करने की व्यवस्था—आजकल दिल्ली राडियो स्टेशन से वाजार की साताहिक राग्रें प्रसारित की जाती हैं जो हापुड़ मरडी में विभिन्न वस्तुओं के मूल्य जाती हैं। बलकहा दे भी रेडियो द्वारा भाव सम्बन्धी सूचना प्रसारित की जाती है। उम्हइ से सोना, चाटी, गेहूँ, अलसी मूँगफली आदि के भाव बताये जाते हैं। यह वार्षिक कन्दीय सरकार के बजाए विभाग द्वारा होता है।

(घ) कुपि एवं औद्योगिक प्रदर्शनियाँ का आयोजन—इन प्रदर्शनियों में यह विभाग अपना वाय प्रिवरण प्रत्युत करता रहता है। प्रमाणीकरण एवं थेणीकरण को भी प्रदर्शित किया जाता है।

(२) तौल और वांटा में सुधार—जांटों और तौलों में विभिन्न स्थानों पर उमानता लाने के लिये भारत सरकार ने सन् १९३६ में प्रमाणित तौल विधान (Standards Weight Act) पास किया। यह अधिनियम १ जुलाई १९४२ से सम्पूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। बग्गड़, तिहार, मध्यप्रदेश, हैदराबाद, मैसूर एवं पटियाला राज्य में वानून द्वारा प्रमाणित तौलों को प्रनिवार्य कर दिया गया है। योजना आनोग का नुस्खाव है कि ग्रन्ड राज्यों में भी इसी अनिवार्य रूप से लागू कर देना चाहिये। मेट्रिक प्रणाली (Metric System) को भारत में लागू की जा रही है तौल के लिये अत्यन्त लाभनाशी सिद्ध होगी।

(३) नियन्त्रित मण्डियों की स्थापना

नियन्त्रित बाजारों की द्यावना सर्वप्रथम बरार म १८८७ ई० में की गई थी। इसके बाद मायप्रदेश, मद्रास, हैदराबाद, मैसूर, ग्वालियर, बड़ौदा आदि राज्यों में की गई। सम्प्रदेश में रुई के लिये नियन्त्रित बाजारों की संख्या १९४८ में ३६ थी। उत्तर प्रदेश, पंजाब और बग्गड़ में भी बाजारों ना नियन्त्रित सचालन किया जा रहा है। पूर्ण पंजाब में ५८, हैदराबाद में ४२ और ग्वालियर में १६ नियन्त्रित मण्डियाँ हैं। इस समय आप्र प्रदेश, बग्गड़, मैसूर मध्यप्रदेश, उड़ीसा और पंजाब में ५३२ मण्डियाँ

काम कर रही हैं। कुछ मटियों में तो किसानों के ठहरने के लिये विश्रामघर और खाने-पीने की चीजों की दूसानें भी बनायी गयी हैं। इन मटियों की मुख्य विशेषताएँ निम्न लिखित हैं—

(१) इन मटियों का प्रबन्ध केनाओं और विक्रेताओं के प्रतिनिधियों की एक समिति द्वारा होता है। ये समितियाँ तौल, माप तथा कटीतियों पर नियन्त्रण रखती हैं और कृषकों की दलालों से रक्षा करती हैं।

(२) प्रत्येक मध्यस्थ, दलाल, तौलने वाले वो समिति द्वारा अपना पंजीयन (Registration) कराकर अनुज्ञा पत्र (Licence) प्राप्त करना आवश्यक होता है। अनुचित रार्याही पर दण्ड की व्यवस्था होती है।

(३) केताओं और विक्रेताओं के बीच झगड़ों का निवारण भी समिति ही करती है।

(४) तौलाई, चुगी एवं बाजार के अन्य कर मढ़ी समिति द्वारा निर्धारित किये जाते हैं। अन्य प्रकार के अनिर्धारित व्यय कृषकों से कोई भी नहीं ले सकता।

उपर्युक्त सुविधाओं के बारण कृषक इन मटियों की ओर त्वय आकृष्ट होकर अपना माल बेचने आते हैं। पहले केवल १० प्रतिशत रियान ही अपना माल खुद बेचने जाते थे, अब मटियों में आने वालों में ६० प्रतिशत ऐसे होते हैं जो अपना माल लाकर वहाँ बेचते हैं। मध्यी खर्च में भी २८ से ६८ प्रतिशत तक कमी हो गई है। फलस्वरूप किसानों द्वारा यहाँ माल बेचने से प्रति चैकड़ा २ रु० से ५ रु० तक और मुकाफ़ा होने लगा है।

(४) गोदामों की सुविधाएँ

केन्द्रीय सरकार ने सन् १९४४ में गोदाम सचालक विभाग की स्थापना की थी जिसका कार्य सग्रह करने की वर्तमान अवस्थाओं और भविष्य के लिये सुकाद देने, सग्रह करने की पद्धतियों की सूचना देने, प्रान्तीय सग्रह अधिकारियों को शिक्षा देने आदि रा है। इस विभाग द्वारा कई लाय टन अनाज सग्रह करने के लिये बमर्द, पिण्डगारह, कोयम्बेहूर तथा नधप्रदेश और उड़ीसा में बड़े-बड़े गोदाम बनवाये गये हैं।

सरकार द्वारा नियुक्त ग्रामीण मूल्य रेंजेण्ट उन्निति द्वारा दी गई प्रतिवेदना में गोदामों के विषय में बहुत सुझाव रखे गये थे, जिन्हें सरकार ने मान्यता प्रदान की और आज देश में उसी के अनुसार कार्य किया जा रहा है। उन्निति के सुझाव के अनुसार सरकार ने “रूपी उपज (विकास और गोदाम) निगम अधिनियम

सन् १९५६” पारित किना जिसके अन्तर्गत नेंद्रीय गोदाम निगम व राष्ट्रीय सहकारी विकास और गोदाम बोर्ड की स्थापना की गई। इस अधिनियम की मुख्य घटावें निम्न हैं—

(१) राष्ट्रीय सरकारी विकास और गोदाम बोर्ड व्य स्थापना की जाय, जिसमें यह अधिकार होगा कि उह बड़े पही भूमि पर अधिकार करे और गोदामों की गृहलाला देश म खोलने में सहयोग दें।

(२) इस बोर्ड के १० सदस्य हैं, जिसमें नेंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि, चायदा विपणन आयोग के समाप्ति, रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि, राष्ट्र बैंक के प्रतिनिधि व नेंद्रीय सरकार द्वारा अविकृत अधिकारी गण उपके सदस्य होंगे।

(३) बोर्ड के कार्यों में सहकारी विपणन समितियों के साथ ही गोदामों की वोबना ननाना, उत्पादित माल का पारखरण, विक्रय व्यवस्था वा भी भार ढौंपा गया है।

(४) कन्द्रीय सरकार ५ करोड़ ८० की (Non-recurring) सहायता देगी व ५ करोड़ ८० की (Recurring) सहायता ५ वर्ष तक देती रहेगी। बोर्ड क दो बोर्ड होंगे (अ) राष्ट्रीय सहकारी विकास बोर्ड और (आ) राष्ट्रीय गोदाम विकास बोर्ड। पहले में ३ करोड़ व दूसरे में २ करोड़ रुपयों का बोर्ड होगा।

(५) कन्द्रीय गोदाम निगम की स्थापना २ मार्च सन् १९५७ को हो गई है। इस निगम की अधिकृतम पूँजी २० करोड़ रुपये वी होगी और १ हजार रुपयों के २ लाख अशु होंगे। निगम क १४ सचालक होंगे। निगम क अनेक कार्यों में से एक दूसरी पञ्चपर्याय योजना में देश भर में १०० गोदामों की एक गृहलाला स्थापित करना व प्रत्येक राज्य में राजकीय गोदाम निगम खोलने में सहायता देनी होगी। राज्य निगम राज्यों म २५० गोदामों की स्थापना करेंगे। निगमों के उत्तरदायित्व में गोदामों के लिये भवन निर्माण, कृषि उत्पादन के लिये व्यवस्था करना, खाद, औजार व वीज के भवठार वी व्यवस्था करना व ग्रामीणों को मूल्य इत्याद प्रत रखाने में सहायता करना इत्यादि कार्य समिलित हैं। राज्य गोदाम निगम नेंद्रीय निगम जे निर्देशन के अनुकार कार्य करेंगे। राज्य निगमों की अधिकृत पूँजी २ करोड़ ८० से अधिक नहीं होगी। राज्य गोदाम निगम सम्बन्धित राज्यों म सहकारी समितियों के प्रियत कार्य के साथ ही गोदामों के विकास कार्यों को भी सम्प्रिलित रूप से विकसित करेंगे। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने अभी हाल में ही ऐसे निगम की स्थापना की है।

द्वितीय पञ्च पर्षीय योजना में कार्बेक्रम

वर्तमान समय में देश में गोदामों की व्यवस्था बहुत ही शोचनीय है, परन्तु किर भी सरकार के प्रयत्नों से २ लाख १० हजार टन अब उप्रह करने के लिये गोदाम बनाये जा चुके हैं परन्तु गोदामों का विस्तार गाँवों में भरना अत्यन्त आवश्यक है। यह कार्य सरकार न जनता दोनों के सहयोग से ही सम्पन्न हो सकता है। योजना आयोग ने गोदामों की व्यवस्था के लिये द्वितीय पञ्चपर्षीय योजना में निम्न लक्ष्य रखे हैं—

(१) १०० गोदामों का निर्माण, जिनकी क्षमता १० से २० हजार टन तक की होगी। ये केन्द्रीय निगम द्वारा स्थापित किये जायेंगे।

(२) २५० गोदाम, राज्य गोदाम निगमों द्वारा, जिनमें प्रत्येक की सप्रहण क्षमता २ हजार टन तक की होगी, स्थापित रिये जायेंगे।

(३) १५०० विषयन समितियों के गोदाम व ५ हजार बड़ी समितियों के गोदाम भी स्थापित किये जायेंगे।

इस प्रकार उपर्युक्त योजना के अनुसार देश की सप्रहण क्षमता ४० लाख टन तक हो जायगी। केन्द्रीय गोदाम निगम की प्रथम सचालक सभा थी पी० एन यार की अध्यक्षता म २१ मार्च १९५७ को रुद्दी थी। इस तमा ने इस बष के लिये २२ गोदामों की व्यवस्था भी तैयार कर ली है।

(५) सरकार द्वारा सहकारी विषयन समितियों को प्रोत्साहन—विभिन्न राज्यों में इस प्रकार की सहकारी समितियों की स्थापना की गई है। बम्बई राज्य में १९३८-३९ के पश्चात् सहकारी-विषयन समितियों ने कासी प्रगति की है। सन् १९३६ में इनकी संख्या ६४ भी परन्तु १९५६-५० में ३४४ हो गई। सन् १९४८-५० में इन समितियों ने २०३२ ०५ लाख रुपयों की विक्री की। गुजरात व खानदेश में कपास की विक्री कर लिये इनकी स्थापना हुई है।

उत्तर प्रदेश और विहार राज्यों में गन्ने की विक्री के लिए सहकारी समितियाँ उत्तोषजनक कार्य रख रही हैं। उत्तर प्रदेश में विद्युते १० वर्षों में लगभग १६,००० गन्ना सहकारी समितियाँ स्थापित की जा चुकी हैं। चीनों के कारखानों को जितना गन्ना मिलता है उसका ८५ से ६० प्रतिशत मात्र इन समितियों द्वारा ही दिया जाता है। इन समितियों द्वारा दिये गये १६४८ ४८ से १६५१ ५२ ई० तक ५० लाख टन गन्ने का मूल्य २५ करोड़ रुपये था। यह सफलता 'Sugar Factory Control Act' में दी गई सुविधाओं के कारण हो सकी है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश म सन् १९४२ में गैट्स, तिलहन, दालें, चम्बाकू आदि के विषयन के लिये ११६

समितियाँ थीं और धी के विक्रय के लिये ७२७ समितियाँ थीं। चन् १९४६-५० में ६३० धी समितियों ने ७२ लाख रुपये का लाभ कमाया।

मद्रास में १९४६ में विक्रय समितियों की संख्या केवल १३८ थी किन्तु १९४६-५० में बढ़कर २५८ हो गई जिन्होंने सब मिलाकर ८६४५८ लाख रुपये का नाल बेचा। इसके अतिरिक्त वहाँ पर केन्द्रीय विक्रय संघ भी है। मद्रास की दो समितियाँ चावल, मौगफली, चम्बादू, निर्च, नारियल, तिलहन, दह और छुरारी इत्यादि का विक्रय करती हैं।

उपर्युक्त राज्यों के अतिरिक्त बैंसूर, कुर्स, मध्यप्रदेश, हैदराबाद तथा देन्द्र में भी इसी प्रकार की समितियाँ पाइ जाती हैं।

सरैया (सहकारी) समिति—चन् १९४६ में भारत सरकार ने श्री आर० बी० सरैया द्वारा अस्थाया ने एक उहजायी योड़ना समिति की स्थापना की। इस समिति ने दुधार के लिये निम्न सुन्दर दिये—

(१) १० वर्षों के अन्दर सभी कृषि पदार्थों का २५% नाम सहकारी विक्रय समितियों के द्वारा खरीदा जाये। इसके लिए २,००० विक्रय समितियाँ, १२ प्रान्तीय विक्रय उष्ण तथा एक केन्द्रीय विक्रय उष्ण की स्थापना की जाये।

(२) उदस्तों के लिये अनन्त उपयोग इन समितियों के हाथ देना अनिवार्य होना चाहिये।

(३) प्रत्येक २ हजार नडियों अथवा २० गांवों ने लिये एक विक्रय समिति होनी चाहिये।

(४) अखिल भारतीय विक्रय उष्ण की स्थापना जो प्रान्तीय समितियों में सामूहिक स्थापित कर सके।

गोरखाला कनेटी

चन् १९५२-५३ में गोरखाला कनेटी ने अपनी रिपोर्ट में विक्रय समिति बनाने का सुझाव दिया है। इस कनेटी के अनुसार—

(१) प्रत्येक नगरी में एक विक्रय समिति की स्थापना हो, जिसको उपलब्ध कराने का नियम प्रदल विद्या जाय।

(२) इस समिति के उदस्त कृषि के अतिरिक्त सरकार भी होगी। समिति की पैंडी के लिये वहाँ उदस्तों को चन्दा देना अनिवार्य है वहाँ वह भी चर्ची है कि सरकार भी उठाएं भागी हो।

(३) समिति को उपलब्धापूर्वक चलाने के लिए सुधित्व एवं दृश्यत कर्त्त्वाधीन देना सरकार की जिम्मेदारी होगी।

(४) इस समिति का यद्यपि मुख्य कार्य सदस्यों के उत्पादन का विक्रय करना होगा, जिन्हुंने इसके अलावा यह समितिभेगियन तथा सम्राह करने वा भी कार्य कर सकती है।

(५) शेष स्थानों में जहाँ विक्रय समिति खोली जाय वहाँ किसी सहकारी चैंकी शाला अथवा कोई चुक्ति-स्तर वाली साल समिति अवश्य होनी चाहिये जिससे विपणन तथा साल में सदा सर्वोच्चित सम्बन्ध रहे।

अस्त्रौत्र सन् १९५३ ई० में नई दिल्ली म विभिन्न राज्यों के बाजारों के अधिकारियों का सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में कृषि पदार्थों के विपणन के सम्बन्ध म अत्यन्त महत्वपूर्ण सिफारिशें की गईं।

पचवर्षीय योजना में कृषि विपणन

पचवर्षीय योजना में कृषि वस्तुओं के विक्रय के लिए सहकारी समितियों के विकास, प्रबार तथा उत्पादन वी पूँजी समस्या एवं विक्रय समस्या, दोनों के पारस्परिक सम्बन्ध पर बहुत जोर दिया गया है। इसके विशेष अध्ययन के लिये चार विशेषज्ञों की एक वैदीय समिति स्थापित करने की सिफारिश की गई है। नियन्त्रित मण्डियों के विरास, मण्डियों में वृक्षक सहकारी समितियों के अधिक प्रतिनिधित्व तथा प्रमाणिक तौल विधान को उचित रूप से लागू करने की योजना भी बनाई गई है। ऊन, लाघु, चमड़ा तथा तिलहन आदि वस्तुओं के श्रेणियन के लिये योजना में दद ५ लाख रुपए का आपोजन है। श्रेणीकरण के कारण यह आशा की जाती है कि देश में इन वस्तुओं के मूल्य में १०% से १५% तक वृद्धि हो जायगी, जिससे किसान की आर्थिक स्थिति म सुधार होगा।

तौल-माप की मीट्रिक प्रणाली की व्यवस्था

नाप और तौल न भारत ने मीट्र विधाली का शुभारम्भ गत वर्ष किया है। ऐसे तो जुलाई १, १९५८ से ही इसका श्री गणेश नूड उद्योग में कर दिया गया था, करोंकी जूड व्यवसाय का आर्थिक वर्ष पहली जुलाई से प्रारम्भ होता है जिन्हुंने इसका वात्सविक आरम्भ अक्टूबर १, १९५८ से किया गया है। यह प्रणाली समस्त देश में एक साथ लागू नहीं की जाई है यस्तु यह थीरेंजरे १० लक्षों रुपयों के लागू हो पायेगी। नगीन प्रणाली के अपनाने का आधार उसकी सरलता तथा व्यापकता है। हमारे वर्धा इस समय लगभग १४३ प्रणालियों का प्रयोग होता है। इन नाना प्रकार के चाटों और पेशानों के चलने से नाना प्रकार की बठिनाहवाँ, उलझनों और गड़बड़ियाँ उत्पन्न होती रहती हैं। बेहमानी, ठगी, खोलेचाली, लूट, ग्रेवर जाहे जैसी भी सजा दें, चाँटों की विवधता के कारण सब उपयुक्त ही होगी। एक राज्य के पांच और

पैमाने दूसरे राज्य के बाँड और पैमानों से भिन्न प्रकार के हो यह बात कुछ सामान तक भी न्यायसंगत नहीं जचती है। देश भर में मीटिंग नाप तौल पर आधारित एक समान प्रशाली ग्राम्य हो जाने से पर्याप्त सुविधा हो जायगी और सारे देश का व्यापार एक आधार पर आ जाने से उसमें पर्याप्त वृद्धि की आशा है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कृषि विपणन में सरकार द्वारा किये गये प्रयत्न सराहनीय हैं, परन्तु सरकार ही यह कुछ नहीं कर सकती। जब तक कृषक स्वयं भी इस योग्य तरहोगा कि वह सरकारी बोननाओं से लाभ उठा सके तब तक इस दिशा में पूर्ण सफलता नहीं प्राप्त हो सकती। हम का गियर है कि अपनी राष्ट्रीय सरकार कृषकों की शिक्षा की ओर ग्राहिक धन दे रही है। अशानता दूर होने के उत्तरान्त सहकारिता का स्वयं ही विकास समव हो सकता और कृषक कुशल विक्रेता के रूप में अपने परिव्रक्त का ठचित पुरस्कार प्राप्त करके अपनी तथा दृष्टि द्वारा उत्तरान्त के पथ पर आगे चढ़े सकें।

भूमि-व्यवस्था

(Land Tenure System)

टेन्योर (Tenure) शब्द की उत्पत्ति लैदिन शब्द 'Ten' से हुई है जिसका अर्थ हाता है 'अधिकार'। अतः भूमि व्यवस्था ये आशय यह है कि भूमि पर किसके स्वामी अधिकार हैं, कृपक और भू-स्वामी का परस्तर क्या सम्बन्ध है और कृपक किन दशाओं में भूमि पर कृपि करता है। वास्तव में भूमि पर कृपक के स्वामी अधिकार हैं और वह किन दशाओं में कृषि करता है इसका प्रमाण कृपि विकास एवं कृषकों की आर्थिक उन्नति पर अत्यधिक पड़ता है। निसी ने टीक ही लिखा है—

“अधिकार का जादू रेत को भी सोने में परिणित कर सकता है।”

भूमि प्रकृति की देन है। अतः चाहा मनुष्यों वो इसका उपयोग करने का अधिकार है। यदि लोगों को यह अधिकार नहीं प्रदान किया जाता तो यह एक सामाजिक अन्याय है। यही कारण है कि नूमि-व्यवस्था में उत्पादन एवं सामाजिक न्याय का भी समावेश हो जाता है। भारत कृषिप्रधान देश है और यहाँ की लगभग ८० प्रतिशत जनसंख्या कृपि पर ही निर्भर है। इन्तु उचित भूमि व्यवस्था न होने के कारण आज भी हमारी हृषि ग्रन्थ उन्नतील राष्ट्रों से निष्कृत हुई है और कृपक दरिद्रता के दलदल में फँसा हुआ है। विसी भी देश वी आर्थिक व्यवस्था की आधारशिला वहाँ दी भूमि होती है। भूमि के उचित वितरण एवं भूमि पर कृषकों के अधिकारों पर ही वहाँ न कृषकों की आर्थिक सम्पत्ता निर्भर होती है। मारतीय भूमि व्यवस्था वी मुख्य विशेषताएँ अब तक यह रही हैं—भूमि पर कृषकों का स्थायी अधिकार न होना, मध्यस्थीयों का आधिकार, अत्यधिक लगान, ग्रन्तिप्रदिव्यवस्था जीवोंदारों वथा नूत्यानियों की हृदि एवं उनकी देच्छान्वारिता एवं योग्यता। इस प्रकार नारतीय भूमि-व्यवस्था दीर्घशाल से दोषों से परिपूर्ण है। जनसमूह की सम्पत्ता एवं विभव पर भूमि अधिकारों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। आज विसान दरिद्र है क्योंकि भूमि पर स्थायी अधिकार न होने के कारण भूमि पर सुधार नहीं कर सका और शोगण के कारण अपने परिव्रम का उचित पुरस्कार नहीं प्राप्त कर सका। यही कारण है कि त्वतन्त्रता प्राप्त करने के उपरान्त देश की राष्ट्रोंपर सरकार ने बिन विमित

समस्याओं का विश्लेषण किया तथा सुधार का उद्दम उठाया उनमें से भूमि व्यवस्था प्रमुख है। वास्तव में देश में कृषि सम्बन्धी सुधार अथवा ग्राम-सुधार की कोई भी योजना उस समय तक सफल नहीं हो सकती जब तक कि भूमि व्यवस्था उचित न हो। देश के लगभग ८० प्रतिशत ग्रामीणों के जीवन में सुधार तभी किया जा सकता है जब एक सकुशल भूमि व्यवस्था का निर्माण हो सके। देश की कुशल भूमि-व्यवस्था का निर्माण होने चाहिए—

(J) इससे प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास का पूर्ण अवसर प्राप्त हो सके।

(ii) किसी व्यक्ति अथवा वर्ग के शोपण का अन्त हो सके।

(iii) उत्पादन के द्वारा इस प्रकार से हीं जिससे उत्पादन में वृद्धि हो सके।

(iv) व्यारात्रिय सम्पत्ति तथा आय के विवरण की विषमता दूर हो सके।

अनुचित भूमि व्यवस्था जन-समूह में असन्नोष का मूल कारण है और अद्वितीय ही क्रान्ति की जननी है। देश में शान्ति तथा व्यवस्था स्थापित करने के लिए तथा समाजवादी अर्थ व्यवस्था का स्वप्न पूरा करने के लिए उचित भूमि-व्यवस्था निर्गान्त आवश्यक है। श्री राधाकृष्णन मुकर्जी के शब्दों में—

“हमारी भूमि-व्यवस्था बड़ी होपर्युण है और इसमें सुधार के बिना वैज्ञानिक कृषि अथवा सहकारिता किसी से भी कुछ लाभ नहीं होगा।”

आर० एम० टानी के शब्दों में—

“खेतों के तरीकों में सुधार निःसन्देह अनिवार्य है, परन्तु जोंकों द्वारा चूसे गये दरिद्र येतिहारों को इसके लिए शिक्षा देना निरर्थक है क्योंकि उनके पास इसके लिए साधनों का अभाव है। उन्नीसवीं शताब्दी के यारोप में भूमि-व्यवस्था के कानून में परिवर्तन, उत्पादन विधियों और कृषि विपणन के आधुनिकण के पूर्ण ही हो चुका था। पहिली बारों के अभाव में अन्तिम दो बारें सम्बन्ध नहीं थी।”

भारतीय भूमि व्यवस्था का ऐतिहासिक सिद्धांशलोकन

प्राचीन काल में भारतीय राजा ही सभी भूमि का मालिक होता था और दिवानों से वर या लगान के रूप में कुल फसल में से हिस्सा लिया करता था। राजा ना भाग ‘मनु’ के अनुसार साधारणतया ने और विपक्षिकाल में ने तक होता था। लगान की यह प्रथा अच्छी थी क्योंकि फसल के अनुपात में ही लगान होता था। गाँव का मुखिया गाँव से लगान वसूल करके राज्य के अधिकारी को दे दिया करता था। रिशान और बर बादशाह ने भूमि पर उंचरदा के अनुसार लगान की दरें निर्धारित थीं। रिशान

को द्रव्य या अनाज के रूप में लगान देने की सुविधा थी। लगान बसूल करने का तरीका सुखिगा द्वारा ही होता रहा। इसका परिणाम “नानावती तथा अज्ञारिया” के शब्दों में निम्नलिखित हुआ—

“लगान बसूल करने वालों के द्वारा खेत जोतने वालों का शोषण हुआ ऐसी घटनाएँ भी हुईं कि लगान न दे सकने वाले किसानों को अपनी स्त्री व बच्चे तक दासों के रूप में बेचने पड़ते थे।”

वह प्रथा नुगनों के रासनशाल तक चलती रही परन्तु औंग्रेजों का राज्य स्थापित हो जाने के बाद नई भूमि-व्यवस्थाओं का जन्म हुआ जिनका विवरण निम्न लिखित है—

(१) रेगलाडी प्रथा—यह प्रथा मद्रास, बम्बई तथा आसाम में लागू की गई। इस प्रथा में कृषक ही भूमि का स्वामी होता है। कृषक तथा सरकार में प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहता है। किसान सरकार से भूमि लेता है। किसान अपने खेत को दूसरे व्यक्ति को दे सकता है, न-घर रस उठता है परन्तु किसी भी हालत में उसे बेच नहीं सकता। यदि वह खेती नहीं करना चाहता है तो सरकार भूमि बापस ले लेती है और अन्य किसानों द्वारा दे देता है। किसान अपनी भूमि द्वारा उभी तरह उपरोक्तों में ला सकता है। किसान और सरकार के बीच कोई नव्यवता नहीं रहता। जब तक किसान भूमि का लगान देता रहता है उसे बेदखल नहीं किया जा सकता। लगान का निर्धारण २० रुप ते लेकर ४० रुप तक के लिए किया जाता है। भूमि कर निर्धारण अधिकारी ही लगान निर्धारित करता है। इस प्रथा का सबसे बड़ा दोष यह रहा कि किसान के रूप में गूँजीपतियों ने बासी भूमि हरियाली और बड़े बड़े जमीनदारों की तरह एक दोष शृङ्खला सेटिहर मजबूता वीं कर ली जिनका शोषण होता रहा। इस प्रकार वास्तविक किसानों और सरकार ये बीच बड़े बड़े किसान नव्यत्थों के रूप में आ गये। जन आधारण ये खेती करते हैं उनका भूमि पर कोइ अधिकार नहीं रहा और ये निर्धन तथा शोषित ही रहे।

(२) महालबाड़ी प्रथा—इस प्रथा का जन्म सन् १८३३ में रेग्युलेशन एक्ट के अन्तर्गत आगरा और प्रबंध में हुआ। यह प्रथा पजात और मध्यप्रदेश में भी पाइ जाती है। देश का एक प्रतिशत भूमि पर इस नियम का अनुसार जैता, या जाती है। सरकार प्रत्यक्ष कृषक को अलग अलग भूमि देने के भगाड़ में नहीं पड़ती है, परन्तु आम का उच्च व्यक्तियों को सामूहिक रूप में देती है। इस दल का एक व्यक्ति मुख्यता होता है और वह भूमि को हृष्टि के मध्य बिभक्त कर देता है। उसे सरकार द्वारा लगान देने का अधिकार रहता है। लगान से एक निश्चित मात्रा रखकर याकी सरकार द्वारा दे देता है। महालबाड़ी प्रथा में यदि एक कृषक लगान देने में अधिकार रहा, तब भी सह-

पर परिवर्तन किया जाता था। यह प्रथा मध्य प्रदेश, उचर प्रदेश तथा पंजाब में प्रचलित था।

अँग्रेजों ने जमीदारी प्रथा का श्रीगणेश अपने स्वार्पं सिद्धि के लिए किया था। बालब म यह प्रथा ब्रिटिश शासन की नीति द्वारा करने के लिए एक प्रमुख ताबड़न थी। इस प्रथा के द्वारा अँग्रेज उरकार अपनी ग्राम निश्चत बरना चाहती था। इसक अद्वितीय राजनेतृत्व दृष्टि से एक ऐसे वर्ग का निर्माण बरना चाहती थी जो राजभक्त हो और अपने आधीन दृष्टों को अँग्रेज शासन के विश्व पड़्यन्त्र रोकने में कार्य कर। ये प्रधस्थ ही बालब म अँग्रेज शासन काल में देख रुगढ़ों के रूप में काय करते रहे। और भारत की स्वतन्त्रता म एक इही बाधा का रूप म जम रहे। भारतीय स्वतन्त्रता उग्राम भ शिखिलता का मुख्य कारण इन्हीं की दृटनीति रही है। यही नहीं इन्होंने निधन किसानों का शोषण करके भारत की अधिनाश जनदा को बजारित कर दिया और दृष्टि जैसे भारत के मुख्य उद्योग ने भी अवनति के पथ पर ढाल दिया। जमीदारी प्रथा का इतिहास बास्तव में दृष्टों के ऊपर दिये गय रुश्य अत्याकार का इतिहास है। दृष्टों से मनमाना लगान लेना, बेतार लेना और उनके खेतों को इन्द्रानुदार बेदब्जन कर लेना आम तौर पर प्रचलित हो गया। दृष्टों के भूमि पर स्थायी अधिनाश न होने के कारण भूमि पर स्थायी विज्ञास भी इक गता और भारतीय दृष्टि का भावी उत्तर रुगढ़।

जमीदारी प्रथा के दोष

कुपि-उद्योग की अवनति—जमीदारी प्रथा का सबसे बड़ा दोष यह रहा कि दृष्टों के भूमि पर स्थायी आधार न होने के कारण इन्हीं प्रतार का सुधार भूमि पर नहीं हुआ। कुपरु इस बात से उद्देश डरता रहता था कि खेत उससे किसी भा समय लिया जा सकता था और इसलिए वह उन खेतों पर इन्हीं प्रतार स्थायी सुधार भी हितर नहीं समझता था। उनका यह आश जमीदार हा ले लेता था और इस लिए कुपरु में आदक उत्पादन का चाव नहीं रहता था। परिणामस्वरूप भूमि का उत्तर शार्क क्रमशः कम होती चली गई और साथ ही साथ उत्पादन भा घटता गया। कुपे उद्योग म अवनति आना है दशार्था न स्वामानक ही था।

किसानों का शोषण—जमीदारों को भूमि पर पूजी लगाने के बदले में उद्देश अधिक से अधिक लाभ कमाने की लालसा लगा रहती थी। दूसरे ओर किसान निर्धन एवं नि सहाय था। भूमि की माँग तो भारत म अधिक थी ही। परिणामस्वरूप किसान जमीदारों पर पूर्ण रूप से अवलम्बित हो गये। जमीदारों ने इस स्थिति का पूर्ण लाभ उठाया और किसानों द्वे अधिक से अधिक लगान लेने लगे। लगान इतना अधिक था कि

गर्याह किसानों की अपनी उपच का बड़ा माग जर्मीदारों को दे देना पड़ता था क्योंकि वे विवरण थे। निधनवा के कारण जर्मीदार लोग किसानों को शूल देते थे और उस नर बहुत आविष्क व्याप के लेते थे। प्राप्त: किसानों की उपच को शूल के भुगतान में अनुत सर्व दामों पर खरीद लेते थे। परिणामस्वरूप किसानों ने आर्थिक स्थिति बहुत ही दरभार होती चली गई और शूलप्रबन्ध का साक्षात् स्थापित हो गया विस्तर समाजान अभी तक समर नहीं हो सका है।

(३) भूमि का अकुशल व्यवस्था—जर्मीदारों को उमी तुच एव तुविवार्द्ध प्राप्त था और इसलिए उन्होंने ऐसवर्षणी जीवन पिताने के लिए अपने आलीजान माजान यदर्या ने बनाने प्रारम्भ कर दिये और जर्मीदारी नी देन माल करने के लिए वारिन्द्री की नियुक्ति की। ये कारिन्द्रे ना जर्मीदारों को अनुपस्थिति का घारदा ठारते थे। किसानों के कारण तुलन बरते थे और अपने लिए भी उनसे रुपरा बखूल बरते थे। इन वारिन्द्रों के कृषकों के प्राप्त कोई भी सहानुभूति नहीं थी क्योंकि उनसे वो अपने मालिकों को खुश रखना या चाढ किसानों को तकलीफ हो। या आपने। जर्मीदार ना भी कोई सम्बन्ध कृषकों से नहीं रहता था और इसलिए उनको भी कुछ सहानुभूति किसानों से नहीं थी। कुखल के लिए ही बाने पर किसानों के कारण दमा दिल-लाना वो दूर रहा जार स लगान बखूल करन में और जड़ाइ की जाती थी। नियानों न लगान न देन पर उनकी पूरे में बड़ा रखना, मारना, छोड़ा उपा बच्चों की बेहवानी करना इन्वादि भानूता थी बात थी।

बनाडायि नमस्था प्रारम्भ करते समय सरकार का खगल या कि जर्मीदार इसलैंड में तगड़ रहा एक ऐडा उर्ग तैयार करेंग जो किसानों की सुरक्षा, भूमि की उत्तमि, एव कृषि पितान के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेंग जिससे सार पृथि वी उन्नति होगा और कृषि पितान भी समर हो सकगा। परन्तु ये सभा आगाह चर्पर्थ रहा।

(४) कृषकों से बेगार एवं नजराने की प्रथा—जर्मीदार लोग कृषकों से भूमि देने के नदिये न बेगार लेने थे। १९१० की जर्मीदारों के बहाँ दुक्ष में बान करना पड़ता था। टिकानी हरादि त्वेहामों पर किसानों को उलासी के लिये नजराना देना पड़ता था। मकान बनाने पर नून रुलिए नजराना देना पड़ता था। जानपरों के गाँधन र लिए नजराना देना पड़ता था। जर्मीदार के पहाँ यादी हत्याद ग्रन-सरी पर दुक्ष न दूर, ना, तरकारी इत्यादि देना तो किसानों के लिए अनियाम-दा था। जर्मीदार दान मूलि को, आवक नजराना लकर एक बाहतनार से दूसरे को देना वो आनंदी पर प्रचालित था। परखानस्वप किसानों की आर्थिक स्थिति और भी दौर्गंडास होती चली गई।

(५) मुकदमेवाजी—किसानों की भूमि बेदखल स्वराने के बारण एवं बकाया लगान, जिसको कुरक अपनी दिखिता के बारण नहीं दे सकता था, जमीदारों और किसानों में मुकदमेवाजी होना स्वाभाविक ही था। मुकदमेवाजी में किसानों का बहुत सा दस्ता बबीलों की रीस इत्यादि में खर्च हो जाता था। इसके बारण किसानों में और भी निर्भनवा कैलने लगी।

(६) राष्ट्रीय धन का अपव्यय—जमीदार अपने ऐश्वर्य एवं बैमव में अत्यधिक स्वया व्यय करते थे। एक और किसान, जो वास्तव में अयक परिक्षण करता था, दोनों समय भरपेट भोजन पाने में असमर्थ था और उसका परिवार आर्थिक उड्ठट क सागर में डूबता था, और दूसरी ओर जमीदार विना परिधिय के ही रग रेलियाँ भनाया करते थे। बढ़िया से बढ़िया खाना, बपड़ा, मरान और शराब यही जमीदारों न बीचन का उद्देश्य रहा है। यह सभी द्रव्य यदि कहीं किसानों के कल्पण पर खर्च किया जाता तो किसानों पी आर्थिक समस्या एवं राष्ट्रीय विकास बहुत कुछ चमव हो जाता।

(७) देश की आर्थिक विकास की गति भन्द होना—कृषि दारा ही सभी कर्त्त्वे माल की प्राप्ति सभन हो सकती है और कर्त्त्वे माल की पर्याप्त पूर्ति होने पर ही देश का ओर्योगिक विकास सभव हो सकता है। दोईं भी राष्ट्र अपना आर्थिक विकास उस समय तक नहीं कर सकता जब तक वहाँ पर ओर्योगिक एवं कृषि का निराप न हो। जमीदारी प्रथा के बारण ही देश में कृषि विकास नहीं हो सका और उसके बाह ही याथ ओर्योगिक विकास भी नहीं उभव हुआ। परिणामस्वरूप आज भा मारत आर्थिक दृष्टिसौण से एक पिछड़ा हुआ देश है।

(८) सरकार का आव से घाटा—जमादारी प्रथा में सरकार को जमीदारों चे मालुबारी क रूप में बचत एक निश्चय आव मिलती रहती है। भूमि पर लगान बढ़ाने के फूनत्वरूप जो भा आमदनी होनी थी वह सब जमीदारों क पात्र चर्ची चाही था। जमीदारी क अन्तर्यंत खानों, नदियों, तालाबों आदि की आमदनी में भी सरकार का दुख भा माग नहीं रहता था।

(९) सरकार एवं कृषकों के बीच अमेय दीवार—सरकार का सम्बन्ध बचत जमीदारों से था और कृषकों से नहीं। परिणामस्वरूप सरकार विसानों की दया से बिल्कुल अनभिज्ञ रहती थी और किसी भी प्रकार क नुघार के लिय बदम नहीं डाल सकती थी। इस अमेय दीवार के बारण किसानों का हित सरकार की आँखों से ओझन हो गया।

(१०) समाज में असत्तोप की भावना—जमीदारों के पुल्मा और शोपण से पीड़ित किसान को निर्भनवा एवं शोपण से छुटकारा पाने का केवल एक ही

मार्ग था जिसको क्रान्ति के नाम से पुकारा जाता है। असतोष वी भी एक सीमा होती है। जमीदारी प्रथा में किसानों के असतोष के कारण ही क्रान्ति के कीड़ों का जन्म हो रहा था और यह असतोष की चिनगारी फिसी भी समय भीषण अभिन्न वा रुप घासण कर सकती थी जिससे सारे समाज की शान्ति भङ्ग होने की शक्ता थी। यही कारण था कि राष्ट्र के कर्णधार महात्मा गांधी ने जमीदारी खत्म होने पर जमीदारों के लिये कहा था—

"To day we are taking your land and paying you compensation Five years hence the anger of the peasantry will not permit any compensation Ten years from now you would not only lose your land but also have your throat cut "

वास्तव में जमीदारी प्रथा भारतीय कृषि की मुख्य अभिशाप रही है जिसने न अचल किसानों को निर्धन एवं दरिद्र बनाया है, वरन् सारे राष्ट्र की आर्थिक विकास की प्रगति को मन्द कर दिया। जमीदारों ने अपने कर्तव्य को नहीं निगहा और वे सदैव भूमि को अपनी वासना तृप्ति का साधन लमझते रहे। परिणाम स्वरूप इन्हीं में इरकी प्रकार का विकास समव न हो सका। किसान को जर्जरित एवं अमुशल बनाकर जमीदारों ने भारत के आर्थिक विकास की रीढ़ ही तोड़ दी। महात्मा गांधी ने ठीक ही कहा है—

"The Zamundars were parasites and they have failed miserably as trustees of the nation. They have regarded their property merely as a means for satisfying their lust and are, therefore, not its owners but its slaves "

सरकार द्वारा प्रयत्न (Measures taken by the Government)

१९०६ शताब्दी के मध्य तक तो हमारी गोरी सरकार का एकमात्र उद्देश्य भूमि से अपनी आमदनी को सुरक्षित बनाये रखना था। सरकार को किसानों एवं जमीदारों के पारस्परिक सम्बन्धों से बोई सरोकार नहीं था। सरकारी कोप म रवया जमा करने एवं सरकार की जीहुनूरी बरने वाले तो जमीदार थे, अत उन्हीं के लिये सरकार सदैव ध्यान रखती रही और कमश कृपकों की स्थिति दयनीय होती चली गयी। जमीदारों ने अपनी स्थिति का लाभ उठाया और परिणामस्वरूप ऐसों का लगान और बेदखलियाँ बढ़ने लगी। कृपकों की दशा शोचनीय हो गई और कमश भूमि की उर्वरा शक्ति त्वीण होने के कारण उत्पादन भी घटने लगा। विटिश सरकार का मुख्य उद्देश्य तो भारत से धन धान्य लेकर अपने देश को सम्पन्न बरना

या। उसकी पूर्ति किसानों की दयनीय स्थिति और कम उपच होने के कारण नहीं सम्भव ही रहती थी। उत्तरारी कोष में रखा तो कृषकों की सम्पत्ता पर ही निर्भर था क्योंकि इस देश के वरदाताओं में उन्हीं वी अधिकाश सख्ता थी। इसके अतीत रिक्त विदिशा सरकार यह भी जानती थी कि कृषकों में अत्यधिक असत्तोष हो जाने पर शासन की नीव टूट नहीं हो सकती। परिणामस्वरूप कृषकों के लिये अचित नूपि व्यवस्था उत्तरारी करकर कर दी गयी थी। अतिरिक्त असत्तोष हो गया और सरकार ने विधिन्व प्रान्तों में काशतकारी अधिनियम पास किये और कृषकों की दशा में सुधार करने के प्रयत्न किये गये।

बगाल—‘बगाल वृपि अधिनियम’ जो १८५८ ई० में पास किया गया, कपकों के हितों की रक्षा करने के द्वेष्य से सरकार का सर्वप्रथम प्रयास था। इस अधिनियम के अनुसार जो किसान किसी खेत को १२ वर्षों से लगातार जोत रहा या उसको मौलस्ती अधिकार प्रदान कर दिए गए, अर्थात् उस कृषक से भूमि बेदखल नहीं कराई जा सकती थी। किसी भी प्रदान से लगान ना यदाना अथवा अवेधानिक रूप से तुळ रखा लेना गैरसानूसी बरार दिया गया। यही नियम पुनः सन् १९२८ ई० में संशोधित हुआ विचक्षण द्वारा किसानों को खेतों पर मकान तथा कुर्यां यादि के निर्माण का अधिकार प्रदान किया गया। इससा संशोधन १९३८ तथा १९४० ई० में भी हुआ। इस अधिनियम से किसानों को कुछ लाम तो अवश्य हुआ परन्तु जीवीदार लोग किसी भी एक किसान को भूमि १२ वर्ष के लिए न देने लगे और इस प्रकार कुछ थोड़े से ही किसानों को मौलस्ती अधिकार मिल सक और परिस्थिति जीवों की त्योहार ही होती रही।

उत्तर प्रदेश—अवध क १८८६ ई० के लगान अधिनियम के अनुसार कानूनी काशतकारों (Statutory Tenants) का जन्म हुआ जिनमें ७ वर्ष तक खेत जोतने का अधिकार मिल गया। जो मौलस्तीदार अपना हफ्ते खो चुके थे उन्हें मौलस्ती हफ्ते प्रदान किया गया। सन् १९२१ में कानूनी काशतकारों को आजीवन कृपि अधिकार प्रदान किया गया। इन कृषकों के मर जाने के बाद उनके उत्तराधिकारियों को ५ वर्ष तक खेत जोतने का अधिकार था।

बगाल का १८५८ ई० अधिनियम आगरा प्रान्त में भी लागू कर दिया गया। सन् १९०१ का आगरा काशतकारी कानून (The Agra Tenancy Act 1901) के अन्तर्गत किसानों के भूमि अधिकारों को अधिक सुरक्षित कर दिया गया और ७ वर्ष या इससे अधिक के पहले मौलस्ती कर दिये गये। सन् १९२८ ई० में अयेच्छु काशतकारों को कानूनी काशतकार जना दिया गया और उसे भूमि में आजीवन अधिकार एवं उसकी मृत्यु के उपरान्त उनके उत्तराधिकारी को

प. वर्ष तक भूमि पर अधिकार प्रदान किया गया। परंतु जमादारों की जालाज़ियों के कारण इस अधिनियम से कृषकों की रक्षा नहीं हो सकी। परिणामत्वरूप सन् १९३६ ई० में 'उत्तर प्रदेश काश्तकारी कानून' पास किया गया औ सार प्रान्त में लागू होता था। इस अधिनियम से कृषकों को निम्नलिखित अधिकार एवं सहायित्वं प्राप्त हुई—

(१) मुपका के लिये पेटूक अधिकार—कृषक की सुरक्षा की दृष्टि से उसे भूमि पर स्थाया पेटूक अधिकार प्रदान किया गया। सभी दानुष्टी काश्तकार तथा उनक उत्तराधिकारी वशानुकूल (Hereditary tenants) बन गये। सीर जोतने वाले विसानों को भी प. वर्ष ना स्थायी अधिकार दे दिया गया।

(२) जमींदार के सार अधिकारी में कमी—इस अधिनियम ने जिस जमीन पर जमींदार खुद काश्त करता था यीर की जमीन कहलाता थी। सन् १९२१ के नियमों के अनुसार जमींदार को यह भी अधिकार मिल गया था कि १० वर्ष की खुदकाश्त की जमीन को वह सीर म परिवर्तित कर ले चुकते कि वह भूमि गाव म जमींदार वी कुल उत्ती हुई भूमि की १० प्रतिशत से अधिक न हो। पर १९३६ के अधिनियम के अनुसार सीर की जमीन की अधिकतम सामा ५० एकड़ निधारत कर दी गई।

(३) काश्तकारिया का उत्तराधिकार हस्तान्तरण तथा शिकमी कियाया द्योरी—शिकमी काश्तकारों द सीर की भूमि पर काम करने वाले विसानों को छोड़कर और बाकी सभी प्रकार के कृषक कुछ वर्धनों एवं शर्तों के अन्तर्गत अपनी भूमि को फिराये पर उठा सकते थे। गैरमाल्सी विसान अपना भूमि को एक वर्ष के लिये उठा सकते थ और उसक एक वर्ष बाद फिर उठा सकते थे। व प्रातःरघ लियों, नाचा लियों, पाशलों, अ वें तथा अपाहिजों पर लागू नहीं हात। साथ ही तहसीलदारों क द्वारा भूमि सुधार अथवा भवानों द निर्माण के लिये अनिवार रूप से भूमि का आदान प्रदान दिया जा सकता था।

(४) सुधार करने का अधिकार—शिकमी काश्तकारों को छोड़कर वाकी सब प्रकार द विसान अपनी भूमि पर पिन। जमींदार से आशा लिये मकान, पशुशाला अनाज का भण्डार आदि का निर्माण कर सकते थे पर भूमि की वदखली पर ऐसी १०८ी इमारत वा स्थायी सुधार पर उन्हें मुश्किल नहीं मिल सकता।

(५) नानायन रकमा की वसूली का अता—इस नियम के अन्तर्गत नियमी प्रकार का नजराना, अववाव अथवा वेगार लेना निषिद्ध है। यदि कोई व्यक्ति इन आशाओं का उल्लंघन करके जान बूझ कर निछुने वक्तव्ये लगाने के अधिक वदूल करेगा अथवा उन् २५२ प्रतिशत से अधिक व्याज लेगा अथवा

कूर्ग दिये गये लगान को बस्तु करेगा अथवा स्थगित लगान को स्थगन की मिशाई र पूर्व वस्तु करेगा तो कृपक वो अधिकार हागा कि वह २०० रु तक जमीदार से मुआवजा उस फसल अथवा रकम के अतिरिक्त वस्तु कर ले जो उससे ती गई हो।

(६) वेदखलियाँ—यदि कृपक जान बूझ कर लगान न देन का आदी न होगा तो उसे लगान वस्तु के लिये वेदखल नहीं किया जा सकगा। कृपक अगर अपैषानिक रूप से अपनी जमीन दूवर किसान का किंशये पर उठा देगा तो जमीदार उसे वेदरन कर सकेगा।

(७) लगान के मुगवान व निर्धारण में सशोधन—जमीदार के लिये यह आवश्यक है कि वह लगान प्राप्ति की रसीद सरकार से मिले हुए छपे फार्मों पर दे। नियम के अन्तर्गत लगान निर्धारण की भी व्यवस्था है। पेटुक अधिकार याने कपड़ों का लगान निश्चिन वर्ते समय लगान के अफसर दूसरी त्रातों पर साथ साथ यह भी ध्यान रखेंगे कि लगान की रकम फसल के मूल्य के १५ से अधिक न हो।

सन् १९३६ के कानूनारी विधान के पात्र होने पर इन्होंने के अदार जमीदारों ने उस विधान के १७१ वां व १७५ वां धाराओं के बल पर लालों किसानों को वेद खल दर दिया था। इन धाराओं के अनुसार किसानों को शिक्षी पर उठाने या नराया लगान र आधार पर तत्काल वेदखल किया जा सकता था। अत १९४७ म इस कानून का उद्योगन दर दिया गया। किसानों को यह अधिकार दे दिया गया कि वह अपना लगान चाहे तो सीधा मनीआर्डर र हारा मेव सकते हैं अथवा राष्य कोष में भी जमा कर सकते हैं। याथ ही यह भी व्यवस्था दर दी गई कि यदि कोई वृप्त लगान न देने के कानून वेदखल हो यह है को १ महीने के अदार व्यवस्था लगान अदा करन पर अपने अधिकारी को चापत पा सकता है।

बिहार—सन् १९३४ म 'बिहार काप बानूत' र अन्तर्गत भूमि की कीमत पर जमीदार की १० प्रतिशत देने पर किसानों को हस्तान्तरण का अधिकार मिल गया और गैरकानूनी रकमा का बस्तु जरना निपट कर दिया गया। इस बानूत म १९३८ म सशोधन के अनुसार बिन्स के लगान की अदायगा बन्द कर दी गई, १५ वर्षों तक के लिए लगान में किसी भी प्रकार की वृद्धि अवैध घोषित नर दी गई। सिवा जमीदारों द्वारा मुधार काप में व्यवहार का नारण लगान में वृद्धि र और हर प्रकार की वृद्धि समाप्त कर दी गई और लगान की जारी रकमों पर व्याज की दर कम करके ६% प्रतिशत कर दा गई। इस नियम के अन्तर्गत यह भी व्यवस्था थी कि किसानों को भूमि का हस्ता रख का पूर्ण अधिकार हो, वेदखली नाजायन हो, आधकारी कृपकों का खामत्व पतुक हो तथा उहें मकान कुआँ आदि बनवाने का अधिकार हो। इस प्रकार जमीदार

अधिकार स्वामित्वपूर्ण मिसानों को मान्यता दी गई। पूर्ण स्वामित्व के मिसान तथा अधिकार स्वामित्व के मिसान। प्रयम वर्ग के किसान मालगुनार को रूपया देने के उपरान्त अपनी भूमि का विक्रय अथवा बधक कर सकते थे, पर दूसरी प्रकार के मिसान क्षेत्र कुछ उच्चाधिकारियों तथा दामीदारों ने ही भूमि का हस्तातरण कर सकते थे यद्यपि उनकी भूमि लगान की वस्तु के लिए विक्रय अथवा कुर्स नहा की जा सकता। परन्तु उन्हें बकाया लगान न लिए बेदखल किया जा सकता था। १९३८ ई० में कृषकों को रेहन अथवा प्रवास तक शिवमी पर उठाने का अधिकार भी दे दिया गया। यदि कोई शिवमी काश्तकार निम्नतर रूप से किसी आरबी को जोत रहा है, तो उसे उसमें मौल्ती अधिकार देने की व्यवस्था कर दी गई।

पजाब—पजाब में बटाई प्रथा का सबसे अधिक था। परिणामस्वरूप इस प्रान्त में यथेच्छु कृपनो (Tenants at will) की सख्ता अधिक थी। इस प्रान्त में अधिकतर जमीदार स्वयं ही खेत बोतते थे और इसलिये बगाड वाले काश्तकारों ने मुख्दा प्रदान करना बान्धन द्वारा सम्भव नहीं हो सका। स्वतन्त्रता प्राप्त करने के पहले ऐसा कोई भी अधिनियम नहीं था जिसे बटाई वाले काश्तकारों को कुछ राहत मिल सके। उन् १९५० में पजाब सरकार ने एक अधिनियम द्वारा कृषकों के भूमि अधिकार को अधिक स्थायी बना दिया है। परन्तु यथेच्छु काश्तकारों (Tenants at will) को कोई भी सुविधा नहीं प्रदान की गई।

जमीदारों उन्मूलन एवं मध्यस्था का अन्त

उपर्युक्त विवरण से तर्बत है कि विभिन्न प्रान्तों में काश्तकारी अधिनियमों के पास हो जाने पर कुछ कृपनों के हितों की रक्षा तो अवश्य तुर्हि परन्तु अधिकार कृषकों को भूमि पर अधिकार ग्राप्त न हो सक और उनको लगान भी अधिक दना पड़ा। इन काश्तकारी अधिनियमों से कृषकों को मुख्दा तो कम मिली, मुनदमेवाजी अधिक, जासारे और अधिक स्वयं बरीलों एवं अदालतों में व्यव होने लगा। फ्लाउड जान समिति के शब्दों में—

“यह सत्य है कि इन कानूनों से काश्तकार का भूमि पर अधिकार हो गया है किन्तु ज्यादा सत्या में ऐसे भी काश्तकार हैं जिन्हे कुछ अशों में भी भूमि पर स्वामित्व नहीं मिला है। उन्हें लगान के ज्यादा बढ़ने और काश्तकारी से हटाये जाने के लिए सरकार नहीं मिला।”

स्वतन्त्रता प्राप्त करने के उपरान्त ही जब देश की राष्ट्रीय सरकार ने शासन का बागड़ोर अपने हाथ में ली, तब सर्वप्रथम इषि रमस्याओं वा समाधान देश की आर्थिक नवि दृढ़ करने के लिये नितान्त आपश्यक हो गया। कृषि उद्योग भारत का

मुख्य उद्योग है और साष्ट्र की अधिकाश जनता गाँवों में ही निवास करती है। चिना कृषि की उन्नति के देश का श्रीयोगिक विकास भी पूर्ण नहीं हो सकता। अतः कृषि में सुधार करने के लिये वह आवश्यक हो गया कि दृष्टक द्वारा भूमि पर स्थायी अधिकार दिये जायें जिससे वह भूमि पर स्थायी सुधार कर सके और उनके लगान भी चालिय हों। इस उद्देश्य की पूर्ति उस समय तक नहीं सम्भव हो सकती थी जब तक कृषकों और सरकार के बीच मध्यस्थों का अन्त न कर दिया जाय। परिणामस्वरूप स्वतन्त्रता प्राप्त करने के उपरान्त भूमि व्यवस्था में सुधार करने की दिशा में राष्ट्रीय सरकार का सर्वप्रथम कदम मध्यस्थों का अन्त करना था। विभिन्न प्रान्तों में जमींदारी उन्मूलन करके सरकार ने मध्यस्थों का अन्त कर दिया। वास्तव में जमींदारी उन्मूलन करोड़ों निरीह एवं निर्धन कृषकों के जीवन में आर्थिक मोहर दिलाने का प्रयत्न प्रयास था और इसके उपरान्त भारतीय भूमि व्यवस्था में एक नये अध्याय का प्रारम्भ हुआ क्योंकि मध्यस्थों के हट जाने से कृषकों की वयों की आर्थिक दासता भी शङ्खलाएँ हट गईं और उनको उन्नति के पथ पर प्रथम चरण रखने का सौम्य प्राप्त हो सका।

विहार राज्य में जमींदारी उन्मूलन

विहार राज्य सरकार ने सर्वप्रथम जमींदारी उन्मूलन को व्यावहारिक रूप प्रदान किया। सन् १९५० में विहार भूमि सुधार बिल (Bihar Land Reforms Bill) स्वीकृत हो गया। इस अधिनियम के अन्तर्गत निम्नलिखित व्यवस्था नी गई—

(१) सभी जमींदारियों ६ महीने के अन्दर ले ली जायेंगी और भूमि पर सरकार का स्वामित्व होगा। कृषकों का सरकार से सीधा समर्क रहेगा।

(२) जिन जमींदारों की आय ५००० रुपये तक होती उनको उनकी शुद्ध आय का १६ से २० गुना तक मुआवजा दिया जायगा। आधर आय होने पर क्रमशः मुआवजे की दर बढ़ती जायगी।

मद्रास राज्य में

मद्रास राज्य में कुछ चेत्र तो जमींदारी में थे और तुछ रैयतवाड़ी में। जमींदारी चेत्र के लिए दो अधिनियम बनाये गये। पहला तो सन् १९४७ का भू सम्पत्ति (लगान घटाओ) अधिनियम (Estates-Reduction of Rent-Act) और दूसरा सन् १९४८ का भू सम्पत्ति उन्मूलन ठथा रैयतवाड़ी परिवर्तन एक्ट (Estates Abolition & Conversion into Ryotwari Act) था। इन अधिनियमों

का उद्देश्य लगान में कमी करना एवं जमीदारी प्रथा का अन्त करना था। १८०० जमीदारी तथा १८०० इनाम बागारी वा १८०५ कोड रूपये का मुआवजा देवर जमीदारी एवं इनाम भू-सम्पत्ति का अन्त कर दिया गया। इसके द्वारा प्राप्त की गई भूमि को रैयतवाड़ी पट्टों पर किसानों को दिया गया।

बम्बई राज्य में

बम्बई राज्य में भूमि सन् १८४८ में भू-धारण तथा वृषि भूमि एकड़ (Lord Tenancy and Agricultural Lands Act) पास किया गया। इसके पश्चात सन् १८५५ में “Bombay Mahiki Tenures Abolition Act” और “Taluqdaris Tenure Abolition Act” पास किये गये। सन् १८५० में “Bombay Parganas and Kulkarni Watan Abolition Act” और “Bombay Khotti Abolition Act” पास किये गये। इन अधिनियमों के अन्तर्गत मध्यस्थों का अन्त हो गया और किसानों की भूमि पर स्थायी अधिकार प्राप्त हो गये। अकूपक बगों की भूमि के हस्तान्तरण पर निषेध लगा दिया गया।

मध्य भारत

* १८५३ जून सन् १८५१ को मध्य भारत का जागीरदारी एवं जमीदारी उन्मूलन अधिनियम राज्य में लागू किया गया। इसका प्रभाव राज्य के १२१६६३ जमीदारों पर पड़ा। सरकार १८०० जमीदारियाँ अमी तरह ले चुकी हैं। प्रत्येक किसान जो जागीरदारी अथवा जमीदारी भूमि पर लेती करता है तथा शिकमी वाश्वकार उत्तर भूमि में जिसमें वह त्वर्ति लेती करता है, पक्के भू-धारी अधिकार प्राप्त कर लेगा। जागीरदारी को सरकार द्वारा प्राप्त कर लेने के बाद जिस भूमि पर जागीरदार स्वयं लेती करता है जागीरदार को वही भू-धारी के अधिकार प्राप्त हो जायेंगे।

राजस्थान

राजस्थान ने भी जागीरदारी तथा भूमि सुधार अधिनियम सन् १८५१ में पास हो चुका है। इसके अन्तर्गत सरकार ने सभी जागीरदारियों को ले कर लिया। मुआवजे की दर शुद्ध ग्राम का ७ गुना विर्धारित की गई है। जागीर ज्ञेय के विभिन्न सातेदारों को भू-धारी अधिकार प्राप्त हो गये। गर खातेदार किसानों तथा अकूपकों को भू-धारी अधिकार प्राप्त करने के लिये तहसीलदार के पास प्रार्थना पत्र में जैसे पड़ेंगे। जागीरदार अपनी खुदवाश्व भूमि पर भू-धारी नन जायेंगे।

अन्य राज्यों में—मैसूर, उडीसा, जन्मू काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आदि

अन्य राज्यों में भी जमीदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार के व्यापक विधान बनाये गये हैं।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश धारा समा ने १० जनवरी सन् १९५१ को 'उत्तर प्रदेश जमीदारी उन्मूलन तथा भूमिपुधार अधिनियम' (The U P Zamindari Abolition & Land Reforms Act) पास किया जो सन् १९५२ में लागू किया गया। इस अधिनियम के अनुसार जमीदारी प्रभा का अन्त हो गया और कृषकों का सरकार से प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित हो गया। कृषक अब भूमि का लगान सीधे सरकार द्वारा ही देता है। जमीदारों को मुद्रावजे भी भी व्यवस्था की गई है जो शुद्ध आम का आठ गुना है। इसके अलावा ५००० रुपया या इससे कम मालगुजारी देने वाले जमीदारों द्वारा पुनर्वास अनुदान (Rehabilitation Compensation) भी दिया गया है जो कि २ गुना से लेकर २० गुना तक है। जमीदारों को अपनी सीर और खुदकाश पर चिना कुच्छ दिये दूधे ही भूमिधर बना दिया गया है। इस अधिनियम ने अन्तर्गत राज्य की सारी भूमि कानूनी रूप से राज्य की होगी। गाँव की ऐसी भूमि जिस पर इसी व्यक्ति कियोग का अधिकार नहीं है जैसे तालाब, जगल, रास्ते, रास्ते के कृच्छ, हाठ तथा बाजार, आवादी आदि सभी गाँव समाज की सापत्ति माने जायेंगे। गाँव समाज को ही इनके प्रभन्न तथा रक्षा दा उत्तरदायित्व है।

अब भूमि उसी की होगी जो बासनव में खेती करता है। कोइ भी रिहान अपने खेत दो शिकमी काश्तकार को नहीं उठा पायेगा। यदि वह ऐसा करता है तो नुस्खा शिकमी काश्तकार की हो जायगी। शिकमी काश्तकार रखने की कूट कुछ लोगों वा प्रदान की गई है जैसे भारतीय सेना में वाम करने वाले, रोगी, अपाहिज, पारल, परधरादें इत्यादि।

अन्युक अधिनियम के अनुसार निम्न प्रभार न कृषकों का जन्म हुआ—

(क) भूमिधर—जो कृषक अपने लगान का १० गुना रुपया सरकार को अदा कर दगे व भूमिधर कहलायेंगे। भूमिधरों को अपने खेतों पर पूर्ण अधिकार होगा और वे अपने खेतों के स्वयं मालिन होंगे। वे उनको बेच सकते हैं या अन्य किसी भी प्रकार ऐसे हस्तातित कर सकते हैं। ये कृषक अपने खेतों पर स्वायी सुधार का यह निर्माण करने के लिये भी स्वतन्त्र हैं। ऐसे किसानों का लगान ५० प्रतिशत तक वर निया जाता है।

(ख) सीरदार—वे किसान जो १० गुना रुपया नहीं अदा करेंगे सीरदार बहलायेंगे। ये कृषक भी अपनी भूमि न स्वयं मालिन होग परन्तु इनको खेतों के बचने या अन्य व्यक्ति दो हस्तातित करने का अधिकार नहीं होगा। इसके अतिरिक्त

इनको वे सभी अधिकार प्राप्त होंगे जो भूमिधरों को मिले हुए हैं। इनके जगत् में कमी न होगी।

(ग) अधिवासी—ये किसान जिनके पास भूमि का पड़े नहीं हैं और जो जेते हों शिवमी की भाँति जोत रहे थे, उनको अधिकारी कहा जाएगा। अभी तक ये किसान खेत से हटाये जा सकते थे। इस अधिनियम का अन्तर्गत ऐसे किसानों का खेतों से नहीं हटाया जा सकता। ये किसान लगान का १५ गुना जमा वरकर भूमिवर न समते हैं। अब सभी अधिकारीयों को सीरदार मान लिया गया है।

(घ) असामी—ये किसान जो रेहन की भूमि, वन भूमि, अथवा ग्राम समान वी नूमि पर खेती करते चले रहे हैं, असामी माने जायें।

ना त्यप्या किसानों से नूमिधर उन्नेके लिए लिया जाता है। उसको जमादार उन्मूलन कोप में जमा निया जाता है और इसका उपयोग जर्मांदारों को मुश्किल देने के लिए किया जाता है।

इह अधिनियम में अब इस बात की भावनास्था कर दा गद है कि कोई भा किसान दृष्टि एकड़ से कम एवं ३० एकड़ से अधिक री आरानी नहीं प्राप्त कर सकता है। जिन लोगों के पास पहले ऐसी ही ३० एकड़ से अधिक भूमि है उनके पास वह भूमि वशापत्र बनी रहेगी।

उत्तर्युक्त विवरण से त्वरित है कि मव्यस्थों का अन्त हो जाने के कारण कृपक अपनी भूमि का अप स्वयं मालिन हो गया है और वह भूमि पर निसी भी प्रकार या सुधार नहीं किए सकता है। भारताय कृपक अपने मायने का स्वयं निमाण करने वाला है और उसकी आधिक दासता की शृङ्खलाएँ लिन भिन्न हो गद हैं और व अब सम्मानित नागरिक हैं। भरत की भूमि व्यवस्था के सुधार में, जो एक गयकर रूप धारण कर सुनी या और निश्चक कारण दशा के अधिकारी किसानों का शोषण हो रहा था और कृपक स्थायी ग्रामदारी से बचत था, नमादारी उमूलन एवं सद्यम्भो का अत पहला कदम है। उसके निमा इस समस्या का सम धान भारत म असम्भव था।

आराजिया पर अधिकतम नीमा

पहली पचासांची योजना में यह सिदान्त स्वीकार कर लिया गया था। आरानी पर आधिकतम रामा निरेत का जानी चाहए। यह सुझाव दिया गया था। अधिकतम सामा के निर्धारण करने से सम्बन्धित आठड़ प्राप्त करने के लिए भूमि का आराजियों और क्षाय का गणना का काम किया जाना चाहिए। आधिकतर राम्या म गणना का काम किया गया है। दूसरी पचासांची योजना में इस विकारश को किर

सु दुहराया गया है कि तीन पारिवारिक आराजियों तक अधिकतम सीमा नियत की जानी चाहिए। पारिवारिक आराजी की धारणा पर योजना में सोच विचार किया गया था और इसके कार्यकरण में आने वाली कठिनाइयों को सामने रखते हुए यह सुझाव दिया गया था कि इस विषय पर और अधिक अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों का एक छोटा सा दल नियुक्त किया जाय। इस उपायिका के अनुसार सादा और रिपोर्ट पेश कर दी गई है—

निम्नलिखित राज्यों में अविष्य में अर्जित की गई भूमि पर अधिकतम सीमा लागू कर दी गई है—

| | |
|------------------------------------|--|
| (१) आसाम | ५० एकड़ |
| (२) सौराष्ट्र (अब बंगाल म) | ६० से १२० एकड़ तक |
| (३) भूतपूर्व हैदराबाद राज्य | ७२ से १८० एकड़ तक |
| (४) जम्मू और काश्मीर | २२३ एकड़ |
| (५) मध्य भारत (अब मध्य प्रदेश म) | ५० एकड़ |
| (६) पञ्जू | ३० प्रामाणिक एकड़ (विस्थापित नैश्च ४० प्रामाणिक एकड़) |
| (७) उत्तर प्रदेश | ३० एकड़ |
| (८) पश्चिमी बंगाल | ४५ एकड़ |
| (९) दिल्ली | ३० प्रामाणिक एकड़ |

निम्नलिखित राज्यों में बतमान आराजियों पर अधिकतम सीमा का सम्बन्ध में बान्धून नहा दिया गया है—

| | |
|-------------------------|---|
| आसाम | ५० एकड़ |
| भूतपूर्व हैदराबाद राज्य | ४२ प्रामाणिक आराजिया |
| मध्यू—रनाटन झज्जर | १२ से १७० एकड़ |
| जम्मू और काश्मीर | २२३ एकड़ |
| पञ्जू (अब पंजाब में) | ३० एकड़ प्रामाणिक (विस्थापित व्याच, ४० प्रामाणिक एकड़) |
| पश्चिमी बंगाल | ४५ एकड़ |
| हिमाचल प्रदेश | चम्बा जिले में ३० एकड़ और अन्य ज़िलों में निर्धारित १०५ रुपए भूमि कर की जमीन। |
| बंगलादेश | १८ से २७० एकड़ |

कानून के मात्रहत पजाप सरकार को भूस्वामियों द्वारा भूमि ले लेने के अधिकार दे दिए गए हैं जिनके पास ३० एकड़ (विस्थापित व्यक्त ५० एकड़) से अधिक भूमि है । यह भूमि उन काश्तकारों के बसाने के लिए ली जायगी जिन्हें वेदखल किए बाने की सम्भावना है ।

जम्मू और काश्मीर में वर्तमान आराजियों पर अधिकतम सीमा लागू करने का कानून घार्यान्वित किया जा चुका है । भूपूर्व हेदराबाद राज्य के निम्नलिखित देशों में यह काम हाथ ने लिया जा चुका है ।

- (i) यमाम जिला और वारगल जिले के कुछ भाग (अब आन्ध्र प्रदेश में)
- (ii) श्रीरामाबाद जिला (अब मैसूरु में)
- (iii) वादगिर जिले के कुछ भाग

इन देशों में अतिरिक्त भूमि की सीमा उन्दी के लिए कदम उठाए जा रहे हैं ।

इस कानून में कानून को धारा देने के लिए स्वामित्व हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में पर्याप्त व्यवस्थाएँ नहीं बीं गई हैं । शुरू में जितना अनुमान लगाया गया था उससे प्रतिरिक्त नूमि अब बहुत कम प्राप्त हुई है ।

पश्चिमी उगाल में भी अधिकतम सीमा लागू कर दी गई है । भूमि अंचित करने के लिए और कार्बंवाहियाँ बीं जा रही हैं ।

केरल में जहां भूमिहुधार विल १६५७ अन्ना प्रवर समिति के समक्ष विचारणी है, १५ से ३० एकड़ भूमि की भावी वेदखली बीं व्यवस्था बीं गई है । अन्य राज्यों में अभी तक इस सम्बन्ध में विधान नहीं उठाए गए हैं ।

किसानों के लिए मिलकियत के टक

प्रथम पञ्चवर्षीय योजना में ग्रामतौर से यह नीति प्रणालै गई थी कि किसानों द्वारा उस भूमि पर मालिन बना दिया जाव, जिसे वेदखल नहीं किया जा सकता । इस दिशा में जो प्रगति नी गई, वह बहुत धीमी थी । इसलिए दूसरी योजना में यह भिक्षाप्रिश बीं गई कि जो जनीनें वेदखल फरने योग्य नहीं हैं, उनके किसानों को राज्य द्वारा समर्क में अधिकार लाया जाव और प्रत्येक राज्य इस धात भा तुरन्त प्रवध दरे कि उसादा किसान भूमिधर अधिनार प्राप्त कर लें, जिससे कियान बर्दोदार के परम्परागत सम्बन्धों ना ग्रन्त किया जा सके ।

नागपुर अधिकेशन में यह एक आवश्यक प्रत्ताव था, जिसमें फहा गया था “भूमि सुधारों के बारे में अनिस्तितता कूर करने के और किसानों द्वारा जिन्दगी में पायेदारी कायम करने की दृष्टि से, आज बीं और बाद की भी जोतो की अधिकतम सीमा निर्धारित कर देना चाहिए ।” यह कार्य १६५८ के अन्त तक

पूरा करने का सख्त किया गया है क्योंकि अधिक विलम्ब न्यायोचित नहीं। जो भूमि अधिक होगी वह ग्राम पञ्चायतों का सभी दी जायगी और उसका वितरण भूमिहीन कृपकों में कर दिया जायगा।

इन नुधारों के फलस्वरूप हम ऐसे चक्र को गतिसान बर देंगे जो धूशा और इसके स्थान पर प्रेम और शान्ति के द्वारा पर ले जायगा। भारत के भाष्यनिर्माताओं ने सत्य की भली भाँति खोज करने के पश्चात् यह भूमि नुधार का शख्ताद बजाया है, जिसने संपुत्र ग्रामवासियों में घार्मिक उमाद की एक अभिनि प्रज्वलित कर दी है और यदि यह आगे स्वार्य एवं सधर्ष की चाह को भस्म करती रही तो हमारे दीपन म आत्मव तथा एकना वा समावश रामायिक ही है।

भूदान एवं ग्रामदान आ दोलन

इसमें कोई सन्देह नहीं कि भूमि समस्या का अभी तक पूर्ण समाधान नहीं हो पाया है। अभी तक जो कुछ हुआ है उसके लिए ग्रधिक से अधिक इतना ही कहा जा सकता है कि समस्या में हल की ओर दो तीन बदल बढ़े हैं। भूलं पर्व नगान अभी भी हमारे देश में व्यापक है। हमारे मानवों का जीवन स्तर भी अकृत्य नीय निम्न कोटि का है। हमारे भूमि नुधारों ने जमींदारी, मालगुजारी, जागीरदारी जैसी कुछ मध्यस्थ प्रथाओं को सत्त्वमिया और निश्चय ही इन मध्यस्थों के उन्मूलन से हमारे कृषकों को अब हरी, बेगर, नजराना, मोठराना, आदि तरह तरह की पैशा चिक वस्तुजायियों को नहीं देना पड़ता। यह कुल रकम क्या होती थी इसकी तो कभी गणना भी नहीं हुई पर यह निश्चय है कि यह रकम अरबों रुपय के बराबर हुआ करती थी। यह क्षूट तो हमारे किसानों को मिली पर इचक भाद चाकी उभी चारें पुरानी ही हैं। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन केवल हमारे कृषक नुधारों को पूरा करने के लिए दरवाजा ही खोलता है पर स्वयं पेचीदा भूमि प्रश्न का हल नहीं है।

बास्तव में भारत की भूमि समस्या का हल किसी और तरफ है। विनोदा जी तो यही बहते रहते हैं कि भारत की भूमि समस्या का हल भूमि का पुनर्वितरण है, आर कुछ नहीं। सच में भूमि प्रश्न पर विनोदा का हिटोण बहुत ही बामपद्धी है। 'वह तो भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व भी स्वीकार करने की तैयार नहीं है। उनका कहना है कि हवा और जल के समान भूमि भी भगवान के द्वारा दी गई चीज़ है और जिस प्रकार जल और वायु पर किसी का स्वामित्व नहीं हो सकता। उसी प्रकार भूमि पर भी किसी का स्वामित्व नहीं हो सकता।

भूदान आ दोलन वा थीगणेश भूमिहीन खेतिहार श्रमिकों को भूमि प्रदान करने का ही उद्देश्य से किया गया है। इतने जन्मदाना आचार्य विनोदा भाव हैं

जो पग पग चलकर देश के उन असस्त पददलितों की सेवा करना चाहते हैं जो सदियों से दासत्य, पराधीनता, निरपेक्षता, निरहरता आदि के चलुल में फँसे रहे हैं। इन अप्रैल १९५१ के पावन दिवस को इस आनंदोलन का प्रातुर्मांव हुआ जब कि हेदराचाद जले के पौनाम्बली नामक स्थान में १०० एकड़ भूमि विनोदा जी को दान त्वरण मिली।

आज लगभग दूरै वर्ष हो गये हैं और इस समय में विनोदा जी ने मद्रास, हेदराचाद, निहार, डचर, प्रदेश, आनंद, सभ्य प्रदेश आदि लगभग सभी राज्यों की पदल यात्रा कर ली है। ३० जून १९५७ तक इस आनंदोलन के अन्तर्गत ४३ लाख एकड़ भूमि एकत्र मर ली गई थी और इसमें से ५,१३,३३२ एकड़ भूमि विनियत मर रक्षी मर्है है। दिसम्बर १९५८ तक ४४ लाख २८ हजार एकड़ भूमि एकत्र हुई जितने लगभग ८ लाख एकड़ भूमि वितरित की गई।

अब नमिदान गें ग्रामदान भी तुड़ गया तो समस्त भदान का रूप ही बदल गया जो उससी उद्गम बल्पना से विलकुल भिन्न है। त्वय विनोदा जी ने कहा है—

“जसे नदी विशाल रूप बारण करती है और जो रूप उसके उद्गम से होता है, उससे निलकुल भिन्न रूप ही इस भूदान यज्ञ का हुआ है। भूदान यज्ञ का जो रूप अप हान जा रहा है वह कुछ लोगों को उत्ता एवं विपरीत मालूम होता है लेकिन जसे नदी के विशाल रूप में गुण परिवर्तन नहीं होता और पानी का सम्भाव कायम रहता है वसे ही नदान यज्ञ के आरम्भ से इसका जो गुण रूप था, उसमें परिवर्तन नहीं हुआ। हमने शुरू में ही नहीं या कि दान से हमारा भवलतर समरिभाजन से है।”

नमिदान का उत्तम दर्शन ग्रामदान में मिलता है जो बचितों एवं समृद्धि के बीच रथयों की जलात् दातारों ने चन्नाचूर भरक भूक्ति योग की सामुदायिक साधना द्वारा रामराज्य की बल्पना ने साकार करते हैं। सम्भव है सब ग्रामीणों ने लिए गाड़ी की व्यवस्था एवं ही दग की न हो किंतु सहकार ग्राम प्रणाली विवरण आधार व्यक्तिगत स्वानिति का ऐच्छिक त्याग होगा, ग्रामदान के पीछे नुख्त चिदान्त है। यही गवाय ग्राम चमाजबाद होगा। विनोदा जी इस ग्रामदान आनंदोलन को एक गहरा महत्व रखने वाली एक महान अहिंसात्मक क्राति समझते हैं। एक गांव के एवं जाशारार ग्राम बलिदान तथा परस्पर सहयोग की भावना से प्रेरित हो अपनी सब जमीन नमिदान में दे देते हैं और फिर अपने अपने परिवारों की रुख्या के अनुपात में वापस जमीन पाते हैं। क्या इसान के दिल और दिमाग को इस अद्भुत तरीक से बदलने उे बढ़ कर और दोई भी प्राप्ति हो सकती है? ग्रामदान

में प्राप्त गाँव की जमीन का एक हिस्सा कम से कम कुल जमीन का १/१० भाग, इसी—सहकारी समिति के रूप में सार्वजनिक सेवी के लिये सुरक्षित रहता है। इस सार्वजनिक भूमि से ग्राम लाम पचायत प्रशासन, ग्राम पाठशाला, प्रसूति चिकित्सा यह, सफाई, साकृतिक गतिविधि और गाँव के मेले त्वीहारों जैसी सामुदायिक सेवाओं पर सर्व किया जाता है। सन् १९५७ तक लगभग २,५० ग्राम, दान में प्राप्त किये जा चुके थे जिनमें से १८० गाँव उड़ीसा में, २२० गाँव बम्बई और इतने ही मद्रास में प्राप्त हुए हैं। विभिन्न राज्यों में दिसम्बर १९५८ तक इन गाँवों की सख्ता नटकर ४८६ हो गई है। सभसे अधिक गाँव उड़ीसा में प्राप्त हुए हैं जिनकी सख्ता १९६० है। आप्र में ४८१ तथा तामिलनाड में २६८, पश्चिमी खानदेश जिले वे अकानी परगने में सभी १५३ प्रामों ने ग्रामदान किया है। कैसे ग्राशर्चय एवं आनन्द वी बात है कि यरल प्रदेश में भी ग्रामदान हुए हैं—एक दो नहीं दस बीस नहीं ५५८ या इससे भी अधिक। अन्तत उहारारी गाव व्यवस्था वायम करना भूदान आदोलन का उद्देश्य है, जिसकी उल्पना योजना में भी वी गई है। आदोलन ने एक सामाजिक वातावरण भी पेदा कर दिया है जो भूमि सुधार के लिए उठाए गए वैष्णवित चदमों के कार्यकरण को सरल बनायेगा। वस्तुत ग्रामदान ‘वसुपैत्र कुटुम्बसम्’ का आदर्श है जिसमें सभी जमीन मिलेगी, सभी ज्ञान मिलेगा और मिलगा एक प्रकार का आच्यात्मिक प्रेम जिसके धरातल में मैं या ‘मेरे’ का भौतिक जड़-पौधाज की चेतनता में विलीन हो जायगा। यह अमृत के पावस विनुओं के सदृश्य भूमिहीनों की छुधा और पिपासा का शमन कर उहें चीजन दान देगा। यह भू कान्ति का शख नाद है, सबादय समाज का रहस्य है, साभ्ययोग की आधार शिला है।

उपस्थार

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि मध्यस्थों एवं जमीदारी उमूलन के पश्चात ग्रन्थी भी उचित एवं न्यायपूर्ण भूमि व्यवस्था के लिए निभलिखित वातों की आवश्यकता है—

(क) भविष्य म भूस्थामियों द्वारा पुन ग्राप्त की जाने वाली भूमि और भौतूदा आराजियों की उच्चतम सीमा निधारित कर भूमि का पुनर्गिरण, निर्धारित उच्चतम सीमा से ऊपर की अतिरिक्त भूमि को हस्तगत कर भूमिविहीन खेतिहार मक्कूरों दो पुन बलाना, और लाभकर आराजियों के ग्रावार को मढ़ाना।

(ख) पिल्लै द्वारे आरक्षियों को स्थुक रखने और एक वर्ष तक और जमान को लाभकर आरार से बहुत ज्यादा दुरङ्घा म बैठ जाने और छोटा होने से रोकना।

(ग) सहकारी खेती का विकास जिसके द्वारा छोटी आराजियों को एक गांध इकट्ठी करके उस पर समिलित खेती की जा सके जिससे खेती की क्रियात्मक इकाई का आवार बढ़ सके और वहे पैमाने के सगठनों की मित्रत्वयिता का लाभ प्राप्त किया जा सके, और जिसके फलस्वरूप, अन्त में, सहकारी प्राम प्रबन्ध स्थापित हो सके।

भूमि नीति के उद्देश्य दोहरे हैं—सामाजिक न्याय और अधिक उत्पादन। भूमि में दिलचस्पी रखने वाले विभिन्न वर्गों के अधिकारों में सम्बन्ध स्थापित करने के लिये साधन भी इसमें समिलित हैं। यह सम्बन्ध भूमि के और अधिक समान वितरण और इष्टि दाचि का पुनर्गठन करने के लिये आवश्यक है क्योंकि इससे वे स्थानान्वय लाभियाँ दूर की जा सकेंगी जिनके बारण इष्टि के विकास में बाधाएँ उपस्थित होती हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा, आगदनी और आवसरों की विषमताओं को सच्चे प्रजातात्रिक समाज के निर्माण के लिये दूर करना चाहिये है। साथ ही यह भी आवश्यक है कि उन्नत उत्पादन के लिए मनोवैज्ञानिक उत्ताह और उपयुक्त संस्था तक दाचा प्रदान किया जाय।

जहा तक काश्तकारी कानूनों का सम्बन्ध है मौजूदा कानूनों की उपर्युक्त जाँच से स्पष्ट है कि विभिन्न राज्यों द्वारा अपनाई गई कार्यवाहियों में बहुत भिन्नता है। अधिकतम लगान की दर पैदावार के १५% भाग से ५० प्रतिशत तक है। इसी प्रकार काश्तकारों को जमीन का मालिक बनाने के लिये की गई कार्यवाहियों में बहुत प्रकार है। यद्यपि दूसरी पञ्चवर्षीय योजना सभी राज्य सरकारों द्वारा स्वीकार की गई है, लेकिन दरअसत्ता की गई कार्यवाही को देखने से नजर आता है कि वहाँ पर्क अभी तक मौजूद है।

मौजूदा आराजियों की अधिकतम सीमा निर्धारित करने की नीति व्यापक तीर पर स्वाकार की गई है। लेनिन इस नीति को कार्यरूप में लाने की धीमी रफ्तार से जाहिर होता है कि भासी उपराय और हिचकिचाहट मौजूद है। मौजूदा आराजियों की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिये बेवल कुछ ही राज्यों में कानून लारा दिये गये हैं लेकिन उन दुक्ष राज्यों में भी कानून को अमल में लाने में काफी तरक्की नहीं हुई है।

यह भी बहुरी है कि सभी काश्तकारों को भूमि व्यवस्था सम्बन्धी पूरी सुरक्षा देने और विभिन्न प्रकार की बेदखलियाँ तुरत्व बन्द करने के लिये काश्तकारी सम्बन्धी सुधार कानून लागू किये जायें। इह तरह के भूमि सुधारों को लागू करने में योज्ञी सी दृष्टि जाने की वजह से बहुत काश्तकारों को बेदखली का सम्मान करना पड़ा है। नहाँ तक निची खेती के लिये फिर से जमीन इस्तगत करने का ताल्लुक है यह

जरूरी है कि बहुत साफ साफ शब्दों में निजी खेती की परिभाषा कर दी जाय। निजी खेती के तौर पर खेती करने के उद्देश्य से जमीन पर फिर कब्जा करने के लिये खेत पर एक निम्नतम मात्रा में स्वयं अम करना बुनियादी रूप में अनिवार्य हो जाना चाहिये। इसके लिये सिफ़ पूँछी लगाना और सामान्यत खेती धानी की देख रेख करना ही काफी नहीं माना जाना चाहिए। चूँकि भूतकाल में निजी खेती की परिभाषा सामान्य तौर पर दोषपूर्ण रही है, इसलिए कुछ राज्यों में बटाई द्वारा खेती की व्यवस्था को जिसमें काश्तकारी की सभी विशेषताएँ पाई जाती हैं निजी खेती नहीं माना गया और बटाईदार उन हकों से वचित रखे गये हैं जो काश्तकार को मिले हैं। इस दोष को भी जहाँ तक मुक्तिन हो जल्द उन हकों से वचित रखे गये हैं जो काश्तकार को मिले हैं।

लगान का नियमन एक अन्य भूमि सुधार है जिसके सम्बन्ध में अब देर करना बाल्कनीय नहीं है। पहली पचवर्षीय योजना में यह बहुत गया या कि अगर लगान दर उपज के एक चौथाई या पाँचवें हिस्से से अधिक हो तो उसके लिये विशेष औचित्य का आधार जरूरी होना चाहिये। लगान के नियमन की दिशा में हुई प्रगति अबमान रही है और कई राज्यों में कानून काफी पीछे पड़ गये हैं। इसलिये यह बाल्कनीय है कि लगान की दर जो इस स्तर पर ला दिया जाय जिसका तुम्हार पहली पचवर्षीय योजना में दिया गया है। लगान नियमन के सामान्य तरीके के अलावा अधिकतम लगान को भी मालगुबारी के कुछ गुने के रूप में निश्चित कर देना लाभ दायक सिद्ध होगा।

सिफ़ भूमि तुधार सम्बन्धी प्रशतिशील कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं। हमारा अनुभव बतलाता है कि भूमि सम्बन्धी कानून बना देने से उन लोगों के लिये बहुत सी बठिनाइयाँ और परेशानिया पेदा हो जाती हैं जिन्हें इन कानूनों से लाभ पहुँचाना होता है। यहाँ तक कि हाल के तुमारों के समय यह भी देखा गया कि उन बहुत से राज्यों में जहाँ पर भूमि व्यवस्था सम्बन्धी ग्रच्छे कानून बनाये गये हैं उन दोनों ही पक्षों ने—जिन्हें कि लाभ पहुँचा है अथवा जिनकी जमीन हस्तगत कर ली गई है—शासक दल के लिलाफ़ मत दिया है। यह भी जरूरी है कि हमारा प्रशासन, खास तौर पर ग्रामीण स्तर पर, बहुत साफ सुधरा और ईमानदार हो, अन्यथा प्रगति शील भूमि सुधारों का बहुत कुछ महत्व प्रशासन की अधिकारियता और भ्रष्टाचार के कारण नष्ट हो जायगा जिसका सामना किसानों और ग्रामीणों को अपने प्रति दिन के बीचन में करना पड़ता है। भूमि व्यवस्था का उचित एवं न्यायपूर्ण होना अत्यन्त आवश्यक है, इसमें कोई संदेह नहीं। इस व्यवस्था के उपरांत होने पर ही मारत राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक दोनों में विकास करने का स्वर्ण साकार बन सकता है, अन्यथा नहीं।

पठित बचाहर लाल नेहरू के शब्दों में—

“चीन में साम्यगादी विजयी हो रहे थे पर भूमि समस्या विजय का प्रधान कारण थी। ४० वर्ष पूर्व वहाँ के शासक निष्कासित कर दिये गये थे क्योंकि चीन आवश्यक भूमि सुधारन कर पाया था। परिणाम यह हुआ कि सरकार स्वयं ही समाप्त हो गई। इतिहास बतलाता है कि जो भी सरकार भूमि समस्या का नियकरण नहीं कर पाई वही विलीन हो गई।”

कृषि नियोजन के उद्देश्य

भारतवर्ष ऐसे कृषि प्रबाल देश में कृषि नियोजन के उद्दिष्ट उद्देश्य नहीं है। नियोजन के उद्देश्य अत्यन्त उदार, नामपूर्ण एव उच्च हैं। कुछ लोगों की वारणा है कि कृषि नियोजन का उद्देश्य पूँजावादी व्यवस्था को सुन्दर करना है तथा कुछ लोगों का विचार है कि नियोजन का उद्देश्य साम्बादी व्यवस्था को स्थापना करना है। ये दोनों ही विचार भाग्यहीं भ्रम पूर्ण हैं। हमारे देश के कृषि नियोजन के उद्देश्य सचेत में निम्नलिखित हैं—

(क) “विस्तार का आभिशाय एव रेवल भौतिक पदार्थों के उत्पादन के बढ़ाने से ही नहीं है, अब इस बात का निश्चय करना आवश्यक है कि इसके साथ ही अन्य उद्देश्यों जैसे पूर्ण उच्च तथा आर्थिक विभवताओं का भी निराकरण हो जाय।” (प्रथम पञ्चवर्षीय योजना)

(ख) अधिकतम उत्पादन, ब्रेरोजगारी का अन्त, आर्थिक समानता तथा सामाजिक न्याय की उत्तमनिष्ठ नियोजन के अत्यन्त उदार उद्देश्य हैं।

(ग) जनताधारण की धिक्का एव उनके व्यास्पद को प्राप्त करना।

(घ) यात्रा का अन्त तक तथा वर्गीकृत ग्राम्यत्व प्रेम एव देश प्रेम की सुन्दर भावनाओं से ज्ञात ग्रोत उपाय की रखना करना।

(ङ) ग्रीष्म कालीन समय एव सर्वत्र की पृष्ठ नूमि पर समाव का दैनिक एव न्याय पर आधारित संगठन प्राप्त करना।

(च) करान्तों निरीह एव निर्बन्ध किन्तु भमशील निषानों का आर्थिक एव सामाजिक विकास करना।

(छ) देश के अपार प्राकृतिक साधनों का अधिकतम विकास करना जिससे कि हमारा देश एक सुट्ट, घकिशाली एव समुद्रिशाली देश बन सके और विश्वव्यापी शान्ति सन्देश के द्वारा आमुनिक अशान्तिमय विश्व को चिरकाल तक शान्तिमय आनन्द प्रदान करते या दमघत प्राप्त कर सकें।

नियोजन के प्रयत्न

द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्तर हमारे आर्थिक एव सामाजिक दौर्जे में विफलताएँ एव अनेक समस्याएँ उत्पन्न हो गई तथा जो पहले से भी उनमें घटिलता आ गई। अतः जनता एव यरकार दोनों का ज्ञान नियोजन की ओर आर्थित हुआ। देश के विभिन्न अर्थशास्त्रियों एव विद्वानों द्वारा कई एक योजनाएँ प्रस्तुत की गईं। इनमें प्रमुख योजनाएँ बम्बई योजना (Bombay Plan) गांधी योजना (Gandhi Plan), लोक योजना (Peoples Plan) निहला योजना (Birla Plan),

सरकारी योजना, राष्ट्रीय योजना समिति की योजना (National Planning Committee's Plan), कोलम्बो योजना (Colombo Plan) तथा प्रथम तथा द्वितीय पचवर्षीय योजनाएँ हैं। उपरोक्त सभी योजनाओं में कृषि का महत्व स्वीकार किया गया है तथा खेती को ही भारतीय आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक विकास की आधारशिला माना गया है।

प्रथम पचवर्षीय योजना एवं कृषि

प्रथम पचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता प्रदान की गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना का सम्पूर्ण अनुमानित व्यय २०६६ करोड़ रुपया था, जिसका १७.४ प्रतिशत कृषि एवं सामूहिक विकास योजनाओं के लिए रखा गया था। १८४ करोड़ रुपया वेवल कृषि के विकास के लिए रखा गया था। कुल मिलाकर कृषि या कृषि से सम्बन्धित मुद्धारों एवं विकास के लिए कुल व्यय का ६८.६ प्रतिशत व्यय किया जाने का निश्चय किया गया था। प्रथम पचवर्षीय योजना के उद्देश्यों को सचेत में बतलाते हुए योजना कमीशन ने लिखा है कि “यद्यपि पचवर्षीय योजना के मूल में कृषि विकास प्रधान है, तथापि इसका सम्बन्ध एक ऐसी बहुदृढ़ योजना हो है जिसका उद्देश्य राष्ट्र का सर्वाङ्गीण विकास है।”

प्रथम पचवर्षीय योजना सन् १९५१ में लागू की गई थी तथा १९५६ में समाप्त हो गई। सन् १९५६ से दूसरी योजना चल रही है। प्रथम पचवर्षीय योजना में बड़ी सफलता प्राप्त हुई। खाद्य सफ्ट लगभग निवारण कर दिया गया। खाद्यांशों के उत्पादन में लगभग ३०%, कपास उत्पादन में ४५% तथा तिलहन में ८५% प्रतिशत की वृद्धि हुई। लगभग २६० एकड़ नूमि पर उत्पादन की व्यवस्था की गई। रसायनिक खाद की व्यवस्था, उत्तम बीजों की व्यवस्था, कृषि में नवीन वैज्ञानिक अनुसधान तथा नूमि व्यवस्था में गुप्तार इत्यादि अत्यन्त लाभप्रद कार्य किये गये। चकवन्दी, सहकारी साल एवं विपणन समितियों का विकास इत्यादि के द्वारा खेती के सर्वाङ्गीण विकास की ओर ठोक कार्य किये गये। केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन (Central Tractor Organisation) का स्थापना की जिसका प्रमुख कार्य राज्यों में ऊसर, बजर तथा ऊबड़ खाद्य जमीन को पुनः खेती योग्य एवं उपजाऊ बनाना है तथा मशीनों द्वारा खेती करने की उचित सलाह एवं सहायता प्रदान करना है। छिंदवारी, जिला मिर्जापुर में एक खाद बनाने वाली विद्यालय फैक्टरी स्थापित की गई। पशुओं की नस्ल में मुधार, नूमिक्षरण, सहकारिता प्रशिक्षण की व्यवस्था, तथा सहकारी कृषि के प्रयोग किये गये। सन् १९५२ में प्रारम्भ किये गये टेक्निकल कोऑपरेशन आयोजन (Technical Co-operation Programme) के अन्तर्गत हजारों पाताल

तोड़ कुओं का निर्माण किया गया। समुद्री मत्स्य के उत्पादन तथा टिक्की दलों पर नियन्त्रण के विभिन्न उपाय प्रयोग में लाए गये। बहुमन्धी सहकारी समितियाँ, सहकारी कृषि समितियों, साल सहकारी समितियों तथा क्रय विक्रय समितियों की स्थापना की गई।

उपरोक्त चारों क अतिरिक्त नूमि सम्बन्धी समस्याओं को हल चरने के लिये तथा राज्यों के तत्त्वावधी कार्यों के क्रमचक्र करने एवं प्रोत्साहित करने के लिये 'केन्द्रीय नूमि सुधार संगठन (Central Organization for Land Reforms) की स्थापना की गई। कृषि अभियों की समस्या की ओर भी विशेष ध्यान दिया गया।

प्रथम पचवर्षीय योजना में सिन्चाई के प्रोजेक्टों के लिये ५१८ करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई तथा कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पूरे भी किये गये बिना हजारों एवं नूमि हरे भरे खेतों से परिपूर्ण हो गईं। सामूहिक विवाद योजनाओं, खेती के लिये विचार-व्यवस्था तथा वेहानिक विपणन सम्बन्धी महत्वपूर्ण कार्य किये गये। कृषि प्रशाली का सुधार, कृषि औजारों का सुधार, कृषि शिक्षा का प्रसार एवं कृषि अनुसन्धानों में भी काफी प्रगति हुई। हुमें योजनालालों की व्यापना, फल एवं शाक उत्पादन न इदि की गई।

प्रथम पचवर्षीय योजना की उपर्युक्त महत्वपूर्ण सफलता यह हुई कि इसने दीर्घ चाल से जुपान एवं गुलामी की जबीरों में जकड़े हुये किलानों में नवीन ज्ञानात्मि एवं चेतना उत्पन्न कर दी है। विद्यान ज्ञन ग्रन्थे महल, गौरव एवं कर्तव्यों को समझने लगा है। उनमें पारस्परिक सहयोग की मावना का प्राइमारी हुआ है तथा उनक अन्त करणे में उन्नति एवं प्रगति की प्रवल्ल इच्छा उत्पन्न हो गई है। प्रथम पचवर्षीय योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों को अपने नव निर्माण सन्देश के द्वारा जागरूक कर दिया है। इस योजना ने भविष्य के समृद्धशाली तथा खुशहाल भारत की नीव ढाली है जिसक आधार पर द्वितीय एवं तृतीय पचवर्षीय योजनाओं को कार्य करना है। इस योजना में हमें द्वितीय पचवर्षीय योजना की सफलता के अनुरोध का प्रत्यक्ष दर्शन होता है।

द्वितीय पचवर्षीय योजना एवं कृषि

द्वितीय पचवर्षीय योजना में उद्योगों की उन्नति की प्राथमिकता दी गई है परन्तु व्याप के अवहेलना न करके उसको इस योजना में भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। वास्तव में यह निर्विवाद सत्य है कि उद्योगों की प्रगति के लिये कृषि वरी प्रगति उदनी ही आवश्यक है जितनी कि मनुष्यों को जीवित एवं

कार्यशील रखने के लिये योजना की आवश्यकता होती है। उद्गोगों को बच्चा माल प्रदान करना कृपि का ही कार्य है। अतः द्वितीय पचवर्षीय योजना में भी कृपि का महत्व कम नहीं है।

द्वितीय पचवर्षीय योजना में अनुमानित व्यव का लगभग १८ प्रतिशत कृपि के लिये निर्धारित किया गया है। लगभग १६ प्रतिशत सिंचाई तथा शक्ति के साधनों पर व्यव किया जाना है। द्वितीय पचवर्षीय योजना सन् १९६०-६१ में पूर्ण हो जायगी और उस समय तक आशा की जाती है कि खाद्यालों में १५%, करात उत्पादन में ३१%, गन्ना उत्पादन में २८ प्रतिशत, तिलहनों के उत्पादन में २७%, जूट उत्पादन में २५% तथा चान के उत्पादन में लगभग ६% की कृदि हो जायगी। सामूहिक विकास योजनाओं तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यों में भी पर्याप्त व्यव किया जाएगा। जूट, कपास, गन्ना, तिलहन, फल, ढाक, तरकारियाँ, दूध, फल, अण्डा तथा मस्त्य उत्पादन पर विशेष जार दिया जायगा। नूमि प्रदनव एवं भूमि व्यवस्था तथा नूमिहीन वृक्षों में नूमि वितरण इत्यादि के कार्य किये जायेंगे।

वनस्पतियों, मछली, दूध तथा फलों के उत्पादन के लिए प्रथम पचवर्षीय योजना में केवल ६६ करोड़ रुपये व्यव किये गये थे किन्तु द्वितीय योजना में इन पर लगभग ६८ करोड़ रुपये व्यव किया जायगा। पशुओं की नस्ल सुधारने के लिये प्रथम योजना में ६०० ग्राम केन्द्र (Key Villages) और १५० कृषिम गर्माधान केन्द्र खोले गये थे। द्वितीय आयोजन में १२५८ नस्ल सुधार ग्राम केन्द्र तथा २४५ कृषिम गर्माधान केन्द्र त्यागित करने की व्यवस्था है। लगभग १६०० नवे पशु चिकित्सालयों की स्थापना की जायगी।

द्वितीय पचवर्षीय योजना के अन्त में अनुमान किया जाता है कि अब तक उम्मीद प्रति ०.८ कि. वर्षमान समय के १७.२ और स दृढ़कर १८.३ और हो जायगा। शुद्धकर का उम्मीद प्रति घण्टि १.४ और स दृढ़कर १.७ और हो जायेगा। विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में कृदि करने के अतिरिक्त उत्कर्ष किलों में सुधार की ओर भी विशेष ध्यान दिया जावेगा।

सिंचाई के साधनों में कृदि के द्वारा अतिरिक्त सिंचित नूमि में लगभग २१ मिलियन एकड़ नूमि की कृदि हो जायगी। लगभग २०० नवीन सिंचाई प्रोजेक्ट बनाये जायेंगे। ३५८१ नए पानाल ठोड़ कुर्झ बनाए जायेंगे जो कि जल विद्युत से सञ्चालित किये जायेंगे।

रसायनिक साधों के उत्पादन में १४५६ के ६१ लाख टन से १८० लाख टन तक कृदि की जावेगी। लगभग ३००० ऐसे कृदि कार्य स्थाने जायेंगे जिनमें

वैशाखिक टुग से उत्तम बीज उत्पादित किए जावेंगे। लगभग ३५० लाख एकड़ नई नूमि कृषि योग्य बनाई जावेगी।

कृषि पदार्थों के मुरहित एवं सप्रह करने के लिये अनेक सप्रहालय (Storage Houses) खोल जायेंगे। नई मटियों का सगड़न एवं पुरानी मटियों का पुनर्संगठन किया जावेगा। द्वितीय पचवर्षीय योजना के अन्त तक लगभग ५०% विपणन कार्य गहकारी विपणन समितियों द्वारा होने लगेगा। विपणन समन्वयी कार्य करने तथा समर्कित करने के लिये राष्ट्रीय सहकारिता विकास तथा गोदाम बोर्ड (National Co-operative Development and Warehousing Board) की स्थापना की जा जुकी है। इस बोर्ड ने अब तक १७ राज्यों में सहकारी योजनाओं को कार्यान्वित करने वाले स्वीकृत प्रदान कर दी है।

द्वितीय पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कार्य एवं उनका

आत्मोचनात्मक अध्यन

द्वितीय पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कार्य प्रारम्भ होने के एक ही वर्ष उपरान्त विभिन्न ज़ेबों में उच्चति के लक्षण स्पष्ट दिखाई पड़ने लगे। सन् १९५६-५७ तक खाद्य सामग्रियों के उत्पादन में १४ मिलियन टन की वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त रुई और गने के उत्पादन में भी पर्याप्त वृद्धि हुई। श्रौद्धोगिक उत्पादन में भी ६% की वृद्धि हुई। सन् १९५६-५७ के वर्ष में ८३ मील नई रेलवे लाइनें खोली गईं तथा ५२४ मील नई रेलवे लाइनों के बनने वा कार्य हो रहा है। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने इस वर्ष एक एटामिक रिसर्चर की स्थापना करने में सफलता प्राप्त की है। यह कार्य देश की श्रौद्धोगक उन्नति के लिये स्वर्णिम आशाओं से पूरा है। सन् १९५७-५८ में २० लाख एकड़ अतिरिक्त नूमि पर रिचाइद होने लगी। १९५८-५९ के लिये इसका जो अनुमान लगाया गया है इसका योग २०३ लाख एकड़ है। परन्तु इन सभी प्रयत्नों के बावजूद भी कृषि के द्वेष में द्वितीय योजना का अन्तर्गत वाक्तिर सफलता प्राप्त नहीं हुई है। १९५८-५९ से १९५९-६० तक की अवधि में कृषि उत्पादन में केवल २ से २.५ प्रतिशत की ही वृद्धि हुई है। वृद्धि की यह गति पर्याप्त नहीं है। इसमें सन्देह नहीं कि प्रथम पचवर्षीय योजना की सत्रोपजनक सफलता के बाद जिस आशा एवं उत्साह से दूसरी योजना प्रारम्भ की गई थी, गत दो-तीन वर्षों तक उसे पूर्ण करने के प्रयत्नों का बाद आज हमारी वह आशा, वह उम्मग और वह आशामय वातावरण कुछ शिखिल रह गया है। हमने जिन कठिनाइयों की बल्लना मान की थी, वह हमारे सामने आ गई। उनमें से कुछ कठिनाइयाँ ऐसी भी हैं, जिन पर हमारा भौंड वश न या। गत दो वर्षों से हम भगवान की कृपा से हम विचित्र

हो गये। अनावृष्टि एवं अतिवृष्टि दोनों कारणों से हमारा अब उत्पादन खटरे औं सीमा को पार कर गया और हमें आज करोड़ों लोकों का बीम विदेशी मुद्रा पर दाह कर अनाज का आपात करना पड़ रहा है। जब साधारण में प्रत्येक श्रीलंका की शिक्षायत है कि योजना निरतर मौहगा होता जा रहा है और अब अब वस्त्र आदि नित चाम आने वाले पश्चार दुर्लभ से दुर्लभतर होते जा रहे हैं। योजना के सरकारी चर्चीलों द्वारा हम शिक्षायत वा उत्तर आँखों के तीरों की बीच्छार करके दिया जाता है और आँखों में बहुधा, अमरीकनों के ग्रन्तुकरण में सभों के द्वित जाते हैं कि अमुक कार्ब में इन्हें करोड़ ८० लाख दिये गए और अमुक पर इन्हें। इस प्रदार कर्त्तयों की चकाचौथ में यह स्पष्ट दिखाई नहीं देता कि अब वस्त्र आदि उपभोक्त्र वस्तुओं के उत्पादन अत्यधा उपलब्धि में बिल्ली बृद्धि हुई।

बहुत: योजना की सफलता अधिकता प्रदूष बरने के लिए, उसके विभिन्न वायों पर व्यव दिए गए या विप बाने वाले यद्या का उत्तान न करने, उनसे प्रभा कलों का विचरण देना चाहिए, और इस वसीबे पर बरने से द्वितीय योजना की अधिकता द्वितीय सामने आती है, उन्हीं सफलताएं, नहीं आती।

द्वितीय योजना में ग्रन्त की उपज बढ़ाने का लक्ष्य १०० लाख टन रक्ता गया था, अर्थात् १९५५ की समत्त उपज ६५० लाख टन मानकर १९६१ तक उसे ७५० लाख टन कर देने का निश्चय किया गया था। यह लक्ष्य द्वितीय योजना हींवार करने समय १९५८ में निर्धारित किया गया था। पीछे १९५५ में उन जाय भवितों ने मध्ये में एक होस्ट निश्चय किया कि अब उत्पादन में बृद्धि का लक्ष्य ३०० लाख टन कम है, उसे बढ़ाकर १६५ लाख टन कर दिया जाय। परन्तु इस प्रभार लक्ष्य ठंडा उभार देने पाए से उपर घूर्णि नहीं हो जाती। सब योजना आयोग की रिपोर्ट के अनुसार द्वितीय योजना के प्रयत्न दो वर्ष में पजाह, उत्तर प्रदेश और राजस्थान आदि राज्यों का उत्पादन निर्धारित लक्ष्य से बहा पीछे रह गया।

निम्न लालिता से ऐसा स्पष्ट होता है—

| राज्य | बृद्धि का लक्ष्य (लाख टन) | वर्ष | ग्राहित उत्पादन (लाख टन) |
|--------------|------------------------------|---------|-----------------------------|
| पंजाब | १४.४० | १९५६-५७ | २.८४ |
| उत्तर प्रदेश | २४.०० | " " | ५.८५ |
| राजस्थान | ८.०७ | " " | १.२७ |
| मध्य प्रदेश | १४.६१ | " " | २.१० |
| कर्मसूर | २.०६ | " " | ०.२७ |

वास्तव में द्वितीय पचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के प्रलोभन में कृषि की उपेक्षा ही इस स्थिति का मुख्य कारण रही। प्रधान मंत्री पै० नेहूल के शब्दों में—

“भारत सरकार एवं योजना आयोग ने कृषि की ओर पर्याप्त ध्यान न देकर एक कड़वा सबक सीख लिया है। औद्योगिक प्रगति की अपेक्षा कृषि उत्पादन बढ़ाने की समस्या ‘बहुत डलमक्कपूर्ण’ और मुश्किल है, क्योंकि इसका सम्बन्ध विशाल जन समूह से है।”

उपर्युक्त कठु अनुमत के आधार पर ही द्वितीय पचवर्षीय योजना में कृषि पुनः अपनी प्रथम स्थिति पर आसीन हो गई है।

बहुत से अर्थशास्त्रियों की ओर से यह मत प्रदर्शित किया गया है कि योजना आवश्यकता से अधिक महत्वाग्दिशी हो गई है अगांत् उसके लद्दों एवम् कार्यक्रमों को निर्धारित करते समय साधनों की अपर्याप्तता को इस्टिग्न नहीं किया गया है। योजना आयोग व शासन के अधिकारी इस विचार का विरोध करते रहे हैं और इसे निराशाजनक मनोवृत्ति बताकर आशा व उत्साह का सदेश देते रहे हैं। किन्तु अब वे भी बस्तु स्थिति को देखकर धीरे-धीरे विषय की सचाई को स्वीकार करने लगे हैं। पहले ४५-६० अरब रुपये की बात करते थे फिर ४८ अरब रुपये पर उत्तर आये और योजना के पूर्ण करने पर जोर देने लगे। फिर अनिवार्य योजनाओं (Core of the Plan) को अवश्य पूर्ण करेंगे, यह कहकर दबी जवान से प्राथमिकता के अनुसार कुछ कम आवश्यक योजनाओं पर पुनर्विचार की बात की जाने लगी। किन्तु अब स्थिति यो गमीता को समझ कर योजना ही ४५ अरब रुपये की कर दी गई है यद्यपि ४८ अरब रुपये के शब्दों की सख्ता को वे अभी तक छोड़ नहीं पाये हैं। फलस्वरूप १२०० करोड़ रुपये की घाटे की व्यर्थ दृष्टस्था करने के बाद मी आन्ध्ररिक साधनों में ४०० करोड़ रुपये की कमी आती है। भारत को विदेशी उद्यानता पर अवलम्बित होने के लिये विवश होना पड़ रहा है। अभी हाल ही में वर्तमान वित्त मन्त्री श्री मोरारजी देसाई इसी कठिनाई को हल करने के लिये अपनी विदेश यात्रा पर गये थे और उनको इस दिशा में आशालीत सफलता मी प्राप्त हुई है, परन्तु खेद का विषय है कि माननीय मन्त्री का एक ब्रिक्सिया दैनिक पत्र द्वारा निभालिलिव शब्दों में त्वागत किया गया—

“एशिया का भिखारी आया.....भारत दिलालिया हो सुका है..... और भारत का विचमन्त्री हाथ में भीख का कटोरा लेकर अपने हुड़ैब की एक लम्बी-चौड़ी मनगढ़न्त कहानी सुनाने आ रहा है।”

अभी हाल में ही भारत की मुद्रा विनम्र उम्मन्त्री कठिनाईयों की ओर सकेत करते हुए विश्व बैंक के विशेषज्ञों ने कहा है कि स्थिति इतनी गमीर है कि सरकार

तथा विवेक का दण्डिकोण लेने पर पूँजीगत मालों के आयात को पूर्णतया स्थगित कर देना आवश्यक प्रतीत होगा। परन्तु जहाँ तक विदेशी सहायता का सम्बन्ध है इसका बदाचित अनुचित नहीं कहा जा सकता क्योंकि विश्व के प्रत्येक देश ने नियोजन की सफलता के लिये विदेशी सहायता का सहारा लिया है। हम भीख नहीं मांगते हैं, जूँक्झुँख वी याचना करते हैं जिसमें किसी प्रकार की अपमान की बूँ नहीं है। परिणाम नेहरू ने स्पष्ट कहा है कि भारत अपने स्वाभिमान को खोकर विदेशी से कुछ भी सहायता लेने के लिये दैर्घ्यार नहीं हैं।

इसमें चोई उद्देश नहीं कि विशुद्ध आर्थिक दण्डिकोण से देखा जावे तो हमारी योजना कुछ महत्वाकांचित्ती प्रवात होगी और लक्ष्यों का तुलना म साधन अपर्याप्त प्रतीत होगे, किन्तु आवश्यकताओं का दण्डिकोण से देखा जाय तो अपने वर्तमान व्यवस्था में योजना महत्वाकांचित्ती नहीं बरन् अपर्याप्त प्रतीत होगी। वास्तव म उच्च आशाएँ एवं अभिलाषाएँ मानव जीवन में प्रगति के नूल तत्व हैं। आशाएँ मनुष्म को जीवन म निरन्तर प्रनाप वरने के लिये प्रेरणा प्रदान करती रहती हैं और उत्ताह के कारण वह अपनी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने में सफल हो जाना है। अत योजना का महत्वाकांचित्ती होना प्रगति के लिये आवश्यक ही है।

तृतीय पञ्चवर्षीय योजना में १० हजार करोड़ रुपए के विनियोग की व्यवस्था की गई है। इस योजना के एक और कृषि उत्पादन तथा दूसरी और औद्योगिक उत्पादन को विशेष महत्व दिया गया है। इस प्रकार इस योजना में कृषि को एक बार किर प्रमुख स्थान दिया गया है, जिसका खात्य उत्पादन एक आवश्यक अग है।

उपसहार

हमारे देश के विवान आब दरिद्रता, महामारी एवं अव्वानता के चगुल में कूचे हुए हैं। उन नी नूमि अत्यन्त अल्प, शक्तिहीन, खासड़त एवं तुषित है। धोर परि अम वरे, चोटी का पसीना एड़ी तक आने पर भी वे भूखे एवं अर्द्ध नम रहने पर विवश हैं। उनका जीवन स्तर अत्यन्त नीचा है। वह अनेक तुराइयों एवं सामाजिक कुरीतियों के छिकार हो रहे हैं। हमारे देश म वास्तव में पूँछा जाय तो विसानों की दशा तथा उनके सुधार के विषय में आवश्यकता से अधिक लम्बे चौड़े मात्रण दिये जा सकते हैं, लेल लिये जा सकते हैं तथा योजनाएँ बनाई गई हैं परन्तु इन सबकी अपेक्षा उनके वास्तविक जीवन में अब तक बहुत कम सुधार हो पाया है। अत इस योजना की बड़ी भारी आवश्यकता है कि हमें नव नियमण एवं नवीन रचनात्मक कार्यों का सदेश कष्टों की भाषा में धर धर तथा जन जन तक पहुँचाना है। विसानों की दशा सुधारने के लिए सुधारकों उथा विद्वानों को स्वयं किसान बनकर दुख त्रुत में हित्ता बैठाकर,

उनमें युल मिलकर कार्य करना चाहिए और तभी हम उनका वास्तविक हित कर सकते हैं। कृषि समस्याओं का समाधान उस समय तक नहीं हो सकता जब तक कि उनपर बहुमुखी आक्रमण नहीं किया जाता। बहुमुखी आक्रमण (Launching attack on all sides) विना बुद्धिमत्तापूर्व नियोजित योजना के सम्भव नहीं हो रहता। यह अत्यन्त हर्ष वी बात है कि हमारी राष्ट्रीय सरकार के वर्णनार ऐसे महापुरुष हैं, जिन्होंने हमारे देश के निर्धन किसानों के लिए उन, मन, धन अर्पण कर रखा है। आशा है कि उनके नेतृत्व में हम सब मिल-जुलाई कृषि नियोजन को सफल बनाकर अपने गाँधी को जुल, समृद्धि एव शान्ति से भरपूर बनाने में सफल हो उकेंगे। यह सही है कि आज देश की खाद्य व्यवस्था छिन्न-भिन्न होती सी प्रतीत हो रही है, वैकारी के कम हो जाने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं और विदेशी मुद्रा इस स्थिति में पहुँच गई है कि राष्ट्र के दिवालियेषन का खतरा दृष्टिगोचर होने लगा है। इन्ही कारणोंवश लोगों की घारणा बन गई है कि राष्ट्र प्रगति नहीं कर रहा है। परन्तु स्वाधीन भारत के शेषवकाल में यह स्वाभाविक ही है। एक शिशु अग्रेक सड़ों से गुजर वर ही बढ़ा होता है। हम अपने राजनीतिक तथा आर्थिक स्थानों से प्रेरित होकर भले ही कुछ आलोचना करें, किन्तु विदेशी अर्थशास्त्रियों एव अनुभवी शासकों की दृष्टि में हम जो प्रयत्न कर रहे हैं वे उही दिशा में चिंते जा रहे हैं। ग्रनावृष्टि तथा अतिवृष्टि, विदेशी उत्पादकों की प्रतिस्पदा या स्वावलम्बन की प्रवृत्ति आदि को हम कैसे बचा में कर सकते हैं। प्रथम योजना से अब तक लगभग ४ करोड़ जनसख्या बढ़ गई है। योजना दो केवल एक लक्ष के पूर्ति वी साधन मान है, अतः योजना को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। प० नेहरू ने ठीक ही कहा है—

“हमारी द्वितीय योजना ग्रामीण भारत का पुनर्निर्माण करती है। यह औद्योगिक विकास की आधारशिला निर्मित करती है और देश के कमज़ोर एव अधिकारहीन पर्गों के लिए यथासम्भव अधिक से अधिक सीमा तक सुधार सर प्रदान करती है। इसका उद्देश्य देश के सभी हिस्सों का सहुलित विकास करना है।”

सत्य सो यह है कि यदि आज सारा देश ईमानदारी और कठोर परिश्रम का मार्ग अपनाये तो कोई कारण नहीं कि उठिनाइयों के रहते हुए भी हम अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त न कर सकें। इस समय यदि हमें धन से भी अधिक विसी ऋण बल्कि आवश्यकता है तो वह है चरित्र बल, नि.स्वार्थ सेवा, ईमानदारी तथा देश के भविष्य में विश्वास।

सामुदायिक विकास योजनाएँ

Community Development Projects

“भारत के विस्तृत ग्रामीण ज़ोरों में सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय परिस्तार सेना योजनाएँ सबसे महत्वपूर्ण विकास हैं। हम यह कह सकते हैं कि बास्तव में पहली बार इसने ग्रामीण समस्या को सही ढंग से सुलभाने का प्रयास किया है। नव नागरण का श्री गणेश हो चुका है।”—प० नेहरू

विदेश में यह शब्द एक ऐसे जनसमूह का बोध करता है जिसका अस्तित्व प्राकृतिक जैव, साल्हूतिक विभास तथा सामान्य आर्थिक समस्थाओं पर आधारित हो। सामुदायिक विकास योजना की कल्पना देश तम परिस्थितियों के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकती है। उदाहरण के लिए सबुत राष्ट्र अमेरिका में सामुदायिक केन्द्र से ऐसे सावजनिक भवनों तथा संस्थाओं से ग्राशब्द होता है जो सामान्य मनोरजन तथा बौद्धिक एवं सास्कृतिक विभास कार्यक्रम सचालित् करती है। ये सामुदायिक केन्द्र प्रावान्व न रिक्ता के स्थान माने जाते हैं। श्री चेन्डरचन के शब्दों में—

“सामुदायिक समाजन सामूहिक कल्याण के लिए आवश्यक उद्देश्यों की पूर्ति तथा इसके सम्बन्ध में सर्वोत्तम साधन उपलब्ध करने की एक कार्य निधि है।”

सामुदायिक विकास योजना का यदि सरल शब्दों में अर्थ किया जाय तो उसका तात्पर्य यही है कि विस्तीर्णी भी कार्य को आपस में मिल जुल कर करना जिससे उनके स्वयं के विभास के साथ साथ समुदाय का भी विकास हो। इसमें व्यक्त को निजी लाभ के साथ-साथ राष्ट्र को भी लाभ होना चाहिए। दूसरे शब्दों में यह वह योजना है जो गांवों में बहुमूली विकास की ओर उपेत करती है जैसे कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, आरोग्य, पशुकल्याण नौकरी आदि सभी दिशाओं में एक ही साथ विकास हो। श्री ‘लोशनोह’ के शब्दों में—

“सामुदायिक योजना गहन विकास की ओर एक समर्पित तथा आयोजित प्रयत्न है।”

पर मारतवर्ष में इन योजनाओं का उद्देश्य ग्रामों की साथी समस्याओं का एक साप समाधान करना है, जैसा कि १९५२ 'प्रधिक अब उपचारों समिति' ने सष्टु कहा था—

"हमारे ग्रामों की समस्याएँ अन्तर्संचालित हैं और जब तक इन समस्याओं को हल करने के लिए एक प्रयत्न नहीं किया जायगा, हमारी खाद्य-समस्या का समाधान असम्भव है।"

सामुदायिक योजनाएँ ग्रामों के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन में काया पलट करने की योजनाएँ हैं और ग्राम विकास सेवा इस उद्देश्य को प्राप्त करने का साधन है। आज दण्डिता, अज्ञान, रोग, जुधा तथा विभिन्न प्रसार के नैतिक रोग से पीड़ित भारतीय गाँव मानवता का एक अत्यन्त ही दयनीय चित्र उपस्थित करते हैं। ग्रामीण ज़ेत्रों के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन का विकास करने के लिए यह एक नवीन कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य ग्रामों का बहुसूखी विकास है अर्थात् गाँवों में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, रहन रहन एवं सावधानिक बल्याण कामों की वृद्धि हो।

इस योजना का मुख्य आधार जनता का सहयोग है। सरकार के बल एवं प्रदर्शन करेगी और धन वी सहायता देगी, किन्तु जनता को इस योजना में वन मन धन से योग देना होगा। यह विकास योजना स्वयं जनता के सामुदायिक प्रयत्नों से कियान्वित होगी, इसलिए इसे 'सामुदायिक विकास योजना' कहते हैं। यह योजना जन मन में जागृति उत्पन्न करने के हेतु आरम्भ की गई है। सामुदायिक विकास राष्ट्र निर्माण का एक भाग है। प्रधान मन्त्री प० नेहरू के शब्दों में—

'मानूली योजनाओं के बनिस्वत यह कुछ ज्यादा व्यापक और विस्तृत है। राष्ट्र के निर्माण का एक शक्तिशाली अख है। ह उब मिलकर एक नये भारत का अमूर्त राष्ट्र के लिए नहीं, बरन् ३६ करोड़ व्यक्तियों के लिए निर्माण कर रहे हैं।'

योजना आपोग के शब्दों में—

"विकास के जिन लोगों का ग्रामीण जनता की भलाई से सबसे अधिक और लिफ्ट सल्वाइ है, उन्मे सामुदायिक विकास योजनाओं और राष्ट्रीय प्रसार सेवा को मूल भावत्व का स्थान प्राप्त है। राष्ट्रीय प्रसार और सामुदायिक विकास योजनाओं के ढाँचे पर भरपूर कार्य के लिए जिन लोगों को चुना जायगा उनमें कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामोद्योग और सहकारिता के क्रम को तेज किया जायगा।"

राजनीतिक स्वतन्त्रता की प्राप्ति मानव कल्याण की सर्वोत्तम स्थिति तक

पहुँचने का एक साधन है, साख्य नहीं। स्वतन्त्रता के उपरान्त सदियों के शोषण वे छिप-भिन्न हुई अर्थ-व्यवस्था के मुधारने के लिये नागरिकों को तथा राज्य को मिल कर कई मोर्चों पर विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। खेड़हरों पर एक नया भवन बनाना एक विशाल कार्य है। दीर्घकालीन दासता की बेहियाँ तोड़ कर भारत आज अभाव-ग्रस्त विशाल जन सुदाय के जीवन को समृद्ध एवं सुखी बनाने वे लिये उचित हुम्मा है। जनोत्साह का अभाव नहीं है और न ग्राकृतिक न मानवीय साधनों की ही कमी है। अब तक जो भी प्रयास गाँवों के उत्थान के लिए हुआ है उससे स्वरूप है कि सरकारी अधिकारियों द्वारा विभिन्न विभागों के अन्तर्गत ग्रामीण समस्याओं को खड़त लेकर हल करने से कभी भी सफलता नहीं मिल सकती। मानव जीवन एक आजस धारा है, और इसकी समस्याओं जो हल करने के लिये उन सभी का समन्वय करके कोई एक ऐसी योजना कार्यान्वित करनी होगी जो कि समस्त जीवन के समूर्ष पक्षों को ढक ले। सामुदायिक विकास योजनाएँ इस दिशा में उचित प्रयास हैं।

भारत ग्रामों का देश है। भारत की कुल जनसंख्या का लगभग ८२ प्रतिशत भाग ग्रामों में निवास करता है। अत ग्रामोत्थान की कल्पना से विहीन राष्ट्रोन्नति की कोई योजना का निव अधूरा रहेगा। ग्रामों का बहुमुखी विकास देश की सुख समृद्धि के लिए उचित ही नहीं, अनिवार्य है। सामुदायिक विकास योजनाएँ इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये सचालित की गई हैं। वैसे तो असहयोग ग्रान्दोलन के समय से ही समाज मुधारकों का भ्यान इस ओर गया था और राज्य ने इस ओर छुट पुट कार्य किये भी है, परन्तु पचवर्षीय योजना में राज्य व नागरिकों के सहयोग से ग्रामों की सर्वाङ्गीण उन्नति की जो सामुदायिक योजनाएँ बनाई गई हैं, भारत के भविष्य भविकास की मुख्य आधारशिला हैं।

भी एस० के० ड० ने इनकी महत्व बतलाते हुए नहा था—

“सामुदायिक योजना एक ऐसा उद्यान है जिसका परिपालन एक चतुर माली अत्यन्त सावधानी से करता है। यह योजना एक ऐसे जगल के समान नहीं है जिसमें मुक्त व्यापार की तरह वृक्ष तथा यनस्पतियाँ भी हरा हैं।”
प्रिशेषताएँ

(१) ग्रामों का सर्वाङ्गीण विकास

(२) हृषि वी उन्नति

(३) जन सहयोग, अमदान, द्रव्यदान और स्वधसेवा

(४) ग्राम स्तर कार्यकर्त्ता

कार्यक्रम

(१) कृषि तथा कृषि सम्बन्धी क्षेत्रों में—

- (क) परसी या निश्चयोगी भूमि को काम में लाना
- (ख) उचिताई के लिये पानी का प्रबन्ध करना
- (ग) अच्छी किस्म के गोज और पद्धतियों को उपलब्ध करना
- (घ) पशुओं की नियन्त्रिता का प्रबन्ध करना
- (ट) उन्नतशील कृषि, विक्रय, चाल आदि की व्यवस्था करना
- (च) फलों, मछुलियों और तरकारियों की सेवा को उन्नत करना

(२) यातायात तथा संग्रहन क्षेत्र में—

- (क) उच्ची तथा पक्की सड़कों की व्यवस्था करना
- (ख) माटर यातायात की व्यवस्था करना
- (ग) पशु यातायात का नवीनीकरण करना

ग्रामों में इस प्रशार सड़कों का निर्माण किया जायगा जिससे प्रत्येक ग्राम विनास क्षेत्र से सम्बन्धित किसा वा सके। इस प्रकार वी सटके एक ग्राम से दूसरे ग्राम वी दिशा में २ मील तक जानी होगी और इनमा निर्माण ग्रामीणों के ऐस्थिक अम द्वारा होगा। अन्य सड़कों संशार के व्यव से निर्भित होगी। इस प्रशार यातायात अम में मानवीय अम की महत्ता एवं ग्रामीणों के राहबोग पर ही अधिक जोर दिया गया है।

(३) शिक्षा क्षेत्र में—

- (क) ६ वर्ष से १४ वर्ष तक वे बच्चों को अनिवार्य और नियुक्त प्राइमरी शिक्षा की व्यवस्था करना
- (ख) मिडिल तथा हाई स्कूलों का विकास करना
- (ग) ग्रोइ शिक्षा वी प्रोत्तराहित करना तथा उचावाच्य जनवा को स्वास्थ्य, सफाई, सामाजिक वर्तन्यों की जानकारी करवाना।
- (घ) प्राविधिक प्रशिक्षा (Technical Training) की व्यवस्था।

(४) स्वास्थ्य—प्रत्येक योजना क्षेत्र में तीन प्राथमिक चिकित्सा वी इकाइयाँ (Health units) होगी जो विकास खण्डों में होगी। इउके अधिकृत योजना क्षेत्र का उदाप्रक चिकित्सा इकाई होगी, जिसक ऊन्नतगत एक प्रसवाल तथा एक बल औप्यालय (Mobile Dispensary) होगा, जो पूरे क्षेत्र में घूमता रहेगा। क्षेत्रों में स्वास्थ्य उगठन वा उद्देश्य गांवों में ज्ञापकार्यक स्व-क्षुत्रा तथा दीने के स्थिते उच्चम

पानी का प्रबन्ध, मनुष्यों तथा जानवरों के मल मूत्र एवं मृतक के अन्तिम सखारों की उचित व्यवस्था, चिकित्सा का प्रबन्ध, जनता को स्वच्छ रहने सहन तथा अन्धे भोजन के बारे में शिक्षा आदि देना होगा।

(v) प्रशिक्षण—शोध (Research) विकास तथा ग्रामीण स्तर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना।

(vi) रोनगार या नियोजन—वेकारी दूर करने के लिये कुटीर और लघु पैमाने के उद्योगों का विकास करना जिससे गाँवों के वेकार तथा अर्द्ध वेकार ग्रामीण लोगों को काम मिल सके।

(vii) आवास स्थान—अन्धे मवान बनाने के लिये ग्रामीणों को प्रेरणा तथा सम्पत्ति प्रदान करना। पाकों तथा खेत के मेदानों की भी व्यवस्था की जायगी।

(viii) सामाजिक कल्याण—इसके अन्तर्गत मनोरजन और व्यावहारिक शिक्षा के लिये सिनेमा, खेल, तपाशे, मेले और प्रतियोगिता आदि का प्रबन्ध करना है।

सामुदायिक विकास योजनाएँ भारतवर्ष के जनसमूह के लिये केवल आर्थिक विकास की योजनाएँ ही नहीं हैं वरन् उनके जीवन का सवाह्लीण विकास ही उनका उद्देश्य है। इन योजनाओं का देश में आर्थिक, सामाजिक व सामृद्धिक और नेतृत्व विकास करना मुख्य उद्देश्य है। इसमें कोई सन्तेह नहीं है कि मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहता यद्यपि रोटी उसकी आधारभूत आवश्यकता है। अत मनुष्य के जीवन का समूह विकास उसकी सभी आवश्यकताओं आर्थिक, सामाजिक, एवं नेतृत्व—की पूर्ण करना ही भारत की सामुदायिक विकास योजनाओं का उद्देश्य है।

योजनाओं का सम्बन्ध—इन योजनाओं के उचित सचालन एवं व्यवस्था के लिए एक कानूनी सम्बन्ध होगा जिसका नाम सामुदायिक विकास शासन (Community project Administration) है। इसके अन्तर्गत प्रकार कानूनी समिति (Central Committee) तथा सामुदायिक योजना प्रबन्धक (Community project Administrator) समिकालत हैं। इस समय स्वयं योजना आयोग ही कानूनी समिति का कार्य चर रहा है। इस समिति वा कार्य प्रमुख नीति निर्धारण, सामाजिक नियीक्षण तथा कार्य सचालन चरना होगा। इसकी सहायता के लिए एक प्रामर्शदात्री समिति होगी जिसके अन्तर्गत सरकार के उच्च, योग्य तथा अनुभवी अधिकारी होंगे जो प्रबन्ध, वित्त, कर्मचारी आदि योजना से सम्बन्धित अनेक विषयों पर सलाह देंगे।

प्रत्येक राज्य में राज्य विकास समिति (State Development Committee) होगी, जिसमें राज्य के प्रधान मन्त्री तथा ऐसे मन्त्री, जिन्हें वह आवश्यक समझेंगे, समिलित होंगे। इस समिति का कार्य-बाहक राज्य विकास कमिशनर होगा। विकास कमिशनर पर ही राज्य में योजना को कार्यान्वित करने की जिम्मेवारी है। यही समिति राज्य में समस्त सामूहिक नियोजन का पथ प्रदर्शन करेगी।

प्रत्येक ज़िले में सामूहिक योजना के नियोजन वा उच्चराजित एक ज़िला विकास अधिकारी जा होगा जो राज्य विकास कमिशनर के अधीन होगा जिसमें सामूहिक योजना से सम्बन्धित सरकार के सभी विभागों का अधिकारी होंगे। इस समिति वा अधिकारी द्वारा योजना का पथ प्रदर्शन करेगी।

योजना कमीशन के अनुसार प्रत्येक सामुदायिक योजना के अन्तर्गत लगभग ३०० गांव होते हैं, जिनकी जनसंख्या २ लाख के लगभग तथा संपूर्ण क्षेत्रका लगभग ४५० से ५०० वर्ग मील होगा। योजना क्षेत्र को ३ विकास घण्टे (Development Blocks) में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक विकास घण्ट के अन्तर्गत १०० गांव होते हैं जिनकी जनसंख्या लगभग ६० हजार से ७६ हजार तक होती है। यह विकास घण्ट पाँच पाँच गांवों के उपखण्डों में विभाजित वर दिया जाता है।

योजनाओं की अर्थ-व्यवस्था

भारत में इन योजनाओं का प्रादुर्भाव अमेरिका की प्रेरणा से हुआ है। अमेरिका ने अपनी दृष्टि विकास योजनाओं के द्वारा अपने यहाँ देश का विकास किया था। भारतीय सामुदायिक विकास योजनाएँ अमेरिकी योजनाओं के अनुरूप हैं। इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए ५ जनवरी १९५२ को अमेरिका सरकार से भारत अमेरिका ऐलिङ्क उदायता समझौता (Indo U. S A Technical Co-operation Agreement) किया गया था जिसके अनुसार अमेरिका ने 'फोर्ड फाउंडेशन' के ग्रन्तीर्गत अधिक सहायता देने का भी वचन दिया है।

चालते से इन योजनाओं के सचालन में अमेरिका ने प्रेरणा और आधिक सहायता प्रदान की है। योजना कमीशन के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में उसे एक योजना पर ३ वर्ष में ६५ लाख रुपए बन्द होंगे जिसमें ६.५३ लाख रुपया अमेरिका से मिलेंगा। यहाँ क्षेत्र के एक सामुदायिक विकास क्षेत्र में ३ वर्षों में १११ लाख रुपया बन्द होंगा जिसमें १५.४५ लाख रुपया दातार सहायता से प्राप्त होंगा। योजना कमीशन ने प्रथम आयोजन काल के लिए कुछ सोन विचार के उपरान्त ग्रामीण

केव्र की योजना का नय ६५ लाख रुपए से बढ़ाकर प्रति योजना पर ४२ लाख रुपया कर दिया था।

सामुदायिक विकास योजना ग्रों पर व्यव में बद्र तथा राज्य सरकारों ना सह योग है। अस्थायी नय का ७५ प्रतिशत बन्द्र तथा २५ प्रतिशत राज्य सरकार देती है। स्थायी नय का दोनों आधा आधा देते हैं।

योजनाग्रों का आरम्भ एवं प्रगति

सामुदायिक विकास योजनाग्रों का आरम्भ सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के 'महेया' नामक रखान में चितम्बर १९४८ ई० में हुआ। इस फन्द के पांचे यदि कोइ शक्ति थी तो वह अमरीकन विरोपन श्री अलेन्ट मेयर की बुद्धि थी। इस योजना में रुपया भी अमरीका ने ही लगाया। पहले महेया बद्र का कार्य केव्र कबल ६४ गाँवों तक सीमित था। आगे चलकर यह ६७ गाँवों तक पहुँचा। इस प्रथम प्रगास में ही कृषि, सिंचाइ, यिक्का, स्वास्थ्य आदि केनो म जा आशातीत उन्नति हुई, उससे देश की जनता हा नहीं बरन् सुशुर देशी के लोग भी प्रभावित हुए और इसकी प्रशंसा से और इन योजनाग्रों को 'शान्तिमय कान्ति' वह कर पुकारा।

महेया बन्द्र और विदेशी अनुभव र प्रात्साहन एवं प्रेरणा र कलश्वरूप पञ्चवर्षीय योनना आयोग क सदस्यों ने भी इन योजनाग्रों को आभीण उन्नति में महत्वपूण स्थान दिया। परिणामश्वरूप इन योजनाग्रों का जी गणेश पृष्ठ नापू के जन्म दिन पर २ अक्टूबर सन् १९५२ को हुआ। पूरे देश को ५५ सामुदायिक योजना केनो म बाटा गया निनना विस्तार दक्षिण म कुमारी अन्तरीप से लेवर उत्तर म काशीर तरु था। विभिन्न राज्यों में इन योजनाग्रों का वितरण इस प्रकार निया गया—उत्तर प्रदेश म ६, मद्रास म ६, गणद म ४, गगाल म ३, उडीसा म ३, आसाम म २, मन्मारत म २, हैदराबाद म २, राजस्थान में २, बरल में २। इनके अतिरिक्त प्रत्येक 'ब' और 'स' वर्ग के राज्य म एक-एक योनना नियत की गई। इन समस्त योजनाग्रों का केव्र लगभग २७ हजार मील पर विस्तृत या बसमें लगभग १८८२ हजार गाव शामिल थे और ये डेढ़ करोड़ आमाण जनता के जीवन से सम्बद्ध थीं। २ अक्टूबर सन् १९५२ को ५३ योजनाग्रों पर कार्य आरम्भ हुआ।

ग्रानीण क्षेत्रों म प्रारम्भिक कार्य करने के हेतु भारत सरकार ने २ अक्टूबर सन् ५३ को राष्ट्रान विकास सेवा योजना का सून्नात किया। यह सामुदायिक विकास योजना के लिए अनुकूल बादावण तैयार करती है और तान वप बाद राष्ट्रीय विकास सेवा परिषद भासुदायिक योजना खण्ड म परिणित हो जाता है। इस प्रकार

मार्च १९५६ को साप्तरीय विकास सेवा संशड सामुदायिक योजना खड़ का रूप पारण कर ले गे। अब तक गारन में साप्तरीय विकास सेवा खण्डों की सख्त इस प्रकार है।

| | |
|----------------------------|-----|
| २ अक्टूबर सन् १९५३ को चालू | २५८ |
| २ अक्टूबर सन् १९५४ को चालू | २४१ |
| १ अप्रैल सन् १९५५ को चालू | १०७ |
| २ अक्टूबर सन् १९५५ को चालू | ११६ |
| २ अक्टूबर सन् १९५६ को चालू | ३१४ |

योग १०३६

इनमें से १८२ खण्ड, सामुदायिक खण्डों में बदले जा चुके हैं और अब ८५३ चालू हैं। दूसरी योजना के अन्त (१९६०-६१) तक साप्तरीय विकास सेवा योजना सारे देश में चालू हो जुकेगी। इस उम्मत ३,८०० साप्तरीय विकास सेवा संशड होंगे और १,७४० सामुदायिक विकास खण्ड होंगे।

जनवरी १९५२ तक सामुदायिक-विकास और साप्तरीय-विकास-सेवा-खण्डों का विस्तार २,७६,००० मीट्रों पर था और इन केन्द्रों की सख्ता २३८३ थी। इन गांवों के १३२ करोड़ से अधिक परिवारों ने इन विकास कार्यों से लाभ पहुंचा। सामुदायिक-विकास कार्यक्रम से १९५७-५८ में ११४ मिलियन परिवार लाभान्वित हुए जबकि साप्तरीय विकास कार्यों से ३०२ मिलियन परिवारों को लाभ पहुंचा। इन विकास कार्यों से लगभग देह लाल व्यक्तियों को पूरे समय के लिए बाज़ मिला। सफ्ट है कि इनसे रोजगार में पर्याप्त वृद्धि हुई। जनता में अपनी सहायता आप करने की मानवना उत्तम हुई है और एक मनो वैद्यानिक परिवर्तन आ गया है। अतः आशा है कि सामुदायिक-विकास कार्य निश्चय ही ग्रामीण ज़ेत्रों के विकास में महत्वपूर्ण हाथ बढ़ा-जगा और ग्राम-ज़ेत्रों के विकास का स्वप्न एक दिन पूरा होकर रहेगा।

२ अक्टूबर १९५८ तक की प्रगति की तालिका इस प्रकार है—

| | |
|------------------------------|----------------|
| लाइ चितरण | ३,२८,६७,००० मन |
| बीज वितरण | १,३६,२५,००० मन |
| फली का बढ़ाया जेत्र | १,५७,००० एकड़ |
| नया छिचाई में लाला गया जेत्र | १,५६,००० एकड़ |
| दरकारियों ना बढ़ाया जेत्र | ३,८२,००० एकड़ |
| परस्ती भूमि का सुधार | ११,००,००० एकड़ |

| | |
|------------------------------------|------------------|
| नए स्कूल | १,१७,००० |
| प्रौद्य शिक्षा केन्द्र | ८८,००० |
| वच्ची सड़कें | ७०,६०० मील |
| पक्षी सड़कें | ६,०२६ मील |
| नई सहकारी समितियाँ | ३४१५ |
| चाचनालय | ३०,८०० |
| नया दिया गया रोजगार | ३०४ लाख लोगों को |
| नए मनोरञ्जन व उन्नद्र एव पुस्तकालय | ६६,५२३ |

उपर्युक्त विवेचन स प्रकट है कि सामुदायिक योजनाएँ देश क दैनिक जीवन का अग्र बन गई हैं, क्योंकि इनम व्यवस्था सरकारी कर्मचारी और धन ही नहीं काम कर रहा है बल्कि बोटि रोटि ग्रामीण जनता तन मन धन से सहयोग कर रही है।

सन् १९५७ तक इन योजनाओं पर जितना सरकारी धन व्यय हुआ है उसका लेखा इस प्रकार है—

| | |
|----------------------------------|---------------|
| १. पशुपालन तथा कृषि प्रसार | ४२५ लाख रुपया |
| २. सिंचाइ | ६२४ " |
| ३. भूमि नीतोङ (Land Reclamation) | ६३ " |
| ४. स्वास्थ्य तथा गाँवों की सफाई | ५१० " |
| ५. सामान्य शिक्षा | ३६८ " |
| ६. सामाजिक शिक्षा | २१३ " |
| ७. समाज बाहन | २३ " |
| ८. ग्रामीण हस्तरलाएँ, व उद्योग | २८३ " |
| ९. शूहनिर्माण | ६८ " |

३,४०७ लाख रुपया

२ अक्टूबर १९५८ तक कुल व्यय १६६,३६ करोड़ रुपया था जिसमें से १०३ इक्करोड़ सरकारी और ६४,६८ करोड़ रुपया जनता था।

इस धन के अतिरिक्त शेष रुपया प्रशासन पर व्यय हुआ है। प्रथम एवं द्वितीय आयोजन काल म योजना कमाई के १०१ करोड़ रुपया वी व्यवस्था की थी। द्वितीय आयोजन म इसक लिए २०० करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे। प्रथम आयोजन काल में सामुदायिक विकास योजनाओं तथा प्रसार उपरांडी की सफल प्रगति

के लिए विदेशों से भी सहायता ली गई है। इस दृष्टिकोण से अमरीका ने १९५२ में प्रारम्भ किये गये ४५ विकास योजनों के लिए ३४२ करोड़ रुपये का समावन दिया था। इसके उपरान्त पिछे २०६६ करोड़ रुपया इस कार्य के लिए अमरीका सरकार ने नकद दिया। फोटो फाउन्डेशन भी विकास कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण वी व्यवस्था करके सहायता कर रही है।

भारतीय बनता भी तन मन-धन से इन योजनाओं में सहयोग दे रही है। मार्च १९५८ तक सरकार ने लगभग १२००० करोड़ रुपया विभिन्न सामुदायिक योजनाओं तथा राष्ट्रीय प्रधार सेवाओं पर व्यय किया है जबकि जनता ने ५७६५८ करोड़ रुपये के मूल्य का उहानग नकदी, ठामान तथा अमदान वे दारा दिया है।

राष्ट्रीय-वित्तार परिषद् ने यह निर्णय किया है कि द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना की समाप्ति तक देश भर के ग्रामीण देश पर राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों का चाल विछु जाए और देश की ३१ करोड़ ग्रामीण जनता उनके हारा नववागरण के पथ पर अग्रसर हो जाए। सामुदायिक योजना पराणों का विस्तार ग्रामीण मारत के ४० प्रति शत भाग पर उन्ने वा निश्चय किया गया है। ऐसे समस्त भाग पर राष्ट्रीय विस्तार खेता खरेड़ ल्या जायेंगे। द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना के अन्त तक सारे देश में ३८०० राष्ट्रीय विस्तार सेवा घट खोले जायेंगे। इनमें से १,१२० खण्डों ने सामुदायिक विकास खण्डों में बदल दिया जाएगा। इस वास के लिए योजना में दो अत्रज स्वरूप वी व्यवस्था भी गई है।

ग्रामी हाल ही में माउण्ट आचू में हुए सामुदायिक विकास के वापिक सम्मेलन वो प्रधान मन्त्री ने अपने शुभ उन्नेश में यहां कि—

‘अब सामुदायिक आन्दोलन को प्रगतिमय ढग से जनता के हाथों में सौंप देना चाहिए। उससे सरकारी मदद व सहायिता जल्दी है और वह जारी रहेगी। लेकिन इसे व्यावास से व्यावास जनता का आन्दोलन बनना है, न कि उपर से सरकार द्वारा चलाई गई एक चीज़।’

श्री वी० थी० वृष्णामन्तारी, उपाध्यक्ष योजना आयोग ने भी सामुदायिक विकास की सभी योजनाओं में ग्रामीण स्थायी को साथ मिलाने की सख्त ज़रूरत पर चल दिया। श्री वृष्णामन्तारी ने इस्त्या प्रश्न को कि अगले दो वीन वर्षों के मीठर ही सभी खेतों में ग्राम सगड़न स्थानित करने को स्वोन्न ग्राम्यमिकता दी जानी चाहिए। अन्त में उन्होंने बहा—

“आन्दोलन को मानवीय मान्यताओं के आधार पर लिया जाना चाहिए। पुरुषों और महिलाओं के व्यक्तिगत और समिलित जिम्मेदारी

दोनों ही भारनाओं का विकास करना ही उसका लक्ष्य है। ताकि वे निजी उन्नति के साथ २ सामूहिक तौर पर सामाजिक जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर सकें।

इस प्रकार से प्रार्थीण जीवन सामाजिक और नेतृत्व समन्वय को प्राप्त होगा, जो कि राष्ट्रीय एकता का एक मात्र आधार है।

माउरट ग्राम समेलन ने प्रजातात्त्विक विकेन्द्रीकरण के बारे में बलबन्तराय मेहता अध्ययन दल की रिपोर्ट पर भी संवित्तार विचार विमर्श किया और महसूस किया कि सभी राज्य सरकारों का चाहिए कि वे अध्ययन दल के मुझों को अत्यावश्यक मानकर उन्हें कायान्वित करे। यह महसूस किया गया कि जब तक ग्राम सङ्गठनों को काफी अधिकार देकर स्थानीय नेतृत्व को विकसित नहीं किया जाता, तब तक सामुदायिक विकास कायकम का आधारभूत लक्ष्यों पर पूरी तरह हासिल नहीं किया जा सकेगा।

समेलन ने सामुदायिक विकास और आनंदान आनंदोलन के बीच यथोचित समन्वय लाने की जरूरत पर जोर दिया। सभी ने स्वीकार करका कि आचार्य विनोदो का ग्रामदान कार्य बनाए में सहकारता और आपसी मदद विकसित करके उनमें सामुदायिक जागेन वी भावना पैदा करने में बहुत कामगर रहा है। हमें आशा है कि इस समेलन से सामुदायिक विकास कार्य बो सही माने में जब आनंदोलन बनाने की अहम समस्या भी हल करने में काफी मदद मिलेगा।

केन्द्रीय सामाजिक विकास एवं उद्योग मंत्रालय ने ११ राज्यों की सरकारों को अधिकार दिया है कि वे २ अक्टूबर, १९५६ से १०१ खण्डों के विस्तार के पूर्व के कार्य प्रारम्भ कर दें। जम्मू का काश्मीर सरकार भी विस्तार सेवा खण्डों के अन्तर्गत आती है। ग्रा प्र प्रदेश म ८८, आसाम म ५, बिहार म २३, मध्यप्रदेश म १२, मद्रास में १३, मेसूर में १०, केरल में ५ उडीसा में १२, उत्तर प्रदेश में ३७, पश्चिमी बंगाल में १२ पराइ विस्तार के लिये निर्धारित किए गये हैं।

आलोचनाएं

इस योजना के आलोचकों वा कहना है कि—

(१) यह योजना हमारे आर्थिक परावलम्बन की घोतक है, क्योंकि इसके लिए अमरीका का सहारा लिया गया है। ऐसा दशा में जनता में आत्मविश्वास कैसे देता होगा।

(२) हमारी विदेशी नीति अमरीका के आधोन होने को बाल्य हो जायगी। वह कहा जाता है कि ये योजनाएं अमरीकी पूँजीवाद और ओपनिवेशवाद स्थापित

करना चाहती है। ग्रानार्ड विनोदा भावे तथा श्री बुमारप्पा अमरीशी सहायता के पूर्णतः विकृद हैं।

(३) राज्य सरकार द पास विकास कार्यों के लिए धन की कमी रहती है, वे अपने हित्से भी लागत का कहाँ से प्रदर्शन करेंगी?

(४) योजना के अमरीशी अध्यक्ष ने भारत की ग्राम्य समस्याओं का कोई कियामत कर शान नहीं, वह कैसे पथ प्रदर्शन कर सकेगा?

(५) कुछ लोगों का वहना है कि यथोपि इन योजनाओं में जन सहयोग का महत्व बताया जाता है, परं प्रत्येक योजना के सचालक वहे उड़े अमरीशी कर्मचारियों के अतिरिक्त और कोई नहीं है।

(६) विकास की दिशा ही गुटिपूर्ण है। याद, बीज इत्यादि इतनी महत्व पूर्ण नहीं हैं जितनी कि चन्द्रवन्दी, भूम हीन मलबूरों इत्यादि की समस्याएँ, जिनसे सामुदायिक योजनाएँ ने खिलूकुल छोड़ रखा है।

(७) द्याए मोटे नियाय कार्यकर्ता जैसे ग्राम उपक इत्यादि भ्रष्ट हैं और वे विकास कार्यों के लिए नये लिये जाने वाले स्थानों का दुष्प्रयोग बरते हैं तथा गाँवों में किसानों को सीमेट, जान, खाद अथवा अन्य इसी प्रकार की बल्ताएँ दिलाने में पहाड़त से पाम लेते हैं। इण विनाग क प्रमुख दर 'कुद्देत्र' के कुछ वाक्य उद्भूत सरना कदाचित् अनुचित न होगा—

“सामुदायिक योजना हेतो के गैर सस्कारी निरीक्षकों का यह अभिभव है कि वहाँ हुक्मत की वृ अधिक है और जनसेवा कम। सामुदायिक योजना के कारण यह तो हुआ है कि जहाँ गाँवों से पहले अधिकारियों की सरता बहुत कम थी, वहाँ अब काफी सरता से अधिकारी पहुच गय हैं, परन्तु उनके कारण गाजों की उन्नति ही रही है इसका कोई ठोस प्रमाण हमें नहीं मिलता। चलिं उन्होंने गाँव की स्वायत्त शासन संस्था का भी छा लिया है। वहने के लिये तो २ हजार से ऊपर छाक वन चुरे हैं जिनका प्रसार द लाए ७५ हजार गाँवों में और १५ करोड़ जनता के अन्दर है, परन्तु इसकी वास्तविकता क्या है? योजना के उपयुक्त ही या न ही, अफसरों की सख्त्या तो काफी है क्योंकि जिन प्राम सेवकों पर योजना का दारोगदार है उनकी सख्त्या घितनी है?— हर गाँव के पीछे एक प्राम सेवक! उद्यम, अध्यवसाय, उत्साह, देश सेवा और प्राम सेवा सब उसी प्राम सेवक के लिये हैं। वान्जुन क्या कि वह भी खानापूरी ने लग जाता है और वह भी छोटा अफसर वन जाता है।”

उपसहार

उपर्युक्त ग्रालोचनाये कोई सार नहीं रखती है क्योंकि विकास कार्यक्रम एक या

दो वष का नहीं अनेक वष का होता है। यद्यपि इसकी कई गणमान्य व्यक्तियों जैसे आचार्य कुलालानी, विनोबा भाव इत्यादि तक ने कटु आलोचना की है तो भी शक्ता के लिए विशेष स्थान नहीं है, क्योंकि विकास का सभी कार्य स्वयं जनता द्वारा कराया जा रहा है। ये योजनाएँ अवश्य ही जन जागृति का शख्ताद कुककर प्राप्त द्वेषों पर अनेक समितियों, जिनक सदस्य भारतीय नेता, मंत्रीगण, सरकारी अफसर तथा जनता के प्रतिनिधि हैं उन्होंने जन जागृति का प्रमुख योजना प्रय धन्क जो एक अमरीकी हैं स्वत योजना नहीं बनाता, योजना निर्माण में सलाहमाप देता है। इस प्रमाण हम एक विस्तृत देश के अनुभवों से लान उठाने का अवश्यर मिज्जता है। जहा तक हमारी विदेशी नीति के अमरीका की वशवर्तिनी होने का प्रश्न है यह क्वल भ्राति है। हमारे प्रधान मंत्री आत्म सम्मानपूर्ण विदेशा नीति का अवाह वर रहे हैं जिसमें निसी र आश्रय भी न भी नहीं है। जहा तक सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार का प्रश्न है, वह योजना का दोष नहीं कहा जा सकता। इसक अतिरिक्त प्रत्येक योजना के परीक्षण काल म प्रभिक दोषों का होना स्वामानिक ही है। सत्य तो यह है कि अभी इन योजनाओं नी शशवावस्था ही है और इसलिए रचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करने वी आवश्यकता है। डा० राज द्र प्रसाद ने ठीक हा कहा है—

“ये योननाएँ ऐसे छोटे बीन की तरह हे जो एक दिन यिशाल वृक्ष में परिणित ही जायेगा।”

अपने विश्वाल आकार और ग्रामीण भारत म वडे पैमाने पर तब्दीलिया लाने क अरने मरम्बद भी बजह स सामुदायिक विकास कार्यक्रम म कुछ हद तक प्रयोग बरने और गलती होने का विशेषता का होना स्व भावन है। इस कार्यक्रम को भारत के अस्तर गांधी म सामाजिक आर्थिक क्राति लाने का एक यतिशील साधन नाने क उद्देश्य से प्राप्ति से ही इसकी भार बार जान होती रही है और इसकी प्रगति पर तेज निगाह रखी गयी है। इस बात को भ्यान म रखकर ही उन कान्तिभारी परिवर्तनों पर विचार करना चाहिये, जिनका प्रस्ताव इस वष सामुदायिक विकास के सशोधित कार्यक्रम में किया गया है। इस कार्यक्रम का सामुदायिक विकास सम्बंधी वैद्वीय समिति ने मनूर रुर लिया है। यह बलवन्त राय महता कमटी के मुख्य सुझावों पर आधारित है। इसमें आयोजन और विकास कार्यों को जल्द से जल्द विनिर्दित करने की कल्पना नी गई है।

सशोधित कार्यक्रम म दो तब्दीलियाँ उक्ती ही महत्वपूर्ण हैं। उनका सम्बन्ध कार्यक्रम लाने के काल क्रम और पूँजी लगाने के पैमाने से है। सशोधित कार्यक्रम के मरविद का अधिकाश राज्यों ने मनूर कर लिया है। मरविद का लद्दन यह है

कि इस समय विकास कार्यों में तीन अवस्थाएँ—राष्ट्रीय विस्तार सेवा, गहन सामुदायिक विकास और उत्तर गहन अवस्था है, उनकी जगह पर पाँच पाँच साल की लिंक दो अवस्थाएँ रही जावे। आशा की गई है कि ऐसा करने से विकास की गति तेज़ हो जावेगी, जो कि अभी तक बहुत सनोषप्रद नहीं रही है। प्रस्तावित अवस्थाओं में पहली गहन अवस्था होगी। इसके लिये बजट में १२ लाख रुपये की अवस्था की गयी है। दूसरी अवस्था के लिये ५ लाख रुपये खर्च करने का पैसला रिया गया है। पुराने कार्यक्रम में पूँजी का तुल खर्च सिर्फ़ १२ लाख रुपये रखा गया था।

केन्द्रीय समिति ने कार्यक्रम को मनूर करते हुए यह विकास कार्यक्रम में विवेद्वारपनरण की अहमियत पर जोर दिया था और बलबन्त राय मेहता वमेटी का यह सुझाव मान लिया गया था कि यहड़ या जिला स्तर पर ऐसी नियमानुवूल स्थापत होनी चाहिये, जिन पर आशोकन और विसास की पूरी बिमेदारी हो। अब राज्यों से त्रनुरोध विवा जाने वाला है कि वे अगले तीन वर्षों के भीतर इन नियमानुवूल स्थापत्रों का निर्माण कर ले, ताकि पहली अवस्था एकम होने से पहले उन पर काम शुरू हो जावे। कार्यक्रम के सशोधन में इस बात पर मी जोर दिया गया है कि देश म सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जाल बिछा देने के लिये अप्रैल १९६६ की बजाए, अन्तर १९६६ तक दो जावे। लेनिन वे दोनों अवस्थाएँ दूसरी योजना में निर्दित दिये गये २०० बिलोड रुपये की मौजूदा अवस्था से पूरी कर ली जावेगी। कार्यक्रम पूरा करने की तारीख टाल देने से एक यह फायदा होगा कि इस समय प्रशिक्षित कर्मचारियों की जो कमी है वह दूर हो जावेगी। उससे दूसरा फायदा यह होगा कि दायरण योग्यता वाले कर्मचारियों को भर्ती बरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे कार्यक्रम में काफ़ी मजबूती आ जावेगी।

बाल्तव म वे योजनाएँ मार्तिय ग्रामीणों न जीवन म नव व्योति, नवीन चेतना एव स्वर्णिम प्रगति का सदेश है। इसम नोइ बन्देह नहीं किये योजनाएँ चाह हाँ समय म राष्ट्र क पददालत ग्रामीण जीवन म श्रान्तिकारा अधिक, सामाजिक, सास्कृतक वथा राजनीतक प्रवर्तन कर दगी। पाठ्य ज्ञानाहर लाल नेहरु के शब्दो म—

“समस्त भारत मे मानव कियाआ के ये केन्द्र ऐसे व्योति स्तम्भ है जो घने अन्यकार मे प्रकाश फैला रहे हैं। यह प्रकाश उस समय तक फैलता रहगा जब तक समस्त भारत भूमि आलोकित न हो उठे।”

मूल्यों का स्थिरीकरण

(Price Stabilisation)

हमारे दश प्रक्रियाओं में जीवन स्तर अत्यन्त निम्न बाड़ि वा है । अत्यन्त परिश्रम करने पर भा उनको मुख्यमयी ऐ मरना पड़ता है तथा अद्य नम्न रह वर जाके म ठिठुस्त एव गर्मी म गरम लू गी लपटें सहन करना पड़ता है । हाप उनक लिये ज्यन नहीं वरन् उत्तोहाहान जीवन ग्रामन करने ना एक मात्र साधन ही है । उनक पास साशडा एव अत्यन्त इनि भूमि मात्र हा है, उसी पर अपन दान्यान्मा औजारो तथा भूक नियत तैलो एव त्रपत्र अथव परिश्रम न गहार दे जो तुन्ह भी पेदा कर लते हैं उसी पर उन्ह और उन्ह ग्रामितों को तिजाह रखना पड़ता है । उह इनि वार्ष की शब्द नहीं वरन् मज़गूरन काय करना ही पड़ता है । इस दबावीय दशा ना एक मात्र रास्ता नह हि उनको अपने परिश्रम एव गैंजी व्यय का उचित पारिवोधि (Reward) नहा दिल पाना ।

२० एन० रामरामी क शब्दों मे-

“यनिश्चित सातसून और क्लू मूल्य व्यवरथा के बीच भारतीय कृपक आविक सबकु दे दलदल म नीच ही घसता गया ।”

उपर निर्वन है, प्रशिद्धि तथा असहाय है । वे अपने उत्पादन की लागत निकालना नहीं जानत और जानन भा हैं तो निकालना बदार समझत हैं क्योंकि वे समझते हैं कि हाप ग्रामीयों का मूल्य अनेक ऐसी परिस्थितियों पर निर्भर होता है निनपर उनका नाइ बेश नहीं चल सकता । उत्पादन लागत मूल्य निकले या न निकले उन्ह तो उस बचना ही है क्योंकि ऐसा न रखे पर उनक जीवन या मरण का प्रश्न उत्पन्न हा जाता है । अन्य उत्तारों म उत्पादक अपने लागत व्यय के कठर कुछ प्रतिशत मुनाफा लान छी अपनी वस्तुआर्यों को बचता है परन्तु इनि-न्युआर्यों म प्राप्त ऐसा समर नहीं होता ।

हमारे देश क दृष्टि के द्वारा उत्पादत वस्तुओं का मूल्य नगरों के व्यापारियों और मध्यस्थी के द्वारा नियारित किया जाता है । ये अपने लाभ को ही दृष्टिस्त्रय मे-

रखकर निरीह कृपकों का शोषण करने पर ही तुले रहते हैं। कृपक एवं उपभोता के बीच सीधा सम्बन्ध न होने के कारण कृषि वस्तुओं के मूल्य माँग और पूँजि के नियमों के अनुसार निघारित नहीं हो पाते। यहाँ तो यदि कृषि वस्तुओं के मूल्य नीचे गिरते हैं तो निरीह एवं भोले-माले कृपक दाल, दर्म तथा ईश्वर के मत्ये दोष मढ़ देते हैं और जो तोड़ कर ग्रधिक परिव्रास करते हैं जिससे कि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति भर की पर्याप्त धन मिल सके। परिणाम उल्टा होता है। एस आर तो उत्पादन के हाल का नियम लागू होने के कारण लागत व्यय बढ़ता जाता है और नुसरी और उत्पादन मढ़ने से मूल्य और भी कम हो जाते हैं। चुद इत्यादि कारणों से यदि मूल्य बढ़े तो हमारे देश के निकान हाथ पर हाथ रखने वेठ जाते हैं और योड़े से ही लाभ में सतोष को राह लेने लगते हैं। अक्षमर्यादा के कारण ये उन बड़े हुए मूल्यों का पूरा लाभ नहीं उठा पाते। जो कुछ लाभ प्राप्त भी होता है उसे मुश्वन, नाह, ब्रह्माज इत्यादि अनुत्पादन सार्व म व्यय पर डालते हैं। त्रिव हमार देश में कृषि वस्तुओं के मूल्य म बढ़ि होने से भी कृपकों का दराने अच्छाई की ओर कोई परिवर्तन नहीं होता है। अपने देश की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए कृषि और कृपकों की दशा न सुधार हाना प्रत्यन्न आवश्यक है। अन न तरु कि कृपकों को अपने अप एवं यूँनी के बदले उचित तथा पर्याप्त पारितोषिक नहीं मिल पायगा तब तक उनका दराने म कोई स्थानी सुधार की सम्भावना नहीं हो सकती। कृषि मूल्य जब तरु रियर ननी किसे जावेंगे तथा कृषि वस्तुओं म विषयन की बठिनाइयाँ दूर नह दा जायगा तब तरु न तो उनका शोषण ही समाप्त किया जा सकता है और न उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर साधारण तथा अन्यान्य कृषि वस्तुएँ प्राप्त हो सकती हैं।

आर्थिक लाभ— कृषि-वस्तुओं के मूल्य का स्थिरीकरण उनसे से निम्नजिहित आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकेंगे—

(क) कृपक इस बात का प्रयत्न करने लग जावेंगे कि उनका उत्पादन व्यय कम हो सकता हो जिससे उनकी आपन लान प्राप्त हो सके।

(ल) इनका का शोषण सम्भव न हो सकना तथा मध्यस्थों को लाभ कम होने के कारण वे भी दिलीन हो जावेंगे।

(ग) कृपकों के जीवन तर (Standard of Living) न आकस्मा परिवर्तन न हो सकना जिससे कि उनका जीवन स्तर स्थिर रहेगा।

(घ) कृषि वस्तुओं की विषयन सम्बन्धी काठनारायाँ बहुत कुछ दूर हो जावेंगी।

(ङ) मूल्य इस स्तर पर स्थिर रखे जायेंगे जिस पर न तो वृषकों में अवर्गेयता एवं आलस्य की मावना ही आ पावेगी और न उनको अनुत्पादक धोर परिश्रम ही करना पड़ेगा।

(च) वृषि से ही लगभग समस्त उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त होता है। उनके मूल्य में स्थिरीकरण हो जाने पर अन्य उद्योगों की वस्तुओं का लागत व्यय मी स्थिर एवं निश्चित हो सकता। तथा इसका प्रभाव अन्य वस्तुओं के मूल्य पर भी अच्छा पड़ेगा।

(छ) कृषि वस्तुओं के मूल्य स्थिरीकरण करने से सम्पूर्ण देश को आर्थिक लाभ होगा तथा राष्ट्रीय आय (National Income) में बढ़ देगा।

(ज) कृषि भी उचित पारितोषिक मिलने के कारण एक सम एवं न्यायपूर्ण वितरण से युक्त खुशहाल समाज का संगठन हो सकता।

(झ) उरमोकाओं का निश्चित एवं उचित मूल्य पर वृषि पदार्थ प्राप्त हो सकेंगे तथा उनके जीवन स्तर में भी इस स्थिरीकरण का अन्त्यु प्रभाव पड़ेगा।

(ञ) आधुनिक आर्थिक समाज में द्रव्य के मूल्य में अस्थिरीकरण होने से आकस्मिक तथा कष्टकारी परिवर्तन होते हैं। द्रव्य मूल्य के स्थिरीकरण में भी वृषि वस्तुओं के मूल्य स्थिरीकरण का अन्त्यु प्रभाव पड़ेगा।

मूल्यों की गति का ऐतिहासिक सिवायलोकन

हमारे देश में श्रीद्वारिक कानून न प्रभावों न फलस्वरूप, जनसख्त्या वृद्धि, अकाल तथा प्राकृतिक दुर्घटनाओं, जैसे का व्यापारीकरण एवं अन्तराद्वीपकरण तथा यातायात के साथनों की वृद्धि इतनादि कारणों से वृषि पदार्थों के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई। सर्वप्रथम सन् १८१३ के बाद से वृषि पदार्थों के मूल्य सम्बन्धी आंकड़े एवं उनकी वृद्धि जाने लगे। निम्नांकित तालिका से तत्कालीन कुछ वर्षों के मूल्यों की गति का अनुमान किया जा सकता है।

थोक विक्रय मूल्य निदशाक

(Wholesale Price Index Nos.)

आधारीय वर्ष (Base Year) जुलाई १८१४ है = १००

| वर्ष संख्या | वर्गमूल्य | कलाकर्ता |
|-------------|-----------|----------|
| १८१४ | १०० | १०० |
| १८२० | | २०९ |
| १८२१ | १६८ | १७८ |
| १८२२ | ८८ | ८७ |
| १८२६ | ८६ | ८१ |
| १८२७ | १०६ | १०२ |
| १८२८ | १०१ | ९५ |
| १८२९ | १०६ | १०८ |

उपरोक्त तालिका के नियोजण करने पर पता लगता है कि हमारे देश में कृषि मूल्यों में कितनी अस्थिरता रही। सन् १९२६ में विश्वव्यापी मन्दी का दौर-दौरा प्रारम्भ हुआ। हमारे देश पर इसना बड़ा छुरा असर पड़ा। कृषि वस्तुओं के मूल्यों में बहुत कमी हो गई। औद्योगिक कृषि वस्तुओं के मूल्य खाद्यालों की अपेक्षा बहुत नीचे गिर गये। अन्य औद्योगिक देश भारत की अपेक्षा इतनी बुरी तरह नहीं प्रभावित हुये क्योंकि वहाँ पर उद्योग विस्तृत थे। हमारे देश में उद्योगों का अभाव था। कुटीर उद्योग निर्मल तथा विनिष्ट हो चुके थे। परिणामस्वरूप आमीण देशों में वाहि गाहि मच गई। आमीण जनता की क्रप शक्ति ने हात तथा मूल्यों की गिरावट के बराबर जो कुच्छ उद्योग चल रहे थे वे भी बन्द होने लगे। बहुत से चैंबों तथा महाजनों का दिवाला पिट गया। कृषि वस्तुओं के मूल्यों में गिरावट का कुप्रभाव आमीण जनता अथवा वृष्टियों की दिक्षिता, भुखमरी तथा असहायता के लिए प्रभाव हुआ। सम्पूर्ण देश की आर्द्ध प्रसिद्धि आर्थिक व्यवस्था की नीति को एक जगरदस्त घटना लगा। सम्पूर्ण आर्थिक व सामाजिक जीवन अस्त-व्यवस्त हो गया। सन् १९३४ तक आर्थिक मन्दी का निर्दृश्य दानव के द्वारा सम्पूर्ण भारतीय जनता त्रस्त एवं दुखी होती रही। उसके उपरान्त धीरे धीरे हमि मूल्यों ने बढ़ि होना प्रारम्भ हुआ। परन्तु यह परिवर्तन न के बराबर रहा। फिर भी पिछले वर्षों की अपेक्षा सन् १९३६ में गूल्य स्तर पर्याप्त जैंचा रहा।

द्वितीय महायुद्ध काल—द्वितीय महायुद्ध की प्रोत्तरा सन् १९३९ में हुई और कृषि वस्तुओं के मूल्य बढ़ने की ओर अवसर होने लगे। सन् १९४१ से मूल्यों में निरन्तर बढ़ि होने लगी। युद्धकाल में मूल्यों के बढ़ने के क्षतिपूर्ण निम्नलिखित कारण थे—

- (क) युद्ध की अकाल है और सहेजानी में बढ़ि।
- (ख) भारतीय बाजार में इंगलैंड की सरनार द्वारा युद्ध सामग्री उपचालावन्यादि का खरीदा जाना।
- (ग) जापान, चीन व बहादुर से खाद्यावधि आयात का बन्द हो जाना।
- (घ) यातायात के साधनों का अभाव और कठिनाइयाँ।
- (ङ) मुद्रा स्फीति का होना।
- (च) कृषि-पदार्थों का व्यापारियों, किसानों तथा उरस्तार द्वारा सम्रह किया जाना।
- (छ) चोरबाजारी, घूसबोरी का योजनाला तथा सरकारी मूल्य नियन्त्रण नीति की खिलिता और आयोगता।

(ज) बढ़ती हुई जनताल्या की बढ़ती हुई माँग ।

उपरोक्त सभी कारणों का प्रभाव यह हुआ कि मूल्य स्तर में काफी वृद्धि हुई और जनता को अब बढ़ के अभाव तथा बढ़े हुए मूल्यों के कारण बहुत कष्ट उठाने पड़े । जिस प्रकार आर्थिक मन्दी के समय मूल्यों में गिरावट के कारण बठिनाइयाँ उपस्थित हुई थीं उसी प्रकार बढ़े हुए मूल्यों के कारण उपभोक्ता वर्ग में वाहि त्राहि मच गई । उन् १६४३ है० में जन प्रान्दोलन तथा स्थिति वी गम्भीरता से प्रगाढ़ित होकर सरकार ने मूल्य निर्धारण तथा नियन्त्रण के प्रयात्र बरना प्रारम्भ किये ।

* युद्धकाल में मूल्यों वी वृद्धि का अनुमान निम्नलिखित तालिका से लगाया जा सकता है ।

निर्देशांक (आधारीय वर्ष १६३६ = १००)

| वर्ष Year | इषि पदार्थ Agricultural Commodities | सामान्य General |
|--------------|---|--------------------|
| १६३६-४० | १२७ ५ | १२५ ६ |
| १६४०-४१ | १०८ ६ | ११४ ८ |
| १६४१-४२ | १२४ २ | १२७ ० |
| १६४२-४३ | १६६ ० | १७१ ० |
| १६४३-४४ | २६८ ७ | २३६ ४ |
| १६४४-४५ | २६५ ४ | २४४ १ |
| १६४५-४६ | २७२ ६ | २४४ ६ |
| १६४६-४७ | ३१८ ८ | २७५ ४ |

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट प्राप्त होता है कि युद्धकाल में निरन्तर मूल्यों में वृद्धि होती रही और वह भी प्रकट होता है कि किस प्रकार कृषि-पदार्थों के मूल्य सामान्य निर्देशांकों की प्रभावित रखते रहे । कृषि-वस्तुओं के मूल्यों वा बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध सम्पूर्ण देश के मूल्य-स्तर से है । इसलए यह निर्विद्याद सिद्ध हो जाता है कि सम्पूर्ण देश के मूल्य-स्तर के स्थिरतरण के लिए कृषि पदार्थों के मूल्यों का स्थिरीकरण अत्यन्त ग्रावश्यक ही नहीं बरन् अनिवार्य है ।

युद्धोपरान्त का काल—युद्ध समाप्त हुआ परन्तु मूल्य निरन्तर वृद्धि वी और ही अग्रसर होते रहे । द्वितीय महायुद्ध काल में भी मूल्य वृद्धि के कारण ज्यों के त्वयि प्रभावशाली बने ही रहे ताप ही कुछ अन्य कारण भी उपस्थित हो गये । देश की

स्वतन्त्रता के साथ-साथ देश का विभाजन भी हुआ। पलस्वरूप पर्याप्त उपद्रव उपस्थित हो गया। तकानी आर्थिक सागर में बड़े बड़े भयकर उथल पुथल प्रारम्भ हो गये। हमारे देश को कम आर्थिक साधनों के द्वारा बहुत बड़ी जनसख्त्या का भरण पौष्टण करने की समस्या उपस्थित हो गई। लाखों की सख्त्या में शरणार्थियों को शरण देने की समस्या ने हमारे देश की चुदाकालीन समस्याओं के द्वारा जर्बित आर्थिक दौर्जे को झकझोर डाला। जो कुछ उत्पादन में वृद्धि अधिक अब उपजाओं इत्यादि योजनाओं के द्वारा हुई थी वह सब विलोन हो गई। खाद्य सकट उपस्थित हुआ तथा मूल्यों में वृद्धि की सीमा न रह गई।

निम्नांकित तालिका से मूल्य वृद्धि का कुछ अन्दाजा लगाया जा सकता है।

थोक मूल्य निर्देशाक आधारीय वर्ष—सन् १९३६ = १००

| वर्ष | खाद्य पदार्थ | कच्चा औद्योगिक | सामान्य |
|------|--------------|----------------|---------|
|------|--------------|----------------|---------|

| | | माल | |
|---------|-------|-------|-------|
| १९४७-४८ | ३०६ | ३७८ | ३०८.२ |
| १९४८-४९ | ३८३ | ४४५ | ३७६.८ |
| १९४९-५० | ३९१ | ४७२ | २८५.४ |
| १९५०-५१ | ४१६ | ५२३ | ४०८.७ |
| १९५१-५२ | ३६६.१ | ५७४.१ | ४३३.१ |

आधारीय वर्ष—१९५२-५३ = १००

| | | | |
|-------------|-------|-------|-------|
| १९५२-५३ | ८४.६ | १०१.८ | ८७.५ |
| १९५३-५६ | ८६.६ | १११.१ | ८१.४ |
| १९५६-५७ | १०२.२ | १०६.० | १०५.२ |
| १९५७-५८ | १०६.४ | ११६.५ | १०८.४ |
| दिसंबर १९५८ | ११७.८ | ११६.५ | ११४.४ |

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि कुछ पदार्थों के मूल्यों में अब भी वृद्धि हो रही है। सन् १९५८ में भी मूल्यों की प्रगति वृद्धि ही की ओर है। उत्तरी भारत के पूर्वी प्रदेशों में वर्षों के अभाव तथा अन्य प्राकृतिक उपद्रवों के कारण खाद्यान्नों का अभाव हो गया है। इस वर्ष सन् १९५८ में तो खाद्यान्न के मूल्यों में और भी अधिक वृद्धि हो गई है। खाद्य सकट की समस्या ने इस वर्ष अति उम्र लम्बारण करके, भारत की द्वितीय पचवर्षीय योजना को और भी जटिल करा दिया है। समानार पर्याप्त ने पूर्वी छोन्न र लोगों की दयनीय दशा का वर्णन करते हुए लिखा है कि बहुत से लोग बृक्षों की पर्चियाँ साकर अपने जीवन की रक्षा करने पर नज़बूर हो गए हैं।

प्रथम पञ्चवर्षीय योजना में हुई खाद्यान्नों के उत्पादन की वृद्धि बढ़ती हुई जनसख्त्या, बेकारी, प्राकृतिक उपद्रव तथा अब वितरण की पश्चीनती में शिखिलता इत्यादि कारणों से प्रभावहीन हो गई है। मूल्यों में गिरावट की कोई आशा दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। हमारी राष्ट्रीय सरकार इस समस्या की ओर जागरूक है तथा सकट निवारण के लिए भरसक प्रयत्न कर रही है।

श्री अशोक मेहता की अध्यक्षता में सरकार ने सन् १९५७ में “खाद्यान्न जाँच समिति” की नियुक्ति की थी जिसने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से सुझाव दिया है कि अनाज के मूल्यों में स्थिरता लाने के लिए टोस कदम उठाना अत्यन्त आवश्यक है। इस दृष्टि से समिति ने एक उच्च अधिकारणात्र “मूल्य स्थिरता बोर्ड” (Price Stabilization Board) स्थापित करने का सुझाव दिया है। यह बोर्ड यामान्त रूप से भाव स्थिरीकरण के सम्बन्ध में अपनी नीति निर्धारित करने के साथ साथ उसे समय समय पर लागू करने के लिए वार्षिक निश्चित करेगा। सरकार को खाद्यान्नों के मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों का पता लगता रहे, इसके लिए एक अलग से “मूल्य सूचना विभाग” स्थापित करने की भी सलाह समिति ने दी है।

सन् १९५८ में सरकार द्वारा अनाज के थोक व्यापार के राष्ट्रीयकरण एवं नियन्त्रण की धोरणा मूल्यों के स्थिरीकरण की दिशा में निश्चय ही एक सराहनीय कदम है। इस नीति का मूल उद्देश्य ही कृषि पदार्थों के मूल्यों में ऐसी स्थिरता लाना है जिससे उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं दोनों को ही उचित दर पर खाद्यान्न सुलभ हो जाएँ।

उचित मूल्य निश्चित करके उनको देश में लागू करने के लिए यह आवश्यक है कि सरकार निश्चित मूल्य पर बाजार में वसुएँ खरीदने एवं बेचने के लिए तैयार रहे। सहवारी विक्रय समितियाँ भी इस दिशा में प्रशसनीय कार्य कर सकती हैं। सन् १९५८ में खाद्यान्न के मूल्यों की वृद्धि रोकने के लिए सरकार ने सत्ते गल्ले की दूकानों की व्यवस्था विभिन्न स्थानों पर की है। परन्तु समस्त खाद्यान्न की माँग को पूरा करना सरकार की सामर्थ्य के बाहर है और इसके बारण सरकार की इस नीति का खाद्यान्न के मूल्यों पर कुछ भी प्रभाव न पड़ना स्वाभाविक ही है। व्यापारी वर्ग पर बिना नियन्त्रण के खाद्यान्न के मूल्यों की समस्या का समाधान कराना असम्भव सा प्रतीत होता है। ऐसी दशा में एक केन्द्रीय संस्था की स्थापना, जो उत्पादन एवं वितरण पर नियन्त्रण रखें और खाद्यान्नों का आर्थिक स्थिति के अनुसार मूल्य स्थिर करे, अत्यन्त आवश्यक है। समर्थित काजगरों की स्थापना भी इह दिशा से काफ़ी सहायता प्रदान हो सकती है। आज खाद्यान्न के मूल्यों ग वृद्धि का मूल कारण व्यापारियों द्वारा खाद्यान्न का अनुचित सम्बद्ध है। इस पर भी नियन्त्रण आवश्यक है। बिना इसके सरकार द्वारा मूल्य स्थिरीकरण के अन्य प्रयत्न उफल हो सकें, इसमें विचित्र रूप है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि आर्थिक पुनर्विकास की सफलता तथा आर्थिक उम्मदि के लिए कृपि बस्तुओं के मूल्यों का स्थिरीकरण अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है। मूल्य स्थिरीकरण के द्वारा हम अपने किसानों के साथ न्याय कर सकते हैं और उनको उचित पारिश्रमिक प्रदान करके उन्हें खुशहाल बना सकते हैं और दूसरी ओर उपभोक्ताओं के रहन सहन के स्तर में आशातीव वृद्धि कर सकते हैं। आज खाद्याद के बढ़ते हुए मूल्यों के कलस्तरप बनता में असरोप की मावना व्याप्त है। असरोप ही क्रान्ति की जननी है। ऐसे समय में इन मूल्यों में स्थिरता लाना देश की शारि, सुरक्षा एवं आर्थिक प्रगति के लिए नितान्त आवश्यक है। द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना भी सफलता भी खाद्याद के मूल्यों की स्थिरता पर ही निर्भर है। बाल्कव में ये बढ़ते हुए मूल्य द्वितीय योजना के लिए चुनौती हैं। मन्त्र नर्ग की समदि और खुण्हहाली ही नहीं, लोकतन्त्र एवं स्वतन्त्र समाज का भविष्य भी आज खतरे में है। मूल्यों का स्थिरीकरण देश के आर्थिक दृच्छे को स्थायी एवं दृढ़ बनाने के लिए और उपभोक्ताओं के जीवन स्तर को ऊँचा बनाये रखने के लिए नितान्त आवश्यक है। विना इसके देश के आर्थिक विकास की योजनाओं की सफलता शीघ्र नहीं हो सकती।

कुटीर उद्योग-धन्धे

(Cottage Industries)

छोटे पैमाने पर चलाये जाने वाले उन उद्योगों को ही 'कुटीर उद्योग' कहते हैं जिनमें कोई व्यक्ति स्वयं ही साधारण औजारों की सहायता से काम करता है। ऐसे उद्योगों में अधिकतर मालिक स्वयं अपने घर के सदस्यों की सहायता से ही काम करता है और मजदूरी पर कार्य करने वाले शमिकों की सख्त्या बहुत सीमित होती है। किन्तु कुटीर उद्योग म मशीनों तथा चालक शक्ति का सर्वथा अभाव होना आर्थिक दृष्टि से बाछूनीय नहीं है। ये कुटीर उद्योग तभी देश की मात्री आर्थिक व्यवस्था में पूर्ण स्थान रख सकते हैं जब कि इनमें एड़ सीमा तक चालक शक्ति तथा मशीनों का प्रयोग किया जा सके। लघु उद्योग वे हैं जिनमें सामान्यत १० से ५० व्यक्ति तक काम करते हैं। इनमें परिशमिक पर शमिकों को रखा जाता है और मशीनों से भी कार्य किया जाता है तथा विजली की शक्ति प्रयोग म लाई जाती है। इनमें अक्सर वर्ष भर काम चलता रहता है।

महत्व

भारतीय अर्थ व्यवस्था में कुटीर उद्योग धर्थों वा क्या महत्व है, यह बतलाना बास्तव में सूर्य के सम्मुख दीपक दियाना है। महाराष्ट्रा गांधी के शब्दों में—

“भारत का मोक्ष उसके कुटीर-उद्योगों में ही निहित है।”

भारत कृषि प्रधान देश है और इसीलिए भारतीय अर्थ व्यवस्था में गाँवों की आर्थिक सम्पदता एवं कृषि विकास का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में कृषक वर्ष में लगभग ५ महीने बैकार रहता है। भारतीय कृषि वर्ष पर निर्भर है और भूमि की उर्वरा शक्ति जीण हो जाने के कारण उत्पादन भी कम होता है जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय निकान की आर्थिक दशा अत्यन्त शोचनीय है। वर्षा के अभाव में या अन्य कारणों से अकाल पड़ने पर निकानों की दशा और भी शोचनीय हो जाती है। अवाल पड़ने पर आमदनी के अन्य साधन न होने के कारण निकानों को बाल के गाल में जाना पड़ता है। कुटीर उद्योग-धर्थों ने होने पर निकान न बेवल अपनी स्खाली समय का उद्योग बनाया है।

के समय अपने को भुलमरी से बचा सकता है। सच वो यह है कि कुटीर उद्योग भारतीय किसानों के आर्थिक धनुप्रदी दूसरी डोरी का कार्य करेगे।^३ किसानों की आर्थिक सम्बन्धता के कारण हृषि का विकास एवं उत्पादन में वृद्धि होना स्वामाविक ही है। कुटीर उद्योगों का महत्व निम्न दृष्टिकोण से और भी आर्थिक बढ़ जाता है—

इन उद्योगों से भारत की बहुत बड़ी सख्त्या को काम व जीविका प्राप्त होती है। सन् १९३१ में भारत के समस्त औद्योगिक मजदूरों में ८५% मजदूर कुटीर उद्योगों में लगे थे।

कुटीर उद्योगों के विकास से बेकारी की समस्या बहुत कुछ इल हो सकती है। मिल उद्योगों में करोब ३६ लाख अर्थात् १% व्यक्ति ही लप सकते हैं। मावी विकास का अनुमान करते हुए अधिकारिक इतने ही व्यक्ति और लप जायेंगे। फिर भी बेकारी की समस्या का समाधान न हो सकेगा। किन्तु यदि देश भर में कुटीर उद्योग फैला दिये जायें तो वह समस्या काफी हद तक सुलभ सकती है।

गाँवों की आर्थिक व्यवस्था में इनका महत्व इसलिए भी है कि ये किसान के लिये अतिरिक्त आय के साधन बन सकते हैं और उसके बेकारी या अद्वै बेकारी के चार-पाँच महीनों में काम प्रदान कर सकते हैं।

कुटीर उद्योगों के विकास से देश की आर्थिक विषमता कम की जा सकती है। मिल उद्योगों के कारण एक ओर दिग्द्रिता का अवृद्धाच एवं दूसरी ओर भोग-विलास और अपरिमित वैभव देखने में आवा है। कुटीर उद्योगों के फैलाव से धन के वितरण में समानता लाई जा सकती है ज्योकि बेकारी दूर होने से प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पर्याप्त धन मिलेगा तथा किसी व्यक्ति विशेष को अधिक धन संग्रह करने का अवசर न रहेगा। शोषण की समावना भी न रहेगी।

उद्योगों के केन्द्रीयकरण से अनेक प्रकार की समस्याएँ पैदा हो गई हैं, जैसे निवास स्थानों की कमी, नैतिक पतन, स्वस्थ बातावरण का अभाव इत्यादि। इसके अतिरिक्त शब्दु सरलवायूर्वक चम-वर्षा हारा उद्योगों को नष्ट कर सकते हैं। कुटीर-उद्योगों के स्थापित करने से केन्द्रीयकरण के दोष दूर हो जायेंगे। कानपुर, घर्मद्वारा, कलकत्ता जैसे शहरों की मजदूर बल्तियों के नारकीय जीवन से मजदूरों को बचाया जा सकेगा। औद्योगीकरण के साम सारे देश पर समान रूप से बढ़ जायेंगे, अर्थात् नगर ही धन की निधि न होकर गाँव भी धन वैभव से युक्त हो जायेंगे।

^३ "Cottage industries will act as the second string to the bow of financiers of the agriculturists."

नैतिक दृष्टि से भी कुटीर उद्योगों का विकास अत्यन्त आवश्यक है। मशीनों ने जिस स्वार्थ परता एवं विदेष की भावना, असहयोग तथा कदुता का प्रसार किया है, उसको नष्ट करके सहानुभूति, भ्रातृमातृ, पारस्परिक सहयोग एवं स्वेह के भावों का विकास करना कुटीर उद्योगों के विकास पर ही निर्भर है।

आधिकारिक उत्पादन का प्रश्न भी आज देश के सामने है। उत्पादन के इस महान कार्य में कुटीर उद्योग भी सहयोग दे सकते हैं।

देश के विभाजन के कारण विस्थापितों की चिकित्सा समस्या उपस्थित हो गई है। उन्हें काम देने तथा समाज रूप से देश में बसाने के लिये कुटीर उद्योग बहुत उपयुक्त हैं। कुछ दिनों की श्रौद्धोगिक शिक्षा देने के बाद उन्हें गाँवों में कुटीर उद्योगों की सुविधाएँ दी जायें तो विस्थापितों की समस्या शीघ्र सुलझ सकती है।

विशेष परिस्थिति आ पड़ने पर कुटीर उद्योग बहुत लाभप्रद सिद्ध हो सकते हैं। उदाहरणार्थ द्वितीय महायुद्ध में कुटीर उद्योगों का कार्य सराहनीय रहा। उच्चर प्रदेश के शीशामगरों ने फौज के लिये काँच का सामान बनाया, आगरा के संगतराशों ने फौज के लिये परिचय पट्टक बनाये, मछुली के जाल बनाने वालों ने फौज के लिये शत्रु से छिपाने वाले जाल बनाये तथा खिलौना बनाने वालों ने फौजी टोर बनाये।

कुटीर उद्योग मिल उद्योग के सहायक बन सकते हैं जैसा जापान में होता है। एक-एक भाग अलग अलग जगह में बनाकर किसी एक फैक्ट्री में जोड़कर पूरी चीज तैयार करने की व्यवस्था भी की जा सकती है।

बड़े बड़े उद्योग तो पूँजीवाद को जम्म देते हैं क्योंकि इन उद्योगों से कुछ हाथों में ही द्रव्य कन्द्रित होता जाता है जिसके कारण शोषण, निर्धनता एवं धन के वितरण की समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं। कुटीर उद्योग धर्धों से धन का समान वितरण होता है, शोषण का अन्त हो जाता है और धन का खग्ग कुछ व्यक्तियों में ही नहीं लिपित रहता है। वास्तव में कुटीर उद्योग-धर्घे साम्यवाद की चुनौती है और समाजवाद के जन्मदाता हैं। भारत आज अपना विकास समाजवाद के दृढ़ आधार पर कर रहा है। ऐसे समय में कुटीर उद्योग धर्घों का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। वास्तव में 'कल्याणकारी राज्य' (Welfare State) की स्थापना में कुटीर उद्योग धर्घे ही मुख्य आधारशिला है। वास्तव में कुटीर उद्योग धर्घे भारत की सामाजिक क्रान्ति के बीज हैं जिनके बिना राम राज्य ऐसे बृक्ष की बलना नहीं की जा सकती जिसकी सुखद एवं शीतल छाया में मारतीय नागरिक सुख एवं शान्ति भी नीद से रक्खें।

उपर्युक्त विवेचन ये स्पष्ट है कि आब मारत के कुटीर उद्योग-धन्धों का महत्व औद्योगिकरण में इतना है जितना सम्भवतः पहले नहीं था। बधई योजना में लिखा गया है—

“आद्योगिक संगठन हमारी योजना का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसमें बड़े पैमाने के उद्योगों के साथ लघु प्रमाण एवं कुटीर धन्धों की समुचित योजना होनी चाहिये। यह इसलिये महत्वपूर्ण नहीं है कि ये रोजगार का साधन मात्र हैं, अपितु पैदी की विशेषतः प्रारम्भिक स्थिति में बाहरी पैदी की आवश्यकता कम करने के लिये भी आवश्यक है। सामान्यतः यह कहा जा सकता है कि आधारभूत उद्योगों में छोटी छोटी इकाइयों के लिये कम स्थान है, परन्तु उपभोग वस्तुओं के उत्पादन में उनकी उपयोगिता एवं महत्व अधिक है। इस क्षेत्र में उनका कार्य अधिकतर बड़ी इकाइयों के लिये सहायक होगा।”

प्रथम पञ्चवर्षीय योजना में भी यहा गया है—

“प्रामीण विकास कार्यक्रम में कुटीर धन्धों का प्रमुख स्थान है।..... यदि कृषि को वैज्ञानिक करना है तो सम्पूर्ण देश के अतिरिक्त श्रमिकों को जो कुल संरक्षा के लिये है, काम देने का साधन खोजना होगा तथा प्रामीण जीवों की विशाल मानवी एवं आर्थिक समस्याओं को सुलझाना होगा, इसलिये निकट भविष्य में कुटीर धन्धों की आवश्यकता एवं महत्व सब से अधिक है, जिस पर जोर देना होगा।”

श्री गोडगिल के शब्दों में—

“आधारभूत एवं लघु प्रमाण धन्धों के विकास से ही आर्थिक विप्रमता का अन्त होगा।”

प्राम उद्योगों के लिए स्थान

प्रायः यह प्रश्न पूछा जाता है कि क्या हमारी अर्थ व्यवस्था में खादी तथा आमोद्योगों के लिये स्थायी स्थान है और क्या उन्हें आर्थिक सहायता सदैव मिलती रहनी चाहिये? जहाँ तक भविष्य के पर्दे में झाँककर देखा जा सकता है ये उद्योग उस आवश्यकता की पूर्ति करते हैं जो द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना की अवधि तक ही नहीं बनी रहेगी, वरन् ऐसी अनेक पञ्चवर्षीय अवधियों तक बनी रहेगी। हमारी अर्थ-व्यवस्था मुख्यतः प्राम प्रधान अर्थ-व्यवस्था है जिसमें प्रामीण उद्योगों के हास के कारण उत्तर असतुलन बना हुआ है। अतीत में इन उद्योगों के द्वारा इन कृषिजन्य तथा अन्य कच्चे माल का बखूबी प्रयोग किया जा सका है जो प्रामीण जीवों में उचित मात्रा में

उपलब्ध हैं। ये पूरक धर्म, सहायक उद्योग तथा ग्राम कलाएँ इस तरह से चलावी जा रही हैं जो हमारी ग्राम्य अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकताओं के लिये उपयुक्त हैं। इन उद्योग-धर्मों में ग्रामों में ही निर्मित पंच तथा उपकरण प्रयोग करके पूरे समय तथा अवकाश के समय में काम किया जाता है। कोई भी राष्ट्र तब तक प्रगति नहीं कर सकता जब तक लोग उन उद्योगों उत्पादक कारों में न लगाये जा सके जो उनकी आवश्यकताएँ अधिक से अधिक सीमा तक उनके अपने ही प्रयासों से पूरी करते हैं। इन्हीं उद्योगों द्वारा हम अपने ग्राम्य जीवन पर हाथे अवशाद दो दूर कर सकते हैं। जब ग्राम निवासियों को विविध आर्थिक उत्थान के अवसर सुलभ हो सकेंगे तभी हमारी राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था समृद्ध होगी।

बड़े पैमाने पर श्रीद्योगीकरण का विगत चार दशकों का अनुभव बतलाता है कि उन तथा आर्थिक याकिं धीरे-धीरे कुछ व्यक्तियों के हाथ में जाकर इकट्ठी होती जाती है। शहरों की जनसंख्या दिनों दिन बढ़ती जाती है और इसके साथ ही साथ गंदी बस्तियाँ भी। नारीय जीवन का प्रादुर्भाव होना इन परिस्थितियों में स्वामानिक ही है। निश्चय ही ऐसी परिस्थितियों में विकेन्द्रीकृत उद्योगों की महान् आवश्यकता है। छोटे पैमाने पर उपयोग की वस्तुएँ बनाने वाले विकेन्द्रीकृत उद्योगों का विस्तार ही लाभ को अधिकाधिक लोगों में वितरित करने में सहायक हो सकता है और इस प्रकार धन के विषम-वितरण की समस्या का समाधान भी कुछ सीमा तक समव हो जायेगा। विकेन्द्रीकृत आधार पर उत्पादन करने से जो सामाजिक लाभ होते वे केन्द्रीकृत आधार पर उत्पादन करने के वित्तीय लाभों से अधिक महत्वपूर्ण होंगे।

ऐतिहासिक मीमांसा एवं पतन के कारण

भारत बहुत प्राचीन समय से अपनी कला-कौशल और उद्योग धर्मों के लिये विख्यात रहा है। भारतीय श्रीद्योगिक आयोग १९१८ ने लिखा है—

“जब यूरोप के बन देशों में, जो आज श्रीद्योगिक विकास के नेता बने हैं, असम्भव जातियाँ निवास करती थीं, तब भारत अपने शासकों के अपार वैभव तथा कारीगरी की ओष्ठ कला के लिये प्रसिद्ध था।”

शतानिद्यों तक गाँव की साधारण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये ग्रामीण कलाओं तथा दस्तकारियों के उद्योग, नगरों में राजदरबारों तथा धनी एवं सुनदिशाली वर्गों के लिये श्रीर नियोत के लिये मेयर-विलास की सामग्रियों के अनेक उद्योग हमारे देश में प्रवर्षते रहे। तूटी नथा रेशमी करड़े, कशीदों के काम, ऊनी शालें तथा दरियाँ, बातु के काम, पत्थर नक्काशी, नीता ने काम के आभूषण, हाथी दाँव के काम, जरी के काम, लालू और खिलौने के काम, अलू शाल तथा ढालों के बनाने

के काम, शाही कारखानों तथा दस्तकार सध के आधीन दस्तकारों के बरों पर सुधगठित थे। राजाओं तथा दरबारियों से उन्हें यह प्राप्ताहन मिलता था तथा वे अपनी सुन्दरता और अवृत्ति के लिये छुटूर मिठ, यूनान और वेदीलोन क बाजारों में प्रसिद्ध थे। भारतीय दृष्टि वज्र उद्योग के समर्थ में मुगलकालीन गाढ़ी ट्रेवर्नियर लिखता है—

“भारत निर्मित वस्तुएँ इतनी सुन्दर थी कि वे तुम्हार हाथ में हैं यह ज्ञान किंचित ही हीता था। वह अतीव कोमलता से काते गये तागों से बुना जाता था तथा १ पौंड रुई में २५० मील लन्चा कपड़ा बुना जाता था।”

मिठ में ईसा से २,००० वर्ष पूर्व के शब्द उच्च कोटि की भारतीय मलमल में लकड़े हुवे पाये गये हैं। रोम में भारतीय माल की खपत बहुत ही थी और दाका की मलमल से यूनानी परिचित थे, जिसे व गजेटिका कहते थे।

भारत के गोरख कुटीर उद्योग अंग्रेजी शासन के प्रारम्भ के साथ साथ क्रमशः अवनति की ओर चल्लसर होने लगे। महात्मा गांधी के शब्दों म—

“The cottage industry in India had to perish in order that Lancashite might flourish.”

कुटीर उद्योग धन्वों की अवनति के कई कारण थे जिनका सहित विवरण निम्नलिखित है—

(१) नवाचों एवं राजाओं का अन्त—देशी शासक कुटीर उद्योगों की इनी वस्तुओं को प्रोत्साहन देते थे। राजधानियों में कितने ही ऐसे उद्योग चालू थे, जिनका अस्तित्व नवाचों और राजाओं के सरक्षण पर ही था। जब राजा, महाराजा, नवाब और उनके दरबारी न रहे तो अधिकार्य कुटीर उद्योगों की वस्तुओं की माँग जाती रही। इस प्रकार विटिश राज्य की स्थापना के साथ साथ प्राचीन भारतीय शासनों का लोप होता गया जिसके फलस्वरूप कुटीर-उद्योगों के ग्राशय, प्रोत्साहन एवं उपत ज्ञ प्रधान स्रोत घमास हो गया।

(२) विदेशी सरकार की धावक नीति—देश में अंग्रेजी शासन के प्रारम्भ तथा ईर्ष इंडिया कम्पनी का भारतीय उद्योग नीति से कुटीर उद्योगों वो खका लगा। इस नीति को निपारित करते समय सरकार हमेशा अंग्रेजी उद्योग धन्वों के हितों को ध्यान न रखती थी। फल यह हुआ कि भारत के इन उद्योगों का क्रमशः हास होने लगा। एक ओर तो सरकार ने भारत में जुलाहों, कारीगरों और शिल्पकारों को उत्पादन बन्द करने को चाह्य किया और यहाँ तक कि उनके अँगूठे भी कटवा लिए, दूसरी ओर इगलैंड में जो भारतीय माल घासाधन आयात हो रहा था, उसको रोकने के लिए अनेक आयात कर लगाए गए और भारतीय वस्तुओं के उपयोग को एक कानूनी

अभियोग घोषित किया गया। यही नहीं भारत के ऊपर स्वार्थवश “स्वतन्त्र व्यापार” की नीति लादी गई। इसका प्रमाण ब्रिटिश सम्राज्य की सन् १८१३ की बहस से मिलता है। इसमें थी टायर्ने (Tierney) ने कहा था—

“हमारी आर्थिक नीति का यह सामान्य सिद्धान्त हो कि इङ्ग्लैण्ड का बना हुआ माल भारत में बेचा जाय, जिसके बदले एक भी भारतीय वस्तु न ली जाय।”

इनका तात्पर्य यह है कि मैनचेस्टर, लकाशायर, शैफ़ॉल्ड इत्यादि के उद्योग-धन्यों की उन्नति बरने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने भारत के छारे गौरवपूर्ण उद्योगों को जबरदस्ती गर्ते में गिरा दिया। प्रोफेसर विल्सन लिखते हैं—

“यदि इस प्रकार के प्रतिरोधी कर का वन्धन विद्यमान न होता तो पैसले और मैनचेस्टर की मिलों का जन्म से ही गला छुट जाता और उन्हे वाष्प शक्ति से भी चलाना कठिन हो सकता था।”

(३) पाश्चात्य सभ्यता का प्रादुर्भाय—अंग्रेजों से समर्क बढ़ने पर लोगों के रहन सहन, पहनावे और इच्छा में परिवर्तन आ गया, इसलिए भी प्राचीन कुटीर-उद्योगों की वस्तुओं की माँग कम हो गई। पश्चिमी दृग पर शिक्षित हुआ नया शिष्ट समाज पुरातन भारतीय गौरव को एकदम भूल गया। जैसा कि डा० एन्सेट का कहना है—

“भारत के बनी वर्ग ने योरोपीय कैशन को अपनाना शुरू कर दिया और या तो वे विदेशों से आयात की हुई वस्तुओं को खरीदते अथवा उन सस्ते देशी उत्पादनों से ही सतुष्ट हो जाते जो योरोपियनों को बेचे जाते थे। यदि इन्हीं को वे पहले अपने यहाँ से लेते, तो निश्चय ही नाक-भौं सिकोड़ते।”

इस पश्चिमी धुन से भारतीय कुटीर धन्यों की उत्पादन की माँग गिरने से उनकी आवश्यकता हो गई।

(४) आवागमन के साधनों में विकास एवं भशीन द्वारा निर्मित वस्तुओं से प्रतियोगिता—विदेशी, विशेषतः इङ्ग्लैण्ड से मशीन की बनी वस्तुओं के आयात का कुटीर उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ा। मशीन की बनी वस्तुएँ सस्ती होती थीं, अतः कुटीर-उद्योग उनके समक्ष ठिक न सका। रेलों के बन जाने से विदेशी माल देश के कोने-बोने तक पहुँचने लगा, इसलिए भी कुटीर-उद्योग वीं वस्तुओं के लिए खपव का स्थान नहीं रहा। और ये अंतिम फैलास्तर्य इंग्लैण्ड में और भारत में भी होते, से सस्ती और एक आकार की वस्तुओं का निर्माण होने लगा, जिनके सामने हमारे छोटे उद्योग नहीं ठहर सकते थे। स्थल पर सड़कों और रेलों के बनाने से विदेशी माल देश के कोने-बोने में जाने लगा। गांव के घरेलू धन्ये भी नगरों के शिल्प की

भाँति नष्ट होने लगे। इस देश में रेलों का निर्माण इतनी तीव्र गति से हुआ कि यहाँ के घन्थों को आकस्मिक धक्का लगा और बारीमरों को अन्य घन्था अपनाने का अवसर ही नहीं मिला। अगर रेलों का विस्तार धीरे-धीरे होता और केवल विदेशी माल का ध्यान न रख कर यहाँ के धधों की उन्नति का ध्यान रखा गया होता तो हमारे शिल्पियों को विवश होकर खेतों पर निर्भर नहीं होना पड़ता। आवागमन के साधनों की उन्नति होने से जहाँ और देशों की आर्थिक दशा सुधरती है, वहाँ मारत्वधर्म की दशा और भी बिगड़ने लगी। इसका कारण यह था कि इस देश में आवागमन के साधन इस देश की आर्थिक उन्नति को ध्यान में रखते हुए नहीं उन्नत किये गये। रेल, तार, डाक, यड़कें, जहाज सब का निर्माण और उनके सचालन की नीति एक ही थी, अर्थात् अब्बेजी व्यापारिक माल की बुद्धि और वहाँ के तैयार माल को इस देश में लापाना।

(५) गाँव की स्वावलम्बिता का अन्त—वे गाँव जो पहले स्वावलम्बी थे, अर्थात् अपनी सारी आवश्यकताओं को पूर्ति स्वयं करते थे, अब विदेशी वस्तुओं का उपयोग करने लगे और गाँवों के कुटीर-उद्योग नष्ट हो चले।

इस प्रकार स्थानीय सरकार का अभाव, मशीन की प्रतिष्ठिता, नुक्त व्यापार, और सरकार की उदारीनता ये सब ऐसे कारण थे जिन्होंने भारतीय उद्योगों को खत्म कर दिया और हमारे देश को एक तथाकथित ‘कृषि प्रधान देश’ बना दिया। इस कथन में कि ‘ब्रिटेन की अद्योगिक कांति भारतीय सम्पत्ति के शोधणे द्वारा ही सम्भव हुई दै’, कुछ अतिशयोक्ति अवश्य है, पर कुछ सच्चाई भी है।

वर्तमान परिस्थिति एवं समस्याएँ

वर्तमान परिस्थिति वह है कि कुटीर उद्योग अपनी शाचीन गौरवपूर्ण अवस्था से बहुत दूर खड़े हैं। कुछ दस्तमारियाँ तो पूर्णतया मर ही गई हैं जैसे ढाका की मल-मल का तो नाम-निशान ही नहीं मिलता। कुछ अन्य ऐसी हैं जो मृत्युग्राम दशा में हैं, जैसे हाथ कवाई और कुछ अन्य ऐसे हैं जैसे बुनने के हाथ-कर्वे की जो हाल ही में पुनः साँस लेने लगे हैं। प्रो० राधाकमल गुक्की ने घरेलू दस्तकारियों की एक बहुत लम्बी सूची दी है जो अब भी देश के भिन्न-भिन्न भागों में पाई जाती है। उनमें से कुछ हैं—चनारस, इलाहाबाद और जौनपुर जिले में टोकरी बनाना, मलाबार और दक्षिण तथा पूर्वी बगाल में रसे बटना, चटाई बनाना, पलियाँ बनाना, आसाम में रेशम के बीड़े पालना; मेरठ, बदायूँ, मिर्जापुर, बोलपुर (बगाल), चैनापटन (मैसूर) और कोडापल्ले (मद्रास) में ताल और सिलीने बनाना, मुर्शिदाबाद, मालदा, मदुरा और मागलपुर में रेशम बुनना; मिर्जापुर और नदिया (बगाल) में कलापूर्ण मिट्टी की मूर्तियाँ बनाना; तिन्नेवली (मद्रास) में लुक्कियाँ और साड़ियाँ बनाना;

फतेहपुर और फिरोजाबाद में काँच की चूड़ियों का काम। डॉ मुकर्जा उल्लेख करते हैं—

“प्रत्येक जिले में एक या अधिक गाँवों में सूती कपड़ा और रेशम की बुनाई होती है, सोने, चादी, तांबे, दिधातु, वाँस, वेत और चमड़े का ऊचे स्तर पर कला पूर्ण काम होता है। सारे देश भर में कहाँ पर कताई और बुनाई का काम होता है। साखुनसाजी का भी बहुत विस्तार के साथ काम किया जाता है।”

पर आज इन सभी उद्योगों के सामन कुछ कठिनाइयाँ हैं जिनके कारण ही इन उद्योगों का विस्तार अब तक सम्भव न हो सका है। इनमें सुख्य निम्नलिखित हैं—

(१) कठचे माल की प्राप्ति में कठिनाई—समय-समय पर उत्तम कच्चा माल उचित मूल्य पर प्राप्त नहीं हो पाता। वही वही कम्पनियों के एजेंट निर्वात तथा मिल उद्योगों के लिए पहले ही अधिकारी माल यारीद लेते हैं, अत. कारीगरों को पठिया माल से ही सनुष्ट रहना पड़ता है। प्रायः यह माल भी उन्हें नियमित रूप से तथा उचित मूल्य पर मिलना कठिन होता है।

कुटीर उद्योग के लिए वच्चे माल की पूर्ति के सम्बन्ध में सरवार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि प्रत्येक कारीगर को उसकी उत्पादन शक्ति के अनुसार पर्याप्त कच्चा माल मिल सके। उदाहरणार्थे जुलाहों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार यूत मिले और मूल्य भी उचित हो। ऐसी सहकारी-समितियों के भी बनाने में सरकारी सहायता की आवश्यकता है, जो कारीगरों को आवश्यकता पड़ने पर क्रूर तथा उचित मूल्य पर सामान दे सके।

(२) पूँजी की कमी (Lack of Capital)—कारीगर स्वयं तो निर्धन हैं ही और उनको सूख देने के लिए भी कोई सुनुचित व्यवस्था वही नहीं हो पाई है। बैंक उन्हें रुपया उचार नहीं देते तथा सहकारी समितियों का प्रचार अभी कारीगरों में नहीं के बराबर है। महान ही कर्ज प्राप्त करने का एक साधन है, अत. बेचारे कारीगरों का महाजन के द्वारा शोषण होता है। मजबूर होकर उन्हें अपना माल उचक हाथ कम मूल्य पर बेचना पड़ता है। कारीगरों वी बैंक म कोइ साप नहीं होती और न अभी उन्होंने सहकारी कृष्ण समितियों का ही सगड़न पर्याप्त रूप से किया है। इस प्रकार आर्थिक सहायता के अभाव म देश के लघु उद्योगों को वही कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। बहुत से कारीगर तो वित्त के अभाव म अपने वश परमरागत उद्योगों को छोड़कर मिलों में मजबूर बनने के लिए विवश हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त लघु उद्योगों के पास मिश्रित पूँजी कम्पनियों की भाँति पूँजी समर्हीत करने के साधन भी

उपलब्ध नहीं होते, क्योंकि न तो इनके लिए 'शेवर-होल्डर' ही मिलना सरल है और न किर बाजार ही। अभी आर्थिक एवं औद्योगिक जांच समिति, १९४० ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है—

"लघु तथा मध्यम आकार के उद्योगों की जो लोकव्यापी समस्या है वह है वित्त की समस्या। ये अधिकांश में किसी एक व्यक्ति के अधिकार में अथवा सामीदारी में चलाये जाते हैं और उनके पास अपने औजारों की दशा सुधारने के लिए पर्याप्त धन नहीं होता। उनके पास कच्चे माल के खरीदने के लिए भी आवश्यक पूँजी नहीं होती और जब उन्हें बाहर से जुण होना पड़ता है, तो ऊँची व्याज की दर देती पड़ती है।"

उरबार को चाहिये कि बारीगरों को उनके घ.धों को उन्नत करने तथा उनमें सुधार करने के लिए व्यय उभार देने की उचित व्यवस्था करे। नये ढङ्ग के औजार कारीगरों को दे और उनसे तब तक किराया लेती रहे तब तक उनकी पूरी कीमत बख़ूल न हो जाय। इसके बाद वे बारीगरों के हो जायें। कारीगरों में भी ऋण-सहकारी-समितियाँ खोली जायें, जो जुण प्राप्ति की व्यवस्था करें। विन्तु इह तरह बहुत समय लगेगा। अतः भारत के राज्य बैंक ने इस समस्या पर विचार करके 'पाईलट योजना' चालू की है जिसके अनुसार राज्य बैंक उद्योगों को लभी और मध्यम अवधि के लिए सली दर पर जुण प्रदान करेगा। यह पाईलट योजना आगरा, दिल्ली, खुषियाना, अभी, कोल्हापुर, तुरंत, मद्रास, कोयम्बटुर तथा विजयवाड़ा में चालू की गई है।

(३) शिल्पियों की अशिक्षा, एवं अनुसन्धान व प्रशिक्षण की कठिनाई—वास्तव में भारतीय शिल्पियों की अकुशलता का मुख्य कारण उनकी अशिक्षा एवं अज्ञानता ही है। अशिक्षित होने के कारण ही ये अपनी निर्मित वस्तुओं का उचित विपणन नहीं कर पाते और न आधुनिक यंत्रों से जानकारी रख पाते हैं। इस प्रकार एक और उनकी अकुशल उत्पादन प्रणाली के कारण वस्तुओं की लागत व्यय अधिक होती है और दूसरी ओर अज्ञानता जे कारण विपणन में वस्तुएँ सही मूल्य पर जाती हैं। अत. दोनों ही ओर से शिल्पियों को आर्थिक घाड़ा उठाना पड़ता है। शिल्पियों के पाउ अपने उद्योग में प्रशिक्षण पाने के लिए खोई साधन नहीं होते। देश में औद्योगिक शिक्षा के अभाव में अनुसन्धान में भी प्रगति नहीं हो सकी है। इसमें सन्देह नहीं है कि कुटीर उद्योगों की पिछड़ी हूँड़ अवस्था का एक प्रमुख कारण यह ही है कि उनमें अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण का अभाव है जिसकी वजह से ये उद्योग मिलों की स्फर्दा में नहीं ठहर पाने। अनुसन्धान द्वारा ऐसे औजारों का आविष्कार किया जा सकता है जो सस्ते, सरल और देश के अनुकूल हो, उत्पादन में बढ़ि हो और किम्ब में सुधार हो। नई नई आधुनिक डिजाइनों के प्राप्त होने

पर कारंगर आयुलेक प्रकार ची वस्तुओं का निर्नायक कर सकने ने समर्थ हो सकेगा और ऐसे नाल चे नांग में अवस्था हुदि होगी।

उन्हें दोनों द्वारा दूर करने के लिए कारंगरों को प्रायोगिक एवं औपचारिक धिक्षा चे व्यवस्था अत्यन्त आवश्यक है। कुट्टीं-ड्यूग अनुचनकानशालाओं चे स्थापना विभिन्न राज्यों ने श्रेष्ठ जानी चाहिए।

(२) विपणन की अवस्था का अभाव (Lack of Marketing Organization)—कारंगरों के अन्तर्गत ची वस्तु नहीं, बो उपार नाल चे बेचने ने बहारक हो सके। उने बाजार का भी अधिकार दान नहीं होता है। वह बाजानहीन होता है और इच्छित परिस्थितिक घटनाएँ अनुचित नूल पर अपना नाल बेच देने पर नज़दीक होता है। वीच के आदनी दलाल, आदती हल्लादि उसका गोपय करते हैं। बहुज्ञ उने अपना नाल नहाइन के हाथ बेचना पड़ता है, बो नननाने दान लगता है। कारंगर अबहार और चित्र द्वारा होता है।

बरकार चे किंवद्दन डोपो (Sales Depot) खोलने चाहिए। कारंगर अपना नाल उस चेन्ड्र पर बेचे और उस चेन्ड्र से नाल दूधनदारी को दिया जान। सूख वहकारे चनितिनी खोल कर कारंगरों को नहाइन के बहुल चे हुडाने की अवस्था चे जान, ताकि वह स्वतन्त्रपूर्वक नाल खरीद व बेच सके। यसकार ऐसा भी प्रबन्ध करे कि बाजार मे डलालों तथा ब्रदारियों द्वारा कारंगर को फरेणन करने वाली हरकतों पर अछुय लगे।

(३) अकुशल उन्नाइन प्रणाली—कारंगरों के औजार एवं उन्नाइन के ढग पुराने होने हैं तथा कामे करने वा सनर मी उन्नाइन नहीं होता। परन्तु जै वे चित्र अपार्टमेंट अवयवों करते चले जाने हैं टटी पर जाने हैं। चित्रान के चिकाच अ उन पर कोई प्रमाण नहीं पड़ा। परन्तु वह होता है कि उनका वैगर नाल बढ़िया तथा सनर चे तर्क के अनुकूल नहीं होता। उन्नाइन चे नाल भी बहुत कम रहती है।

इस सन्तता वा कैरानिक दृष्टि से अप्यन्त चित्रा जाना चाहिए। जानान, लिट्टरलैंट तथा अन्य देशों में चालू नवीन प्रणालीनों का अप्यन्त करके अपने देश क बच्चों ने उनका व्यापक बजार चित्रा जाना चाहिए। इनके लिए प्रदर्शनियों चे आगोंनन किया जा भजता है। प्रचेंट डोमेन पर अनुसंधान चित्रे बाएँ और अचित्र जान ले सूखना सनर-उन्न दर उपर्युक्त रुचनी चाहिए। इस चर्चे में कारंगरों की उच्चार्ये चत्पात्रों तथा उरचाय, दोनों वा प्रन्नयील रहना आवश्यक है।

(४) वैगर नाल चे निश्चित नापइंड (Standardisation)—कुट्टीं ड्यूग द्वारा वैगर चित्रे गरे नाल वा कोई अचित्र नामदर्श नहीं होता

अत्रांत् कोई कारीगर उत्तम माल बनाता है तो दूरा, दूसरी तरह का घटिया माल बनाता है और कम दाम पर बेचने लगता है। विवश होकर पहले कारीगर को भी सस्ता माल निकालना पड़ता है। परिणाम यह होता है कि माल घटिया होता है। जब तक एक ला माल न बनाया जाय तब तक कुटीर उद्योग, मिल उद्योग के सहायक नहीं हो सकते और उनमें ऐसा सम्पर्क स्थापित नहीं हो सकता जैसा कि जापान में है। वहाँ कुटीर उद्योग में किसी एक वस्तु के मिन्न-मिन्न भाग बनाये जाते हैं और अन्त में इस प्रकार मिन्न-मिन्न कारीगरों से प्राप्त वृथक पृथक श्रशां को किसी एक फैक्ट्री में जोड़कर पूरी बस्तु बना ली जाती है।

अपने देश की सहकारी समितियों को इस उपस्था की ओर ज्यान देना चाहिए और निश्चित माप की बस्तुएँ बनाने वाले लोगों से कारीगरों को परिचित करना चाहिए। सरकार भी इस कार्य में अपना हाथ बटा सकती है। जापान अथवा स्विटजरलैंड के टङ्ग पर भारत में भी सहकारी समितियों द्वारा नियुक्त निपुण निरीक्षकों की सेवाओं का उपयोग कुटीर उद्योग के भी ढेव में होना चाहिए। समितियों के यह निरीक्षक स्थान स्थान पर कारीगरों के काम की देख रेख करे और जिस कारीगर का माल नियत माप से गिरा हो, उसे निर्यात लाइसेन्स न दिये जायें।

(७) मिल उद्योग से प्रतियोगिता (Competition of Mill made Goods)—मिल की धनी बस्तुएँ बड़े पैमाने पर तैयार होती हैं, और इसीलिये बाजार में माल की प्रचुरता हो जाती है, साथ ही यह सस्ती भी होती हैं। इसीलिये कुटीर उद्योग से बनी बस्तुएँ इनसे प्रतियोगिता नहीं कर सकतीं।

सरकार को चाहिये कि कुटीर उद्योगों को सरकार देने के ज्यान से एक ऐसी योजना बनाये जिससे मिल उद्योग एक विशिष्ट प्रकार की बस्तुएँ बनाये तथा कुटीर उद्योग द्वारा दूसरे प्रकार की बस्तुएँ तैयार हों। अथवा ऐसी व्यवस्था की जाय कि कुटीर उद्योगों तथा मिल उद्योगों में सहकारी सम्पर्क स्थापित हो सके। जापान की तरह दोनों उद्योग आपसी सहयोग द्वारा उत्पादन वरें। स्विटजरलैंड ये जो घटियाँ यहाँ आती हैं उनके बनाने में वहाँ के कुटीर उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान है। छोटे-छोटे पुर्जे तथा भाग अलग अलग स्थानों पर बनाये जाते हैं और पूरी घटी तैयार हो जाती है।

(८) सरकार (Protection)—गारत के कुटीर उद्योग द्वारा निर्मित बस्तुओं को विदेश से निर्यात किये गये सामान से भी मुकाबला बरना पड़ता है। विदेशों के उद्योग घन्ये इनने बड़े चढ़े हैं कि कुटीर उद्योगों का माल उनका मुकाबला नहीं कर सकता।

विदेशी माल से रक्षा करने के लिए सरकार को इन्हें सरक्षण देना चाहिये और बाहर से आने वाली वस्तुओं पर इतना आयात कर लगाना चाहिये कि वे देश के कुटीर उद्योगों से बनी वस्तुओं से सस्ती न रहे।

(६) चालक शक्ति का प्रयोग (Use of Power)—कुनीर उद्योगों में अब विजली वा प्रयोग भी हाने लगा है। परंतु इन्हें पदात् वचली उपलब्ध नहीं होती, क्योंकि वहे वह उद्योगपति ता ऐसे व बल पर पदात् से आधिक प्रिजली हड्डप लेते हैं, वह तो गरीब बारीगरों को उचित मात्रा में भी नहीं मिल पाती।

विद्युत शक्ति की पूर्ति के लिए सरकार को चाहिए कि वह कुटीर उद्योगों को पर्याप्त विवली प्रदान करने ता व्यवस्था करे, तभी कुनीर इच्छे आधक माल सक्ती लागत पर बना सकेंगे और उचित के पथ पर क्रमशः बढ़ना प्रारम्भ कर सकेंगे।

सरकार द्वारा प्रयत्न (Government Measures)

कुटीर उद्योगों के विकास के लिए ब्रिटिश सरकार ने भी कुछ प्रयत्न किये थे, परन्तु यदि उस विकास को विकास कहा जाय तो 'विकास' शब्द का अर्थ ही बदल जाय। सन् १८१४ में व्यावसायिक विकास की एक संस्था स्थापित की गई थी, परन्तु स्थानों का स्थापन करने से ही विकास काम यदि उभयं हो जाय तो फिर पूछना ही क्या ? कुटीर उद्योग के विकास भार्या वा बल दोग रखा गया, परन्तु वास्तव में तो विकास काम का तरफ ध्यान भी नहीं दिया गया। इगलैंड को बच्चे माल की आवश्यकता भी और या आवश्यकता बाजार की। अब उसके यह नाहिं हो गई कि बच्चे माल के उत्पादन को ही प्रोत्साहन दें और भारत में विदेशी वस्तुओं के लिए बाजार प्राप्य रहे। तब तक स्वदेशी आदोलन की चिनगारी ज्वाला के स्पर्श ने परिणित हुई और कुटीर उद्योग ने बल पाया। विदेशी बद्दों की होली जलाई गई और स्वदेशी बद्दों की तरफ लोगों का ध्यान आया। विदेशी सरकार को कुछ भव हुआ और उसने पाँच लाख रुपये प्रति वर्ष पाच बद्दों तक इह उद्योगों के विकास के लिए खर्च करने का आश्वासन दिया। सन् १८३४ में भ्रामीए उद्योग संस्था की स्थापना की गई, परन्तु वह जम लेते ही इमरान घाट पर पहुँच जुकी थी। सन् १८३५ में प्रत्येक राज्य में उद्योग विभाग का स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त इसी वर्ष 'आखिल भारतीय ब्रामीए चहू' की स्थापना कामेल के तन्त्राधान में हुई। सन् १८३६ इ० में 'राष्ट्रीय दोदना उमित' ने भी भारतीय कुनीर उद्योगों के उत्थान के साधनों पर विचार किया। कुदोनरात्र यातनाओं भ देय में 'उड ऐक्ट रिपोर्ट' का

भी महत्व है, जिसने उद्योगों के विस्तार के लिए एक नवीन शिक्षा योजना देश के समक्ष रखी।

स्वतन्त्रता के उपरान्त

१५ अगस्त, सन् १९४७ को जब हम स्वतन्त्र हुए, तब तक आधिकार की चाइर हमारे मानस पठल से उत्तर चुकी थी। नेत्रीय सरकार उत्तर प्रदेश की सरकारों ने कुटीर उद्योगों के महत्व को समझा। वे रोनगामी वी समस्या उनके सामने थी। कृषि भी अधिक गेमिन थी। उचिती थी। यह अधिक गेमा ढोना इसकी सहनशक्ति के बाहर था। तब लोग नवसार तथा उद्योग की तरफ आये। उनक पास पैंची भी कमी थी और या विदेशी मशीन। का अभाव। फिर भी बाजार में क्रेताशा दे विक्रेताशा वी ही सरकार अधिक थी। तब केन्द्रीय सरकार ने उन सभी व्यवसायों को अपनाया जो राष्ट्रपति तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के थे और प्रदेश भी सरकार ने उनको अपनाया, जिनका स्थानीय महत्व था।

लघु उद्योग के विकास में सीधा भाग लेना सरकार ने दिसम्बर १९४७ में आरम्भ किया जब नई दिल्ली में भारत के औद्योगिक विकास के लिए एक सम्मलन किया गया। इस सम्मलन की सिफारिश पर भारत सरकार ने १९४८ में एक कुटीर उद्योग बोड और एक कुटीर उद्योग डायरेक्टर की स्थापना की। १९४८ के अन्त में विभिन्न प्रकार के कुटीर उद्योगों के लिए विशेष नोटों की स्थापना होने पर कुटीर उद्योग डायरेक्टर का नाम बदल कर लघु उद्योग डायरेक्टरेट बदला गया और उसे लघु उद्योग के विकास का काम लौपा गया।

१९४८ में भारत सरकार ने एक शिष्टमण्डल जापान भेजा। इसना उद्देश्य लघु उद्योगों के विषय में बहाँ दिये गये उपायों का अध्ययन करना और भारतीय अवस्था तो उत्तरुक कुछ छोटी मशाने भी लारादना था। इस शिष्टमण्डल ने कुछ जापानी विशेषज्ञ भर्ती किये और अनेक प्रकार की मशाने सहीदी। अब यी सराव तथा हरियागज आदि स्थानों पर इन मशीनों के प्रयोग किये गये। रस्ती, चाल, खिलौने आदि उनमें की कुछ मशीन मारत क लघु औद्योगिकों ने अपना ली। अन्य उन्हें सी मशाने भारतीय अवस्थाओं के अनुकूल लिद नहीं हुई। कुछ राज्य सरकारों ने भी जापान को शिष्टमण्डल भन परन्तु उनका भी यही परिणाम हुआ।

(२) कारीगरों के शिक्षण वी व्यवस्था—राज्य सरकारें भी लघु उद्योगों के लिए में कुछ करना चाहती थीं, परन्तु उनक पास न तो धन या और न ऐसे विशेष कार्मचारी ही जो किसी राहस्यरूप कार्य को अमल में ला सकते। कुछ राज्य सरकारों ने कारीगरों को शिक्षा देने का काम आरम्भ किया और वेतार वकिलों को तरह तरह की

विषयन व वितरण के लिए भी राज्य की ओर से प्रयास किये जा रहे हैं। सहकारी वितरण समितियों की स्थापना इस दिशा में तराहनीय प्रयास है। इस कार्य के लिए केन्द्रीय सरकार ने अप्रैल एवं १६४८ में केन्द्रीय कुटीर उद्योग एम्पोरियम की स्थापना की है। वह देशी एवं विदेशी माँग द्वारा कुटीर उद्योगों के माल के विकार में उहायता देकर प्रोत्साहन देता है। इस एम्पोरियम ने कुटीर उत्पादन के विज्ञापन के लिए संयुक्त राज्य, लक्ष्मण, अक्षयानिल्लान, जापान, चीनीलैंड आदि देशों में प्रदर्शनियों का आयोजन किया वितरण वहाँ की माँग से लाभ हो सके। उत्तर प्रदेश, मध्यभारत, मद्रास, काशीमार, आसाम, पश्चिम तथा बंगाल प्रान्तों में भी कुटीर निर्मित माल के विषयन के लिए एम्पोरियम हैं जो देश की विभिन्न प्रदर्शनियों में माल के विज्ञापन के हेतु दूकान खलते हैं। परन्तु ऐसे एम्पोरियम प्रत्येक राज्य में होने वाहिए, जो केन्द्रीय एम्पोरियम से सहयोग लेकर कुटीर उद्योगों के उत्पादन का विपणन करें।

इसका अतिरिक्त केन्द्र तथा राज्य सरकारें अपने उपभोग के लिए इन उद्योगों का माल सरीदारी है। भारत सरकार ने यह निर्णय किया है कि जहाँ इसमें, मूल्य तथा अन्य चारों समान हों, वहाँ सरकारी उपभोग के लिए कुटीर उद्योगों के बाने माल की ही खरीद करनी चाहिए। ये माल अधिकाश में या तो सहकारी समितियों के द्वारा खराद जायें, ग्राम्य राज्य सरकारों वी सलाह से किसी ऐसी एजेंसी से खरीदे जायें जिन्हें केन्द्रीय व्यापार तथा उद्योग मन्त्रालय की अनुमति मिल गई हो। इस दृष्टि से भारत सरकार 'अपिल भारतीय खादी तथा ग्रामीणों द्वारा' से प्रनि वर्ष सादी सरीदारी है। इस खरीद का उद्देश्य खादी को ग्रोत्साहन देना है। मद्रास सरकार ने अपास उद्योग को उत्पादन प्रदान करने व उद्देश्य से यह कानून बना दिया है कि राज्य में उत्पादन होने वाली साड़ियाँ भी ४० प्रतिशत करवे द्वारा बुनी जावेंगी। अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार सरकारें प्रत्यक्ष रूप से माल खरीद कर अभवा अन्य विषयन सम्बन्धीय तुविष्याएँ प्रदान करके कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित कर रही हैं।

(५) चूरण की व्यवस्था—एन् १६४८ ५० न वित्तीय वर्ष से भारत सरकार ने लघु तथा कुटीर उद्योग के लिये अनुदान तथा चूरण देकर राज्य सरकारों की सहायता करनी आरम्भ कर दी। प्रान्तीय अर्थ प्रमणाल विधान के अन्तर्गत कुछ राज्यों में अर्थ-प्रमणाल बनाये गये हैं, जैसे बंगाल तथा पश्चिम भारत में। फिर भी अन्य राज्यों में आर्थिक प्रदान की कमी है। राज्य सरकारें कुटीर उद्योगों को कुछ आर्थिक सहायता प्रान्तीय औद्योगिक सहायता अधिनियम के अन्तर्गत देती हैं, परन्तु वह अपर्याप्त है।

इस कार्य के लिये केन्द्रीय अधिकोष्ट जांच समिति के अनुसार सहकारी

लाल समितिया की स्थापना की जानी चाहये, जो समितिवाँ बेवल कुटीर उद्योगों को ही साथ सुविधाएँ देने का कार्य करें तथा अपने सदस्यों को सहते दश पर पर्याप्त मात्रा में आर्थिक सुविधाएँ दे। इसी हेतु नवम्बर सन् १९५४ में लघु उद्योग समा की स्थापना की गई है, जो इन उद्योगों की आर्थिक एवं शिल्पिक समस्याओं को हल करेगी।

उत्तर प्रदेश ने इस कार्य के लिये सन् १९५२-५३ में ५७२ लाख रुपये का आयोजन किया था परन्तु वह भी अद्युत ही रहा। इसलिये उत्तर प्रदेश सरकार ने मात्र कुटीर उद्योगों की सहकारी समस्याओं की भाँति सहते व्याज की दरों पर आर्थिक सुविधाएँ देने का लिये कहा है, जिसेपर हाथ कठी उद्योग के लिये जिरमें इस समय ६% से ७ लाख रुक्ति कार्य करते हैं। रिजर्व बैंक ने कुटीर उद्योगों को उनके विकास के लिये ग्रा तीय सहकारी बैंकों के माध्यम से २% व्याज पर १५ माल वी अब्दित आर्थिक सुविधाएँ देने का विशेष आयोजन किया है परन्तु इष्ट कार्य के लिये औद्योगिक सहकारिताओं के स्थापना की आवश्यकता है, जिससे कुटीर उद्योगों की आर्थिक, कन्चे माल की तथा नियमित माल वी चिक्की वी समस्याएँ हल होकर उनकी नीव सुट्ट हो संगी। स्टेड बैंक ने छोटे उद्योगों को अमुख देने की योजना में लगभग ७०० ल्हाटे साराजाना को अमुख दिया है। दियम्बर १९५८ के अन्त तक बैंक ने इन बाराजानों को २ करोड़ इट लाख ६० का अमुख दिया था। यह योजना उन सभी स्थानों में लागू होती है जहां पर स्टेट बैंक वी शाहाराएँ हैं।

(d) राष्ट्रीय लघु उद्योग कापरिशन की स्थापना—राष्ट्रीय लघु उद्योग कापरिशन की ज्वाह ट स्टाक कम्पनिया के रूप में ४ फरवरी सन् १९५५ को रजिस्ट्री की गई। इसकी सारी पैंडो उत्तर प्रदेश के लगाई है। इसका उद्देश्य लघु उद्योगों की उन्नति करना, उनको यात्रजल, आर्थिक सहायता देना तथा ग्राम यहापता देना है। यह कापरिशन बेवल ऐसे लघु उद्योगों की सहायता देगा जो शक्ति का प्रयोग करते ही एवं विनम्र ५० से बहु अक्षि काम करते हैं अथवा जो शक्ति का प्रयोग न करते ही, पर तु उनम १०० से अधिक अक्षि काम न करते ही तथा उनकी पैंडो ५ लाख रुपये से अधिक न हो। इसके निम्न कार्य हैं—

- (i) सरकारी आदेशों का समुचित हिस्ता लघु उद्योगों को दियाजाना।
- (ii) जिन उद्योगों को ऐसे आदेश भिले हैं उनको आदेशों की पूर्ति के लिये आवश्यक आर्थिक एवं शिल्पिक उहायता देना।
- (iii) समिति एवं लघु उद्योगों में सामजस्य लाना, जिससे लघु उद्योग समिति उद्योगों की पूरक आवश्यकताओं की पूर्ति वर तक।

(iv) लघु उद्योगों के दैनिक अथवा अन्य स्थानों से मिलने वाली सूखा की जमानत देना एवं अभियोगन (Underwrite) करना।

इस वापरेशन की पैंडी १० लाख रुपये है जो १०,००० अशो म विभान्नित है। कार्पोरेशन ने सरनारी आडार लेकर उहें लघु औद्योगिकों को देना आरम्भ कर दिया है। यह औद्योगिकों को सरकार से सीधे आर्डर लेने में सहायता करता। यह उहें तथा छोटे उद्योग के मध्य एकीकरण भा करेगा जिससे छोटे उद्योग उहें उपरेगों में काम आने वाली वस्तुएँ तैयार कर सकें। यिन्हीं मडारों ने एक शुल्क तथा चलती किसी तिना गाइंगा चालू करने के विषय मध्य में भी कार्पोरेशन विचार कर रहा है। उसने लघु औद्योगिकों को किराया खरीद प्रणाली के अनुसार छोटी मशीनें और उपकरण देने भी आरम्भ कर दिये हैं। लघु उद्योग सेवा कार्पोरेशन द्वारा उन व्यक्तियों से समर्पक निया जाता है जिहें इन मशीनों की आवश्यकता है। अब तक ११ लाख रुपये की मशीनों का आडार प्रस्त हो चुक है। इन आर्डरों के प्रनुसार पहले मशीन किराये पर दी जाती है और फिर बाट को लेने वाले ही उह खरीद लेंगे। नूल १९५३ के अन्त तक नियम के पास १,२६२ प्रार्थना पत्र आये जिनमें ३,८०,५०,६४४ रुपये की ४,५१६ मशीनों की माँग की गई, जिनकि ६७,२८,८५८ मशीनें खरीदारों को प्रदान कर दी गई।

(५) फोर्ड फाउन्डेशन योजना

सन् १९५३-५४ में भारत सरकार ने लघु उद्योगों की उत्तिके लिये फोर्ड फाउन्डेशन के सहयोग से विशेषज्ञों का एक दल नियमित किया। ये विशेषज्ञ अमारना तथा स्नीडन के थे। इस दल ने मारत के लघु उद्योगों के विभिन्न क्षेत्रों का दारा किया। इस दल ने बड़ी सावधानी के साथ अध्ययन करने के बाद यह मत व्यक्त किया कि देश में ही खपत के लिए भृत्य बड़ा जातार उपलब्ध होने के पारण लघु ग्रामीण पर उद्योगों का विकास करने दी गयी गुच्छायश है। परंतु उसने यह भी देखा कि बहुत से लघु उद्योगों की दशा विगड़ती जा रही है। उनक माल की विस्मित गिरती जा रही है और उनक कारीगर उह छोड़ छाड़वर भागते जा रहे हैं। उनक माल की माँग घट जाने के कारण उत्पादन घटता जा रहा है। अत वे अपने कारीगरों को अच्छी मजबूरी देने में भी असमर्थ हैं। यह सब देखकर दल ने लघु उद्योगों के लिए बहुउद्धृत चिल्हशालाएँ स्थापित करने की चिकारश की जो लघु उद्योगों की मूलभूत गवाहणा सम्बन्धी आवश्यकता पूरी करने के साथ साथ शैल्पक सहायता दें और कारीगरों को शिक्षा भी प्रदान कर सकें। इसक अतिरिक्त यह वर्तमान निर्माण प्रणालियों का प्रयोग भी करा सकें तथा लघु उद्योगों के विकास के लिए परीक्षा

खात्मक तथा किसालय गवेशणा को भी हाथ में ले दक्षे। अच्छे उन के औबारों और मरीनों, प्रशासियों, कन्वे माल की टिस्स मुशारी, जिनी व्यवस्था बरें, मृत्यु प्राप्त बरें आदि के विषय में जप देने का कार्य भी इन शालाओं के द्वारा नियमित हो।

छाड़े कारबानों ने वर्तमान आर्थिक कठिनाइयों को ज्ञान में रखते हुए दल ने ये सिफारिशें भी—

(१) व्यापारी तथा बहुराही वैदें को और राज वित्त कार्योरणना को रम्य-उद्योगों के लिए मृत्यु देने चाहिए।

(२) बाबदाद रेहन स्थान और मृत्यु देने की प्रणाली बदलाव जाय।

(३) खतरेवा नी पूँजी के लिए सरकार पर्याप्त बन डालना निश्चारित कर दे।

(४) आद्युनिक मरीनों और उपकरणों को खरीदने के लिए किसी द्वारा अदा होने वाल श्रूति वी नवस्था की जानी चाहिए।

(५) लघु उद्योगों ने मृत्यु तन्मध्यी ग्रावेन वत्रों पर कार्यवाही नहीं के लिए एक उपयुक्त उपाय उपाय कराय।

दल ने यह भी जहा कि सरकार को चाहिए कि यह कारीगरों को उहनारिता के आपार पर उड़ाउन रखे रह लिए प्रोत्याहित करे। इसक अतिरिक्त उत्पादनों की अन्धी विनी होनी परमानश्वर है। सरकार को एक ऐसा उड़ाउन स्थापित नरगा चाहिए जो परविक्षण द्वारा उपमोक्षों की मौग का पता लगाये और लघु औद्योगिकों की मौग का अनुसार माल बैगर करें तो प्रेसाहन दे तथा थोर और खुदरा विनेताओं से माल र ग्राउंड प्राप्त कराक उनक अनुसार माल बैगर कराये। जिनी व्यवस्था वार्षिक उनाया जाए और उसमें भाजार सम्बन्धी समाचार प्रदान करने की भी व्यवस्था हो जो दृष्टी तथा विदेशी भाजारों के समाचार छोट उप गों को प्रदान किया जाए। इसक अतिरिक्त एक लघु उद्योग वार्षिक उपाय के लिए लघु उद्योगों को प्रोत्याहत करे। दल ने कारीगरों का शिक्षा देने त्रैं त्रैं का प्रयत्न करने की भी सिफारिश की।

इस दल की सिफारिशों पर सरकार ने विचार किया और ७ जून १९५४ को नीचे लियी सिफारिशें स्वीकार कर ली—

(१) लघु उद्योगों के लिए चार शिल्पशालाएं स्थापित की जायें जो लघु उद्योगों का उत्पादन तथा नवस्था प्रणाली मुशारी, मृत्यु तथा वित्त प्राप्त करने, उपयुक्त बन्धा माल प्राप्त करने, अच्छे से अच्छे लाम पर उनके नने माल को बेचने, उनके उत्पादन वार्य जा एकीकरण करने आदि में उद्दायक हों।

(२) एक विक्री व्यवस्था कार्योरेण रथापित किया जाय जो बाद में शालाओं के साथ अपने कार्य को सम्बद्ध कर दे।

(३) सरकारी आर्डर पूरे करने के लिए उत्तरादन वा प्रबन्ध करने वाला एक लघु-उच्चोग कार्योरेण रथापित किया जाय।

सरकार ने लघु-उच्चोगों के लिए एक विकास कमिश्नर नियुक्त करने और एक लघु-उच्चोग बोर्ड बनाने का भी निश्चय किया। विकास कमिश्नर और इस बोर्ड को ही उपर्युक्त सङ्गठनों के कार्यों का एकीकरण करने का भार सौंप दिया गया। इसके अतिरिक्त देश में लघु-उच्चोगों के निवास का सामान्य कार्यक्रम तैयार करने और अमल में लाने का भार इन्हें सौंप दिया गया। २ नवम्बर १९५४ को विकास कमिश्नर की अध्यक्षता में लघु उच्चोग बोर्ड की स्थापना हुई।

(४) लघु उच्चोग बोर्ड के कार्य—लघु-उच्चोग बोर्ड वी सिक्कारिश पर प्रादेशिक शालाओं का नाम लघु-उच्चोग देना शालाएँ रखा गया है। बम्बई, बंगलुरा, मदुरा और करीदामाद में ये शालाएँ स्थापित करने का प्रबन्ध किया जा रहा है। अभी इनकी स्थापना इमारतें नहीं तैयार हुई हैं। इसलिए बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और नवी दिल्ली में निएये पर स्थान लेकर इन शालाओं के डाइरेक्टरों और अन्य अफसोस ने अपना काम शुरू कर दिया है। शालाओं के विभिन्न कार्यों के लिए कर्मचारियों और कारीगरों की भर्ती हो रही है। मदुरा और करीदामाद की शालाओं के लिए भूमि प्राप्त कर ली गई है और अन्य दो शालाओं के लिए इसकी बातचीत चल रही है। लघु ग्रोवोगिस को लाभ पहुँचाने के लिए इन शालाओं में घटाईगिरी और लोहारी के ग्राम्य पारस्याने और चलती किरती व्रदर्शन गाडिया रखने का कार्य आरम्भ कर दिया है। बहुत ये छोटे छोटे श्रीयोगिसों ने प्रादेशिक शालाओं के डायरेक्टर से सहायता के लिए बात चीत आरम्भ कर दी है। डाइरेक्टर और उनके सहायक अक्षर इन्हें पत्र द्वारा, मिलकर अथवा स्वयं कारखानों में जाकर यथासमय सहायता दे रहे हैं।

श्रीयोगिक संस्थान

छोटे कारखाने अब तरु बड़ी विठ्ठाइयों में रहकर अपना काम चलाते रहे हैं। सबसे पहली विठ्ठाइयों से कारखाने के लिए कारी जगह प्राप्त करने की होती है। उनके पास प्रायः खारखाना बनाने के लिए वाही जन भी नहीं होता। यदि जन भी हो गया तो कन्ये माल, मशीनों, बिजली, टेलीफोन इत्यादि का प्रबन्ध करने में उन्हें प्रायः दो बर्पे लग जाते हैं। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए लघु-उच्चोग बोर्ड ने श्रीयोगिक वस्तियों की योजना बनाई है जिनकी मालिक सरकार

अथवा निनी कमनियाँ होंगी। इन वस्तियों में कारखाने की इमारतें बनाए उनमें विजली, पानी, गैस, भाष, रेलवे साइडिङ आदि का प्रबंध रहेगा। ये इमारतें छाने राखाना को किसाये पर मिल सरेंगी और इस प्रकार उनकी रुमी कठिनाईया एक बार म ही हल हो जाया वरेंगी। आशा है कि प्रगते हुए महाना न महत्वपूर्ण कन्द्रा म प्राप्त अथवा दजन औद्योगिक वस्तियाँ उन लायेंगी। ये वस्तियाँ उन्हीं स्थानों पर बनाइ जा सकती हैं जहाँ हुच्छ कारखाने इनमें आने को प्रस्तुत हो और नो योक बाजार के निकट हो। आय कन्द्रा म कारखाना की इमारतें बना कर लघु औद्योगिक वो किसाये पर दे देने का प्रत्यावर्त है। आमतौर पर औद्योगिक संस्थानों की स्थापना का जिम्मेदारी राज्य सरकार भी है लेकिन जल्दी के बाझ औखला उथा नेनी सम्याना भी स्थापना का काय लघु उद्योग इनमें क ही जिम्म सौंप दिया गया था। इन दोनों संस्थानों की स्थापना का पहला चरण पूरा हो चुका है। इनमें कमश ३५ और ३४ कारखाने होंगे। औखला संस्थान का उद्योग १२ अप्रैल, १९५८ को प्रधान मंत्री ने किया था। इलाहाबाद के नेनी संस्थान में २५ कारखाने उद्योगपतियों को दे दिये गये हैं। इन दोनों संस्थानों के बाबत का काय चालू है। इन संस्थानों के अतिरिक्त वह राज्य सरकार ने भी औद्योगिक वस्तियों की अवस्था की है। इस प्रकार अभी तक ११ औद्योगिक वस्तियाँ तैयार हो चुकी हैं और १२ वस्तियाँ और ननाइ जा रही हैं। इस प्रकार अभी तक ४२ कारखाने गिनी (मदाल) में, ३५ औखला (दिल्ली) में, ३५ कटक (उडीचा) में, ३४ राजकोट (बम्बई) में, ३४ पाल बाट तथा किलान (करल) म और १५ नेनी (उत्तर प्रदेश) म हैं। कानून सरकार ने दिल्ली राज्यों में ७१ औद्योगिक वस्तियों के लिए धन देना मनूर किया है। सरकार निए पिछले ३ वर्षों में राज्य सरकारों को ३ लाख २६ लाख रुपया दीना चाहा जिसमें १९५७-५८ तक ३ लाख रुपया सर्व हो चुका है। अनुमान है कि चालू वर्ष में राज्यों को ७२ लाख रुपये दे रुख मनूर दिये जाने।

लघु उद्योग क क्षेत्र में भावी उन्नति सही और काफी विजली उपलब्ध होने पर निर्भर है। बोजना नमीयान विजली की स्थिति पर विचार कर रहा है। कहीं कहीं विजली की दरें ऐसी हैं कि छोट औद्योगिकों दो बड़ा की अपका दूनी दर पर विजली लनी पड़ती है। लघु-उद्योग नोड ने उत्तुक अधिकारियों का इधर ध्यान दिलाया है और दरों में प्रावश्यक परिवर्तन करने का कहा है।

लघु उद्योग बोर्ड ने छोटे उद्योगों की मशानें आद किया। सरद प्रणाली क अनुसार देने के लिए कहा है और इसमें यदि रुपया मारे जाने का कोई खतरा आये तो सरकार उसे सहन करे। छोटे उद्योग पुराने दोग की मशीनों के साथ साथ

निर्माण की प्रणालियाँ भी पुराने ढङ्ग को अपनाये हुए हैं। ये ऐसे विशेषज्ञ नहीं रख सकते जो उन्हें उच्चत प्रणालिया न विषय में परामर्शदाते। लघु उद्योग सेवा बोर्ड इन्हें इस प्रकार की जानकारी प्रदान करेगा और इनके विषय में दिनदा तथा अन्य स्थानीय मापांश्मा म ग्रामवर्क का हित्य प्रदान करेगा।

राज्य सरकार कन्द्रीय सरकार की सहायता से छोटे उद्योगों को दीर्घालीन नृण देने की शर्त प्रदान कर रही है। साधारण नैवा से भी इन्हें नृण दिलवाने के उपाय किये जा रहे हैं।

पचवर्षीय योजनाओं में कुटीर उद्योग

प्रथम पचवर्षीय योजना म ऐन्द्रीय सरकार ने ग्राम और छोटे उद्योगों को बढ़ाने के लिए निरिक्षित वार्षिक व्याख्यानित करने के निमित्त रुगटना का एक जाल सा विद्या दिया है। व रुगटन ये हैं—(i) अग्रिल मारतीय रादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, (ii) ग्रामवल भ रतीय दस्तवारी बोर्ड, (iii) ग्रामिल मारतीय हाथ करवा बोर्ड, (iv) लघु उद्योग बोर्ड, (v) नारियल बटा बोर्ड और (vi) रेशम बोर्ड। इनके ऊर्य ये हैं—ग्रामों म उत्पादन तथा विकास योजना ग्रनाना, व्यार्य कर्त्तव्या को शिक्षा देना, वन्ये माल की कन्द्रीय पुस्ति बनाये रखना, उत्तर विक्रम तथा अन्योपण का प्रबन्ध करना तथा इस उद्योग के निविध अंगों का अध्ययन करना, योजनाओं की परीक्षा करना तथा सरकारी सहायता के लिए उठाना। नाम प्रस्तावित करना भी इन फार्मों म समिलित किया जा सकता है। ये भारत म विक्रम की ओर आन देरे हैं और ग्रामनिरिक्षण व्यवसाय के व्यापार को प्रोत्साहित करते हैं।

सन् १९५३ म ग्रामवर्कीय योजना समिति की स्थापना की गई। उसक परामर्श से लघु उद्योग के विकास मे कुछ पद और बटाये गये। डिज्जाइनों के राष्ट्रीय सूचन की स्थापना की गई, जिसका काम नये नमूनों को बनाना तथा अन्वयण न कार्य करना है। इसके द्वारा अधिक शिक्षा और प्रबन्ध की उभावना हो सकता है। प्रदर्शनियों का आयोजन तथा विदिध विज्ञापन और प्रसार मे इसका हाथ रहा है। उपमोक्षाश्राम की सहयोग समितियों ने कुछ ऐसे पग बटाये हैं जिन्हे देखने से आशा और अधिक बलवती हो जाती है। देश-विदेश से नमूना और डिज्जा इनों को लाना या मैंगना तथा उत्पादकों और उपमोक्षाश्रामों के पास तक पहुँचाना ही क्या साधारण कार्य है। मारतीय रह उद्योग के उत्पादन के लिए विदेशों मे योजना की लोज करना तथा नियात का प्रबन्ध करना भी इसका कार्य हो गया है। कन्द्रीय सरकार द्वारा ग्रामोद्योग की शिक्षा के लिए शिक्षा की नि शुल्क व्यवस्था बनाई, करीदाराद, वलकत्ता और मद्रास मे की गई है। इसकी शासार्दि विहार,

उत्तर प्रदेश, नावनकोर कोचीन आदि में है। नासिक में इसी कार्य के लिए केन्द्रीय अधिकारीय कल्द वी स्थापना भी गई है।

प्रथम पचवर्षीय योजना में यह-उद्योग के लिए ११४८ करोड़ रुपया का प्रबन्ध किया गया था, जो पीछे बढ़ा कर २२०३४ करोड़ रुपया तक कर दिया गया। विभिन्न प्रदेश की सरकारों ने १५ करोड़ रुपया का प्रबन्ध किया, तथा सामुदायिक योजना के अन्तर्गत करीब ७ करोड़ रुपये खर्च किये गये। प्रत्येक मद पर सरकार ने सन् १९५१ से १९५६ तक निम्न सहायता दी है—

| | |
|--------------------------|------------------------|
| हाथ निर्मित कपड़ों पर | १११ करोड़ रुपये |
| खादी पर | ८४ करोड़ रुपये |
| ग्राम्य-उद्योगों पर | ४१ करोड़ रुपये |
| छोटे परिवाण के उद्योग पर | ५२ करोड़ रुपये |
| दल्लकारियों पर | १ करोड़ रुपये |
| खिलक तथा ग्रहणी पर | १३ करोड़ रुपये |
| कनायर पर | ११ करोड़ रुपये |
| इल | <u>३१२ करोड़ रुपये</u> |

हाथ कर्वी ओर्डर के अनुसार कपड़ा का उत्पादन १९५१ से १९५४-५५ में ७,४२० लाख गज से १३,१४० लाख गज बढ़ा है और १९५५-५६ में यह उत्पादन १४,५०० लाख गज हो गया। प्रत्येक भारतीय हाथ कर्वी तथा खादी समिति के अनुसार हाथ निर्मित खादी का उत्पादन जो १९५१ में १३ करोड़ रुपयों का था, १९५४-५६ में ५ करोड़ रुपया से भी अधिक पहुँच चुका है। खादी का उत्पादन ३४० लाख गज तक पहुँच गया है। १९५२ म उत्तर प्रदेश की वस्तुओं को खरीदने में ६६ लाख रुपया तक का खर्च किया, जो १९५४-५५ म १०५ लाख तक पहुँच चुका है।

द्वितीय पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत यह उद्योग पर अधिक धर्च करने का ऐनाचारीकृत गया है जो इस तालिका से स्पष्ट है। जायगा—

| | करोड़ रुपयों में | प्रदेश में |
|-----------------------------|------------------|-----------------|
| | केन्द्र से | |
| लाल कद्दों से बने उत्पाद पर | १५. | ५८० |
| खादी पर | ४० | ५६० |
| दल्लकारी पर | ३० | ६० |
| छोटे परिमाण के उद्योग पर | १०० | ४५० |
| सिल्क और अरडी पर | ०३ | ४८ |
| स्वामर पर | ०२ | १७ |
| विविध | ६० | ८५ |
| | <hr/> | <hr/> |
| | १५० + | १७५० |
| कुल | | २०० करोड़ रुपये |

इस योजना के अन्तर्गत १५ लाख कद्दों को उत्पादन में और लाला जावगा। १७,००० लाल गन और करड़े तैयार किये जायेंगे। सूती खादी का उत्पादन ६०० लाल गन तक बढ़ाया जा सकेगा तथा उनी यादी का उत्पादन जो १८५५ में २,५०,००० गन था, १६६० द१ में १० लाख गन तक बढ़ाया जा सकता है इस पर पूरा सर्व २१ न्योड रुपयों का होगा।

द्वितीय पचवर्षीय योजना भी इवांशि के लिए ग्राम और छोटे उद्योग समिति नियक उपायों की कार्यों में और नितन नाम पर इसे कार्यों कर्त्ती कहा जाता है, का बहना है कि कुटीर उद्योग के विकास के फलस्वरूप ८५ लाख लोगों को अतिरिक्त काम मिल सकता। लगु उद्योग के विकास इस लिए योजना वर्मीशन के समक्ष वार्षीय क्रम का जो मध्योद्दा उपस्थित है, उसमें ५०,००० फारखाना को किराया खरीद प्रणाली पर मशाने देना, ३० लगु उद्योग सेवाशालाएं खोलना, २०० शृंखलक सेवा दन बनाना, ५०० सामान्य सुविधा केन्द्र व्यापित नहना, ३० श्रीदायिक वस्त्रियाँ बनाना, ७५,००० फारखाना को श्रृंग दना, ३०० विष्य मडार खोलना, २,००० चलती प्रस्ता प्रदर्शन गाड़िया चलाना, चिक्की दरा में कमी करना, वर्तमान प्रदर्शन दला का विस्तार, उत्पादन सहशिक्षण केन्द्र खोलना, आदर्श बाख्लाने बनाना आदि के प्रत्याव शामिल हैं।

उपसंहार

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि भारत सरकार और भारतीय जनता कुटीर उद्योग के महत्व एवं विकास के प्रति भली-भाति जागरूक है और निस्चिदेह भारतीय

उद्योग धन्धा का भविष्य अत्यन्त उच्चतर है। कुटीर उद्योग धन्धा को पुनर्जीवित करने में सरकार द्वारा किये गये प्रयत्न भी अत्यन्त सराहनीय हैं और यह ठीक ही है क्योंकि रोबगार सम्बन्धी सुविधाओं का अधिक विस्तार द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना का आधारभूत उद्देश्यों में से एक है और यह कुटीर उद्योगों के विकास द्वारा ही सम्भव हो सकता है। राष्ट्र के कर्णधार महात्मा गांधी तो चरखे को राष्ट्ररूपी शरीर का एक फेफड़ा कहा करते थे। प्रत्येक गाँव में कुटीर उद्योगों की भक्ति के साथ ही साथ, राष्ट्रीय जीवन भी नवीन चेतना एवं जागृति से भक्ति के साथ ही सन्देह नहीं है।

ભૂતીય ખણ્ડ

“ભારતીય-ધર્મ-સમસ્યાએँ”

- (૧) સામાજિક સુરક્ષા
- (૨) ધર્મ કલ્યાણ
- (૩) ધર્મ-સાન્ચન્દી અધિનિયમ
- (૪) ધર્મ સર્વ
- (૫) ઓર્યોગિક સર્વર્ય
- (૬) ધર્મ કા કાર્બન્નમતા

सामाजिक सुरक्षा (Social Security)

‘न्याय की व्यवस्था, शान्ति की स्थापिका है’^१। इस सामाजिक सिद्धान्त के अन्म के ग्राम ही सामाजिक सुरक्षा का अन्म है। प्रथम महायुद्ध (१९१४) के उपरान्त सारे मे सामान्यतः यह बात स्पष्ट हो गई कि विश्व के किसी भी कोने मे यदि किसी प्रकार का असतोष है तो इससे अन्य स्थानों मे शान्ति मग ही संकटी है। यह भी अनुभव किया गया कि विपक्ष के समय मे समाज का कर्तव्य है कि वह दूसरे दलित एव दरिद्रवर्ग की सहायता करे। मनुष्य के जीवन मे दो अवस्थाएँ ऐसी हैं जिनमे वह दूसरा पर निर्भर रहता है—शैशवावस्था एव वृद्धावस्था। कभी कभी युवावस्था मे भी मनुष्य बीमारी, चोट एव बेकारी के बारण घनोपार्जन के अध्योग्य ही जाता है और दूसरो पर निर्भर हो जाता है। ऐसी अवस्था मे असहाय व्यक्तिया की सहायता करना सामाजिक सुरक्षा का मुख्य लक्ष्य है। सामाजिक सुरक्षा वास्तव मे मनुष्य को आर्थिक पठनाओं से सुरक्षा प्रदान करने की योजना है। बीमारी, बेकारी, वृद्धावस्था, विधवान, परिवार के उपार्जक सदस्य की मृत्यु इत्यादि ऐसी घटनाएँ हैं जिन मनुष्य की ज्ञाय तो लगभग अन्द ही हो जाती है, परन्तु व्यय लगभग समान रहते हैं या बढ़ जाते हैं। ऐसी दयनीय स्थिति मे ही मनुष्य की रक्षा करना सामाजिक सुरक्षा का मूलमन्त्र है। इस प्रवार सामाजिक सुरक्षा की परिभाषा निम्न शब्दों मे दी जा सकती है—

“यह सुरक्षा वह उचित समाज है जिससे समाज अपने सदस्यों को कुछ निश्चित सकटों से सुरक्षित रखता है।”

सचेष मे यह सुरक्षा उस जनवर्ग के लिए है जो कि अरेले, योग्यता एव दूरदर्शिता से अपने को पूर्णतया भावी सकटा खे सुरक्षित नहीं कर सकता है। मि० काढ-घर के शब्दों मे—

^१ “Husband Justice & we Shall garner Peace”—I. L. O.

“जनतन्त्र राज्य के नागरिकों को अधिकृत रूप से पर्याप्त भोजन मिलना चाहिये ताकि वह स्वस्थ रह सके। उसके लिए उचित शख्सी का आश्रय, वस्त्र एवं ईंधन की व्यवस्था होनी चाहिये। उसे शिक्षा के पूर्ण एवं समान अवसर प्रदान किये जाने चाहिये ……उसे बेकारी, अस्वस्थता एवं वृद्धावस्था के सकटों से सुरक्षित किया जाना चाहिये। विशेष कर सन्तान का जन्म माता-पिता के लिए विपत्ति का सदेश नहीं होना चाहिये।”

सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत दो योजनाएँ आती हैं—

(१) सामाजिक सहायता।

(२) सामाजिक बीमा

सामाजिक सहायता वह है जिसमें लाभ पाने वाले व्यक्तियों को कुछ चंदा नहीं देना पड़ता और सारा सर्व सरकार स्वयं अपने पास रखती है।

सामाजिक बीमा वह है जिसमें लाभ पाने वाले व्यक्तियों को भी कुछ न कुछ चंदे के रूप में देना पड़ता है। सामाजिक बीमा कर्मचारी, सरकार और मालिक तीनों का सामूहिक प्रयत्न होता है।

सामाजिक बीमा (Social Insurance)

सामाजिक बीमा वह समाज है जो कि अपने सदस्यों को बेसारी, बीसारी और अन्य आरु स्मरक समर्टा में एक उपशिष्ट आधार पर पर्याप्त लाभ प्रदान करता है। यह लाभ उस कोष से पहुँचाया जाता है जो कि मन्त्रीमंडल, मालिका और राज्य के अशदान से एकत्रित होता है। चौंकि मजदूर इस कोष में अशदाता के रूप में होते हैं इसलिए उनको यह लाभ अधिकार के रूप में मिलता है। अपने उद्देश्यों की आय के रूप जाने पर उनके लिए एक उचित रहन-सहन वा स्तर प्रदान मरना सामाजिक बीमा योजना का मुख्य कार्य है।

सामाजिक बीमा के अन्तर्गत निम्न योजनाएँ आती हैं—

(१) स्वास्थ्य बीमा, (२) आयोगिक अयोग्यता बीमा, (३) बेसारी बीमा, (४) मातृत्व हित लाभ, (५) वृद्धावस्था में पेशन, और (६) विधवाओं एवं अनाथों के लिये पेशन।

भारत में आवश्यकता एवं महत्व

भारत अपनी निर्धनता के लिये सर्वविदित है। भारतीय धर्मिक इतने निर्धन हैं कि सफर काल के लिये कुछ धन राशि बचा रखना उनकी सामर्थ्य के बाहर

है। उनसी दण्डिता ही इस बात की साही है कि सामाजिक धीमा का महत्व हमारे देश में कभी हो सकता है। श्री आदारकर के शब्दों में—

"You do not have to go out of your way to make out a case for social security. The agonising Indian scene cries out clamorously for it."

भारतीय अमिसों को अधिकारमय भविष्य वी बल्लना से मुक्त करके उन्हें चिन्ताश्रों से छुटकारा दिलाया जा सकता है। इससे उनके अन्दर नवीन चेतना एवं स्कूलिंग का जन्म होगा और उनकी कार्यक्षमता में अपार वृद्धि होगी। आज राजनीतिक स्वतन्त्रता के उत्तरान्त भारत आर्थिक मोक्ष का पथ खोज रहा है। अमिसों की कार्यक्षमता बढ़ने पर देश में उत्पादन की वृद्धि होना स्वामानिक ही है। इसके अतिरिक्त भारत में मलेरिया, चेचर आदि बीमारियों के ग्राहिक्य के कारण भी अमिसों की आर्थिक दशा शोचनीय रहती है। गरीबी के कारण वे चिकित्सा का भी उचित प्रबन्ध नहीं कर पाते। लालों वर्किंग इन बीमारियों के शिकार हो जाते हैं जिसका दुष्परिणाम उनके कुदुम्बियों को सुगनना पड़ता है। जो बीमारी से बच जाते हैं, वे कमज़ोर और असुखल हो जाते हैं। देश पी आर्थिक सम्भवता कुशल पूर्व हृष्टपुष्ट अमिसों पर ही निर्भर है। Royal Commission on Labour के शब्दों में—

"Even a small step in the prevention of these ills would have an appreciable effect in increasing the wealth of India; a courageous attack on them might produce a revolution in the standard of life and poverty."

सामाजिक सुरक्षा वा एक उद्देश्य बेकारी के समय में उद्देश्यों की रक्षा करना भी है। भारत में ऐसोजारी एवं बेकारी वी उमस्ता आब वी सब से जटिल समस्या है। आमदनी के दफ्क जाने पर पूरे परिवार पर विषयितों वा धादल मैंडराने लगता है। बेकारी अस्तोप वी जननी है। सामाजिक बीमा इस विषयि को काढ़ी लीमा तक दूर रख सकता है। श्री नाहुभाई देसाई के शब्दों में—

"सामाजिक सुरक्षा वा पथ लम्बा एवं बटिन अवश्य है, परन्तु यह एक ऐसी रचना है जिसके द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक उपद्रवों को शान्त किया जा सकता है और राज्य में सतोप की भावना केलाई जा सकती है।"^१

^१ "The road to social security may be long and tough, but that is the only way of avoiding violent economic and social upheavals and of building up a prosperous and contented State"—Shri Khandubhai Desai

भारत समाजवादी दण का समाज निर्माण करने का प्रयत्न कर रहा है। लोक हितकारी राज्य की स्थापना तभी समव हो सकती है जब समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समाज अधिकार प्राप्त हो और प्रत्येक व्यक्ति सम्मन एवं मुख्य हो। मनुष्य एवं सामाजिक प्राणी है, इसलिये समाज का कर्तव्य है कि आवश्यकता एवं सहज तात्त्व में वह ग्राहने सहस्रों की सहायता करे। भारत पृथग्गत से लोक हितकारी राज्य उसी दिन होगा जब वह देश से निर्भन्ता, रोग, म. दणी, निरन्तरता एवं बेकारी का अन्त कर देगा। सामाजिक सुरक्षा इस दिशा में प्रथम महत्वपूर्ण कदम चिन्ह होगा, इसम कोई सन्देह नहीं है। धन का असमान वितरण समाजवादी आर्थ व्यवस्था कायम करने में मुख्य वादा है तथा ऐंजीवाद का पोशक है। सामाजिक सुरक्षा बोजनाओं द्वारा भारत धन के वितरण की विधियाँ भी दूर करने में सक्षम हो सकता है। श्री जे. डन्टू केन्ट (Shri J. W. Kent) के शब्दों में—

"Health Insurance is in itself a shift of purchasing power from the healthy to the sick."

आज भारत की प्रमुख समस्या 'आर्थिक उत्पादन' की समस्या है जिसके द्विरा राष्ट्र के निर्माण का खण घटकर नहीं हो सकता। सामाजिक सुरक्षा इस दिशा में भी महत्वपूर्ण कार्य कर सकती है। अमिरों को भावी विनाशी से मुक्त दिलाकर, उनके स्वास्थ्य को ठीक रखने में सहायता प्रदान करके, एवं उनवे हृदय में यह विश्वास उत्पन्न करके कि सारा समाज उनके साथ सहानुभूति रखता है, सामाजिक सुरक्षा उनके जीवन में नवीन चेतना एवं उत्ताह का प्रारुद्धर्व अवश्य करेगी और वे पह समझने के लिये विवरण हो जावेंगे कि समस्त समाज उनका है और वे समस्त समाज के हैं और समाज के हित में उनका हित निहित है। ऐसी परिस्थितियों में उनका राष्ट्र के उत्पादन में तन, मन, धन से सहयोग प्रदान करना सामाजिक ही हो जाता है। श्री बीवरेज (Shri Beveridge) के शब्दों में—

"In a sense the poorer you are, the more you need social security--by maintaining your health it will help you to increase productivity."

भारत में सामाजिक सुरक्षा की प्रगति

राजनीतिक दृष्टिकोण से भारत करने के एहसे, सामाजिक सुरक्षा के नाम पर, केवल अमिर चतुर्पूर्वी अधिनियम (Workmen's Compensation Act) और मातृता हित लाम अधिनियम (Maternity Benefit Act) है। इन १९२३ में भवित चतुर्पूर्वी अधिनियम (Workmen's Compensation Act) पात्र

किया गया जिसके अन्तर्गत वहें वहें मिलों में वास करने वाले मजदूरों की यदि काम भरते समय मृत्यु हो जाती थी या चोट लग जाती थी जिससे कि वे थोड़े समय के लिये ग्रथवा जीवन भर क लिये ग्रस्तर्य हो जाते थे तब उनको मालिकों की ओर से नकद दूतिपूर्ति (हर्जाना) मिलती थी। यह अधिनियम आज जम्मू एवं काश्मीर को छोड़कर सारे भारत में लागू होता है। परन्तु जहाँ यमंचारी राज्य बीमा योजना आरम्भ हो गई है वहाँ वह आधिनियम नहीं लागू होता है।

मानूका हित लाभ सम्बन्धी अधिनियम निभिन्न प्रान्तों द्वारा पास किया जाता है। कर्वाई ने १९२६ में, मध्यप्रदेश ने १९३० में, मद्रास ने १९३४ में, उत्तर प्रदेश ने १९३८ में, बंगाल ने १९३९ में, पंजाब ने १९४३ में, आसाम ने १९४४ में और बिहार ने १९४५ में मानूका हित लाभ अधिनियम पास किया। इसके अन्तर्गत मिलों में वास करने वाली लियों द्वारा उनक शिशु जन्म के कुछ सप्ताह पूर्व और कुछ सप्ताह पश्चात् तक हुदी मिल जाती है और इस हुदी क समय उनको लगभग आधा पेटन भी मिलता है। याथ ही साथ चिनित्ता सम्बन्धी सुविधा भी उनको प्रदान की जाती है। भारत सरकार ने १९४१ में खानों में वास करने वाली मजदूर स्थिया के लिये भी इस प्रकार का नियम बना दिया है।

उपर्युक्त दोनों अधिनियमों में स्पष्टिपूर्ति का दायित्व केवल मालिकों पर ही था। इसमें वहल सामाजिक बीमा के अन्तर्गत आने वाले कुछ मावी सबदों से रक्षा प्रदान करने का ही आयोजन था। अत इनको सामाजिक बीमा योजना का अङ्ग नहीं कहा जा सकता क्योंकि स्पष्टिपूर्ति का उत्तरदायित्व मालिकों पर ही रखा गया है और ये नियम केवल नियंत्रण या ऐक्टरी के अन्दर होने वाली दुर्घटनाओं से रक्षा प्रदान करते हैं। इसक ग्रातिरिक्त ये अधिनियम केवल वही वही ऐक्टरिनों में ही लागू होने के कारण कुछ योड़े से अभिक्षों को ही रक्षा प्रदान कर सकते हैं।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

(Employee's State Insurance Scheme)

वास्तव में स्वाधीन भारत में ही सामाजिक सुरक्षा का प्रश्न कुछ सीमा तक हल हो सका है। २ अप्रैल १९४८ के पावन दिवस पर भारतीय लोक सभा ने कर्मचारी राज्य बीमा योजना अधिनियम पास किया। परन्तु इसका कार्य अनेक कठिनाइयों के कारण शोध आरम्भ न हो सका। ६ अस्तूर १९५२ को इस अधिनियम का संशोधन किर हुआ, और इसका शुभारम्भ १४ फरवरी १९५२ को ही भारत की कोटि-कोटि जनता के हृदय सप्ताह प० जवाहरलाल नेहरू कर कमलों द्वारा सम्मिल हुआ। यह अधिनियम जम्मू एवं काश्मीर को छोड़कर भारत के सभी राज्यों में लागू

होता है। यह सरकारी एवं व्यक्तिगत दोनों ही प्रशासन के कारबानों एवं प्रत्येक मजदूर जो ४०० रु. तक प्रति मास पावे हैं, पर लागू होता है।

प्रबन्ध (Administration)

इस योजना का प्रबन्ध वर्मचारी राज्य बीमा प्रमणडल द्वारा किया जाता है। इस प्रमणडल में शासनीय प्रमणडल के ३८ सदस्य हैं, जिसमें चेन्नीय एवं शासनीय सरकारों, नियोक्ताओं एवं मजदूरों के प्रतिनिधि हैं। इसी प्रशासन इसमें चेन्नीय सरकार तथा डाकटरी पेशे के प्रतिनिधि भी हैं। कार्पोरेशन का शासन प्रबन्ध एक स्थायी समिति करती है जिसमें १३ सदस्य होते हैं, जो इन्हीं ३८ सदस्यों में से चुने जाते हैं। इस स्थायी समिति पर मजदूर एवं नियोक्ताओं का समान प्रतिनिधित्व होता है। इसी प्रकार इस अधिनियम के अन्तर्गत औपधोपचार एवं चिरित्सा समझौते सुचियाओं वा आयोजन परने तथा सलाह देने के लिये डाकटरी भी एक परिषद् बनाई गई है। इस औपधोपचार लाम समा (Medical Benefits Council) के २८ सदस्य हैं।

आर्थिक व्यवस्था (Finance)

इस कार्य-क्रम का आर्थिक प्रबन्ध वर्मचारी बीमा राज्य कोष (Employee's State Insurance Fund) से होता है। इस कोष में मालिकों एवं मजदूरों का नियंत्रण, चेन्नीय एवं प्रान्तीय सरकारों के द्वारा दिया गया धन, और स्थानीय सरकारों के अनुदान एवं व्यक्तिगत सहायता शामिल है। प्रथम पाँच वर्षों तक प्रमणडल के शासन समझौते पर्यंत वा तु मार्ग सरकार स्वयं देगी।

मालिकों एवं मजदूरों के व्यवहारान के दर निम्नलिखित हैं—

| भूति रमूह | मजदूरों का चन्दा | मालिकों का चन्दा | योग |
|----------------|------------------|------------------|------------|
| (१) दैनिक वेतन | १) से ८म | रु. आ. पा. | रु. आ. पा. |
| (२) " | १) से ११) तक | ०- २०० | ०- ७-० |
| (३) " | ११) से २) तक | ०- ५-० | ०- ८-० |
| (४) " | २) से ३) तक | ०- ६-० | ०- १२-० |
| (५) " | ३) से ४) तक | ०- ८-० | १- ०-० |
| (६) " | ४) से ६) तक | ०-११-० | १- ६-० |
| (७) " | ६) से ८) तक | ०-१५-० | २- १४-० |
| (८) " | ८) से अधिक | १- ४-० | ३- १२-० |

अभियोगी को लाभ (Benefits)

इस अधिनियम के अन्तर्गत अभियोगी को निम्न लाभ प्राप्त होते हैं—

(१) बीमारी हित लाभ—बीमारी के समय अभियोगी को उनके दैनिक वेतन का नकद दिया जाता है। ऐसी सहायता एक वर्ष में आधिक से आधिक ५६ दिन के लिए ही मिल सकती है। अभियोगी को आधिनियम में चताये गये चिकित्सक के द्वारा इलाज कराने पर एवं प्रमाण पत्र के आधार पर वह लाभ दिया जाता है।

(२) मातृता हित लाभ (Maternity Benefit)—इसमें बीमायुक्त स्त्री अभियोगी को शिशु जन्म के ६ सप्ताह पहले एवं ६ सप्ताह बाद तक छुट्टी मिलती है और लाभ की दर बीमारी लाभ की दर के समान ही है। परन्तु यह सहायता प्रतिदिन १२ आने से कम नहीं हो सकती।

(३) असमर्थता हित लाभ (Disablement Benefit)—बीमायुक्त अभियोगी के अयोग्य हो जाने पर निम्न रूप में आधिक सहायता मिलती है—

(अ) अस्थायी (temporary) अयोग्यता में लाभ की धनराशि 'पूर्ण दर' (Full rate) होती है।

(ब) स्थायी आशिक अयोग्यता (Permanent Partial disablement) में पूर्ण दर (Full rate) कुछ प्रतिशत के हिसाब से जीवन भर के लिए लाभ प्राप्त है जैसा कि अमेरिक चिप्रिट अधिनियम (Workmen's Compensation Act) में दिया हुआ है।

(व) स्थायीपूर्ण अयोग्यता (Permanent disablement) में पूर्ण दर (Full rate) पर जीवन भर के लिए नकद आधिक सहायता मिलती है।

नोट—पूर्ण दर (Full rate) से तात्पर्य बीमा किये हुये मजदूर की ओरत दैनिक मजदूरी का आवा भाग है।

(४) आश्रितों को लाभ (Dependant's Benefit)—जब बीमायुक्त अभियोगी कार्य बरते समय मर जाता है तो उसके आश्रित निम्न रूप में नकद आधिक सहायता पाने के अधिकारी हैं—

(अ) विषवा को जीवन भर के लिए या जब तक कि वह दूसरी शादी नहीं कर लेती है पूर्ण दर का ३/५ भाग मिलता रहेगा। यदि विषवा दो हैं तो वह लाभ दोनों में बैंड १/५ भाग।

(ब) योद लिए हुए या निज के लड़के या लड़कों को पूर्ण दर का २/५ भाग जब तक वह १५ वर्ष का नहीं हो जाता, मिलता रहेगा।

(c) प्रनेक ग्रनिकाहिव लडकी को पूर्ण दर का २/५ भाग जब तक कि उह १५ वर्ष की नहीं हो जाती या विवाह नहीं कर सकती है, मिलता रहता।

उपर्युक्त दोनों दशाओं में वह सहायता १८ वर्ष तक जारी रहेगी, यदि वह लड़का या लड़की प्रमरणले के बनेपास के अनुसार यिद्या शास्त्र करते रहते हैं।

(d) विद्या या दस्तों न होने पर वह लाम धनिक ने माता पिता या बिंदी ग्रन्थ आधिक धर्कि को दृष्टि निश्चय दमव के लिए दिया जाता है बिंदी दर चिरार्थि ग्राधिनियम (Workmen's Compensation Act) के अन्यद द्वारा निर्धारित की जाती है। लेकिन वह सहायता बिंदी मी हानि में पूर्ण दर के आधे ते अधिक नहीं हो रहता।

(५) चिकित्सा सन्वन्धी लाभ (Medical Benefit)—वह लाम नहर नहीं प्राप्त होता है। इसमें बीमापात्र, चाट के बारण अपोगवा या पुत्र बन्ने के समय निःशुल्क चिकित्सा होती है। बीमायुक्त मजदूर जर मी बीमारी या पुत्र बन्ने के सम्बन्ध में प्रार्थना पर दे दे दर प्रनार की सहायता के अधिकारी हैं। वह चिकित्सा प्रमरणल द्वारा सचातिव किटी चिकित्सालन न होता है। अब वह लाम बीमायुक्त मजदूर के परिवार के अन्य सदस्यों को भा प्रदान किया जाता है।

योजना की प्रगति

अब वह योजना निम्नलिखित ग्रीष्मोगिक सैकड़ी में लागू कर दी गई है—

| चौक | | लाम यात फरने वाल अमिक्षा द्वी सख्ता |
|--------------------------------------|---|--|
| (१) उत्तर प्रदेश— १ चन्द्री, १८५६ | कानपुर | ६६,००० |
| | { लापनल शागरा } सहारनपुर | २०,००० |
| १ अय्येत, १८५७ | { बनारस इलाहाबाद रामपुर कल्पनपुर (कानपुर) } | १४,००० |

चेत्र

लाभ प्राप्त करने वाले
आमिकों की संख्या

| | | |
|------------------|--|------------------------------|
| (२) दिल्ली | | ५५,००० |
| १ अप्रैल, १९५८ | { हाथरस अलीगढ़ चिकोहाचाद बरेली } | १२,००० |
| २८ मार्च, १९५८ | { मोदीनगर सहजनवाँ गांधिपाचाद मिर्जापुर } | १०,००० |
| (३) पंजाब— | | |
| मई, १९५९ | { अमृतसर लुधियाना अम्बाला जालून्डर अब्दुल्ला पुर लगाठी बठाला } | २५,००० |
| (४) मध्य प्रदेश— | | |
| चन्द्रपुरी, १९५८ | { इन्दौर न्यालियर उज्जैन रत्नपुर बरहानपुर } | ५२,००० |
| (५) उत्तराखण्ड— | | |
| शताहि, १९५८ | { नागपुर उत्तराखण्ड एवं अहमदाबाद अकोला हिंगनाथट } | २२,००० ४,२५,००० १०,००० |

| स्थेत्र | | लाभ प्राप्त करने वाले अमिकों की संख्या |
|-----------------------------------|--------------------------------|--|
| (६) मद्रास— जनवरी १९५५ | मद्रास | ५२,००० |
| | कोयम्बूर | ३६,००० |
| | ३ अन्य श्रीयोगिक केन्द्र | ३७,००० |
| (७) आन्ध्र— सन् १९५५ | हैदराबाद | |
| | सिकन्दराबाद | १८,००० |
| | ७ अन्य श्रीयोगिक केन्द्र | १७,००० |
| (८) बंगाल— | { कलकत्ता एवं हावड़ा जिला } | २,३६,००० |
| (९) केरल—७ | श्रीयोगिक केन्द्र | १७,००० |
| (१०) राजस्थान—६ श्रीयोगिक केन्द्र | | |
| १ दिसम्बर १९५६ | जैपुर | |
| | बोधपुर | |
| | बीकानेर | |
| | लखरी | |
| | पल्ली | |
| | बलवाड़ा | १६,००० |
| (११) मैसूर— २६ जुलाई १९५८ | बगलौर | |
| २८ मार्च १९५६ | गगानगर | ५०,००० |
| | पौलपुर | २००० |
| | | कुल अमिक १२,५१,००० |

कर्मचारी प्रावीडेंट फड योजना

(Employees' Provident Fund Scheme)

कर्मचारी प्रावीडेंट फड योजना स्वतन्त्र भारत में सामाजिक सुरक्षा की ओर दूरस्थ महत्वपूर्ण कदम है। इसके लिये विधेयक सन् १९४८ में लोकसभा ने पेश किया गया था, लोकन वह पास नहीं हो सका। १५ नवम्बर १९५१ की राष्ट्रपति ने एक अधिदायेश (आडिनेन्ट) द्वारा इसे लागू किया और मार्च १९५२ में इसका बान्धन भी पास हो गया। प्रारम्भ में वह योजना केवल ६ उद्योगों में लागू की गई जो इस प्रकार है—(१) सीमेट (२) सिंगरेट (३) इनीमियरिङ (४) लोहा एवं सार (५) कागज (६) सूखी, रेशमी लड़ी, एवं जड़ के भिलों में। कुल मिला कर १९५६ मिलों के लगभग ₹५,००,००० मजदूरों को इससे लान ग्राह्य हुआ। इन उद्योगों के प्रत्येक अभिक जो बित्तने एक बाल की लगातार नौकरी की है वोपना सदस्य होने का अधिकार है। मजदूरों एवं मालिकों के इस अशदान की दर मजदूरी, मैंहगाई और अन्य सहायता को लेकर इसपे मैं एक आना है। वोपन के शासन सम्बन्धी व्यवसा इ प्रतिशत मालिकों को देना पढ़ता है। Coal-mines Provident Fund की तरह इसमें भी सरकार के प्रतिनिधि और मजदूरों एवं मालिकों के प्रतिनिधि वोपन के शाखान के सम्बन्ध में रहते हैं। यितन्मर १९५६ तक इस चोप की कुल एकाक्रम धन-राशि ५५ करोड़ रुपये थी। धन जमा करने का कार्य केन्द्रीय सरकार के नाम होता है और सदस्यों को २ प्रतिशत ब्याज भा दिया जाता है।

१ अगस्त १९५६ से यह योजना १४०० कारखानों के वरीय ₹५,००,००० मजदूरों पर और लागू कर दी गई। इसमें चाप के बागीनों के अभिक, खान में काम करने वाले, शब्द, दियासलाइ और शीशे के कारखानों में काम करने वाले अभिक यामिल हैं।

२ दिसम्बर १९५६ को इस अधिनियम में सहोषण किया गया जिसके अनुसार यह योजना उन अभिकों पर भी लागू की जा सकती है जो कारखानों में काम नहीं करते हैं।

३१ दिसम्बर १९५६ से यह योजना समाचार पत्रों के अभिकों पर भी लागू कर दी गई है। ३० जून १९५७ तक यह योजना ३० नये उद्योगों में लागू की गई जिनमें मुख्य नील, लाल, भाषी रसायन, रबड़, विचुत, कार्पी, लौंग इलायची आदि हैं। लोकसभा में अभी हाल ही में कर्मचारी प्रावीडेंट फड (उठोपन) विधेयक, १९५८ स्वीकार किया गया है। इसका उद्देश्य नूल आधिनियम को उन स्थानों पर लागू करना है जो सरकार या स्थानीय अधिकारियों के स्वामित्व के अन्तर्गत सचालित

हैं। ३० अप्रैल १९५८ तक इस अधिनियम के अन्तर्गत २६,७२,००० मजदूरों वाले ६५५८ वारसाने शामिल हैं। इस प्रगति को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि वह सभय दूर नहीं जब यह योजना भारत के प्रत्येक उद्योग में लागू हो जायगी, निरोप रूप से जब कि मारत सरकार का सम्मान इस ओर है।

छटनी का भत्ता (Retrenchment Compensation Scheme)

सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत यह तीव्र योजना है। यह योजना उन सभी कारसानों में लागू होगी जो श्रीयोगिक संघर्ष अधिनियम १९४७ (Industrial Disputes Act, 1947) के अन्तर्गत आते हैं। इसके अन्तर्गत केवल उन्हीं अमिकों द्वारा लाभ प्राप्त हो सकता जिन्होंने लगातार कम से कम एक वर्ष नौकरी कर ली है। यिही भी अमेक की छटनी हो जाने पर उसने प्रत्येक वर्ष के लिए—जितने वर्ष उसने नौकरी की हो—१५ दिन के परिश्रमिक के बराबर संपदा प्राप्त हो सकेगा। यदि वोई अमिक खत्य ही नौकरी छोड़ देता है तब उसको कुछ भी लाभ न प्राप्त होगा।

वृद्धावस्था पेंशन योजना (Old Age Pensions Scheme)

वृद्धावस्था पेंशन योजना वास्तव में सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा एक अन्य महत्वपूर्ण कदम है। यद्यपि यह योजना उत्तर प्रदेश को छोड़कर अभी विस्तृत रूप से सभ्यर्थी भारत में नहीं अपनाई गई, तो भी उत्तर प्रदेश का यह कदम अन्य राज्यों के लिए अग्रदूत सिद्ध होगा, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं।

इस योजना को सर्वप्रथम उत्तर प्रदेशीय सरकार ने अपने राज्य में सन् १९५७ से लागू किया है। इस योजना का सचालन के लिए सरकार द्वारा २५ लाख रुपये की धनराशि अलग रखकी गई है जिसके अन्तर्गत उन सभी व्यक्तियों को, जिनकी आयु ७० वर्ष या अधिक है और जिनको उहारा देने वाला कोई कुदुम्ब का व्यक्ति नहीं है, सहायता प्रदान की जायगी। भीख माँगने वाले या जिनको सेवा आधारमें द्वारा सहायता मिलती है इस योजना से लाभ नहीं उठा सकते। सहायता धम कमिशनर द्वारा मन्त्री की जायगी। ऐसे व्यक्ति को इस सहायता का सदृप्योग न करेंगे अथवा जिनका चाल चलन ठीक न होगा उनको जाँच करने के उपरान्त सहायता न दी जायगी। सहायता के स्थान में क्या धनराशि दी जायगी, यह इस प्रकार सहायता प्राप्त करने वालों की सख्त्या पर निर्भर होगा। ऐसी समावना है कि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम १५ संपदा माटगार अवश्य मिल सकेगा। केवल वहीं व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश में यम से कम एक वर्ष से रह रहे हैं इस सहायता के भागी हो सकते हैं।

आलोचनात्मक विस्तेपण

उपर्युक्त योजनाओं पर एक विहगम दृष्टि ढालने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत का सामाजिक सुरक्षा के चेत्र में यह एक छोटा सा प्रारम्भ है। अन्य देशों की अपेक्षा यहाँ पर अभी तक वेवल थोड़े से तकटों से सुरक्षित रखने का प्रबन्ध हो रहा है। वेवल वे मबदूर ही जो ४०० रुपया मारुक से कम वेतन पाते हैं और कागजानों में काम परते हैं, सामाजिक बीमा योजना से लाभ उठा पाते हैं। चाही सभी अधिक इसक अन्तर्गत नहीं आते। यह सरया जो लाभ प्राप्त कर सकती है, पूर्ण भारत की जनसंख्या का एक बहुत थोड़ा भाग है। हृषि अधिक तो अभी तक इस योजना के बाहर ही हैं। इसक अतिरिक्त आज भी देशी हित लाभ, वृद्धावस्था हित लाभ, नि गुल्फ शिक्षा इत्यादि भारत के लिए खूब हैं। अस्पतालों की अप भी कमी है और चिकित्सा का प्रवृत्ति सेवायोजनक नहीं है। अच्छी देशी आश्रमों का अभाव है।

उपस्थिति

यह सत्त्व है कि कर्मचारी राज बीमा योजना में कई दोष हैं। इसमें भी ए ऐसा नहीं है कि भारत उत्तराख अभी तक सभी भावी सकटों से अधिकों को सुरक्षित नहीं कर सकी है। यह भी टीक ही है कि अभी भारत की जनसंख्या का वेवल थोड़ा भाग ही इस योजना से लाभ उठा सकता है और कृषि अधिक प्रथा भी इसके चेत्र के बाहर है। परन्तु यह उब होते हुये भी इसमें उन्देह नहीं है कि भारत का सामाजिक सुरक्षा की ओर यह कदम सराहनीय है क्योंकि प्रशिया में भारत पहला देश है जिसने इनमें से ऐसी योजना पर इस ओर कार्य किया है। भारत पाश्चात्यी देशों से भले ही पालु हो परन्तु वे देश जो दाखता वी शूलकारी योजना कार्य रूप में नहीं परियोजित की जा सकी। आज भारत की आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए कोयों न आवश्यकता है और यही पाठ्य या कि पूर्णरूपेय सुरक्षा वी योजना कार्य रूप में नहीं परियोजित की जा सकी। यात्याय में कर्मचारी नीमा एवं कड़, छटनी के भत्त एवं वृद्धावस्था वैश्वन योजनाएँ सामाजिक सुरक्षा के चेत्र में एक छोटा सा प्रारम्भ है जिन्होंने प्रारम्भ में सहजों अधिकों का अधिकारमय भविष्य में प्रकाश का किरण उत्पन्न कर दिया है। सत्य तो यह है कि ये योजनाएँ आज भारत में एक छोटे-से अद्वितीय का समान हैं जो एक बहुत यह वृक्ष के रूप में उग आने की शक्ति रखती है और अपना पूर्णता में आने पर ये उन तमाम वैक्षियों को आश्रय एवं लाभा प्रदान कर सकेंगी जो इसे चाहते हैं।

श्री जगजीवनराम के शब्दों में

“यद्यपि हमारा यह प्रयास बहुत ही लघु सा प्रारम्भ है, परन्तु इस रूप में हम उस नीति की स्थापना कर रहे हैं जिसके ऊपर स्वतन्त्र भारत के आर्थिक विकास का मध्य भवन निर्मित होगा।”¹

¹ “Although we are making a small beginning, it is the corner stone of a great edifice which a free country seeking its Economic salvation must build.”

—Jagjiwan Ram.

अम-कल्याण

(Labour Welfare)

अम कल्याण एक ऐसा शब्द है जो विविध आशयों की ओर इंगित करता है और इसी कारण से विभिन्न देशों ने इसका आशय भिन्न भिन्न रूप में प्रयुक्त किया है। विभन्न आशयों का प्रयुक्त होने से विभिन्न देशों में इसका समान महत्व नहीं रह सका। राजकीय आयोग (Royal Commission) के शब्दों में—

“It is a term which must necessarily be elastic, bearing a somewhat different interpretation in one country from another, according to the different social customs, the degree of industrialisation and the educational development of the workers”

सुख का अम साध्यक ब्यूरो के अनुसार—

“Anything for the comfort and improvement, intellectual and social, of the employees, over and above wages paid, which is not a necessity of the industry nor required”

अम कल्याण की परिधि में पूँजीवितियों द्वारा सभन ऐच्छिक कार्यों का समावेश होता है जिसमें कार्य करने की उच्चता दर्शाएँ, फैक्टरी में रोजगार प्रदान करना, अमिकों के स्वास्थ्य में सुधार एवं शाक में वृद्धि, सुरक्षा, मानसिक एवं चारि त्रिक प्रगति, सामान्य जल्हाण वृद्धि तथा औद्योगिक कुशलता में वृद्धि आदि सम्मिलित हैं। इसका सज्जालन एवं समर्थन भौमिक, पूँजीवितियों आयता अन्य सामाजिक संस्थाओं द्वारा होता है। यह कार्य अधिकृत एवं अनभिवृत अमिकों के प्रति कर्तव्य की साक्षा का क्रमुकूल तर्जे हैं।

अमहितकारी कार्यों में अमिकों के लिए गह, औषधि, शिक्षा, खेलकूद, मनोरूपन के साधन, सहकारी समितियाँ, जलसानगह, शिशुगृह, स्नानगृह, स्वास्थ्य-वर्द्धक खाद्य पदार्थ, यातायात, प्रावीडेंट फरड रथा जीवन सीमा इत्यादि की व्यवस्था सम्मिलित भी जाती है। सचेत में अमिक वर्ग को गराबी, अशान, सामाजिक

असमानता, दक्षिणांशुमी दृष्टिसोण, बीमारी एवं मलिन जीवन के बन्धनों से मुक्त कराने वाले सधर्य के सभो पहलू उसमें निहित हैं।

श्रम कल्याण कार्य के उद्देश्य—

अमहितशारी जार्य औद्योगिक जनतज्ज वी आधार शिला है जिसके अभाव में सुधरवस्थित सामाजिक संगठन असम्भव है। श्रम कल्याण के दो प्रमुख उद्देश्य हैं—(१) मानवीय व्यवस्था (२) आर्थिक उत्थान। नियोक्ता इससे आर्थिक व्यवह के उद्देश्य से देखता है। परन्तु श्रमिकों के मध्य निर्धनता तथा असन्तोष क्राति के सूर में परिणिया होनेर न रेवन उद्यागों नो ही नष्ट कर सकते हैं वरन् समस्त समाज का रम्पूर्त आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भी छिन भिन्न कर सकते हैं। औद्योगिक बलहों की एक मात्र जड़ श्रमिकों में अवन्तोष रहा है जिसके परिणामस्वरूप सामाजिक संघर्षों की उत्पत्ति हुई। औद्योगिक शार्ति को चिरस्थायी बनाने के हेतु श्रम कल्याण अत्यन्त अनिवार्य है। रामराज्य की साकार कल्याना, जिसम एक सुधरवस्थित सामाजिक न्याय की स्थापना हो, जिना औद्योगिक शार्ति के असम्भव ही प्रतीत होती है।

आब भारतीय श्रमिक निर्धनता, अनभिज्ञता एवं आलस्य के अन्धकार में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। बाद उनके जीवन को सुखमय तथा औद्योगिक प्रगति में चार चाद लगाने हों तो इन श्रम कल्याण कार्यों द्वारा ही हम इस लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रहन सहन आदि की समस्याएँ श्रमिकों के समन्व हैं। श्रमिकों के अध्ययन के लिए बाचनालया एवं पुस्तकालयों का प्रबन्ध आवश्यक है। उनके बच्चों के पढ़ने के लिए नवीन लूक्तों एवं खेलकूद का भी आय जन होना चाहिए। यदि इन समस्त बातों को ज्ञान में रखते हुए श्रम कल्याण की योजना ग्राम्य कर दी जाय तो नि.सन्देह वह समय दूर नहीं जब कि भारत औद्योगिक प्रगति के पथ पर चलता हुआ अपनी आर्थिक मोक्ष की मज़िद तक सुविधापूर्वक पहुँच सकता।

भारत में श्रम कल्याण का महत्व

भ्रम कल्याण श्रमिकों के जीवन के सुखमय बनाने का एकमात्र प्रयत्न है जिसके द्वारा आर्थिक जीवन की नीरसता कम होगी। इसके साथ ही साथ उनका नैतिक स्तर भी उच्च होगा एवं नागरिक उच्चरदायित्व की भावना का भी उदय होगा। श्रमिक कर्म हमारे सामाजिक जीवन की गाढ़ी का धुरा है, राष्ट्र की उम्मति वा उत्तादक एवं प्रधीय जीवन की प्रगति का पोषक है।

अम कल्याण औद्योगिक यन्त्र का चलनशक्ति स्रोत है

ओद्योगिक यन्त्र के दो प्रमुख तत्व हैं—प्रथम, पूँजीपतियों द्वारा विनियोजित घनराशि और द्वितीय मानवीय अमशुकि जो कि निश्चेष्ट घनराशि ने सक्रियता एवं कार्यशीलता का बीजारोपण करती है। अतएव उद्योग के हित में मानवीय तत्व जो विस्तृत नहीं किया जा सकता है। अम तथा पूँजी ओद्योगिक यन्त्र के दो विशाल पहिये हैं जिनके साथ-साथ चलने पर ही किसी उद्योग की प्रगति निर्भर है। इसलिये इसमें कोई सन्देह नहीं कि अम कल्याण के कार्यों के वार्यान्वित होने से अभिक उत्तुष्ट रहेंगे और ओद्योगिक यन्त्र भी अपनी तीव्र गति से प्रगति की ओर चढ़ता रहेगा।

वर्तमान समय में हमारे राष्ट्र में अभिक तथा पूँजीपतियों में परस्पर दब्द चल रहा है जिसका प्रमुख भारण अभिक की निराशा, निर्धनता, एवं विद्रोष की भावना है। अतः ओद्योगिक जगत् में याति वी स्थापना के हेतु रुद्धारिता, सद्भावना तथा अम कल्याण की अत्यन्त आवश्यकता है। अम कल्याण के कार्य ही अभिकों में सद्भावना एवं नवीन सूखि उत्पन्न कर सकते हैं। आब यह तट्ट सूप से विदित हो चुका है कि समस्त उत्पादन की मुख्य आधारिता अभिक ही है। इनके जीवन के साथ लिलचाड़ करना राष्ट्रीय उत्पादन एवं विकास के साथ लिलचाड़ परन्तु होगा। वास्तव में अनिन्दा ही देश के ओद्योगिक दाँचे के निर्माणकर्त्ता हैं। श्री जे० स्मिथ (J. Smith) के शब्दों को इस स्थान पर उद्दत करना अतिशयोक्ति न होगी—

"Machinery is not more important than human life, profits are not more sacred than the baby in the workman's family, dividends have no priority over the security of the employee in his job, economic control of a plant does not give the right to exclude the working partner in the enterprise from a rightful voice in relations that vitally affect his just return of the things produced."

न्यायसंगत सामाजिक व्यवस्था की स्थापना

आब भारत एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना गमाचबादी दृग पर वरने का प्रयत्न करके महात्मा गांधी के रामराज्य की कल्यना के साकार करना चाहता है। घन के समान वितरण के अभाव में इस उद्देश्य की पूर्ति कठिन प्रतीत होती है। अतः समाज में समान घन का वितरण होना अनिवार्य है। आधुनिक सुग में कोई भी समाज बिना खेदा भाव से विधर नहीं रह सकता। अतएव अम-कल्याण के कार्य एक ऐसे मुन्द्र सामाजिक न्यायसंगत व्यवस्था की स्थापना कर सकने में सफल होगी जो

कि राष्ट्र का पूर्णरूपेण आर्थिक विसाम कर सकने में काफी सहायक सिद्ध होगे। अम कल्याण पर किया गया व्यय निश्चय ही पन के समान वितरण में सहायक सिद्ध होगा।

सतुष्टि, स्थायी तथा कुशल अमशक्ति

भारतीय ग्रौदोगिक अभियोके अनुशाल होने का एकमात्र कारण निर्धनता एव उनका अशिक्षित होना है। सरकार एव नियोक्ताओं द्वारा अभी तक इनकी शिक्षा की ओर बिलकुल ध्यान नहीं दिया गया यद्यपि टाटा न आमजो के बच्चों के लिये पाठशालाओं रा आयोजन किया है, तुछ सामाजिक सम्प्राणों ने भी इस ओर चराहनीय कार्य किये हैं, परन्तु राज्य को भी प्राथमिक नि गुलक अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिये जिससे कि अभियोके अशिक्षितता एव अज्ञानता को खत्म किया जा सक। भारतीय अभियक असहनीय एव कष्टदायक बातावरण में कार्य करने के पश्चात् जब बारताने से निवलता है तो उसे मनोरजन के साधनों की आवश्यकता होती है जिसके अभाव के कारण वह शराबी, जुआड़ी, बेशमामी हो जाता है। अम कल्याण कार्यों के सम्पन्न होने से न बेवल उसके जीवन तथा कार्य में ही सुधार होगा, बरन् उत्पादन की वृद्धि होगी जिसम ही राष्ट्र रा उत्थान एव विकास निहित है।

उत्पादन शक्ति में वृद्धि

उत्पादन, अधिक उत्पादन तथा अत्यधिक उत्पादन ही आज भारत का मार्ग है तथा इस पर ही देश की सम्पदता आवित है। जब अभियक वह अनुभव करेंगे कि उद्योगपति तथा सरकार उनके प्रतिदिन के जीवन को भली भाति सुखी, सम्पन्न एव उन्नत करने रा प्रयत्न कर रहे हैं तो उनकी मानसिक आति सतुष्टता में परिणत हो जायगी। वह उद्योग में अधिक उत्सुकता, लगन तथा परिश्रम से कार्य करेगा एव अपना तन, मन, धन लगाकर उसको उत्तिशील बनाने का प्रयत्न दरेगा। सतुष्टता ही स्वेन्द्रा पूर्वक कार्य के कुशल सम्पादन की प्रेरणा है। अम कल्याण एक विनियोग है जिससे उद्योगपतियों तथा देश दोनों को ही लाभ होगा।

अम कल्याण मानवता की पुरार हे

अभियक मानव है और उसक साथ पशु के समान अवहार कहाँ तक न्याय संगत कहा जा सकता है। अभियक के पारिश्रमिक का निर्धारण निश्चीय एव चेतनाहीन वस्तुओं के मूल्य के समान बदापि नहीं किया जा सकता। मानव के नाते उसको वे सभी जीवन की सुविधाएँ प्राप्त करने का जन्म सिद्ध अधिक रह दी जो मानव को पशुओं से भिन्नता प्रदान करती हैं। आज समय की पुरार के साथ-साथ उनको मानव होने

के नाते समाज में उचित स्थान देना ही होगा, वह अनिवार्य है जिसे कोई भी टाल नहीं सकता। श्रम कल्याण कार्य इस दिशा में उचित कदम होगा, इसमें सन्देह नहीं। श्री जे. रिंग ने डीक ही लिखा है—

"It is the birth right of those surcharged with passion and emotion, rebellious against hardships and injustices, desirous of life, and the attainment of those elemental rights and privileges which even the dullest of human beings subconsciously yearns for."

आज भारत अपने आर्थिक मोक्ष के द्वार पर खड़ा है और अत्यधिक उत्पादन, समाजवादी समाज की रचना तथा सुदृढ़ चन्तव्याद की स्थापना उठका उद्देश्य है। अम कल्याण ही भारत को उपकरणों में योग प्रदान कर सकता है।

भारत में वर्तमान अवस्था

सरकार द्वारा अम कल्याण कार्य

प्रथम विश्व सुदृढ़ (१९१४-१८) तक श्रमिकों की दशा अत्यन्त शोचनीय रही परन्तु सुदोपरान्त सरकार ने श्रमिकों की ओर स्थान दिया तथा द्वितीय महायुद्ध ने इस आदोलन को सहयोग प्रदान किया। इस समय श्रमिकों का जीवन-स्तर बहुत गिर गया था। उसके समक्ष मकानों की समस्या थी, वस्तुओं का भाव भी जट गये थे। इन विषम परिस्थितियों का प्रभाव श्रमिकों की कार्यकुशलता पर कुरा पड़ा। अत. सरकार का स्थान इस ओर आकर्षित होना अनिवार्य था, स्थोकि राष्ट्र की उन्नति चिना अधिक एवं कुशल उत्पादन के संभव नहीं थी।

द्वितीय सुदृढ़काल के समय में अब शरत्र क कारखानों में अमकल्याण की घोषनाओं का वार्यान्वित रखना स्वाभाविक था क्योंकि इससे श्रमिकों के चरित्र की रक्षा तथा अत्यधिक उत्पादन की सभावना थी। बीरे धीरे ये अम कल्याण के कार्य अकिञ्चित व्यवसायों में भी वार्यान्वित किये गये।

कोयले की खानों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक अम हिवारी कोए लोल दिया गया। नामाजिक वीमा, श्रीयोगिक आवास योजनाएँ तथा श्रमिकों के कार्य करने की दशाओं के विषय में सरकार ने कदम उठाये। पैकटरी कानून १९४८, खान अधिनियम १९५२ तथा उद्यान अधिनियम १९५५ के अन्तर्गत बलपानग्रह, विशामग्रह, चिकित्सा सहायता एवं श्रमिक अफसरों की नियुक्ति हुई। “अब्रक खान श्रमिक हिवारी योग” अधिनियम १९४७ ने अब्रक खानों के श्रमिकों के लिए चिकित्सा, शिक्षा एवं आवास की सुविधाएँ प्रदान की।

कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत कल्याणकारी कार्य

इस अधिनियम के अनुसार श्रमिकों के हेतु मकानों की व्यवस्था, काम के घटे, रोशनदान, मशीनों को टक कर रखना, चिकित्सा, और शिशु गृहों का आयोजन किया गया। ५०० या इससे अधिक श्रमिक वाले कारखानों में श्रम कल्याण अधिकारी की नियुक्ति अनिवार्य कर दी गई।

श्रम हितकारी कोष

१६४६ में श्रम कल्याण कोष की स्थापना के लिए एक योजना बनाई गई। इस कोष की आय को उन समस्त श्रम कल्याण वार्षों पर व्यव किया जायगा जिनके लिए भारत के किसी भी कानून में अभी तक व्यवस्था नहीं की जा सकी है। १६४७ ई में यह कोष केवल १२,००० श्रमिकों के लिए ही था। इस कोष से श्रमिकों के बाहरी तथा भीतरी खेल कूद, वाचनालय एवं पुस्तकालय, रेडियो, शिक्षा तथा मनोरजन की सुविधाएँ प्रदान की जावेंग। व्यक्तिगत व्यवसायों में श्रम हितकारी द्रष्ट कोष की लिफारिश भी सरकार ने की है।

रेलवे तथा बन्दरगाहों में श्रम हितकारी कार्य

श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा तथा खेल कूद की व्यवस्था रेलवे करती है। सस्ते गल्ले की दुकानों भी रेलवे कर्मचारियों के लिए चलाई गई हैं। बन्दरगाहों में भी चिकित्सालय तथा सुयोग डाक्टर हैं। बम्बई, कलकत्ता तथा विशाखापट्टम आदि बन्दरगाहों में सहकारी समितियाँ भी पाई जाती हैं।

राज्य सरकारों द्वारा श्रम हितकारी कार्य

बम्बई

१६३६ से बम्बई में श्रमिकों के हेतु हितकारी कार्य प्रारम्भ हुए। सन् १६३६ में इस कार्य के लिए १२,००० रु० स्वीकृत हुए जो कि धीरे धीरे बढ़ते गये। १६५३ में सरकार ने यह कार्य श्रम हितकारी बोडी के सुपुर्द कर दिया जिसमें कि १४ सदस्यों का आयोजन है। आजकल यह बोर्ड ५४ श्रमहितकारी केन्द्रों को उदायता प्रदान करता है। इन केन्द्रों में नर्सरी स्कूल, छोटी शिक्षा विभाग, पुरुषों के लिए मैदानी तथा भीतरी खेल-कूदा की व्यवस्था, स्नानागार, चल तथा अचल पुस्तकालयों की व्यवस्था है। रेडियो तथा वाद्य यत्र भी यहाँ रखे जाते हैं। औपधालय भी केन्द्री म रहता है। सरकार ने अब श्रम कल्याण कार्यकर्ताओं के लिए एक प्रशिक्षण विद्यालय तथा चार श्रीधोगिक प्रशिक्षण वर्कशॉप की व्यवस्था भी की है। यह विद्यालय बम्बई, अहमदाबाद तथा शोलापुर में खाली भी दिये गये हैं।

उचर प्रदेश

सन् १९३७ के पश्चात् ही उचर प्रदेश में शमिकों के हितकारी कार्यों की और सरकार का धाम आकृष्ट हुआ तथा औद्योगिक शमिकों के लिए कानपुर में अम हितकारी केन्द्र खोले गये। आजकल ४२ अमहितकारी केन्द्र राज्य के प्रमुख औद्योगिक शहरों में हैं। यह शहर कानपुर, लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, गाजियाबाद, वनारस, मिर्जापुर, आगरा, किरोजाबाद, गलीगढ़, हाथराल, इलाहाबाद, रुड़की, रामपुर तथा झाँसी हैं। ये समस्त ज़ैन तीन भागों में विभक्त वर दिये गये हैं—‘क’ ‘ख’ तथा ‘ग’। ‘क’ श्रेणी के कन्द्रा म एतोपैथिक का चिकित्सालय, पुस्तकालय व बाचनालय, खिया क लिए कढ़ाई तथा सिलाई की कक्षाएँ, बाहरी तथा भीतरी खेल, सज्जीत, रेडियो, बाच रज्जीत तथा प्रसूत एहों की व्यवस्था होती है। ‘ख’ श्रेणी के कन्द्रों में भी करीब करीन यही सुविधाएँ हैं परन्तु यहाँ होम्योपेथी का चिकित्सालय होता है। ‘ग’ श्रेणी के कन्द्रा में पुस्तकालय तथा बाचनालय, खेलकूद, तथा रेडियो होते हैं।

१९३७ में १०,००० रुपया, १९४६ म २५ लाख रुपया तथा आजकल ८ लाख रुपया वार्षिक अम हितकारी कार्य में व्यय होता है। १९४४-४५ के बजट में अम कल्याण के हेतु ८,१८,६०० रुपया निर्धारित किया गया था।

इन समस्त अम कल्याण केन्द्रों के आलावा कानपुर में शमिका के लिए सरकारी अम कल्याण टी० थी० कल्निक भी हैं। १०० ह० प्रतिपाद तक पाने वाले शमिकों को यह चिकित्सा उदायता प्रदान करती है।

अन्य राज्य

अन्य राज्य सरकारें भी अनेक अम हितकारी येन्द्रों का सञ्चालन कर रही हैं। विभिन्न राज्यों में कन्द्रा की संख्या निम्न प्रकार है—

| | | |
|-------------------------------------|------------------------|----|
| पश्चिमी बंगाल | — | २५ |
| सौराष्ट्र | — | २० |
| विहार, हैदराबाद तथा द्रावनकोर कोचीन | ३ (प्रत्येक राज्य में) | |
| मैसूर | — | २ |
| महार | — | ३ |
| मध्यप्रदेश | — | ४ |

उद्योगपतियों द्वारा अमहितकारी कार्य

भारत में उद्योगपति अम कल्याण कार्य के प्रति संदेव से उदाहीन रहे हैं परन्तु आजकल उद्योगपतियों ने इच्छा और कुछ विशेष जागरूकता दिखलाई है। उनके यह

अमहितकारी कार्य अधिकारा में श्रमिकों के प्रति दयाभावना तथा सरकारी वधनों पर आधारित हैं। वे ऐसे कार्य को अपना व्यावसायिक वर्तन्य समझ कर समझ नहीं करते। भारतीय जूट मिल सघ, भारतीय चाय सघ, टाटा तथा सिंहानियाँ आदि प्रमुख हैं जिन्होंने अम कल्याण के हेतु कुछ कार्य किये हैं।

सूती मिल

नागपुर के एम्प्रैस मिल्स, दिल्ली फ्राइ जनरल मिल्स, जिवाजीराव काटन मिल्स, बंकिंघम एण्ड कर्नाटिक मिल्स, मदुरा के काटन और सिल्क मिलों न तथा मदुरा मिल्स कम्पनी ने अम कल्याण के हेतु अत्यन्त ही सराहनीय कार्य किये हैं। प्रसूतगृह, जलपानगृह, भीतरी तथा बाहरी खेल कूद, सहकारी समितियाँ, विद्यालय, प्राविंडेण्ड फरड योजना तथा सस्ते द्रव्यान आदि की सुविधाएँ इनमें प्रदान की जाती हैं। समस्त मिलों ने चिकित्सालय तथा योग्य डाक्टरों का प्रबन्ध किया है।

जूट उद्योग

जूट उद्योग में अम हितकारी कार्यों दो करने वाली एकमात्र संस्था जूट मिल सघ है, जिसने हजारी बाग, कनकी नाड़ा, सीरामपुर, टीटागढ़ और भद्रेश्वर में अम हितकारी केन्द्रों की स्थापना की है। इन दो दो में मैदानी एवं भीतरी खेल कूद की व्यवस्था की जाती है। महिला कल्याणकारी समिति तथा महिला कलब आदि को भी समर्पित करने का प्रयत्न किया गया है। समस्त जूट मिलों में एक एक चिकित्सालय है। प्रसूतगृहों के लिए क्लीनिक, शिशुगृह तथा जलपान गृह आदि का भी प्रबन्ध है।

इच्छानियरिंग उद्योग

इजीनियरिंग उद्योग में १,००० या इससे अधिक श्रमिक वाले समृद्ध कारखानों में चिकित्सालय है। लौ श्रमिक के लिए शिशुगृहों का भी निर्माण किया गया है। जलपानगृह तो प्राय समस्त कारखानों में उपलब्ध हो चुके हैं। श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए पाठशालाओं का भी आयोजन है। १०० से अधिक श्रमिक जहाँ काम करते हैं उन कारखानों में प्रावीडेन्ट फरड योजना लागू होती है। टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी जमशेदपुर विशेष उल्लेखनीय है। इसमें ४०० पलग वाला अस्पताल, ५१ डाक्टर, ८ हाई स्कूल, ११ मिडिल स्कूल और १६ प्राइमरी स्कूल लोले गये हैं। विशाल क्रीड़ास्थल तथा जलपानगृह आदि भी हैं।

शक्ति उद्योग

कुछ शक्ति के कारखानों को छोड़कर समस्त म चिकित्सालयों की स्थवरता है तथा वे श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा का भी प्रबन्ध करते हैं। बहुत से कारखानों में

अमिकों के लिए वस्त्रों, मनोरबन के साधनों तथा खेलकूद का भी आयोजन किया गया है। परन्तु कुछ ही कारखानों में जलपानगृह तथा सहकारी उमितियाँ प्राप्त होती हैं। अमिकों के लिए मकानों का भी प्रबन्ध किया गया है।

उद्यान

आसाम तथा पश्चिमी बगाल के अधिकाश बड़े-बड़े चाव उद्यानों में अस्पताल बने हैं। अमिकों के घर्षों की प्राइमरी शिक्षा के लिए स्कूल है। चिकित्सा सहायता के लिए एक फर्मेटी वी लिफारिशों वो स्वीकार कर लिया गया है। सन् १९५१-५२ में केन्द्रीय चाव बोड द्वारा चाव लाख रुपये उद्यान अमिकों की हितकारिता के लिए सुरक्षित किये गये जोकि उमजी मनोरबन की सुविधाओं तथा दस्तकारी की शिक्षा में व्यय किये जायेंगे।

अमिक संघों द्वारा हितकारिता-कार्य

उच्च तो यह है कि भारत में अमिक सघ अमी तक अपनी रीशव अवस्था में हैं तथा सुपोभ्य सुदस्यों के अभाव में श्रमिक सघ हितकारिता कार्य को सुचारू रूप से कार्यान्वित नहीं कर सके हैं। तथापि कुछ संघों ने सराहनोप-कार्य अवश्य किया है, जिनमें अहमदाबाद ट्रैकस्टाइल अमिक सघ, मजदूर सभा कानपुर एवं मिल मजदूर सघ इन्डौर प्रसुत हैं। इन्होंने पुस्तकालयों, शिक्षालयों तथा कूलनों की व्यवस्था की है। कानपुर मजदूर सभा ने चिकित्सालय तथा वाचनालय का भी प्रबन्ध किया है। रेलवे सघ ने कोष, बीमे, बीमारी इत्यादि के लिए भी व्यवस्था की है। सहकारी उमितियाँ भी बहुत से स्थानों में उपलब्ध हैं।

उपर्युक्त सभी कार्य बहुत सीमित ज़ेत्र में ही किये गये हैं। आमतौर पर अब तक मजदूर संघों के मच केवल अधिक शोषण की प्रवृत्ति और उस जैसी अनेक कार्य-याहियों पर प्रहार करने के मच रहे हैं और एक बड़ा कार्यज्ञेत्र अम-भृत्याण के रूप में अमी अहूता पड़ा है जिसके द्वारा मजदूरों को आज की अपेक्षा अधिक खुशहाल, उसके बातावरण को अधिक आकर्षक, उसके सामुदायिक जीवन को अधिक सम्बन्ध एवं उसके सामाजिक जीवन को अधिक जागरूक बनाया जा सकता है। कुछ बड़े अम सघ अवश्य इस दिशा में कार्य कर रहे हैं लेकिन वे अपवाद मात्र हैं। यदि अम-सघ इन कामों को अपने हाथ में ले लें तो वे सहज ही में मजदूर सर्व के लिए धरती पर सर्व की रक्षा कर सकते हैं। अम-संघों को वह स्वीकार कर लेना चाहिये कि जब तक ये एक खुशहाल भविष्य के निर्माण की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेंगे तब तक उनका कोई भी प्रयत्न अमिक सर्व के लिए धरती पर सर्व की रक्षा नहीं

कर सकेगा। अमर खंडों के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि वे इस मामले में जागरुक हों और स्थिति को परखें क्योंकि “समय और तृफान मिसी की प्रतीक्षा नहीं करता।”

अलीचनात्मक अध्ययन एवं उपसहार

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्टतया विदित होता है कि भारतीय श्रमिकों की कार्यक्षमता बुद्धि तथा कल्याण के हेतु अब तक जितने प्रयत्न दुये हैं, अत्यन्त अल्प हैं। यद्यपि हमारी सरकार ने विभिन्न अन्दर केंद्रों में अनेक सुविधाओं को प्रदान करने का प्रयत्न किया है परन्तु अमिकों की अधिकृतता, अमिक सभों में धन का अभाव आदि को देखते हुए यह सुविधाएँ तुच्छ हैं। पूँजीपति अमर कल्याण के प्रति उदासीन हैं अतः हमारी सरकार का यह प्रमुख कार्य होना चाहिए कि यह उद्योगपतियों पर ऐसे अन्धन लगाये जिससे वे अमरकल्याण काम में सहयोग प्रदान करने के लिए बाध्य हो जायें। अमर कल्याण केन्द्रों को बढ़ाना चाहिये। इन सब के अतिरिक्त उद्योगपतियों को भी इसका महत्व समझना चाहिये। क्योंकि उद्योग के कुशल सञ्चालन के लिए श्रमिकों का सतुष्ट एवं स्वस्थ होना आवश्यक है।

अमर अनुसंधान कमेटी के अनुसार उद्योगपति अमरकल्याण के प्रति अत्यन्त उदासीन हैं। परन्तु युग परिवर्तन के साथ-साथ उन्हें भी चलना होगा। अब श्रमिक शोषण को नहीं सह सकता और अब इसके साथ न्याय एवं समानता को प्रदान करने की तीव्र आवश्यकता है। अतः श्रमिकों की समस्या को सुलझाने में एक मानवीय हाजिकोण उत्पन्न किया जाय, तभी भारतीय अमिक विश्व के अन्य राष्ट्रों के श्रमिकों की भावि शक्तिशाली होकर देश का नवनिर्माण कर सकेगा। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार तथा उद्योगपतियों को समझना चाहिये कि अमर कल्याण पर किया गया व्यय एक प्रकार से उनकी पूँजी है जो श्रमिकों की कार्यक्षमता में बुद्धि के कारण अधिक उत्पादन के रूप में पुनः प्राप्त हो जायगी। अमर कल्याण की समस्या को सुलझाने के लिए मानवीय हाजिकोण अपनाना होगा तभी निरीह एवं जर्जरित भारतीय अमिक अन्य राष्ट्रों के श्रमिकों के हमज़ कार्यकुशल होकर देश के आर्थिक विकास की नींव ढाकर सकेगा। बास्तव में अमर कल्याण मानवता के नाते श्रमिकों का जन्म दिल्ल अधिकार है जिससे उनको बनित रखना चामाजिक अन्याय है।

“When the industrial and economic system of a country had been conducted over a series of years, on the policy and practice of rugged individualism, which treated labour

as a commodity, brooked no opposition of any kind and defied the Government and even God Himself to say No ! to its operations, the ground work for a first class industrial conflict had been layed."

अतः देश में औद्योगिक शान्ति, सपाजवादी अर्थ-व्यवस्था एवं आर्थिक विकास की आधारशिला अम कल्याण पर ही निर्मित की जा सकती है। अम कल्याण पर ही भारत का उच्चब्रह्म भविष्य अवलभित है।



थ्रम-सम्बन्धी अधिनियम

(Labour Legislation)

पिछली शताब्दी के अन्त तक राज्य का उद्योगों पर कोई भी हस्तक्षेप न था और न अभिको से ही कोई विशेष सम्बन्ध था। फैक्टरी कानून के न होने के कारण उद्योगपति अभिको का मुख्यतया खी एवं बच्चों का शोषण करने के लिए स्वतन्त्र थे। काम करने के घटे लम्बे, इम मजदूरी एवं पैक्टरी में काम करने की शर्तें अमानुषिक थीं। उस समय काम करने वाले बच्चों की आयु, सप्ताह में तुहिगाँ एवं मरीजों में चोट खाये हुये अभिको के लिए कोई सुविधा न थी। यद्यपि भारत में श्रीदेवीगिक विकास का प्रारम्भ देर से हुआ रिन्हु यहाँ के उद्योगपति पाश्चात्य अनुमति से लाभ न उठा सके। अहातों की वस्तियाँ एवं अधिक आशादी ने अभिको के स्वास्थ्य एवं उनकी कार्य क्षमता पर बुरा प्रभाव डाला और इसके साथ ही साथ राष्ट्र का उत्पादन भी घटेकर्तृत कर रहने लगा।

अमिक अधिनियम की आवश्यकता

समय के विवर्तन के साथ साथ शताब्दियों से शोषित एवं पीड़ित अभिको के जीवन में नई चेतना एवं स्फूर्ति का प्रादुर्भाव हुआ। अभिको वी दयनीय स्थिति ने भारतीय सार्वजनिक कार्यकर्ताओं तथा समाज सुवासियों के हृदय को पिछला दिया। परिणामस्वरूप अभिको ने अपनी दयनीय दशा से कुटकारा पाने के लिए संघर्ष प्रारम्भ कर दिया और उनको अन्य देरा चेवकों वी रहानुभूति भी प्राप्त होने लगी। इसके बाद सही काफ़े की मिलों के विकास पर लकाशायर के उद्योगपतियों में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। उनका विचार या कि फैक्टरी विधान के अभाव म भारतीय बाजार में भारतीय उद्योगपति उनके साथ प्रतिस्पर्धा के लाभ में था। अतः उन्होंने भारतीय सही मिलों पर फैक्टरी कानून लागू करने के लिए सरकार दर दबाव डाला अस्तु १८७५ म बम्बई सरकार ने एक फैक्टरी शायोग वी नियुक्ति वी जिसकी विकारिशी के फलस्वरूप १८८१ में पहला फैक्टरी एक्ट बना, तो भी प्रथम महासुदृतक अभिक अधिनियम पा कोई महत्वपूर्ण स्थान न था। उसके बाद देश के बढ़ते हुए श्रीदेवीवरण, अभिक

वर्गों में वर्गीय आगृति की वृद्धि वथा उनको शक्ति वथा महत्व का शान, भारत सरकार का अन्वर्गप्रौद्य अभिक सघ वथा उसके प्रस्ताव के प्रति उच्चरदायित्व की स्वीकृति वथा वाप्रेस मन्त्रिमण्डलों के आगमन के कारण आमी हाल म एक वही सख्ता में श्रम रुचियम बनाये गये हैं।

कारखाने के नियम (Factory Acts)

Factory Act of 1881

यह प्रथम अधिनियम १०० से अधिक अभिको एवं शक्ति के उपयोग होने वाली फैक्टरी में लागू होता था। इसके अनुसार ७ वर्ष से कम वज्जो का कार्य निषेध और ७ से १२ वर्ष तक के लिए १ घण्टे विश्राम एवं ६ घण्टे कार्य करना निर्धारित किया गया। साथ ही मास में ४ दिन छुट्टी की भी व्यवस्था थी। खो एवं पुरुषों के निए कोई अन्य सुरक्षा नहीं प्रदान की गई।

Factory Act of 1891

प्रथम नियम के अपर्याप्त होने के कारण उन् १८८० के बम्बई फैक्टरी कमीशन और १८८० के फैक्टरी अभिक कमीशन ने नये कानून को पास करने के लिए बाध्य किया। यह ५० अभिको वाले कारखानों पर लागू होता था और इसमें सप्ताह में एक दिन छुट्टी, १२ बजे मध्याह्न से २ बजे तक विश्राम एवं न्यूनतम आयु ६ वर्ष रखी गई। ६ वर्ष से १४ वर्ष तक वालों के लिए ७ घण्टे कार्य, ११ घण्टे छियों के लिए एवं २ घण्टा विश्राम करने की व्यवस्थाएँ की गईं। छियों को द बजे रात्रि से आत् ७ बजे तक काय करना बंजित कर दिया गया। कारखाने के अन्दर कार्य की दशाओं में सुधार, सफाई व रोशनी की भी व्यवस्था निर्धारित कर दी गई।

Factory Act of 1911

सन् १९०५ में बम्बई में विद्युत शक्ति की व्यवस्था होने के कारण कार्य करने के घरों में वढ़ि, लड्डाशायर उद्योगपतियों के शोर और फ्रीर स्प्रिंग कमेटी १९००द की एवं कारखाना भ्रम आयोग की रिपोर्ट ने इस अधिनियम को लागू करने को बाध्य कर दिया। इसमें पुरुषों के लिए १२ घण्टे (आधा घण्टा विश्राम सहित), वच्चों के लिए ६ घण्टे एवं रात्रि में छियों को कार्य करने के लिए बंजित कर दिया।

Factory Act of 1922

सन् १९११ के अधिनियम के पश्चात् एक नया संशोधित अधिनियम बनाया गया जिसमें न्यूनतम आयु ३२ वर्ष हुई और १२ वर्ष से १५ वर्ष तक के लड़कों के

लिए ५ घटे साथ में आधा घटा विश्राम प्रत्येक ४ घटे के पश्चात् नियत किया गया। पुरुषों को १२ घटे प्रतिदिन या ६० घटे सप्ताह में एवं लियों के लिए साथ ७ बजे से पूँ। बजे प्रात तक कार्य न करने की व्यवस्था की गई।

Factory Act of 1934

अमिक बार्थकर्ड, सनाज सुधारकों के आन्दोलन तथा सन् १९३१ के रायल अम आयोग के महत्वपूर्ण सुभावों के आधार पर यह नियम पास किया गया। इसमें १५ से १७ साल वालों का किशोर वर्ग बनाया गया और इसमें ढाकटरी प्रमाण पत्र देना पड़ता था। कार्य के ५ घटे और एक दिवस की सप्ताह में छुट्टी की व्यवस्था की गई। लियों के कार्य के लिए १० घटे एवं रात्रि में लियों तथा बच्चों ने कार्य करने से बंजित कर दिया गया। अतिरिक्त कार्य के अतिरिक्त बतन की भी व्यवस्था की गई। अमिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए व्यवस्था की गई।

Factory Act of 1948

सन् १९३४ के नियमों के दोषों को दूर करने के लिए सन् १९४८ में नया अधिनियम बनाया गया जो १ अप्रैल १९४८ में लागू कर दिया गया।

इस कानून के अनुसार राज्य सरकार को पूर्ण अधिकार दे दिये गये थे। यह सभी कारखानों पर लागू होता है। सामयिक तथा निरतर अमिकों का भेद समाप्त कर दिया गया। राज्य सरकार को उद्योगों के पजीकरण एवं लाइसेंस देने के लिए नियम बनाने के अधिकार प्रदान किये गये। कारखानों के मालिकों को सरकार को १५ दिन के अंदर पूर्ण विवरण देना अनिवार्य कर दिया गया। अमिकों के स्वास्थ्य के लिए, शीतल जल, स्टॉक्टरा, थूकदान एवं स्नानागार की व्यवस्था की गई। ३५० क्यूबिक फीट जगह प्रत्येक अमिक के मध्य होना चाहिये। साथ ही उपहार ग्रही, विश्रामालयों, शिशुग्रह आदि की भी व्यवस्था की गई। ५०० से अधिक अमिकों वाले कारखानों में अमहितकारी आफिसर की नियुक्ति अनिवार्य कर दी गई। प्रतिदिन काम के घण्टे ६, सप्ताह में ५८ घण्टे तथा एक दिन की छुट्टी एवं प्रत्येक ५ घण्टों के पश्चात् ३२ घण्टा विश्राम की तथा कैंटीन स्थापना की भी व्यवस्था की गई। अतिरिक्त काम के लिए दुगमा पतन, न्यूनतम आयु १४ वाल व लड़कों के लिए ४२२ घण्टे काम के रखे गये। लियों व बच्चों के लिए रात्रि ७ से प्रात ६ बजे तक काम करने को निषेध कर दिया गया। एक साल समाप्ति पर दूसरे साल में दस दिन का अवकाश बतन रहित दिया जायगा और बच्चों को १४ दिन का अवकाश मिलेगा। इसके अतिरिक्त ग्रीड अमिकों को ननरन्तर काम करने के बाद २० दिन में एक दिन और बच्चों के लिए प्रत्येक १५ दिन उपरात एक दिन अवकाश का रखा गया।

दूकानों एवं व्यापारिक केन्द्रों के लिए कानून (Legislation for Shops and Commercial Establishments)

रेस्ट्रॉ, गियेटर, व्यापारिक गड्ढो, मनोरजन केन्द्रो में काम करने के दरणों को नियत करने के लिए ब्रिटेन में सन् १९३८ में दूकानों तथा व्यापारिक स्थानों अधिनियम पास किया गया। अधिकतम काम के घण्टे ६॥; ५. घण्टों पर ही घण्टे विश्राम व एक दिन यहाँ में नियत छुट्टी की व्यवस्था की गई। रेस्ट्रॉ के लिए दस घण्टे काम के रखे गये। १९४२ में सरकार ने छुट्टी अधिनियम पास किया जिसमें खुलने एवं बन्द होने के शरणे, अविरिक काम का पारितोषिक, लघेतनिक छुट्टी आदि की व्यवस्था लागू की गई। यह नियम बङ्गाल, सिन्ध तथा पञ्चाब में १९४०, मध्यप्रदेश तथा बरार, उत्तर प्रदेश तथा मद्रास में १९४७ और आसाम में १९४८ में इसी प्रकार के नियम बनाये गये।

पारिश्रमिक का भुगतान नियम १९३६

(Payment of Wages Act 1936)

कारखानों के कर्मचारियों को उचित समय पर बेतन न मिल सकने के कारण भारत सरकार ने १९३६ में यह अधिनियम पास किया जो २८ मार्च १९३७ को लागू हुआ। यह फैब्रिरी, रेलवे और नदि प्रान्तीय सरकार चाहे तो इसे मोटर, साम, ड्राम्बे, और तेल के चेत्रों आदि में लागू कर सकती है। यह अधिनियम उन सभी पर, जो २०० रुपये प्रति मास की मजदूरी के अन्तर्गत आते हैं, लागू होता है। पारिश्रमिक भुगतान की अधिकतम अवधि एक मास है। भुगतान नकद रूपयों में होने चाहिये। नियाले हुए अमिकों का भुगतान दो दिन के अन्दर ही जाना चाहिये।

न्यूनतम मजदूरी नियम (Minimum Wages Act of 1948)

भारत सरकार ने १९४८ में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम न्यूनतम मजदूरी को नियत करने के लिए धूसास किया जिसमें प्रान्तीय सरकार को यह अधिकार दिया गया कि वह न्यूनतम मजदूरी विभिन्न प्रकार के पेशों, व्यवसायों एवं कारखानों में नियत करे। यह न्यूनतम मजदूरी श्रीदोगिक नीति को दृष्टि में रखते हुए केन्द्रीय सलाहकार परिषद् एवं प्रान्तीय बोर्ड द्वारा की जायगी। इन उमितियों में अधिकारी वर्ग, कर्मचारी एवं स्वतन्त्र चब तु या तिहाई संख्या से अधिक नहीं होगे। साताहिक छुट्टी, कार्य करने के घण्टे भी प्रान्तीय तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा उन स्थानों पर ज्ञहाँ पर यह अधिनियम लागू होता है नियत किये जायेंगे। कुछ अपवादों के अतिरिक्त मजदूरी नकद में नियत होंगी। यह मजदूरी निम्न प्रकार से किन्हीं एक के आधार पर नियत हो सकेगी—

- (१) Basic rates;
- (२) Cost of living,
- (३) Cash value of Concessions.

खानों एवं उद्यानों में काम करने वालों की मजदूरी नियत करने के लिए सन् १९५० में उनिव भूत्ति विजेयक प्रस्तुत किया गया किन्तु अपी तक पार नहीं किया गया है।

आईसोगिक सालियकी नियम (Industrial Statistics Act)

यह नियम उपस्थित, एह, पानी, सच्चिता, किराया, मजदूरी, वार्ष के घरटे, अमिकों को दिये जाने वाले फैड आदि के ग्रांफङ्गों को एकत्र करने के लिए पास किया गया है। यह कार्य आईसोगिक सालियकी सचालक (Director of Industrial Statistics) प्रान्तीय सरकार के द्वारा किया जाता है जो कि निरन्तर गजटों में व अप व्यूरो द्वारा प्रकाशित होते हैं।

खानों का नियम (Mining Legislation)

सरकार का प्रथम प्रयत्न जो कि कोशले की खानों के कर्मचारियों के लिए किया गया था सन् १९०१ में सरकार द्वारा एक अधिनियम पास किया गया जो कि सन् १९२३ में भारतीय खान अधिनियम (Indian Mines Act) के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस नियम में ग्रनेको बार सशोधन किये गये। अन्त में १९५२ में वह भारतीय खान अधिनियम पास किया गया।

Indian Mines Act of 1952

यह अधिनियम जम्मू एवं काश्मीर को छोड़ कर सम्पूर्ण भारत पर लागू होता है।

इस अधिनियम के अनुसार अधिकतम वार्ष बरने वे ६ घरटे नियत किये गये जो जमीन के ऊपर कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिये था और जमीन के अन्दर कार्य करने वालों के लिये द घरटे तथा प्रौढ़ कर्मचारी के लिये ४८ घरटे रासाह में नियत किया।

सरह पर काम करने वाले कर्मचारी जो देढ़ गुरी और रातह के नीचे कार्य करने वाले कर्मचारी को दूनी मजदूरी अविरिक्त कार्य करने के एवज में नियत भी गई।

न्यूनतम आयु सरह के नीचे वाले कर्मचारियों के लिए १७ से १८ वर्ष, तक रक्खी गई। कार्य करने के लिए प्रतिदिन १५ से १८ वर्ष वाले कर्मचारियों के लिए

४२ घण्टे नियत किये गये तथा लिंगों को राहह के नीचे कार्य करने के लिये वर्जित कर दिया गया।

स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं कलाश के लिये फैक्टरी कानून १९४८ के अनुसार इसमें व्यवस्था की गई।

उद्यान अम अधिनियम

(Plantation Labour Legislation)

उद्यानों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए १९६३ से लेकर १९०१ तक अनेक नियम पाल जिन्हे गये विन्यु रायल आयोग के सुभाषा पर टीडिस्ट्रिक्ट्स इमीग्रेंट भग्न अधिनियम (Tea Districts Emigrant Labour Act) सन् १९३२ में पाल हुआ और १९३३ में लागू किया गया और तभी से यह अधिनियम लागू है।

उद्यान अम नियम १९५१

अम जॉब कमेटी ने सन् १९४६ में कार्य करने की शर्तों एवं अनुपस्थिति के लिये पूर्ण रूप से कठुआलोचना की, क्योंकि यगीचों के कर्मचारियों के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं थी। इधी कारबृ से भारत सरकार ने सन् १९५१ में यह अधिनियम बनाया जो सन् १९५४ से लागू किया गया।

इसमें निम्नलिखित मुख्य व्यवस्थाएँ थीं—

(१) यह अधिनियम भारत में अमूर एवं काश्मीर को होड़ कर उन सभी उद्यानों पर लागू होता है, जिनका सेव रेत एकड़ अथवा जिनमें ३० से अधिक व्यक्ति कार्य करते हों।

(२) यह अधिनियम डाइटरी सुविधाएँ, पेशाव एह, पीने का शीतल बल आदि की उचित रूप में उद्यानपतियों द्वारा दिये जाने की भी व्यवस्था करता है।

(३) यह अधिनियम कार्य करने के घण्टे, अनिवार्य विधाम और छुट्टियों को भी नियत करता है।

(४) यह अधिनियम भी सन् १९४८ के फैक्टरी अधिनियम के अनुसार अम कलाश की सुविधाएँ प्रदान करता है। इत अधिनियम की धाराओं को उल्लङ्घन करने पर दण्ड की व्यवस्था है।

अन्तर्राष्ट्रीय अम-संगठन तथा भारतोप्र क्रम-अधिनियम

रम ज्ञ, सन् १९१६ ई० में स्थापित हुए अन्तर्राष्ट्रीय क्रम संगठन (I L O) का भारत एक प्रमुख सदस्य रहा है। यह संघ अप्र सुल राष्ट्र

संगठन (U N O) के अन्तर्गत कार्य कर रही है। अन्तर्राष्ट्रीय अम संगठन सामयिक बैठकें करती रहती हैं और इसमें सभी सभ्य देश के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य अमिक्रों की शोषण से रक्षा तथा उनकी दशा में सुधार करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह संगठन कुछ कन्वेशन्स बनाकर बहुमत से पास करता है तथा कुछ अम-हितकारी सिफारिशें सदस्य राष्ट्रों से करता है। सदस्य राष्ट्रों का वह पवित्र वर्तन्य होता है कि अपने-अपने देशोंमें उन कन्वेशनों तथा सिफारिशों का समावेश भरते हुए अम संनियम बनावें तथा उन्हें कार्यान्वित करें। अब तक इस संगठन ने लगभग १०० से ऊपर कन्वेशन पास किए हैं तथा लगभग इतनी ही सिफारिशें भी भी हैं। भारतीय सरकार ने इनमें से बहुत से कन्वेशन्स स्वीकार कर लिए हैं तथा उन्हीं के आधार पर अम अधिनियम बनाए हैं और राज्य सरकारों ने के द्वारा सरकार का ही अनुकरण किया है। हमारे देश के द्वारा स्वीकृत कुछ मुख्य कन्वेशन्स निम्नलिखित हैं—

| | | | |
|--|----------------------|---------|------|
| (१) कार्य के घटे | (उद्योग) | कन्वेशन | १६१६ |
| (२) रात्रि-कार्य | (स्त्रियाँ) | " | " |
| (३) | (चालकों) | " | " |
| (४) सध निर्माण करने का अभिकार | (कृषि) | " | १६२१ |
| (५) न्यूनतम आयु | (उद्योग) | " | " |
| (६) सासाहिक विधान | (") | " | " |
| (७) बच्चों की डाकटरी जांच | (सनुद) | " | " |
| (८) अभिक्र प्रतिष्ठल | (व्यवसायिक रोग) | " | १६२५ |
| (९) नाबिकों के इकरार के नियम | | " | १६२६ |
| (१०) खाटों का विषयन | | " | १६२८ |
| (११) रात्रि कार्य | (स्त्रियाँ) सशोधित | " | १६३४ |
| (१२) धरातल के नीचे कार्य | (स्त्रियाँ) | " | १६३५ |
| (१३) अम निरीक्षण | | " | १६४७ |
| (१४) रात्रि - कार्य | (स्त्रियाँ) सशोधित | " | १६४८ |
| (१५) बच्चों का रात्रि कार्य (उद्योग) | सशोधित | " | १६४८ |

हमारे देश क समूर्ष अम-अधिनियमों पर अन्तर्राष्ट्रीय अम संगठन द्वारा बनाये हुए कन्वेशन्स की स्पष्ट छाप पड़ी है। हमारे देश के अभिकों का अन्तर्राष्ट्रीय महत्व हो गया है और इस त्रिकार हमारे देश के अभिकों की दशा निरन्तर उच्चम बनती जा रही है तभा शोषण से उनकी रक्षा हो रही है।

कलर बतलाए हुए नियमों के अविरिक अन्य प्रकार के अनेक हितारी अधिनियम भी केन्द्र वथा राज्यों ने बने हैं। निजी व्यापारियों और दूकानदारों के आधान कार्य करने वाले कर्मचारियों की दशा में नुसार करने एवं उनके लिए हुनी इत्यादि की व्यवस्था करने वाले अधिनियम बनाई भी सन् १९३३ में, पकाव और नगाल में १९४० में और मलयालम, मद्रास तथा उत्तर प्रदेश ने सन् १९४७ में बनाये गये। सन् १९४२ में इन्द्रीय सरकार ने साताहिं अवतार अधिनियम बनाया।

अभिनवों के लिए आवार की व्यवस्था करने वाले अधिनियमों में से बांधे हाड़सिंग ओर ऐक्ट १९४८; नगूर लेवर हाड़सिंग ऐक्ट १९४९ और मध्यप्रदेश हाड़सिंग ओर ऐक्ट १९५० के नाम दुख्यता टलेलनीय हैं। चन् १९५४ में राजस्थान विस्तृट स्विमिन राज्यों ने भी बहुत से उपरोक्ती अधिनियम बनाये थे।

उपरहार

इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे देश की वर्तमान सरकार की पूर्ण सही उम्मीद अभिनवों के साथ है। अन्य गौणोगिक देशों का उमान ही हमारी सरकार ने अभिनवों को न्यायपूर्ण एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार प्रदान करने तथा अभिनवों की शोल्ल से रक्षा करने एवं उनकी दशा को मुशारने के उद्देश्य से बहुत चे धनिक अधिनियम बनाए हैं। अम अधिनियम के इतिहास से वह स्वाठ हो जाता है कि इस दिशा में हमारे देश ने हड्डा से कदम बढ़ाया है और नहुत तेजी से प्रगति कर रहा है।

श्रम-संघ

(Trade Unions)

विशालराय उद्योगों के बन्म के साथ ही साथ पूँजी की विशाल शक्ति का प्रानुभाव हुआ। पूँजीवाद के अनुर के प्रयोग के बारण अमिको द्वारा पूर्णरूप से पूँजीपतियों के आनंद में समर्पण करना पड़ा। पूँजीपतियों ने अमिको न आश्रित होने के बारण उनका शोषण प्रारम्भ कर दिया। अमिको की स्थिति दयनीय हो उठी। निर्धन एवं शक्तिहीन अमिको द्वारा पूँजीपति प्रतिद्वन्द्वी के शोषण से रहा करने एवं अपनी दयनीय स्थिति में सुधार करने के लिए व्यक्तिगत प्रयास द्वारा सफलता प्राप्त करना असम्भव था। 'एकता में बल है' सिद्धान्त के अनुसार अमिको द्वारा शोषण से रहा करने एवं अपनी दयनीय स्थिति में सुधार करने के लिए सामूहिक रूप से प्रयत्न करना अनियार्थ हो गया। फलस्वरूप पूँजीवाद शोषण के प्रिक्षद प्रतिक्रिया के रूप में 'श्रम-संघ आनंदोलन' वा उद्भव हुआ, जिवका मूलाधार 'संगठन' है। संगठन में ही शाक है। वास्तव में श्रम-संघ शोषित, निर्धन एवं जबरित अमिको की ओर से पूँजीवादी शक्ति का प्रत्यक्तर था, अत इस आनंदोलन का आनुनिक विशालराय उद्योगों का शिशु बहने में अविशयोक्त न होगी।

परिभाषा

संक्षिप्त विचारधारा के अनुसार अमिको का वह संगठन जो अमिको की काय करने की दशाओं तथा पूँजीपतियों के शोषण से सरक्षण के उद्देश्य से निर्माण रिशा जाता है, 'श्रम संघ बहलाता है।' इस संगठन का काय मूल रूप से रोजगार की दशाओं द्वारा अमिको को श्रीधारिक प्रतियोगिता के दूषण बातावरण से मोक्ष प्रदान करना है। इस विचारधारा का समर्वत सिद्धनी पव वेब ने भी किया है कि उनके निम्न शब्द से लग्ज है—

"श्रम संघ अमिको का एक स्थायी संगठन है जो उनके कार्य जीवन की दशाओं के सरक्षण पर समर्द्धन के उद्देश्य से निर्माण किया जाता है।"

¹ A continuous association of wage earners for the purpose of maintaining or improving the conditions of their working —Sidney & Webb

विस्तृत श्रथों में श्रम सघ से तात्पर्य के बहल श्रमिकों के संगठन से ही नहीं होता, वरन् इसका अर्थ किसी उद्योग के मालिक, कर्मचारी एवं स्वतन्त्र कार्यकर्ताओं के एक पेंचे संगठन से होता है जो अपने सदस्यों के एवं उस व्यापार के हितों की रक्षा के मुख्य उद्देश्य से, जिनका ये प्रतिनिधित्व करते हैं, निर्भित किया जाता है। व्यावहारिक हाईटि से श्रम सघ की परिभाषा चकुचित हाईटिकों से ही अधिक उपयुक्त प्रतीत होती है क्योंकि निर्वन श्रमिकों को ही वास्तव में शोषण से रक्षा करने के लिए संगठन की आवश्यकता है।

उद्देश्य (Aims and objects)

श्रम सघ का मूल उद्देश्य श्रमिकों को पूँजीपतियों के शोषण से सुरक्षा प्रदान करना है। व्यक्तिगत रूप से पूँजीवादी शक्ति पर विजय प्राप्त जरना श्रमिकों जी शक्ति के बाहर था। अतः सामूहिक रूप से ही वे अपने को शोषण से बचा सकते थे। पूँजीपतियों पर पूर्ण ऊपर से आश्रित होने के कारण वदान्वित व्यक्तिगत प्रवास द्वारा श्रमिक कभी भी अपने पारिश्रमिक में बूढ़ि न करा सकता। श्री हैमिल्टन (Mr. Hamilton) ने ठीक ही लिखा है—

“An employer can do without any one of them; he cannot do without all of them. Unity gives strength”

उपर्युक्त उद्देश्य के अतिरिक्त श्रम सघ के अन्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं—
श्रमिकों की कार्य करने एवं रहने की दशा में सुधार

सामूहिक रूप से समझौते द्वारा श्रम सघ श्रमिकों के कार्य करने के घटों में कभी, फैक्ट्री के अन्दर प्रकाश एवं स्वच्छ वायु की व्यवस्था, मर्दीनों द्वारा होने वाली दुर्घटनाओं से लुरक्षा, उचेतन छुट्टियों की व्यवस्था आदि जो, कार्यान्वय कराने का भी प्रयत्न बैबल राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, वरन् अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करते हैं। इसके अतिरिक्त सामाजिक लुरक्षा एवं श्रम कल्याण कार्यों द्वारा ये श्रम सघ श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार बनने वा त्वय प्रयाप करने के अधिकार सरकार तथा उद्योगपतियों को भी इच्छेव में सक्षित भाग लेने के लिए योग्यता करते रहते हैं। आधुनिक श्रम सघ का तो श्रम कल्याण कार्य एक अमिन्ज अग बन गया है।

लमाजतारा, एवं औद्योगिक शास्त्रि, स्थापित, जगत्.

सामूहिक शक्ति के कारण श्रम-सघ पूँजीवादी शक्ति के समान हो जाते हैं और दीन-हीन श्रमिक प्रपत्ति को उतना ही शक्तिशाली पाता है जिनका सदस्य प्रतिद्वन्द्वी। इस प्रतार उमानता लाने वा ही श्रम-सघ का नुस्ख उद्देश्य होता है क्योंकि जिना इसके श्रम-सघ अपने अन्य उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसी समानता के कारण ही

श्रमिकों में उचित भाव ताव करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। यही कारण था कि कार्ल्मार्क्स (Karl Marx) ने कहा था—

“Workers of the world unite, you have nothing to lose but your chains.”

समाजता के कारण ही अम सघ इस स्थिति में होता है कि उद्योगपति इसकी अवहेलना न कर सकें। पूँजीपति अपनी मनमानी नहीं कर सकता और उसको समझीते द्वारा कार्य करने के लिए विवश होना पड़ता है। इस प्रकार श्रमिकों एवं पूँजीपतियों में समाजता लाकर ग्रोवोगिक शान्ति की सुरक्षा करना भी अम सघ का एक आवश्यक उद्देश्य होता है।

राजनैतिक चेत्र में प्रभुत्व

समय की गति के साथ ही साथ अम सघ के उद्देश्यों में भी निरन्तर वृद्धि होती चली गई और आज हम देखते हैं कि राजनैतिक चेत्र में अपने प्रभुत्व स्थापित करना भी अम-सघ का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बन गया है। इसका मुख्य कारण यह है कि आधुनिक प्रजातत्र में सरकार द्वारा श्रमिकों की दशा में सुधार करवाने के लिए अम सघ का राजनैतिक चेत्र में पदार्पण करना आवश्यक हो गया। कार्ल-मार्क्स (Karl Marx) के शब्दों में—

“The political movement of the working class naturally has as its final aim the conquest of political power for it”

लाभ (Advantages)

मिस्टर चर्चिल (Mr Churchill) के शब्दों में—

“Trade Unions are those institutions which lie so near the core of our social life and progress, and have proved that stability and progress can be combined.”

वास्तव में अम-सघ श्रमिकों, उद्योगपतियों एवं सामाज्य जनता सभी के लिए लाभकारी हैं जैसा कि निम्नलिखित विवेचन से स्पष्ट हो जाता है—

श्रमिकों को लाभ

जहाँ तक श्रमिकों का सम्बन्ध है उनके लिए तो अम सघ वरदान स्वरूप है। अम सघ द्वारा ही वे अपनी शोषण से रक्षा करने, अपनी कार्य करने एवं रहने की दशाओं में सुधार करने, एवं राजनैतिक चेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित करने की क्षमता एवं सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। वाहाल में अम सघ श्रमिकों के जीवन में

नवीन आशा का सचार करने एवं नवीन चेतना तथा सूर्ति प्रदान करने का एक मात्र साधन है। प्रो॰ एन॰ जी॰ रंगा (Prof. N. G. Ranga) ने टीक ही लिखा है—

“It is only one of the great social and economic weapons, that industrial labour has, to emancipate itself from its present dependence upon capitalism and to win for it, in co operation with the other sections of toilers, complete political and economic power in modern society”

यह अम-सघों की ही देन है कि आन श्रमिक को न वेबल एक राष्ट्र विशेष में वरन् विश्व में सम्मानित स्थान प्राप्त हो सका है।

उद्योगपतियों को लाभ

उद्योगपतिया एवं श्रमिकों के बीच आपसी समझौते अम सघ के कारण ही सम्भव हो पाते हैं। उद्योगपति प्रत्येक श्रमिक म व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करने में सर्वेषा असफल रहता। पारस्परिक समझौतों के कारण श्रीद्योगिक शान्ति की व्यवस्था अत्यन्त सखल हो जाती है। श्रीद्योगिक शान्ति वी स्थापना उद्योगपतियों के लिए अत्यन्त लाभप्रद है, इसमें सन्देह नहीं। श्रीद्योगिक शान्ति पर ही उद्योगपतियों का उत्पादन एवं लाभ निर्भर है।

सामान्य जनता को लाभ

श्रीद्योगिक प्रगति पर ही किसी भी राष्ट्र के देशवासियों का मुख एवं समृद्धि निर्भर है। श्रमिकों वी ही सम्पन्नता पर राष्ट्र का उत्पादन निर्भर है। इस प्रकार अम सघ श्रमिकों के बीचन को मुखी बना कर समूर्य राष्ट्र वी सम्पन्नता में वृद्धि करने में सहायक होते हैं। इसके अतिरिक्त श्रमिकों वी आय में वृद्धि करके अम सघ समाज में घन वी विषम विनाश वी समस्या का समाधान भी करते हैं। ‘समानता’ ही इन अम-सघों का मूल उद्देश्य है और ‘समानता’ ही समाजवादी अर्थ-व्यवस्था का मूलधार है। यदि इन अम सघों को समाजवादी अर्थ व्यवस्था का प्रथम व्यावहारिक शिक्षालय कहा जाय तो कदाचित् अतिशयोक्ति न होगी। अर्नेस्ट बेविन (Ernest Bevin) का मत है—

“The Central idea of Trade unions is the liberty of the ordinary man and the right relationship between fellowmen. Is not this also the central idea of democracy?”

ऐतिहासिक सिंहावलोकन

भारत में विदेशी सत्ता के बारण औद्योगिक विकास की गति अति मन्द रही। वास्तव में जब पाश्चात्य जगत में औद्योगिक विकास अपनी उन्नति की चरम सीमा पर पहुँच रहा था भारत में औद्योगिक विकास की नींव डाली जा रही थी। औद्योगिक विकास न होने के कारण भारत में श्रम संघों की आवश्यकता का अनुभव न किया जाना स्वामाविक ही था। परिणामस्वरूप श्रम सघ आन्दोलन की गति मन्द रहना अनिवार्य था। राजनीतिक दासता के बारण देशवासियों में विकास की भावना भी मर चुकी थी और विदेशी सत्ता का यहाँ के देशवासियों के विकास से सम्बन्ध ही क्या था। असुरक्षार भी इस दिशा में तिळ्कुल उदासीन रही।

र्व ग्रथम सन् १८७५ में धनियों की—विशेषतया हिंद्यों तथा बच्चों की—दयनीय स्थिति की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट हुआ और साथ ही साथ सुरक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से कुछ उत्साही युवकों ने श्री सोराज जी शापुर जी बगाली के नेतृत्व में एक आन्दोलन प्रारम्भ किया, परन्तु यह खफल न हो सका। इस आन्दोलन को वास्तविक अर्थों में श्रम सघ आन्दोलन भी नहीं कहा जा सकता था।

भारत में र्व ग्रथम श्रम सघ स्थापित करने का थेय श्री लोकस्वाम्दे को ही जिन्होंने सन् १८८० में “बम्बई मिल श्रमिक सभा” (Bombay-Mill Hand's Association) स्थापित करके श्रम सघ आन्दोलन का शीगरेणा किया। परन्तु श्री लोकस्वाम्दे की मृत्यु के बारण आन्दोलन की प्रगति अवश्द हो गई। सन् १८८७ में “रेलवे कर्मचारी राष्ट्रीय सघ” (National Union of Railwaymen) का जन्म हुआ। सन् १८०५ तथा १८०७ में क्रमशः “कलकत्ता प्रेस कर्मचारी सघ” एवं “बम्बई बन्दरगाह कर्मचारी सघ” का प्रादुर्भाव हुआ। सन् १८१० में बम्बई के सनाथ सेवियों द्वारा “कामगर हितवर्धक सभा” की स्थापना की गई। परन्तु इन सभी को सुगठित आधार पर निर्मित न होने के कारण श्रम सघ की सहा नहीं प्रदात की जा सकती। वास्तव में वे समाज जड़पाण संस्था के रूप में ये जिनका उद्देश्य सदस्यों के हित में कल्याणकारी कार्य करना था।

ग्रथम महायुद्ध एवं उसके उपरात १८८६ तक

वास्तव में आधुनिक ग्रथों में श्रम सघ आन्दोलन का सूखपात्र ग्रथम महायुद्ध के उपरान्त ही सम्भव हो सका। इसके कारण निम्नलिखित थे—

(१) औद्योगिक विकास का शिलान्यास ग्रथम महायुद्ध काल में ही हुआ। परिस्थितियों के अनुकूल होने के बारण विभिन्न प्रकार रेत उद्योगों का जन्म हुआ। अत श्रम सघ आन्दोलन का युद्धोपरान्त गतिशील होना स्वामाविक ही था।

(२) सुदूरकान में बस्तुओं के मूलर नड़ जाने से कारण उद्योगपतियों ने तो सूख

लाम उठाया परन्तु श्रमिकों की मजदूरी में कोई विशेष परिवर्तन न हुआ जिसके कारण श्रमिकों में असतोष की मावना व्याप्त हो गई।

(३) युद्ध के समाप्त हो जाने पर मन्दी के बुग में श्रमिकों की छुटनी प्रारम्भ हो गई तथा उनकी मजदूरी भी कम कर दी गई जिसके कारण उनमें और भी अधिक असतोष बढ़ा।

(४) महात्मा गांधी द्वारा सचालित स्वराज आन्दोलन ने श्रमिकों में ही नहीं बर्ख उमस्त देशवालियों में नवीन चेतना एवं जागृति का प्रादुर्भाव किया। परिणाम स्वरूप श्रमिक आपने मविष्य के प्रति पूर्णरूप से जागरूक हो उठा।

(५) सन् १९२७ में रुस की क्रान्ति की सफलता न तो सारे विश्व के श्रमिकों में उत्ताह की एक नई लहर उत्पन्न कर दी।

(६) सन् १९२० में भारत अन्तर्राष्ट्रीय अम संघ का सदस्य बन गया था जिसके कारण श्रमिक वर्ग को अन्तर्राष्ट्रीय अम दशाओं से पूर्ण परिवर्य प्राप्त हो सका। परिणामस्वरूप हमारे देश के अप संघ आ दोलन को नवीन शक्ति प्राप्त हो गई।

उपर्युक्त सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों के कारण श्रमिकों में जागृति हुई और वे अपनी दयनीय अपन्या को मुश्किले के लिए प्रयत्नशील होने लगे। यही कारण था कि १९१६ से १९२१ तक हड्डालों की बाढ़ ही आ गई और प्रत्येक हड्डाल ने एक अस्थाइ अम सहू को बन्म दिया। श्री० आर के० दास के शब्दों में—

“युद्धोत्साह, राजनीतिक आन्दोलन एवं क्रान्तिकारी आदर्शों के प्रभाव से श्रमिक वर्ग आर्थिक रिथिलताओं एवं मामानिक अन्यायों के प्रति धैर्यवान और सहनशील न रह सका।”

सर्व प्रथम सुसगठित अम संघ बनाने का श्रेय श्री बी० पी० बाडिया जो है जिहोने सन् १९१८ में “मद्रास अम सहू” की मद्रास में स्थापना की। एक वर्ष में ही इस सहू की सदस्य संख्या २०,००० हो गई। श्री लोकनाथन (Shri Loka Nathan) के शब्दों में—

Not one textile worker in the city of Madras remained out of the union and the union became more and more powerful in a short period.

सन् १९१८ में १० अम सहू—५ बम्बई, २ मद्रास और एक-एक बहाल, उत्तर प्रदेश तथा पञ्जाब—में स्थापित किये गये। इनमें से नुख्य दो “The Employees' Association Calcutta”, “The Seamen's Union Bombay” एवं “M S M Railway Union Madras”

सन् १९२० में और भी बहुत से श्रम सङ्हों की स्थापना हुई। इसी वर्ष “अखिल भारतीय श्रम संघ कांग्रेस” (The All India Trade Union Congress) का जन्म हुआ जिसमें अन्य ६४ अम सङ्ह विलीन हो गये और इसकी सदस्य संख्या १, ४०, ८५४ हो गई। “अहमदाबाद टेक्सटाइल श्रम सङ्ह” जिसकी स्थापना १९१८ में की गई थी, की सदस्य संख्या १९२० में १६, ४५० थी। सन् १९२० में १२५ अम सङ्हों की सदस्य संख्या कुल मिलाकर २, ५०, ००० थी। इन सभी श्रम-सङ्हों को सुरक्षित एवं मुनियोजित रूप से कार्य करने के लिए अखिल भारतीय आधार पर स्थापित करने की आवश्यकता हुई। इसके अतिरिक्त इसी वर्ष जिनेवा में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-सम्मेलन (International labour Conference) के लिए भारतीय प्रतिनिधियों के जुनाव का प्रश्न भी उपस्थित हुआ। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ‘अखिल भारतीय श्रम-सङ्ह कांग्रेस’ की स्थापना की गई। यह श्रम सङ्ह भारतीय कांग्रेस के तत्वाधान में सर्व प्रथम अखिल भारतीय श्रम सङ्ह था। सन् १९२२ में ‘अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी केडरेशन’ की स्थापना हुई और प्रायः सभी रेलवे कर्मचारी सङ्ह इसमें विलीन हो गये। यह सङ्ह आज भी सबसे शक्तिशाली श्रम सङ्हन है।

इस काल में श्रम सङ्हों का पर्याप्त विकास हुआ, परन्तु उनका सचालन सुट्ट एवं सुध्यवस्थित आधार पर न हो सका। इसका मूल कारण कानूनी संरक्षण का अभाव था। सन् १९२१ में श्री वाडिया द्वारा स्थापित किए गये सङ्हों को मद्रास के उच्चतम न्यायालय द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया। अतः अब यह अनुभव किया जाने लगा कि श्रम सङ्ह के संगठित एवं व्यवस्थित विकास के लिए वैधानिक मुरक्का अत्यन्त आवश्यक है। अतः सन् १९२१ में श्री एन० एम० जोशी ने एक ‘श्रम सङ्ह विल’ (Trade Union Bill) संसद के समक्ष प्रस्तुत किया, परन्तु वह पास न हो सका। इसके उपरान्त निरन्तर सधर्व करने के पश्चात् सन् १९२६ में ‘भारतीय श्रम सङ्ह कानून’ पास हो सका।

सन् १९२६ से द्वितीय महायुद्ध तक

सन् १९२६ में भारतीय श्रम-सङ्ह कानून पास हो जाने के उपरान्त भारतीय श्रम सङ्ह आन्दोलन के इतिहास में एक नवीन अध्याय का प्रारम्भ हुआ। इस कानून के अन्तर्गत रजिस्ट्री शुदा श्रम सङ्हों को कानूनी संरक्षण प्रदान किया गया। अब सङ्ह के पदाधिकारियों पर सध सदस्यों के हित में फी गई हड्डालों या अन्य कार्यों के कारण दीनानी या फौजदारी अदालतों में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था। इस कानून में सन् १९४७ में सशोधन हुआ जिसके अनुसार श्रम अदालत (labour

Court) के आदेश पर उद्योगपति को अनिवार्य रूप से श्रम सहू को मान्यता देनी होगी। यदि मालिक श्रम सहूओं के संगठन में वाशा ढालें अथवा श्रम सहू के कामों में भाग लेने के आधार पर किसी सदस्य या पदाधिकारी को नौकरी से छलग कर देते हैं या भेद भाव का व्यवहार करते हैं तो वे १००० रुपये तक अर्थ दण्ड के मामी होंगे। मान्यता प्राप्त श्रम सहूओं की कार्यसारिणी उभाओं दो मालिकों के साथ रोजगार सम्बन्धी वातचीत करने का अधिकार भी प्रदान किया गया।

श्रम सहू कानून बन जाने के कारण इस आनंदोलन की प्रगति की गति को अत्यधिक प्रोत्साहन दिला और यह आनंदोलन निरन्तर विकास की ओर बढ़ता गया। परन्तु सन् १९२६ के उपरान्त मन्दी के युग के पदार्पण होने पर उद्योगपतियों के साम कम होने तर्गे जिसके कारण उन्होंने छुटनी, वालाबन्दी इत्यादि का सहारा लेना प्रारम्भ कर दिया। अमिको में भी असतोष का बढ़ना स्वाभाविक ही था। परिणामस्वरूप इस काल में हड्डतालें भी अधिक होने लगीं। अमिको की स्थिति तुधार के लिए श्रम सहूओं में दो विचारपाठाओं का प्रादुर्भाव हुआ—एक तो वे लोग ये जो अर्हिषुपात्रक ढङ्ग से समस्याओं के सुलझाने के पक्ष में थे और दूसरी ओर वे लोग जो हिंसात्मक तरीकों के अपनाने के पक्ष में थे। कम्युनिस्ट भी इस द्वेष म पदार्पण कर चुके थे। इन सब का परिणाम यह हुआ कि सन् १९२६ के उपरान्त श्रम आनंदोलन का नेतृत्व एक प्रकार से साम्यवादियों और वाम पक्षियों के हाथ ग आ गया। श्रम सहू की ओर इन लोगों ने राजनीतिक विचारों के अनुराग उग्र कार्य वरने आरम्भ कर दिये। वास्तव में अब श्रम संघ राजनीतिक क्रियाओं के सङ्घभच बन गये। इस प्रकार श्रम सहू आनंदोलन के समूल जो निरन्तर उन्नति की ओर अग्रसर हो रहा था, एक भीषण सन्दर्भ उपस्थित हो गया। साध्यवादी तत्वों के समावेश होने के कारण “गिरनी कामयर सहू” को जिसका निर्माण १९२६ में हुआ या हिंसा तथा अशांति के लिए कानून उत्तरदायी ठहराया गया। इसके बारण श्रम सहू बदनाम हो गये। दो विचारपाठाओं के प्रादुर्भाव के कारण आपसी मतभेद हुआ और “अखिल भारतीय श्रम सहू कामेस” (A. I. T. U. C) दो दलों म विभक्त हो गया। उदार दल जै श्री एन० एम० जोशी एवं श्री यिकाराम के नेतृत्व में राष्ट्रीय श्रम सहू केंद्रेयन (National Trade Union Federation) के नाम से एक नया संघठन स्थापित किया। यह फूट का अकुर निरन्तर विस्तार करता गया जिसके कारण सन् १९३३ में चार अखिल भारतीय श्रम संघ बन गये—

(१) भारतीय राष्ट्र श्रम सहू कामेस (INTUC),

(२) अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी फेडरेशन (All India Railway-men's Federation),

(३) अम सहौं का भारतीय फेडरेशन (Indian Federation of Trade Unions),

(४) भारतीय राष्ट्र लाल अम सहूं कांग्रेस (All India Red Trade Union Congress)।

अम सहूं आदोलन म पुन स्फुर्ति देने के प्रयत्नों के बारण कुछ समय उपरात भारतीय राष्ट्र अम सहूं कांग्रेस एव भारतीय राष्ट्र लाल अम सघ कांग्रेस दोनों ही ‘अखिल भारतीय अम सहूं कांग्रेस’ (A I T U C) ने नाम से एक ही समठन में समुक्त हो गई। “अम सहौं का भारतीय फेडरेशन” एव “अखिल भारतीय रेलव कर्मचारी फेडरेशन” दोनों मिल कर ‘राष्ट्रीय अम सहूं फेडरेशन’ (National Trade Union Federation) र अन्तर्गत समागठत हो गई यह सहयोग सन १९४० तक निर तर चलता रहा।

द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ होने पर अम सहूं कांग्रेस ने युद्ध में ठडस्य रहने का निश्चय किया पर तु एम० एन० राय क समर्थक पूर्ण सहयोग के पक्ष म थे। परिणाम स्वरूप आ राय ने “अमिनों ना भारतीय फेडरेशन” (Indian Federation of Labour) नामक अम सहूं की स्थापना की जिसको सरकारी सहायता भी प्राप्त होने लगी, किन्तु इस सघ को जन यहयोग न प्राप्त हो सका। इसक अतिरिक्त कांग्रेस के प्रमुख नेताओं के गिरफ्तार हो जाने क कारण “अखिल भारतीय अम सघ कांग्रेस” (A I T U C) पुन साम्यवादियों के हाथ में आ गई।

द्वितीय महायुद्ध के उपरान्त वर्तमान समय तक प्रगति

सन् १९४७ म भारत स्वतन्त्र हुआ और शासन की बागडोर कांग्रेस ने सम्भाली। कांग्रेस के प्रमाण क फलस्वरूप “भारतीय राष्ट्र अम सघ कांग्रेस” (I N T U C) सुदृढ आधार पर संगठित हुइ। इसी वर्ष समाजवादियों ने “हिन्द मजदूर सभा” का निर्पाण किया। सन् १९४८ में प्र० टी० शाह ने “समुक्त अम सहूं कांग्रेस” (United Trade Union Congress) की स्थापना की। इस प्रकार स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरात अम सहूं आदोलन को पुन जीवन मिला और अमिन सहौं में पर्याप्त विकास समय हुआ जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट होता है—

| वर्ष | मान्यता प्राप्त अम सहौं की सरया | सदस्य संख्या (हजारों में) |
|------|---------------------------------|---------------------------|
|------|---------------------------------|---------------------------|

| | | |
|---------|------|------|
| १९४६ ४७ | १७२५ | १३३२ |
| १९४८ ५० | ३३६५ | १८२१ |
| १९५३ ५४ | ४६२७ | २१२५ |

वर्तमान समय में प्रसुत रूप से चार अखिल मार्कीय शम संगठन हैं—

(१) भारतीय राष्ट्र शम संघ कांग्रेस (I N. T U C) कांग्रेस के प्रभाव में है।

(२) अखिल मार्कीय शम संघ कांग्रेस (A I T U C) साम्यवादियों के प्रभुत्व में है।

(३) हिन्द मजदूर सभा (H M S) समाजवादियों के नेतृत्व में है।

(४) सुनुक शम संघ कांग्रेस (U T U C) वामपक्षीय प्रभाव में है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि स्वतन्त्रता के उपरान्त शम संघ आनंदोलन ने आशाजनक प्रगति की है, परन्तु राजनीतिक प्रभावों के अन्तर्गत कार्य करने के कारण इनका आधार दृढ़ नहीं कहा जा सकता। यहूत से शम संघ तो भारत में चेवल नाम के लिए है। यहूत से शम संघों की सरस्या हड्डताल इत्यादि के उमय तो बद जाती है परन्तु बाद में बहुत कम हो जाती है। राजनीतिक कार्यों में अधिक रमान होने के कारण, श्रमिकों की इन संघों पर आत्मा का मी अभाव है। यही कारण है कि श्री वी० वी० गिरि का मत है—

“The Trade Union Movement in India is still in an infant stage”

आपसी राजनीतिक मतभेद होने के कारण विभिन्न शम संघों में निरन्तर फूट बनी रही और ‘एकता’ का, जो इस आनंदोलन का मूलाधार है, तर्वया अभाव रहा। परिणामस्वरूप आज भी सुखगठित एव सुव्यवस्थित आधार पर निर्मित शम संघों का भारत में पूर्णतया अभाव है। सन् १९५१ की जनगणना के अनुसार श्रमिक वर्ग की सम्पूर्ण संगठन योग्य शुक्रि (पूरे देश के स्तर पर) रा चेवल २६ प्रतिशत मजदूर संघों में रागठित है। यही नहीं हमारे देश की सम्पूर्ण श्रमिक शुक्रि का एक बड़ा भाग खेतिहार मजदूरा का है और उनका संगठन अभी बाकी है। श्री गिरि (Shri V. V. Giri) ने टीक ही कहा है—

“There is a great need of building up a Trade Union Movement characterised by unity, strength and vitality so that it would be able to enter into collective bargaining with employers on equal footing”

भारत में शम संघ आनंदोलन के धीमो प्रगति के कारण भारतीय श्रमिकों की निर्धनता

प्रत्येक संस्था के उचित संगठन एव विवास के लिए पर्याप्त कोष का उपलब्ध होना अत्यन्त आवश्यक है। भारत में श्रमिक निर्धनता के कारण मानूली चन्दा

देने में भी अपने को असमर्थ पाता है। बहुत से श्रमिक तो चन्दा देने से असमर्थ होने के कारण श्रम सधों का सदस्य होना भी पसन्द नहीं करते। चन्दा न मिलने के कारण श्रम सधों की आर्थिक स्थिति डॉचाडोल रहती है जिसके कारण उनकी विकास की गति अवश्य हो जाती है। मिं रोबर्ट्स (Mr Roberts) वा तो कथन है—

“In India he found many paper unions without any fund and was surprised to learn that many members were defaulters”

आंदोलिक विकास की गति मन्द होना

श्रम सघ वास्तव में विशालकाय उद्योगों का शिशु है। आंदोलिक विकास की गति भारत में विदेशी सत्ता के कारण अत्यन्त मन्द रही जिसके कारण श्रम समस्याओं का प्रादुर्भाव ही नहीं हुआ और न श्रम सधों की आवश्यकता ही रही। आंदोलिक विकास की गति मन्द होने के कारण, श्रम सघ आन्दोलन की गति मन्द होना स्वाभाविक ही था।

भारतीय श्रमिकों की अस्थायी प्रकृति (Migratory Character of Indian Labour)

भारतीय श्रमिक उद्योगों में काम करने के लिए स्थायी रूप से नहीं आता क्योंकि उसका वास्तविक सम्बन्ध तो कृषि से होता है। उसके कुटुम्ब के अन्य सभी सदस्य भी प्राय गाँव में ही रहते हैं। परिणामस्वरूप वह शहरों में अस्थायी रूप से रहने के लिए ही आता है। वास्तव में अस्थायी प्रकृति भारतीय श्रम की मुख्य विशेषता है। स्थायी रूप से शहरों में न रहने एवं फैक्ट्री में केवल कुछ समय तक ही कार्य करने की अभिलाषा रहने के कारण भारतीय श्रमिक श्रम सधों के बायों में कुछ भी इच्छा नहीं लेता और न उनके महत्व को ही समझता है। ऐसी दशा में श्रम सघ आन्दोलन का विकास न होना स्वाभाविक हो जाता है।

सामाजिक वातावरण एवं एकता का अभाव

‘एकता’ ही श्रम सघ की प्रगति का भूलाधार है। परन्तु भारत में सामाजिक वातावरण के कारण श्रमिकों में ‘एकता’ का अभाव रहा। जाति, धर्म, भाषा तथा आचार विचार सम्बन्धी भेट-भान के कारण विभिन्न श्रमिकों में एकता स्थापित करना एक कठिन समस्या बन गया जिसके कारण शक्तिशाली संगठन स्थापित करना अत्यन्त कठिन हो गया। श्रमिकों में इस कमज़ोरी का लाभ उठाकर उद्योगपतियों ने “विभा जन करो और शासन करो” (Divide & rule) की नीति अपनाकर संदैव संगठित श्रम सघ स्थापित करने में रोड़ा श्रद्धालय। भारत में जाति भेट की सकृचित

विचारधारा के कारण बहुत थे श्रम सघ तो जातीय आचार पर निर्मित कर दिये गये थे जिनको सन् १९४३ में सरकार ने अमान्य घोषित कर दिया।

कुशल कार्य कर्त्ताओं का अभाव

भारत में श्रम सघों की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण कुशल कार्य-कर्त्ताओं की संख्या उपलब्ध न हो सकी जिससे इनकी कार्यक्रमता पर दुरा प्रभाव पड़ा। किंसी भी उत्तराधीन उनके कार्यकर्त्ताओं पर ही निर्भर होती है, परन्तु भारत में श्रम सघों में इनका सर्वथा अमाव रहा। आमरीका में तो “अमरीकन श्रम फेडरेशन” के सेक्रेटरी को लगभग ७५,००० डालर्स तनखाह मिलती है जो अदान्तित अमरीका के प्रेरीडेन्ट के बाद द्वितीय स्थान पर आती है।

काम करने के घटे

भारत में काम करने के घटे अधिक होने के कारण, अमिक इतना शिखिल हो जाते हैं कि कैप्टरी में कार्ब करने के बाद ऐवल विद्याम ही चाहते हैं। उनके पास न तो शक्ति ही रह जाती है और न अवशाश ही कि वे श्रम सघ के कार्यों में सक्षिय भाग ले सकें। भारत म बहुत से अमिक तो यह भी नहीं जानते कि सघ का वार्षिक कहाँ पर है।

अमिकों का अशिक्षित एवं अज्ञानी होना

भारतीय अमिक अशिक्षित एवं अज्ञानी होने के कारण श्रम सघों के महत्व एवं उद्देश्य को ही नहीं समझता। अतः ऐसी स्थिति में श्रम सघों के कार्यों में कुछ भी दृच्छा न रखना स्वाभाविक ही था। परतन्त्रता की शृङ्खलाओं में वर्षों तक जकड़े रहने के कारण उनमें दासता एवं हीनता वी मावना पूर्ण रूप से व्याप्त हो गई थी। उन्होंने इस मावना के जारण ही अपने मालिकों के विश्वद आवाज उठाने की कमी कल्पना भी नहीं की और शोषण को सदेव अपना भाग्य ही समझा।

श्रम-संघों द्वारा कल्पाणकारी कार्यों का अभाव

आर्थिक स्थिति के टीक न होने के कारण मारतीय श्रम सघ अमिकों के लिए कल्पाणकारी कार्य करने में उद्देव असमर्थ रहे जिसकी वजह से अमिक वर्ग ने इन सघों के प्रति कुछ भी उत्साह नहीं दिखलाया। वास्तव में भारत के अधिकार श्रम सङ्ग ऐवल हड्डताल समितियाँ हैं और अमिक यह समझता है कि इनका उपयोग ऐवल हड्डताल के उभय में ही किया जा सकता है।

उद्योगपतियों का विरोध

भारतीय उद्योगपतियों में इस धारणा ने कि श्रम सघ उनके लिए चुनौती हैं

और इनकी स्थापना का उद्देश्य उननी शक्ति को कम करना है, उनको अम संगठन तोड़ने के लिए अनेक अनुचित उपायों का अपनाने के लिये प्रोत्साहन प्रदान किया। प्रायः उद्योगपति जातियों एवं गुडों द्वारा अम संघों के पदाधिकारियों को घूस देकर, मरवा पिटवा कर एवं प्रतियोगी अम संघ निर्माण करके अम संगठन की तोड़ने का प्रयत्न करते रहे हैं। ऐसी दशाओं में भारतीय अम संगठन का शिथिल होना स्वाभाविक ही था।

अम संघों में आन्तरिक फूट

भारत में अम संघ का संगठन राजनीतिक विचारधाराओं के बावजूद पर किया गया है। विभिन्न राजनीतिक राजनीतिक सिद्धान्तों में मतभेद होने के कारण विभिन्न अम संघों के सदस्यों में भी मतभेद होना स्वाभाविक ही था। यही कारण रहा कि अम संघों में आन्तरिक फूट के कारण विभिन्न अभिन्नों की आर्थिक समस्याएँ समान होने हुए भी उनको एक सूच में नहीं नींवा जा सका और सुषंगठित अम संघों का विकास न हो सका। आज भी विभिन्न अम संघ विभिन्न राजनीतिक दलों की दब्र-छाया में उनके राजनीतिक आदर्शों पर चल रहे हैं और उन्हीं आदर्शों के अनुरूप ही उनके अलग अलग समस्याओं के मुलझाने के टग भी हैं। सभी के रास्ते अलग अलग होने के कारण अम संघ व्यवस्थित रूप से एक होकर अम समस्याओं के सुलझाने में सहेज असफल रहते रहे। आपसी नोक-झोक के कारण सहेज आपसी तनाव बना रहा और अम संघ आनंदोलन असंगठित बना रहा।

अम संगठन में राजनीति का प्रवेश

विभिन्न राजनीतिक दलों द्वाय स्थापित अम-संघ बेवली राजनीति के रगमच रह गये और अपना मुख्य उद्देश्य सो बैठे। इन अम-संघों के राजनीतिक नेताओं ने अम संघ के संगठन का मूल उद्देश्य राजनीतिक चेतना में सत्ता प्राप्त करना रखा। इनका उद्देश्य अभिन्नों की दशा में जुधार करना नहीं था। ऐसी दशा में अभिन्नों का इनके प्रति कुछ भी चिन्ह न रखना स्वाभाविक ही था। प्रायः अभिन्न यह चोचने लगता है कि अम संघ का उसक जीवन से कुछ सम्बन्ध ही नहीं है।

पदलोलुपता

अम संघ के संगठन न्तर्भागों में पदलोलुपता एवं नेता बनने की अभिलाषा के कारण स्वयं संगठनकर्ताओं में ही भेदभाव बना रहता है। परिणामस्वरूप वे सभी मिलकर कार्य नहीं करते जिसके कारण संगठन शिथिल हो जाता है। वे आपस में ही एक-दूसरे की नीचा दिखाने की कोशिश किया करते हैं। ऐसी दशा में उचित संगठन का अभाव रहना स्वाभाविक हो जाता है।

सरकार की उदासीनता

विदेशी सरकार का भारतीय अभिन्नों की दशा में सुधार करने में कुछ भी दिलचस्पी नहीं रही। यहाँ पर प्रारम्भ में अधिक्तर उद्योग-घरें भी विदेशियों द्वारा ही स्थापित किये गए थे और वे विदेशी उद्योगपति सदैव भारतीय अभिन्न के शोपण करने में ही अपना हित समझते थे। विदेशी सरकार का इनक प्रति ठहानुभूति रखना स्वामाधिक ही था। परिषाम्बत्तरूप भारत में अम सधों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए श्रम उष्ण अधिनियम सन् १९२६ वड़ नहीं बनाया गया। इसके पहले तो अम सधों को कानून अवैध घोषित किया जा चुका था। ऐसी दशाओं में अम संघ आनंदोलन की विरास की गति का मन्द होना स्वामाधिक ही था।

भारत में कुशल अभिन्न नेताओं का अभाव

प्रत्येक सधा का उत्थान उसके नेताओं पर ही निर्भर होता है। भारतीय अभिन्न के अशिक्षित होने के कारण, हमारे देश में अम सधों का नेतृत्व अभिन्न-वर्ग के नेताओं के अधीन न होकर लामान्वय दिली बरील अथवा राबनीरिज के हाथों में रहा जो परोपकार या राजनीतिक आत्मोपनार की दृष्टि से अधिक नेता चन बैठे। ये अभिन्न नेता अभिन्नों की वास्तविक कटिनाइयों एवं उद्योग विरोप की विशेषताओं से पूर्णतया अनभिज्ञ रहते हैं। अनभिज्ञ के बारण अभिन्नों के हित में कुछ भी वार्ता करना इन नेताओं के लिये कठिन हो जाता है। वास्तव में अम सध का नेतृत्व राजनीतिज्ञ के हाथ में होने के बारण से सघ राजनीतिक प्रचार के रागमच का रूप से ले रहे हैं क्योंकि इन राजनीतिज्ञों का मूल उद्देश्य सघठन स्थापित परके अपने राजनीतिक दल को सुट्ट बनाना एवं राजनीतिक क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित करना होता है। इस प्रकार भारत में कुशल अभिन्न नेताओं भी छूट्टाया में अम सधों के नेतृत्व का अभाव, इस आनंदोलन भी प्रगति के पथ में सदैव एक मुख्य वाधा रहा है।

उपभोग

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारत में यद्यपि अम सध आनंदोलन का पूर्ण विकास उपर्युक्त कटिनाइयों के बारण सम्भव नहीं हो चका और आज भी यह आनंदोलन अपनी शैशवावस्था में ही है, तो ये इससे सन्देह नहीं कि इस आनंदोलन का आवायाप्रद सूत्रात ही चुका है। इष्ट का विषय है कि अभिन्नों में जागृति एवं चेतना का प्रादुर्भाव हो रहा है और ये अम सध के महत्व को भली भावि समझ चुके हैं। अभिन्न वर्ग अपने अधिकारों के प्रति भी पूर्ण रूप से जाग्रूक हो गया है। आवश्यकता क्षेत्र इष्ट बात वी है कि भारतीय अम सधों को राजनीतिक दलबन्दी के गन्दे

दलदल से मुक्त किया जाय और इनका नेतृत्व अमिक वर्ग के नेताओं वी छवच्छाया में ही सम्भव बनाया जाय। इसके लिये अमिकों को अम सघ के सचालन के विषय में उचित शिक्षा एव प्रशिक्षण की व्यवस्था वी अत्यन्त आवश्यकता है। अम सघों को अमिकों के लिए वास्तविक कल्याणकारी कार्य करना भी आवश्यक है क्योंकि इसके बिना अमिकों को सधों वी और आकृष्ट करना अत्यन्त कठिन होगा। अम सघठन के कार्यों को देखते हुए ऐसा स्पष्ट होता है कि उसका कार्य केवल अन्तर्राष्ट्रीय अम-सम्मेलनों में अपने प्रतिनिधि भेजने एव समय समय पर कुछ प्रस्ताव पास करने तक ही सीमित रह गया है। भारत में अम सघों की सख्ता भी बहुत अधिक है जिसके कारण सामूहिक प्रबलन सम्भव नहीं हो पाता और अमिकों का पक्ष शिथिल हो जाता है। अतः इस बात की भी आवश्यकता है कि एक चेत्र में विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधियों का एक ही सघ हो। उद्योगपतियों को भी समझना चाहिए कि उनका हित अम-सघों के विकास में ही निहित है क्योंकि औद्योगिक शान्ति स्थापित करने के लिए अम सघ प्रथम आवश्यकता है। इस आनंदोलन वी सफलता से न केवल अमिकों एव उद्योगपतियों को ही लाभ होगा वरन् सभूर्ण राष्ट्र की प्रगति को भी प्रोत्साहन मिलेगा। भारतीय अम आयोग (Royal Commission on Labour) के शब्दों में—

"Nothing but a strong trade union movement will give the Indian workmen adequate protection. Legislation can act as a palliative and prevent the graver abuses, but there are strict limitations to the power of the government to protect workmen who are unable to protect themselves..... Nor is labour the only party that will benefit from a sound development of the trade union movement, employers and the public generally should welcome its growth."

वास्तव में भारत सरकार सन् १९४२ का औद्योगिक प्रस्ताव, देश के संविधान में उसी मावना का पुनः प्रकाशन तथा दोनों ही पञ्चशील योजनाओं में मजदूरों को दिए गए आश्वासन हमारे विश्वास एव सकलों तथा मेहनतकर्ता समुदाय के उन्नतिशील भाग्य के चमकते हुए प्रकाश छह है। राष्ट्रीय कांग्रेस भी यह स्थीकार कर चुकी है कि अम सघ हमारे जीवन और उद्देश्यों के अनिवार्य अग हैं। अतः देश में उनके मजबूत एव प्रभावशाली विकास का मार्ग पूर्ण रूप से प्रशस्त हो चुका है।

ओद्योगिक संघर्ष

(Industrial Disputes)

उद्भव एव महत्व

विशालकाय उद्योगों के जन्म के साथ ही साथ मानव समाज का दो वर्गों—अम वर्ग एव पूँजी वर्ग—में विभाजन हो गया। अम वर्ग शोषित एव अभाव ग्रस्त था एव पूँजी वर्ग सम्पन्न एव वैभवशाली। पूँजी वर्ग ने अपनी पूँजी की अपार शक्ति के कारण एव अधिक वर्ग की निर्वनता एव दयनीय स्थिति का लाभ उठा कर अधिकों का शोषण प्रारम्भ कर दिया। अधिकों की दशा शोचनीय हो उठी और उनमें असतोष की भावना व्याप्त हो गई। इसके परिणामस्वरूप ही ओद्योगिक संघर्ष का हड्डताली, ताले बन्दियों एव अन्य ओद्योगिक झगड़ों के रूप में प्रादुर्भाव हुआ। असतोष एव अशान्ति के मध्य अधिकों में शान्ति स्थापित किए रहना अत्यन्त कठिन हो गया और ओद्योगिक संघर्ष की उमस्त्वा न केवल उद्योगपतियों के लिये बरन् उमस्त्व राष्ट्र के लिये एक गमीर समस्या बन गई। प्रो॰ पीगू (Prof. Pigou) ने टीक ही लिखा है—

“The declaration of class war means loss of wages, hunger and all its attendant miseries and suffering to the worker, financial loss to the employer, reduced sale to the shop keeper, extra worries to those in charge of law and order, excitement and inconvenience to the general public, and huge economic loss to the nation”

अम एव पूँजी किसी भी उद्योग के दो मुख्य आधार स्तम्भ हैं। बिना इन दोनों के सहयोग के किसी भी राष्ट्र का ओद्योगिक विकास असम्भव है। ओद्योगिक विकास की गति को तीव्र करने के लिए ओद्योगिक शान्ति की स्थापना प्रथम आवश्यकता है। पूँजी तो उत्पत्ति का एक नियक्ति साधन है। इसमें जीवन एव चेतना प्रदान करने का श्रेष्ठ तो अम को ही है, अत उत्पत्ति में अम का स्थान सर्वोच्च है। मिं॰ एम॰ ए॰ मास्टर (Mr. M A Master) ने टीक ही लिखा है—

"Without hearty co operation of the workers, the most powerful mechanical contrivances and the most efficient organization are of little avail."

किसी भी राष्ट्र में उत्पादन श्रमिकों पर ही निर्भर होता है। औद्योगिक सधर्व के कारण राष्ट्र की उत्पादन शक्ति ज्ञात हो जाना स्वाभाविक ही है। राष्ट्र के उत्पादन पर ही देशवासियों की समन्वय एवं समृद्धि तथा राष्ट्र का वैभव निर्भर होता है। अतः औद्योगिक सधर्व की समस्या राष्ट्रीय विकास की समस्या है। वास्तव में औद्योगिक सधर्व विस्तीर्ण राष्ट्र की आर्थिक प्रगति के पथ की मुख्य चाल है।

'असतोप ही शान्ति की जननी है'। औद्योगिकों सधर्वों में इस कान्ति की चिनगारी सुलगा करती है। राष्ट्र में शान्ति स्थापित करने के लिए इस चिनगारी का बुझना नितान्त आवश्यक है। जिन। शान्ति के बोई भी राष्ट्र किसी भी ज़ेत्र में उन्नति नहीं कर सकता। इस प्रकार औद्योगिक सधर्व की समस्या शान्ति व्यवस्था की समस्या भी है जिसके समधान के बिना राष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक ढाँचे का बुद्ध आधार पर निर्माण नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि आज समस्त विश्व के राजनीतिश, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री और समाज सुधारक इस समस्या के सुलभाने में व्यस्त हैं।

आज का युग समाजवादी अर्थव्यवस्था का युग है। यौजीवाद अपनी अन्तिम इवांसे गिन रहा है। इस युग में अमिक को वे अधिकार प्रदान करना जो प्रत्येक मानव के जन्म सिद्ध व्यधिकार हैं, आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है। आज यह समय की पुकार है जिसकी बोई भी राष्ट्र अवहेलना नहीं कर सकता। औद्योगिक शान्ति स्थापित करके अमिकों के जीवन में नवान चेतना एवं जागृति का प्रादुर्भाव घरना वर्तमान युग की प्रथम आवश्यकता है। यहाँ पर सर्व श्री सिडनी एवं वेब (M/s Sidney & Webb) वे शब्दों को उद्धत करना कदाचित अनुचित न होगा—

"We have got to remember that it is human beings like ourselves with whom we are dealing, husbands, fathers and citizens like ourselves. We can, if we like, still take advantage of the wage earner's poverty or their ignorance to bully them, to subject them, to caprice or tyranny, or to insult them with foul language, but we do so at our peril'

वास्तव में औद्योगिक शान्ति, सामाजिक समानता एवं न्याय की माँग है जिसको प्रदान करना ही होगा, टाना नहीं जा सकता। शोषण का अन्त करना अनिवार्य है। उद्योगों को जीवन प्रदान करने वाले मानव वा धान रखना ही होगा।

ओर्योगिक सधर्पे के कारण

ओर्योगिक सधर्पे के कारणों को मुख्यतः दो भागों में विभाजित विद्या वा सकता है—

- (१) आर्थिक कारण,
- (२) अनार्थिक कारण।

आर्थिक कारण

ओर्योगिक सधर्पे के मूलभूत कारणों में आर्थिक कारणों का प्रमुख स्थान है। प्रायः प्रत्येक ओर्योगिक सधर्पे की वृष्टिमूलि में सदैव कोई आर्थिक कारण अवश्य रहता है जैसा कि मारतीय थम आयोग के शब्दों से स्पष्ट है—

“वद्यपि अमिक घर्ग राष्ट्रीय, साम्यग्रादी अथवा व्यापारिक हितों को सिद्ध करने वाले व्यक्तियों के सम्बर्थ से प्रभावित भले हुए हो, मिर भी हमारा पूर्ण विश्वास है कि कोई नी महत्वपूर्ण ओर्योगिक विचाद ऐसा नहीं हुआ जिसके पीछे पूर्णतया या अधिकाश रूप से आर्थिक कारण न रहे हो।”¹

वास्तव में शामशी भी निर्भनता एवं दरिद्रता ने ही उनमें अस्तोप वी भावना को जाम दिया जिसका कारण ओर्योगिक सधर्पे का प्रादुर्भाव हुआ। ओर्योगिक सधर्पे के मुख्य मुख्य आर्थिक कारण निम्नलिखित हैं—

(१) मनदूरी, गोनस एवं महागाई के भने वी माँग एवं उनमें वृद्धि के लिए सधर्पे।

(२) वार्ष करने वी दशाओं एवं रोजगार वी शर्तों में मुचार करने के लिए सधर्पे।

(३) कार्य करने क यटों में कमी करने के लिए सधर्पे।

(४) अधिक अवकाश एवं सवेतन सकट कालीन लुहियो वी व्यवस्था के लिए सधर्पे।

(५) मिलों के प्रवधक या भर्ती करने वालों के दुर्व्यवहार एवं प्रति सधर्पे।

(६) भविको वी अनुचित वर्तास्तगी के विरोध में एवं उनको पुन बास देने की माँग करते हुए सधर्पे।

(७) अनुचित रूप से मिल बाद कर देने के विरोध में सधर्पे।

(८) उद्योगों क उङ्गलन में अमितों का स्थान प्राप्त करने के लिए सधर्पे।

¹ Although workers may have been influenced by persons with nationalist communist or commercial ends to serve we believe that there has been rarely a strike of any importance which has not been due entirely or largely to economic reasons.

(६) वैज्ञानिक प्रबन्ध के विषद्, जिससे श्रमिकों के निकाले जाने का भय उपस्थित हो जाता है, सघर्ष।

आनार्थिक कारण

आनार्थिक कारणों के अन्तर्गत राजनैतिक एव सामाजिक कारण आते हैं। भारत में श्रौद्योगिक सघर्ष के इतिहास में इन कारणों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। बहुत से श्रौद्योगिक सघर्ष यहाँ पर वेवल राजनैतिक एव सामाजिक परिस्थितियों की देन रहे हैं जैसा कि निम्नलिखित विवेचन से स्पष्ट हो जायगा।

(१) राजनैतिक

विदेशी शासनकाल में भारत के श्रमिकों का राष्ट्रीय आनंदोलन में, जिसका मूल उद्देश्य दासता की शृङ्खलाओं से मुक्ति प्राप्त करना था, सक्रिय भाग लेना स्वाभाविक ही था। भारत में इन आनंदोलनों के प्रति आस्था एव सहानुभूति दिखलाने के लिए श्रमिक वर्ग ने हड्डताल वा सहारा लिया। सन् १९०८ में श्री लोकमान्य तिळक वी गिरफ्तारी के फलस्वरूप बम्बई में हुई हड्डताल ने वास्तव में राजनैतिक हड्डतालों की नींव ढाल दी। मुख्य रूप से निम्नलिखित राजनैतिक कारण श्रौद्योगिक सघर्ष के जन्मदाता रहे हैं—

(क) खिलाफत आनंदोलन, असहयोग आनंदोलन, सविनय अवश्या-भग आनंदोलन (Civil disobedience) एव महात्मा गांधी तथा अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा अनशन के कारण प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी एव उनके प्रति दुर्घटवहार के विषद् प्रतिक्रिया व वारण हड्डतालें।

(ख) मालिनी द्वारा श्रमिकों को राजनैतिक सभाओं अथवा जल्स में भाग लेने के कारण, विदेशी कार्यकर्ताओं से सहानुभूति प्रकट करने पर एव विदेशी प्रबन्धकों की ग्रावडा के कारण बरतास्त कर देने या उनके खिलाफ अनुशासन की कार्रवाही करने के विरोध म प्रदर्शन एव हड्डतालें।

(ग) साम्यवादी विचारधारा वाले श्रम रथों के उच्चाने के कारण हड्डतालें।

(२) अन्य श्रौद्योगिक स्थानों के श्रमिकों के प्रति सहानुभूति

कभी कभी एक उद्योग के श्रमिकों के हड्डताल करने पर उनके प्रति सहानुभूति दिखलाने के लिए अन्य उद्योगों के श्रमिकों ने भी हड्डताल वा सहारा लिया और श्रौद्योगिक सघर्ष की समस्या उत्पन्न कर दी।

(३) सटोरियों की नीति के कारण

सटोरियों वा मुख्य उद्येश्य वस्तुओं के मूल्य परिवर्तन के द्वारा अधिक लाभ कमाना होता है। अत हड्डतालों द्वारा वस्तु के उत्पादन में कमी करके उनके मूल्यों में

वृद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से सटोरिये भूड़ी अफताह फैलाकर एवं अभिको को घूस देकर हड्डताल करने के लिए प्रोत्साहन देते हैं।

(४) अम संघों का अभाव

वास्तव में अम उप आन्दोलन का अविक्षित होना भारत में ओद्योगिक संघर्ष का गूल कारण कहा जा सकता है। उद्योगपतियों एवं अभिको के बीच की सौंहारी को पाटने के लिए एवं उनमें पारस्परिक सदूचावना स्थापित करने के लिये अम-संघ महत्वपूर्ण कड़ी का चार्य करते हैं। अम संघों के जिन उद्योगपतियों का अभिको से सम्बन्ध रखना कठिन हो जाता है और आपसी समझौते की नीति ही नहीं आने पाती। वास्तव में बहुत सी समस्याएँ, जिसके कारण ओद्योगिक संघर्ष का जन्म होता है, प्रारम्भ में ही आपसी समझौते द्वारा सुनकराई जा सकती है जिससे संघर्ष की नीति ही न आने पाये, परन्तु अम संघ के अभाव में ऐसा सम्भव नहीं हो सका। अम संघ के अभाव में अभिको को उचित नियशण और पथ प्रदर्शन न मिलने के कारण मामूली सी बातों पर हड्डताल का सहाय लेना पड़ा, और ओद्योगिक संघर्ष की जड़ें और भी मजबूत होती चली गईं।

ओद्योगिक संघर्ष के रोकने के उपाय

ओद्योगिक संघर्ष रोकने एवं उनसे होने वाली हानि से रक्षा करने के लिए दो प्रकार के उपायों की आवश्यकता है—

(१) वे उपाय जिनसे ओद्योगिक संघर्ष का जन्म ही न होने पाये अर्थात् प्रतिबन्धक उपाय (Preventive Measures)।

(२) वे उपाय जो यदि संघर्ष उपस्थित हो जाय तो उसका शीघ्र से शीघ्र नियटारा करके शान्ति स्थापित कर सकें अर्थात् रक्षात्मक उपाय (Curative Measures)।

प्रतिबन्धक उपाय

पुरानी कहावत है “इलाज से रोगकी रोक-थाम सर्वैव उचम होती है”।^१ अर्थात् ओद्योगिक शान्ति के स्थापित करने में इन उपायों का यड़ा महत्वपूर्ण लाभ है। वे ज्ञाय जिन्नतिखित हो सकते हैं—

संगठित अम संघ की स्थापना

ओद्योगिक संघर्ष का मुख्य कारण उद्योगपतियों तथा अभिको में पारस्परिक सम्बन्ध एवं सहानुभूति का न होना है। वास्तव में यदि छोटी-छोटी बातें जिनके

^१ “Prevention is better than cure.”

कारण ग्रीयोगिक समर्पण उपरूप धारणा कर लेता है प्रारम्भ मही आपसी समझौते द्वारा सुनम्हा दी जाएँ तो ग्रीयोगिक समर्पण ना बन्म हा न हो। उद्योगपति प्रत्यक्ष अभिक से ग्रलग अलग सम्बन्ध तो स्थापित नहीं कर सकता, परन्तु प्रम सचों द्वारा वह समस्या आवाजानी से सुलभ सकती है। आपसी समर्पक के कारण दोनों ही एक-दूसर की समस्याओं ना समझ सकेंगे और सहानुभूति दिखला न केंगे। प्रेम एवं सदूचावना आपसी कुड़वा एवं आवश्यक का स्थान ले लेंगे। प्रेम एवं सदूचावना क मध्य आपसी समर्पण का प्रश्न ही नहीं उठता।

सगठन श्रम सगठन क होने पर उद्योगपति भी अपनी शक्ति से अनुचित लाभ उठान का प्रयत्न करने में सक्षीच करेंगे और इस प्रकार शास्त्रण का अन्त हो जायगा। यही नहीं अभिक भी सामूहिक सीदेजानी (Collective bargaining) से लाभान्वित हो सकते। ऐसी दशा में ग्रीयोगिक समर्पण का प्रारम्भ में ही गला उट जायगा। सर चम्प डोक ने टीक ही लिपा है—

“सबसे बड़ा ज़देश यह होता चाहिये कि स्थाभिमाना, उत्तरदायी आर सबल अभिक सगठन भा निर्माण किया जाये।”

उद्योगपतिया द्वारा अम कल्याण कार्यों का आयोनन

शान्ति का मूलाधार प्रेम एवं सदूचावना है। यह अभिन्न में इस भावना ने उत्तर नर दिया ताय कि उद्योगपति उनक हितैरा एवं शुभाशङ्का हैं तो वह प्रबल्य हा उनक प्रति सहानुभूति रखने लगग और ऐसा स्थिति भ समर्पण की भावना का नष्ट हो जाना स्वाभाविक ही है। यह तभी सम्भव हा सन्ता है जब उद्योगपति अपनों क कल्याण के लिये हुँक ठोस कार्य करें और उनक टुक दद को समझें। भारत म विदेशी उद्योगपतियों का सम्बन्ध भारताय अभिन्न से रखना भा न था और वही बारण रहा कि अभिन्न नी प्रात्या उन पर विलक्षण न रही और आपसी भद एवं मनसुनाव क कारण सदैर ग्रविश्वास की भावना पनपती नहीं जो ग्रीयोगिक समर्पण का नूल बारण रही। आन परिस्थितिवा नदल चुकी है। उद्योगपति भा भारताय हैं और अभिक भी। ग्रावश्वरक्ता इस गत की है कि उद्योगपति मानवतावादी दृष्टिकोण को समझें और ग्रपनामें। आज समय की गति द साथ साथ उद्योगपतियों को वह कल्याण कार्यों का महत्व समझना है और यदि वे ऐसा नहीं करते तो अन ग्रसनाय से उत्तर हुई साम्यवाद भा उत्ताल तरमें उहै शाब्द ही विनाश की अतल गहराईयो भ हुगा देंगा। ग्रीयोगिक शान्ति का समस्या उनक जीवन-भरण की समस्या है और इसकी स्थापना क्षम ये एवं सदूचावना क आधार पर ही जो जा सकती है। इव दिशा भ सम कल्याण का कार्य उचित कदम होगा।

सामाजिक सुरक्षा का आयोजन

सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं द्वारा धर्मिकों को भावी चिन्ताओं से मुक्ति दिलाई जा सकती है और उनमें संतोष की भावना व्याप्त जा सकती है। वेरोबगारी का भय, दरिद्रता के कारण दैवी घटकों से मउ एवं बृद्धावस्था में आय नहं हो जाने का भय शमिकों में असरों की भावना भी प्रस्तुलित करते हैं। असंतोष में ही शान्ति की रिनाशकारी निनगारी टिप्पी रहती है। दरिद्रता ही भारतीय धर्मिक का मुख्य अभिशाप है और इससे हुटनारा दिलाने में सामाजिक सुरक्षा की योजनाएँ अत्यधिक सफल हो सकती हैं।

शमिकों में उत्तरदायित्व की भावना का प्रादुर्भाव

अवीत में उद्योगपतियों के अनुचित व्यवहार के कारण भारतीय धर्मिकों में उनके प्रति आवश्यक व्यवहार के कारण भारतीय धर्मिकों में इस भावना का मिटाना भी श्रीबोगिक शान्ति के लिये अत्यन्त आवश्यक है। आज धर्मिना ने स्वतन्त्र भारत का नामांकित एवं राष्ट्र का कर्त्त्वधार होने के नाते अपने उत्तरदायित्व को समझना चाहिये। अभिनवीनशृण, वेगानिक प्रवृत्त एवं अन्य श्रीबोगिक तुषारों का अविवेकपूर्ण आधार पर विरोप न तो उनक ही हित न और न राष्ट्र रे हित में ही होगा। अधिकारों के माँग के साथ-साथ चर्चाओं का उपनक्ता भी ग्रावश्यक है। श्रीबोगिक नियम राष्ट्र के डत्यादन-वृद्धि में एक अवरोध है और राष्ट्र विरोधा एक तत्व है जिसका विवेकपूर्ण राति से हटाना अत्यन्त अनिवार्य है। यह प्रवश्य है कि अमाय एवं अज्ञान के गहन अन्धकार में भटकते रुए अमिर बर्ग से आज शान्ति एवं संतोष की आशा करना व्यर्थ ही नहीं, वरन् अन्यथा भी होगा। अतः पहले उनके कल्पण के लिये उद्योग पतियों, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों, अप सभों तथा समाज उद्योग संस्थाओं द्वारा टोक वद्दम उठाया जाना चाहिये, वभी शमिकों ने उत्तरदायित्व की भावना का प्रादुर्भाव सम्भव हो सकता है।

कार्य समितियों की स्थापना (Establishment of Works Committees)

कार्य समितियों का निर्माण प्रत्येक मिल में अलग-अलग मालिक और मजदूरों के बीच प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। ये समितियाँ मिल अथवा निर्माणशाला के अन्दर बैठकर अपनी दैनिक समस्याओं को सुलझाती हैं। मालिकों और शमिकों के नीच निकटदम उम्मेक स्थापित हो जाता है और आपस में सब मुल्के सुलझ जाने के कारण श्रीबोगिक सभग की चिनगारी प्रजलित होने के बूते ही खुक जाती है। इन समितियों में दोनों ही दल एक दूसरे के भिन्न के रूप में मिलते हैं, अतः उम्मेकों का सुलझाना सरल होता है। संघर्ष हो जाने के उपरान्त दोनों ही दल एक दूसरे के

प्रतिद्वन्द्वी का रूप ले लेते हैं, अतः समस्या का रूप और भी गम्भीर हो जाता है। इन समितियों द्वारा सभी समस्याएँ प्रारम्भिक अवस्था में ही सुलभ जाती हैं जिससे उनके भावनाएँ ठीक बनी रहती हैं। यही कारण है कि भारतीय श्रम आयोग ने लिया है—

“यदि इन्हे उचित प्रोत्साहन दिया जाय और पुराने दोष मिटा दिये जायें तो ये समितिया भारतीय ओद्योगिक प्रणाली में अत्यन्त लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं।”¹

भारत में श्रम आयोग के सुझाव पर ऐसी समितियों का कुछ उद्योगों में निर्माण हुआ था, परन्तु अहमदाबाद छोड़कर जहाँ गांधी जी का व्यक्तिगत प्रयत्न एवं प्रभाव था, अन्य स्थानों पर ये समितियाँ असफल सिद्ध हुईं।

स्थायी आदेशों का होना (Standing Orders)

स्थायी आदेश मालिक एवं मजदूरों के बीच सम्पन्न हुए, भर्ती, छठनी, हुट्टी, अनुशासन वार्यवाही और रोजगार की शर्तों आदि से सम्बन्धित समझौते होते हैं जिनको बानून सम्बन्धित तहराया जाता है। प्रायः औद्योगिक सघर्ष उपर्युक्त बातों के आधार पर हुआ करता है। यदि इन बातों को आपसी समझौते द्वारा पहले ही निर्धारित कर लिया जाय तो अप्रत्य ही सघर्ष की नीति न आने पायेगी। ब्रिटेन में ये समझौते अत्यन्त सफल हुए हैं और भारत में भी ये निश्चय ही सफल सिद्ध हो सकते हैं यदि इनके सचालन में कानूनी अनिवार्यता बढ़ती जाय।

लाभ भागीदारी योजना एवं श्रमिकों का उद्योग व्यवस्था में स्थान

लाभ-भागीदारी योजना (Profit Sharing Scheme) कार्यान्वित होने के उपरान्त श्रमिकों का उद्योग विशेष के लाभ में भाग होने के कारण, उत्पादन का अधिक करना आवश्यक है। ऐसी अवस्था में वे स्वयं किसी प्रकार के सघर्ष से बचने का प्रयत्न दरेंगे। उद्योगों की व्यवस्था में भाग मिल जाने पर इस आधार पर कि व्यवस्था ठीक नहीं है श्रमिक सघर्ष करने में अपने दो असमर्थ पायेगा। फलस्वरूप औद्योगिक सघर्ष का न होना व्यापारिक ही है। परन्तु यह तभी यम्भव हो सकता है जब पारस्परिक अविश्वास एवं मनोमालिन्य का अन्त हो जाय।

रक्षात्मक उपाय (Curative Measures)

उपर्युक्त प्रतिबधक उपायों के कार्यान्वित होने के बाद भी औद्योगिक सघर्ष की

¹ “We believe that if they are given proper encouragement and past errors are avoided, Works Committees can play a useful part in the Indian Industrial System”—Royal Commission on Labour

समस्या उत्पन्न होने की सम्भावना तो बनी ही रहती है। अतः ऐसे उपायों का, जो सर्वर्प उपस्थित हो जाने पर उसका शीघ्र से शीघ्र निवारण कर तर्कें, कम महत्व नहीं है। सर्वर्प जितनी बलदी दूर हो जाय उतना ही अच्छा है। अधिक हाँनि से बचने के लिए ये उपाय अनिवार्य हैं। इच्छे अन्तर्गत निम्नलिखित उपाय आते हैं—

- (१) समझौता (Conciliation),
- (२) मध्यस्थता (Mediation),
- (३) जाँच (Investigation),
- (४) पंच निर्णय (Arbitration),
- (५) श्रीयोगिक न्यायालय की स्थापना (Industrial Courts)।

समझौता (Conciliation)

आपसी समझौता एक ऐसी प्रणाली है जिसके अन्तर्गत सर्वर्प के उपस्थित हो जाने पर मालिक एवं मजदूरों के प्रतिनिधि एक तीसरे व्यक्ति या समिति के समुदाय अपने विवाद को रखते हैं जहाँ आपसी बातचीत द्वारा आपसी समझौते का कोई रास्ता निकालने का प्रयत्न किया जाता है। मध्यस्थ दोनों दलों के दृष्टिकोण जानने के उपरान्त आपसी समझौते के द्वारा विवाद को मुलभाने का प्रयत्न करता है।

समझौता दो प्रकार का हो सकता है—(१) स्वेच्छिक (Voluntary), (२) अनिवार्य (Compulsory)। जब मालिकों एवं मजदूरों द्वारा स्वेच्छा से समझौते की व्यवस्था होती है तो उसे स्वेच्छिक समझौता बहते हैं। जब समझौता कानून अनिवार्य कर दिया जाया है तो उसे अनिवार्य समझौता कहते हैं। सरकार इस व्यवस्था के लिए समझौता अधिकारी (Conciliation officers) या समझौता बोर्डों (Conciliation Boards) की स्थापना करती है।

मध्यस्थता (Mediation)

सर्वर्प की समस्या उत्पन्न होने पर जब कोई प्रमावशाली व्यक्ति, सरकारी या सार्वजनिक अधिकारी अथवा कोई अन्य मध्यस्थ मानले भ हस्तक्षेप करता है तो इस प्रणाली को मध्यस्थता बहते हैं। प्रायः ये मध्यस्थ सरकार द्वारा ही नियुक्त विदेजाते हैं। इस प्रकार की मध्यस्थता का प्रश्न उस समय उपस्थित होता है जब समझौता समिति (Conciliation Board) की बातचीत असफल होकर दृटी-सी प्रवीर होती है। मध्यस्थ का प्रमावशाली व्यक्ति होना अत्यन्त आवश्यक है। इस उपाय को अधिक उपयुक्त नहीं बहा जा सकता क्योंकि यह आवश्यक नहीं कि मध्यस्थ की चातुर मान ही ली जाये।

जाँच (Investigation)

इस प्रणाली के अन्तर्गत श्रीयोगिक भागड़ों का एक समिति द्वारा निरीक्षण किया जाता है। यह भी स्वेच्छिक अथवा अनिवार्य हो सकता है। जब दोनों पक्षों द्वारा अथवा किसी एक एक द्वारा निवेदन करने पर समिति का निर्माण होता है तो इसे स्वेच्छिक जाँच कहते हैं। जब सरकार द्वारा वित्त किसी पक्ष के निवेदन के ही जाँच समिति का निर्माण होता है तो इसे अनिवार्य जाँच कहा जाता है। इन जाँच समितियों (Investigation Committees) का मुख्य कार्य परिस्थितियों का निरीक्षण करने के उपरान्त प्रस्ताव रखना होता है जिनका स्वीकार करना या न करना दोनों ही पक्षों की स्वेच्छा पर निर्भर होता है। इस प्रणाली में समय अधिक लगने के कारण, इसको आदर्श प्रणाली नहीं कहा जा सकता। तथ्यों के प्रकाशित हो जाने पर भी और जाँच समिति के प्रस्ताव रखने पर भी उनका पालन करना बेबल स्वेच्छा पर ही निर्भर है।

पच निर्णय (Arbitration)

इस प्रणाली के अन्तर्गत विवाद को विसी व्यक्ति, समिति या न्यायालय के समुदाय पच की हेसियत से उपरिक्षित किया जाता है। ये पच दोनों पक्षों के तर्क सुनने के उपरान्त अपना फैसला देते हैं। यह फैसला दोनों पक्षों को मानना पड़ता है। पच निर्णय भी स्वेच्छिक या अनिवार्य हो सकता है। स्वेच्छिक पन मिर्णय में पच द्वारा दिया गया नियंत्रण मानना दोनों पक्षों की स्वेच्छापर निर्भर होता है। अनिवार्य पच निर्णय में दोनों ही पक्षों को पच द्वारा दिया गया फैसला अनिवार्य रूप से मानना पड़ता है।

श्रीयोगिक न्यायालय की स्थापना

इस प्रणाली के अन्तर्गत सरकार श्रीयोगिक न्यायालयों की स्थापना करती है। इन न्यायालयों में अमिक्षे एवं मालिकों के बीच समझौता नहीं होने पर विवाद को न्यायाधीश फ समझ प्रस्तुत करने का दोनों ही पक्षों को अधिकार होता है और इनका फैलाव कागृहन मान्य होता है। कभी-कभी ऐसी भी व्यवस्था होती है कि समझौता न होने पर विवाद को न्यायाधीश के समझ रखने के लिए दोनों पक्ष बाध्य होते हैं।

सरकार द्वारा प्रयत्न (Measures taken by the Government)

कार्य समितियों की स्थापना (Establishment of Works Committees)

सर्व प्रथम सरकार ने उन् १९२० में सरकारी द्वारा देलानों में सुनुक समितियाँ (Joint Committees) की स्थापना की थी। इसके उपरान्त मद्रास की कपड़ा

मिलीं, रेलवे, जमशेदपुर के लौह इसात उद्योग एवं कुछ राज्यों के अधिगत उद्योगों में इन समितियों का निर्माण किया गया, परन्तु इनके द्वारा कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं हो सका। सरकार द्वारा भी इस दिशा में कोई प्रयत्न नहीं हुआ। सर्व प्रथम सरकार द्वारा सन् १९४७ में श्रीयोगिक सम्पर्क कानून के अन्तर्गत उन्नीय सरकार ने राज्य सरकारों को विभिन्न उद्योगों में कार्य समितियों निर्माण करने की व्यवस्था की। सन् १९४८ में उत्तर प्रदेशीय सरकार ने २०० या इससे अधिक शमिकों वाला निर्माण-शालाचौं में कार्य समितियों की स्थापना अनिवार्य नर दिया, परन्तु नवमंगल १९५० में इस व्यवस्था का हटा लेना पड़ा। इस ओर नम्रह, नवार, मद्रास एवं पंजाब सरकारों ने भी ददम उठाए परन्तु सफल नहीं रहा। इन कार्य समितियों की असफलता का निम्नलिखित कारण रहे—

(१) नम सब इन समितियों को अपना प्रतियोगी घमनत थे।

(२) उद्योगपति इन समितियों को अम सब का दूसरा रूप समझते थे। उद्योगपति इन समितियों में पैठनर शमिकों से बातचीत करने में अपनी हीनता समझते थे और उनका मन था कि उद्योग के देनिक कार्य इन समितियों से कारण मुकाबले रूप से नहीं चलाये जा सकते।

स्थायी आदेश (Standing Orders)

सर्वप्रथम सन् १९३८ में बम्बई श्रीयोगिक सम्पर्क कानून के अन्तर्गत स्थायी आदेशों की निर्माण की अनिवार्य किया गया। इसके उपरान्त सन् १९४९ में केन्द्रीय सरकार ने श्रीयोगिक रोनगार स्थायी आदेश (Industrial Employment Standing Orders Act) कानून के अन्तर्गत १०० मा इससे अधिक शमिकों वाली श्रीयोगिक संस्थानों में स्थायी आदेशों का निर्माण अनिवार्य कर दिया और इसके पान्न न करने पर दड की व्यवस्था थी। कानून के अनुसार स्थायी आदेशों का निर्माण शमिकों के सहयोग से होगा और इन आदेशों को नम समिश्रनर द्वारा प्रमाणित कराना आवश्यक है। परन्तु अनुभव बहु नतलाता है कि ये कानून उनिन निराकृष्ण के ग्रामाव में सफल नहीं हो सकते।

श्रीयोगिक समिति प्रस्ताव १९४७ (Industrial Truce Resolution 1947)

श्रीयोगिक शान्ति स्थापित करने का उद्देश्य से भारत सरकार ने सन् १९४७ में उद्योगपतियों एवं शमिकों के बीच एक शान्ति-समिति स्थापित करने की व्यवस्था की। इस समिति की मुख्य शर्तें इस प्रकार थीं—

(१) निवादों को सुलभता के लिए सभी कानूनों और अन्य उदादानों की प्रत्येक स्थान पर उचित व्यवस्था की जाए।

(२) उचित मजदूरी (Fair wages) एवं कार्य करने की दशाओं को निर्धारित करने और शम सहयोग प्राप्त करने के लिए उपयुक्त केन्द्रीय, ज़ेब्रोव एवं उत्पादक इकाई समितियाँ स्थापित की जायें।

(३) प्रत्येक औद्योगिक संस्थान में कार्य समिति की स्थापना की जाय।

(४) अभिन्नों का जीवन-स्तर सुधारने के लिए उनके आवास की उचित व्यवस्था भी जाय।

सन् १९४८ में राज्यों के शम मत्रियों का सम्मेलन हुआ जिसमें उचित पारिश्रमिक और मालियों का लाभ निश्चित करने के लिए विशेषज्ञ समितियों की स्थापना की गई। केन्द्रीय सरकार ने १० लाख मकानों वे निर्माण के लिए एक ऐसी निर्माण बोर्ड (Housing Board) की भी स्थापना की। शम रोजगार केन्द्रों (Employment Exchanges) एवं शम प्रशिक्षण केन्द्रों (Labour Training Centres) को भी स्थायी रूप प्रदान किया गया।

औद्योगिक संघर्ष कानून (Industrial Disputes Act)

औद्योगिक शान्ति स्थापित करने के उद्देश्य से भारत में औद्योगिक संघर्ष विधान का इतिहास पुराना नहीं है। सर्वप्रथम इस दिशा में बम्बई राज्य सरकार ने सन् १९२४ में एक औद्योगिक संघर्ष विल प्रस्तुत किया था परन्तु वास्तविक रूप से सन् १९२८ में जाकर कन्द्रीय सरकार एक प्रभावशाली विल प्रस्तावित करने में सफल हो सकी जिसके कारण सर्वप्रथम सन् १९२६ में व्यापार संघर्ष कानून (Trade Disputes Act 1929) पास हुआ। वास्तव में यह कानून सरकार द्वारा औद्योगिक शान्ति स्थापित करने के उद्देश्य से प्रथम सराहनीय प्रयास था।

व्यापार संघर्ष कानून १९२६ की मुख्य धाराएँ

(१) स्वतंत्र अध्यक्ष (Independent Chairman) एवं अन्य स्वतंत्र सदस्यों द्वारा निर्मित जाँच ब्रादालवों (Courts of Enquiry) की उन्नीय सरकार, राज्य सरकार एवं रेलवे द्वारा स्थापना की व्यवस्था की गई। जाँच अदालत का कर्तव्य भगड़े के मूल कारणों को ज्ञात करना था। जाँच हो जाने पर समझौता बोर्ड का कार्य था कि दोनों पक्षों में समझौता करावे।

(२) समझौता बोर्ड (Conciliation Board) की भी व्यवस्था की गई। इसके लिये भी एक स्वतंत्र अध्यक्ष तथा दो या चार राइस्य रखे गये जो समान रूप से दोनों पक्षों का प्रतिनिवित करते थे। इस बोर्ड का कार्य जाँच होने के उपरान्त दोनों पक्षों में आपसी समझौता कराना था।

(३) इस अधिनियम के अन्तर्गत बनहिवकारी उद्योगों में (Public Utility Concerns) में जैसे रेल, तार, डाक, विद्युत, प्रकाश, पानी, सफाई इत्यादि में जिन १४ दिन के नोटिस के हड्डाल अवैध घोषित कर दी गई।

(४) अवैधानिक हड्डाल एवं वालावन्दी की व्याख्या कर दी गई। इस प्रकार किसी ऐसे उद्देश्य की पूर्ति के लिये, जो उपर्यं वाले उद्योग ये सम्बन्धित नहीं हैं, जोई भी हड्डाल अवैध होगी। ऐसी हड्डालें भी विचुके जनग को जोई विशेष अनुचिता एवं कष्ट हो, अवैध घोषित की गई। सहानुभूति ने दी गई हड्डालें भी अवैध करार दी गई।

(५) अम हिव की सुरक्षा के लिये सरकारी अम अधिकारियों (Labour Officers) की नियुक्ति जी भी व्यवस्था की गई।

उपर्युक्त अधिनियम में कई दोष होने के कारण इसकी कुछ आलोचना की गई। सबप्रथम इस कानून में सबर्ये रोकने का कोई स्थायी प्रबंध नहीं था। बीच अदालत एवं समझौता बोर्ड की स्थापना की भी सबर्ये के उपरान्त स्थापित करने की व्यवस्था थी, अतः अस्थायी होने के कारण इन स्थायी का उद्योग विशेष से समर्क न रहना स्वाभाविक ही था। प्रत्येक हड्डाल से जनता को कुछ न कुछ अनुचिता का होना स्वाभाविक ही था, अतः सरकार द्वारा किसी भी हड्डाल को अवैध घोषित किया या रक्खा था। इसके कारण प्रामिकों की ओर से भी इस बान्दा की आलोचना की गई। सहानुभूति हड्डालों के प्रतिवध को भी उनित नहीं समझा गया। इन आलोचनाओं के परिणामस्वरूप सन् १९३२ में उशोधन किया गया और सन् १९३४ में इसको स्थायी रूप दे दिया गया क्योंकि १९३६ में वह अधिनियम प्रथमतः ५ बर्ष के लिये बनाया गया था। भारतीय अम आयोग १। चिक्कारियों के आधार पर इस कानून में युनः सन् १९३८ में उशोधन हुआ।

सन् १९३८ के संशोधन

(१) ओर्योगिक भगवाँ की मध्यस्थिता (Mediation) के लिए समझौता अधिकारियों की (Conciliation officers) की नियुक्ति दी व्यवस्था थी।

(२) अवैध हड्डाल सम्बन्धी नियत्रणों को भी कुछ चिह्नित किया गया।

(३) जन सेवा उद्योग (Public Utility Services) में चल यावायात और द्रामपे उद्योग भी समिलित किये गये।

उपर्युक्त सभी उशोधनों के बाबजूद भी विवादों के निवारण के लिए कोई स्थायी व्यवस्था नहीं थी क्योंकि दोनों ही पक्ष अब भी समझौता-समितियों का निर्णय मानने न मानने को स्वतन्त्र थे।

द्वितीय महायुद्ध

युद्धकालीन परिस्थितियों के अनुकूल सन् १९४१-४२ में सशोधन किया गया। इन सशोधनों के फलस्वरूप प्रमिकों पर बहुत से बन्धन लगा दिये गये जिनके कारण उनका हड्डताल करना कठिन हो गया। उद्योगपतियों की भी जिना नोटिस दिये हुए ही घटों तथा अवकाश इत्यादि म परिवर्तन करने को स्वतन्त्रता दे दी गई। यह सब युद्ध प्रवर्त्तों के हित में ही किया गया।

बनवारी १९४२ म हड्डतालों के परिणामस्वरूप उत्पादन छति रोकने के लिए भारत सरकार ने भारत सुरक्षा कानून की धारा ८१ ए के अन्दर्गत हड्डतालों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया तथा सधप डठ रुपए होने की व्यवस्था में समझौते तथा निराकरण के लिए सरकार को दखना देने के आदेश प्रसारित किये। इसी प्रकार के अधिकार प्रान्तीय सरकार दो दो दिये गये। जिना १४ दिन वी पूर्व सख्तना दिये हुए हड्डताल व तोलाबन्दी को अवैधानिक घोषित कर दिया गया।

उपर्युक्त सभी युद्धकालीन प्रयत्न ये जोकि ३० सितम्बर सन् १९४६ को समाप्त कर दिये गये। किन्तु प्रनुभव से ज्ञात हुआ कि य स्थायी धाराएँ अत्यन्त उपयोगी सदृश हुई थीं। इस काल म सरकार दो ग्रीष्मोगिक भगड़ों का पर्याप्त अनुभव हो गया और उनके आधार पर देश मे स्थायी रूप से ग्रीष्मोगिक शान्ति स्थापित करने के लिए उचित विधान निर्माण की योजना बनाई गई। परिणामस्वरूप कन्द्रीय सरकार ने सन् १९४७ म ग्रीष्मोगिक सर्वप्रथम अधिनियम का निर्माण किया।

ग्रीष्मोगिक सर्वप्रथम अधिनियम १९४७

यह अधिनियम मार्च १९४७ म सन् १९२६ ई० के अधिनियम को स्थानापन्न करने के लिए पास किया गया। इसकी मुख्य धाराएँ नम्बलित हीं—

(१) ग्रीष्मोगिक भगड़ों के रोकने के लिए दो संस्थाओं को जन्म दिया गया है—अम समितियाँ (Works Committees) तथा ग्रीष्मोगिक न्यायालय (Industrial Tribunals) अम समितियों में उद्योगपतियों तथा अमिकों के प्रतिनिधि समिलित होंगे जबकि ग्रीष्मोगिक न्यायालयों में दो एसे सदस्य भी होंगे जिनकी योग्यता निसी हाईकोर्ट के जज के समान हो।

सम्बन्धित सरकारों दो यह अधिकार दे दिया गया है कि वे अमिकों व उद्योग पतियों के सम्बन्धी म सुधार करने तथा उनके पारस्परिक भगड़ों को तय करने के लिए उनके प्रतिनिधियों की अम समितियाँ (Works Committees) प्रत्येक ऐसे ग्रीष्मोगिक स्थान म स्थापित कर दें जहाँ १०० वा इससे अधिक प्रमिक वाम

करते हा। राज्य सरकारों को अधिकार होगा कि वे विसी भी ख़गड़े वी जौन्च कराने के लिए जौन्च न्यायालय (Courts of Enquiry) की मा स्थापना कर दें।

हड्डताल करने ये पूर्व पहले मामला समझौता अधिकारी के समझ जायगा जोकि अपना प्रतिवेदन सरकार के सम्मुख १४ दिन के अन्तर्गत प्रस्तुत करेगा। यदि पैसला हो गया तब तो टीक है अन्यथा इसके उपरान्त सरकार मामले को समझौते बोर्ड अथवा श्रीयोगिक न्यायालय के पास भेजती है। बोर्ड अपना प्रयात दो मास तक कर उठता है। अपकाल होने पर सरकार मामले को पुन जौन्च न्यायालय को सौंपती है जो कि ६ माह तक दोनों अपनी पूरी जाँच करके प्रतिवेदन सरकार के उम्मज्ज प्रस्तुत करती है। इसके बाद सरकार मामले को श्रीयोगिक न्यायालय के पास अपने अनियम निर्णय (Award) देने के लिए भेजती है। सरकार बोर्ड का अधिकार है कि वह इस निर्णय को दोनों पक्षों पर अनिवार्यतः लागू कर सके।

(२) पच पैसले क मध्य मे अथवा उक्त पैसले क दो भाइ तक भी हड्डताल या तालाबन्दी अवैधानिक व दण्डनीय है। जो प्रमिक ऐसी हड्डतालों मे सम्मिलित नहीं होगे उनको पूर्ण रक्षा की जायगी।

(३) जन हितकारी सेवाओं (Public Utility Services) मे हड्डताल करना अवैधानिक व दण्डनीय है। इसके लिए ६ सप्ताह वी पूर्व सूचना आवश्यक है।

(४) राजनैतिक और सहानुभूति मे जो गढ़ हड्डतालों पर प्रतिवन्ध लगा दिया गया है।

सन् १९४७ के एक बानूत द्वारा नेत्रीय सरकार ने एव विशेष श्रीयोगिक न्यायालय की अपना करके पैन्डो और बीमा चैंब्रो मे होने वाल ख़गड़ों को अपने हाथ मे ले लिया है।

इस प्रकार सन् १९४७ का श्रीयोगिक संघर्ष अधिनियम श्रीयोगिक शान्ति स्थापित करने की दिशा म अत्यन्त मह वपूर्ण कदम था। इसके अनुसार समझौता एव पच पैसला अनिवार्य कर दिया गया है।

श्रीयोगिक संघर्ष (अपील न्यायालय) बानूत १९५० Industrial Disputes (Appeal Tribunal Act 1950)- सन् १९४७ के बानूत के निर्णय के अन्तर्गत केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को श्रीयोगिक न्यायालय (Industrial Tribunals) नियुक्त करने वा अधिकार या बिन्दु इन न्यायालयों की कार्यवाही वथा पैसले मे बोई समनवय नहीं था। विभिन्न श्रीयोगिक न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्णयों मे विभिन्न वा और असमानता ती समस्या सुलझाने के लिए सरकार ने उपर्युक्त बानूत के अन्तर्गत एक अपील न्यायालय (Appeal Tribu-

nal) की स्थापना की जो विभिन्न समझौता समितियों, वेतन परिषदों (Wage Boards) एवं न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय पर अपील किये जाने पर पुनर्विचार करता है। इस न्यायालय ने एक चेयरमैन और कुछ सदस्य हांगे जिनकी सहाया समय-समय पर सखार निश्चित करती। सन् १९५५ में अधिनियम में उशोधन करने इस न्यायालय को भग कर दिया गया है।

श्रम सम्बन्ध विल १९५० (Labour Relations Bill 1950)

पिछले अनुभव ने आधार पर न्यूट्रीय सरकार ने पुराने भानूना में मामूली परिवर्तन करने की आवश्यकता समझी और एक विल का प्रारूप तैयार किया। विल १७ फरवरी १९५० को संसद ने समझ प्रत्युत किया गया था। इसका उद्देश्य निम्नों और उपर्योगपत्रिय एवं पारस्परिक सम्बन्धों में और भी अधिन सुधार करना तथा विभिन्न राज्यों में पास हुए भानूना का उम पर्य किया गया। पर तु यह विधेयक बहुत सी ऐसी परिस्थितिय लाकर उत्पन्न करता था जिन पर जनता में मतभेद होने के साथ ही साथ स्वय न द्रीय मन्त्रिमंडल में गम्भीर मतभेद था जैसा कि १९५४ में अपने ल्याग पत्र में ती बी० बी० गिरि ने कहा कि विल १९५४ में

ओर्योगिक सघर्ष अध्यादेश १९५३ (The Industrial Disputes Ordinance 1953)

२४ अक्टूबर सन् १९५३ की राष्ट्रपति का ओर से एक अच अध्यादेश जारी किया गया जिसम कमचारी न पारिमित और उसनी वर्तास्तगी से समन्वित कुछ घाराएँ हैं। इस अध्यादेश के अनुसार—(१) उस नियम को जिसकी एक वर्ष की सेवाएँ हो चुकी हैं, कुछ यतों के साथ, नीमारी की अवस्था म, दिनिव वेतन के ५०% के हिसाब से वेतन पाने का अविकार होगा। तथा (२) जिन एक महाने का नाटिर और विद्युती सवार्गा य लिए, (२ वर्ष म ११ दिन के बाद अधिकार ग्राहक अधिकार वेतन के आधार पर) अनुदान (Gratuity) दिये हुए, जिन्ही कर्मचारी को जिसकी सेवाएँ १ वर्ष की हो चुकी हैं उसका नहीं किया जा सकता। सन् १९५४ म ओर्योगिक सघर्ष निधान में पुनर्शोधन किया गया है। इस संशोधन के अनुसार यह भानून बगीचा उद्योग के कर्मचारियों पर भी १ अप्रैल सन् १९५४ से लागू होता है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सरकार ने ओर्योगिक शाति को स्थापित करने की दिशा म सहानीय प्रयत्न किये हैं। अनियार्थ समझौता एवं पच निर्णय यद्यपि

उन्दित नहीं कहे जा सकते परन्तु भारतीय प्रगति के इस संक्रमण काल में अनिवार्यता का होना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य था। परन्तु स्थायी शांति की स्थापना के लिए केवल अनुरोध एवं दबाव का ही सर्वदा सहारा नहीं लिया जा सकता।

अनिवार्यता सुदूर काल में आवश्यक भी हो, बर्तमान काल में यह अनावश्यक एवं अन्यायपूर्ण है। स्थायी शांति का निर्माण तो आपसी प्रेम एवं सद्भावना के आधार पर ही सम्भव है। कानून द्वारा सुपारों वो मनुष्यों पर लादा नहीं जा सकता। एच० एस० किरकाल्डी (H. S. Kirkaldy) ने टीक ही लिखा है—

“Laws and Libraries are full of statutes and court cases, and decisions on the conduct of married life, but they have not made a marriage happy and successful. This is true in industrial relations. It is just as hard and impractical to prescribe iron-bound rules of behaviour in dealings between Labour and management, as it would be to prescribe them for husbands and wives.”

अक्टूबर सन् १९५२ में नेतृत्वात् में हुए एक तृदलीय भ्रम सम्मेलन (Tripartite Labour Conference) का सामान्य विचार भी यही या कि “अनिवार्य निर्णय (Compulsory Adjudication)” के स्थान पर सामूहिक सौदेबाजी (Collective bargaining) और आपसी समझौते को महत्व दिया जाय। श्री गिरि भी पारत्वरिक समझौते (Mutual Conciliation) और स्वेच्छिक पक्ष निर्णय (Voluntary Arbitration) के पक्ष में थे। वास्तव में श्रीदोगिक शांति स्थापित करने का मार्ग कानूनी व्यवस्था में ही नियत नहीं है। असतोष से ओत प्रोत गोपित एवं जर्जरित श्रमिक वर्ग से शांति की धारना करना ऐसल एक गुप्त त्वचन के रहमान होगा। स्थायी शांति तो धर्मियों वो आर्थिक शृङ्खलाओं द्वे हुटकारा दिलाकर एवं उनके बीच में नवीन चेतना तथा जागृति का प्रादुर्भाव करके ही स्थापित की जा सकती है। मिस्ट्री ए० डी० श्रोफ (Mrs. A. D. Shroff) ने टीक ही लिखा है—

“Let the Government realise that there is no time for mere schemes on paper. This is time for action, words do not matter, act up to your tradition, hold high the maxim of justice and equality and give the workers the place which they deserve in the building up of society.”

भारतीय श्रम की कार्यक्षमता

(Efficiency of Indian Labour)

राष्ट्र के श्रीदोगिक विकास के दो मूल एवं महत्वपूर्ण त्वयम् हैं, श्रम एवं इैंबी। श्रीदोगिक द्वाचे वी भिसि का न्याय इन्हीं दोनों के आधार पर पूर्णतया अवलम्बित है। निश्चेष्ट एवं निक्षिप्त पैैंबी में श्रम ही चेतना प्रदान करता है, अतः उद्योग को बोनन एवं गति प्रदान करने वाले स्तम्भ श्रम का स्थान पैैंबी की ग्रांड्सा अधिक महत्वपूर्ण है। वही कारण है कि राष्ट्र की उत्पादन चमत्का एवं श्रीदोगिक प्रगति वहाँ की अभिनवों की शक्ति एवं चमत्का पर निर्भर होते हैं। भारत में सजनैतिक स्ववन्त्रता प्राप्त ररने के उपरान् राष्ट्र क आर्थिक मोक्ष की समस्या का समाधान निर्वाच आशक है और उसी हमारी राष्ट्रनैतिक स्ववन्त्रता लार्यक सिद्ध हो सकती है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए देश का श्रीदोगिकरण अनिवार्य हो गया है क्योंकि यही निर्धनता, अशानता, रोग तथा आलत्य की समस्याओं का अन्त करक समृद्ध एवं चमत्का का मार्ग है। भारत के युनिनिर्माण का कार्य यहाँ के असर्य अभिनवों के वज्ञों पर ही निर्भर है। आज र वैज्ञानिक प्रतिमा के युग में अभिनवों की सलगा वायषेष्ट हाना ही प्राप्त नहीं, वरन् उनका कार्यकुशल होना भी नितात आवश्यक है। नित्य प्रति नवीन वन्नों तथा उत्पादनों का आविष्कार हुआ करता है और इन्हीं के कुशल सच्चालन पर ही श्रमों की उत्पादन चमत्का निर्भर होती है। अतः आज राष्ट्र क श्रीदोगिक विकास, उत्पादन हृदि तथा युनिनिर्माण के लिए श्रम की कार्यक्षमता में वृद्धि देश की प्रवन एवं आधारनूत्र प्राप्त होता है। राष्ट्र क आर्थिक मोक्ष का स्वर्ण अभिनवों की नार्यक्षमता में वृद्धि स ही साजार हो सकता है। अभिनव ही राष्ट्र क आर्थिक दौँच की रीढ़ है।

श्रम की वर्तमान दशा

आज भारतीय अभिनव उनना नार्यक्षल नहीं है बितम। ने उसके पाश्चात्य खगत के दाथी हैं। यात्त्व में मारतीर श्रम अपनी प्राप्त चमत्का के लिए सार विश्व में असिद्ध है। अन्य देशों में तुलनात्मक अध्ययन करते पर यह स्थिति पूर्यतया स्पष्ट हो

जाती है। अलैंडेरहार मैकारारट के अनुसार अँग्रेज श्रमिक भारतीय श्रमिक की अपेक्षा ४ गुना आधिक कार्य कुशल है। ब्लैमेट सिम्पसन का तो मत है कि सूती वस्त्र उत्योग में भारत के औसतन ३ श्रमिक लङ्घाण्यायर के मिलों में एक श्रमिक के बराबर कार्य करते हैं। सूती मिल उत्योग तटकर कमीशन १६२६ २७ के अनुसार जितने समय में जापानी श्रमिक २४० रुकुओं पर, अँग्रेज श्रमिक ५०० से ६०० रुकुओं पर और अमरीकन श्रमिक लगभग ११२० रुकुओं पर काम करता है उतने ही समय में भारतीय श्रमिक कबल १८० रुकुओं पर बाम कर पाता है। भारतीय बुनकर औसतन २ कर्धे चलाता है तब कि जापानी बुनकर २५, अँग्रेज बुनकर ४ से ६ तक एवं अमरीकी बुन कर ६ कर्डों का सचालन कर उक्ता है। भारतीय उद्योगपतियों का तो कथन है कि बर्तमान मजदूरी (कदानन्त् विश्व में भी सबसे कम है) भी श्रमिकों का कार्यदृमता को देखते हुए मैंहगी है। इसमें सन्देह नहीं कि भारतीय श्रमिक की उत्पादन दृमता अन्य देशों के श्रमिकों की अपेक्षा बहुत कम है। भारतीय श्रमिक का दिविता एवं अडानवार के गहन अधिकार में पालन पोषण होने के बारण उसकी कार्य दृमता का दीन होना स्वाभाविक ही है।

श्रमिकों ती कार्यदृमता निवारित करने वाले सुरक्ष तत्व निम्नलिखित हैं—

- | | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| (१) प्राकृतिक कारण— | (क) बलवानु |
| | (ख) पैतुक गुण |
| (२) आधिक कारण— | (क) वाय के घटे |
| | (ख) उचित मजदूरी |
| | (ग) कारखाने का वातावरण |
| | (घ) छुट्ठियाँ एवं अन्य सुविधाएँ |
| | (ट) आमुनिक चंचों की उपलब्धि |
| | (च) अन्दे किसम क कच्चे माल की उपलब्धि |
| | (छ) कुशल प्रवाह |
| | (ज) स्थायी प्रकृति |
| (३) राजनीतिक एवं यामाजिक— | (झ) सरकार की नीति |
| | (ख) अम कल्याण कार्य |
| | (ग) आद्याए एवं आवास की व्यवस्था |
| | (घ) महत्वादाती मावनाएँ |

उपर्युक्त परिस्थितियों का अनुकूल न होना ही भारतीय श्रमिकों और कुशलता का मुख्य कारण है जैसा कि निम्नलिखित व्यवचन से स्पष्ट होता है—

जलवायु

जलवायु का प्रभाव अमिकों की कार्यक्षमता पर अत्यधिक पड़ता है। उद्दे प्रदेशों के रहने वाले लोग गर्म प्रदेशों के रहने वालों से अधिक शक्तिशाली होते हैं और व अधिक घटों तक काय करने की क्षमता रखते हैं। भारत एक गम देह है। यहां गमियों म तो कारबानों में 120° तक वापक पहुच जाता है। और व अधिक घटों तक कार्य करना अमिकों के लिये अत्यन्त कठिन हो जाता है और व अधिक घटों तक कार्य करन म असमर्थ हो जाते हैं।

कार्य के अधिक घटे

भारतीय उद्योगपतियों की मनोवृत्ति सदैव से यह रही है कि उत्पादन में वृद्धि अमिकों के कार्य करने के अधिक घटों पर हा निर्भर है। परिणामस्वरूप भारतीय अमिकों को औसतन द से १० घन्टे तक प्रतिदिन काम करना पड़ता है जब कि अमेरिका में अमिकों को उसाह में बेवल ४० घटे तथा रुक म ३६ घटे कार्य करना पड़ता है। कार्य के घटे अधिक होने के कारण अमिकों नी रुचि काय के प्रति समाझ हो जाती है और व अपनी उत्पादन क्षमता खो जैतत हैं।

कम मज्जदूरी

भारतीय अमिकों को इतनी कम मज्जदूरी मिलती है कि वे अपनी देनिव आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति भी बड़ी कठिनाइ से कर पाते हैं। दरिद्रता के कारण ही उनको पर्याप्त भोजन भी नहीं मिल पाता है। ऐसी दशा में उनम शक्ति एव सूर्वि का अमाव स्वाभाविक ही है। उनके दिमाग सदैव भावी चिताओं म प्रस्त रहते हैं और उनमें ही उनका जीपन मुला करता है। न तो व अग्रे बच्चों के स्वास्थ्य का ही प्रबन्ध कर पाते हैं और न उनकी छिछा ना ही। दीमारी से रक्षा के लिये तो वे सदैव माय तथा भगवान पर ही निर्भर रहते हैं। इन चिन्ताग्रस्त नर कवालों से कार्य कुशलता की आशा रखना व्यर्थ ही होगा।

कार्य करने की प्रविकूल दशाएँ

भारतीय मिलों का अस्वास्थ्यकर बातावरण भी जिसमें अमिकों को अधिक घटों तक कार्य करना पड़ता है भारतीय अम भी अकुशलता, का एक मुख्य कारण है। ऐसी परिस्थितियों में जहाँ पर यूर्य क प्रवाश क होते हुए भी विनुत प्रवाश की आवश्यकता पड़ती ही और जहाँ शुद्ध वायु का प्रवेश असम्भव हो, मानव का निरन्तर कुशलता पूर्वक कार्य करना कदानित असम्भव ही है। स्वस्थ बातावरण ही मनुष्य को कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करता है और भारत नी मिलों में इसका सबैया अमाव है। ऐसी अस्वस्थ्यकर परिस्थितियों में भारतीय अमिकों का अकुशल होना स्वाभाविक ही है।

लुटियो एवं अन्य सुविधाओं का अभाव

निम्नर वार्ष म खगे रहने के उपरान्त मानव को विधाम की अत्यधिक ग्रावश्वकता रहती है। भारत में काम करने के घटे तो अधिक हैं ही और उसके साथ साथ अभिकों की लुटियों की भी बोई व्यवस्था नहीं है। काम के घटों के बीच में भी जो अवकाश ऊटें मिलता है, वह भी अपर्याप्त है। लुटियों के अभाव में अभिनों के जीवन म मनोरजन का बोई भी स्थान नहीं रह जाता है और वे काम से जी चुपने लगते हैं। काम के प्रति उनकी रक्षा भी नाइ हा जाती है और वे अपनी उत्पादन-क्षमता को पैठत हैं।

चिकित्सा तथा मनोरजन के लिए भी भारतीय अभिनों को बोई तुप्रिषाईं उपलब्ध नहीं हैं। अभिना अपनी दरिंद्रिता के कारण स्वयं चिकित्सा तथा मनोरजन का प्रयत्न करने में असमर्थ होता है। मनोरजन के साधन न उपलब्ध होने के कारण अभिनों को अपनी यक्षन एवं चिन्ताओं से मुक्ति पाने के लिए अपने अभिन भिन शुराय का हा उद्याय लेना पड़ता है जिससे उनकी कार्यक्रमता और भी अधिक गिर जाती है।

उत्तम यन्त्रों का अभाव

भारत के मिलों की मरीनों प्राय छिरी पिटी हैं। आधुनिक मरीनों का उत्पादन अब भी भारत में प्रारम्भ नहीं तुप्रा है और भारत पूर्ण रूप से विदेशों पर आन्तित है। विदेशी ध्वनमय का राठनाइ व कारण आधुनिक मरीनों का आयात भी सम्भव नहीं हो पाता। भारतीय उद्योगपति भी आधुनिक मरीनों पर अधिक रपवा नहीं लगाना चाहते। प्रता आधुनिक यत्रों के अभाव में अभिनों की उत्पादन क्षमता उनकी न होना जितनी अन्य देशों में होती है, स्वामानिक ही है। जिन अच्छी मरीनों के बोई भी अभिन का हो वह कितना ही नियुण एवं स्वत्थ्य क्यों न हो, अभिन उत्पादन नहीं कर सकता। ऐसी परिस्थिति में यदि भारतीय अम की उत्पादन क्षमता कम है तो इसम आश्वर्य ही क्या।

घटिया किस्म के कच्चे माल का उपयोग

हमारे देश के उद्योगपति कबल अधिक से अधिक लाम कमाने की कामना रखते हैं और इसरे लिये वह सब कुछ करने के लिये तैयार रहते हैं। इसी का परिणाम है कि हमारे देश के उद्योगों में प्राय घटिया किस्म के कच्चे माल का प्रयोग निया जाता है जिसका प्रभाव उत्पादन की मात्रा तथा गुण पर प्रतिकूल पड़ता है। यदि कच्चा माल ही अच्छा न हो तो इसमें अभिनों का क्षा दोष। उनकी कार्यक्रमता कम होना स्वामानिक ही है। जैसा कच्चा माल होगा वैसा ही उत्पादन होगा, फिर

अकुशलता का दोष अमिक के मत्त्ये कथों मढ़ा जाय। घटिया किसम के माल होने का प्रमाव भारत के विदेशी व्यापार पर भी सराव पड़ा है।

अकुशल प्रबन्ध

विस प्रकार से फौज की शक्ति उसके नायक अथवा सचालक की कुशलता एवं दूरदर्शिता पर निर्भर होती है, इसी प्रकार से अमिकों की शक्ति उद्योग के सचालक अथवा सगठनकर्ता पर निर्भर होती है। अमिक तो केवल आशा का पालन करने वाला होता है। उसको जो आशा या जो कार्य दिया जायगा इसका सम्पादित करना अनिवार्य है क्योंकि वह अपनी स्वतन्त्रा को मन्दूरी के बदले पहले से ही बेच देता है। यह सचालक का कार्य है कि वह अमिक को वही कार्य दे जिसके लिये वह अधिक उपयुक्त है और जिस कार्य के प्रति उसकी रुचि है। भारत में अकुशल प्रबन्ध का होना भी अमिकों की अकुशलता का एक मुख्य कारण है। भारत में वैशानिक प्रबन्ध (Scientific Management) उचित प्रमापीकरण (Standardization) मालिकों एवं अमिकों में सहवारिता तथा मालिकों के उचित व्यवहार का प्राय अभाव है। ऐसी दशा में अमिकों का अकुशल होना स्वापाविक ही है। यदि वैशानिक प्रबन्ध के आधार पर अमिकों को उनकी रुचि और योग्यता के अनुसार कार्य दिया जाय, उत्पादन प्रणाली में सुधार किया जाय, माल वा उचित प्रमापीकरण हो तथा दुश्ल व्यवन्ध द्वारा अमिकों में यह भावना व्याप्त कर दी जाय कि उद्योग उनका अपना ही है और उसकी सफलता में आशातीत बृद्धि सम्भव न हो।

अमिकों की अस्थायी प्रकृति

भारतीय अमिक प्राय गाँव के रहने वाले होते हैं और वे शहरों में केवल अपनी आप बृद्धि करने के उद्देश्य से आरसानों में नौकरी करते हैं। उनका स्थायी निवास स्थान तो गाँव में ही रहता है और उनका मुख्य उद्दम कृप होता है। परिणामस्वरूप वे स्थायी रूप से कारबानों में काम करने एवं शहरों में बसने के लिए नहीं आते। अमिकों वी इस अस्थायी प्रकृति का प्रभाव यह होता है कि वे अपने दाम के प्रति दोई विशेष इनि नहीं रखते तथा बार बार काम छोड़ने के कारण अपने कारण में दक्ष भी नहीं हो पाते। परिवार के अन्य सदस्यों के साथ न रहने के कारण अमिक सदैव धर जाने की सोचता रहता है। यही कारण है कि वह अधिक लुट्ठियां लेता रहता है। प्राय शहर में अवैले रहने के कारण उसके रहने तथा पाने पीने की व्यवस्था भी उचित रूप से नहीं हो पाती जिसका बुरा प्रभाव उसके स्वास्थ्य पर पड़ता है। इन परिस्थितियों में ससार के किसी भी अमिक का कार्य कुशल होना असम्भव सा ही प्रतीत होता है।

यदि भारतीय अमिक इन परिस्थितियों के कारण कुशल है तो इसमें आश्चर्य ही क्या।

आवास की असुविधा

भारत के सभी औद्योगिक शहरों में मकानों की समस्या बड़ी गम्भीर है। प्रायः अमिक गन्दी कोठरियों में निवास करते हैं, जिनमें सूर्य का प्रकाश एवं स्वच्छ हवा दुर्लभ होती है। ये कोठरियाँ पशुओं के लिए भी कदाचित् अपर्याप्त होती हैं। इनमें बीमारियाँ वे कीटाणु सदा पलते रहते हैं। ऐसे निवास स्थानों में रहकर अमिक अपना स्वास्थ्य खो बैठता है। दिन भर काम करने के उपरान्त भी यदि अमिक विश्राम करने के लिये भी स्थान न हो तो वे कैसे कार्य-कुशल रह सकते हैं। प्रायः देखा गया है कि एक कोठी में ही ४ से ६ अमिक तक रहते हैं। ऐसे बातावरण में रहकर भी वे कार्यकुशल हो सकें ऐसी नव्यना भी नहीं की जा सकती। आवास की उचित व्यवस्था न होने के कारण अमिक अपने परिवार को भी अपने साथ नहीं रख सकता। दिन भर के कठोर परिव्रक्त के उपरान्त घर लौटने पर उसके सहानुभूति दिखाने के लिए कोइ दो शब्द भी वहने वाला नहीं होता है। यकान मिटाने के लिए कोई मनोरजन के साथन भी उपलब्ध नहीं होते। इन सबका परिणाम यह होता है कि वह जुआ खेलता है, शराब पाता है और वैश्यागमन करने लगता है जिससे उसका नैतिक पतन प्रारम्भ हो जाता है और साथ ही साथ कार्यक्रमता भी घटती जाती है।

अम कल्याण कार्यों का अभाव

विदेशी सरकार की उपेक्षा एवं उद्योगपतियों द्वारा अम कल्याण कार्यों पर व्यवहार किया गया ऐसा वर्ष होने वी भावना के कारण भारत में अम-कल्याण कार्यों का सर्वथा अभाव रहा है। उद्योगपतियों द्वारा अम कल्याण कार्यों के न किये जाने के कारण, अमिकों में उनक प्रति कुछ भी सहानुभूति नहीं रह गई तथा कामचोरी की भावना का ग्राउन्ड ट्रावल हुआ जिससे उनकी कार्यक्रमता बहुत हो गई। इसके अतिरिक्त अम-कल्याण कार्यों के अभाव ग्रामिकों का बीवन और भी सुकरमय हो गया। अन्य देशों के उद्योगपति तो अम कल्याण कार्यों को उचित विनियोग (investment) समझते हैं। ऐसी दशा में भारतीय अमिकों की कार्यक्रमता बहुत होना स्वभाविक ही है।

अशिक्षा

सामान्य शिक्षा अमिक के ज्ञान और साधारण कुद्दि के स्तर को लंबा उठाने के लिए अत्यन्त आवश्यक है जिसके बिना अमिकों की कार्यक्रमता में कुद्दि नहीं हो सकती। भारत में आज भी निरक्षरता का साम्राज्य है। हमारे देश में आज भी कुन-

यदि हम भारत के ग्रामाचिक, आधिक एवं राजनेतिक दोषे पर दबिष्ठपात्र करें तो वह सज्ज प्रतीत होने लगता है कि अमिरों की इस देश में सदेव अवहेलना की गई है। भारत में अमिरों की मबदूरी बहुत ही कम है और उनका रहन-सहन का स्तर निम्नकोटि का है। कार्य करने एवं रहने का वातावरण भी अत्यन्त शोचनीय है। उनको निम्नकोटि वा कच्चा माल तथा मशीनें कार्य करने के लिए मिलती हैं। ग्रामिक यित्रा एवं श्रम वल्लाय वाष्णों का पूर्णवया अभाव है। उद्योगपतियों की सहानुभूति से भी वे पृथग्गत से वचित हैं। भारतीय उद्योगों का सङ्गठन तथा प्रबन्ध मी दोषपूर्ण है। सरकार द्वारा जो भी कानून अमिरों के हित के लिए बनाये गये हैं वे भी अधिकारियों की उडासीनता एवं उद्योगपतियों की उपेक्षा के वारण ऐबल वागदी कार्यवाही के रूप में ही रह गये हैं उनको किंवात्मक रूप नहीं प्रदान किया जा सका। ऐसी परिस्थितियों में यदि भारतीय नर कनाल अधिक की तुलना अमरीका, रूस, इण्डिया आदि देशों के समन्वयित्रों से उनका कदाचित् अनुचित होगा। श्रीमती वीरा एन-स्टेय (Mrs. Vera Anstey) ने यीकु ही लिखा है—

“एक लंकाशावर के अमिक के समान उत्पादन करने के लिए मद्रास की वक्तिघम और कर्ताटक मिलों के औसतन ३ अमिकों की आवश्यकता होती है—यह अनुमान भारतीय अमिक की अकुशलता का आधार नहीं मानना चाहिए।.....भारतीय अमिक की अल्प उत्पादन क्षमता मुख्य रूप से यहाँ की मिलों में कार्युसगठन प्रणाली के भिन्न होने के कारण है।”

जहाँ वरु भारतगांधियों भी शारीरिक युक्ति का सम्बन्ध है द्वितीय महायुद्ध में विजय प्राप्त कर उन्होंने अपनी बीरता वा उन समस्त विश्व में पीट दिया है। अतः वही भारतीय नूर मरीन के उम्रुद हार मान ले बदाचित् ऐसा अवभव है। वास्तव में भारतीय अमिक भी कुशलता एवं युक्ति द्वारा तक भारत के गोरक्ष वी बख्तु रही है। आज भी बिन प्रतिष्ठानों ने उसको अन्कूल वातावरण उपलब्ध हो गया है वहाँ उन्हें अन्व दयों के अमिकों दो चुनीती दे दी है। ब्रेडी कमीशन (Grady Commission) जो भारत में सन् १९४२ में आया था, भारतीय अमिकों की अतुल युक्ति देखकर आशर्चर्चित रह गया। श्री कसे (Mr. Casse) ने कहा था—

“भारतीय अमिक प्रथम ऐसी का मिकेनिक है और अपनी कार्य-कुशलता में समस्त विश्व को चुनीती दे सकता है।”

दादानगर के लोहा इत्यात कारपानों का निरीचण करने के उपरान्त छ्यूक आफ ग्लाउस्टर ने बहा था—

“इस उद्योग की स्थापना करने वालों का उत्साह और अमिकों की

कुशलता और शक्ति सम्पन्नता भारत के आधोगिक भविष्य के लिए शुभ लक्षण हैं।"

इसमें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं कि भारतीय अमिक कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी कार्य कर सकता है और केसे भी बदलते हुए वातावरण के अनुकूल अपने को बना सकता है। बम्बई राज्य के कुछ सूती कारखानों में जहाँ वातावरण में कुछ सुधार हुआ है, मजदूरों ने द करघों के सञ्चालन की ज्ञमता प्राप्त कर ली है और उनका उत्पादन लकाशायर के अमिक की तुलना में ८५ प्रतिशत तक पहुँच गया है जब कि लकाशायर के कारखानों की अपेक्षा यहाँ के कारखानों में काम करने की दशाएँ बहुत ही शोकनीय हैं। अम जॉन्च आयोग (Labour Investigation Committee) ने टीक ही लिखा है—

'Considering that in this country hours of work are longer, rest pauses fewer, facilities for apprenticeship and training rarer, standards of nutrition and welfare amenities far poorer, and the level of wages much lower than in other countries, the so called inefficiency cannot be attributed to any lack of native intelligence or aptitude on the part of the workers."

कार्यक्षमता में वृद्धि के उपाय

अमिकों की कार्यक्षमता स्वयं उन पर मालिकों पर तथा सरकार पर अवलम्बित है, अत जब ये सभी अपना अपना कर्तव्य निभाहें तभी इस समस्या का समाधान हो सकता है। इन सभी की मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाना अत्यन्त आवश्यक है। परन्तु इन सभी में सबसे अधिक उत्तरदायित्व मालिकों का ही है क्योंकि अमिकों से लाभ उन्हीं को प्राप्त होता है। इसमें लेशमात्र भी सन्देह नहीं कि यदि अमिकों को कार्य करने एव रहने की सुविधाएँ उचित मजदूरी, याम के घटों में कमी तथा मालिकों द्वारा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार प्रदान किया जाय तो उनकी कार्यकुशलता में आवश्य वृद्धि होगी। वास्तव में इस समस्या का समाधान बेवल बानूनों द्वारा सम्भव नहीं हो सकता। आवश्यकता तो इस बात की है कि अमिकों के लिए ऐसे वातावरण का निर्माण किया जाय जिसमें अमिक यह अनुमत चरने लगे कि राष्ट्र की समृद्धि एव सम्पन्नता में उसका भी योगदान है। परिस्थितियों ने अमिकों को सौदेव उदासीन रहने के लिए विवश कर दिया है। भिल मालिकों को यह समझना चाहिए कि अमिक ही उनके उत्पादन का सक्रिय साथी है और बेवल मर्शीनों तथा टूंजी में वृद्धि के ही उत्पादन वृद्धि सम्भव नहीं है। अमिक मनुष्य है और इसलिए उसके साथ मनुष्य की माँति व्यवहार करना आवश्यक है। अत उत्पादन में वृद्धि के लिए उनके जीवन को सुल-

मन धनाना तथा उनके सुख दुःख में सहानुभूति रखना उद्योग की सफलता के लिए अत्यन्त आवश्यक है। श्री खाड़ी भाई देसाई ने टीक ही कहा है—

“उत्पादन का सिर्फ यह मतलब नहीं कि श्रमिक अधिक परिश्रम करे और अधिक माल बिंदार करे, आसिर मनुष्य के श्रम की भी एक सीमा है। दूसरी ओर मशीनों की उचित देख रख और मरम्मत करने, पहले से उत्तम कर्त्त्व माल के प्रयोग करने तथा उत्पादन प्रणाली पर प्रबन्ध में सुधार करने से ऐसे परिणाम निकल सकते हैं जो अकेले श्रमिक द्वारा अधिक श्रम करने से प्राप्त हुए परिणाम से कही अधिक बढ़-चढ़ कर होगे।”

श्रमिकों के आवास की उचित व्यवस्था, वाचिक प्रशिक्षण की व्यवस्था तथा श्रम कल्याण कार्यों की व्यवस्था में सरकार सहयोग देकर तथा सक्रिय भाग लेकर श्रमिकों के जीवन में नवीन सूक्ष्म एवं चेतना प्रदान कर सकती है। यदि वे सभी सुविधाएँ प्रदान कर दी जायें तो वह दिन दूर नहीं होगा जब भारतीय श्रमिक भी अन्य उन्नतीशील राष्ट्रों के श्रमिकों की माँति कार्यकुशल बन जायेंगे।

उपर्युक्त सुधारों के अतिरिक्त श्रमिकों के अन्दर मनोवैज्ञानिक सुधार की भी बहुत आवश्यकता है जिसके बिना कदाचित् उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने के सभी उपाय असफल रह जायेंगे। साम्यवादी प्रभाव में आकर आज वह जो नीति—काम धोरे करो—अपना रहे हैं, वह उत्तरदायी नागरिकों के लिए उचित नहीं रही जा सकती। आब इस बात की बहुत आवश्यकता है कि श्रमिक यह समझें कि वे राष्ट्र के भाग के निर्माता हैं और उनका कोई भी ऐसा कार्य जिससे उत्पादन शुद्धि में अवरोध उत्पन्न होता है राष्ट्र के प्रति विश्वासघात है। उनका यह परम कर्तव्य होना चाहिये कि अधिक से अधिक उत्पादन करके राष्ट्र के निर्माण में अपना सक्रिय सहयोग प्रदान कर।

उपस्थार

हम यह विषय है कि हमारी राष्ट्रीय सरकार श्रमिकों की दयनीय स्थिति एवं उनके महत्व के प्रति पूर्ण स्पृश्य से जागरूक है। सरकार ने श्रमकल्याण कार्यों में सक्रिय भाग लेकर, न्यूनतम मध्यदूरी निर्धारित करक, आवास की व्यवस्था दरक एवं सामाजिक सुरक्षा की योजनाएँ नारान्नियत करक श्रमिकों के जायिता पो सुखमय बनाने का सराह नीय प्रयत्न किया है। भारतीय उद्योगपति भी समय की माँग के अनुसार मानववादादी दृष्टिकोण अपनाने लगे हैं। श्रमिकों के वाचिक प्रारणादण की व्यवस्था की जा सुनी है। श्रमिकों के हित में और भी कानून बनाये गये हैं तथा बनाये जा रहे हैं। ऐसी दशाओं में भारतीय श्रमिकों की कार्यक्षमता में वास्तव स्वाभाविक ही है। इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारे एवं तुम्हारे वातावरण के प्रादुर्भाव के साथ ही साथ भारत की असल्य मानव शक्ति विजली की भाँति चमक उठेगी।

चतुर्थ खण्ड

“भारतीय-संगठित-उद्योग”

- (१) सूती वक्त उद्योग
- (२) लोह-इस्पात उद्योग
- (३) जूट उद्योग
- (४) सोमेट उद्योग
- (५) कागज उद्योग
- (६) चीनी उद्योग

सूती बख्त उद्योग

(Cotton Textile Industry)

“एही बख्त उद्योग भारतीय औद्योगिक विकास में आपमण्ड तथा पथ प्रदर्शक है। इसने न केवल अपार माला के बख्त आवात से देश को मुक्त किया है, बरन् सरार के नियांत्र माननित्र में महत्वपूर्ण स्थान प्रहण कर लिया है।”—श्री एम० डी० डेफरसे

सूती बख्त उद्योग भारत का एक अत्यन्त प्राचीन तथा अत्यन्त महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्योग है। मानव जीवन की द्वितीय महत्वपूर्ण आवश्यकता बख्त (clothing) की पूर्ति करने वाला यह उद्योग राष्ट्रीय जन जीवन म हृषि के बाद अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित है। भारत क्षमता का जन्म स्थान है और सूती कपड़े के उद्योग का जन्मदाता कहा जा सकता है।

ऐतिहासिक सीमास्ता

आज से ५,००० वर्ष पूर्व भी भारत में उत्तम सूती कपड़ा बुना जाता था। भारतीय बख्त का व्यापार आधुनिक लोकवत्र एव सन्त्यता के जनर मिल, रोम, यूनान आदि अनेक मध्यपूर्व और सुदूर पूर्व के देशों से होता था। इतिहास साक्षी है कि “सोने की चिड़िया” युग में भारत के इस कुटीर उद्योग की स्विट्जरलैंड की चिड़ियों के समान वश्व स्नात प्राप्त थी। प्राचीन रोम में भारतीय मलमल तथा छीठ के बख्त घारण करने में रोमन महिलाएँ अपना गौरव समझती थीं। परन्तु भारत में पदार्पण करने के उपरान्त अँग्रेज यों ज्यों भारतीय राजनीतिक क्षितिज पर छाते गये, वैसे वैसे आर्थिक जगत पर आपात भी नहरे रहे। उनका मुख्य उद्देश्य तो भारत की कमज़ोरियों से लाभ उठाकर इङ्ग्लैण्ड को ऐंजी का आगार बनाना था। परिणामस्वरूप उन्होंने अपने देश की अर्थ-व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव ढालने वाले उद्योगों को नष्ट करना प्रारम्भ कर दिया। हमारा अतीत का गौरव बख्त उद्योग भी इस लिए ए न चच सका। अँग्रेजों ने भारतीय बुनकरों के अँगूठे ही नहीं बरन् हाथों को भी कटवा दिया, सरक्षण एव आर्थिक सहायता का प्रश्न ही नहीं था। इन परिस्थियों में कोई भी उद्योग कैसे

जीवित एवं प्रगति की ओर उम्रुद हो सकता था। परन्तु इतना सब ही दुए भी भारतीय वस्त्रोद्योग द्वारा हुई चिनगारी के समान जीवित बना रहा और समय पाकर आज क्रमिक विकास करता हुआ चिनगारी की ऊपरी राज को हटाकर विश्व वस्त्र बाजार में पुन उभर आया है और विश्व के अन्य औद्योगिक राष्ट्रों के लिए चिन्ता का विषय बन गया है। तो उचानन ने टीक ही लिखा है—

“सूती उद्योग भारत के प्राचीन दुग का गौरव, वर्तमान एवं भविष्य का सदैह किन्तु सदा की आरा है।”

हमार देश में सर्वप्रथम वृद्धतरीय सूती वस्त्र उद्योग वी नाव सन् १८८८ ई० में कलकत्ता म ढाली गई परन्तु यह उफल न हो सकी। सन् १८५४ ई० म वी काशबी द्वारा ने द्वारा नमझ म एक बुगाइ मिल सचालित किया गया। इसके उपरान्त धीरे-धीरे यूग वस्त्र उद्याग प्रगति उत्तरा रहा और आधुनिक काल में यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्योग बन गया है। सन् १८६१ ई० म ‘शाहपुर मिल्स’ की स्थापना अहमदाबाद में थी रनछोडलाल छोटालाल रँहटीवाला के द्वारा हुई। सन् १८६६ ई० म ‘कैलिंग मिल्स’ का स्थापना हुई। बम्बई प्रदेश म कन्ने माल की प्रचुरता, पूँजी की उत्तराधिकारी, कैरिंग की सुविधाएँ, नम जलगायु, यातायात के साधनों की प्रचुरता, आपात तथा निर्यात की सुविधाएँ तथा रिदेशी सस्ते बोयले की उपलब्धता इत्यादि सुविधाएँ उपरियत थीं ग्राम सब प्रथम सूती वस्त्र उद्योग इसी प्रदेश म बढ़ित हुए। नमश्य सूती मिलों की सख्ता म धीरे घारे बृद्धि होने लगी।

सन् १८७३ से बहुत सी काताई व बुगाइ की मिलें अहमदाबाद, शोलापुर, मामपुर, कानपुर, कलकत्ता, मद्रास, बंदुरा तथा आगरा म खुलने लगीं। सन् १८८० में सूती वस्त्र उद्योग के उत्तरान्त काल प्राया। इस सकट काल का कारण माम की कमी, जापानी प्रतिस्पद्ध तथा करेन्सी की दशा थी। जापान और चीन दोनों ही अपने अपने देशों में सूती वस्त्र उद्योग की उन्नति कर रहे थे तथा जापान को बहुत सी ऐसी सुविधाएँ जैसे सस्ता अम तथा सरकारी सहायता एवं रक्ता इत्यादि प्राप्त थीं जो हमारे देश म नहीं था। इन कारणों से हमारे लाता वस्त्र उद्योग की प्रगति में रुकावट आ गई। यह सकट काल लगभग सन् १८०५ तक रहा।

इसके उपरान्त सन् १८०७ म सूती वस्त्र उद्योग किर उन्नति बरने लगा। दूसरे प्रमुख कारण दो थे। प्रथमत विजली प्रयाय प्रारम्भ होने के कारण कार्य के घटों म कमी हुई तथा नाम भी शीघ्रता से होने से उत्तापन गें बृद्धि हु। दूसरे स्वदेशी वस्त्र पहिनने की मावना में बृद्धि होने के कारण भारतीय सूती वस्त्रों की माँग में पर्याप्त बृद्धि हो गई। सन् १८०७ म मिलों की सरका २२४ थी जो कि

सन् १८१४ में बढ़नेर २७१ हो गई। परिणामत्वस्प प्रथम युद्ध के पहले उन् १८१४ ई० तेरु त्वं वस्त्र उद्योग का दृष्टि से हमारा देश विश्व में कोथा स्थान प्राप्त कर सका।

प्रथम युद्ध काल में सूती वस्त्र उद्योग

युद्ध के नास्य विदेशी प्रतिद्वाद्वता का अन्त हो गया तथा सूती वस्त्रों की माँग में बहुत जब्ती बढ़ि हो गई। भारत सरकार तथा अन्य मित्र राष्ट्रीय सरकारों ने अपने वस्त्रों का प्रावश्यकताप्री की पूर्ति भारत निर्मित कपड़ा से हा बरता प्रारम्भ कर दिया। माग म बृद्ध हो जान व बास्तर इस उद्योग ॥। विकास हुआ। युद्ध काल इस उद्योग के विकास के लिए वरदान स्वरूप होनेर उपस्थित हुआ था परन्तु नई मशीनों के प्रायात म कपड़ाइ होने के कारण नवीन मिला का अधिक सर्वत्र में स्थापना न हो चका परन्तु १८५८ मी झरणों की सहरा म एकास बढ़ि हुई। अभी तक इस उद्योग म कपड़ाइ का वर्षों महत्व था परन्तु अब सुनाइ पहुँच ना विकास हुआ। फारस, मसापोदामया, दाक्षयी अश्वाका, लका और मलाया में भारतीय वस्त्रों का नियात होने लगा। इस प्रकार प्रथम युद्ध काल में इस उद्योग का पर्याप्त विवास हुआ।

प्रथम बुद्धोपरान्त काल में प्रगति

युद्ध के उपरान्त विश्वभाग आर्यिन सकट का प्रभाव अर्थ उद्योगों की भावित इस उद्योग पर भी पड़ा। सन् १८२३ के उपरात इस उद्योग का प्रगति शिथिल पहुँच गई। कृषि पदार्थों के मूल्य गिरने के बास्तव कृपशों की कम्य शक्ति छोए हो गई। परिणाम यह हुआ कि दूता वस्त्रों का माँग में बहुत कमी हो गई। युद्धोन्तर काल में सूती वस्त्र उद्योग का उभयुल आर्यिन पूँजीनरण, योग्य प्रबन्धकों का अभाव, कुप्रबन्ध, डेकनिन्ह किशोरजा का अभाव, मशीनों का यिक्षी पिंडी होना तथा कच्चे माल का दुष्प्रयोग आदि समस्याएँ उपास्थित हो गईं। इसी समय सूती मिलों में अनिकों के द्वारा वह जड़ी बड़ी हडताल भी गई। उपरोक्त समस्याओं के कारण सूती वस्त्र उद्योग एक महान रुक्ष म पड़ गया। लगभग सन् १८२३ २४ में यह रुक्ष काल उद्योग रक्षात्मक नीति अपनाइ जाने के कारण निवारण हो सका और खटी वस्त्र उद्योग पुन धारे धारे प्रगति करने लगा। यह प्रगति द्वितीय युद्ध के प्रारम्भ होने से पहले सन् १८३८ ई० तक होती रही। द्वितीय युद्ध भी घोषणा के पहले हमारे देश म कृता मिलों की सरता इष्ट थी। इस प्रगति को निम्न तालिका से भली भाँति आज जा सकता है—

| वर्ष | बारताने |
|------|---------|
| १९४० | ५६ |
| १९५० | १०३ |
| १९५४ | २५१ |
| १९५८ | २६८ |
| १९५९ | ३८८ |

द्वितीय महायुद्ध में सूक्ती उद्योग की प्रगति

महायुद्ध की घोषणा होते ही सूक्ती वस्त्रों की माँग में वृद्धि होने लगी। युद्ध काल में जापान से सूक्ती वपड़ों का आयात बन्द हो गया। प्रलत १९४३ ई० तक देश में सूक्ती वस्त्रों का अकाल हो गया तथा वस्त्र के मूल्य बहुत ऊँचे हो गये। सूक्ती वस्त्र के उद्योगपतियों द्वारा बहुत लघु-चौड़े लाभ प्राप्त हो गये। देश के बहुत नियोंत में लगभग ४०% की वृद्धि हो गई। मित्रराष्ट्र मी भारत से ही अपनी-अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगे। सूक्ती वस्त्र की उत्पादन लागत में भी काफी वृद्धि हो गई। सरकार ने इस परिस्थित में मुधार लाने तथा कठिनाई दूर करने के लिए सूक्ती वस्त्रों का मूल्य नियन्त्रण कर दिया तथा वपड़ों की राशनिंग कर दी। केन्द्रीय सरकार ने इस कार्य के लिए सिविल सप्लाई विभाग की स्थापना की और सन् १९४३ में टेक्सटाइल क्लाय एवं यार्न आर्डर लागू कर दिया। स्टैंडर्ड वस्त्र के नाम से सरकार ने उल्लंघनवालों के नमूने तैयार कराये जिन पर मूल्य शक्ति रहता था। सूक्ती वस्त्र के उत्पादन और पिक्चर पर चढ़ा नियन्त्रण लगा दिया गया। सरकारी नियन्त्रण के होते हुए भी सरकारी अफसरों की घृण्टता तथा मिल मालिकों एवं व्यापारियों की चार नाजारी के पारण वस्त्र नियन्त्रण योजना सफल न हो सकी। इन फारणों से जनता का वस्त्र सवाट नहुत बढ़ गया एवं यह रिथिति लगभग दस वर्ष तक चलती रही। ग्राम्य युद्ध काल के ही समान द्वितीय युद्ध काल में भी सूक्ती वस्त्र उद्योग का पर्याप्त विकास हुआ। सन् १९४४ ई० में सूक्ती अमलों की सख्ता ४०% थी जो कि दो वर्षों के उपरान्त १९४६ में ४२% हो गई।

देश में प्रति व्यक्ति लौह का औसत उपमोग अन्य उन्नतिशील देशों की अपेक्षा बहुत कम है। हमारे देश में प्रति व्यक्ति लोहे का उपमोग केवल आठ पौंड प्रति व्यक्ति है जब कि अमरीका में यह ११० पौंड प्रति व्यक्ति, और ४७० पौंड प्रति व्यक्ति आस्ट्रेलिया में है। इसी प्रकार उत्पादन में भी हमारा देश बहुत पिछड़ा हुआ है। इस उन्नयन हमारे देश का इस्पात का उत्पादन १३.३ लाख टन है जब कि अमरीका में १३०० लाख टन तथा इंग्लैंड में १८० लाख टन प्रति वर्ष है। लंस का उत्पादन प्रतिवर्ष लगभग १२६० लाख टन है। इन प्रगतिशील देशों के उत्पादन एवं उपमोग को देखने से हमारे देश का उत्पादन अत्यन्त अल्प है। अत हमारे देश को अन्य उन्नतिशील देशों के साथ कपेरे ये कधा मिलाकर चलने वे लाए तथा अपने पर्याप्त आर्थिक विकास के लिए लौह एवं इस्पात उद्योग का अभी पर्याप्त विकास करना है। लोहे एवं इस्पात से सम्बन्धित प्रहृत से उद्योग युद्ध चाल में प्रारम्भ हो गए हैं तथा इनकी रक्षा एवं विकास की नड़ी भारी आवश्यकता है जिससे लौह एवं इस्पात के उपमोग में वृद्धि हो सक और उसके अनुरूप ही उत्पादन में भी वृद्धि की जा सके। हमें का विषय है कि इस उद्योग की महत्ता एवं उपयोगिता के विषय में हमारी सरकार, उद्योगपति तथा जनता पूर्णरूप से जागरूक हैं तथा इसको उन्नतिशील बनाने के पर्याप्त एवं प्रशसनीय कार्य किए जा रहे हैं। इस्पात की दृष्टि से १६५८ निश्चय ही एक कठिन वर्ष या, पर अच्छे दिनों के लक्षण निश्चित रूप से दृष्टिगोचर होने लगे हैं। ऐसारी क्षेत्र में इसने विशाल आकार के तीन कारखानों का एक साथ निर्माण करना कोइ मामूली काम नहीं है। ऐसा अब तक कहो नहीं हुआ है। बहुत ये लोगों को हमारे इन प्रयत्नों में विश्वास ही नहीं होता। राउरकेला, भिलाई और फिर दुगापुर—यह भारत का औद्योगिक प्रगति के तीन परमोत्कर्ष बिन्दु हैं। यह कारखाने देश की आतंरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त टनों कर्चे लोहे तथा इस्पात का नियात भी कर सकते। हमारे राष्ट्रपति डॉ राजेन्द्र प्रसाद ने २६ दिसम्बर, १९५८ को दुगापुर की प्रथम बायु भट्टी का उद्घाटन करते हुए लीक ही कहा है—

“अग्र भारत के औद्योगिक उन्नयन का शिलान्यास विधिवत् हो गया है।”

ये तीन महान् इस्पात कारखाने निश्चय ही भारत की शक्ति पर औद्योगिक के प्रतीक हैं।

जूट उद्योग

(Jute Industry)

स्वर्णिम देशा जूट वा थालव में भारत के लिए स्वर्ण के समान विदेशी विनियम डालर अर्जन की हड्डि से अत्यधिक महत्व है। जूट भारत की एक महत्वपूर्ण कृषि समस्ति है और इसके लिए भारत में प्रकृति प्रदत्त सुविधाएँ उपलब्ध हैं। जूट उद्योग भारत का गौरव एवं गर्व है क्योंकि भारत को इसमें प्रारम्भ से लेकर आज तक विश्व में एकाधिकार प्राप्त है। बन् १९५७ में इसके द्वारा देश को १ अरब १४ करोड़ २० लाख टनवे की विदेशी नुस्खा प्राप्त हुई। सुलार भर के जूट कारखाने में कुल चितने करवे हैं उसके ५३ प्रतिशत भारत के इस उद्योग में हैं। इस उद्योग में कुल ३० लाख के लगभग औद्योगिक अभिको का १० प्रतिशत अर्थात् ३ लाख के लगभग काम कर अपनी रोजी प्राप्त करते हैं। बल्ल उद्योग के बाद जूट उद्योग में ही सबसे अधिक औद्योगिक धर्मिक कार्यरत है। भारत के समस्त जूट उत्पादक चेत्रों में कुल मिलाकर २० लाख कूपक परियार इस उद्योग के कारण अपनी आजीविका प्राप्त करते हैं। इस उद्योग की कार्यरत पूँजी ७५ करोड़ रुपये के लगभग है। मारतीय जूट का नामान “विश्व का केरियर” कहलाता है। यह उद्योग हमारे देश का एक मुख्यगठित एवं आदर्श उद्योग है जिसमें प्रदूष, निर्देष एवं अर्थ-व्यवस्था सुनियनित है। निःसन्देह जूट उद्योग भारतीय अर्थतत्र वा मूलाधार है।

ऐतिहासिक नीमांसा

प्राचीन काल में यह एक यह उद्योग के रूप में चलाया जाता था और ऐतिहास से पता चलता है कि अठारहवीं शताब्दी में हमारे देश के बने हुए जूट के टाट एवं बेरे अमरीका इथादि देश को निर्यात किये जाते थे। हमारे देश में आधुनिक संगठित उद्योग के रूप में यह उद्योग उन्नीसवीं शताब्दी में प्रारम्भ हुआ। प्रथम जूट मिल सन् १८५४ ई० में जार्ब आंकलैरड ने स्थापित किया था। आंकलैरड साहब ने स्कोटलैंड से मशीनों वो लाकर ओरामपुर के निवट रिसरद नामक स्थान पर प्रथम जूट मिल स्थापित किया और सन् १८५७ ई० से कताई के अतिरिक्त इसमें

बुनाई का भी काम प्रारम्भ हो गया। सन् १८५८ ई० में बोर्नियो कम्पनी ने एक दूसरे मिल की स्थापना की जिसमें कताई एवं बुनाई दोनों ही काम प्रारम्भ कर दिए गये। उन् १८६० ई० में दो और नये मिल स्थापित हुए। सन् १८७४ ई० में पाँच, और सन् १८७८ में आठ नई जूट कम्पनियाँ खुलीं और कलकत्ता जूट उद्योग का एक विशाल वेन्ड बन गया। यहाँ तक कि सन् १८८२ ई० तक उत्पादन में बहुत बड़ी वृद्धि हुई तथा १८८५ ई० तक पाँच नये मिलों की स्थापना हुई। जूट उद्योग की समस्याओं को हल करने के लिए १८८४ ई० में भारतीय जूट मिल सघ की स्थापना हुई।

सन् १८८२ से लेकर १८८५ ई० तक जूट उद्योग की प्रगति में उत्थान एवं पहन होना रहा परम्परा उत्पादन की मात्रा में निरतर वृद्धि होती रही। उन् १८८५ तक मिलों की सख्त्या २६ हो गई। १६वीं शताब्दी के अन्तिम चार वर्षों में दस नये मिल और स्थापित किए गये। भारतीय जूट उद्योग इस प्रकार धीरे-धीरे उन्नति की ओर अग्रसर होता रहा।

प्रथम युद्धकाल में जूट उद्योग की प्रगति—प्रथम विश्व युद्ध के प्रारम्भ होते ही जूट की बनी हुई सामग्री की माँग बहुत बढ़ गई। एक और युद्ध के लिये उच्च और निपाल बनाने के लिये टाट की माँग बड़ी और दूसरी और लाइयों को पाटने के लिये दोरों की आवश्यकता बड़ी और साथ ही नूट की रसियों एवं सुतलियों तथा अनाज और वस्त्र की पैकिंग के लिये टाट की माँग बहुत बढ़ गई। इस बढ़ती हुई माँग के कारण भारत के जूट मिलों द्वारा विकास करने का स्वर्णिम अवधार प्राप्त हुआ।

प्रथम युद्धोपरान्त जूट उद्योग की प्रगति—युद्ध की समाप्ति के उपरान्त माँग में बहुत बड़ी कमी आ गई। अत जूट उद्योग के लिये सकट काल उपस्थित हो गया तथा बहुत से मिल बन्द हो गये। यह आर्थिक सकट काल सन् १८९६ ई० तक रहा। सकट काल के कलात्मक सूती वस्त्र उद्योग की माँति सुरुगठित होने के कारण बहुत अधिक हानि न हुई और कठिनाइयों के होते हुए भी यह उद्योग धीमी किन्तु निश्चित गति से उन्नति करता रहा यहाँ तक कि १८९४-९५ में ७० मिलों की सख्त्या बढ़कर उन् १८९६-९० में १८ हो गई।

सन् १८९६ ई० के बाद जूट उद्योग में एक बहुत बड़ा सकट काल उपस्थित हुआ। कच्चे जूट के मूल्यों में बहुत बड़ी कमी आ गई और जूट निर्मित वस्तुओं के मूल्य भी घिर गये। इस सकट काल पर विजय प्राप्त करने के लिये जूट मिल सघ ने यह निर्णय किया कि काम करने के घटटे घटा दिये जायें। सन् १८९१ तक घटटों की संख्या कम कर दी गई और १५% करणे बद कर दिए गए। जूट मिल उद्योग के

सुप्रबन्ध तथा उद्योगपतियों की कुशलता के कारण उद्योग की अधिक अवनति नहीं होने वाई परन्तु अभियों की अकस्पा मिस्टी गई। जूट उत्पादक निर्धन हो गए और उद्योग की दशा सरोषजनक हो गई।

द्वितीय विश्व युद्ध तथा जूट उद्योग—द्वितीय युद्ध छिड़ते ही जूट उद्योग में पुनः जीवन का सचार हुआ। सन् १९३६ ई० में भारत में १०७ जूट मिल ये जिनमें ८८ बगाल, ३ उत्तर प्रदेश, ३ बिहार, २ मद्रास और १ मध्य प्रदेश में था। युद्ध के कारण जूट निर्मित पदार्थों की माँग बढ़ गई तथा जूट मिलों को देश तथा विदेशों से बहुत बड़े बड़े आर्डर प्राप्त हुए। काम के घरेटे प्रति सप्ताह ६० कर दिए गए, तथा सरकार ने जूट उद्योग को फैक्टरी एकड़ के प्रतिवर्षों से मुक्त कर दिया। इस काल में जूट उद्योग ने बहुत बड़ी उन्नति की। युद्धकाल में माँग में उतार-चढ़ाव के साथ ही साथ भारतीय जूट उद्योग में थोड़ा बहुत उत्थान पतन होता रहा। इस उद्योग ने मात्रा के साथ ही साथ जूट निर्मित बख्तुओं की उत्तमता में बड़ी अच्छी उन्नति की।

द्वितीय युद्धोपरान्त जूट उद्योग—द्वितीय युद्ध के बाद सन् १९४७ में देश के विभाजन होने से जूट उद्योग पर एक बहुत बड़ा चकट आ गया। देश का वह भाग विसमें ७३.४% कच्चा जूट उत्पन्न होता था, पारिस्थान में चला गया। जूट मिलों के सामने कच्चे माल के अभाव की बहुत बड़ी समस्या उपस्थित हो गई। इस कारण से जूट मिलों में काम के घरेटे घटा दिये गये एवं कुछ मिलों बन्द भी हो गई। देश के विभाजन के बाद सन् १९४७ ई० में लगभग ११३ जूट मिल थे। उन् १९४८ में भारतीय रूपये का अवमूल्यन हो जाने से जूट उद्योग की कठिनाई और भी बढ़ गई। ऐसी परिस्थिति में भारत सरकार ने जूट उद्योग के विकास के लिए कच्चे जूट के उत्पादन में बृद्धि करने का निश्चय किया और इस ओर ठोस कदम उठाया, जिससे जूट उद्योग में पुनः विकास के लक्षण दृष्टिगोचर होने लगे जैसा कि निम्न वालीका से स्पष्ट होता है—

| वर्ष | कच्चे जूट के उत्पादन में बृद्धि | जूट उत्पादन क्षेत्र का निकास |
|------------------|---------------------------------|------------------------------|
| (लाख गाड़ों में) | (लाख पकड़ में) | |
| १९४७ ४८ | १६४३ | ६४२ |
| १९४८ ५४ | ६०६१ | ११४६ |
| १९४९ ५५ | ४१२६ | १८७३ |
| १९५० ५७ | ४२२१ | १८८३ |

भारत विभाजन से पूर्व ५३ लाख गाँठ जूट वा निर्यात करता था परन्तु आज वह ६५ लाख गाँठ जूट वा निर्यात करता है। पुनः इस उद्योग के पैर स्थिर हो गये हैं।

पचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत विकास

प्रथम पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जूट मिलों की विधि बनाने के प्रयत्न दिये गये हैं और जूट उत्पादन में वृद्धि बरने के लिए विभिन्न प्रगति वीर रसा यनिक सादों का प्रयोग तथा गहरी सेती की व्यवस्था की गई है। निर्यात की दृष्टि से सन् १९५६-६० नए लाख टन निर्मित जूट बस्तुओं का निर्यात हुआ है और द्वितीय आयोजन के गत तक ६ लाख टन निर्यात करने का लक्ष्य रखा गया है। द्वितीय पचवर्षीय आयोजन में मशीनों का निर्माण के लिए १३ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है और इन्हें माल न उत्पादन, मशीनों के नवीनीकरण तथा निर्यात की विधि सुधारने के प्रयत्न विए जाने का निश्चय किया गया है। भारत का यह मुख्य उद्योग इन्हें माल की प्राप्ति एवं उत्पादन की दृष्टि से आलमनिर्भर हो गया है तथा विभाजनात्मक समस्या पर अधिकार प्राप्त कर लिया गया है। सन् १९५७ में जूट के माल का कुल उत्पादन १०,३०,००० टन था जो कि सन् १९५८ में बढ़कर १०,५२,००० टन हो गया।

जूट उद्योग की समस्याएँ—हमारे जूट उद्योग का समझ कुछ ऐसी समस्याएँ उपस्थित हैं जिनका कुलमात्रा जाना उद्योग के विकास एवं प्रगति के लिए अत्यन्त आवश्यक है। इन समस्याओं में से निम्नलिखित प्रमुख हैं—

(क) अनार्थिक इकाइयों की समस्या—वर्तमान काल में कुछ जूट मिलों को छोड़कर अन्य रम्पों पाड़े में चल रहे हैं। पिछले चार महीनों में तीन जूट मिलों को अपना कारबार सेट कर वाला लगा देना पड़ा है। इस समस्या का मुख्य कारण मौग भी कही जाती है। किन्तु फिर भी जूट उद्योग अभी तक कार्य क्षेत्र में छटा हुआ है यह इच्छित लिए गौरव वी वात है।

(ख) उत्पादन में वृद्धि की समस्या—इस समय जबकि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हेशिकन और चैकिङ्ग की माँग पटती हुई प्रतीत हो रही है, उत्पादन में वृद्धि एक समस्या है। स्परणीय है कि गत वर्ष जूट उद्योग का उत्पादन १० लाख ६२ हजार टन के स्तर पर रहा था जो सन् १९५८ के बाद का सर्वोच्च स्तर है। सन्तोष की बात पवल इतनी ही है कि देश पे अमर्दर द्वितीय पचवर्षीय योजना के कारण औद्योगिक किसाशीलता बढ़ गई है और फलस्वरूप हेशिकन चैकिङ्ग की माँग में भी वृद्धि हुई है। आवारिक मौग में यह वृद्धि जूट मिलों के लिए विशेष रूप से सहायक हुई है। गत वर्ष

देश के अन्दर बोरों की माँग विशेष रूप से बढ़ी। यह आशा की जाती है कि द्वितीय पचवर्षीय योजना के तारतम्य में हैशियन सैकिङ्ग की माँग निरन्तर बढ़ती रहेगी और इससे जूट मिलों को सहाय प्राप्त होता रहेगा। कारण यह है कि द्वितीय पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत चीनी उद्योग, थीमेट उद्योग तथा रासायनिक खाद उद्योग में बाही बढ़ा विस्तार हो रहा है और इन सभी उद्योगों को अपना माल पैक करने के लिए बोरों की आवश्यकता पड़ती है। किन्तु जहाँ देश के अन्दर बोरों की माँग में वृद्धि हुई है वहाँ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी माँग में हास हुआ है। स्मरणीय है कि सन् १९५३ से १९५५ तक सैकिङ्ग नियांत काफी आशाप्रद रहा था। किन्तु गत वर्ष वह अचानक घट गया। भारतीय बोरों के मुख्य बाजार आस्ट्रेलिया तथा सुदूर पूर्व के देशों में हैं। गत वर्ष दोनों ही स्थानों में माग घट गई।

सन् १९५१ में भारत ने ४ लाख ४४ हजार टन सैकिङ्ग का नियांत किया था किन्तु गत वर्ष नियांत घट कर केवल ४ लाख ८ हजार टन रह गया। हैशियन और सैकिङ्ग तथा विविध मालों का कुल नियांत सन् १९५५ की तुलना में प्राय २५ हजार टन कम रहा। जूट के मालों के नियांत में हास सबके लिए एक अत्यन्त चिन्ताजनक बात है। कारण यह है कि इस समय द्वितीय पचवर्षीय योजना के तारतम्य में सुदूर विनियम की बहुत बड़ी तरीफ चल रही है। आवश्यकता इस बात की है कि नियांत में अधिक से अधिक वृद्धि हो। उसमें वृद्धि के स्थान पर हास एक गम्भीर बात है।

(ग) बाजार की समस्या—इस समय कुछ देश जो पहले अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूर्णतया भारत पर निर्भर रहते थे सब अपने यहाँ जूट मिलों की स्थापना में लगे हुए हैं। कलस्वरूप यह आशावान प्रकट की जा रही है कि ये बाजार सदा के लिए भारत के हाथ से निकल जायेंगे। इस प्रस्तर में बर्मा, थाइलैंड, इण्डोनेशिया और चीन का उदाहरण दिया जा सकता है। इन देशों में जूट मिलों की स्थापना का प्रयत्न हो रहा है और यह बात भारतीय उद्योग के लिए एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में है। इन देशों ने भारतीय जूट उद्योग मालों की माँग घट जाने के कारण नियांत को बहुत बड़ा घब्बा लगा है। केवल इतना ही नहीं जापान और यूरोप की जूट मिलों इस समय अपने अपने देश वी आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के साथ कड़ी प्रतियोगिता कर रही है। चिन्ता का एक अन्य कारण यह है कि पिछले कुछ समय में पाकिस्तान के जूट उद्योग ने बहुत बड़ी प्रगति की है। पहले पाकिस्तान केवल पाठ का उद्योग करता था और जूट मिलों बल्कि चौंके में थीं। अब पाकिस्तान ने अपने यहाँ स्वतंत्र रूप में जूट उद्योग की स्थापना कर ली है। परिणाम यह हुआ है कि पाकिस्तान का बाजार

तो भारतीय मिलों के हाथों से निकल ही गया है वहाँ से उल्टी प्रतियोगिता हो रही है। पहले पाकिस्तान में प्रति वर्ष भारतीय मिलों का प्रायः सचर हजार रुन माल खपता था। अब यह सारा माल वहाँ की मिलों स्वयं उत्पादित करती है। इसके अतिरिक्त वे विदेशों को अपने मालों का निर्यात भी करने लगी है। गत वर्ष पाकिस्तान की मिलों ने विदेशों को प्रायः पचास हजार रुन माल का निर्यात किया था—अर्थात् पिछले वर्ष की तुलना में प्रायः दूना। उच्चरी अमेरिका तथा ब्रिटेन को पाकिस्तानी मिलों का मुख्य विशेष रूप में जा रहा है। भारतीय जूट मिलों के लिए यह एक बहुत बड़ी समस्या है।

(८) कच्चे माल की प्राप्ति की समस्या—वस्तुतः कच्चे माल का प्रश्न ही भारतीय जूट उद्योग की सबसे बड़ी समस्या है। गत वर्ष पाट के माव अचानक बढ़ गये और मिलों का उत्पादन व्यय इसके कलत्वरूप अचानक असमुत्तित हो गया। गत वर्ष जूट मिलों को जो धारा हुआ उसका मुख्य कारण पाट के भावों में आशातीत बुद्धि होना ही है। भारत सरकार इस समस्या से भलीमांति अवगत है। उसने द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना के तारतम्य में पाट का उत्पादन लद्य ५० लाख गोड़ से बढ़ाकर ५५ लाख ४० हजार गोड़ कर दिया है। किन्तु अभी तक यह कहना बहिर्भूत है कि इस उत्पादन लद्य की पूर्ति में सफलता कहाँ तक मिलेगी। प्रश्न केवल तादाद तक ही सीमित नहीं है। पाट व्यापार में कई ऐसे तत्वों का उमावेश हो गया है जो चावावरण को स्थिर नहीं होने देते। फाटका स्थिरता का पुराना शब्द है और पाट का सम्पूर्ण व्यापार फाटके के आधार पर चलता है। फसल वी धोनी होते ही फाटके बाले भावों को कृत्रिम रूप में घटाने-बढ़ाने लगते हैं और कभी-कभी “कार्न-रिंग” आदि वे रूप में भी कृत्रिम परिस्थितियों की सूचिका प्रयत्न किया जाता है। अतः पाट के उत्पादन के सम्बन्ध में पूर्ण आत्मनिर्मता प्राप्त कर लेने पर भी उद्योग की समस्याओं का समाधान न होगा। कच्चे माल के सम्बन्ध में निश्चिन्तता तभी होगी जब फाटक का तत्व समाप्त हो जाय और भावों में कुछ स्थिरता रहे।

(९) नवीनीकरण की समस्या—जूट उद्योग जिस सकटापन्न स्थिति से गुजर रहा है उसका वास्तविक समाधान तभी हो सकता है जब उसके उत्पादन व्यय में कमी हो और प्रतियोगिता शक्ति में बुद्धि। इसके लिए कच्चे माल की मुविषा के अतिरिक्त एक बात और भी आवश्यक है—वह है नवीनीकरण। भारतीय जूट उद्योग ग्रन्थन्त प्राचीन उद्योग है। अधिकांश मिलों की मरीने जीर्ण शीर्ण हो चुकी हैं और उनका नवीनीकरण आवश्यक है। इस दिशा में मुख्य चाहाएँ दो हैं—अर्थात् और दो यूनियनों का विरोध। जहाँ तक प्रथम प्रश्न का सम्बन्ध है उसका समाधान सरकार के सहयोग से ही हो सकता है। दूसरा प्रश्न वास्तविक नी अरेन्डा

मनोबेशानिक अधिक है। मजदूर नवीनीकरण का विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें इस चात का भय है कि मरीनें नई हो जाने पर छँदनी अनियार्य हो जायगी। किन्तु यह आशका निराधार है।

उपसहार

अब तक यद्यपि भारत ने अपनी पूर्ण आवश्यकता का ८० प्रतिशत कच्चा बूट उत्पादित करना प्रारम्भ कर दिया है तथापि जूट निर्मित बस्तुओं के मूल्य बहुत ऊँचे हैं जिसके फलस्वरूप हमारे देश में निर्भित पदार्थों की माँगें बहुत कम हो गई हैं। एक और हमारे मूल्य बहुत ऊँचे हैं और दूसरी ओर विदेशी उत्योगपति जूट के स्थान पर नवीन पदार्थ की खोज कर रहे हैं। कपड़े तथा कागज के कोरों का प्रयोग हीने लगा है। आस्ट्रेलिया, कनाडा इत्यादि देशों में खलिहानों से मोटरों में गल्ला भरने की मशीने प्रयोग में लाई जा रही हैं। हमारे जूट उत्योग के समझ उपस्थित नटिनाइयों के प्रति जूट उत्योगपति तथा सरकार दोनों जागरूक हैं। इन्डियन जूट मिल एसोसिएशन ने माँग में वृद्धि करने के उद्देश्य से अमेरिका एवं इगलैंड में अपने कार्यालय खोल रखे हैं तथा अन्य देशों में प्रतिनिधि मंडल भेजे हैं। इंडियन जूट मिल एसोसिएशन नई नई बस्तुओं को निकालने के लिये अनुसन्धान कर रहा है। हमारी जूट मिलों ने पद्धति, दस्तियाँ, मोटे कपड़े तथा छोटे-बड़े बोरे आदि बनाना प्रारम्भ कर दिया है। यद्यपि पाकिस्तान भी अपने देश में जूट के मिलों की स्थापना करके विश्व प्रतिद्वन्द्वा के चेत्र में पदार्पण कर रहा है और इसके साथ ही साथ अनेक मध्यपूर्व के राष्ट्र जैसे बर्मा, थाईलैंड, फ़िलीपीन, चीन, बाप्पान तथा अमेरिका आदि देशों में जूट या जूट के समान रेशे के उत्पादन के प्रयत्न चल रहे हैं, तो भी भारतीय जूट उत्योग को इस पहलू से उशकित होने की अधिक आवश्यकता नहीं है। भारत आर्थिक नियोजन काल से गुजर रहा है। भारत के शक्कर, खाद एवं सीमेट उत्योग प्रगतिशील हैं। अतः जितनी वाह्य माँग में गिरावट आने की सुम्भावना व्यक्त की जा रही है उससे अधिक आतरिक माँग में वृद्धि होगी जैसा कि निम्नतालिका से स्पष्ट होता है—

| वर्ष | वार्षिक आन्तरिक उत्पत्ति |
|-----------------|--------------------------|
| १९५४ | १,१०,००० टन |
| १९५५ | १,७०,००० टन |
| १९५६ | १,८३,००० टन |
| १९६०—(अनुमानित) | ३,००,००० टन |

परन्तु आज के प्रतिसर्वर्थ के युग में यह आवश्यक है कि जूट का उत्पादन व्यय कम हो। इसके लिए मिलों में नई से नई आधुनिकतम सशीलों का लगाना आवश्यक है, भले ही स्थायी रूप से कुछ मजदूरों को बेकारी का भी सामना करना पड़े। जूटोद्योग के मालिकों में शोपरए की प्रवृत्ति न होकर सहयोग तथा सहमति की प्रवृत्ति होनी चाहिये। अभिक ही उत्पादन की रीढ़ की हड्डी होते हैं। अतः उत्पादन व्यय कम करने में इनका सहयोग निरन्तर आवश्यक है।

राष्ट्रीय उद्योग विकास द्वारा जूट मिलों के आधुनिकीकरण के लिये व्यय मजबूर किये जा रहे हैं। अब तक ६ मिल कम्पनियों के लिये अन्य स्वीकृत किये जा चुके हैं जिनमें से २ को ५०,८१,६८५ रुपये प्राप्त भी हो चुके हैं। अन्य अनेक आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं। ऐसी परिस्थिति में नवीन आशा का सचार हो चुका है और इसमें उद्देश नहीं कि साहस्र, धैर्य एवं बुद्धिमत्ता पूर्ण नियोजित कार्य करने से हमारे जूट उद्योग की सभी समस्थाएँ तुलक बांधेंगी और वह उद्योग निरन्तर विकास के पथ पर जापसर होता रहेगा।

सीमेंट उद्योग (Cement Industry)

भोजन, बख्त तथा आवास मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताएँ हैं और इनमें अतिम आवश्यकता की पूर्ति में सीमेंट का महत्वपूर्ण योग है। आधुनिक युग में भवन-निर्माण की अन्य सामग्री की तुलना में सीमेंट सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसके अतिरिक्त कारखाने, सड़क, पुल, बांध, हवाई-अड्डा, रेलवे स्टेशन आदि के विकास में भी इसका कम महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। वस्तुतः सीमेंट उद्योग इस युग की अनिवार्य आवश्यकता एवं राष्ट्र के आर्थिक निर्माण की मुख्य आधारशिला है। भारत के इस नव निर्माण काल में राष्ट्रीय सरकार जल विद्युत् उत्पादन तथा सिंचाई के लिए बड़े-बड़े बांध व नहरें, यातायात की सुविधा के लिए सड़कें, रेलें, बन्दरगाह एवं हवाई अड्डे, व्यावसायिक मजदूरों के लिए मकान एवं विस्थापितों के लिए बस्तियाँ (Colonies) बनी रही हैं। इन सभी कार्यों की सफलता की पृष्ठभूमि में सीमेंट ही है और यह उद्योग भारत की पञ्चवर्षीय योजनाओं री सफलता का प्रतीक एवं अभिन्न अग्र यन गया है।

ऐतिहासिक भीमांसा

भारत में सीमेंट उद्योग का ऐतिहास पुराना नहीं है। इस उद्योग का प्रादुर्भाव आधुनिक काल में ही हुआ है। प्रथम महायुद्ध तक तो इसका कोई विकसित रूप ही नहीं था। सर्वप्रथम सन् १९०४ में मद्रास में “पोर्टलैण्ड सीमेंट” का निर्माण प्रारम्भ हुआ, परन्तु यह प्रयास नगण्य था। इसके पश्चात् सन् १९१२ में वोस्टन्डर स्थान पर “इंडियन सीमेंट कम्पनी लिमिटेड” ने एक कारखाना स्थापित किया। यह कारखाना सफल रहा। सन् १९१५ में “वटनी सीमेंट एण्ड इंडस्ट्रियल कम्पनी” ने सीमेंट बनाना प्रारम्भ किया। इसके बाद सन् १९१६ में “बैंडी पोर्टलैण्ड सीमेंट कम्पनी” ने लखरी स्थान पर सीमेंट बनाने का कार्य प्रारम्भ किया। इन सभी कारखानों की उत्पत्ति राष्ट्र की आवश्यकताओं को देखते हुए नितान्त अपर्याप्ति थी। परिणामस्वरूप प्रथम युद्ध तक भारत अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए इंग्लैण्ड या अन्य देशों से सीमेंट के आयात पर निर्भर रहता था। सन् १९१४ में भारत ने २,८०,००० टन सीमेंट का आयात किया।

प्रथम युद्ध काल में प्रगति

युद्ध अनित आवश्यकताओं के कारण युद्ध से पूर्व स्थापित कारखानों को अत्यधिक प्रोत्साहन मिला और वे शोध ही उन्नति कर गये। युद्ध के फारण विदेशी सीमेंट की प्रतियोगिता भी कमाल हो गई, देश में पहले से ही सीमेंट के लिए बड़ा दीर्घ बाजार प्रस्तुत था और निर्माण के लिए पर्याप्त मात्रा में कम्बा माल भी उपलब्ध था। इनके ऊनत्वरूप भारतीय सीमेंट उद्योग को प्रथम युद्ध काल में नवीन जीवन मिल गया और वे प्रगति के पथ पर चल पड़े। भारत में ७६ हजार टन प्रतिवर्ष उत्पादन होने लगा।

प्रथम युद्ध के उपरान्त

युद्ध के उपरान्त भी सीमेंट उद्योग वी प्रगति में क्रमशः इुद्धि होती गई। युद्ध के उपरान्त निर्माण कारों के लिए सीमेंट की अत्यन्त आवश्यकता थी। राष्ट्र वा औद्योगिक विकास भी तेवी से प्रारम्भ हो गया था। सरकार ने इस उद्योग को सरकारी भी प्रदान किया जिससे इच्छी विकास की सम्भावनाएँ और भी अधिक बढ़ गईं। परिशाम संस्लर उन् १९१६ और १९२३ के बीच देश में सीमेंट के ७ और नवे कारखाने खुल गये तथा पूर्व स्थित ३ कारखानों की उत्पादन क्षमता दुगुनी हो गई। सन् १९१४ में युल उत्पादन ६४५ टन था, यह बढ़वर सन् १९२४ में २,३६,७४६ टन हो गया और इस बीच में सीमेंट का आयात १,५५,७३३ टन से घटकर १,२४,१८६ टन रह गया। इस आदर्शरूपक उन्नति का कला यह दुक्का कि देश में सीमेंट का अविउत्पादन होने लगा और विभिन्न उत्पादकों में भयकर प्रतिस्पर्धा का प्रारुद्धाव हुआ। इस स्वर्थ का एक यह भी कारण था कि नवीन सात कारखानों की स्थापना उसी चैत्र में की गई थी जो कि पहले से ही सीमेंट के विपरीत तेज़ के अन्तर्गत थे—२ कारखाने बड़नों के निकट, १ छोटा नागपुर में, १ पट्टावर में, १ काठियावाड़ में, १ ब्यालियन राज्य तथा १ हैदराबाद राज्य में स्थापित थे। पारस्परिक स्वर्थों का दुष्परिणाम यह हुआ कि सभी उद्योगों ने हानि होने लगी। इस हानि का अनुमान २ से २२ करोड़ रुपये के बीच लगाया गया। नवे कारखानों में से तीवीन ने अपनी जीवन लीला ही कमाल कर दी। ऐसी स्थिति पक्क अनिश्चित काल तक नहीं रह सकती थी। अबशेष उद्योगों में सम क्तन का प्रादुर्भाव हुआ और सन् १९२४ में सीमेंट का उद्योगपात्रों ने ऐरिक्सोर्ड के सम्मुख उत्पादन का प्रत्यावर रखा। अब अब अन्तर्गत आयात पर २५ ल० प्रति टन कर लगाने का दुकान था। नोर्ड ने गम्भीर विचार करने के उपरान्त इस प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया। बोर्ड का विचार था कि समस्त विदेशी प्रतिस्पर्धा की नहीं, बरन् आन्तरिक स्वर्थों की थी। अतः इस उद्योग को सरकार ने कोई आवश्यकता नहीं

समझी गई। परन्तु उद्योग के राष्ट्रीय महत्व को देखते हुए बोर्ड ने राजकीय-सहायता की लिफारिश की। सरकार ने इह सिफारिश को भी अस्वीकार कर दिया। ऐसी परिस्थिति में उद्योगपतियों का उद्योग की रक्षा बरने के लिए स्वयं उपाय बरने के लिए विषय होना पड़ा। परिणामस्वरूप पारस्परिक प्रतिस्पर्धा का अन्त बरने के लिए सीमट क उद्योगपतियों ने ८८-१९४५ म “इंडियन सीमट मन्युफ्चर्स एसोसियेशन” की स्थापना का। इस सघ का काय विक्री मूल्यों का निर्धारण एवं नियमन था। सघ ये नियमण से आपसी प्रतिस्पर्धा का अन्त हो गया और आगानी चार वर्षों में मूल्यों में कटौती बरने अथवा बमी बरने नी कोइ समस्या नहीं उठा। सघ क्वल मूल्य निर्धारण बरना या और सघ की प्रत्येक इकाई अपना स्थाय किंवद्दन करने के लिए स्पतन्त्र थी। कुछ समय उपरान्त सघ ने विक्री की व्यवस्था करने के लिए एक सामूहिक संस्था स्थापित करने के लिये प्रत्येक कारखाने की सम्पूर्ण विक्री पर ५ आना प्रति टन का च दा लगा दिया। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सन् १९२७ म एक संस्था भी स्थापित बर दी गई जिसका नाम “ब्लॉट एसोसियेशन आफ इंडिया” रखा गया। इस संस्था का मुख्य वार्य सीमट क उपभोक्ताओं में सीमट क प्रयोग का प्रचार बरना एवं आवश्यकता पड़ने पर उन्हें नि गुरुक तापिक (Technical) सलाह देना था।

सघ के निर्माण के पश्चात् सीमट उद्योग नो पुन जीवन मिल गया और इस उद्योग की स्थिति म आश्चर्यजनक सुधार होने लगा। उद्योगपतियों में भी नवीन आशा एवं साहस का सचार हुआ। सफलता से प्रेरणा प्राप्त कर उद्योगपतियों ने सन् १९३० ६० म सीमट क विषयन को नियमित करने के उद्देश्य से ‘सीमेट मार्किट आफ इंडिया’ नामक संस्था स्थापित करने की योजना बनाई। इस संस्था का मूल उद्देश्य व्यक्तिगत विषयन प्रबन्ध क स्थान पर सामूहिक रूप से विषयन प्रबन्ध एवं नियन्त्रण करना था। परन्तु सदस्य बम्पनी विषयन पर अपना व्यक्तिगत नियन्त्रण छोड़ने को तैयार न हुई क्योंकि व अपनी अपनी विषयन व्यवस्था को सुसगलित करने का प्रयत्न करने म सलग्न थी। परिणामस्वरूप यह योजना कार्यान्वित न की जा सकी। इतना अवश्य हुआ कि सर्वउम्मति से यह निर्णय किया गया कि प्रत्येक कार खाने की उत्पादन मात्रा को सीमित कर दिया जाय। इस प्रकार सभी कारखानों की सामूहिक वापिक उत्पादन कमता ७,२२,००० टन निर्धारित कर दी गई। इन सामूहिक प्रथलों के फलस्वरूप सीमेट उद्योग को पुन गति मिली और यह उद्योग प्रगति के पथ पर चल पड़ा।

सन् १९३२ म ‘कोम्पनी ऑफ सीमट कम्पनी’ द्वारा सन् १९३४ म ‘शाहाबाद सीमट कम्पनी’ की स्थापना हुई जिससे कमश ६०,००० टन एवं १,४०,००० टन का

अतिरिक्त उत्पादन होने लगा। विषयन के सम्बन्ध में समझौते के अनुसार जो कोटा प्रत्येक कम्पनी के लिये निश्चित हुआ था उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी जिसका अनुसार कम्पनियाँ अपना प्रधार या विकास न करने के लिए बाध्य हों। सन् १९३५ में यह अनुभव किया जाने लगा कि इस उद्योग में अभी विकास के लिए पर्याप्त चेत्र है और सामूहिक रूप से उत्पादन एवं विषयन करने पर उत्पादन व्यय में और भी कमी की जा सकती है। परिणामस्वरूप श्री एफ० ई० दिनशा के सद्ग्रहणों के फल-कमी की जा सकती है। एसोशियेटेड सीमेंट कम्पनी (ACC) के नाम से स्थापित की गई। इबल बम्पनी 'एसोशियेटेड सीमेंट कम्पनी' (ACC) के नाम से स्थापित की गई। इबल प्रयास द्वारा उद्योग को अधिक शक्तिशाली बनारर विदेशी स्वर्गी से मुक्ति प्राप्त करना एवं उत्पादन तथा विषयन व्यय कम रखके उपचारकार्ता द्वारा को सत्ती दर पर सीमेंट उद्योग में अभिनवीकरण की दिशा में यह सर्वप्रथम प्रयास था। इस प्रयास द्वारा उद्योग को अधिक शक्तिशाली बनारर विदेशी स्वर्गी से मुक्ति प्राप्त करना एवं उत्पादन तथा विषयन व्यय कम रखके उपचारकार्ता द्वारा को सत्ती दर पर सीमेंट उद्योग को सुख्ख लाद्य था। उद्योग को स्वयं अपने दैरों पर लड़ा करने के लिए इस प्रवार का प्रयास आवश्यक ही नहीं अनिवार्य था। इस प्रयास के फलस्वरूप सीमेंट के मूल्य २५० प्रतिशत कम हो गये और नारखानों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होने लगी। सन् १९३७ में पोर्टलैंड सीमेंट का उत्पादन ८,८७,००० टन हो गया। और सन् १९३८ में २५२२ २५०,००,००० टन हो गया। इस प्रगति से प्रोत्साहन पाकर सन् १९३८ में डालमिया दल की स्थापना हुई। इस दल के अन्तर्गत कारखाना दा निर्माण तो १९३८ में ही प्रारम्भ हो चुका था, जिन्हे वास्तविक उत्पादन १९३८ से ही सम्भव हो सका। डालमिया दल ने अपने को एसोशियेटेड सीमेंट कम्पनी से छलग रखा। जिसके कारण बाजार में सर्वी होने लगी और पुन उद्योग के समुख गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई। पारदर्शक स्वर्गी का अन्त उद्योग के विकास के लिए आव रिधि उत्पन्न हो गया। पारदर्शक स्वर्गी से यह गम्भीर स्थिति अधिक दिनों तक न रह पाई क्योंकि इसक हो गया। सीभाग से यह गम्भीर स्थिति अधिक दिनों तक न रह पाई क्योंकि सन् १९४० में दोनों दलों में समझौता हो गया और विषयन का कार्य 'सीमेंट मार्केटिंग कम्पनी आफ इंडिया लिमिटेड' को खोप दिया गया। इस समय ए० सी० सी० क अन्तर्गत १२ बारखाने और डालमिया दल के अन्तर्गत ५ कारखाने थे। इसके अतिरिक्त चार बारखाने स्वतन्त्र रूप से उत्पादन करते थे।

द्वितीय महायद्ध एवं उसके उपरान्त

युद्धकाल में सीमेंट उद्योग को विदेशी सर्वांगे से स्वामानिक सरकार भिल गया। युद्ध का आवश्यकताओं के कारण सरकार की माँग भी सीमेंट के लिए अत्यधिक बढ़ गई। उद्योग को नवीन सूखति मिली और उद्योग का आश्चर्यजनक विकास ग्राम्य हो गया। चन् १९४१-४२ में तो उत्तादन २२ लाख टन पहुँच गया जो अब तक के

उत्पादन में अधिकतम था। सीमेंट की माँग में अत्याधिक वृद्धि होने के कारण सरकार ने सीमट के उत्पादन एवं वितरण पर अपना अधिकार कर लिया। देश के सभूर्ण उत्पादन का लगभग ६० प्रतिशत भाग सरकार ने अपने युद्धकालीन निर्माण कार्यों के लिए मुरचित कर लिया। इस स्थिति में जनता को बष्ट होना स्वाभाविक ही था। माँग के बढ़ने के कारण सीमेंट के उद्योगों को अपना प्रतार करने का स्वर्ण अवसर मिल गया। ८० सी० सी० के अन्तर्गत सथानों में विस्तार होने के फलस्वरूप इसकी उत्पादन क्षमता में ५० प्रतिशत की वृद्धि हुई।

उपर्युक्त प्रगति सन् १९४२ के उपरान्त अवश्द्ध हो गई। इसका मुख्य कारण सरकार द्वारा नियन्त्रण था। इसके अतिरिक्त कौयले का अभाव, अमिको के झगड़े, यातायात की असुविधा, राजनैतिक उपलब्ध पुथल आदि अन्य कारण ये जिन्होंने इस उद्योग की प्रगति में बाधा उपस्थित बर दी। युद्ध के कारण विदेशी ऐ मशीनों का आयात भी सम्भव नहीं हो सकता था जिसके कारण धिसी हुई मशीनों का आधुनिकी करण भी नहीं हो सका। पुरानी मशीनों पर उत्पादन क्षमता कम हो जाना स्वाभाविक ही था। परिणामस्वरूप सन् १९४२ के उपरान्त सीमेंट उत्पादन क्रमशः कम होने लगा। यहाँ तक कि सन् १९४६-४७ में कुल उत्पादन १५,४२,००० टन सीमेंट था।

सन् १९४७ में इस उद्योग को गिरावन के फलस्वरूप एक और धक्का लगा। विभाजन के पहले सीमेंट के २४ बारखाने ये परन्तु विभाजन के कारण इनमें से ५ पाकिस्तान के हेत्र में चले गये। अतः सन् १९४८ में कुल उत्पादन लगभग १००४६ मिलियन टन ही रह गया। सन् १९४८ में डालमिया दल पुनः अलग हो गया और अपनी विपणन व्यवस्था भी अलग करने लगा। यह व्यवस्था तब से वर्तमान समय तक चली जा रही है।

युद्धोत्तर विकास की योजनाओं में सरकार ने सन् १९५२ ई० तक सीमेंट के उत्पादन का लक्ष्य ६० लाख टन प्रति वर्ष रखा। यद्यपि इस लक्ष्य की प्राप्ति तो सम्भव न हो सकी, परन्तु सन् १९५४ के उपरान्त उत्पादन म क्रमशः वृद्धि अवश्य होने लगी। आन्तरिक माँग में वृद्धि, विकास योजनाओं के पूरा करने के लिए सरकार द्वारा माँग, यातायात की सुविधाओं म वृद्धि, सरकारी नियन्त्रण की शिथिलता एवं स्वतंत्र नागरिकों के उल्लास तथा उत्साह ने इस उद्योग को नवीन चेतना एवं साहस प्रदान किया। सीमेंट के वर्तमान कारखानों में उत्पादन क्षमता बढ़ाये जाने के प्रयास कार्यान्वित किये जाने लगे और नवीन संस्थानों का जन्म होने लगा। सन् १९५० में स्थापित तीन नये कारखानों ने—सीराष्ट्र, मद्रास एवं बाबन्कोर कोनीन—जिनकी वार्षिक उत्पादन क्षमता २६,००,००० लाख टन थी, सन् १९५१ से उत्पादन प्रारम्भ बर दिया। इसके अतिरिक्त तीन और नये कारखाने स्थापित किये गये जिनमें से सिवालिया (बम्बई)

ने अप्रैल १९५१ में तथा सवाई माधोपुर (राजस्थान) तथा राजगढ़पुर (उडीसा) के कारखाने में सन् १९५२ से उत्पादन कार्य प्रारम्भ कर दिया गया। सन् १९५३-५४ में उचर प्रदेश सरकार ने ४२ करोड़ रुपए की पूँजी से मिर्जापुर जिले में राष्ट्रसंगठ के निकट चर्क नामक स्थान में एक नया कारखाना स्थापित किया। इसमें सन् १९५४ से उत्पादन होने लगा। सन् १९५५ में रिंदी में सीमेंट का कारखाना स्थापित होने से सीमेंट उद्योग की उत्पादन घमवा २ लाख टन से और बढ़ गई। इसी अवधि में सीमेंट के ७ कारखानों की आधुनिकीकरण योजना पूरी होने से इन कारखानों की उत्पादन क्षमता १० लाख टन से और बढ़ गई। सन् १९५५-५६ में ११ नये कारखानों तथा १२ पुराने कारखानों के विस्तार की योजनाओं को सरकार द्वारा स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप इस उद्योग की वार्षिक उत्पादन क्षमता लगभग ७० लाख टन हो गई है। सन् १९५६ के उपरान्त इस उद्योग की प्रगति का अवलोकन निम्न तालिका से यहन्ता से किया जा सकता है—

| वर्ष | उत्पादन |
|------|-------------------|
| १९५६ | २१ लाख टन |
| १९५० | २३ " " |
| १९५१ | ३२ " " |
| १९५२ | ३५ " " |
| १९५३ | ३७ " " |
| १९५४ | ३८ " " |
| १९५५ | ४५ " " |
| १९५६ | ४८ " " |
| १९५७ | ५६ " " |
| १९५८ | ६० लाख ६० हजार टन |

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि सन् १९५५ तक का योजना आयोग का लक्ष्य ४८ लाख टन सीमेट पूरा ही नहीं हो चुका है, वरन् लक्ष्य के आगे भी पहुँच गया है। सन् १९५३ तक २३ कारखाने थे। १९५६ तक ६ नये कारखानों ने उत्पादन प्रारम्भ कर दिया। सभी कारखानों को निम्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—

(१) ऐसोशियेटेड सीमेट कम्पनीज लिमिटेड १३ कारखाने

(२) राज्य सरकारी के ३ कारखाने

(३) अन्य लिमिटेड कम्पनियों के १३ कारखाने (इनमें से १० कम्पनियों का प्रधान मेरेजिंग एंड वर्टेट वरते हैं)। सन् १९५८ में सीमेट के दो और कारखाने खोले गए, और इस प्रकार कारखानों की कुल संख्या ३१ हो गई है।

द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना के अन्तर्गत सरकार ने सीमेट का वार्षिक उत्पादन १३० लाख टन तक लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस योजना काल में इस उद्योग के विस्तार की निम्न रूपरेपा बनाई गई है—

(१) वर्तमान २८ कारखानों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि।

(२) ३१ नये सीमेट कारखाने खोलने की व्यवस्था।

वर्तमान कम्पनियों द्वारा ६ नये कारखाने और नये लोगों द्वारा १८ नये कारखाने खोलने के लिए सरकार स्वीकृति प्रदान कर चुकी है। इस विस्तार के कल स्वरूप सीमेट उद्योग की स्थिति इस प्रकार हो जाने की आशा है—

| वर्ष | कारखानों की संख्या | वर्तमान कारखानों की वार्षिक क्षमता (लाख टन में) | नये कारखानों की क्षमता (लाख टन में) | योग (वार्षिक क्षमता) (लाख टन में) |
|------|--------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|
| १९५८ | ४२ | ८० ३३ | २४ ८८ | १०४ २२ |
| १९६० | ४४ | ८१ ७१ | २८ ५४ | ११९ २५ |
| १९६१ | ५३ | ८८ ५६ | ४८ ६८ | १३६ २७ |
| १९६२ | ५५ | ८८ ५६ | ५२ ६८ | १४१ ५७ |

सन् १९५७ में तटकर आयोग के सुझाव

सीमेट वितरण का कार्य जुलाई १९५६ से राज्य व्यापार नियम के हाथ में

जूट उद्योग

(Jute Industry)

स्वर्णिम रेशा जूट का वास्तव में भारत के लिए स्वर्ण के समान विदेशी विनियम डालने अर्जन की दृष्टि से ग्रात्यधिक महत्व है। जूट भारत की एक महत्वपूर्ण औपि सम्पत्ति है और इसके लिए भारत में पृथक् प्रदक्ष सुविधाएँ उपलब्ध हैं। जूट उद्योग भारत का गौरव एवं गर्व है क्योंकि भारत ने इसमें प्रारम्भ से लेकर आज तक विश्व में एकाधिकार प्राप्त है। सन् १९५७ में इसके प्लांट देश का १ अरक्ष २४ करोड़ २० लाख रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुए। साथार भर के जूट बारादानों में कुल बितने करवे हैं उसके ५३ प्रतिशत भारत के इस उद्योग में हैं। इस उद्योग में कुल ३० लाख के लगभग औद्योगिक श्रमिकों का १० प्रतिशत अर्थात् ३ लाख के लगभग काम कर अपनी रोज़ी प्राप्त करते हैं। बल्कि उद्योग के बाद जूट उद्योग में ही सरके अधिक औद्योगिक श्रमिक कार्यरत हैं। भारत के समस्त जूट उत्पादक क्षेत्रों में कुल मिलाकर २० लाख क्षुपक परियार इस उद्योग के कारण अपनी आजीविका प्राप्त करते हैं। इस उद्योग की कार्यरत पूँजी ७५ करोड़ रुपये के लगभग है। भारतीय जूट का समान “विश्व का पेरियर” कहलाता है। यह उद्योग हमारे देश का एक सुसंगठित एवं आदर्श उद्योग है जिसमें प्रबन्ध, नियंत्रण एवं अर्थ व्यवस्था सुनियनित है। नि सन्देह जूट उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था का मूलाधार है।

ऐतिहासिक भीमास्ता

प्राचीन काल में यह एक यह उद्योग के रूप में चलाया जाता था और इतिहास से पता चलता है कि अटारहवीं शताब्दी में हमारे देश के बने दुए जूट के टाट एवं बोरे अमरीका इत्यादि देशों को निर्यात किये जाते थे। हमारे देश में आधुनिक संगठित उद्योग के रूप में यह उद्योग उन्नीसवीं शताब्दी में प्रारम्भ हुआ। प्रथम जूट मिल सन् १८५४ ई० में जार्ज ग्रावलैट ने स्थापित किया था। आंकलैण्ड साहब न स्काटलैण्ड से मशीनों को लाकर थीरामपुर के निकट रिसरद नामक स्थान पर प्रथम जूट मिल स्थापित किया और सन् १८५७ ई० से कताई के अतिरिक्त इसमें

खुनाई का भी काम प्रारम्भ हो गया। सन् १९५६ ई० में बोर्नियो कम्पनी ने एक दूसरे मिल की स्थापना की जिसमें खुनाई एवं खुनाई दोनों ही काम प्रारम्भ कर दिए गये। सन् १९५६ ई० में दो और नये मिल स्थापित हुए। सन् १९७४ ई० में पाँच, और सन् १९७८ में आठ नई जूट कम्पनियाँ खुली और कलाकृता जूट उद्योग का एक विशाल केन्द्र बन गया। यहाँ तक कि सन् १९८२ ई० तक उत्पादन में बहुत बड़ी वृद्धि हुई तथा १९८५ ई० तक पाँच नये मिलों की स्थापना हुई। जूट उद्योग की समस्याओं को हल करने के लिए १९८४ ई० में भारतीय जूट मिल समूह की स्थापना हुई।

सन् १९८२ से लेकर १९८५ ई० तक जूट उद्योग की प्रगति में उत्थान एवं पतन होता रहा परन्तु उत्पादन की मात्रा में निरतर वृद्धि होती रही। सन् १९८५ तक मिलों की संख्या २६ हो गई। १९८२ के अन्तिम चार वर्षों में दस नये मिल और स्थापित किए गये। भारतीय जूट उद्योग इस प्रकार धारे धीरे उन्नति की ओर अग्रसर होता रहा।

प्रथम युद्धकाल में जूट उद्योग की प्रगति—प्रथम विश्व युद्ध के प्रारम्भ होने ही जूट की बनी हुई सामग्री की माँग बहुत बढ़ गई। एक और युद्ध के लिये वाम्पू और निपाल बनाने के लिये टाट की माँग बड़ी और दूसरी और खाइयों को पाठने के लिये वोरों की आवश्यकता बड़ी और साथ ही जूट की रस्सियों एवं सुरलियों तथा अनाज और बस्त की पौर्णिंग के लिये टाट की माँग बहुत बढ़ गई। इस बढ़ती हुई माँग के कारण भारत के जूट मिलों को विकास करने का स्वरित अवसर प्राप्त हुआ।

प्रथम युद्धोपरान्त जूट उद्योग की प्रगति—युद्ध की समाप्ति के उपरान्त माँग में बहुत बढ़ा कमी आ गई। अब जूट उद्योग के लिये सकट काल उपस्थित हो गया तथा बहुत से मिल क्षेत्र हो गये। यह आर्थिक सकट काल सन् १९६६ ई० तक रहा। सकट काल के कलत्वल्य सूती बस्त उद्योग की भाँति सुसगरित होने के कारण बहुत अधिक हानि न हुई और कठिनाइयों के होते हुए भी यह उद्योग धीमी किन्तु निश्चित गति से उन्नति करता गया यहाँ तक कि १९६४-६५ में ७० मिलों की संख्या दबूकर सन् १९६६-६७ में ८८ हो गई।

सन् १९६६ ई० के बाद जूट उद्योग में एक बहुत बढ़ा सकट काल उपस्थित हुआ। कच्चे जूट के नुस्खों में बहुत बड़ी कमी आ गई और जूट निर्मित वस्तुओं के मूल्य भी गिर गये। इस सकट काल पर विजय प्राप्त करने के लिये जूट मिल समूह ने यह निर्णय किया कि काम करने के धरणे घटाकर दिये जायें। सन् १९६१ तक घटाकर जूट मिल उद्योग के दी गई और १५% करवे बढ़ कर दिए गए। जूट मिल उद्योग के

भारत अमाजन से पूर्व ५३ लाख गाठ नूट का निर्यात करता था परंतु आज वह ६५ लाख गाठ नूट का निर्यात करता है। पुनः इस उद्योग के पेरि स्थिर हो गये हैं।

पचवर्षीय योननाडो के अन्तर्गत पिकास

प्रथम पचवर्षीय योनना न अन्तर्गत नूट मिलों की स्थिति को ठोक बनाने के प्रयत्न दिये गये हैं और नूट उत्पादन में वृद्धि करने के लिए विभिन्न प्रबार की रणा यानन लादा का प्रयाग तथा गहरी खाती जी व्यवस्था की गई है। निर्यात की दार्ज से सन् १९५६ ई० में लाख टन निमित नूट बत्तुओं का निर्यात हुआ है और द्वितीय आमोनन व प्रत तरह लाख टन नियात करने का लक्ष्य रखा गया है। द्वितीय पचवर्षीय आयोजन न मशीनों के निर्माण के लए १३ करोड़ रुपये की व्यवस्था का गई है और चौथे माल व उत्पादन, मशीनों न नवीनीकरण तथा निर्यात की स्थापत तुषारणों के प्रबल विद्युत जाने का निश्चय किया गया है। भारत दा यह मुख्य उद्योग चौथे माल नी प्राप्त एवं उत्पादन की दृष्टि से आमनिश्चर हो गया है तथा विभाजनन्वय समस्या पर आधिकार प्राप्त कर लिया है। सन् १९५७ में नूट का माल का कुल उत्पादन १०,३०,००० टन था जो १९ सन् १९५८ में बढ़कर १०,५२,००० टन हो गया।

नूट उद्योग की समस्याएँ—हमारे नूट उद्योग के समव्यक्ति के समव्यक्ति के समस्याएँ उपस्थित हैं। जनना तुजकाया जाना उद्योग के पिकास एवं प्रगति के लिए अत्यन्त आवश्यक है। इन समस्याओं में से निम्नालालित प्रमुख हैं—

(क) अनार्थिक इकाइयों की समस्या—वर्तमान वाल मुद्दे नूट मिलों को छोड़कर अन्य सभी धारे में बढ़ रहे हैं। पछले चार महीनों में तीन नूट मिलों को अपना कारबार समट कर दाला लगा देना पड़ा है। इस समस्या का मुख्य कारण माम की वटी है। किंतु फ़िर भी नूट उद्योग अभी तरह कार्ब चैन में डटा हुआ है यह इसके लिए गौरव की बात है।

(ख) उत्पादन में वृद्धि की समस्या—इस समय जबकि अन्तर्राष्ट्रीय तंत्र पर हैश्यन और सैकिङ दी माम धरती हुई प्रतीव हो रही है, उत्पादन में वृद्धि एक समस्या है। स्मरणीय है। एक गत वय नूट उद्योग का उत्पादन १० लाख ६२ हजार टन के सर पर रहा था जो सन् १९५२ के बाद का सर्वोच्च सर है। सन्ताप की बात बदल इतनी ही है। इन देशों के अद्वारा दृष्टीय पचवर्षीय योनना के कारण औद्योगिक किसायीलता बढ़ गई है और फ़ज़स्तरूप हैश्यन सैकिङ की माम में भी वृद्धि हुई है। आधारक माम में यह बृद्ध नूट मिलों के लिए विशेष रूप ये यहायक हुई है। यह वर्ष

देश के अद्वारों की माँग विशेष रूप से बड़ी। यह आशा की जाती है कि द्वितीय पचवर्षीय योजना के तारतम्य में हैशियन सैनिक्स की माँग निरन्तर बढ़ती रहेगी और इससे जट मिलों को सहारा प्राप्त होता रहेगा। कारण यह है कि द्वितीय पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग तथा रासायनिक खाद उद्योग में काफी बढ़ा विस्तार हो रहा है और इन सभी उद्योगों को अपना माल पैर करने के लिए द्वारों की आवश्यकता पड़ती है। इन्तु जहां देश के अन्दर द्वारों की माँग में वृद्धि हुई है वहाँ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी माँग में हास हुआ है। स्मरणीय है कि सन् १९५३ से १९५५ तक सैकिङ्ग निर्यात माली आशाप्रद रहा था। फिन्तु गत वर्ष वह अचानक घट गया। भारतीय नोटों के मुख्य बाजार आस्ट्रेलिया तथा सुदूर पूर्व के देशों में हैं। गत वर्ष दोनों ही स्थानों में माँग घट गई।

सन् १९५१ में भारत ने ४ लाख ४४ हजार टन सैकिङ्ग का निर्यात किया था जिन्तु गत वर्ष निर्यात घट कर केवल ४ लाख ८ हजार टन रह गया। हैशियन और सैकिङ्ग तथा विविध मालों का युल निर्यात सन् १९५५ की मुलाना म प्राय २५ हजार टन कम रहा। जट के मालों के निर्यात में हास सबके लिए एक अत्यन्त चिन्हाबनक गत है। कारण यह है कि इस समय द्वितीय पचवर्षीय योजना के तारतम्य में युद्ध की बहुत बड़ी तरीके चल रही है। आवश्यकता इस बात की है कि नियात म अधिक से अधिक वृद्धि हो। उसमें वृद्धि के स्थान पर हास एक गम्भीर गत है।

(ग) बाजार की समस्या—इस समय कुछ देश जो पहले अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूर्णतया भारत पर निर्भर रहते थे सभी यहाँ जट मिलों की स्थापना में लगे हुए हैं। कल स्वरूप यह आशाका प्रकट की जा रही है कि ये बाजार सदा के लिए भारत के हाथ से निकल जायेंगे। इस प्रस्तुति में बर्मा, थाइलैंड, इण्डोनेशिया और चीन का उदाहरण दिया जा सकता है। इन देशों में जट मिलों की स्थापना का प्रयत्न हो रहा है और यह बात भारतीय उद्योग के लिए एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में है। इन देशों में भारतीय जट उद्योग मालों की माँग घट जाने के कारण निर्यात को बहुत बड़ा घस्का लगा है। कवल इवना ही नहीं जापान और यूरोप की जट मिल इस समय अपने अपने देश नी आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के साथ बड़ी प्रतियोगिता कर रही है। चिन्ता का एक ग्रन्थ कारण यह है कि पिछले कुछ समय में पाकिस्तान के जट उद्योग ने बहुत बड़ी प्रगति की है। पहले पाकिस्तान के बाट का उत्पादन बहता था और जट मिलें उल्कते में थीं। अब पाकिस्तान ने अपने यहाँ स्वतन्त्र स्प में जट उद्योग की स्थापना कर ली है। परिणाम यह हुआ है कि पाकिस्तान का बाजार

सो मारतीय मिलों के हाथों से निकल ही गया है वहाँ से उन्हीं प्रतियोगिता हो रही है। पहले पाकिस्तान में प्रति वर्ष मारतीय मिलों का प्रायः सच्चर हजार टन माल खपता था। अब यह सारा माल वहाँ की मिलों स्वयं उत्पादित करती हैं। इसके अविरिक्त दो विदेशों को अपने मालों का निर्धारित भी करने लगी है। गत वर्ष पाकिस्तान की मिलों ने विदेशों को प्रायः पचास हजार टन माल का निर्धारित किया था—अर्थात् विद्युते वर्ष की तुलना में प्रायः दूना। उत्तरी अमेरिका तथा बर्मा को पाकिस्तानी मिलों का माल विशेष रूप में जा रहा है। मारतीय जूट मिलों के लिए यह एक बहुत बड़ी समस्या है।

(४) कच्चे माल की प्राप्ति की समस्या—वस्तुतः कच्चे माल का प्रश्न ही मारतीय जूट उद्योग की सबसे बड़ी समस्या है। गत वर्ष पाठ के भाव अचानक बढ़ गये और मिलों का उत्पादन व्यय इसके फलस्वरूप अचानक असन्तुलित हो गया। गत वर्ष जूट मिलों को जो धारा हुआ उसका मुख्य कारण पाठ के भावों में आयातीत वृद्धि होता ही है। भारत सरकार इस समस्या से भलीभांति अवगत है। उसने द्वितीय दबदबातीय योजना के तारिख्य में पाठ का उत्पादन लद्दर ५० लाख गॉड से बढ़ाकर ५५ लाख ४० हजार गॉड कर दिया है। किन्तु अभी तक यह कहना बठिन है कि इस उत्पादन लद्दय की पूर्ति में सफलता वहाँ तक मिलेगी। प्रश्न केवल बादाद तक ही सीमित नहीं है। पाठ व्यापार में कहाँ ऐसे तत्वों का समावेश हो गया है जो वातावरण को स्थिर नहीं होने देते। फाटका स्थिरता का पुराना शब्द है और पाठ का समूर्ध व्यापार फाटके के आधार पर चलता है। फसल की बोनी होते ही फाटके बाले भावों को कृत्रिम रूप में घटाने-बढ़ाने लगते हैं और कभी-कभी “वार्न-रिंग” आदि के रूप में भी कृत्रिम परिस्थितियों की सुषिक्षा का प्रयत्न किया जाता है। अतः पाठ के उत्पादन के सम्बन्ध में पूर्ण आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लेने पर भी उद्योग की समस्याओं का समाधान न होता। कच्चे माल के सम्बन्ध में निश्चिन्तता तभी होगी जब फाटके दा तत्व समाप्त हो जाए और भावों में तुछ स्थिरता रहे।

(५) नवीनीकरण की समस्या—जूट उद्योग निस सकारात्मक स्थिति से गुजर रहा है उसका वास्तविक समाधान तभी हो सकता है जब उसके उत्पादन व्यय में कमी हो और प्रतियोगिता शक्ति में वृद्धि। इसके लिए कच्चे माल की मुविद्या के अतिरिक्त एक चात और भी आवश्यक है—वह ही मशीनों का नवीनीकरण। मारतीय जूट उद्योग अत्यन्त प्राचीन उद्योग है। अधिकाराय मिलों की मशीनें बीर्य-शीर्य हो चुकी हैं और उनका नवीनीकरण आवश्यक है। इह दिशा में मुख्य बाधाएँ दो हैं—अर्थात् आवश्यक और द्वेष धूनियनों का विरोध। जहाँ तक प्रथम प्रश्न का सम्बन्ध है उसका समाधान सरकार के सहयोग से ही हो सकता है। दूसरा प्रश्न वास्तविक की अपेक्षा

मनोवैज्ञानिक अधिक है। मजदूर नवीनीकरण का विरोध इचलिए करते हैं क्याकि उन्हें इस गत का भय है कि मशीनें नहीं हो जाने पर छुटनी अनिवार्य हो जायगी। किन्तु यह आशका निराधार है।

उपस्थार

अब तक यद्यपि भारत ने अपनी पूर्ण ग्रावश्यकता का ८० प्रतिशत कच्चा लूट उत्पादित करना प्रारम्भ कर दिया है तथापि जूट निर्मित वस्तुओं के मूल बहुत ऊँचे हैं जिसक फलस्वरूप हमारे देश में निर्मित पदार्थों की मात्राएं बहुत कम हो गई हैं। एक और हमारे मूल बहुत ऊँचे हैं और दूसरी ओर विदेशी उद्योगपति जूट के स्थान पर नवीन पदार्थ जी सोन कर रहे हैं। कपड़े तथा कागज के बोरों का प्रयोग होने लगा है। आस्ट्रेलिया, कनाडा दत्यादि देशों में खलि हानों से मोटरों में गल्ला भरने की मशीनें प्रयोग में लाई जा रही हैं। हमारे जूट उद्योग का समक्ष उन्नियत कठिनाइयों के प्रति जूट उद्योगपति तथा सरकार दोनों जागरूक हैं। इन्डियन जूट मिल एसोसिएशन ने माँग में वृद्धि रखने का उद्देशन च अमेरिका एवं इंगलैंड में प्रथने कार्यालय सोल रखे हैं तथा अन्य दशा में प्रतिनिधि मढ़ल मेने हैं। इंडियन जूट मिल एसोसिएशन नहीं नहीं वस्तुओं को नियालने के लिये अनुसन्धान कर रहा है। हमारी जूट मिलों ने पद्म, दरिया, मोटे कपड़े तथा छाट बोट जार आदि बनाना प्रारम्भ कर दिया है। यद्यपि पाकस्तान भी अपने देश में जूट के मिलों की स्थापना करके विश्व प्रतिद्वन्द्वी के ज्वर में पदार्थण कर रहा है और इसके साथ ही साथ अनेक मध्यपूर्व के राष्ट्र जैसे बर्मा, थाईलैंड, फिलीपीन, चीन, जापान तथा अमेरिका आदि देशों में जूट के समान रेशो के उत्पादन का प्रयत्न चल रहे हैं, तो भी भारतीय जूट उद्योग को इस पहलू से सशक्ति होने की अधिक प्रावश्यकता नहीं है। भारत ग्राहिक नियोन का ल सुन्दर रहा है। गारत के शक्कर, साद एवं सीमेट उद्योग प्रगतिशील हैं। अत जितनी बाह्य माग में गिरावट आने की सुम्भावना व्यक्त की जा रही है उससे अधिक आतंकिक नाग म वृद्धि होगी जैसा कि निम्नतालिका से स्पष्ट होता है—

| वर्ष | वार्षिक आन्तरिक सपत |
|-----------------|---------------------|
| १९५४ | १,१०,००० टन |
| १९५५ | १,७०,००० टन |
| १९५६ | १,८३,००० टन |
| १९६०—(अनुमानित) | ३,००,००० टन |

परन्तु आन क प्रतिस्तर्धा के युग में यह आवश्यक है कि जूड का उत्पादन व्यय कम हो। इसके लिए मिलों में नई से नई आवृत्तिकरण मरणीनों का लगाना आवश्यक है भले ही व्यावी रूप से कुछ मजबूरा को बेकारी का भी सामना बरना पड़। जूड उद्योग के मालिका में शोषण की प्रवृत्ति न होनेर सहयोग तथा सहमति की प्रवृत्ति होनी चाहिये। अभिन्न हा उत्पादन की राट की हड्डी होते हैं। अत उत्पादन व्यय कम करने में इनका सहयोग निरान्त आवश्यक है।

राष्ट्रान उद्योग विभास निगम द्वारा जूड मिला के आवृत्तिकरण न लिये गए मनूर लक्ष्ये जा रहे हैं। अब तक ह मिल कम्पनीय के लिये गए स्थीरत लक्ष्ये जा चुके हैं जिनम से २ को ५०,६१,६८४ लक्ष्ये प्राप्त भी हो चुके हैं। अत अनेक आवदन प्रति विचाराधीन हैं। ऐसी पारास्थिति में नवीन आशा का उचार हो चुका है और इसम से देह नहीं कि साहस, विष एवं तुद्धमता पूर्ण निवोनित कार्य बरने से हमारे जूड उद्योग की सभी समस्याएँ सुलझ जायगी और यह उद्योग निर तर विरास के पथ पर अग्रसर होता रहेगा।

सीमेंट उद्योग (Cement Industry)

भोजन, बख्त तथा आवास मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताएँ हैं और इनमें अतिम आवश्यकता की पूर्ति में सीमेंट का महत्वपूर्ण योग है। आधुनिक सुग में भवन-निर्माण की अन्य सामग्री की तुलना में सीमेंट सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसके अतिरिक्त कारसाने, उड़क, पुल, बांध, हवाई-अड्डा, रेलवे स्टेशन आदि के यिकास में भी इसका कम महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। वस्तुतः सीमेंट उद्योग इस सुग की अनिवार्य आवश्यकता एवं राष्ट्र के ग्राहिक निर्माण की मुख्य आधारशिला है। भारत के इस नव निर्माण काल में राष्ट्रीय सरकार जल विद्युत-उत्पादन तथा चिंचाई के लिए बड़े बड़े बांध व नहरें, यातायात की सुविधा के लिए सड़कें, रेलें, बन्दरगाह एवं हवाई अड्डे, व्यावसायिक मजदूरों के लिए मकान एवं विस्थापितों के लिए वस्तियाँ (Colonies) बनी रही हैं। इन सभी कार्यों की सफलता की पृष्ठभूमि में सीमेंट ही है और यह उद्योग भारत की पचवर्षीय योजनाओं की सफलता वा प्रतीक एवं अभिज्ञ अग बन गया है।

ऐतिहासिक भीमांसा

भारत में सीमेंट उद्योग का इतिहास पुराना नहीं है। इस उद्योग का प्रादुर्भाव आधुनिक काल में ही हुआ है। प्रथम महायुद्ध तक तो इसका कोई विकसित रूप ही नहीं था। सर्वप्रथम सन् १६०४ में मदास में “पोर्टलैण्ड सीमेंट” का निर्माण प्रारम्भ हुआ, परन्तु यह प्रथास नगरेय था। इसके पश्चात् सन् १६१२ में पोरबन्दर स्थान पर “इंडियन सीमेंट कम्पनी लिमिटेड” ने एक कारसाना स्थापित किया। यह कारसाना सफल रहा। सन् १६१५ में “कट्टनी सीमेंट एण्ड इंडस्ट्रियल कम्पनी” ने सीमेंट बनाना प्रारम्भ किया। इसके बाद सन् १६१६ में “बूदी पोर्टलैण्ड सीमेंट कम्पनी” ने लखरी स्थान पर सीमेंट बनाने का कार्य प्रारम्भ किया। इन सभी वारसानों की उत्पत्ति राष्ट्र की आवश्यकताओं को देखते हुए निवान्त अपर्याप्त थी। परिणामस्वरूप प्रथम युद्ध तक भारत अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए इज्जलैण्ड वा अन्य देशों से सीमेंट के आयात पर निर्भर रहता था। सन् १६१४ में भारत ने १,८०,००० टन सीमेंट का आयात किया।

प्रथम युद्ध काल में प्रगति

युद्ध जनित आवश्यकताओं के कारण युद्ध से पूर्व स्थापित वारपानों को अत्यधिक प्रोत्साहन मिला और ये शीघ्र ही उन्नति कर गये। युद्ध के कारण विदेशी सीमेंट की प्रतियोगिता भी समाप्त हो गई, देश में पहले से ही सीमेंट के लिए बड़ा दीर्घ बाजार प्रख्यात था और निर्माण के लिए पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल भी उपलब्ध था। इनके प्रभाव से भारतीय सीमेंट उद्योग को प्रथम युद्ध काल में नवीन जीवन मिल गया और वे प्रगति के पथ पर चल पड़े। भारत में ७६ हजार टन प्रतिवर्ष उत्पादन होने लगा।

प्रथम युद्ध के उपरान्त

युद्ध के उपरान्त भी सीमेंट उद्योग वी प्रगति में जमश्य चृद्ध होती गई। युद्ध के उपरान्त निर्माण कारों के लिए सीमेंट की आवश्यकता थी। राष्ट्र का औद्योगिक विकास भी लेजी से प्रारम्भ हो गया था। सरकार ने इस उद्योग को सरकारी प्रदान किया जिससे इहकी विद्यार्थी सम्मादनाएँ और भी अधिक बढ़ गईं। परिशोध स्वरूप सन् १९१६ और १९२३ के बीच देश में सीमेंट के ७ और नये कारखाने खुल गये तथा पूर्व स्थित ३ कारखानों की उत्पादन क्षमता दुगुनी हो गई। सन् १९१४ में कुल उत्पादन ८४५ टन था, यह बढ़कर सन् १९२४ में २,३६,७४६ टन हो गया और इस बीच में सीमेंट वा आयात १,६५,७२३ टन से बढ़कर १,२४,१८६ टन रह गया। इस प्राइवेट उन्नति का फल यह हुआ कि देश में सीमेंट का अति उत्पादन होने लगा और विभिन्न उत्पादकों में भविकर प्रतिस्पर्धा का प्रादुर्भाव हुआ। इस स्थिरा-ज्ञा एक यह भी कारण था कि नवीन सात कारखानों की स्थापना उसी ज्ञेत्र में की गई थी जो कि पहले से ही सीमेंट के विषयन ज्ञेत्र के अन्तर्गत थे—२ कारखाने कट्टनी के निकट, १ छोटा नागपुर म, १ पञ्जाब म, १ काटपांचाड में, १ ग्वालियर राज्य तथा १ हैदराबाद राज्य में स्थापित थे। पारस्परिक स्थिरा का उत्परिणाम यह हुआ कि सभी उद्योगों ने हानि होने लगी। इस हानि का अनुमान २ से २५ करोड़ रुपये के बीच लगाया गया। नये कारखानों में से तीन ने अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर दी। ऐसी स्थिति एक अनिश्चित काल तक नहीं रह सकती थी। अब उद्योगों में सुगठन का प्रादुर्भाव हुआ और सन् १९२४ में सीमेंट के उद्योगपात्रों ने टैरिक-बोर्ड के समक्ष सरकार का प्रस्ताव दखाया जिसके अनुसार आयात पर ८५ रु० प्रति टन कर लगाने का मुझाव था। बोर्ड ने जमीन विदार करने के उपरान्त इस प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया। बोर्ड का विचार था कि समस्या विदेशी प्रतिस्पर्धा की नहीं, बरन् आन्तरिक स्थिरा की थी। अतः इस उद्योग को सरकार की कोई आवश्यकता नहीं

समझी गई। परंतु उद्योग के राष्ट्रीय महत्व का देखते हुए बोर्ड ने राजकीय सहायता का चिफारिश की। सरकार ने इस चिफारिश का भी अत्याकार कर दिया। ऐसी परि स्थिति में उद्योगपतियों को उद्योग की रक्षा करने के लिए सब उपाय करने के लिए विवश होना पड़ा। पारणामस्वरूप पारस्परिक प्रतिस्पर्धा का अन्त करने के लिए सामट के उद्योगपतियों ने सन् १९४५ में “इडवन सामट मन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन” की स्थापना की। इस संघ का काय नक्की मूल्यों ना निधारण एवं नियमन था। संघ के निमाण से आपसी प्रावस्था का अन्त हो गया और यागामी जार वर्षों में मूल्यों में कौतूहल दरने अथवा कमाए जाने की ओर सम्भ्या नहीं उठा। संघ के बाल मूल्य निधारण नहीं था और संघ का प्रत्यक्ष इकाइ अपना स्वयं का नक्की प्रबंध भरने के लिए स्वतंत्र था। कुछ समय उपरान्त संघ ने नक्की की व्यवस्था करने के लिए एक सामूहिक संस्था स्थापित करने के लिये प्रत्यक्ष कारबाहेर नाम सम्पूर्ण विभी पर भूमि आना प्रति टन का चार लगा दिया। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सन् १९२७ में एक संस्था भा स्थापित कर दा गई जिसका नाम “क्रोट एसोसिएशन आफ इडवना” रखा गया। इस संस्था का उत्तर राय सीमट के उपभोक्ताओं में सीमट के प्रयोग का प्रचार करना एवं आवश्यकता पड़ने पर उ हैं नि शुल्क ताक्तक (Technical) रुलाह देना था।

संघ के निमाण के पश्चात् सामट उपयोग को पुन जीवन मिल गया और इस उद्योग की स्थिति में आश्चर्यजनक सुधार होने लगा। उद्योगपतियों ने भी नवीन आशा एवं साझा का सचार हुआ। सफलता से प्रेरणा प्राप्त कर उद्योगपतियों ने सन् १९३० ई० में सीमट के विपणन को नियमित करने के उद्देश्य से ‘सीमेंट मार फटिंग आफ इडवना’ नामक संस्था स्थापित करने की योजना बनाई। इस संस्था का मूल उद्देश्य व्याकरण विपणन प्रबंध के स्थान पर सामूहिक रूप से विपणन प्रक्रिया एवं नियन्त्रण करना था। परन्तु सदस्य कम्पनी विपणन पर अपना व्यक्तिगत निय बण को छोड़ने को तेवार न हुई क्याकि व अपनी अपनी विपणन व्यवस्था को सुचारू करने का प्रयत्न करने में सलभन थी। परिणामस्वरूप यह योजना कार्यान्वित न की जा सका। इतना अवश्य हुआ कि सर्वसम्मिति से यह नियन्त्रण क्या गया कि प्रत्येक कार खाने की उपादन मात्रा को सीमित कर दिया जाय। इस प्रकार सभी कारखानों की सामूहिक वार्षिक उत्पादन कमता ७,२२,००० टन नियन्त्रित कर दी गई। इन सामूहिक प्रयत्नों के कारबल सीमेंट उपयोग को पुन गति मिली और यह उपयोग प्रगति के पथ पर चल पड़ा।

सन् १९३२ में ‘कोयम्बटूर’ सीमेंट कम्पनी तथा सन् १९३४ में ‘शाहाबाद सीमेंट कम्पनी’ की स्थापना हुई जिसके कम्पनी ६०,००० टन एवं १,४०,००० टन का

आतिरिक्त उत्पादन होने लगा। विषयन के सारथ में समझौते के अनुसार जो कोना प्रत्येक कम्पनी के लिये निश्चित हुआ था उसमें ऐसी हाइभर नहीं थी जिसके अनुसार कम्पनिया अपना प्रधार या विकास न करने के लिए बाध्य हों। सन् १९३५ ने यह अनुमति किया जाने लगा कि इस उद्योग में और विकास के लिए प्रयात छेत्र है और सामूहिक रूप से उत्पादन एवं विषयन करने पर उत्पादन व्यव में और भी कमी की जा सकती है। परिणामस्वरूप आ एफ० इ० दलशा के सद्गमना के कल त्वरण १९३६ म सभी सामंड सत्याना का विलीनीकरण करके चावई मे एक नया न कम्पनी ऐतोशवटेड सामंड कम्पना' (ACC) के नाम से स्थापित की गई। इसके 'सोन दली कम्पना' को होइनर दश का सभी कम्पनिया इस विलयन म शामल हो गई। सीमेंट उद्योग में अभिनवीकरण की दिशा में वह सबप्रयन प्रवाप था। इस प्रवाप द्वारा उत्पादन को अधिक शाक्तशाला बनाकर विदेशी तथा से नुक्ति प्राप्त करना एवं उत्पादन तथा विषयन व्यव कम करके उपभोक्ताओं को सत्त्वा दर पर सीमेंट प्रदान करना ही नुरपलद्दन था। उत्पादन को सब अपने पेंच पर खड़ा करने के लिए इस प्रकार का प्रयास आवश्यक ही नहीं आननदय था। इस प्रयास ने पन्नस्वरूप सीमंड के नूल्हे २५ ग्रामशत घम हो गये और कारखाना की उत्पादन ऊमता मे तुदि होने लगा। सन् १९३७ न पोटलैंड सीमेंट का उत्पादन ६,०७,००० टन हो गया। और सन् १९३८ न दर १५,००,००० टन हो गया। इस प्रगति से प्रोत्साहन पावर सन् १९३८ मे डालामगा दल ना स्थापना हुई। इस दल के अन्तर्गत कारखाना का निर्माण तो १९३६ मे ही प्रारम्भ हो जुका था, कन्तु वातविक उत्पादन १९३८ से ही सम्भव हो उत्ता। डालमिया दल ने अपने को एसोशिएट लीमट कम्पनी से अलग रखता विदेशी चारण बाजार म तथा होने लगी और पुन उद्योग के सम्मुख गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई। पास्तरिक स्थान का अन्त उद्योग के विकास के लिए आव रक्त हो गया। सौमान्य से यह गम्भीर स्थिति अधिक दिनों तक न रह पाई के तोक सन् १९४० मे दोनों दलों मे उम्मता हो गया और विषयन का कार्ड 'सीमेंट मार्केटिंग कम्पना आफ इडिया लिमिटेड' की सौप दिया गया। इस सन्दर द० ही० दी० क अन्तगत १२ नारखाने और डालमिया दल के अन्तगत ५ कारखाने थे। इसके अतिरिक्त चार कारखाने स्वतन्त्र रूप से उत्पादन करते थे।

द्वितीय महायुद्ध एवं उसके उपरान्त

सुदूरात मे सीमेंट उद्योग को विदेशी सर्दारी से सामाजिक सरक्षण मिल गया। युद ना आवश्यक्याओं के कारण सरकार की मारा भी सामेंट के लिए अत्यधिक धड़ गया। उद्योग को नवीन सूखे गिली और उद्योग का आश्चर्यजनक विकास प्रारम्भ हो गया। सन् १९४१ द० मे वो उत्पादन २२ लाख टन पहुच गया जो अब तक क

उत्पादन में अधिकतम था। सीमेंट की माँग में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण सरकार ने सीमेंट के उत्पादन एवं वितरण पर ग्रापना अधिकार कर लिया। देश के सम्पूर्ण उत्पादन का लगभग ६० प्रतिशत भाग सरकार ने अपने उद्दलालीन निर्माण कार्यों के लिए मुरक्कित वर लिया। इस स्थिति में जनता को कठ होना स्वाभाविक ही था। माग के बढ़ने के कारण सीमेंट व उत्तोरों का ग्रापना प्रबाहर करने का स्वर्ण अवसर मिल गया। ७० सी० सो० के अन्तर्गत सर्वानों में प्रिस्टार होने के फलस्वरूप इसकी उत्पादन कमता में ५० प्रतिशत वृद्धि हुई।

दृश्यक योगति सन् १९४२ ने उत्पात्ति ग्रबरद ही गई। इसका मुख्य कारण सरकार द्वारा नियन्त्रण था। इसके अतिरिक्त चोपले का आमाय, अमिकों के भगड़े, वातावात की अनुमित्ति, राजनीतिक उपल पुयल आदि अन्य कारण ये जिन्होंने इस उत्पादन का प्रयत्नि में आधा उपस्थित कर दी। युद्ध के नाम से विदेशी न मशीनों का आवाह भी सम्भव नहीं हो सकता था जिसके ऊपर यिसी हुई मशीनों का आवृत्तिकी वरण भा नहीं हो सका। पुरानी मशीनों पर उत्पादन कमता कम हो जाना स्वाभाविक ही था। परिणामस्वरूप सन् १९४२ के उत्पात्ति सीमेंट उत्पादन कमता कम होने लगा। वहाँ तक कि सन् १९४६ ४७ में कुल उत्पादन १५,४२,००० टन सीमेंट था।

सन् १९४३ में इस उत्तोरों का विभाजन के फलस्वरूप एक और बक्का लगा। विभाजन के पहले थीमेंट व २५ वारताने थे परन्तु विभाजन के कारण इनमें से ख पाकिस्तान के द्वारा में बले गये। अत सन् १९४८ में कुल उत्पादन लगभग १०४६ मिलियन टन ही रह गया। सन् १९४८ में डालमिया दल पुन अलग हो गया और अपनी विधान नवस्था ना बदल करने लगा। वह ब्यवस्था तर से बर्तमान समय तक चली जा रही है।

सुदौतर विदाय की योजनाओं में सरकार ने सन् १९४२ द० तक सीमेंट के उत्पादन का लक्ष्य ६० लास टन परि वर्त रखा। यद्य प इस लक्ष्य की प्रति तीन सम्भव न हो सकी, परन्तु सन् १९४६ के उत्पात्ति उत्पादन में कमता वृद्धि अपवर होने लगी। आन्तरिक माग म वृद्धि, विदाय योजनाओं के पूरा करने के लिए सरकार द्वारा माँग, वातावात की मुद्रणाया में वृद्धि, सरकारी नियन्त्रण की शिथिलता एवं स्वतन्त्र नागरिकों के उत्पादन तथा उत्तराह ने इस उत्तोरों को नवान चेतना एवं साहस प्रदान किया। थीमेंट व बर्तमान कारबानों में उत्पात्ति ज्ञाता बढ़ाये जाने के प्रशासनायान्ति विध जाने लग और नवान सर्वानों का जग्म होने लगा। सन् १९५० में स्थापित तीन नव कारबानों न—हीराद्वारा, नद्राय एवं जावनकोर नोचान—जिनकी धार्षित उत्पादन कमता २८,००,००० लास टन थी, सन् १९४८ से उत्पादन प्रारम्भ कर दिया। इसके अतिरिक्त तीन और नवे कारबाने स्थापित किये गये जिनमें से चिगालिया (भूबद्वा)

ने अप्रैल १९५२ में तथा सबाईं माझौपुर (राजस्थान) तथा राजगढ़पुर (उड़ीसा) के कारखाने में उन् १९५२ से उत्पादन कार्य प्रारम्भ कर दिया गया। उन् १९५२-५४ में उचर प्रदेश सरकार ने ४२२ करोड़ रुपए की पूँजी से मिर्जापुर जिले में रावड़-सुगड़ के निकट चर्क नामक स्थान में एक नया कारखाना स्थापित किया। इसमें सन् १९५४ से उत्पादन होने लगा। सन् १९५५ में सिंध्री में सीमेंट का कारखाना स्थापित होने से सीमेंट उद्योग की उत्पादन क्षमता २ लाख टन से और बढ़ गई। इसी अवधि में सीमेंट के ७ कारखानों की आधुनिकीकरण योजना पूरी होने से इन कारखानों की उत्पादन क्षमता १० लाख टन से और बढ़ गई। सन् १९५५-५६ में ११ नये कारखानों तथा १२ पुराने कारखानों के विस्तार की योजनाओं को सरकार द्वारा स्नीकार फिये जाने के कारण इस उद्योग की वार्षिक उत्पादन क्षमता लगभग ७० लाख टन हो गई है। सन् १९५६ के उपरान्त इस उद्योग की प्रगति का अवलोकन निम्न चालिका से सरलता से किया जा सकता है—

| वर्ष | उत्पादन |
|------|-------------------|
| १९५४ | २१ लाख टन |
| १९५० | २३ " " |
| १९५१ | ३२ " " |
| १९५२ | ३५ " " |
| १९५३ | ३७ ए " " |
| १९५४ | ३८ " " |
| १९५५ | ४५.० " " |
| १९५६ | ४६.५ " " |
| १९५७ | ४८ " " |
| १९५८ | ६० लाख ६० हजार टन |

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि सन् १९५५ पूर्व तक का योनना आयोग का लक्ष्य ४८ लाख टन सीमट पूरा ही नहीं हो चुका है, बरन् लक्ष्य का आगे भी पहुच गया है। सन् १९५५ से तक २३ कारखाने थे। १९५६ तक ६ नये कारखानों ने उत्पादन प्रारम्भ कर दिया। सभी कारखानों को तिम्ह बगों में विभाजित किया जा सकता है—

(१) एसोशिएटेड सीमट कम्पनीज 'लाइन' १३ कारखाने

(२) राज्य सरकारी क ३ कारखाने

(३) अर्थ लिमिटेड् कम्पनियों क १३ कारखाने (इनमें से १० कम्पनियों का प्रबंध मनेजिंग एंजेंट करते हैं)। सन् १९५८ में सामट के दो और कारखाने खोले गए, और इस प्रकार कारखानों की कुल संख्या ३९ हो गई है।

द्वितीय पञ्चमीय योनना का अन्तर्गत सरकार ने सीमट का वार्षिक उत्पादन १२० लाख टन तक लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस योनना काल में इस उद्योग के विस्तार का निम्न रूपरेता बनाइ गई है—

(१) वर्तमान २८ कारखानों से उत्पादन क्षमता में वृद्धि।

(२) ३१ नये सीमट कारखाने खोलने से व्यवस्था।

वर्तमान कम्पनियों द्वारा ६ नये कारखाने और नये लोगों द्वारा १८ नये कारखाने खोलने के निए सरकार स्वीकृत प्रदान कर चुकी है। इस विस्तार के फल स्वरूप सामट उद्योग की स्थिति इस प्रकार हो जाने भी आशा है—

| वर्ष | कारखानों की संख्या | वर्तमान कारखानों में वार्षिक क्षमता (लाख टन में) | नये कारखानों का क्षमता (लाख टन में) | योग (वार्षिक क्षमता) (लाख टन में) |
|------|--------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|
| १९५६ | ४२ | ८० ३३ | २४ ८८ | १०४ २२ |
| १९६० | ४४ | ८१ ७८ | २८ २४ | ११० २५ |
| १९६१ | ५३ | ८८ ५६ | ४८ ९८ | १३६ २७ |
| १९६२ | ५५ | ८८ ५६ | ५२ १८ | १४० ७७ |

सन् १९५७ में घटकर आयोग के सुझाव

सीमेट वितरण का कार्य जुलाई १९५६ से राज्य व्यापार निगम के हाथ में

आने के बाद जिन सीमेंट उत्पादकों को दुलाई के बारण बचत होती थी, वह बचत बन्द हो गई। दूरी और समस्त सीमेंट उत्पादकों को अनेक कारणोंबश उत्पादन की लागत भी अधिक पढ़ने लगी। परिणामस्वरूप सन् १९५७ के शारम्भ में भारत सरकार ने तटकर आयोग को विभिन्न कारखानों में पढ़ने वाली उत्पादन लागत की जांच करने एवं उत्पादकों को उचित मूल्यों की सिफारिश करने के लिए निर्देश दिया। तटकर आयोग ने विभिन्न कारखानों पी उत्पादन लागत का हिटाड़ लगाने के बाद उन कारखानों के लिए खुले सीमेंट के बहाँ से चलते समय के मूल्य निर्धारित कर दिये। आयोग ने ये मूल्य १ जनवरी १९५८ से ३१ दिसंबर १९६० तक रखने की सिफारिश की। इन संशोधित मूल्यों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। यह बात उल्लेखनीय है कि यद्यपि उभी उत्पादकों के लिए मूल्य निर्धारित कर दिये गए हैं तथापि गन्तव्य स्थान पर सीमेंट का एफ० ओ० आर० आर० मूल्य देश भर में अब भी वर्तमान के समान ११७५० रु० प्रति टन ही रहेगा। ऐसा ऊपरी खाँचों में हैर फेर करके तथा राज्य व्यापार निगम के पारिश्रमिक घोड़े प्रतिशत से घटाकर ३ प्रतिशत कर देने से सम्भव हो सका है।

सीमेंट के नियांत बढ़ाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। नियात के लिए २ लाख टन सीमेंट के निश्चित कोटे ने अंतिरिक्त १ लाख ४८ हजार टन और सीमेंट चाहूर मैजने के करार किये जा चुके हैं। सीमेंट क कारखानों की मशीनें भारत में ही बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। आशा है कि १९६२ तक देश की ही बनी हुई मशीनों से सीमेंट क कारखानों की आवश्यकताओं की काफी हद तक पूर्ति हो सकेगी।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारत का सीमेंट उत्पादन प्रगति के पथ पर अग्राप गति से अग्रसर होता चला जा रहा है। द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना में निर्धारित सीमेंट उत्पादन का लक्ष्य एवं उक्के प्राप्त करने के लिए कार्यान्वित की जाने वाली योजनाएँ वास्तव म सीमेंट उद्योग के स्वर्णिग भविष्य के प्रतिश्रित हैं।

कागज उद्योग

(Paper Industry)

राष्ट्र की सम्यता एवं सकृति के विकास का मूलाधार कागज ही है। अतः कागज उद्योग को राष्ट्र की सम्यता एवं सकृति का प्रतीक कहना कदाचित अनुचित न होगा। भारत अति प्राचीन समय से ही मानव सम्यता का कन्द्र रहा है। अत वागज उद्योग का वर्णन लोलहबीं शताब्दी में मिलता है। परन्तु प्रामाणिक रूप से इस उद्योग का जन्म मुख्लमानी शासनाल म हुआ। उन्नाट अकबर के शासन काल में तो वह उद्योग सम्पूर्ण भारत में फैल गया। भारत में अँग्रेजों के आने के पूर्व कुटीर-उद्योग एवं रूप में कागज उद्योग अपनी पूर्ण विविधता अवश्य में था।

बड़े पेमाने पर समर्टित रूप म इस उद्योग का इतिहास तो उन्नीसवीं शताब्दी से ही प्रारम्भ होता है। वहें तो सन् १७१६ में इसाई धर्म के प्रचारक विलियम कैरे ने कलस्ता के निकट सीरामपुर में सर्वेप्रथम कागज का बारताना स्थापित किया था परन्तु वह प्रयास असफल रहा। इसके उपरान्त सन् १८३७ में दूसरा कारताना हुगली के तट पर कलकत्ते के ही निरन्ट 'बेली पेपर मिल' का नाम से रोला गया। सन् १८८१ म बगाल में 'टीटागढ़ पेपर मिल' की स्थापना हुई जिसने सन् १८८४ म अपना उत्पादन प्रारम्भ कर दिया। वास्तव में वह प्रथम भारताना या जिसको आधुनिक कागज उद्योग का आधारशिला कहा जा सकता है। सन् १८०४ म 'बेली पेपर मिल' का भी 'टीटागढ़ पेपर मिल' म विलियन हो गया जिससे इसका और भी विस्तार हुआ। सन् १८८४ २५ तक इस कारताने की वार्षिक उत्पादन लगभग १८,००० टन हो गई। १९वीं शताब्दी के अन्त तक और भी कई कारताने स्थापित किये गये जिनमें मुख्य निम्नलिखित थे—

- (१) अपर इण्डिया पेपर मिल, लखनऊ (१८७६)
- (२) महाराजा सिन्धिया पेपर मिल, भालियर (१८८१)
- (३) डकन पेपर मिल क० पूना (१८८५)
- (४) बगाल पेपर मिल क० रानीगज (१८८८)
- (५) इम्पीरियल पेपर मिल्स, कर्वीनारा (१८९४)

उपर्युक्त कारखानों में सिनिध्या पेपर मिल असफल रहा और उसकी मशीनों को १९२२ में बगाल पेपर मिल ने खरीद लिया। इसी प्रकार इम्पीरियल पेपर मिल वी मशीनों को १९०३ में टीटामढ़ पेपर मिल ने खरीद लिया। छक्कन पेपर मिल भी धाटे के कारण बन्द हो गया। विभिन्न मिलों की असफलता ने इस उच्योग के विस्तार की गति को अबद्ध कर दिया और २०वीं शताब्दी के प्रारम्भ में कोई नया कारखाना नहीं खोला गया। इस प्रकार प्रथम महायुद्ध के प्रारम्भ होने के समय भारत में कुल ५ कागज मिलों थीं जिनका वार्षिक उत्पादन २९,००० टन था।

युद्ध काल में आवात की कमी के कारण इस उच्योग को प्रोत्साहन मिला। भारत के सभी मिलों ने खूब उत्पादन किया और लाभ कमाया। इस सफलता के कारण ही अन्य लोगों ने इस उच्योग की स्थापना करने की प्रेरणा मिली। सन् १९१८ में इण्डियन प्लॉ क०^२ की स्थापना की गई जिसने सन् १९२२ में अपना कार्य आरम्भ कर दिया। सन् १९२७ में मद्रास में ‘कर्नाटक पेपर मिल्स’ तथा सन् १९२८ में सहारनपुर में पजाम पेपर मिल^३ की स्थापना हुई। इसने उपरान्त ही जगधरी में ‘श्री गोगाल पेपर मिल्स’ की स्थापना हुई। इस प्रकार सन् १९२४ तक कागज मिलों की संख्या ६ थी और इनकी वार्षिक उत्पादन क्षमता ३३,००० टन। योद्धाचर मन्दी के कारण सन् १९२४ में इस उच्योग ने सरक्षण की माँग की और सरकार द्वारा ७ वर्ष के लिए सरक्षण प्रदान किया गया। सरक्षण प्राप्त होने तथा सहारनपुर व कर्नाटक मिलों के स्थापित हो जाने के कारण कागज उच्योग की वार्षिक उत्पादन क्षमता अन् १९३१ में ४५,६०० टन हो गई। सन् १९३१ में ट्रैफिक नोड्स ने पुन इस उच्योग की जांच की और अपनी रिपोर्ट में बतलाया कि सरक्षण की अवधि में इस उच्योग ने सतोषप्रद प्रगति की है। अत बोर्ड ने आगामी ७ वर्षों के लिए फिर से सरक्षण प्रदान किये जाने की सिफारिश की। अभी एक कागज बनाने में ‘सुवाइ’ घास वा प्रयोग किया जाता था जिसके कारण कागज की किसी अच्छी न रहती थी। अब बाँस से लुगादी बना कर कागज बनाया जाने लगा जो किसी एवं टिकाऊपन की हड्डि से छेष्ठ था। पुन येरक्षण मिल जाने के कारण उच्योग ने और भी प्रोत्साहन मिला। परिणामस्वरूप १९३६-३७ तक देश में ११ कारखाने हो गये—इनमें ४ बगाल, ४ बम्बई, १ उत्तर प्रदेश, १ मद्रास तथा १ द्रावनकोर में था। इसके उपरान्त सन् १९३८ में ग्राउंडम में एवं और नया कारखाना खुला। इसी वर्ष एक लुगादी का कारखाना चिटांव में भी खुला। इस प्रकार द्वितीय महायुद्ध के आरम्भ होने के समय भारत में कुल १३ कागज के कारखाने थे और उनकी वार्षिक उत्पादन क्षमता ६०,००० टन थी।

द्वितीय महायुद्ध एवं उसके उपरान्त

द्वितीय महायुद्ध में विदेशों से आयात बन्द हो जाने के कारण, कागज उद्योग को स्वाभाविक सरक्षण मिल गया। आन्तरिक माँग में बढ़ि होने के कारण पारस्परिक स्पर्धों का भी अन्त हो गया। मूलशों में बढ़ि के कारण लाभ भी अधिक होने लगा। वास्तव में इस उद्योग के लिए युद्ध बरदान सिद्ध हुआ और इस उद्योग को पुनः जीवन मिल गया। ऐसी परिस्थितियों में कागज उद्योग का विकास स्वाभाविक ही था। अतिरिक्त लाभ ने पुराने कारखानों को विस्तार करने के लिए प्रेरणा प्रदान की और नये उद्योगतियों को भी नये कारखाने खोलने के लिए आकर्षित किया। युद्ध कालीन नये स्थापित हुए कारखानों में “आर्यन पेपर मिल्स लिं.” तथा “नेशनल पेपर एण्ड बोर्ड लिं.” का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। स्ट्रॉबोर्ड बनाने वाले कारखानों की संख्या १८ हो गई जिनका वार्षिक उत्पादन ३०,००० टन या जबकि आन्तरिक माँग वैवल २५,००० टन ही थी। इसी प्रकार भारत सन् १९४७ तक पेपर बोर्ड के लिए आयात पर ही निर्भर था, परन्तु युद्ध के कारण पेपर बोर्ड बनाने को भी प्रोत्साहन मिला और इसी का परिणाम है कि “दि रोहतास इडस्ट्रीज लिं.” डालमिया नगर, पेपर बोर्ड का बनाने वाला भारत का उच्चये बढ़ा कारखाना स्थापित किया जा सका और आज भारत में पेपर बोर्ड का वार्षिक उत्पादन २४,००० टन है जो आन्तरिक माँग के लिए पर्याप्त है। सन् १९४८ तक देश में १५ कागज के कारखाने हो गये और कागज का उत्पादन १,०३,७८४ टन होने लगा। कागज की विभिन्न किसियों का भी निर्माण होने लगा और भारत कागज में आत्मनिर्भर हो गया।

सन् १९४२-४३ तक तो इस उद्योग के उत्पादन में नियन्त्रण बढ़ि होती गई परन्तु इसके उपरान्त क्रमशः उत्पादन कम होने लगा। इसके मुख्य कारण ये यातायात की असुविधा, कोयले का अभाव, अमिकों के भराड़े एवं कच्चे माल का अभाव। कागज का अभाव होने के कारण इसके मूल्य भी बहुत बढ़ गये और जनवा बो अपने उद्योग के लिए कागज मिलना कठिन हो गया। फलस्वरूप सरकार ने कागज पर नियन्त्रण लगा दिया और सरकारी तथा सर्वजनिक उद्योग की मात्रा नियन्त्रित करने के अनुसार पहले तो ६० प्रतिशत कागज अपने लिए रखा परन्तु बाद में घटा कर ७० प्रतिशत कर दिया। कागज में भी चोर चाजारी प्रारम्भ हो गई।

युद्ध के समाप्त हो जाने के बाद कागज उद्योग की स्थिति तथा विकास की भावी सम्भावनाओं की जांच करने के लिए सरकार ने एक “पैनल” नियुक्त किया। इस “पैनल” ने जांच करने के उपरान्त कागज, लुगदी, गत्ता तथा अन्य सभी प्रकार के कागज के उत्पादन में बढ़ि करने के लिए एक विकास योजना बनाई जिसके

अन्तर्गत १६५३ तक १,६६,००० टन तथा १६५६ तक ३,०२,००० टन कागज के उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। सुदूर के उपरान्त मी अखबारी कागज (News Print) का पूर्णतया आभाव था, अतः इसके उत्पादन के लिए भी योजना बनाई गई। सन् १६५३-५४ में मध्य प्रदेश में ‘मेपा मिल्स’ की स्थापना की गई जिसने चन्दवरी १६५५ से उत्पादन आरम्भ कर दिया और अखबारी कागज का उत्पादन प्रारम्भ हो गया। परन्तु अब भी अधिकतर आम कागज का उत्पादन ही अधिक मात्रा में होता था और अच्छे किरण के कागज का आभाव रहा जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट हो जाता है—

(हजार टन में)

| वर्ष | कुल उत्पादन | छापने व लिखने का कागज | रेप्रिंग कागज | विशेष किस्म का कागज | बोर्ड (पट्टा) |
|------|-------------|-----------------------|---------------|---------------------|---------------|
| १६५० | १०६ | ७० | १५ | ५ | १६ |
| १६५२ | १३१ | ७८ | २४ | ३ | २६ |
| १६५२ | १३८ | ६१ | २२ | २८ | २२ |
| १६५३ | १४० | ६६ | २१ | ३४ | २० |

कागज उद्योग के सम्बन्ध में जो ‘पैनल’ नियुक्त किया गया था उसने यह सिफारिश भी की थी कि भविष्य मन्ये कारखाने उन स्थानों पर स्थापित किये जाने चाहिये जहाँ उनके विकास के लिये पर्याप्त कच्चा माल, यातायात की मुश्किल, शक्ति के साथन एवं विपणन मुश्किलें सरलता से प्राप्त हो सकें। इसका मत था कि कागज के कारखाने पश्चिमी बगाल में न खुल कर, मद्रास, बम्बई, आसाम, पश्चात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा विहार में ही स्थापित किये जाने चाहिये। जहाँ तक अखबारी कागज का प्रश्न है इनके कारखानों का विकास काश्मीर में तथा उत्तर प्रदेश में ठेहरी-गढ़बाज में सरलता से किया जा सकता है क्योंकि इन स्थानों पर उनके लिये कच्चा माल तुगमता से उपलब्ध हो सकेगा।

पर्वमान प्रगति एवं समस्याएं

प्रथम पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस उद्योग के उत्पादन लक्ष्य इस प्रकार निर्धारित किये गये थे—

(हजार टन में)

| | १९५० ५। | | | १९५५ ५६ | | |
|----------------|------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------|--------------------|---------------------|
| | कारखाने उत्पादन क्षमता | वार्षिक उत्पादन | वास्तविक उत्पादन | कारखाने उत्पादन क्षमता | वार्षिक उत्पादन | वास्तविक उत्पादन |
| कागज एवं पट्टा | १७ | १३६'६ | ११४ | १६ | २११ | २०० |
| आजवारी कागज | .. | .. | . | १ | ३० | २७ |
| स्ट्रॉबोर्ड | १८ | ४८५ | २२ | २० | ५८५ | ५२६ |

उपर्युक्त लकड़ी के प्राप्त करने के लिये किये गये प्रथलों के फलस्वरूप सन् १९५५ में कागज और गते का उत्पादन २१ लाख टन हो गया जबकि यही उत्पादन १९५० ५। में नेवज १०१४ लाख टन था। परन्तु कागज की खपत को देखते हुए यह बहुत बहुत था। सन् १९५१ में कागज की खपत २१ लाख टन थी परन्तु १९५५ में यही खपत बढ़कर ३१७ लाख टन हो गई। परिणामस्वरूप हमको लगभग १५ करोड़ रुपये की लागत का ४८ हजार टन कागज, ८० हजार टन आजवारी कागज तथा १२ हजार टन रेयन की लुगदी बिदेशी से मँगानी पड़ी। इस समय तक देश म २१ कागज की मिले स्थापित हो चुकी हैं। ये मिले अधिकाश में बगाल, बम्बई, उत्तर प्रदेश तथा मदास प्रदेश में स्थित हैं। सन् १९५७ तथा सन् १९५८ में इनका उत्पादन इस प्रकार रहा—

कागज (टन)

| | छपाई और लिखाई | पैकिंग | विशेष विस्त का | गत्ता | योग |
|------|------------------|--------|-------------------|--------|----------|
| १९५७ | १,२६,५१६ | ३८,०१६ | ७,२०० | ३८,४०० | २,१०,१३२ |
| १९५८ | १,३६,८३६ | ३८,१३७ | ७,२०० | ४६,२०० | २,३१,५७६ |

द्वितीय आयोजन नाल में देश में २२ नये कारखाने और खोलने की व्यवस्था

की गई है। द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना के अन्तर्गत १९६०-६१ तक उद्योग का विकास कार्यक्रम इस प्रकार है—

| आवश्यकता (अनुमानित) | वापिक उत्पादन समता | उत्पादन | |
|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| कागज एवं पट्टा अखबारी कागज | ३,५०,००० टन १,२०,००० टन | ४,५०,००० टन ३०,००० टन | ३,५०,००० टन ३०,००० टन |

सन् १९५७ में कागज तथा गत्ते का उत्पादन २,००,००० टन की दीप्ति को पार कर गया जब कि १९५६ में कुल १,८३,४०० टन बागज का उत्पादन हुआ था। सन् १९५८ के अन्तर्गत आशा है कि कागज के उत्पादन के लिए दो नवे कारखाने चालू हो जायेंगे। अखबारी कागज का उत्पादन अब एवं तरह बढ़ जा रहा है। सार्वजनिक चैत्र में इसका एक ही कारखाना 'नेपा मिल' है। सन् १९५७ में यहाँ १४,४८८ टन अखबारी कागज बनाया गया। जब पिजली अधिक परिमाण में मिलने लगेगी तो वह और भी बढ़ जायगा। राष्ट्रीय उद्योग विकास कारपोरेशन के आधीन अखबारी कागज का एक सरकारी कारखाना आप्र प्रदेश में राकर नगर में खोला जा रहा है जिसमें २० हजार टन अखबारी कागज बन उकेगा। अखबारी कागज की माँग को टॉपिंग में रखते हुये अभी देश में तीय तीस हजार टन कागज बनाने वाले दो कारखानों के खोलने की सुन्नत है। देश में प्रति वर्ष ८०,००० टन अखबारी कागज की खपत होती है। आशा है कि सन् १९६०-६१ तक बढ़कर वह १,२०,००० टन हो जायगी।

चनवरी १९५७ में कागज एवं लुगदी समिति का गठन किया गया था जो इस उद्योग के विभिन्न में सभी बातों पर विचार किया करेगी। उरकार ने आवास में सासायनिक लुगदी बनाने के कारखाने की स्थापना करने की एक योजना स्वीकार कर ली है। इसका उत्पादन ३० हजार टन लुगदी प्रतिवर्ष होगा। इसी प्रकार ५० हजार टन की नकली रशम रेवन की लुगदी बनाने के लिने भी एक कारखाना स्थापित किया जा रहा है।

स्पष्ट है कि कागज एवं लुगदी समिति के काम आने वाले घटिया कियम के कागज की माँग को पूरा करने के लिए छोटे कारखानों का महत्व स्वीकार किया जा चुका है तथा इस प्रकार के ६ कारखाने स्थापित करने के लिए लाइसेंस दिये जा चुके हैं जिनकी कुल समता १५,५०० टन होगी।

सरकार ने कागज के ७ नये कारखाने स्थापित करने के लिए लाईसेंस प्रदान कर दिये हैं जिनकी वार्षिक उत्पादन क्षमता ५५,१०० टन होगी। इसमें से ३ बम्बई में तथा एक आगाम, बगाल, उडीसा तथा आञ्चल में खोला जायगा। वर्तमान कारखानों में ८ कारखानों के विस्तार के लिये भी लाईसेंस दिये जा चुके हैं जिससे इनकी उत्पादन क्षमता में १,०६,५०० टन की वार्षिक वृद्धि सम्भव हो सकेगी। इन योजनाओं की पूर्ति पर देश की वाणिक उत्पादन क्षमता ३,५०,८०० टन हो जायगी।

भूदूल मोनोस्लफाइट प्रणाली द्वारा गन्ने की खोद्दम से प्रतिदिन १०० टन उत्पादन करने वाला एक कारखाना स्थापित करने के लिए पश्चिमी जर्मनी की एक फर्म के साथ ब्रावचीत चल रही है। इसकी अन्तिम प्रायोजना रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। विदेशी मुद्रा की स्थिति को देखते हुए मर्यानों के लिए अभी ठेके नहीं दिये जा सके हैं।

उद्योग पर मिन्न मिन्न रूपों पर सरकार को चलाह देने के लिए १६५५ में बनाई गई तालिका का १६५७ में पुनर्गठन किया गया। इस तालिका में चार उत्पादनियां बनाई गईं जो कि (१) कागज बनाने वाली मशीनों का निर्माण (२) कच्चे माल के साधनों का निर्धारण (३) परिचालन दब्बों सम्बन्धी जानकारी का सबलन तथा विनियम और (४) मिन्न-मिन्न किसी के कागजों की माँगों के निर्धारण के प्रश्नों पर विचार करती है।

सन् १६५८ में प्रथम बार नमी तथा गर्मी सहने वाली सैल्यूलोज फिलियों का उत्पादन आरम्भ हुआ। सिगरेट निर्माताओं द्वारा इनकी किसी सत्तोषजनक चतुर्दशी नहीं है और आशा है कि सिगरेट उद्योग की ५० प्रतिशत आवश्यकता स्थानीय उत्पादन द्वारा ही पूर्ण हो सकेगी। देश में पहली बार बनाये जाने वाले अन्य किसी के कागजों में चिकनाई रोकने वाले तथा कंट्रिलों में लगाये जाने वाले कागजों का परीक्षणार्थ किया गया उत्पादन उल्लेखनीय है। चैक के कागजों का उत्पादन अब नियमित रूप से होने लगा है।

वर्तमान समय में कागज उद्योग के सम्बुद्ध यन्त्रों के आधुनिकीकरण एवं कच्चे माल की समस्याएँ मुख्य रूप से इसके प्रगति के पथ को अवक्षेप दिये हैं। कागज के कारखानों में अधिकाशत पुराने यन्त्रों का ही उपयोग हो रहा है। हमारे इज्जीनियरिंग उद्योग की सफलता पर ही कागज उद्योग की इस समस्या का समाधान निर्भर है। जहाँ तक कच्चे माल की समस्या का प्रश्न है प्रमुख रूप से उत्पादन के लिए बाँस तथा सबाई वास्तु का उपयोग होता है। परन्तु देश के विभाजन के कारण पूर्वी बङ्गाल से आने वाला बाँस बन्द हो गया। इससे पश्चिमी बङ्गाल के कारखानों

को कच्चे माल का एक प्रकार से दुर्भिक्ष उत्पन्न हो गया। समाईं पास भारत में चहुत थोड़ी मात्रा में मिलती है। इसके लिए जड़लों की सुरक्षा और नैस के भावों का निर्धारण, जड़लों में सड़वों का निर्माण, वथा जट व रई भी बतरन के निर्माण पर प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक है। इस समस्या के समाप्तान के लिए भारत सरकार ने बनों के प्रमुख निरीक्षक भी अध्यक्षता में एक समिति का निर्माण किया है जो बच्चे माल की पूर्ति को ध्यान में रखकर कागज उद्योग के विकास की आधारभूत योजना प्रस्तुत करेगी। यह समिति बाँच के तथा अन्य कच्चे माल के विदेहन के लिए उपाय करेगी तथा सेल्यूलोज की प्राप्ति बढ़ाने के लिये उपाय बतलायेगी। देहरादून का 'कारेड रिसर्च इस्टीच्यूट' इस दिशा में उराहनीय कार्य कर रहा है।

उपसहार

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारत का कागज उद्योग निरन्तर प्रगति की ओर अप्रसर होता जा रहा है। अब भारत किसी भी दृष्टि से भी सकार म किसी भी देश से पीछे नहीं रह गया है। इस उद्योग की वर्तमान समस्याओं के प्रति हमारी राष्ट्रीय सरकार पूर्ण रूप से बागरूक है और उनको दूर करने के लिए प्रयत्नशील है। इसमें सन्देह नहीं कि इन समस्याओं के हल हो जाने के बाद इस उद्योग के प्रगति के पथ का अवरुद्ध मार्ग खुल जायगा और यह उद्योग पुन विकास की ओर शीघ्रता से बढ़ने में समर्थ हो सकेगा और भारत कागज के लिये आमनिर्भर हो सकगा। हमारे देश की आन्तरिक माम में तृदिंश से इस उद्योग को और भी प्रोत्साहन मिलेगा। भारत ऐसे देश में बहाँ दूर प्रतिशत लोग निरक्षरता के गहन अनुच्छावार म भटक रहे हों और जहां विदेशी दारक्षता से पददलित एव सुखुम सास्कृतिक चेतना को पुनरुत्कीवन प्रदान करना हो, वहाँ शिक्षा के विकास एव सास्कृतिक सन्देश को विश्व के अन्तरिक्ष में प्रतिष्ठनित करने के लिए भविष्य में निरन्तर कागज की माँग में तृदिंश होना स्वाभाविक ही है। फलत भारत की सास्कृतिक प्रगति के प्रतीक इस कागज उद्योग का स्वर्णिम भविष्य प्रतीक्षा कर रहा है।

चीनी उद्योग

(Sugar Industry)

हमारे राष्ट्र के संगठित बड़े उद्योगों में विशालता की दृष्टि से आज चीनी उद्योग का द्वितीय स्थान है। राष्ट्र की अर्थ व्यवस्था का यह उद्योग एक महत्वपूर्ण अंग है जो जीवन की दैनिक आवश्यकताओं में से एक प्रमुख आवश्यकता की पूर्ति करता है। चीनी उद्योग उन उद्योगों में से है, जो देश की सम्पूर्ण मांग की पूर्ति करने की क्षमता रखता है। न केवल आत्मनिर्भरता की दृष्टि से, बरत्-सशार में चीनी का सर्व प्रमुख उत्पादक होने के नाते भी इस उद्योग का भारत में महत्वपूर्ण स्थान है। इस समय देश में चीनी के १६० कारताने हैं जिनसे लगभग १२५ लाख दक्ष एवं अदक्ष अभियों तथा ३६०० विश्वविद्यालय शिक्षा प्राप्त लोगों को जीविका प्राप्त होती है। लगभग २ करोड़ किसान गन्ने की सेती म लगे हुए हैं और इस वर्ष गन्ने के मूल्य में ७०-८० करोड़ रुपये इन किसानों को प्राप्त हुए। राज्यसेवा को इससे ६५ करोड़ रुपये की प्राप्ति होती है। देश को इस उद्योग से नहीं आशाएँ हैं।

ऐतिहासिक भीमासा

कहा जाता है कि भारत ही गन्ने का जन्म स्थान है। प्राचीन काल में जब पाश्चात्य जगत के लोग दाने को मीठा करने के लिए शहद का उद्योग किया करते थे, तब भारत में चीनी दैनिक आवश्यकता की वस्तु थी। भारत के प्राचीनतम धर्म ग्रन्थों में 'शर्करा' शब्द का प्रयोग मिलता है, जिससे प्रमाणित होता है कि ग्रन्थों के अन्तर्गत शर्करा अर्थात् खाड़ का प्रयोग होता था जिससे यह सरट होता है कि उस समय मीठा बनाने का धधा प्रचलित था। कौटिल्य के ग्रन्थशास्त्र में गन्ने के रस से शर्करा बनाने और शीरे से मद्रसार बनाने की विधियों की व्याख्या भी है। १६ वीं शताब्दी के मध्य में रचे गये चीन के विश्व कोष में भारत के उन्नतिशील चीनी उद्योग का ठल्लेपाई है। भारत चीनी का निर्यात अन्य देशों को भारी मात्रा में करता था। परन्तु ईस्ट इण्डिया कम्पनी के ग्राहुर्भाव के साथ साथ हमारा यह अतीत का गीरव चीनी उद्योग क्रमशः अवनति की ओर अग्रसर होने लगा। १८ वीं शताब्दी में दो भारत तथा चीनी का आमात करने लगा। मारियास तथा जाधा ये आयातों में

भारी वृद्धि के बारण चीनी उद्योग की दशा १८६० के बाद बड़ी खराब हो गई। सरकारी सहायता प्राप्त थेरोपियन चीनी की आयातों से कीमतें बहुत गिर गईं और गुप्त से चीनी बनाने का उद्योग बड़ा अलाभप्रद हो गया।

वास्तवी शतान्द्री में

वास्तव में उत्तरित बड़े पैमाने के चीनी उद्योगों का जन्म शीर्षवीं शताब्दी में हुआ। इस शताब्दी के प्रारम्भ में मोहीहारी, बारा चकिया, गोरखपुर वथा पदरीना के बारखाने प्रसिद्ध थे। परन्तु इन आधुनिक उद्योगों के खुल जाने के बाद भी इस उद्योग की प्रगति बहुत ही मन्द रही। कुटीर उद्योग तो शाय नष्ट ही होता जा रहा था। विदेशी सर्वांके बारण नूल्य गिर जाने से चिनानों ने गन्ने का उत्पादन भी कम कर दिया। चीनी बनाने के शाढ़ीन एवं अवैशानिक टगों का प्रचलन के बारण उत्पादन व्यय भी अधिक पहुंचा था। भारत आन्तरिक उपभोग के लिए आयात पर निर्भर रहने के लिए विवश हो गया। सन् १८१३ १५ में ८,६६,३७० टन चीनी का आयात किया गया। प्रथम महायुद्ध ने योड़े समय के लिए उद्योग को प्रोत्ताहन तो दिया, परन्तु युद्ध के उपरान्त स्थिति ज्यों की त्वां हो गई। सन् १८१६ २० म चीनी उद्योग के विकास के लिए एक चीनी रामिति की स्थापना की गई। गन्ने के उत्पादन में कुछ वृद्धि भी हुई, परन्तु सन् १८३१ तक भारतीय बाजारों में विदेशी शब्दकर का ही गहुता यत रहा। इस समय तक देश में छोड़े बड़े सब मिलाकर कुल ३२ बारखाने ही थे और उनका अस्तित्व भी खतरे में था। सन् १८३० म “भारतीय कुपि अनुसंधान परिषद” ने सरकार का स्थान इस उद्योग की ओर आकर्षित किया और इस उद्योग को उचित सहायता प्रदान करने की विकारिश बना। इस परिषद की उपायिताएँ के पतलखल्ले सरकार ने सन् १८३२ म इस उद्योग को सरक्षण प्रदान किया। वास्तव में इसी वर्ष से इस उद्योग ने विकास का युग में पदापण किया और इसके इतिहास में एक नये अध्याय दा आरम्भ हुआ।

परन्तु इस उद्योग को १५ वर्षों के लिए सरक्षण देना त्वीकार किया। सरकार ने चीनी की आयातों पर पहले सात वर्षों के लिए ७ रु० ४ आ० प्रति हड्डवेद के हिकाय से सरक्षण कर लगाया और इस आयात कर पर २५% के ब्रावर एक अतिरिक्त शुल्क भी लगाया। सन् १८३७ के उपरान्त यह आयात कर समयानुकूल घटता बढ़ता रहा और अन्त में १८५० में सरक्षण चिल्कुल हटा लिया गया। इस सरक्षण से विदेशी प्रविस्तर्धी का अन्त ही गया तथा उद्योग को अपना विकास करने का अवसर मिल गया। सरक्षण द्वारा नवीन चेतना एवं स्कूर्चि प्राप्त करके यह उद्योग ब्रम्भ प्रगति की ओर चीक्का से बढ़ने लगा जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट होता है—

| वर्ष | चीनी के कारखाने | उत्पादन (हजार टन में) | आयात (हजार टनों में) |
|---------|-----------------|-----------------------|----------------------|
| १९३१ ३२ | ३१ | १५८ | ५८६ |
| १९३४ ३५ | १२८ | ५८६ | ३८१ |
| १९३६ ३७ | १३७ | ६१६ | १४२ |
| १९३८ ४० | १४५ | १२०७ | ६६ |

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि चीनी उद्योग की प्रगति संरक्षण की ही प्रगति है जिसने न कबल देश को चीनी के मामलों में आत्म निर्भर बना दिया, वरन् प्रतिवर्ष जो देश में आयात करने में १६ करोड़ रुपये की ग्रहमूल्य विदेशी विनियम व्यय होती थी, वह भी बढ़ हो गई। सन् १९३७ में आन्तरिक प्रतिस्पर्धा तथा उत्पादनाधिक्य से उत्पन्न होनेवाली समस्याएँ के हल करने के उद्देश्य से “मारतीय चानी सिंडिकेट” (Sugar Syndicate) की स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश तथा बिहार सरकार ने चीनी नियन्त्रण अधिनियम पास किया जिसक अनुसार कोइ भी नवा कारखाना जिना सरकार क लाइसेंस के प्राप्त किये हुए नहीं खोला जा सकता था। इस उद्योग पर आवश्यक नियन्त्रण रखने के लिए सन् १९४० में चीनी आयोग की भी नियुक्ति की गई।

द्वितीय महायुद्ध एवं उसके उपरान्त

द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ होने के समय चीनी उद्योग में अति उत्पादन की समस्या वर्तमान थी। युद्ध प्रारम्भ होने पर उत्तर प्रदेश तथा बिहार सरकारों ने चीनी के उत्पादन को नियंत्रित करने के लिए प्रत्येक कारखाने वा उत्पादन कोटा निर्धारित कर दिया। फलत उत्पादन कम हो गया। युद्ध के कारण चीनी की मांग में भी वृद्धि हुई। सरकार ने गन्ने के दाम ऊँचे नियत किये तथा उत्पादन कर में भी वृद्धि कर दी। चीनी सिंडिकेट ने भी अधिक लाम कमाने की इच्छा से प्रेरित होकर मूल्य को ऊँचा ही रखा। परिणामस्वरूप मूल्यों के अधिक होने के साथ ही साथ सन् १९४२ में चीनी का घोर अभाव हो गया। सरकार ने चीनी के मूल्यों पर उसके वितरण पर नियन्त्रण लगा दिया। वितरण के लिए शहरों में राशनिंग लागू कर दी गई। सन् १९४४-४५ में देश में चीनी के उत्पादन में और भी गिरावट हुई।

इसके सुख्य कारण ये गन्ने के उत्पादन में कमी तथा मशीनों के घिसाबट के कारण उत्पादन दूप्रता में हासि। सन् १९४७ में विभाजन के फलस्वरूप और भी उत्पादन घट गया जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट होता है—

| वर्ष | उत्पादन (लाख टन में) |
|---------|----------------------|
| १९४२-४३ | १०५२ |
| १९४३-४४ | १२०१ |
| १९४४-४५ | ८४२ |
| १९४५-४६ | ८०२३ |
| १९४६-४७ | ८०१ |

राशनिंग के कारण युद्ध काल में प्रायः सभी वर्ग के लोग चीनी के उपभोग के आदी पड़ गये थे। जनसूख्या में जुदि होने के कारण भी उपभोग वी मात्रा बढ़ गई थी। दिसम्बर १९४७ से चीनी पर नियन्त्रण भी उठा लिया गया था। परिस्थाम-स्वरूप उत्पादकों को मूँह माँगा मूल्य माँगने का सुअवधार मिल गया। चीनी के अमाव का रूप अत्यन्त मीठा हो गया। चोर जागरी तथा तशह आदि समाज विरोधी प्रचाचियों का प्रादुर्भाव हुआ। परन्तु नियन्त्रण हट जाने तथा अधिक लाभ होने के कारण सन् १९४८ से उत्पादन में जुदि प्रारम्भ हुई। सन् १९४८-५० में कुल उत्पादन ११,५४,००० टन तक पहुँच गया और १९५०-५१ में बढ़कर १२,०४,००० टन हो गया। युद्ध की खपत बढ़ने के कारण उपलब्ध गल्लों का बहुत बड़ा भाग युद्ध निर्माण की ओर जाने लगा था। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार ने सन् १९५० में “चीनी एवं युद्ध नियन्त्रण आदेश” द्वारा चीनी एवं युद्ध की अधिकतम वीमतें निश्चित कीं, जिसकी तिफारिश ऐरिक बोर्ड द्वारा की गई थी। इस आदेश के कारण युद्ध उद्योग वी गन्ने के लिए अधिक वीमत देने की प्रतित्यर्थात्मक शक्ति कम हो गई और चीनी का उत्पादन बढ़ने लगा। इसके अतिरिक्त सन् १९५०-५१ में भारत सरकार ने “झी सुगर” नामक एक योजना को चालू किया जिसके अनुसार प्रत्येक कारखाना अपना अधिकतम कोठा उत्पन्न करने के उपरान्त अपनी कालतृ चीनी को खुले बाजार में बेचने के लिए स्वतंत्र था। इससे उत्पादकों को और भी ग्रोत्साहन

१ लाख २० हजार रुपये होगी जिसमें से सरकार स्वयं दो सिहाई रुपया देगी तथा शेष ४० हजार रुपया गन्ना उत्पादक देंगे। ये तीनों मिले क्रमशः बीसलपुर (पीलीभीत) बुढाना (सुचम्फर नगर) तथा देवकाली (गाजीपुर) में खोली जा रही हैं। आशा है निकट भविष्य में ही इनमें चीनी बनने लगेगी। प्रत्येक मिल में प्रतिदिन १ हजार मन गन्ना पेरा आयगा। सहकारी मिलों को प्रोत्ताहन देने के लिए यह भी निश्चय लक्या गया है कि इन मिलों से न तो गन्ने का उप कर सिया जाय और न उत्पादन कर लिया जाय।

वर्तमान समस्याएँ

(क) गन्ने का अभाव एवं निम्न कोटि—गन्ने की पूर्ति का अभाव उद्योग के समक्ष एक बड़ी गम्भीर समस्या है। यद्यपि गत दो वर्षों में गन्ने की उपज बढ़ाने के लिए कृषि चाल बढ़ाया गया, परन्तु प्रति एकड़ गन्ने की उपज में बुद्धि सम्बन्ध नहीं हो रही। मात्रा कम होने के साथ ही चाथ गन्ने की उत्तम भी अच्छी नहीं होती जिसके कारण प्रति मन गन्ने से बनाई जा सकने वाली चीनी का अनुपात अन्य देशों की अपेक्षा बहुत कम है जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट होता है—

| देश | गन्ने का प्रति एकड़ उत्पादन (मन) | गन्ने में चीनी का अनुपात (प्रतिशत) |
|----------|----------------------------------|------------------------------------|
| क्यूबा | ४६५६ | १२ २५ |
| हवाई दीप | १६८८६ | १० ४६ |
| पि ३ | ८२७६ | ८ ६७ |
| जापा। | १५३०० | ११ ४६ |
| जापान | ७३६३ | १२ ६३ |
| भारत | ३६६८ | ८ ५० |

यह कम उपज मुख्यतः भूमि के उपायमाजन एवं उत्पादन के कारण है। इसके अतिरिक्त उत्तम खाद एवं बीज को प्रयोग भी कृषक निर्धनता के कारण नहीं कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे चीनी मिल वर्ष में बेवल ४ या ५ महीने ही उत्पादन करते हैं, जोकि आधवाश में बथ के एक ही भाग में गन्ना पक कर रहिए।

होता है। इसके कारण खचों में और भी वृद्धि हो जाती है। इसके अतिरिक्त गन्ने के मूल्यों की समस्या भी एक कठिनाई उपस्थित करती है। चीनी मिल के मालिकों का व्यथन है कि गन्ने के भाव ऊँचे हैं तथा इन भावों पर उद्योग को कुछ भी बचत नहीं होती है। इसके विपरीत किसानों का मन है कि गन्ने के मूल्य बहुत कम हैं। इसी विषय पर १९५३-५४ में उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन करने वालों का एक आनंदो लन भी चल चुका है। इसमें सन्देह नहीं कि यदि चीनी मिलों का स्वयं अपने खेत हों तो वे उत्पादन व्यवहार कम करने में बहुत कुछ सफल हो सकते हैं। गन्ने के मूल्यों के सम्बन्ध में एक कठिनाई और भी है और वह यह है कि भारत में गन्ने का मूल्य घटल तील के आधार पर प्रतिमन या प्रति टन के हिसाब में तय किया जाता है, गन्ने की किसी कैसी ही क्यों न हो। ऐसी दशा में अगर गन्ने की किसी खराब है तो मालिकों को तुक्सान उठाना पड़ता है। चन् १९५४ ई० में 'चीनी विकास परिषद' ने भी यह सिफारिश की थी कि गन्ने के भावों को उसकी किसी के अनुसार निष्ठारित करने के लिए एक समिति की स्थापना की जानी चाहिए जिसमें कृपकों तथा मालिकों के प्रतिनिधि समिलित हों। इस समिति की अब स्थापना की जा चुकी है। किसी के अनुसार मूल्य निर्धारित किये जाने पर कृपकों भी अच्छी नस्ल का गन्ना उत्पादन करने की प्रेरणा मिलेगी और मालिकों का भी तुक्सान नहीं हो पायगा।

करों में उत्तरोत्तर वृद्धि की समस्या भी उद्योग के समुख है जिसके कारण चीनी के मूल्य गिरने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं। वही प्रकार के कर जैसे एक्साइब डूटी, केन सेर, सहकारी समिति कमीशन इत्यादि उद्योग पर लाद दिये गए हैं। यही नहीं वे कर जो उद्योग के विकास के उद्देश्य से लिए जाते हैं उनका ठीक प्रकार व्यवहार भी नहीं होता है। १९४४ से लेकर १९५२ तक उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों ने ३४३ लाख रुपया कर सेस से बस्तु किया परन्तु केवल ५६ लाख रुपया ही गन्ने की उपज और किसी आदि के सुधार में लगाया गया और ऐसे अन्य मदों पर जो सर्वधा अनुचित है।

उपर्युक्त बातों के कारण ही भारत में चीनी का उत्पादन व्यवहार बहुत अधिक हो जाता है और यह उद्योग विदेशी बाजारों में माल बेचने में श्रतमर्थ हो जाता है। चीनी नियंत्रित बढ़ाने के लिए कन्द्रीय सरकार ने चीनी नियंत्रित समिति की नियुक्ति की थी। समिति की रिपोर्ट के अनुसार भारतान्तर चीनी वी बीमत जहाँ २८३ रुपये प्रतिमन है, वहाँ विदेशी चीनी की बीमत २१ से २३ रुपये प्रतिमन है।

(ख) अभिनवीकरण की समस्या—इस उद्योग के लिए आवश्यक यान्त्रिक भागों का आयात विदेशों से होता है। गत ५ वर्षों में लगभग ४ करोड़ रुपये के बल पुर्जे (Spare parts) का आयात किया जा चुका है। अधिकतर मिलों में प्रयोग की

चाने वाली मशीनें पुरावनवादी एवं विर्ती पिटी हैं। अब उद्योग की उत्पादन-दूसरा बढ़ाने के लिए एवं उत्पादन व्यय कम करने के लिये इन मशीनों का आधुनिकीकरण नितात आवश्यक है। विदेशों पर मशीनों की निर्भरता के कारण ही यह उद्योग अभिनवीकरण की योजनाओं को वार्याच्चित करने में अपने को असमर्प पाता है।

(ग) स्थिति की समस्या—चीनी उद्योग का विस्तार मुख्यत उत्तरी भारत में ही हुआ है। विशेष रूप से अधिकाश चीनी मिल उत्तर प्रदेश तथा बिहार में ही केन्द्रित है। मद्रास में जहाँ पर्याप्त गन्ना उत्पन्न होता है कबल १६ फारखाने हैं जबकि उत्तर प्रदेश में ७२ और बिहार में ३० हैं। उत्तर प्रदेश तथा बिहार गन्ने की पर्याप्त पूर्ति भी नहीं कर पाते, अत इन्हीं राज्यों में इस उद्योग का कानून बोना किसी विशेष आर्थिक कारणवश नहीं है। यह सिद्ध हो जुका है कि दक्षिणी भारत में विषवत रेखा क उमीप होने के कारण गन्ने की प्रति एकड़ उपज और रु दोनों ही अधिक होते हैं। एक ही तथान पर कन्द्रित होने के कारण इनमें पारस्पारक प्रतिस्पर्धा भी होने लगती है। अत पारस्परिक तर्धा का अन्त करने के लिए तथा आर्थिक दण्डिकाण से चीनी उद्योग का विकासीकरण अत्यन्त आवश्यक है। ऐसा करने पर ही इस उद्योग का पर्याप्त विकास सम्भव हो सकता है।

(घ) ईंधन की समस्या—ईंधन के उपयोग भ मितव्यपिता से चीनी का उत्पादन व्यय कम होगा और उठके मूल्य कम हो जायेंगे। अभी आमतौर पर गन्ने का छिलका ईंधन के लिए उपयोग किया जाता है। इसका आतंरिक कोयला तथा लकड़ी का भा प्रयोग किया जाता है। जहाँ तक गन्ने के छिलक का उताल है उसकी आवरकता कागज तथा गचा बनाने के लिए भी पड़ती है। अत इस छिनके की माग कागज के कारबानों द्वारा भी होती है और इसका अधिक मूल्य उनसे प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी स्थिति म छिलक का उपयोग ईंधन के रूप भ छिनकर नहीं होता। इसलिए ईंधन तथा बाघ के उपयोग में मितव्यपिता करने की भी अत्यन्त आवश्यकता है।

(ङ) गुड एवं सारेडसारी चीनी की स्थर्या—चीनी उद्योग को पारस्परिक स्थर्यों के अतिरिक्त गुड एवं सारेडसारी ये भी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। चीनी के मूल्यों का लिप्तिशुल्क लगते समझ सउछास चीती के सभी कागजातों के उत्पादन व्यय को ध्यान में रखकर ही मूल्य निर्धारित करती है। यदि इसी तरह चीनी, गुड एवं सारेडसारी का उचित मूल्य निर्धारित किया जाय तो इन तीनों ही उद्योगों में परस्पर आर्थिक सुलगन स्थापित हो जायगा और वे एक-सुरे के प्रतियोगी न रह कर सहयोगी बन सकेंगे।

उपसहार

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वर्तमान समय में उद्योग के सम्बुद्ध कुछ कठिनाइयाँ विद्यमान हैं जिनके कारण इस उद्योग के प्रगति का मार्ग अवरुद्ध है। देश में चीनी उद्योग के विकास के लिए किसी भी योजना में केवल आन्तरिक माँग को ही ध्यान में रखकर नियंत्रित की और भी हटिट रखना अत्यन्त आवश्यक है। इस हटिट से भारतीय चीनी का उत्पादन-व्यय कम करने के साथ साथ किसी में भी सुधार करना आवश्यक है। भारतीय चीनी के दाने बहुधा छोटे, मैले और विभिन्न आकार के होते हैं, जबकि विदेशी चीनी श्वेत व चमकीले दानों की होती है। चीनी बनाने की पद्धति में सुधार परने के अतिरिक्त चीनी कारखानों के मालिकों, श्रमिकों तथा गन्ना उत्पादन करने वाले कृषकों के बीच उचित समन्वय स्थापित करना भी अत्यन्त आवश्यक है। जिन चम्पों के पारस्परिक सहयोग के चीनी उद्योग का उचित दिशा में विनाश कदाचित् सम्भव न हो सकता। इस दिशा में सहकारी मिलों की स्थापना भी काफी लहायक सिद्ध हो सकती है जैसे कि द्वितीय आयोजन में सिपारिश की गई है। हर्ष का विषय है कि हमारी राष्ट्रीय सरकार उद्योग की उपर्युक्त कठिनाइयों के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक है और उनक निराकरण के प्रयत्न में सलग्न है। विकेन्द्रीकरण के लिए सरकार द्वारा आवश्यक कदम उठाया जा चुका है तथा सहकारी आधार पर चीनी के कारखाने खोलने के लिए विशेष सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं। सरकार अनुसधान कार्यों में भी विशेष ध्वनि ले रही है। अभी भारत में चीनी की प्रति व्यक्ति वार्षिक खपत केवल ७ पौरुष तथा खाड़सारी की २४ पौरुष है, परन्तु भारतवासियों की आय तथा रहन सहन के स्तर में बृद्धि के साथ-साथ चीनी की खपत में बृद्धि होना स्वाभाविक ही है। अतः भविष्य में इस उद्योग की और भी विस्तृत होने की आशा है। भारत ने १९५६-५७ में २ लाख टन चीनी का नियांत्रित किया था। उद्योगपतियों तथा सरकार के भगीरथ प्रयत्नों के फलस्वरूप चीनी उद्योग का भविष्य अत्यन्त उत्प्पत्ति हो रहा है। इस पर कर का बोझ अधिक है। इसमें चाहेह नहीं कि अगर इस उद्योग की मौजूदा कठिनाइयाँ और वाधाएँ कुछ कम कर दी जायें तो यह भारत की आर्थिक विनाशक को और अधिक स्थायी बनाने में योग दे सकता है।

पंचम खण्ड

“विविध”

- (१) भारतीय राज्यकोषीय नीति
- (२) भारत की नवीन अौद्योगिक नीति

भारतीय राज्यकोषीय नीति (Indian Fiscal Policy)

“A backward country full of poverty and miseries, but wishful of developing her industries for eradicating the evils of early deaths and diseases, is the one which badly requires the policy of protection”

हमारे देश में १८वीं शताब्दी के अन्तिम दस वर्षों तक भारत सरकार ने स्वतन्त्र व्यापार नीति का अनुसरण किया, और किसी प्रकार की राज्यकोषीय नीति का अनुसरण नहीं किया। इसका केवल यही कारण था कि स्वतन्त्र व्यापार नीति से इंडलैण्ड को लाभ था; वे अपने देश के बने हुए माल को बेचते थे और हमारे देश से कम्बा माल अपने देश को ले जाते थे। स्वतन्त्र व्यापार नीति का परिणाम यह हुआ कि हमारे देश की ओरोगिक उन्नति न हो सकी। तत्कालीन अर्थशास्त्रियों ने जिसमें (Fredric List) फ्रेडरिक लिस्ट, कैरे, मार्शल एवं पीगू मुख्य हैं, वह स्पष्ट घोषणा की कि बिना राज्य के सरक्षण के बोई भी देश ओरोगिक उन्नति नहीं कर सकता। उनके नव से एक पिछड़े हुए देश में, जिसमें इन निर्धनता एवं दिग्दिता का बोलबाला हो, ओरोगिक रक्षात्मक नीति का होना आवश्यक ही नहीं बरन् अनिवार्य है। मुख्यता हमारा देश पिछड़े हुए देशों में से एक है जहा पर प्राकृतिक साधनों की उम्मीद होते हुए भी उनके विकसित न होने के कारण निर्धनता का गान्ध्राम्य है। इसी कारण ओरोगिक विकास मीं नहीं हो रहा है। ओरोगिक उन्नति प्राकृतिक साधनों के पूर्ण विकास दशा आयात एवं निर्यात की सुटूँ नीति के बिना नहीं हो सकती। अतः राज्य ओरोगी नीति का अन्तर्गत इस प्रकार की तटकर नीति की आवश्यकता अनुभव की गई जिसका उद्देश्य आयात एवं निर्यात पर नियन्त्रण करके तथा निर्भाला एवं नवीन उद्योगों को रक्षा करके ओरोगिक विकास सम्बन्ध हो सक।

राज्यकोषीय नीति की आवश्यकता एवं महत्व ने सरकार का स्थान प्रथम महायुद्ध के समय आवर्धित किया। सन् १९१६ में ओरोगिक आयोग की स्थापना हुई जिसने सन् १९१८ ईं० में अपनी रिपोर्ट में भारत के ओरोगीकरण के लिए

उत्तम सुभाव दिये। युद्ध के उपरान्त देश में महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन हुए और जनता ने जोरदार आवाज संदेश के श्रीदोगीकरण की माँग की। सन् १९१७ में इर्लैंड की पालियामेन्ट ने यह स्वीकार किया कि भारतवर्ष को कुछ राजनीतिक अधिकारों के प्रदान करने के साथ ही साथ राज्यकोषीय स्वतंत्रता भी प्रदान की जाय। अत उन् १९१६ म राज्यकोषीय स्वात्य समा (Fiscal Autonomy Convention) की स्थापना की गई। इसी काल से भारत की राज्यकोषीय नीति का प्रारुद्धारा हुआ।

राज्यकोषीय आयोग सन् १९२१

सन् १९२१ में प्रथम राज्यकोषीय आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग को यह अधिकार दिया गया कि वह देश की तटकर नीति को निर्धारित करे। इस आयोग ने उद्योगों के सरक्षण की सिफारिश की और पक्षपातृर्थ सरक्षण (Discriminating Protection) की नीति को अपनाने के लिए कहा। कमीशन ने उन सभी उद्योगों का सरक्षण देने की सिफारिश की जो निम्नलिखित तीन शर्तें पूरी करते हों। यह तीनों सिद्धान्त भारत की राज्यकोषीय नीति के इतिहास म द्विपिल फारमूला (Triple Formula) के नाम से विख्यात हैं। इनके अनुसार सरक्षण प्राप्त का अधिकारी उद्योग,

(क) ऐसा होना चाहिए जिसने लिए देश में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक साधन, कच्चा माल, अमिक और शक्ति के साधन प्राप्त हों,

(ख) ऐसा होना चाहिए जो बिना सरक्षण के विकसित नहीं हो सकता हो और उसकी उत्तरि देश के लिए आवश्यक हो,

(ग) ऐसा होना चाहिए जो अन्त में जाकर बिना सरक्षण के भी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिद्वन्द्विता में ठहर सके।

उपरोक्त सिद्धान्तों के अलावा आयोग ने उद्योगों के विकास के लिए कच्चे माल तथा मशीनों की प्राप्ति के विषय में भी अच्छे सुभाव दिये और तटकर नीति को निर्धारित करते समय इस बात का ध्यान रखा कि सरक्षण के फलस्वरूप बलुओं के मूल्य में बढ़ि अधिक न हो। इस प्रकार विवेकानन्द सरक्षण नीति अपनाये जाने का सुभाव इस कमीशन ने दिया। उपर्युक्त सभी सुभावों को सरकार ने मान लिया।

टटकर बोर्ड सन् १९२३ की स्थापना तथा उसके कार्य

आयोग की सिफारिशों के अनुसार फरवरी १९२३ में हमारे देश में प्रथम तटकर बोर्ड की स्थापना की गई। यह बोर्ड अस्थायी था और इसकी नियुक्ति केवल एक बर्षे के लिए की गई थी। आगे चलकर कई बर्षों तक इसकी अवधि बढ़ा दी

गई। इस तटकर चोर्ड ने सरक्षण देने के हिटिकोण से बहुत-से उद्योगों की जाँच की और इसकी विज्ञारिश पर लोहा तथा इस्तात, लूटी वस्त्र उद्योग, कागज, दिवाइलाई, शृंखल तथा रासायनिक उद्योगों को सरक्षण प्रदान किया गया। इस चोर्ड ने उस समय हीमेट, कोयला तथा ऊनी वस्त्र उद्योगों को सरक्षण देना स्वीकार नहीं किया।

विवेकात्मक (Discriminating) सरक्षण नीति का आलोचनात्मक अध्ययन

विवेकात्मक सरक्षण नीति का मूल उद्देश्य वालाव में यह नहीं था कि भारत का श्रीयोगिक विकास टट्टा आधार पर हो क्योंकि ऐसा करने पर कदानित इङ्ग्लॅंड के उद्योगों को काफी द्वारा होने की सम्भावना था; अँग्रेजों से मलाय ऐसी आशा कैसे की जा सकती थी कि व अपने देश के उद्योगों परी बलि दे दें। भारत ही इङ्ग्लॅंड का प्रमुख चालार था और वे जिसी भी दशा में इहको खो नहीं सकते थे। परन्तु दूसरी ओर भारत की जनता के असलोप की भावना की भी नष्ट करना था। भारतीय जनता याही अधिमान (Imperial Preference) का मी विशद थी। फलत्वरूप हमारे कुण्डल अँग्रेज राजनितिश्वासों ने विवेकात्मक सरक्षण नीति के रूप में, जिसका मूल उद्देश्य केवल उन उद्योगों को सरक्षण प्रदान करना था जिनसे विद्युति उद्योगों को दुख भी द्वारा न हो, याही अधिमान को ही परिवर्तित रूप में भारतीय जनता पर साद दिया। तटकर आयोग के शब्दों से यह पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है—

“Unless U K maintains its export trade, heart of the empire will weaken and this is a contingency to which no part of empire can be indifferent”

वास्तव में सरक्षण प्राप्त करने के लिए जो शब्दे रसखी गई थीं उनसे इस नीति का सोखलापन और भी अधिक स्पष्ट हो जाता है। सर्वप्रथम यह थी कि उद्योग को ऐसा होना चाहिए जिसके लिए देश में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक चाधन, वन्यजाग माल तथा शक्ति के साधन उपलब्ध हों। चोखने वाली बात है कि जिस उद्योग को ये सभी सुविधाएँ उपलब्ध हों उसको सरक्षण की ज्या आवश्यकता। सरक्षण तो उस उद्योग को चाहिए जो अपने पेरो पर न लड़ा हो सकता हो।

यह सरक्षण नीति इसलिए भी उचित नहीं कही जा सकती थी क्योंकि इसमें प्रत्येक उद्योग को अलग-अलग सरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था थी। भारत की समस्या तो श्रीयोगिक विकास की उमस्या थी, अत सरक्षण नीति का इस प्रकार का होना जिससे सम्पूर्ण राष्ट्र का श्रीयोगिक विकास सम्भव हो रहे, अत्यन्त आवश्यक था। इस नीति से इस उद्देश्य की पूर्ति कदापि नहीं हो सकती थी। ऐसा तटकर आयोग के शब्दों से त्वय ही स्पष्ट हो जाता है—

“सरकार को आर्थिक विकास का साधन न समझते हुए उसे केशल ऐसा साधन समझा गया जिससे कुछ उद्योगों को सरकार द्वारा विदेशी प्रतियोगिता का समना करने की शक्ति प्रदान की जाय।”

सरकार द्वारा अस्थायी तटकर बोर्ड की स्थापना भी उचित नहीं कहो जा सकती। बोर्ड के समावंदों में समय-समय पर परिवर्तन होने के कारण कोई भी दीर्घ-कालीन नीति नहीं अपनायी जा सकती थी। समावंदों के स्थायी न होने के कारण राष्ट्र के श्रीदोगिक चेत्र की पूर्ण जानकारी एवं उसके अनुसर वार्य करना भी अत्यन्त कठिन था।

उपर्युक्त दोनों के अतिरिक्त उच्चे बड़ा दोष तो इह नीति था यह था कि इसमें उद्योग विशेष भी तटकर बोर्ड द्वारा बाँच हो जाने के बाद ही सरकार का प्रश्न उठता था। बाँच करने में समय का अधिक लगना स्वाभाविक ही था। परिणामस्वरूप इस विभागकारी नीति से जो सरकार मिलता भी था वह बेकार साबित होता था। बालब में यह सरकार उस प्रणाली के समान था जो मृत्यु के उपरान्त प्रयोग में लाई जाती थी।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विवेकानन्दकीति से भारतीय श्रीदोगिक विकास की बहुत कम प्रोत्साहन प्राप्त हो सका। परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि जिन उद्योगों को सरकार प्रदान किया गया उनका विकास अवश्य हुआ। भारत के लोहे एवं इसात तथा शक्ति उद्योग का प्रगतिशील बनाने का श्रेय सरकार को ही है। इतना अवश्य है कि यदि इस प्रकार की विवेकानन्दकीति से वहाँ शर्तें न हाती तो सम्भवतः देश में आधारभूत उद्योगों का विकास तीव्र गति से होता, परन्तु यह तो साम्राज्यवादी नाति के विरोध मथा। अतः इस सरकार नीति की उचित बहना निवान्त अमर्युर्ण होगा।

द्वितीय महायुद्ध में तथा उसके उपरान्त सरकार की नीति

सन् १९४६ में द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ होते ही, अंग्रेज शासकों द्वारा अपना प्रथम महायुद्ध का कदु अनुभव थाद नहीं आया कि भारत का श्रीदोगिक चेत्र में विकसित न होना इन्हाँड के लिए अत्यन्त हानिकर सिद्ध होगा। परिणामस्वरूप श्रीदोगिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार ने यह आश्वासन दिया कि युद्धोत्तर काल में वर्तमान उद्योगों तथा युद्धकाल में स्थापित नये उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता का भय होने पर सरकार सरकार प्रदान करेगी। कुशल युद्ध सचालन के लिए यह अनिवार्य ही था क्योंकि युद्ध में अंग्रेजों को निम्न अनुभव मिल जुला था—

“इच्छा आर्थिक शक्ति एवं विकसित श्रीदोगिक क्लेवर जिस देश में है, केवल यही देश अपनी सुरक्षा अवधा दमला कर सकता है।

अपने युद्धकालीन आश्वासन को पूरा करने के लिए ही, सन् १९४५ में युद्ध के अन्त होते ही भारत सरकार ने अन्तरिम तटकर बोर्ड की स्थापना की।

अन्तरिम तटकर बोर्ड १९४५ की स्थापना व उसके कार्य

२१ अप्रैल सन् १९४५ को सरकार ने सरकार नीति की नवीन शोषणा व और इसी वर्ष २ चर्चों के लिए एक अन्तरिम तटकर बोर्ड (Interim Tariff Board) की स्थापना की। इस बोर्ड ने किसी उद्योग के सरकार द्वारा पाने के लिए निम्नलिखित शर्तें रखी—

(१) यदि उद्योग दृढ़ व्यापारिक नीति पर स्थापित है और अच्छा कार्य कर रहा है।

(२) यदि उद्योग इस प्रकार का है जिसे उम्पूर्ण प्राकृतिक एवं आर्थिक उन्नति के सामने प्राप्त है, अथवा उद्योग ऐसा है जिसका विकास राष्ट्र के हित में आवश्यक है।

उपरोक्त शर्तों को पूरा करने वाले समस्त उद्योगों को पूर्ण सरकार द्वारा दिया गया था। ४६ उद्योगों ने सरकार द्वारा करने की प्राप्ति की जिनमें से ४२ उद्योगों द्वारा सरकार द्वारा दिया गया। अस्थायी टोने के कारण अन्तरिम तटकर बोर्ड अपना कार्य सुचारू रूप से न कर सका। अब सन् १९४७ में इसका पुनर्निर्माण किया गया और इसका कायदेत्र बदा दिया गया। इस समिति ने नये तथा पूर्व स्थापित उद्योगों की जाच की तथा चौना, लोहा एवं इसात, खींच वस्त्र उद्योग, कागज, तथा चादी व तार और मैमेशियम क्लोराइट व उद्योगों के सरकार समाप्त करने का तथा अन्य २४ उद्योगों को सरकार द्वारा की विफारिश वी। सन् १९४८ में भारत ने अपनी नवीन औद्योगिक नीति की शोषणा वी, इचलिए मारतीय राज्यकोषीय नाति द्वारा इसका अनुरूप बनाने की आवश्यकता हुई। परिणाम स्वरूप सरकार ने सन् १९४८ में एक राज्यकोषीय आयोग की स्थापना की।

राज्यकोषीय आयोग १९४८ तथा उसके कार्य

स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात् सन् १९४८ में मारत सरकार ने एक राज्य कोषीय आयोग की स्थापना की और उसका निम्नलिखित काय निर्धारित किये गये।

(क) अब तक की सरकार नीति का जाच बरना।

(ल) सरकार सहायता देने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा उपलब्ध करना।

(ग) तटकर नीति को कार्य रूप में परिणाम बनाने के लिए एक अच्छी व्यवस्था बनाने के लिए सलाह देना।

(घ) इस नीति से सम्बन्धित अन्य चारों विषय में भी उचित सलाह देना।

इस आयोग ने देश की औद्योगिक समस्याओं का अध्ययन किया और उन्‌हें में अपनी रिपोर्ट सरकार के सामने प्रस्तुत किया। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में भारतीय राजकोषीय नीति के निम्न उद्देश्य बताये—

(क) वेकारी तथा अर्ध-वेकारी को दूर करना और उत्पादन में वृद्धि करना।

(ख) प्राकृतिक साधनों का पूर्ण विकास करना।

(ग) औद्योगिक शक्ति के साधनों में वृद्धि करना तथा अभिकों को दशा में सुधार करना।

(घ) इनि का सुधार करना जिससे कि उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त हो सके।

(ङ) कुटीर एवं छोटे-छोटे उद्योगों तथा बड़े संगठित उद्योगों में सामाजिक उर्धस्थित करना।

(च) सिंचित अर्थ-व्यवस्था के सिद्धान्त (Mixed Economy) के आधार पर देश का औद्योगीकरण करना।

बड़े उद्योगों के लेवल में इस आयोग ने सिफारिश की कि इनको निम्नलिखित बगों में विभाजित करना चाहिये—

(क) सुरक्षा सम्बन्धी उद्योग।

(ख) शहर कुनियादी उद्योग—जिन पर देश के अन्य उद्योग निर्भर हैं।

(ग) शहर कुनियादी उद्योग जो कि उत्पादक मर्शीनों का निर्माण करते हैं।

(घ) हल्के कुनियादी उद्योग।

(ङ) उपभोग पदार्थ उत्पन्न करने वाले उद्योग।

आयोग ने यह भी बताया कि उपरोक्त सभी प्रकार के उद्योगों का एक साथ विकसित करना सम्भव नहीं। अत उनके विकास में उन उद्योगों को प्राथमिकता दी जाय जो देश के हित के लिए आवश्यक हैं। इसके अलावा उद्योगों की स्थिति के सम्बन्ध में भी आयोग ने अपने सुझाव दिये। कमीशन ने यह भी बताया कि उद्योगों की सरकारी नीति का सम्बन्ध देश के सभूर्ण आर्थिक विकास से सम्बन्धित कर देना चाहिए। सरकार प्रदान करने के लिए कमीशन ने निम्नलिखित सिद्धान्त बताये—

(क) उन सभी उद्योगों को सरकार दिया जाय जो एक उचित समय के अन्दर पर्याप्त रूप से विकसित हो सकते हों और भविष्य में बिना सरकार की भी चल सकते हों।

(ख) उन उद्योगों को सरकार प्रदान करना चाहिये जो राष्ट्र हित में सरकार पाने के अधिकारी हैं, तथा जिनके सरकार का व्यय भी समाज पर अत्यधिक न पड़े।

सरकार प्रदान करने के लिए यह आवश्यक नहीं कि कच्चा माल उसी स्थान

पर मिलता हो। सरक्षित उद्योग से यह आराम करना कि वह देश वी सम्पूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेगा, उचित नहीं है। साथ ही आवेग ने सिफारिश की कि जिन उद्योगों पर उत्तराधिकार करने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक न हो। कमीशन ने सिफारिश की कि देश के लिए एक स्थायी तटकर कमीशन भी आवश्यकता है जो कि अपने बार्य छोड़ में पूर्ण स्वतन्त्रता से कार्य कर सके।

तटकर कमीशन अधिनियम १९५१

स्थायी तटकर कमीशन भी नियुक्ति के लिए भारतीय सरकार ने सन् १९५१ई० में एक अधिनियम बनाया। इस अधिनियम के अनुसार कमीशन के सदस्यों की सख्ती तीन या पाँच हो सकती है। इन्हाँ में से केन्द्रीय सरकार किसी एक को अध्यक्ष बना सकती है। प्रथमत कमीशन के सदस्यों की नियुक्ति बंदल ३ वर्षों के लिए हो सकती है परन्तु पुनः वे तीन वर्षों के लिए नियुक्ति किये जा सकते हैं। कमीशन के कार्य से हटने के पश्चात् कोई भी सदस्य सरकारी आशा के बिना तीन वर्षों तक किसी भी उद्योग में नौकरी नहीं कर सकता है।

कमीशन के कर्तव्य

(क) विसी भी भारतीय उद्योग को सरक्षण प्रदान करना।

(ख) सरक्षण सम्बन्धी करी में परिवर्तन करना।

(ग) सस्ते मूल्यों पर विदेशी आवात पर नियन्त्रण लगाना।

(घ) सरक्षण से अनुचित लाभ उठाने वाले तथा राष्ट्र अहितकारी कार्य करने वाले उद्योगों के विचार उचित कार्यवाही करना।

(ङ) मूल्य स्तर, जनता के सहन सहन के स्तर तथा राष्ट्रीय आर्थिक विकास पर सरक्षण की प्रतिक्रिया का अध्ययन करना।

(च) विदेशी व्यापारिक समझौते के हासिलों से प्रत्येक उद्योग के सरक्षण के प्रभाव का अध्ययन करना।

(ज़) अपने कर्तव्य पालन के मार्ग की बाधाओं र निवारण के उपाय करना।

(ज) अधिनियम के अन्तर्गत कार्य करने के लिए कानूनी व अदालती कार्यवाही करने के ग्राफिकार का प्रयोग करना।

(झ) सरक्षण सम्बन्धी विषयों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर सूचना तथा उलाघ देना।

उपरोक्त स्थायी तटकर कमीशन, की नियुक्ति से हमारे देश वी एक बहुत महत्वपूर्ण आवश्यक मार्ग की पूर्ति हुई। इसके द्वारा उद्योगों को न्यायपूर्ण सरक्षण

प्रदान किया जा रहा है। तटकर नीति सफलतापूर्वक राष्ट्रीय हित में कार्य कर रही है। सरकृत उद्योगों की सूची में दिन प्रतिदिन नये उद्योग सम्मिलित होते चले जा रहे हैं। सन् १९५४ ई० में भारतीय सरद ने भारतीय तटकर अधिनियम (सशोधक) एकट पास किया जिसके फलस्वरूप तटकर कमीशन के अधिकार एवं कार्य क्षेत्र और भी प्रशस्त कर दिये गये। इस विधेयक के अन्तर्गत पेंसिलें, पुराने समाचार पत्र, ऊनी धागे, मदिराएँ, यरमस की बोतलें, रेजर लेड इत्यादि पर आयात कर में छुट्ठि कर दी गई है। विधेयक में कुछ उद्योगों को सरकार जारी रखने की भी बात है जिनमें अल्पमुनियम, चियुत मोटर, चिबली का सामान तथा साइकिल इत्यादि मुख्य हैं।

तटबर कमीशन वहे उत्साह से एवं सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। इसकी सकन्ता से प्रोत्साहित होकर द्वितीय पचवर्षीय योजना में सरकार ने वहे लेंचे श्रीदो गिक उत्सादन लद्द रखते हैं। तटबर प्रमाणन वी नीति के कलस्करम जहाँ एक और देश की श्रीदोगिक प्रगति निरन्तर हो रही है वहाँ पर साथ ही साथ हमारे आयात में भी पर्वाप्त सुधार हुआ है। जहाँ एक और उपमोग के पदार्थों के आयात में कमी हुई है वहाँ उत्सादक पदार्थों जैसे मशीनों इत्यादि के आयात में काफी वृद्धि हुई है। सन् १९५४ में ६२० करोड़ रुपये के मूल्य के पदार्थों का आयात किया गया था। सन् १९५६ के अन्त तक ७२० करोड़ रुपए का आयात हुआ। परन्तु साथ ही उपमोग के पदार्थों के आयात में सन् १९५४ के २३० करोड़ रुपए के आयात से तटबर तेवल २१० करोड़ रुपयों का आयात हुआ।

द्वितीय पचवर्षीय योजना औद्योगीकरण की योजना है। इसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमको अरबों बी पूँजी चाहिए तथा साथ ही एक सुदृढ़ एवं सङ्कृति राज्य-कोषीय नीति वा आवश्यकता है। देश के समच विदेशी नुक्ता मुख्यतः डालर पावने की कमी है। इसी कारण से पिछले वर्ष अब्दूल्लाह सन् १९५७ में हमारे केन्द्रीय अर्थ मन्त्री महोदय श्री टी० टी० कुम्हारमचारी और उन् १९५८ में हमारे वर्तमान वित्त मन्त्री श्री मोरार जी देसाई अमेरिका तथा योरोपीय देशों का भ्रमण करने गये थे। ऐसी परिस्थितियों में हमार तटकर दमीशन वा उत्तरदायित्व बहुत बढ़ गया है। तटकर कमीशन की सफल नीति एवं गर्व-दुरुणता पर बहुत बुल्ल अर्था तक हमारी द्वितीय पचवर्षीय योजना की सफलता निर्भर है। भविष्य चरणकारीर्थ है एवं अग्राव-कठिनाइयाँ उपस्थित हैं, फिर भी भारत वो उद्देश्य का माति सब शक्तिमान पर भरोसा रखकर 'कर्मस्ये वाधिकारस्ते' (Action is thy duty) के सिद्धान्त पर आरूढ़ होकर आगे बढ़ने का प्रयत्न करता ही जा रहा है। आशा ही नहीं गूर्ध विश्वास है कि हमारे देश की औद्योगिक उन्नति, नवीन औद्योगिक नीति एवं समयानुकूल तटकर नीति के फलस्वरूप, सर्वोन्नति शिखर पर अवश्य पहुँचेगी।

भारत की नवीन श्रौद्योगिक नीति (The New Industrial Policy of India)

राजनीतिक परतन्त्रता की शङ्खलाओं से मुक्ति पर विदेशी उत्ता से जर्बरित प्रबंश शोधित भारत में पुनर्जीवन प्रदान करने की समस्या का ग्राहुर्भाव हुआ। विना आधिक माल्क के राजनीतिक स्वतन्त्रता का मूल्य भी कुछ नहीं था। परिणामस्वरूप राष्ट्र की अविकसित अर्थव्यवस्था का उच्च तर तक पहुंचाना, जिससे हमारे करोड़ों देशवासियों की उच्च जीवन तर प्राप्त करने की आकाशा पूर्ण हो सके, निवान्त आवश्यक हो गया। राष्ट्र के श्रौद्योगिकरण के बिना इस समस्या का समाधान कठाचित् असम्भव था। उद्योग धरे ही विदेशी राष्ट्र के जीवन है। हमारी विदेशी सरकार ने प्रारम्भ से ही मुक्त व्यापार नीति (Laissez Faire) का अनुगमन करके इस दृष्टि का प्रयत्न किया कि भारत बहल उच्चे माल का नियात करने वाला देश बना रहे रहा यहाँ का श्रौद्योगिक विकास न हो। ऐसी नीति का मानना, भारत जैसा विशाल बाजार इंडस्ट्रीज के उद्योगों को प्राप्त करने के लिए, आवश्यक ही था। मुक्त व्यापार नीति में ही इंडस्ट्रीज का वैभव एवं समन्वय निर्भर था। श्री टियर्ने (Sir Tierney) के शब्दों से यह पिल्कुल स्पष्ट हो जाता है—

“हमारी आधिक नीति का यह सामान्य सिद्धान्त हो कि इंडस्ट्रीज का बना हुआ माल भारत में बेचा जाय, जिसके बदले में एक भी भारतीय वस्तु न ली जाय।”

विवेकानन्दक सरकार नीति (Discriminating Protection Policy) का भी यही उद्देश्य था कि भारत में उन उद्योगों के प्रोत्साहन को बढ़ा दिया जाय जिनसे इंडस्ट्रीज के उद्योगों को बोई भी हानि न हो। इस नीति के परिणामस्वरूप हमारे राष्ट्र के उद्योगों का विवास व्यवस्थित ढंग पर नहीं हो पाया और हम अपने श्रौद्योगिक ढाँचे की दृढ़ भित्ति का व्याप्त करने में असफल रहे। पूर्ण रूपण संगठित श्रौद्योगिक नीति का अभाव ही हमारे राष्ट्र के श्रौद्योगिक दृष्टि से पिछड़े होने का मुख्य कारण रहा। फलस्वरूप स्वतन्त्रता प्राप्त करने के उपरान्त राष्ट्र के श्रौद्योगिक विकास को दूष्ट आवार पर निर्मित करने के लिए, न्यवस्थित श्रौद्योगिक नीति का

होना। प्रथम आवश्यकता थी। समय के साथ-साथ चलने के लिए विश्व में नये परिवर्तनों के अनुरूप ही हमारी ग्रीष्मोगिक नीति का होना भी आवश्यक था। अब उस समय का अन्त हो चुका था जबकि आर्थिक चेत्र में सरकारी हस्तचेप अनावश्यक समझा जाता था। जापान में तो आयुनिक ग्रीष्मोगीकरण के लिए वहाँ की सरकार को “इश्वरीन पिता” कहर पुरारा जाता है। इसक अतिरिक्त भारत में शीघ्र ग्रीष्मोगीकरण ना समव बनाने के लिए यह आवश्यक हो गया था कि सरकारी तथा व्यक्तिगत दोनों ही प्रवल्तों को सामूहिक रूप से कार्यान्वित किया जाय। यही कारण था कि हमारे आजाजनों ने सामित वित्तीय एवं प्राविधिक साधनों के कारण सरकारी तथा निजी द्वेष दोनों का पूर्ण उपयोग करना आवश्यक समझा और राष्ट्र की समृद्धि न लिए ऐसा आवश्यक भी था जैसा कि श्री ए० ची० पी० के शब्दों से स्पष्ट होता है—

“साधारण प्रतिस्पर्धा की दशाया में भी यदि निजी द्वेष को स्वतंत्र ढाड़ दिया जाय तो भी पितरण के साधन राष्ट्रीय आय के लिए उतने हितकर नहीं होते, जितने किसी अन्य वितरण से।”

निजी द्वेष वो बदल नस्तिगत लाभ की प्रेरणा से कार्य करता है, अत राष्ट्र एवं समाज के हित की आया करना उनसे वर्धम है। यही कारण था कि योजना आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा कि नियोजित अर्थ व्यवस्था में—

“व्यक्तिगत साहस का अपने कार्य के महृत्व को समझने देश के अधिकतम हित के लिए अनुशासन के नये नियमों का स्वीकार करना होगा। इसी अन्य सस्था की भाँति व्यक्तिगत साहस जिस सीमा तक जनहित की उन्नति के लिए साधक प्रमाणित होगे वे अपनी न्यायोचितता का परि चय देंगे।”

इस प्रकार देश की वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार दोनों द्वेषों को देश की अर्थव्यवस्था में साथ साथ मिलकर स्वतंत्र एवं समृद्ध भारत व लद्दर की प्राप्ति के लिए काय करना आवश्यक हो गया जिसमें पारस्परिक आदर और सहिष्णुता की मानना हो, तथा इससे भी बढ़कर प्रजातंत्र एवं प्रजातात्रिक जीवन पद्धति में अटल विश्वास हो और वहाँ दलवादी, विचारों वधा वर्ग भावना की सुनुचितता के लिए कोई स्थान न हो। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ६ अप्रैल १९४८ को सर्वोच्च डा० शामाम प्रधाद मुकुर्जी ने सरद में श्रीग्रीष्मोगिक नीति की घोषणा की जिसके अन्तर्गत धर्म, पूँजी तथा साधारण जनता द्वारा देश के शीघ्र ग्रीष्मोगीकरण की आया प्रकट की गई थी। इस बात पर जोर दिया गया कि धीरे धारे सरकार उत्तोग धर्मों में सक्रिय भाग लेगी। इस प्रकार वह ग्रीष्मोगिक नीति मिथ्रत अर्थ व्यवस्था पर आधारित भी दधा

सरकारी चौत्र सीमित होने के साथ ही-साथ निजी उद्योगों के चौत्र में सरकारी हस्तचेप न्यूनतम था। इस नीति के अन्तर्गत उद्योगों को ४ मार्गों में विभाजित किया गया—

(१) निवान्त सरकारी चौत्र—सुरक्षा सम्बन्धी उद्योग जैसे युद्ध सामग्री वा निर्माण, अग्निशमन का उत्पादन, तथा रेल यातायात का स्वामिल एवं प्रबन्ध।

(२) सरकारी नियमन तथा नियन्त्रण का चौत्र—नमक, मोटर, ट्रैक्टरों इत्यादि का निर्माण एवं अन्य बुनियादी उद्योग।

(३) निजी साहस के साथ सरकारी नियन्त्रण चौत्र—कोयला, लोहा एवं इस्पात, वायुयान तथा जलयान निर्माण इत्यादि।

(४) निजी व्यवसाय का चौत्र—उपर्युक्त उद्योगों के अतिरिक्त अन्य उद्योग।

भारतीय औद्योगिक नीति सन् १९४८ ई०

अप्रैल सन् १९४८ ई० में औद्योगिक नीति की घोषणा करते हुए सरकार ने यह चलाया कि सरकार अल्ला शखों एवं अग्नि शक्ति के उत्पादन तथा रेल एवं सम्बाद वाहक साधनों पर अपना एकाधिकार स्थापित करेगी। आपात्त काल में सरकार देश की सुरक्षा के लिए किसी भी उद्योग पर अपना अधिकार स्थापित कर लेगी। निम्नलिखित ६ उद्योगों में नये कारखाने औरी स्थापना सरकार के अविरिक्त और बोई व्यक्ति न कर पायेगा। कोयला, लौह एवं इस्पात, वायुयान निर्माण, जलयान निर्माण, टेलीफोन, टेलीग्राफ़, व्यापरलैस चैन (रेड्यो सेट वॉल्फ़ेइकर) और लनिंज टेले। सरकार ने उचित मुआविज्ञा देकर चनवा के हित में विही भी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने का अधिकार अपने हाथों में सुरक्षित रखा। तत्कालीन वहे सुरक्षित उद्योगों के बिषय में यह निश्चित किया कि इन्हें १० वर्षों तक व्यक्तिगत चौत्र में चलने दिया जायगा। १० वर्षों के उपरान्त इन उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने या न करने की चात पर पुन विचार किया जायगा। नमक, मीटर व ट्रैक्टर, विजली, इड्डोनियरिंग मशानीं एवं युद्ध, सायकर्न, खाद्य और औषधियाँ, कूदी और ऊनी वस्त्र, सीमट, शक्कर, कागज, वायु और सुदृढ़ी यातायात, लनिंज तथा यारात्र उद्योगों पर राजकीय नियन्त्रण रखा जायगा।

सन् १९४९ में प्रथम पचवर्षीय योजना देश में लागू की गई और उपरोक्त औद्योगिक नीति के अनुसार राजकीय चौत्र में तथा निजी चौत्री चौत्र में बहुत से महत्व पूर्ण कारखाने खोले गये।

औद्योगिक नीति सन् १९४८ का आलोचनात्मक अध्ययन—

औद्योगिक नीति मिश्रित आर्थिक नीति के सिद्धान्तों पर आधारित थी। इसका

उद्देश्य मुख्यतः अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना था। श्रीयोगिक नीति का उद्देश्य निजी और सार्वजनिक लेन्ड में एक ऐसे सामजिक को उत्पन्न करना था जिसके अन्तर्गत अभियोगों की शोषण से रक्षा हो सके, अधिकतम उत्पादन हो और निजी लेन्ड के साथ सम्बन्धित व्यवहार हो सके। प्राप्त श्रीयोगिक नीति की आलोचना करते हुए वह कहा जा सकता है कि यह एक दुलमुल नीति थी और साथ ही साथ अनिश्चित तथा निर्भर भी थी। परन्तु इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि हमारा देश इस समय आर्थिक क्रांति री दशा में था जब कि पुराना आर्थिक दर्ता धीरे नष्ट होता जा रहा था और उसके रथान पर नई आर्थिक नीति की स्थापना हो रही थी। ऐसी परिस्थिति में मिश्रित आर्थिक नीति ही सर्वोच्चम कही जा सकती है। श्रीयोगिक नीति सन् १९४८ की घोषणा के उपरान्त वाम पक्षियों के द्वारा इसी बड़ी फठोर आलोचना की गई परन्तु पचनर्थीय योजना के अन्तर्गत श्रीयोगिक नीति के अनुसार जो सफलताएँ प्राप्त हो गई हैं उनसे ये आलोचनाएँ गलत प्रमाणित हो गई हैं।

उपर्युक्त श्रीयोगिक नीति के कार्यान्वयित किये जाने के उपरान्त देश में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन एवं श्रीयोगिक लेन्ड में भी नये विकास हुए। इसके साथ-साथ इस नीति के द्वारा भी सरकार के समक्ष स्पष्ट हुए। उद्योग प्रगति तथा नियन्त्रण वानून १९५२, प्रथम पचवर्षीय योजना का प्रारम्भ तथा अन्त, भारतीय संविधान का निर्माण तथा श्रीयोगिक नीति के अनुभव ने सरकार को देश में एक नई श्रीयोगिक नीति को अपनाने के लिए बाध्य कर दिया। आवादी कांग्रेस सम्मेलन में भारत के आर्थिक विनाय का लक्ष्य 'समाजनाद' रखा गया जिसने मुष्टि अमृतसर सम्मेलन में की गई। इस विद्वान्त के अनुरूप भारतीय सरकार ने भी 'समाज के समाजनादी आवार' (Socialistic Pattern of Society) का सरनारी सामाजिक तथा ग्रा. थक नीति का लक्ष्य मान लिया। सरकारी नीति सम्बन्धी निर्देशक विद्वान्तों में निम्न विद्वान्त चुहुत अधिक महत्वपूर्ण है—

'भौतिक साधनों का स्वामित्व एवं नियन्त्रण अधिकतम सामुदायिक समानता लाने के लिए होता तथा अर्थव्यवस्था का सचालन वन साधारण के हितों के लिये न हो और न धन एवं उत्पादन के साधनों का सीमित लेन्ड में केन्द्रीयकरण हो।'

गार्हीय व्यापक, ग्रा. व्यापक, स्वतंत्रता, समानता तथा भारतीय शास्त्रीय, सिद्धान्तों को मान्यता प्रदान की गई। इन्हीं सभी विद्वान्तों के आधार पर हमारी द्वितीय पचवर्षीय योजना की रूपरेखा बनाई गई। अत. द्वितीय पचवर्षीय योजना के आरम्भ तथा उपर्युक्त परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप हमारे श्रीयोगिक नीति का होना आवश्यक

हो गया। फलस्वरूप सन् १९५६ में हमारी राष्ट्रीय उरकार ने नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा की। प्रथम औद्योगिक नीति का अनुभव उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्री महोदय द्वारा में इस प्रकार था—

‘लगभग ८० प्रतिशत उद्योग धन्ये जिनसे मेरा सम्पर्क रहा है, उनमें निजी चेत्र देश की बढ़ी हुई माँग की पूर्ति करने में असमर्थ रहा। वास्तविकता को यह है कि उसने वृद्धि का ओर ध्यान ही नहा दिया।’

अत नवीन औद्योगिक नीति का मूल उद्देश्य यह रखा गया कि—

‘नये उद्योग धन्ये स्थापित करने में तथा यातायात सुविधाओं के प्रसार करने से लाकि आर्थिक विप्रवाहाएँ दूर हो सकें और आर्थिक शक्ति का उद्धवाधों में ही सचय न हो, सरकार सचय ही धीरे धीरे अपने कन्धों पर यह उत्तर दायित्व प्रदण कराए।’

नवीन औद्योगिक नीति सन् १९५६

प्रथम पचवर्षीय आयोजन काल में प्रात अनुमत्वा क आधार पर हमारी सरकार ने ३० अप्रैल सन् १९५६ को नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा की है। इस नवीन औद्योगिक नीति का ऐदान्तिक आवार मिश्रित आर्थिक नीति ही है परन्तु आवश्यकता क अनुसार महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिये गये हैं। इस नवीन नीति क अनुसार देश क मावी औद्योगिक विकास म राज्य का उत्तरदायित्व दिन पर दिन बढ़ता जायगा और बहुत से आवारभूत उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जायेगा तथा नये आवारभूत उद्योग राज्य द्वारा ही खोले जायगे। इस प्रकार राष्ट्रनानक चेत्र का उत्तरोत्तर विकास दिया जायगा। कुछ उद्योगों को वैरक्षिक चेत्र (Private Sector) में भी रखा गया है जिससे वेदास्तक प्रयास भी देश क औद्योगिक विकास म अपना रहन्योग दे सके। इस नवीन औद्योगिक नीति के अनुसार देश में ३ औद्योगिक चेत्र बनाये गये हैं जो निम्नलिखित हैं—

(१) सरकारी एकाधिकार चेत्र

(२) मिश्रित चेत्र

(३) निजी चेत्र

(१) सरकारी एकाधिकार चेत्र—इस चेत्र में तीन प्रकार के उद्योग रखे गये हैं—(क) जुरदा उम्बन्ही उद्योग, (ख) वडे महत्वपूर्ण उद्योग जैसे अग्नि शस्त्र, मारी मशान निर्माण, मारी विवली की मशीनें, मारी कास्टिंग, कोपला एव लिंगमाइट, लनिंज, तेल इत्यादि, (ग) यातायात तथा सम्बाद वाहक उद्योग जैसे बायुयान, रेल तथा जलपोत निर्माण उद्योग, टेलीफोन तथा विजली का उत्पादन तथा वितरण आदि। इस प्रकार इस श्रेणी में कुल १७ उद्योग रखे गये हैं।

(२) मिश्रित चेत्र—इस चेत्र मे १२ उद्योग रखे गये हैं। इनमें राज्य तथा वैयक्तिक प्रयास दोनों ही समिलित होंगे अर्थात् जिनकी स्थापना राज्य के द्वारा होगी और उनमें वैयक्तिक प्रयास भी सहयोग देंगे। ये उद्योग इस प्रकार हैं—

अन्य सभी प्रकार के खनिज (छोटे खनिजों को छोड़कर) जिनकी सरकारी चेत्र में नहीं रखा गया, अल्पमूलिक व्यापार, मशीन एवं औजार, फैब्रो एलाय तथा यन्त्र बनाने का इसात, रसायनिक उद्योगों में प्रयोग में आने वाले पदार्थ, रङ्ग, प्लास्टिक, आवश्यक औपचियाँ, रसायनिक खाद्य, लुगदी, सड़क एवं जल यातायात।

(३) निजी चेत्र—उपर्युक्त सभी उद्योगों के अतिरिक्त सभी उद्योग निजी चेत्र में होंगे और ये सभी वैयक्तिक पैंजीपतियों के अधिकार में रहेंगे। इसमें मुख्य रूप से शक्ति, बब्ल, सीमेंट इत्यादि उद्योग हैं।

अब तक जो भारी एवं आधारभूत उद्योग वैयक्तिक प्रयास के अन्तर्गत हैं, वे बने रहेंगे किन्तु जो नये भारी कारखाने खोले जायेंगे, उन्हें सरकार खोलेगी। निजी चेत्र में भी सरकार को वह अधिकार होगा कि वह इस चेत्र में भी अपने उद्योग स्थापित कर सके।

नवीन श्रीदोगिक नीति के अन्तर्गत निजी चेत्र में कुटीर तथा लघु उद्योगों के विकास के लिए सरकार ने पर्याप्त सहायता देने का आश्वासन दिया है। सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि श्रीदोगिक नीति का यह उद्देश्य है कि अपने-अपने चेत्र में वृहदस्तरीय तथा लघु एवं कुटीर उद्योग दोनों का पूर्ण विकास हो तथा ये दोनों ही एक-दूसरे के प्रतिद्वन्द्वी न होकर एक दूसरे के प्रकृक हों। सरकारी नीति के अनुसार लघुस्तरीय तथा कुटीर उद्योग वृहदस्तरीय उद्योग के लिये नींव का काम करेंगे तथा देश के उपमोग के लिए पर्याप्त पदार्थ उत्पादित कर सकेंगे तथा वृहदस्तरीय उद्योग अपने उत्पादन का अधिकतम भाग विदेशी बाजारों के लिए निर्मित करेंगे। इसके अतिरिक्त यह सरकार ने घोषित किया है कि नवीन श्रीदोगिक नीति उन् १९५६ के अनुसार उपमोग सामग्री बनाने वाले जैसे शक्ति तथा वस्त्र उद्योग जोकि समिलित चेत्र के अन्तर्गत है वे सरकार की सहायता एवं प्रेरणा से सहकारिता के सिद्धान्तों पर समर्थित किये जायेंगे। सर्वप्रथम सरकार ने शक्ति मिलों को सहकारी समितियों के प्रबन्ध एवं नियन्त्रण में स्थापित करने का निश्चय किया है। यह सरकारी प्रयत्न अभी एक अनुभवात्मक कदम है। यदि यह सफल हुआ तो श्रीदोगिक नीति के अनुसार मुख्यतः मिश्रित चेत्र के उद्योग सहकारी श्रीदोगिक समितियों के द्वारा ही सचालित किये जायेंगे। नवीन श्रीदोगिक नीति की घोषणा करते हुए भारत सरकार ने यह स्पष्ट कहा दिया है कि सरकार धीरे-धीरे किन्तु दृढ़ता के साथ नवीन उद्योगों की स्थापना एवं सञ्चालन करने तथा यातायात के साधनों का विकास करने के उत्तरदायित्व को अपने ही कब्जो पर

आधिकारिक रखना चाहती है जिससे कि आर्थिक विषमता नष्ट की जा सके तथा आर्थिक शुद्धि तथा एकाधिकार शक्ति केन्द्रित न हो सक वरन् उसका विकेन्द्रीकरण किया जा सक। इस प्रकार यह नवीन नीति “नई बोलतों में पुरानी शराब” नहीं है, यद्यपि मिश्रित धर्य व्यवस्था अब भी इसका आधार है। यह निश्चयात्मक अधिक बासमन्त्री (लाख) प्रतीत होती है। उन् १९४८ के प्रस्ताव से यह कई बातों में मिल है। सबसे महत्वपूर्ण मिन्तता इसके राष्ट्रीयकरण के विश्व विद्युती भी प्रकार के आश्वा सुन जा अभाव है। इसके अतिरिक्त सरकारी साहस का ज्ञेय इसमें पहले की उपेक्षा अब अधिक व्यापक कर दिया गया है। यही नहीं दूसरी और तीसरी श्रेणी में वर्णित उद्योगों को भी सरकार अपने स्वामित्व तथा अधिकार भी लेने के लिए स्वतन्त्र हो गई है। उन्न प्रस्ताव में यह स्वरूप कर दिया गया है कि इस विभागीकरण का अर्थ यह नहीं है कि उसमें हेरफेर न हो सक। निजी तथा सार्वजनिक ज्ञेयों के उद्योगों में न क्यल एक ही से कामों को दोहराया जाता है, वरन् उनका आपस में छुट्टा रहना भी अनिवार्य है। भारत सरकार ने अपने प्रस्ताव में कुटीर उद्योग, ग्रामोद्योग तथा होटे पैमाने के उद्योगों के विकास को राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था का महत्वपूर्ण ग्राम बतलाया है। प्रस्ताव में औद्योगिक सहकारी समितियों तथा श्रम शादि का जो महत्व है, उसका भी स्फट उल्लेख है।

वर्ममान काल में द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना के अन्तर्गत हमारे देश का औद्योगिक विकास इसी नवीन औद्योगिक नीति के अनुसार भारतीय साम्बादी आर्थिक व्यवस्था के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हो रहा है।

नवीन औद्योगिक नीति १९५६ का आलोचनात्मक अध्ययन

इस औद्योगिक नीति की कड़ आलोचनाएँ भी की गई हैं। कुछ लोगों ने तो इसे पूर्णतया कालनिक बतलाया है। सुरज आलोचनाएँ इस प्रकार हैं—

निजी ज्ञेय की उपेक्षा

नवीन औद्योगिक नीति की आलोचना करते हुए फेडरेशन आफ हाइड्रेन चैम्बर आक कामर्स भी समिति ने कहा है कि यह औद्योगिक नीति निजी ज्ञेय की उपेक्षा करक सरकारी ज्ञेय को आवश्यकता से अधिक प्रोत्त्वाहित करती है, और ऐसा करक यह कबल निजी ज्ञेय के प्रति अन्याय नहीं करती वरन् अधिकतम उत्पादन के उद्देश्य की पूर्ति में बाधा डालने वाली है। बास्तव में देश के ग्राम्यतिक सुगुप्त साधनों का विवास एवं अधिकतम उत्पादन तथा समूद्र के लिए निजी ज्ञेय का सहयोग अत्यन्त आवश्यक है तथा इस ज्ञेय को प्रयोग सरकारी सहायता प्राप्त होने की आवश्य कता है। इस नीति के आलोचकों वा कहना है कि प्रथम पञ्चवर्षीय योजना के अन्तर्गत

जो कार्य हुए हैं तथा जो फल प्राप्त हुए हैं उनसे यह नि सदेह प्रमाणित होता है कि निजी चेत्र सरकारी चेत्र से कहीं अधिक सफल रहा है। सरकारी चेत्र में अनुपानित व्यय के १०१ करोड़ रुपये में से इस चेत्र में बेवल ४७ करोड़ रुपये का सदृश्योग हो पाया जावकि निजी चेत्र के अनुपानित व्यय इधर उसी रुपये में ३४४ करोड़ रुपये व्यय करके औद्योगिक विकास दिया गया। इस प्रकार निजी चेत्र सरकारी चेत्र की अपेक्षा अधिक उकिय रहा है। उचम कार्य करने तथा अन्धे फल प्राप्त करने पर भी नवीन औद्योगिक नीति के अंतर्गत निना चेत्र के प्रति सरकार ने सीतेली मात्रा का सा व्यवहार किया है। यह उच्यथा अनुचित है तथा राष्ट्र हित में एक अच्छा कार्य नहीं है। आलोचकों वा मत है कि भारत की प्रमुख समस्या औद्योगिक विकास भी है न कि इस बात की कि उसको कौन कार्यान्वित करता है। अत इस प्रकार के सरकारी तथा वैयस्तिक विनाशक नी आवश्यकता ही नहीं थी। दोनों ही तो स्वतन्त्र रूप से राष्ट्र के औद्योगिक विकास में सहयोग देने की स्वतंत्रता अत्यन्त आवश्यक थी जिसकी अब हेलना इस नीति में पूर्णतया की गई है।

यह नीति कियात्मक नहीं है

आलोचकों के मन से नवीन औद्योगिक नीति भारी मशीनों के बनाने पर अधिक जोर देती है और यह बात हमारे राष्ट्र पिता महात्मा भाई के विचारों के प्रतिरूप है। उनका बहना है कि इस औद्योगिक नीति के द्वारा औद्योगिक एवं आर्थिक शक्ति का विकास उत्तम रूप से नहीं हो सकता है क्योंकि इसने अनुसार कोई भौतिक परिवर्तन नहीं हो सकता हाँ इतना अवश्य है कि निजी एकाधिकार शक्ति सरकारी चेत्र में हस्तान्तरित हो जायगी। इस प्रकार अभिकों का शोषण भी व द न हो उकेगा क्योंकि निजी उद्योगपतियों के स्थान पर अब सरकारी चेत्र में उनका शोषण होने लगेगा। इसके अतिरिक्त आर्थिक एवं औद्योगिक विकास में लेत्रीय विषमता भी होगी जिससे राज्य सरकारों में आपसी एवं राज्य सरकारों तथा कांग्रेस सरकार में आपसी सरकार की सम्भावनाएँ बढ़ जायेंगी। आलोचकों का मत से यह नवीन औद्योगिक नीति तथा मिश्रित आर्थिक नीति के बल अन्धे लगाने वाले उद्योगों एवं लाकों से मरपूर तो अवश्य है परन्तु कियात्मक रूप में इसका सफल होना ऐ देहमय है। बास्तव में उपादन व साधनों पर समाज का अधिकार हो जाने से कुछ लोगों के हाथों में राजनीतिक तथा आर्थिक शक्ति केन्द्रित हो जाती है और राज्य पूँजीवाद की स्थापना हो जाती है।

कार्य व्यवहार की अकुशलता

उपादन समस्या का एक दूसरा पहलू कार्य व्यवहार की दमता है। जहाँ तक सरकारी चेत्र के उद्योगों का अनुभव है अभी तक इस चेत्र ने अपनी कार्य-

क्षमता का परिचय नहीं दिया है। वास्तव में सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में उद्योगों के विकास की एक कसीटी यह होनी चाहिए कि उसकी कम से कम खर्च में सुन्दर व्यवस्था हो सके। बेबल आदर्शवादी प्राधार पर राष्ट्रीयकरण राष्ट्र हित के लिए अच्छा नहीं है। जहाँ तक सरकार का सम्बन्ध है उसके पास अनुभवी कर्मचारियों एवं व्यक्तिगत प्रेरणा का अभाव है जिसके कारण उत्पादन-क्षमता का कम होना स्वाभाविक ही है। उदाहरण स्वरूप लिन्डी का नामाना ही इसका प्रमाण है। अति उत्पादन के कारण मशीनरी पर बहुत बोझ पड़ा है और उसकी सरमत तथा रक्षण पर कानूनी धर्म व्यवहरना पड़ा है। जब उक्त सरकारी उद्योगों में उत्पादन व्यवस्था की जांच न हो, खिंच उत्पादन के आँकड़ों से कारोबार की सफलता का निर्णय नहीं हो सकता। १६ दिसम्बर १९५३ को जावन बीमा निगम सम्बन्धी जो वहस पालियामेंट में ही थी उससे स्पष्ट हो गया है कि सरकारी कारोबारी नियम सम्बन्धी जो वहस और शक्ति से उपर नहीं होते। राष्ट्रीय व्यविकार उत्पादन के हित म है, वह दावा अन्य देशों के अनुभव से झूठा सिद्ध हुआ है। गत वर्ष पोलैंड को विश्व होकर अपनी आर्थिक नाति को उदार बनाना पड़ा तथा कुछ आर्थिक गतिविधियों के कार्य निजी उद्योग ने हाथ म सौंपने पड़े। भारत के पड़ोसी देश भर्मा का नी यह कह अनुभव है। एक राष्ट्रीयकरण अथवा उत्पादन के योग्यों पर राष्ट्रीय अधिकार सिद्धान्तवादियों की कल्पना के आदर्शों को नहीं ला सकते। वर्मा के प्रधान मंत्री थीं यू० नू० क शब्दों में—

“व्याघ्रहारिक अनुभव के कारण मैं यह नहीं चाहता कि हर प्रकार के आर्थिक मामलों में सरकार बीच में आ जाय। अगर सरकारी हस्तक्षेप निना रोक टोक के निरन्तर बढ़ता रहा तो ठीक देख रख तबा पूर्ण प्रबन्ध न होने के कारण जल्दी या कुछ समय बाद राज्य के कारोबार चोर तथा ठगों के हाथों में चले जायेंगे।”

राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध आश्रासन का अभाव

इस नाति वीरे इस आवार पर भी आलोचना चा गई है कि इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया कि राष्ट्रीयवत्तरण के बारे में सरकार की क्या नीति होगी। राष्ट्रीय वरण न करने की लब्ध घोषणा के आवाव में निजी साहस में अनिश्चितता और खतरा उत्पन्न हो गया है जिसका परिणाम बड़ा ही भयकर होगा। इस दुलमुल नीति के कारण निजी सेवा में निराशा की भावना व्याप्त हो गई है और जो भी प्रोत्साहन था वह मारा गया। उरकारी सेवा हर एक उद्योग में प्रवेश करता चा रहा है और निजी सेवा को हटाता जा रहा है। यही कारण है कि निकास कार्य में निजी सेवा

वा कोई भी आवश्यक नहीं रह गया है। इस नीति के वातावरण इतना अधिक सन्देहजनक हो गया है कि किसी को भी मविष्य में विश्वास नहीं रह गया है और कोई भी सुरक्षापूर्वक पूँजी विनियोजन नहीं कर सकता। यह सही है कि भारत के समान अविक्षित देश में विकास के लिए बहुत बड़ा चेत्र खुला हुआ है और जो जितना चाहे बढ़ सकता है, पर इसके लिए विशेष प्रकार वे वातावरण की आवश्यकता होती है। विश्वास की भावना बनाये रखने से ही उद्योगों की उचित स्थान प्राप्त हो सकता है।

इस नीति से उत्पादन वृद्धि सम्भव नहीं

निजी उद्योग, अपने देश के उद्योग व्यापार के तीव्र विभास कार्य के लिए वैयक्तिक साधनों को ग्राप्त करने की योग्यता एवं अनुभव ने आधार पर, जिसकी आधार भूमि न्यायोचित लाभ है, अबल देश के विकास कार्य म ही समर्थ नहीं है, वरन् इसको कम से उम लागत में अधिक उपादन और अधिक रोबगार देने के कार्य में भी काफी सहायक है। अत इस निजी चेत्र को गौण स्थान प्रदान करके देश के उत्पादन में वृद्धि सम्भव नहीं हो सकती। आलोचकों का तो कहना है कि औद्योगिक नीति की क्या आवश्यकता थी, जबकि उत्पादन वृद्धि अबल सरकार के सहयोग एवं उचित नियन्त्रण से ही सम्भव हो सकती थी। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य तो समाज में धन वा समान वितरण होता है न कि सरकार द्वारा स्वयं ही उद्योगों का सचालन। जहाँ तक लाभ का प्रश्न है मानव स्वभाव से ही ऐसा है कि काम करने के लिए उसे इसी प्रलोभन की आवश्यकता है। लाभ, जो उसक प्रयास का सही प्रतिफल है, न्यायोचित है, इसम तिरस्कार की कोई बात नहीं। यदि सामाजिक शोषण जैसी कोई वस्तु है तो सरकार वित्तीय एवं द्राविक साधनों से स्वतंत्र उद्योगों को नियमित करक तथा सामाजिक कानून बनाकर इसे दूर कर सकती है। इस नवीन औद्योगिक नीति के अन्तर्गत सरकार ने निजी उद्योगों के उपलब्ध साधनों को अपने नियन्त्रण से कम कर लिया है और उद्योगों की वैयक्तिक स्वतंत्रता को तेजी से रोका जा रहा है। ऐसी दशा म यह नीति कैसे उचित तथा राष्ट्र हित में कही जा सकती है।

जहाँ एक ओर बहुत से अर्थ शास्त्रियों तथा उद्योगपतियों ने नवीन औद्योगिक नीति की आलोचना की है वहाँ पर अनेक उद्योगपतियों तथा विद्वानों ने इसकी प्रशंसा भी की है। उनके मत से सन् १९४८ बाली औद्योगिक नीति के द्वारा निजी चेत्र में राष्ट्रीयकरण का भव न्याप गया था और परिणामस्वरूप वहाँ पर पूँजी का उत्तराह भग हो गया। राष्ट्रीयकरण की बात उस औद्योगिक नीति में अनिश्चित सी थी परन्तु नवीन औद्योगिक नीति में निजी चेत्र को निश्चित आश्वासन मिला है कि मिश्रित चेत्र में

सरकार उसकी रक्षा ही नहीं वरन् सब प्रकार से सहायता करेगी। इस प्रकार निजी चेत्र में अब श्रौद्योगिक विकास का कार्य अवाध गति से एवं निर्भयतापूर्वक हो सकेगा। नवीन नीति के अन्तर्गत निजी चेत्र को कार्य एवं विकास करने की पूर्ण स्वतंत्रता है और सरकारी नियन्त्रण केवल राष्ट्रीय हितों में ही किया जायगा। नवीन श्रौद्योगिक नीति में एक उत्तम बात यह है कि लघु स्तरीय एवं कुटीर उद्योग के उत्पादन के साथनों का नवीनीकरण एवं वैशानीकरण किया जायगा। नवीन श्रौद्योगिक नीति की घोषणा करते हुए प्रस्ताव में बतलाया गया है कि—

"The aim of State Policy will be to ensure that the decentralized sector acquires sufficient vitality to be self-supporting and its development is integrated with that of large scale industry."

अर्थात् राजकीय श्रौद्योगिक नीति का यह लक्ष्य होगा कि विरोन्दित चेत्र इतना शक्तिशाली बनाया जाय जिससे कि यह स्वावलम्बी होकर तुहद् स्तरीय उद्योग के साथ सहयोग करते हुए उसके साथ समान रूप से उन्नति कर सके। श्रौद्योगिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव में सरकार ने यह स्पष्ट कहा है कि—

"Whenever co operation with private sector is necessary, the State will ensure, either through majority participation in the capital or otherwise, that it has the requisite power to guide the policy and control of the operations of the undertaking."

अर्थात् आवश्यकतानुसार सरकार या तो अधिकार शेयरों को खरीदकर या अन्य प्रकार से पैंडीजी प्रदान करके उद्योगों को सचालित एवं नियन्त्रित करेगी। चालत्व में हमारी नवीन श्रौद्योगिक नीति 'पुरानी ही शरण' नई बोतलों में भरी हो। इस प्रसार की नहीं है। इसमें सरकारी याहु का चेत्र पहले की अपेक्षा अधिक व्यापक कर दिया गया है।

उपसहार

नवीन श्रौद्योगिक नीति की आलोचनाएँ प्रायः निजी चेत्र के समर्थकों द्वारा अपने स्वार्थ एवं लाभ की दृष्टि से की गई हैं। जहाँ तक नीति का सम्बन्ध है इसमें निजी चेत्र पर प्रतिवन्ध लगाने का कहीं भी समावेश नहीं है। यह अवश्य है कि सरकार ने ऐसे किसी भी उद्योग की राष्ट्रीयकरण करने की व्यवस्था की है जो राष्ट्र के हित में कार्य न करता हो और ऐसा करना निजी चेत्र पर अकुश रखने तथा

राष्ट्र हित की वृद्धि के लिए आवश्यक ही था। अभी तक भारत का उद्योगपति परम्परागत चिन्तनधारा के साथ बक़ड़ा हुआ है और उसका एक मात्र उद्देश्य यह है कि वित्त प्रमाण भी हो कम से कम समय में अधिक से अधिक लाभ कमा से। इस प्रकार की मनोवृत्ति के कारण ही वह जनता का विश्वास तथा सहानुभूति खो देता है। ऐसी अवस्था में राष्ट्रीयररण के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं रह जाता। इन परिस्थितियों में हमारी चर्चामान औद्योगिक नीति अनुचित नहीं बही जा सकती। वास्तव में इस नीति ने निजी द्वेष को अपनी क्रियाशीलता तथा राष्ट्र हित का परिचय देने का स्वर्णिम अवसर प्रदान किया है। यह कहना कदाचित् ठीक न होगा कि निजी द्वेष की वर्तमान नीति में उपक्षा की गई है। यदि व्यक्तिगत उद्योग बदले हुए समय के साथ अपने आपको सुलिलित कर ले तो निश्चय ही उसे मारी अर्थ-व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो जायगा। इसमें संदेह नहीं कि यदि भारत के उद्योगपति तथा पूँजीपति नये दुग के आदशों तथा आवश्यकताओं का दण्डिगत रखते हुये अपनी परम्परागत नीतियों तथा आदशों में कुछ सशोधन पारबद्धन करने के लिए तैयार हो जायें तो सभवत उन्हें नयी जीवनावधि प्राप्त हो सकता है। सारे विश्व में सम्भव वाद की लहर फैल चुम्ही है तथा पूँजीवाद का अन्त हो चुका है। भारत सारे विश्व की दैर्घ्य अवहेलना कर सकता है। समाजवाद की स्थापना समय की मात्र है। निजी द्वेष के उद्योगपति भी आज इसकी अवहेलना जरने की सामर्थ्य नहीं रखते। वास्तव में इस नवीन नीति ने निजी द्वेष के उद्योगों को साम्यवाद की भीषण ज्वालाओं से मुरझा प्रदान की है और यमय के परिवर्तन के अनुरूप ही कार्य किया है जैसा कि एक विद्वान लेखक के निन्न शब्दों से स्पष्ट हो जाता है—

“The age of unrestricted private enterprise is dead beyond recall and the current flows strongly, even if a little fitfully, towards a larger and ever larger measure of State control. We may in our hearts regret the passing of the opportunities which an age of free enterprise appeared to give to industrial initiative, or, otherwise disposed, we may rejoice in its demise seeing particularly in India that free enterprise has done relatively little to advance the life of the common man.”

वास्तविकता तो यह है कि नवीन औद्योगिक नीति में मोक्षित अर्थे व्यवस्था दो स्वीकार कर भारत ने मारी प्रगति का उपर चीमानों के बीच से एक मध्य पथ का निर्माण किया है जिसका मुख्य उद्देश्य कठोर टग के साम्यवाद और सुक पूँजीवाद

के बीच किसी न किसी प्रकार का सुलतन स्थापित करना है। वास्तव में इसी पथ के पश्चात् करने पर ही भारत की मात्री प्रगति निर्भर थी जैसा कि विद्वान् अरस्ट् के गद्दों से लेख है—

“The middle path unstudded with and devoid of the usual illsome thorns is a golden mean, a happy compromise and panacea for all ills”

निःसन्देह हमारी वर्तमान औद्योगिक नीति एक अत्यन्त दूरदर्शी एव सुदृढ़ नीति है। इसकी सफलता जनवा, उद्योगपतियों तथा सरकार के सहयोग पर निर्भर है। इस नीति की सफलता में ही भारत का यदि विश्व में नहीं तो एशिया में अवश्य ही एक महान् औद्योगिक देश बन जाने का मार्ग निर्हित है। हमारे राष्ट्र के कर्णधार प० नेहरू ने ठीक ही कहा है—

“भारत सरकार यह विश्वास करती है कि यह नवीन औद्योगिक नीति सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त करेगी और भारत के शीघ्र औद्योगिकरण में सहायक सिद्ध होगी।”

इस सम्बन्ध में ब्रिटेन के आर्थिक विवास के लिए वहाँ के मबद्दुर दल ने भी नीति निर्धारित की है उड़ना तुल्य उल्लेख कर देना कदान्ति अप्राप्यागिक न होगा। इसमें व्रतावा गया है कि—

“सरकार तो केवल ऐसी अवस्थाएँ उत्पन्न कर सकती है जिनसे प्रगति सम्भव हो सके। उसके पास कोई जादू का डडा नहीं होता जिससे छूकर वह हमारी राष्ट्रीय दशा का वक्ताल कायाकल्प कर दे। अन्त में हमारी सफलता हममें से प्रत्येक व्यक्ति के प्रयत्ना, कठिन तथा वुद्धिमत्तापूर्ण कार्य और सामूहिक दायित्व की भावना पर निर्भर होगी।”

वृथापि नवीन औद्योगिक नीति का मूलभूत आदर्श अन्तोगत्वा देश में समाजवादी दण के समाज की स्थापना करना है, वृथापि इसके द्वारा राष्ट्र के विभिन्न वर्गों के सामवत्यपूर्वक और एक-दूसरे के पूरक रूप में विकास करने की व्यवस्था की गई है जिससे प्रत्येक व्यक्ति देश के समस्त मानव समाज के मुख में अपना पूर्णिम वोगदान कर सके।